ोदश माला, खंड 2, अंक 4

गुरूवार, 2 दिसम्बर, 1999
11 अग्रहायण, 1921 (शक)

लोक सभा वाद - विवाद

(हिन्दी संस्करण)

...ENT LIBRARY
D.........

दूसरा सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

(खण्ड 2 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा० अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव

हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव

प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक

केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

जे० एस० वत्स
सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

उर्वशी वर्मा
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

विषय सूची

त्रयोदश माला, खंड 2 दूसरा सत्र, 1999/1921 (शक)

अंक 4, गुरुवार, 2 दिसम्बर, 1999/11 अग्रहायण, 1921 (शक)

विषय		कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
* तारांकित प्रश्न संख्या	61 और 63 से 66	1-26
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	62 और 67 से 80	26-48
अतारांकित प्रश्न संख्या	571 से 630, 632 से 694, 696 से 731, 733 से 753 और 755 से 767	48-306
सभा पटल पर रखे गए पत्र		307-311
राज्य सभा से संदेश		
और		
राज्य सभा द्वारा यथा पारित विधेयक - सभा पटल पर रखे गये		311-312
सभापति तालिका		312
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक		313-384
विचार करने के लिए प्रस्ताव		313
श्री यशवन्त सिन्हा		313-348
खण्ड 2 से 32 और ।		370-384
पारित करने के लिए प्रस्ताव		384
नियम 377 के अधीन मामले		384-391
(एक) पश्चिमी राजस्थान में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार को पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता		
श्री राम सिंह कस्वां		384-385
(दो) उत्तर प्रदेश के बांसगांव को औद्योगिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र घोषित किए जाने और उसके विकास के लिए योजना बनाए जाने की आवश्यकता		
श्री राज नारायण पासी		385
(तीन) बिहार में छपरा में रसोई गैस बॉटलिंग संयंत्र की शीघ्र स्थापना किए जाने की आवश्यकता		
श्री राजीव प्रताप रूडी		386

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

(चार) हरिद्वार और फाजिल्का के बीच रेलगाड़ी चलाए जाने और फरीदकोट में कम्प्यूटरीकृत बुकिंग सुविधा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री जे. एस. बराड़ 386

(पांच) पश्चिमी राजस्थान के विकास के लिए विशेष पैकेज को स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

कर्नल (सेनानिवृत) सोना राम चौधरी 386-387

(छह) 'तेतुलिया कारीडोर' खोले जाने के लिए बंगला देश के साथ वार्ता किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती मिनाती सेन 387-388

(सात) आंध्र प्रदेश में हैदराबाद स्थित हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के पुनरूद्धार के लिए ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता

डा. मन्दा जगन्नाथ 388

(आठ) तमिलनाडु के अर्कोनम रेलवे जंक्शन से गुजरने वाली एक्सप्रैस, गाड़ियों को वहां पर रोके जाने की आवश्यकता

डा. एस. जगतरक्षकन 388-389

(नौ) महानदी तटीय और अपतटीय नदी–घाटियों में तेल और गैस की खोज किए जाने की आवश्यकता

श्री त्रिलोचन कानूनगो 389-390

(दस) उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग पर उप–मार्ग का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्र विजय सिंह 390

(ग्यारह) सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित बकाया पदों को भरे जाने की आवश्यकता

श्री रामदास आठवले 390-391

धन शोधन निवारण विधेयक

और

विदेशी मुद्रा प्रबंध विधेयक 391-448

विचार करने के लिए लिए प्रस्ताव

श्री यशवन्त सिन्हा 391-393, 434-441

श्री पवन कुमार बंसल 394-402

श्री अनादि साहू 402-408

श्री मोइनुल हसन 408-411

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति 411-413

श्री अजय चक्रवर्ती 413-414

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी 414-417

श्री रमेश चेन्नितला 417-420

श्री किरीट सोमैया 421-424

श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन 424-428

श्री बीर सिंह महतो 428

श्री वरकला राधाकृष्णन 428-433

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर 433-434

धन शोधन निवारण विधेयक

खण्ड 2 से 74 और। 441-446

पारित करने के लिए प्रस्ताव 446

विदेशी मुद्रा प्रबंध विधेयक

खण्ड 2 से 49 और। 446-448

पारित करने के लिए प्रस्ताव 448

लोक सभा

गुरुवार, 2 दिसम्बर, 1999/11 अग्रहायण 1921 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 61।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, मैं इस सभा की भूतपूर्व नेता स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा महात्मा गांधी से संबंधित एक महत्त्वपूर्ण मामला आपके ध्यान में लाता हूं। मेरे विचार में, आप उस संबंध में प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल के बाद हम उस पर चर्चा करेंगे।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

सुरंग-रोधी वाहन

*61. **श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी** :

श्री उत्तमराव ढिकले :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना ने दक्षिण अफ्रीका से बड़ी संख्या में दोगुनी कीमत पर ऐसे सुरंग–रोधी वाहन खरीदे हैं जो बीस वर्ष पुराने हैं और जिन्हें फिर से चमका–दमका कर नया रंग रूप प्रदान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त सौदा करने के लिए क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज़) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

सेना मुख्यालय के प्रस्ताव के अनुसार विद्रोहियों द्वारा तात्कालिक विस्फोटक यंत्रों (आई. ई. डी.) के अधिक प्रयोग को देखते हुए उनसे सैनिकों की रक्षा करने के लिए एक उपयुक्त वाहन तत्काल प्राप्त करना अनिवार्य समझा गया था क्योंकि ऐसे यंत्रों के प्रयोग के कारण हताहतों की संख्या में पहले के मुकाबले बहुत अधिक वृद्धि हो रही थी और उसका उपयुक्त जवाब न दिए जाने के कारण सैनिकों के मनोबल पर प्रभाव पड़ा था।

2. विदेश स्थित हमारे सैन्य अताशों के माध्यम से पता लगाए गए भिन्न–भिन्न वाहनों की विशेषताओं के तकनीकी विश्लेषण से यह प्रमाणित हो गया है कि मैसर्स रिउमैक का सुरंग रक्षी वाहन (एम. पी. वी.) कासपिर सेना की सुरंग रक्षी वाहन की आवश्यकता के अनुरूप सर्वोत्तम है और अन्य वाहनों को उनकी लागत, गतिशीलता, रक्षण स्तर, वहन क्षमता तथा सुपुर्दगी कार्यक्रम पर विचार करते हुए, उपयुक्त नहीं समझा गया था। भारत में गहन परीक्षण करने के बाद सेना मुख्यालय ने मैसर्स रिउमैक से पुनः पालिशकृत सुरंग रक्षी वाहन कासपिर लेने की सिफारिश की।

3. तदनुसार, अभिज्ञात विक्रेता से तकनीकी–वाणिज्यिक प्रस्ताव मंगाए गए और उनकी संवीक्षा तथा मूल्यांकन के बाद, रक्षा मंत्रालय में विधिवत् रूप से गठित की गई एक मूल्य–वार्ता समिति ने विक्रेता के साथ हुई छः बैठकों में बातचीत की जिसमें 100 वाहन खरीदने पर एक यूनिट के प्रस्तावित 1,53,000 अमरीकी डालर के मूल, बजटीय कोट की बजाए 90 वाहन खरीदने पर एक यूनिट का मूल्य 1,25,000 अमरीकी डालर तक हुआ है।

4. बातचीत करके तय किए गए मूल्य को अन्य दो किस्म के नए सुरंग रक्षी वाहनों के प्रस्तावित मूल्य जो 7,00,000 और 280,000 अमरीकी डालर बताया गया था, के साथ तुलना करने पर उचित पाया गया।

5. दक्षिण अफ्रीकी फर्म मैसर्स रिउमैक के साथ 90 और 75 पुनः पालिशकृत सुरंग रक्षी वाहनों और उनके इंजीनियरी सहायता पैकेज (ई. एस. पी.) की खरीद के लिए दो संविदाएं की गई हैं। चुने गए ये वाहन वर्ष 1981 से 1988 तक की अवधि के हैं। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा विधिवत् प्रमाणित प्रथम श्रेणी के बैंकों से बैंक गारंटियों के रूप में मानक, निष्पादन और वारंटी बंधपत्र, विक्रेता से प्राप्त कर लिए गए हैं जो संविदा पूरी न किए जाने या निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार वाहन द्वारा 10,000 कि. मी. या 12 माह की वारंटी अवधि, इनमें से जो भी पहले हो, के दौरान काम न करने पर भुना लिए जाएंगे।

[हिन्दी]

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : अध्यक्ष महोदय, अहमदनगर महाराष्ट्र में वी. आर. डी. के अधिकारियों ने प्रक्षेपास्त्र ले जाने वाले वाहन बहुत अच्छी तरह से तैयार किये थे और जबकि पृथ्वी ले जाने वाला वाहन वी. आर. डी. ने तैयार किया था, तो क्या यह संस्था सुरंग रोधी वाहन तैयार नहीं कर सकती थी ?

अब्दुल कलाम समिति ने टैंक निर्माण के मामले में भारत

आत्मनिर्भर है, ऐसा अभिप्राय दिया है। इसके बावजूद दूसरे देशों से लश्करी वाहन खरीदने की क्या जरूरत पड़ी।

[अनुवाद]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, सुरंगों से बचाव के लिए जिस तरह के वाहनों की आवश्यकता होती है, उस तरह के वाहनों का निर्माण भारत में अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन यह सच है कि आयुध कारखाने कोशिश कर रहे हैं और पहला वाहन इस महीने परीक्षण के लिए उपलब्ध हो जाएगा। जो वाहन दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं, उनके लिए वर्ष 1995 में बातचीत की गई थी, और कुछ समय के बाद उनका परीक्षण किया गया था और उन्हें खरीद लिया गया क्योंकि सेना को आतंकवाद विरोधी कार्यवाही के लिए उनकी बहुत आवश्यकता थी।

[हिन्दी]

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या ये वाहन खरीदने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों ने मना किया था ?

[अनुवाद]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : जी नहीं, महोदय।

[हिन्दी]

श्री उत्तमराव ढिकले : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब ठीक से नहीं मिला। जवाब टालने की कोशिश हो रही है। मेरा सवाल यह है कि क्या यह सुरंग रोधी वाहन दोगुनी कीमत पर खरीदे गए और क्या खरीदने के वक्त सरकार को यह मालूम नहीं था कि ये पुराने हैं ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, ये वाहन दोगुनी कीमत पर नहीं खरीदे गए हैं। ये सबसे कम कीमत पर खरीदे गए। बहुत ही कम दाम में ये वाहन मिले क्योंकि ये पहले दक्षिण अफ्रीका की सुरक्षा के कार्य में इस्तेमाल में लाए हुए वाहन थे।

[अनुवाद]

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बीस वर्ष पुराने वाहन हैं। इसकी लागत अधिक महत्त्व नहीं रखती है लेकिन उनका कार्य अधिक महत्त्व रखता है। हमारे अपने रक्षा बजट को देखें, उसमें नए वाहन की लागत 700,000 अमरीकी डॉलर प्रति वाहन है, जो कि अधिक नहीं है। अतः उनको नए वाहन खरीदने चाहिए थे, यदि वे वास्तव में सुरंगों के संबंध में कार्यवाही करना चाहते हैं। नए वाहनों से रक्षा संबंधी उत्पादन में भी सहायता मिलती। नवीनतम प्रोद्योगिकी से वह अच्छे वाहन देख सकते, उन्हें समझ सकते और उनका निर्माण कर सकते।

अतः मैं माननीय रक्षा मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या अभी भी पुराने वाहनों को न खरीद कर नए वाहनों को खरीदना सम्भव है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, जो वाहन प्राप्त किए गए हैं अथवा खरीदे गए हैं, वह ग्यारह से अट्ठारह वर्ष पुराने हैं। उनको रगड़कर चमकाकर और उनके इंजिनों को पूरी तरह मरम्मत करके भेजा जा रहा है। हमने अब तक यह 90 खरीद लिए हैं। इस समय उनमें से 60 जम्मू और कश्मीर में और पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं–इनमें से 45 जम्मू और कश्मीर में तथा 15 पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। यह प्रभावपूर्ण वाहन हैं और इस्तेमाल किए जा रहे हैं।

जहां तक कि मूल्य का प्रश्न है, दो अन्य वाहन जो उपलब्ध थे, उनमें से एक की लागत 280 हजार अमरीकी डॉलर थी और दूसरे की लागत 700 हजार अमरीकी डॉलर थी। हमें यह वाहन 125 हजार डॉलर में मिले।

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति : इसका मूल्य महत्त्वपूर्ण नहीं है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, यदि हम नये एक जैसे वाहनों को खरीदने जाते तो समस्या यह थी कि उनको मिलने में बहुत समय लग जाता और सेना को इन वाहनों की बहुत आवश्यकता थी और सेनाध्यक्ष और हमारे सैनिकों द्वारा बार–बार मांग की जा रही थी जिनको पूर्वोत्तर और जम्मू–कश्मीर में रोजाना लड़ना पड़ रहा है जहां आई. ई. डी. एक मुख्य हथियार है जो कि दुश्मन द्वारा हमारे विरुद्ध इस्तेमाल किए जाते हैं।

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सिर्फ दक्षिण अफ्रीका ही नहीं विश्व के अनेक देश ऐसा सिस्टम बनाते हैं और यह परम्परा रही है कि हम जब भी कोई इक्युपमैंट्स खरीदते हैं तो उसके पहले विभिन्न देशों में ऐसे इक्युपमैंट्स के बारे में इवैलुएशन करते हैं और कम्पैरेटिव इवैलुएशन करने के बाद फिर हम एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत यह निर्णय करते हैं कि कौन से इक्युपमैंट्स हमारी जरूरत के मुताबिक सबसे ज्यादा उपयुक्त होंगे। मैं रक्षा मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ऐसे कामों के लिए जो प्रक्रिया निर्धारित है क्या उस सारी प्रक्रिया को अपनाया गया और जिन–जिन देशों में ऐसे इक्युपमैंट्स उत्पादित होते हैं क्या उनके बारे में भी ऐसा कोई इवैलुएशन किया गया। यदि हां, तो कृपया उसका ब्यौरा देने का कष्ट करें।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, जब सेना ने चाहा कि ये व्हीकल्स हमें खरीदने चाहिए तो उन्होंने सबसे पहले अपने मिलिट्री अटैशेज को यह बताया कि कहां–कहां और किन–किन देशों में ये मिलते हैं, यानि जहां–जहां हमारे मिलिट्री अटैशेज हैं और जो राष्ट्र ऐसे व्हीकल्स बनाते हैं, उनसे पूछताछ करके जानकारी मांगी गई और जो जानकारी आई, उसमें यह बताया गया कि अमरीका, ब्रिटेन, फिनलैंड और स्विटजरलैंड ये व्हीकल्स बनाते हैं और उसके साथ दक्षिण अफ्रीका की जानकारी भी उनके पास आई। जैसा मैंने पहले बताया कि जिन अन्य देशों में ये व्हीकल्स बनाये जाते हैं, उनके दाम बहुत ही अधिक हैं, यह बात स्पष्ट हो गई थी। उसके बाद दूसरी बात यह थी कि हमें जिस प्रकार के व्हीकल्स चाहिए थे, हम जिस टैरेन

में लड़ रहे हैं, जम्मू–कश्मीर की सड़कों की जो स्थिति है, पहाड़ों की जो स्थिति है और पूर्वांचल में जो स्थिति है, उसमें हमें ऐसे व्हीकल्स चाहिए थे जो वजन के मामले में हलके किस्म के और तेजी से चलने के साथ–साथ सड़कों पर घूमने के काबिल हों और कम चौड़ाई की सड़कों पर भी घूमने के काबिल हों। इन सारी चीजों को ख्याल में रखकर सेना ने यह तय किया कि दक्षिण अफ्रीका का व्हीकल ही सबसे अच्छा है। उसके दाम भी बहुत ही कम थे। उसका जो भी ट्रायल का टैस्ट लेना था वह लिया गया और 1997 में ट्रायल और टैस्ट करने के बाद यह फैसला लिया गया कि दक्षिण अफ्रीका के व्हीकल्स को खरीदा जाए।

सवारी डिब्बों का निर्माण

***63. श्री सी. श्रीनिवासन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्टीग्रल कोच फैक्टरी, चेन्नई ने स्टेनलेस स्टील के सवारी डिब्बों का निर्माण किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी लागत आयी;

(ग) क्या रेलवे ने अपनी निर्यात क्षमता का आकलन करते हुए अपनी विपणन–रणनीति बनायी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) स्टेनलेस स्टील के वातानुकूल 2 टियर सवारी डिब्बे की लागत लगभग 1.12 करोड़ रुपए है।

(ग) जी हां, घरेलू तथा निर्यात बाजार, दोनों के लिए स्टेनलेस स्टील के सवारी डिब्बों के विनिर्माण हेतु पर्याप्त संभावनाएं मौजूद हैं।

(घ) विगत में बांग्लादेश रेलवे और श्रीलंका रेलवे द्वारा स्टेनलेस स्टील के सवारी डिब्बों के संबंध में निविदा पूछताछ की गई है। विदेशों में कई रेल प्रणालियां स्टेनलेस स्टील के सवारी डिब्बों का उपयोग करती हैं। रेल मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, राइट्स और इरकॉन के जरिए भी निर्यात की संभावनाओं का पता लगाने का प्रस्ताव है।

श्री सी. श्रीनिवासन : महोदय, मैं मंत्री महोदया से यह जानना चाहूंगा कि क्या प्राथमिक इन्टीग्रल कोच फैक्टरी, पेरम्बूर, चेन्नई को उसके नवीनीकरण और व्यवहार्य उपक्रम बन जाने के बाद अधिक धनराशि आबंटित की जाएगी; क्या आई. सी. एफ, चेन्नई अपनी पूर्व विख्याति पुनः प्राप्त कर लेगा जो कि उसने कपूरथला कोच फैक्ट्री की स्थापना के बाद उपेक्षित किए जाने और अलग–थलग रह जाने के कारण खो दी थी; यदि हां, तो कब; और क्या यह सच है कि क्या लाभ कमाने में अग्रणी आई. सी. एफ., चेन्नई को अपने मूल संगठन, भारतीय रेलों द्वारा और आर्डर नहीं मिल रहे हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय सम्माननीय सदस्य द्वारा आई. सी. एफ. चेन्नई के लिए व्यक्त चिंता की हम प्रशंसा करते हैं। देश में चार कोच निर्माण कारखाने हैं। जबकि आई. सी. एफ. चेन्नई और कपूरथला कोच फैक्ट्री भारतीय रेलवे के अंतर्गत आती हैं, बी. ई. एम. एल. द्वारा संचालित कोच फैक्ट्रियां सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। हमने आई. सी. एफ. में कोचों का निर्माण 1955 में आरंभ किया था। उन्होंने आज तक कम–से–कम 29,545 कोचों का निर्माण किया है। आई. सी. एफ. चेन्नई की कभी उपेक्षा नहीं की गई है।

स्टेनलेस स्टील के कोचों के बाजार की संभाव्यता से संबंधित प्रश्न पूछे गए यह कोच बहुत मंहगे पड़ेंगे। एक स्टेनलेस स्टील कोच की कीमत लगभग 1.12 करोड़ पड़ती है जबकि कॉरटन स्टील कोच जिनका हम उपयोग कर रहे हैं, सिर्फ 90 लाख की लागत से बनता है, जिसका अर्थ है 22 लाख रुपये की प्रत्येक कोच पर बचत। तथापि अगर हमसे स्टेनलेस स्टील कोचों के निर्यात संबंधी मांग की जाती है, तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं।

श्री सी. श्रीनिवासन : मैं रेल मंत्री के उनके आई. सी. एफ. चेन्नई की उपेक्षा न किए जाने के लिए दिए गए आश्वासन के लिए उनका धन्यवाद करता हूं। मैं मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार आई. सी. एफ. चेन्नई में उपलब्ध उत्पादन एवं निर्यात की क्षमता का उपयोग करेगी इसके अतिरिक्त उत्पादन में विविधता लाने के लिए मंत्री अपने प्रथम रेल बजट के दौरान अधिक निधि उपलब्ध कराएंगी। क्या आई. सी. एफ. विभिन्नि महत्त्वपूर्ण केन्द्रीय रेलवे जक्शनों जैसे मेरे निर्वाचन क्षेत्र डिंडीगुल में स्वयं कोच की रख–रखाव इकाई स्थापित करेगा।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, मैं सदस्य की चिंता का स्वागत करती हूं। प्रत्येक सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र में रेलवे द्वारा कुछ–न–कुछ कार्य करवाना चाहता है मैं प्रत्येक सदस्य से अपील करना चाहती हूं कि हम विद्यमान सुविधाओं को प्रथम ठीक हालत में रखें। मैं यह इसलिए कह रही हूं क्योंकि रेलवे आज सुरक्षा, सलामती और समय की पाबंदी की दृष्टि से अत्यधिक कठिनाइयों का सामना कर रहा है। अपेक्षित स्तर से कम की राशि रेलवे की सुरक्षा सलामती और समय की पाबंदी के पहलू पर निवेश की जाती है। मैं समझती हूं कि इसे पहले पुनः स्थापित किया जाए। हमें विद्यमान सुविधाओं का प्रथम रखरखाव करना चाहिए। जहां कहीं कुछ अधिक करने की संभावना है, हम करेंगे।

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि केरल के लोगों की लंबित मांग है और रेलवे से भी एक प्रस्ताव केरल में कोच फैक्ट्री शुरू करने का रखा गया है ? यदि हां, तो सरकार का पक्ष इस संबंध में क्या है ?

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, प्रश्न स्टेनलेस स्टील के कोचों से संबंधित है मुझे माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न पर अलग से नोटिस चाहिए। यद्यपि केरल सर्वाधिक शिक्षित राज्य है और मैं केरल

के मुख्य मंत्री से भी मिली हूं। हमने कई बातों पर विस्तार से चर्चा की, लेकिन मैं यहां पर उनका खुलासा नहीं कर सकती। अगर सदस्य चाहते हैं तो मैं, उनको लिखित में दे सकती हूं।

श्री आर. एल. भाटिया : महोदय, अमृतसर में बहुत बड़ी व आधुनिक रेलवे वर्कशॉप है जहां वैगनों एवं कोच का निर्माण हो रहा है। 1965 के युद्ध में इन्होंने हमारे टैंकों की भी मरम्मत की थी, लेकिन अब इस वर्कशॉप को मरम्मत वर्कशॉप में बदल दिया गया है।

मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस बड़े वर्कशॉप में उपलब्ध सुविधा का रेलवे इस्तेमाल करेगी जो अमृतसार में स्थित है। क्योंकि यह रेलवे को वैगनों और कोचों के निर्माण में मदद करेगा ? इसलिए क्या माननीय मंत्री अमृतसर के रेलवे वर्कशॉप को आदेश (आर्डर) देने की सोच रही हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, यह हमारी हार्दिक मंशा है कि हम हमारे देश के सार्वजनिक एककों और उत्पादन इकाइयों को मजबूत करें। निःसन्देह हम देश के अन्दर उत्पादन बढ़ाने को अधिक महत्त्व देना चाहते हैं। हालांकि जो कुछ माननीय सदस्य ने वैगन उद्योग के बारे में कहा है वह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है। फिर भी मैं उनको इसके उत्तर में यह कहना चाहूंगी कि अगर संभावना हुई तो हम इस ओर अवश्य ध्यान देंगे।

श्रीमती कृष्णा बोस : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि हम इतने अद्भुत कोचों का निर्माण घरेलू उपयोग एवं निर्यात बाजार के लिए कर रहे हैं। रेल मंत्रालय इसके लिए प्रशंसा का पात्र है, जबकि हम कोचों के निर्माण संबंधी विषय पर बोल रहे हैं। क्या मैं माननीय रेलवे मंत्री से पूछ सकती हूं कि क्या रेल मंत्रालय को जर्मन और आस्ट्रिया से हमारे लिए कोचों के निर्माण का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अगर हां तो क्या रेलवे बोर्ड के सदस्यों ने इन दोनों देशों का दौरा करके इस संबंध में कोई निर्णय लिया है।

कुमारी ममता बनर्जी : जी हां, महोदय यह सच है कि बहुत से देश जैसे जर्मनी, जापान, तायवान और साऊथ अफ्रीका स्टेनलेस स्टील कोचों का उपयोग कर रहे हैं। सबसे मुख्य बात है 'प्रौद्योगिकी हस्तांतरण' निःसन्देह रेलवे बोर्ड के सदस्य जापान और जर्मनी जैसे देशों के संपर्क में है। हम एल. एच. बी. कम्पनी जो जर्मनी का एक संगठन है से भी अत्याधुनिक 24 कोचों को ले रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, इन्टीगरल कोच फैक्ट्री स्टेनलेस स्टील यात्री डिब्बों का निर्माण कर रही है, क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि क्या इस प्रकार के कोच जिनका निर्माण किया गया है, वह भारतीय रेलवे के उपयोग के लिए हैं या उनका निर्यात के लिए ही निर्माण किया गया है ?

दूसरा हमने एक निश्चित संख्या में तीव्र गति के कोचों का विदेशों से आयात किया है। इस तरह के कोचों के विदेश से आयात का मुख्य उद्देश्य, हमारे देश में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के पश्चात् इस तरह के कोचों का निर्माण करना है। इसलिए मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि क्या हमने प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के पश्चात् तीव्र गति कोचों का निर्माण आरंभ कर दिया है यदि हां तो यहां तीव्र गति कोचों के निर्माण की लागत क्या है जबकि यह आई. सी. एफ. या आर. सी. एफ. द्वारा निर्मित हो ?

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, 'प्रौद्योगिकी हस्तांतरण' के पश्चात् हम अपने देश के उत्पादन को अधिक महत्त्व देना चाहते हैं, जैसे कपूरथला फैक्ट्री, आई. सी. एफ., आर. सी. एफ., बी. एम. एल. और जेसाप। हम इस पर काम कर रहे हैं।

विशेष कर चितरंजन लोकोमोटिव, आपको जानकर खुशी होगी कि यह पांच अत्यधिक महत्त्वपूर्ण एवं आधुनिक लोकोमोटिव का निर्माण कर चुका है।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं ए. बी. बी. इंजन जिसकी क्षमता 6,000 3–फेज हॉर्स पावर है के विषय में पूछना चाहता हूं।

कुमारी ममता बनर्जी : चितरंजन लोकोमोटिव ए. बी. बी. इंजन भी बनाती है।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं तीव्र गति यात्री कोचों के संबंध में पूछ रहा हूं जिसका तीन साल पहले आयात किया गया था।

कुमारी ममता बनर्जी : जैसा कि मैंने पहले कहा है, हम 24 तीव्र गति कोचों को जर्मनी की कंपनी एल. एच. बी. से आयात कर रहे हैं उनकी गति 169 कि. मी. प्रति घंटा है। लेकिन आपको प्रशंसा करनी पड़ेगी कि हमारे रेलवे के कोच और रेक बहुत पुराने हैं। हमारी सभी व्यवस्थाएं पुरानी हैं हमें पहले इसका आधुनिकीकरण करना है। बिना सभी के आधुनिकीकरण के, कोई कैसे 160 कि. मी. प्रति. घंटे से 500 कि. मी. प्रति घंटे की गति को पा सकता है ? फिर तो निश्चित ही घटनाएं और दुर्घटनाएं होंगी।

इसलिए मैं सभी सदन में उपस्थित माननीय सदस्यों से अपील करना चाहती हूं कि कृपया पुर्नविचार करें और देखें कि सभी सुविधाओं का आधुनिकीकरण हो। हां हम उस व्यवस्था को ला रहे हैं। हम सभी संभावनाओं का पता लगाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : महोदया, क्या यह सच नहीं है कि तीव्र गति कोचों का उपयोग करने से पहले गति–ट्रेक प्रणाली का आरंभ किया जाए ?

कुमारी ममता बनर्जी : जी हां, महोदय हम इस पर विचार कर रहे हैं और सभी संभावनाओं का पता लगा रहे हैं। हम इस प्रकार की तकनीकी को ला रहे हैं। हम 'प्रौद्योगिकी हस्तांतरण' को पाने की प्रक्रिया में है, इस तकनीक के आने के पश्चात् हम अपने देश की औद्योगिक क्षमता की सभी संभावनाओं का पता लगाएंगे।

महोदय, इसमें कोई शंका नहीं है हम निश्चित ही इस पर ध्यान दे रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, इन्होंने मेरे प्रश्न के भाग (i) कि भारतीय रेलवे द्वारा कितने स्टेनलेस स्टील के सवारी डिब्बों का प्रयोग किया जा रहा है, का जवाब नहीं दिया है।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, स्टेनलेस स्टील के सवारी डिब्बों का प्रयोग केवल परीक्षण के लिए है। पहला सवारी डिब्बा आई. सी. एफ. से 10.11.99 को तैयार होकर मिला था और दूसरा निर्माणाधीन है। लेकिन हम अभी इन्हें प्रयोग में लाने नहीं जा रहे हैं क्योंकि यह अत्यंत महंगा है। हम अधिक स्वदेशी उद्योग हेतु सभी सम्भावनाओं का पता लगाना चाहते हैं।

श्री सी. कुप्पुसामी : महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री से पूछना चाहता हूं कि यह सच है कि इन्टीग्रल कोच फैक्टरी, चेन्नई को स्थायी कामों में कई निविदा प्रदान करके विघटित किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि माननीय मंत्रीजी द्वारा इसी प्रकार के प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है।

श्री सी. कुप्पुसामी : नहीं, महोदय यह अलग प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं श्री सी. श्रीनिवासन ने भी ऐसा ही प्रश्न पूछा था।

श्री सी. कुप्पुसामी : नहीं महोदय, यह बिलकुल भिन्न प्रश्न है। यह निविदा के आबंटन के बारे में है। मैं माननीय रेल मंत्री से पूछना चाहता हूं क्या यह सच है कि इन्टीग्रल कोच फैक्टरी पेरम्बूर, चेन्नई को निविदाकर्ताओं को कई निविदाएं प्रदान करके विघटित किया जा रहा है।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, 1999–2000 के दौरान आई. सी. एफ. का लक्ष्य 1042 निर्धारित किया गया था लेकिन अभी अक्तूबर 1999 तक हमें 568 की प्राप्ति हुई है। अतः हमने बताया है कि मार्च तक हमें इस आंकड़े को पहले प्राप्त करना चाहिए। इसलिए मैं नहीं समझती कि यह विघटन है। यह समेकित है।

[अनुवाद]

कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, रेल मंत्रालय में पहले गोरखपुर में कोच फैक्ट्री लगाने का प्रस्ताव प्रस्तावित था, जिसे बाद में परिवर्तित करके कपूरथला में स्थापित कर दिया गया है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, क्या रेल मंत्रालय के पास गोरखपुर में कोच फैक्ट्री पुनः लगाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

[अनुवाद]

कुमार ममता बनर्जी : महोदय, यह पृथक प्रश्न है और इसके लिए मुझे अलग से सूचना की आवश्यकता है।

श्री रमेश चेन्नितला : महोदय, इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इन्टीग्रल कोच फैक्टरी, चेन्नई में अत्यन्त अच्छी किस्म के स्टेनलेस स्टील के सवारी डिब्बे बनाए जाते हैं और इनकी सभी द्वारा काफी प्रशंसा की गई हैं। निसन्देह यह महंगे भी हैं।

महोदय, कुछ रिपोर्ट मिली हैं कि कुछ देश अपने देशों के लिए स्टेनलेस स्टील के सवारी डिब्बों का आयात करना चाहते हैं। अतः मैं माननीय रेल मंत्री से पूछना चाहता हूं क्या भारतीय रेलवे ने किसी अन्य देशों के साथ उनके देशों को स्टेनलेस स्टील के सवारी डिब्बों का निर्यात करने हेतु कोई समझौता किया है ?

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, इस संबंध में मैं बताना चाहती हूं कि बंगलादेश और श्रीलंका इन दो देशों के साथ बातचीत की गई थी। बंगला देश ने हमसे 66 सवारी डिब्बों की मांग की थी हम उन्हें सभी 66 सवारी डिब्बे देने को तैयार भी थे लेकिन बाद में उनकी मांग घट कर 26 सवारी डिब्बे तक आ गई और उसके बाद उन्होंने कहा कि वह इसमें अभिरुचि नहीं रखते। अतः स्टेनलेस स्टील के सवारी डिब्बों को बंगलादेश भेजने के सम्बन्ध में बात समाप्त हो गई है।

इसी प्रकार श्रीलंका ने भी 15 सवारी डिब्बों के लिए कहा था लेकिन हमने कुछ समय मांगा था और अब श्रीलंका को स्टेनलेस स्टील के सवारी डिब्बे भेजने की बात भी नहीं रही। अभी हमारे पास कोई आर्डर नहीं है। लेकिन यदि हमें किसी दूसरे देश में मांग प्राप्त होती है तो हमारी फैक्ट्री उसे पूरा करने को तैयार है।

सड़क परिवहन प्रभार की ग्राह्यता

***64. श्री पी. एस. गढ़वी :** क्या **उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने लेवी की चीनी और पॉमोलीन की ढुलाई पर वास्तविक सड़क परिवहन प्रभार की ग्राह्यता संबंधी आदेश वापस ले लिए हैं;

(ख) क्या लिए गए निर्णय की समीक्षा के लिए गुजरात सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) से (ग) एक विवरण सभा–पटल पर रखा जा रहा है।

विवरण

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन लेवी चीनी का वितरण

(क) से (ग) 31.3.1996 तक, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन लेवी चीनी का उठान करने के लिए ढुलाई प्रभार या तो (क) वास्तविक रेल भाड़े, अथवा (ख) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित दर पर सड़क मार्ग द्वारा वास्तविक ढुलाई प्रभारों, जो उस राज्य में खाद्यान्नों की ढुलाई करने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा अनुमोदित ढुलाई प्रभारों, की दर तक सीमित थे, के आधार पर प्रतिपूर्ति योग्य थे। जहां भारतीय खाद्य निगम की दरें उपलब्ध नहीं थी, वहां राज्य सरकारों की दरें अनुमत थीं जो वास्तविक रेल भाड़े तक सीमित थीं। जहां भारतीय खाद्य निगम की दरें और रेलशीर्ष उपलब्ध नहीं

थे, वहां राज्य सरकार की दरें अनुमत थीं।

सरकार को ढुलाई की वास्तविक न्यूनतम लागत की प्रतिपूर्ति करने के लिए गुजरात सरकार सहित विभिन्न राज्य सरकारों से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। उनकी समस्याओं पर विचार करते हुए, 1.4.1996 से ढुलाई प्रभारों के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों में संशोधन करने का निर्णय किया गया था।

1.4.1996 से, प्रत्येक राज्य के लिए ढुलाई प्रभार एक–समान दर पर देय है जो संबंधित राज्य सरकार द्वारा विधिवत् रूप से अनुमोदित पिछले वर्षों के लिए किए गए व्यय के लेखापरीक्षित आंकड़ों के आधार पर निर्धारित की जानी है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन
आयातित पामोलीन तेल का वितरण

(क) से (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आयातित खाद्य तेलों की आपूर्ति की वर्तमान व्यवस्था के अनुसार, राज्य व्यापार निगम के डिपो, जहां से ऐसी आपूर्ति की जाती है, से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में नामित सार्वजनिक वितरण केन्द्र तक की दूरी को ध्यान में रखते हुए, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को बल्क (अर्थात् खुले) में और 15 किलोग्राम के टिनों में सप्लाई किए गए तेलों के संबंध में सड़क मार्ग द्वारा खर्च किए गए भाड़े की प्रतिपूर्ति की जाती है। इस समय गुजरात को कांडला स्थित राज्य व्यापार निगम के पत्तन डिपो से आयातित खाद्य तेलों की आपूर्ति की जा रही है। गुजरात राज्य के लिए वडोदरा को सार्वजनिक वितरण केन्द्र के रूप में नामित किया गया है। राज्य व्यापार निगम गुजरात सरकार के नामितों को बल्क में उठाए गए तेल के संबंध में कांडला के वडोदरा तक की 435 किलामीटर की दूरी के लिए 145 रुपये प्रति टन की दर से सड़क–मार्ग भाड़ा प्रभारों की प्रतिपूर्ति करता है। सरकार को गुजरात सरकार से इस संबंध मं कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री पी. एस. गढ़वी : महोदय, माननीय मंत्री ने अपने जवाब में बताया कि :

> "1.4.1996 में, प्रत्येक राज्य के लिए ढुलाई प्रभार एक समान दर पर देय है जो सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा विधिवत् रूप से अनुमोदित पिछले वर्षों के लिए किए गए व्यय के लेखा परीक्षित आंकड़ों के आधार पर निर्धारित की जाती है।"

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि व्यय के लेखा परीक्षित आंकड़ों के आधार पर कितने राज्यों को वास्तविक ढुलाई प्रभार अदा किया गया है। प्रभार कब अदा किया गया और कितने राज्यों को अभी तक उन प्रभारों को अदा नहीं किया गया है ? राज्य–वार ब्यौरा क्या है ?

दूसरा मैं जानना चाहता हूं...

अध्यक्ष महोदय : श्री पी. एस. गढ़वी, आप अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न बाद में पूछ सकते हैं। अब मंत्री जी को जवाब देने दीजिए।

श्री शान्ता कुमार : महोदय, कुछ नियम हैं जिनके आधार पर अदायगी की जाती है और सभी राज्यों को उनके अनुरूप अदायगी की गई है। कुछ राज्य हैं जिन्हें अभी अदायगी की जानी बाकी है।

श्री पी. एस. गढ़वी : महोदय, मैं राज्य–वार आंकड़े जानना चाहता हूं कि कितने राज्यों को प्रभार अदा कर दिये हैं और कितने राज्यों को प्रभार अदा नहीं किये हैं। यदि वह राज्यवार आंकड़े देते हैं तो वह हमारे लिए अत्यन्त उपयोगी होगा। मैं यह प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि माननीय मंत्री जी कहते हैं कि वे लेखा परीक्षित आंकड़ों के आधार पर अदा करने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री शान्ता कुमार, क्या आपके पास राज्य–वार आंकड़े हैं ? यदि, हैं; तो आप बाद में इन्हें भेज सकते हैं।

श्री शान्ता कुमार : मैं बाद में उन्हें आंकड़े भेज दूंगा। लेकिन यह राज्य सरकार के अनुमोदन पर किया जाता है। जैसे ही राज्य सरकार इसका अनुमोदन भेजती है हम उसे अदा कर देते हैं।

श्री पी. एस. गढ़वी : वास्तविक लेखापरीक्षित रिपोर्ट है मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार द्वारा लेखा परीक्षित रिपोर्ट कब प्राप्त की गई थी, क्या राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त हुआ है या नहीं; किस राज्य ने अनुमोदन नहीं भेजा है, कितने राज्यों से अनुमोदन प्राप्त करना है और आंकड़े क्या हैं। हमें राज्य सरकार द्वारा बताया गया है कि वे अभ्यावेदन भेज रहे हैं कि केन्द्र सरकार भुगतान नहीं कर रही है जबकि भुगतान करने का वायदा किया गया था। मैंने आपके जिले में कई अभ्यावेदनों को देखा है। वहां कोई रेल सुविधाएं नहीं हैं, केवल सड़क यातायात है।

मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है। उत्तर में यह बताया गया है कि "सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आयातित खाद्य तेलों की आपूर्ति की वर्तमान व्यवस्था के अनुसार बल्क (अर्थात खुले) में और 15 किलोग्राम के टिनों में सप्लाई किए गए तेलों के सम्बन्ध में सड़क मार्ग द्वारा खर्च किए गए भाड़े की प्रतिपूर्ति की जाती है। प्रतिपूर्ति केन्द्र सरकार करती है। प्रतिपूर्ति के लिए डीजल की दरों में वृद्धि होने के कारण ढुलाई प्रभारों में बढ़ोत्तरी हुई है। अतः क्या केन्द्र सरकार डीजल वृद्धि के कारण ढुलाई प्रभारों में बढ़ोत्तरी पर विचार करने जा रही है और वह कब हमें भुगतान करने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपको प्रश्न को अन्य चीजों में उलझाना नहीं चाहिए।

श्री पी. एस. गढ़वी : मैं जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने काई अभ्यावेदन भेजा है अथवा नहीं भेजा है और क्या उन्हें भुगतान करना पड़ेगा अथवा नहीं करना पड़ेगा।

श्री शान्ता कुमार : लेखा परीक्षित आकंड़ों के अनुसार राज्य

सरकारों को पिछले वर्ष की दरों को अनुमोदित करना होगा। अतः जब राज्य सरकारें उन आंकड़ों का अनुमोदन कर देंगी और वह हमारे मन्त्रालय में आएगी हम उन्हें अदा कर देंगे। यह कार्य राज्य सरकार को करना है।

जहां तक दूसरे अनुपूरक प्रश्न का संबंध है इस समय ए. ई. फर्गुसन एंड कंपनी द्वारा एक अध्ययन किया गया और उसके अनुसार हम राज्य व्यापार निगम से पी. टी. सी. को भुगतान करते हैं। जहां तक गुजरात का संबंध है कांदला में राज्य व्यापार निगम का पत्तन डिपो है कांदला से वड़ोदरा की दूरी 435 किलोमीटर है और इस दूरी के लिए हम 145 रुपये की दर से भुगतान करते हैं। वर्तमान में यह व्यवस्था है और गुजरात राज्य से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में हम इस सिद्धांत के अनुसार भुगतान कर रहे हैं। एम. आर. सी. पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है।

डॉ. बी. बी. रमैया : वर्तमान में चीनी उद्योग गंभीर संकट में है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री लागत में वर्तमान वृद्धि और विभिन्न अन्य पहलुओं के आधार पर इस बारे में उदारता से जांच कर सकेंगे ताकि वे इस उद्योग और राज्य सरकारों को भी समुचित प्रतिपूर्ति दे सकें।

अध्यक्ष महोदय : यह चीनी उद्योग के बारे में है।

श्री शांता कुमार : जहां तक चीनी उद्योग का संबंध है इस बारे में कुछ समस्याएं हैं और सरकार को महाजन समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, जो विचाराधीन है।

श्री राजेश पायलट : मुझे चीनी उद्योग के बारे में एक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाए। मेरा मानना है कि माननीय मंत्री एक अनुभवी मंत्री हैं। यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से थोड़ा अलग है। किसानों की बकाया राशि विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के किसानों की बकाया राशि पिछले एक वर्ष से लम्बित पड़ी है वे चीनी कंपनियों से प्राप्त चेकों पर निर्भर है। वे चीनी उद्योग द्वारा दिए गए चेकों के आधार पर अपनी बेटियों की शादी कर रहे हैं और अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और उन पर ब्याज का भुगतान कर रहे हैं। क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि किसानों विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के किसानों की बकाया राशि कितनी है और सरकार इन उद्योगों को किसानों की बकाया राशि का भुगतान करने हेतु बाध्य करने के लिए क्या उपाय करने जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रक्रिया से थोड़ा–सा भिन्न है।

श्री राजेश पायलट : मैं आपकी अनुमति से यह प्रश्न पूछ रहा हूं।

श्री शांता कुमार : यह प्रश्न भिन्न है। निःसंदेह किसानों की बकाया राशि है और मेरे विचार से कुल बकाया राशि लगभग 2.50 करोड़ रुपये है।

श्री राजेश पायलट : नहीं, यह इस राशि से कई अधिक है। उत्तर प्रदेश में ही किसानों का बकाया इससे 100 गुणा अधिक है, पहले यह 700 करोड़ रुपये थी अब यह घटकर लगभग 280 करोड़ रह गया है।

श्री शांता कुमार : वर्ष 1998–99 के लिए बकाया राशि 288.65 करोड़ रुपये थी और वर्ष 1995–96 के लिए यह 707 करोड़ रुपये थी अब एरियर्स कम हो गए हैं।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया : अध्यक्ष महोदय, यहां जो पाम ऑयल के बारे में जवाब दिया गया है, मेरी जानकारी के हिसाब से महाराष्ट्र सरकार और अन्य अनेक राज्य सरकारों ने, केन्द्र के द्वारा जो पाम ऑयल सप्लाई किया जाता है उसकी ओवरहैड कास्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव और ट्रांसपोर्ट कास्ट ज्यादा होने के कारण केन्द्र से लेने के लिए इनकार किया है, क्या यह सही है ? आम मार्केट में खुले बाजार में पाम ऑयल 22–23 रुपए किलो मिलता है लेकिन यहां से पी. डी. एस. के द्वारा पाम ऑयल 26 से 28 रुपए में देना पड़ता है, क्या इस बारे में मंत्री जी स्पष्ट करेंगे ?

श्री शांता कुमार : अध्यक्ष जी, रेट तय करने का यह आधार है। कई बार मार्केट फ्लक्चुएट करती है और मार्केट अपने तरीके से चलती है तो भाव ऊपर–नीचे होते रहते हैं।

श्री किरीट सोमैया : अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का ठीक से उत्तर नहीं दिया। मैंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार और अन्य राज्य सरकारों ने लेने के लिए इनकार किया है, इस बात को स्पष्ट करें।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अंतर

***65. डॉ. मदन प्रसाद जायसवाल** : क्या **उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय महानगरों में आवश्यक वस्तुओं के थोक और खुदरा मूल्यों में कितना अन्तर है;

(ख) सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं के थोक एवं खुदरा मूल्यों पर किस तरह निगरानी रखी जाती है;

(ग) क्या आवश्यक वस्तुओं के थोक एवं खुदरा मूल्यों के बीच अधिकतम अंतर के संबंध में राज्यों को कोई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) से (घ) एक विवरण सभा–पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) एक अनुबन्ध संलग्न है जिसमें दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई तथा कलकत्ता में 17.11.99 को चुनींदा आवश्यक वस्तुओं के थोक तथा खुदरा मूल्य दर्शाए गए हैं।

(ख) आम खपत की 12 चुनींदा आवश्यक वस्तुओं के खुदरा तथा थोक मूल्यों की केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न उच्च शक्ति प्राप्त समितियों के जरिए उच्चतम स्तर पर नियमित रूप से मॉनीटरिंग की जाती है। मूल्य स्थिति की समीक्षा करने के लिए केंद्रीय तथा राज्य सरकारों की संयुक्त निगरानी समिति की बैठकें नियमित रूप से होती हैं। चावल, गेहूं, चीनी, चना दाल, अरहर दाल, मूंगफली के तेल, सरसों के तेल, वनस्पति, चाय, प्याज, आलू तथा नमक जैसी आम खपत की 12 चुनींदा आवश्यक वस्तुओं के दैनिक खुदरा मूल्यों तथा साप्ताहिक थोक मूल्यों की उपभोक्ता मामले विभाग में मूल्य निगरानी कक्ष द्वारा मॉनीटरिंग की जा रही है। राज्य नागरिक आपूर्ति विभागों के जरिए 18 चुनींदा राज्यों की राजधानियों तथा कुछ प्रमुख उत्पादन केन्द्रों से एकत्र किए गए मूल्यों के ब्यौरों का समय-समय पर विश्लेषण किया जाता है और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए समुचित उपाय किए जाते हैं।

(ग) और (घ) थोक तथा खुदरा मूल्यों का निर्धारण बाजार में उनकी आपूर्ति और मांग के आधार पर होता है। सरकार द्वारा थोक तथा खुदरा मूल्यों के बीच अधिकतम अनुमत अन्तर के बारे में विशिष्ट दिशानिर्देश जारी नहीं किए गए हैं। तथापि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए सप्लाई की जाने वाली आवश्यक वस्तुओं के निर्गम मूल्य सरकार द्वारा तय किए जाते हैं। थोक तथा खुदरा मूल्यों में किसी असामान्य अंतर का पता चलने पर उस पर राज्य तथा केंद्रीय सरकार दोनों स्तरों पर तत्काल उपयुक्त उपचारात्मक कार्यवाही की जाती है।

अनुबंध

17-11-99 की स्थिति के अनुसार महानगरों में चुनींदा आवश्यक वस्तुओं के थोक और खुदरा मूल्य

(रु. प्रति कि. ग्रा.)

मद	दिल्ली		मुंबई		चेन्नई		कलकत्ता	
	थोक बिक्री	खुदरा	थोक बिक्री	खुदरा	थोक बिक्री	खुदरा	थोक बिक्री	खुदरा
चावल	10.50	13.00	11.30	12.50	9.50	11.00	11.00	12.00
गेहूं	7.10	8.00	8.25	10.00	9.90	11.00	सू. न.	सू. न.
चना	16.25	20.00	18.50	19.00	16.60	20.00	18.00	20.00
चीनी	15.90	17.00	15.25	17.25	14.00	14.70	15.20	16.50
तूर	27.00	34.00	27.00	30.00	36.00	39.00	27.00	30.00
मूंगफली का तेल*	60.73	73.00	38.00	40.00	34.00	38.00	51.33	75.00
सरसों का तेल	40.00	49.00	47.33	72.00	न. ख.	न. ख.	41.00	46.00
वनस्पति	35.00	38.00	31.67	36.00	28.70	34.00	38.00	39.00
प्याज	7.50	12.00	5.50	9.00	2.50	3.00	11.25	14.00
आलू	4.50	9.00	5.25	7.50	5.00	6.00	4.65	6.00
चाय (खुली)	100.00	115.00	सू. न.	130.00	120.00	120.00	सू. न.	100.00
नमक (पैक)	4.50	6.00	सू. न.	6.00	3.40	6.00	सू. न.	6.00

स्रोत : राज्यों के नागरिक आपूर्ति विभाग।

टिप्पणी : मूल रूप में थोक मूल्यों का प्रति क्विंटल दर सूचित किया गया था जिसे रुपए प्रति क्रि. ग्रा. में रूपान्तरित कर लिया गया है।

*खुदरा मूल्य दिल्ली और कलकत्ता में 1 कि. ग्रा. के प्रीमियम ब्रांड के हैं और थोक मूल्य दिल्ली और कलकत्ता में 15 कि. ग्रा. के टिन में सामान्य ब्रांड के हैं। मुंबई और चेन्नई में खुदरा और थोक मूल्य खुली किस्म के हैं।

न. ख. = नगण्य खपत।

सू. न. = सूचित नहीं।

डॉ. मदन प्रसाद जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, थोक और खुदरा मूल्य में बहुत सी चीजों की कमीत में विभिन्न शहरों में काफी फर्क है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा, विशेषकर बिहार, बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के लोग अधिकतर सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं। मुंबई शहर में रहने वाले जो पूर्वोत्तर के लोग हैं, क्या वजह है कि वहां थोक और खुदरा मूल्य में लगभग 25 रुपए का सरसों के तेल में फर्क हो जाता है, उसी तरह आलू और प्याज में भी खुदरा और थोक मूल्य में काफी फर्क है। क्या सरकार इस विषय में कोई विशेष व्यवस्था करने जा रही है कि थोक और खुदरा मूल्य में फर्क को कम किया जा सके ? मंबुई में 25 रुपए केवल सरसों के तेल में खुदरा और थोक मूल्य में फर्क पड़ता है, क्या सरकार इसके लिए कोई व्यवस्था करेगी ?

श्री शांता कुमार : अध्यक्ष महोदय, सरकार के पास मूल्यों पर नियंत्रण करने के लिए एक निश्चित मैकेनिज़्म है। कैबिनेट सैक्रेट्री की अध्यक्षता में एक कमेटी है और एक कमेटी प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में है। देश में 12 सलैक्टेड स्थानों से भावों को रिटेल के लिए मॉनिटर किया जाता है। देश के 37 स्थानों से होलसेल के लिए मॉनिटर किया जाता है। उसके बाद उस पर पूरी नजर रख कर उसको किया जाता है। जहां तक प्राइसेज पर कंट्रोल करने का प्रश्न है, होल सेल और रिटेल में ज्यादा अंतर न रहे, उसमें दो एक्ट हैं जिनके अंतर्गत राज्य सरकारों को शक्तियां दी गई हैं। कुछ राज्य सरकारों ने मार्जिन प्रोफिट तय करने के लिए आर्डर किए हैं। उनमें से हिमाचल प्रदेश की सरकार है। कुछ सरकारों ने आर्डर करना उचित नहीं समझा लेकिन जहां तक इसको नियंत्रण में रखने का सवाल है, संबंधित एक्ट के अंतर्गत सारे अधिकार राज्य सरकारों को दिए गए हैं। उस स्तर पर यहां उन सब को मॉनिटर करके जो भी जरूरी होता है वह कार्यवाही की जाती है।

डॉ. मदन प्रसाद जायसवाल : अध्यक्ष जी, मेरे मुख्य प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मैंने पूछा था कि सरसों के तेल का 25 रुपए का थोक और खुदरा मूल्य में फर्क हो जाता है, इस संबंध में मंत्री जी ने उत्तर नहीं दिया। मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री प्रश्न यह है कि पिछले वर्ष आलू और प्याज के दामों में भारी वृद्धि हुई थी, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी तीन प्रदेशों में दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव हार गई। उसमें आलू के मूल्य में 250 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी और प्याज के मूल्य में 409 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या आलू और प्याज को लेकर फिर कुछ दाम बढ़ रहे हैं ? क्या उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था पुख्ता की जा रही है जिससे इन चीजों के दाम जो इस पीरियड में बढ़ जाते हैं वे न बढ़ने दिए जाएं। क्या उस तरह की कोई मानिटरिंग करने की व्यवस्था भारत सरकार कर रही है ?

श्री शान्ता कुमार : अध्यक्ष जी, जहां एक फ्लैट प्राइस इंडैक्स का सवाल है वह बिलकुल नियंत्रण में है। उसमें किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन प्रदेश में किसी वस्तु का भाव होलसेल और रिटेल में बढ़ता है, तो उस पर नियंत्रण तो प्रदेश सरकार को ही करना होगा और ऐसी बढ़ती हुई कीमतों पर नियंत्रण रखने के पर्याप्त अधिकार भारत सरकार की ओर से एक अधिनियम के अंतर्गत प्रदेश सरकारों को डेलीगेट किए गए हैं।

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि गरीब लोगों के लिए आप राशन कार्ड के माध्यम से जो जीवनोपयोगी वस्तुएं–गेहूं, चावल, चीनी और तेल देते हैं उनकी क़ीमतों को नियंत्रित करने और तय करने के लिए क्या सरकार के पास कोई योजना है ?

श्री शान्ता कुमार : अध्यक्ष जी, रेट तय करने का एक निश्चित आधार है। जिस रेट पर हम प्रक्योर करते हैं, उसके ऊपर पूरा खर्च कैलकुलेट करके उस वस्तु का विक्रय मूल्य निर्धारित करते हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं। जिन पर सब्सिडी दी जाती है।

अध्यक्ष जी, गेहूं किसान से रु. 5.50 प्रति किलो की दर पर खरीदा जाता है और उसकी कास्ट हमें रु. 8.20 प्रति किलो पड़ती है, लेकिन गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों को हम रु. 2.50 प्रति किलो पर गेहूं देते हैं। इस प्रकार से रेटों को तय किए जाने की एक निश्चित प्रक्रिया है।

श्री भान सिंह भौरा : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है व्हीट के संबंध में उसमें काफी अन्तर है। मैं उनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि पंजाब में बहुत सारे गोदामों में लाखों टन व्हीट पिछले चार साल से सड़ रहा है और सरकार उसको वहां से ट्रांसपोर्ट करके राज्यों को खाने के लिए नहीं दे रही है। मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या वे यह यकीन सदन को दिलाएंगे कि पंजाब के गोदामों में चार–पांच सालों से जो व्हीट सड़ रहा है, उसको वहां से ट्रांसपोर्ट करके राज्यों को खाने के लिए दिया जाएगा ?

श्री शान्ता कुमार : अध्यक्ष महोदय, इस समस्या का समाधान कल ही किया गया है। इसके लिए जो उपाय किए गए हैं उनमें एक तो यह है कि गेहूं पर 'इम्पोर्ट ड्यूटी 50 प्रतिशत लगाई गई है'' और दूसरे उपाय के रूप में 'ओपन सेल' की घोषणा की गई है। ये दोनों बातें इसलिए की गई हैं ताकि गेहूं के जो भंडार भरे पड़े हैं वे खाली हों।

महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि पंजाब में यह समस्या है, यह ठीक है। पंजाब के मुख्य मंत्री महोदय से इस बारे में विचार–विमर्श हुआ है। पंजाब के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री भी आए थे, उनसे भी बातचीत हुई है। मैं आपको सूचना देना चाहता हूं कि पंजाब के गोदामों से गेहूं का ट्रांसपोर्टेशन अन्य प्रदेशों के लिए शुरू हो गया है।

[अनुवाद]

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा दिए गए उत्तर में कहा गया है :

"थोक तथा खुदरा मूल्यों में किसी असामान्य अन्तर का पता चलने पर उस पर राज्य तथा केन्द्रीय सरकार दोनों स्तरों पर तत्काल उपयुक्त उपचारात्मक कार्यवाही की जाती है ?"

माननीय मंत्री द्वारा यह उत्तर दिया गया, किंतु अपने उत्तर में वे कह रहे हैं कि कुछ आवश्यक वस्तुओं के थोक व खुदरा मूल्यों के बीच यदि कोई असामान्य अन्तर हो तो उसे समाप्त करने की शक्तियां राज्य सरकारों को दी गई हैं। विवरण बताता है कि सरसों के तेल, मूंगफली के तेल आदि के मामले में विभिन्न राज्यों की राजधानी में मूल्यों में भारी अन्तर है। मूंगफली के तेल के मामले में मुम्बई में 12 रुपये का और कलकत्ता में 24 रुपये का अन्तर है। अतः यह अन्तर काफी अधिक है। यदि केन्द्र सरकार कहती है कि सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है तो केन्द्र सरकार द्वारा थोक मूल्य निर्धारित करना निरर्थक बन जाता है, हम जानते हैं कि पीछे कुछ राज्य सरकारों को ये शक्तियां मिली थीं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार पूरी स्थिति की समीक्षा करेगी और खुदरा मूल्यों पर निगरानी रखने के लिए एक तंत्र विकसित करेगी ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अन्तर-मंत्रालय संबंध स्थापित करेगी और फिर केन्द्र सरकार के स्तर पर खुदरा मूल्यों के नियंत्रण के लिए एक तंत्र बनाएगी ?

[हिन्दी]

श्री शान्ता कुमार : अध्यक्ष जी, जैसा मैंने कहा, केन्द्रीय सरकार के स्तर पर भी मॉनिटरिंग की जाती है। इसके लिए दो कमेटियां बनी हुई हैं। एक कैबीनेट सैक्रेट्री की अध्यक्षता में और दूसरी प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में। इन कमेटियों में विचार-विमर्श किया जाता है कि और इसके लिए जो भी आवश्यक होता है वैसे निर्देश दिए जाते हैं। जो भी निर्णय किए जाते हैं उन्हें तत्परता से लागू किया जाता है। जहां तक माननीय सदस्य का यह कहना है कि कुछ प्रदेशों में इस संबंध में कार्रवाई नहीं होती है, ऐसा नहीं है।

अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं कि वर्ष 1999 में अर्थात् दिनांक 1.1.99 से लेकर अब तक पूरे देश में विभिन्न प्रदेशों में 1 लाख 63 हजार रेड्स किए गए जिनमें 5516 लोगों को अरैस्ट क्या गया और 2766 लोगों को प्रॉसीक्युट किया गया जिनमें से 1506 लोगों को कन्विकशन हुई। जो अधिकार हमने प्रदेशों को डेलीगेट किए हैं उनके अनुसार कार्रवाई होती है और हो रही है।

श्री रतन लाल कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बिकने वाली वस्तुओं और खुले बाजार में बिकने वाली वस्तुओं की कीमतों में इतना कम अन्तर है कि उनकी ऑफ-टेक बहुत कम हो गई है ?

श्री शान्ता कुमार : अध्यक्ष जी, फूड ग्रेन्स के बारे में तो ऐसा नहीं है। किसी-किसी प्रदेश में ऐसा होता है क्योंकि मार्केट अपने ढंग से चलता है इसलिए कभी-कभी किसी वस्तु के भाव फ्लक्चुएट हो जाते हैं। हम 10 हजार करोड़ रुपए की फूड सब्सिडी दे रहे हैं और जिन-जिन वस्तुओं को सब्सीडाइज किया जाता है, उन वस्तुओं की कीमत मार्केट रेट से बहुत कम होती हैं। इसलिए वे सब स्थानों पर पूरी तरह से ठीक प्रकार दुकानदारों द्वारा उठा ली जाती हैं।

डॉ. गिरिजा व्यास : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या सरकार का कोई प्लान या प्रयास पी. डी. एस. को रिव्यू करने या मॉनिटरिंग करने का है ?

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान के संबंध में बताना चाहती हूं कि जहां हम राजस्थान में एक ओर अकाल से जूझ रहे हैं, वहां दूसरी ओर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दी जाने वाली वस्तुएं भी नहीं पहुंच रही हैं। वहां दुकानों पर ये वस्तुएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। हमारे बार-बार लिखने, पूछने और प्रश्न उठाने के बावजूद कुछ नहीं हो रहा है, तो क्या मंत्री महोदय, राजस्थान के अकाल पीड़ित क्षेत्रों में पी. डी. एस. की वस्तुओं को उपलब्ध कराएंगे ?

श्री शान्ता कुमार : अध्यक्ष महोदय, भारत का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विश्व का बहुत बड़ा सिस्टम है। इसने भारत में गरीब लोगों की बहुत मदद की है, इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए, लेकिन यह बात भी सही है कि इसके बारे में कुछ शिकायतें भी आई हैं इस सिस्टम के अधीन 4.50 लाख फेयर प्राइस शॉप्स हैं, उनका नियंत्रण करना और वस्तुओं को उन दुकानों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी प्रदेश सरकारों की है। जहां तक केन्द्र सरकार का संबंध है, जो आवश्यक वस्तुएं केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को एलोकेट की जाती हैं, वितरित की जाती हैं, दी जाती हैं, उनको फेयर प्राइस शॉप्स तक पहुंचाने की जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ठीक करने की आवश्यकता है, रिव्यू करने की आवश्यकता है और सरकार इस बारे में सोच रही है। हमें जानकारी मिली है कि जो 10 हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी सरकार की ओर से दी जाती है उसमें से अथोरिटेटिव रिपोर्ट के अनुसार 35 प्रतिशत डायवर्शन होता है। यह अत्यन्त दुर्भाग्य की बात है और इस सिस्टम पर एक प्रश्नवाचक चिह्न है। उसमें प्रदेश सरकारें जिम्मेदार हैं और राजस्थान सरकार भी जिम्मेदार है। उसमें हमारी तरफ से जो कुछ करने का होगा, वह किया जाएगा और सारे सिस्टम को रिव्यू किया जाएगा। पूरे सिस्टम को रिव्यू करने पर यदि आवश्यक होगा तो सरकार एक्सपर्ट्स की सलाह लेगी ताकि यह 10 हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी जिन गरीब लोगों को दी जाती है उन तक पहुंच सके।

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि अनेक बार समाचारपत्रों में यह आता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जो चीनी दी जाती है, उसे बन्द किया जा रहा है। इसके बारे में मंत्री महोदय स्पष्टीकरण दें, यह बहुत आवश्यक है क्योंकि इस बारे में बहुत भ्रम है इसलिए वास्तव में क्या स्थिति है, यह बताया जाए ?

श्री शान्ता कुमार : अध्यक्ष महोदय, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन नहीं है।

श्री राजेश पायलट : यह बहुत महत्त्वपूर्ण विषय है। मंत्री जी मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। एक लाख रुपये की औसत आमदनी वाला भी चीनी लेता है और 13 रुपये रोजाना कमाने वाला भी उतनी ही चीनी लेता है। इसलिए जब तक आप कार्ड सिस्टम में बदलाव नहीं करेंगे कि इस सीमा तक कार्ड नहीं देंगे या इस आमदनी से ऊपर वाले को कार्ड नहीं देंगे, तब तक गरीब आदमी तक फायदा पहुंचने वाला नहीं है। जो रसूक वाले लोग हैं वे दोगुनी चीनी ले जाते हैं। इसलिए इस सिस्टम को रिव्यू करने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

महोदय, मेरा सुझाव है कि हम इस मुद्दे पर संसद में चर्चा करें ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ वास्तव में आम आदमी तक पहुंचे यदि मंत्री जी सहमत हों तो हम इस मुद्दे पर संसद में चर्चा करें और पूरी प्रणाली की समीक्षा करें।

[हिन्दी]

श्री शान्ता कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की चिंता से सहमत हूं और जैसा कि मैंने कहा कि इस पूरे सिस्टम को रिव्यू करने की आवश्यकता है और सरकार इसे रिव्यू करेगी और हम इस पर डिस्कशन के लिए भी तैयार हैं।

[अनुवाद]

भारतीय सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तानी हमले

+

***66. श्री मोहन रावले :**

श्री नरेश पुगलिया :

क्या रक्षा मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तानी सेना द्वारा कारगिल संघर्ष के दौरान जम्मू और कश्मीर में किए गए सीमा उल्लंघन की घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या जम्मू और कश्मीर में कारगिल संघर्ष के पश्चात् बादामी बाग छावनी सहित विभिन्न सैन्य प्रतिष्ठानों पर पाकिस्तानी सेना अथवा पाकिस्तानी समर्थित उग्रवादियों ने अनेक बार आक्रमण किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तारीख–वार और स्थान–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) दोनों तरफ घटना–वार कितने लोग हताहत हुए और अन्य कितनी क्षति हुई;

(ङ) क्या उन उग्रवादियों द्वारा इन क्षेत्रों में अचानक प्रवेश करने के बारे में पता लगाने के लिए सरकार ने कोई जांच कराई है; और

(च) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज़) : (क) से (च) एक विवरण पत्र सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

पाकिस्तान ने लेह को श्रीनगर से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 1ए के साथ–साथ नियंत्रण रेखा के मशकोह, द्रास, कारगिल, बटालिक तथा तुर्तुक सेक्टरों में सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण चोटियों पर कब्जा करने के लिए सशस्त्र घुसपैठ की। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना द्वारा मई 99 में शुरू की गई निरंतर सैन्य कार्रवाई के फलस्वरूप पाकिस्तान को करारी हार का मुंह देखना पड़ा और उसने अपने बाकी बचे सैनिकों को 11 जुलाई, 1999 से वापस हटाना आरंभ कर दिया। भारतीय सेना द्वारा 26 जुलाई, 1999 तक अंतिम पाकेटों को भी आक्रमणकारियों से खाली करवा दिया गया। पाकिस्तान ने 27 व 28 मई, 1999 को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगे राजौरी सेक्टर में हमारी सैन्य चौकियों पर भी कब्जा करने की तीन बार कोशिश की थी। उनकी इन कोशिशों का मुंहतोड़ जवाब दिया गया।

2. कारगिल सैन्य कार्रवाइयों के पश्चात् जम्मू–कश्मीर में हमारी सैन्य चौकियों/संस्थापनों पर सीधे हमलों की दो घटनाएं हुईं। 06 अगस्त, 1999 को हुई पहली घटना में आतंकवादियों ने कुपवाड़ा जिले में राष्ट्रीय राइफल की एक चौकी पर आक्रमण किया। दूसरी घटना 03 नवंबर, 1999 की है जब आतंकवादियों ने बादामी बाग छावनी की परिधि में खुले क्षेत्र में स्थित जन संपर्क अधिकारी के कार्यालय पर आक्रमण किया।

3. ऊपर उल्लिखित पहली घटना में, आतंकवादियों ने कुपवाड़ा जिले में 00.30 बजे राष्ट्रीय राइफल्स की एक चौकी पर नाकाम हमला किया। इस आक्रमण को विफल कर दिया गया और छः आतंकवादी मार गिराए गए। मारे गए आतंकवादियों के पास से चार ए. के. राइफलें, एक पिस्तौल, दो आर पी जी राकेट और 26 हथगोले बरामद किए गए। इस कार्रवाई के दौरान पांच सैनिक शहीद हुए।

4. 03 नवंबर, 1999 को हुई दूसरी घटना में, असाल्ट राइफलों से लैस तीन आतंकवादी बादामी बाग छावनी की परिधि क्षेत्र में स्थित जन संपर्क कार्यालय के निकट के खुले क्षेत्र में 18.00 बजे के आस–पास चुपके से घुस आए और प्रवेश द्वार पर खड़े संतरियों पर गोली चला दी। उसके पश्चात् वे जन संपर्क कार्यालय में घुस गए और कार्यालय के भीतर लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। सेना के त्वरित कार्रवाई दलों ने तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंचकर उस क्षेत्र को घेर लिया। इसके आगे की सैन्य कार्रवाइयों में दो आतंकवादी

मारे गए और उनकी ए के – 47 राइफलें बरामद की गईं। हताहत हुए सैन्य कार्मिकों का ब्यौरा इस प्रकार है :

(क) मारे गए—एक अफसर, दो जूनियर कमीशन प्राप्त अफसर तथा छः अन्य रैंक।

(ख) जख्मी हुए—छः अन्य रैंक।

(ग) सीमा सुरक्षा बल का भी एक जवान मारा गया तथा रक्षा सुरक्षा कोर का एक जवान जख्मी हुआ।

5. इस घटना के बाद छावनी में सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा की गई है और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आवश्यक उपाय किए गए हैं। इस संबंध में चूकों की, यदि कोई हों, जांच के लिए कए जांच अदालत गठित किए जाने के भी आदेश दिए गए हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : सर, वर्तमान पत्र के अनुसार ऐसी जानकारी है कि 1200 आतंकवादी आज कश्मीर में कार्यरत हैं। जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल में विजय हासिल हुई उसके लिए मैं प्रधान मंत्री और रक्षा मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं। आज हिंदुस्तान में पंजाब, कश्मीर, असम में आतंकवादी बम विस्फोट कर रहे हैं और उसके पीछे पाकिस्तान की आई. एस. आई. का हाथ है। मैं सरकार से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि हम पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध घोषित क्यों नहीं करते, पाकिस्तान को खत्म क्यों नहीं करते। आज वह हमसे परोक्ष युद्ध लड़ रहा है। मुम्बई शहर में बम विस्फोट हो रहे हैं। आतंकवादी तो अभी घुसे हैं प्रौक्सी–वार तो पहले से ही शुरू है। पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित करने के लिए हमारी सरकार क्या प्रयास कर रही है।

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज़ : अध्यक्ष जी, पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित करने के लिए केवल अपनी ही तरफ से नहीं बल्कि अन्य ताकतों के द्वारा भी कभी–कभी बातें चलती रहती हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि यह पेचीदा प्रश्न है और इस पर किसी प्रकार का स्पष्ट जवाब देना संभव नहीं हैं।...*(व्यवधान)* प्रधान मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी ने सरहद पर जाकर जवानों का साहस बढ़ाया, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन कुछ ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, ऐसी मेरी मांग है।

[अनुवाद]

श्री एस. बंगरप्पा : अध्यक्ष महोदय, माननीय रक्षा मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर को देखने के बाद मेरा मानना है कि पूरी सीमा पर स्थिति पूरी तरह हमारी सेना के नियंत्रणाधीन है। किंतु कुछ समाचार पत्रों में हम देख रहे हैं कि सीमा पार से पाकिस्तान द्वारा हमारी सीमा का अतिक्रमण जारी है। जब पाकिस्तान में नागरिक प्रशासन था तब भी यह अतिक्रमण हो रहा था, अब पाकिस्तान में सैनिक शासन है। पाक सेनाध्यक्ष जनरल मुशर्रफ के नेतृत्व के अधीन इस संबंध में सही–सही ताजा सूचना क्या है ? क्या उनके शासन में यह अतिक्रमण बढ़ा है या सीमा पार से पाक समर्थित आतंकवादियों द्वारा हमारे क्षेत्र में उसी तरह की प्रक्रिया जारी रखी गई है ?

जॉर्ज फर्नान्डीज़ : जहां तक सीमा पर स्थिति का संबंध है नवाज शरीफ सरकार का तख्ता पलटने और सैनिक शासन की स्थापना के बाद उसमें कोई बड़ा या उल्लेखनीय बदलाव नहीं आया है। विगत काफी समय से ये झड़पें अर्थात् नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी हो रही हैं, पाकिस्तान द्वारा सीमा का बड़े पैमाने पर अतिक्रमण कारगिल में किया गया था, किंतु उसके बाद की स्थिति कारगिल से पहले की स्थित जैसी ही है। कोई बड़ा बदलवाव नहीं आया है।

श्री सिमरनजीत सिंह मान : अध्यक्ष महोदय, मुझे सत्तापक्ष के माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए इस प्रश्न पर गंभीर आपत्ति है कि पंजाब, कश्मीर और पूर्वोत्तर में आतंकवाद है। इन राज्यों में सिक्ख, मुसलमान और ईसाई रहते हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या उसने उन कारणों का पता लगाया है कि जिनके चलते वहां आतंकवाद है।

मैंने प्रत्यार्पण संधि को भी देखा। माननीय विदेश मंत्री ने केवल प्रत्यावर्तित किए जाने वाले सिक्खों के नामों का उल्लेख किया है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि भारत राष्ट्र ईसाइयों, मुसलमानों और सिक्खों के साथ शांति से क्यों नहीं रहता है।

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज़ : यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है।

[हिन्दी]

श्री माधवराव सिंधिया : जो असैसमेंट किया गया है उसके अनुसार पाकिस्तान का कारगिल युद्ध का एक लक्ष्य यह माना जा रहा है कि हमारी सेना का ध्यान कारगिल सैक्टर की ओर खींचा जाये और जिससे दूसरे क्षेत्रों से कुछ ट्रुप मूवमेंट करके कारगिल में भारत को भेजने पड़ें तथा इसका फायदा उठाते हुए आतंकवादी और मिलिटेंट्स को भारत में प्रवेश दिलाया जाये। यह पाकिस्तान का एक ऑब्जैक्टिव हो सकता है। मैं माननीय रक्षा मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि आपका जो असैसमेंट हुआ है उसके अनुसार यह बात सही है या नहीं कि कारगिल युद्ध का फायदा उठाते हुए बार्डर के दूसरे क्षेत्रों में मिलिटेंट्स को प्रवेश कराने का पाकिस्तान द्वारा प्रयास हुआ ? आपके हिसाब से कितने मिलिटेंट उस समय भारत में प्रवेश कराये गये और ऐसी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आपकी ओर से अब कौन से कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज़ : अध्यक्ष जी, आज जम्मू कश्मीर में 1200 से लेकर 2000 तक बाहरी आतंकवादी बैठे हुए हैं। जहां तक उनका सामना करने की बात है, वह तो एक लगतार चला हुआ सिलसिला है और वह आज से नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया : प्रवेश की बात बताएं ?

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज़ : उनका सामना करने का सिलसिला एक अर्से से चला हुआ सिलसिला है और वह जारी है और आगे भी जारी रहेगा। उसके लिए वहां सेना तैनात है। पाकिस्तान का कारगिल में जो घुसने का इरादा था वह इरादा केवल हमारी सेना का डायवर्शन हो और वह अधिक घुसपैठिये अंदर भेजे, इतना ही नहीं था। कारगिल के बारे में उनका लक्ष्य उस जमीन पर हावी होने और उस जमीन को अपने हाथों में रखने का था। यह बात सही है कि जब कारगिल का युद्ध शुरू हुआ तो घाटी में से तत्काल सेना को उस तरफ भेजना अति–आवश्यक था। इसलिए कुछ सेना घाटी से हटा दी गयी। लेकिन पूरे तौर से हटा दी गयी, ऐसा नहीं था। कुछ सेना तो वहां थी और सदन इस बात को जानता है।

जहां तक सीमा पर सुरक्षा का सवाल है, वहां लाइन ऑफ कंट्रोल पर सेना है। इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और पैरा मिलिट्री फोर्स के अन्य ग्रुप्स हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सेना रही और उसमें कोई कमी नहीं होने दी गई। उन्हें वैली से कारगिल के लिए हटा दिया गया था। उस कमी को पूरा करने के लिए पैरा मिलिट्री फोर्स का वहां इंतजाम किया गया। इसलिए सवाल कारगिल का अपना अलग है। जहां तक वैली से आतंकवादियों को हटाने का सवाल है, वह जारी है।

श्री माधवराव सिंधिया : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। मैंने कहा था कि एक लक्ष्य यह भी था कुछ फोर्सेज हट कर वहां गई और उसका फायदा उठाया गया। आपने यह बात मानी है कि वैली से कुछ फोर्सेज हटाई गईं। हम आपको दोषी नहीं ठहरा रहे हैं। यह सही कदम है। आपको यह कदम उठाना चाहिए था। उसका फायदा उठाया गया या नहीं ? उस समय लोगों को प्रवेश दिलाया गया या नहीं ? अगर प्रवेश दिलाया गया तो क्या आपको अन्दाज था कि कितने ऐसे लोग थे ? इंट्रूजन को कंट्रोल किया जा रहा है और इसके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है ?

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि मैंने इनके दोनों प्रश्नों का जवाब दिया है। चूंकि हमने यह बात बताई कि आज 1200 से लेकर दो हजार बाहरी आतंकवादी वैली में हैं। इनका लगातार ऐसे आना एक चलने वाला सिलसिला है। मैं यह नहीं कहूंगा कि जब सेना पूरी तरह वहां से हटा दी जाती है, अधिकतम हटा दी जाती है तो एक ऐसी स्थिति जरूर निर्माण होती है। हर दिन आमने–सामने होने की बात इतनी तेजी में नहीं हो पाई। इसलिए स्वाभाविक है कि आतंकवादियों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, कारगिल युद्ध के बाद आतंकवादी बढ़े हैं और सेना के शिविरों पर राकेटों से हमला हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सेना के शिविरों पर हमला होने वाली गति को सरकार ने रोकने की व्यवस्था की जिससे सेना के शिविरों पर हमला न हो सके।

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्टेटमैंट में इन दोनों घटनाओं का जिक्र किया है। एक हमला कुपवाडा में राष्ट्रीय राइफल्स पोस्ट पर हुआ था और दूसरा बादामीबाग के कंटोनमैंट में हुआ था। वहां पब्लिक रिलेशन आफिस के ऊपर हमला हुआ। कश्मीर में एक समस्या है। कश्मीर की सामरिक स्थिति के बारे में जो लोग जानते हैं उन्हें मालूम है कि सेना के बड़े केन्द्र आबादी वाले इलाके में हैं। बादामीबाग के कंटोनमैंट को देखने के बाद पता लगेगा कि शहर के बीच में सड़क है और वह उसकी बगल में था।...*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट : वह वहां पहले भी था। पहले कंटोनमैंट पर अटैक क्यों नहीं हुए ?...*(व्यवधान)*

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज : पहले इस प्रकार की स्थिति नहीं थी।

श्री राजेश पायलट : 1991 में स्थिति इससे भी खराब थी। आप खुद वहां गए थे। मंत्री जी आप इस बात से सहमत होंगे कि मारे गए सुरक्षा बलों बनाम आतंकवादियों के अनुपात में वृद्धि हुई है।...*(व्यवधान)*

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज : मुझे उत्तर देना है। 1991 में स्थिति जरूर ऐसी थी लेकिन 1991 में कारगिल में ऐसा मुंह तोड़ जवाब देने का काम नहीं हुआ था।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जाइए।

मध्यान्ह 12.00 बजे

[हिन्दी]

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि जब 1991 में कारगिल नहीं हुआ था और पाकिस्तान को कोई चोट नहीं लगी थी और जबकि अब 1999 में कारगिल हुआ है, तो यही फर्क है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात पूरी करने दो। जवाब देने दो।

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि 1991 की और आज की स्थिति में फर्क है। 1991 में पाकिस्तान कारगिल में चोट खाकर नहीं भागा था जबकि 1999 में उसे चोट खाकर भागना पड़ा और उसका बदला लेने के लिये ऐसे कुप्रयास कर रहा है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

भारतीय वायुसेना में उपकरणों की कमी

***62. श्री श्रीपाद येसो नाईक :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायुसेना को विशेष सहायक विमानों की

अनुपलब्धता तथा अपने लड़ाकू विमानों के रख–रखाव हेतु अपेक्षित कल पुर्जों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) स्थिति को सुधारने हेतु क्या प्रभावी कदम उठाए जाने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) जी, नहीं। लड़ाकू विमानों के रख–रखाव के लिए कल–पुर्जों की कोई भारी कमी नहीं है। भारतीय वायु सेना में विशेष सहायक वायुयान नाम के कोई वायुयान नहीं हैं।

गेहूं और चावल की खरीद पर खर्च

***67. डॉ. सुशील कुमार इंदौरा :**

श्री शंकर सिंह वाघेला :

क्या **उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं और चावल की खरीद, भंडारण और वितरण पर किया जाने वाला खर्च लगातार बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1996–97, 1997–98 और 1998–99 के दौरान प्रति कुन्तल कितनी धन–राशि खर्च हुई;

(ग) क्या इस खर्च को पृथक रूप से वर्गीकृत किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस खर्च के लगातार बढ़ने के क्या कारण हैं ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) और (ख) वर्ष 1996–97, 1997–98 और 1998–99 के दौरान गेहूं और चावल की वसूली, भंडारण और वितरण के संबंध में भारतीय खाद्य निगम द्वारा वहन किए गए खर्च का ब्यौरा निम्नानुसार है–

रुपये/प्रति क्विंटल

		1996–97 अनंतिम/ वास्तविक	1997–98 अनंतिम/ वास्तविक	1998–99 संशोधित अनुमान
गेहूं				
1.	अनाज की एकीकृत लागत	390.73	484.34	520.55
2.	राज्य एजेंसियों को दिए गए वसूली प्रासंगिक खर्चे और रखरखाव प्रभार	134.37	122.67	131.20
3.	वितरण (भंडारण सहित) लागत	115.06	179.34	145.84
	जोड़	640.16	786.35	797.59
चावल				
1.	अनाज की एकीकृत लागत	627.99	695.66	749.46
2.	वसूली खर्चे	61.41	55.21	65.50
3.	वितरण (भंडारण सहित) लागत	158.29	188.46	159.90
	जोड़	847.69	939.33	974.86

(ग) जी, हां।

(घ) चूंकि खरीद लागत पर सांविधिक प्रभार अधिकांशतः यथामूल्य होते हैं, इसलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में की जाने वाली प्रत्येक वृद्धि से वसूली प्रासंगिक खर्चों में वृद्धि होती है। सामान्य मुद्रास्फीति के अलावा भाड़ा दर, ब्याज दर और भंडारण दरों में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप भी वितरण लागत में वृद्धि होती है।

पर्यटन संबंधी परियोजनाएं

***68. श्री ब्रजमोहन राम** : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकारों द्वारा 1998 के दौरान और 1999 में आज तक कितनी पर्यटन संबंधी परियोजनाएं मंजूरी हेतु भेजी गयी हैं;

(ख) कितनी परियोजनाओं को मूंजूरी दी गयी और परियोजना–वार कितनी वित्तीय सहायता दी गयी;

(ग) क्या इस समय पर्यटन क्षमता के केवल कुछेक प्रतिशत का ही दोहन हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और आगामी वर्षों में पर्यटन क्षमताओं का पूरा–पूरा दोहन करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) पर्यटक अवसंरचना विकास कार्य में प्राथमिक भूमिका राज्य सरकारों/संघ राज्य सरकारों की है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय पर्यटन की संभावनाओं के बेहतर उपयोग के लिए पर्यटक अवसंरचना के निर्माण/सुधार करके और गहन प्रचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके प्रयास में सहयोग देता है।

विवरण

वर्ष 1998–99 और 1999–2000 (दिनांक 15.11.1999 की स्थिति के अनुसार) के दौरान राज्य सरकारों से अनुमोदन के लिए प्राप्त पर्यटन परियोजनाओं को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	राज्य	1998-99				1999-2000			
		राज्य सरकारों के परामर्श से प्राथमिकता दिए जाने वाली परियोजनाओं/योजनाओं की संख्या		स्वीकृत परियोज–की संख्या	स्वीकृत धनराशि	राज्य सरकारों से प्राप्त पर्यटन परियो–जनाएं जिन्हें प्राथमिकता दी गयी है।		स्वीकृत परियोजनाएं	स्वीकृत धनराशि
						प्राथमिकता प्राप्त	प्राप्त परियोजनाएं		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	14	14	10	244.08	14	6	1	20.00
2.	असम	16	13	9	348.10	14	3	2	85.00
3.	अरुणाचल प्रदेश	29	13	4	178.30	51	6	–	–
4.	बिहार	15	8	8	183.31	17	14	–	–
5.	गोवा	17	17	14	328.98	19	7	7	70.00
6.	गुजरात	18	18	15	449.57	27	27	–	–
7.	हरियाणा	12	9	9	277.08	8	6	2	80.00
8.	हिमाचल प्रदेश	12	6	6	295.00	19	15	11	465.50
9.	जम्मू एवं कश्मीर	21	4	4	139.85	19	15	5	94.00
10.	कर्नाटक	16	16	12	399.82	32	10	1	50.00
11.	केरल	17	17	13	653.05	20	10		–
12.	मध्य प्रदेश	18	18	18	441.39	12	12	–	–
13.	महाराष्ट्र	19	19	17	483.77	28	28	–	–
14.	मणिपुर	13	9	9	99.48	22	7	1	25.00
15.	मेघालय	15	13	8	200.00	22	4	1	12.97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	मिजोरम	9	8	8	175.16	16	9	3	49.56
17.	नागालैण्ड	11	8	7	223.64	16	16	6	137.10
18.	उड़ीसा	7	4	4	170.60	21	20	10	101.76
19.	पंजाब	8	1	1	97.64	7	6	—	—
20.	राजस्थान	25	19	19	376.47	17	15	—	—
21.	सिक्किम	23	22	19	238.58	22	7	1	50.00
22.	तमिलनाडु	22	22	17	316.20	34	8	1	15.00
23.	त्रिपुरा	10	9	8	81.25	8	8	3	117.10
24.	उत्तर प्रदेश	35	31	31	876.96	44	32	13	396.63
25.	पश्चिम बंगाल	20	10	10	201.13	15	10	—	—
26.	अण्डमान और निकोबार	5	5	4	162.50	2	1	—	—
27.	चण्डीगढ़	8	2	2	47.91	3	1	1	40.00
28.	दादरा नगर हवेली	5	5	2	20.00	4	—	—	—
29.	दिल्ली	19	7	7	132.70	9	1	1	4.50
30.	दमन एवं दीव	—	—	—	—	5	—	—	—
31.	लक्षद्वीप	4	3	1	29.50	5	5	—	—
32.	पांडिचेरी	8	4	2	15.00	7	5	5	145.00
	जोड़	471	354	298	7887.02	559	314	75	1959.12

कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना की तैनाती

***69. श्री राजो सिंह :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस समय देश में राज्य–वार विशेषकर बिहार में तैनात किए गए रक्षा कर्मियों की संख्या कितनी है;

(ख) इस तरह की तैनाती से रक्षा कर्मियों के मनोबल तथा समग्र कार्य–निष्पादन पर क्या असर पड़ता है; और

(ग) कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए रक्षा कर्मियों की तैनाती के बारे में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) कानून और व्यवस्था विषय राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है और संबंधित राज्यों के सिविल प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध संसाधनों की सहायता से अपने–अपने राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखते हैं। तथापि, यदि सिविल प्राधिकारी सैनिक सहायता की मांग करते हैं, तो कानून और व्यवस्था बनाए रखने में सिविल प्राधिकारियों की सहायता करने के लिए सशस्त्र बलों से कहा जा सकता है। इस समय किसी भी राज्य में विशेष रूप से कानून व व्यवस्था बनाए रखने के लिए सशस्त्र सेनाएं (सेना, नौसेना तथा वायु सेना) तैनात नहीं की गई हैं।

भारत-पाक सीमा पर गोलाबारी

***70. श्री राधा मोहन सिंह :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान में सैनिक विद्रोह के बाद भारत–पाक सीमा पर भड़काने वाली गोलाबारी सहित शत्रुतापूर्ण गतिविधियां लगातार होती रहती हैं;

(ख) यदि हां, तो दोनों तरफ हुए हताहतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) पाकिस्तान पिछले कई वर्षों से जम्मू–कश्मीर में भारत–पाक सीमा पर अकसर

अकारण गोलीबारी करता रहा है। हमारे सैन्य बलों की ओर से इसका समुचित जवाब दिया जाता है। 1 अगस्त, 1999 से 31 अक्तूबर, 1999 के दौरान पाकिस्तानी हताहतों की अनुमानित संख्या 226 (मारे गए/जख्मी हुए) है। इस अवधि के दौरान हमारी ओर हुए हताहतों की संख्या इस प्रकार है :

	मारे गए	जख्मी हुए
सेना	12	111
सीमा सुरक्षा बल	—	15
सिविलियन	09	19

गोलीबारी की ये घटनाएं अन्य क्षेत्रों में न फैलें और इनमें नागरिक हताहत न हों, इस बात का समुचित ध्यान रखते हुए, उनकी अकारण गोलीबारी के जवाब में पाकिस्तानी सेना पर प्रभावी गोलीबारी की जाती है। इस अकारण गोलीबारी को बंद करने के लिए हम सैन्य व राजनयिक माध्यमों से पाकिस्तान से काफी समय से आग्रह कर रहे हैं।

[अनुवाद]

चीनी को नियंत्रण मुक्त करना

***71. श्री बसुदेव आचार्य : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी को नियंत्रण मुक्त करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) और (ख) चीनी उद्योग को शासित करने वाले नियमों और विनियमों का अध्ययन करने तथा अपने पुनरीक्षण पर सरकार को सिफारिशें देने के लिए श्री बी. बी. महाजन, भूतपूर्व सचिव, भारत सरकार की अध्यक्षता में चीनी उद्योग पर उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस समिति की एक सिफारिश यह है कि दो वर्षों में चरणबद्ध रूप में चीनी को नियंत्रण मुक्त कर दिया जाए। इस समिति की यह सिफारिश सरकार के विचाराधीन है।

पूर्वोत्तर में पर्यटन उद्योग

***72. श्री बाजूबन रियान : क्या पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट प्रणाली के कारण पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में विदेशी पर्यटकों के कम आवागमन के कारण पर्यटन उद्योग को धक्का लगा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस क्षेत्र में पर्यटकों के सुगम आवागमन के लिए इस प्रणाली को समाप्त करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस क्षेत्र में पर्यटन उद्योग को सुधारने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती) : (क) से (घ) प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट शासन प्रणाली के अन्तर्गत प्रतिबंधों को असम, मेघालय और त्रिपुरा से दिनांक 19.5.1995 से पूर्णरूपेण हटा लिया गया है। इसके अलावा, पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सिक्किम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में वर्ष 1998 के दौरान विदेशी पर्यटकों के लिए कई दर्शनीय स्थल खोल दिए गए हैं। विदेशी पर्यटक भारत सरकार तथा संबंधित राज्य सरकारों के सक्षम प्राधिकारियों से परमिट प्राप्त करके इन क्षेत्रों का भ्रमण कर सकते हैं। अतएव प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट/सुरक्षित क्षेत्र परमिट शासन प्रणाली के तहत प्रतिबंध अब पूर्वोत्तर राज्यों में विदेशी पर्यटकों के आवागमन में बाधा नहीं डाल सकती।

प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट/सुरक्षित क्षेत्र परमिट समाप्त करने या मौजूदा पद्धति में छूट के लिए अनुरोध पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा समय—समय पर विचार—विमर्श किया जाता है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पर्यटन के विकास में प्रमुख भूमिका है। केन्द्र सरकार अवसंरचनात्मक विकास करने तथा प्रचार हेतु पूर्वोत्तर राज्यों को सहायता मुहैया कराती है। पर्यटन मंत्रालय भी वेबसाइटों, मीडिया व्यक्तियों/टूअर प्रचालकों आदि के भ्रमण कार्यक्रम प्रायोजित करके अन्तर्राष्ट्रीय मेलों, महोत्सवों और एक्सपो आदि में भाग लेकर संवर्धनात्मक अभियान, सूचना का प्रचार करता है।

राज्यों को लेवी चीनी का कोटा

***73. श्री अशोक ना. मोहोल :**

श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या **उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न राज्यों को राज्य—वार आबंटित की जा रही लेवी—चीनी का इस समय कोटा कितना है;

(ख) क्या सरकार राज्यों को 1991 की जनगणना के आधार पर लेवी चीनी उपलब्ध करा रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को राज्य सरकारों से वर्तमान जनसंख्या के आधार पर लेवी की चीनी का कोटा बढ़ाने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शान्ता कुमार) : (क) और (ख) अधिकांश राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए जन वितरण प्रणाली (ज. वि. प्र.) के तहत प्रतिमाह 425 ग्राम प्रति व्यक्ति चीनी की आपूर्ति का मानदण्ड 1991 की जनगणना पर आधारित है। इसके साथ ही सरकार राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को प्रति वर्ष लगभग एक लाख टन का त्यौहार कोटा भी रिलीज करती है जिसे राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में आबंटित किया जाता है। राज्य/संघ शासित क्षेत्र–वार कोटा का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) केन्द्रीय सरकार के लेवी खाते में प्राप्त चीनी की मात्रा, वर्तमान लेवी चीनी फार्मूले के तहत जन वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं से कम है। ऐसी परिस्थितियों में राज्यों सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए जन वितरण प्रणाली के तहत वर्तमान जनसंख्या आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए चीनी के आबंटन को बढ़ाना संभव नहीं पाया गया।

विवरण

दिनांक 1.1.1996 से लागू, 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या पर आधारित लेवी चीनी कोटा तथा त्यौहार कोटा दर्शानेवाला विवरण

(आंकड़े टन में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	मासिक सामान्य कोटा	प्रत्येक वर्ष के लिए त्यौहार कोटा
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	28267	7614
2.	अंडमान निकोबार	282	74
3.	अरुणाचल प्रदेश	366	94
4.	असम	9524	2896
5.	बिहार	36707	10078
6.	चंडीगढ़	391	112
7.	दादरा और नगर हवेली	60	14
8.	दिल्ली	11973	2316
9.	गोवा	508	150
10.	दमन	26	12
11.	दीव	17	–
12.	गुजरात	17557	4878
13.	हरियाणा	6996	1924
14.	हिमाचल प्रदेश	2197	608
15.	जम्मू और कश्मीर	3567	868
16.	कर्नाटक	19117	5350
17.	केरल	12368	3600
18.	लक्षद्वीप	81	22
19.	मध्य प्रदेश	28127	7536
20.	महाराष्ट्र	33550	9014
21.	मणिपुर	782	208
22.	मेघालय	752	200
23.	मिजोरम	293	78
24.	नागालैंड	542	128
25.	उड़ीसा	13456	3730
26.	पांडिचेरी	360	64
27.	कारीकल	86	18
28.	माहे	18	4
29.	यनम	8	2
30.	पंजाब	8619	2392
31.	राजस्थान	18704	5092
32.	सिक्किम	174	50
33.	तमिलनाडु	23741	6790
34.	त्रिपुरा	1173	302
35.	उत्तर प्रदेश	59122	15936
36.	पश्चिम बंगाल	28934	7796
	कुल	368445	99950

ओसामा बिन लादेन द्वारा भारत के विरुद्ध जेहाद की घोषणा

*74. **श्री कमलनाथ** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नई दिल्ली से प्रकाशित 'टाइम्स आफ इंडिया' के 20 सितम्बर, 1999 के अंक में छपे उस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि सऊदी विद्रोही ओसामा बिन लादेन ने भारत के विरुद्ध जेहाद की घोषणा की

है जिससे जम्मू और कश्मीर में चल रहे संघर्ष का स्वरूप ही बदल जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस चुनौती से निपटने के लिए क्या कार्य योजना बनाई गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत पिछले कई वर्षों से जम्मू तथा कश्मीर में परोक्ष युद्ध का मुकाबला कर रहा है। यह परोक्ष युद्ध मुख्यतः पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जमे हुए भाड़े के विदेशी सैनिकों के माध्यम से चलाया जा रहा है। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाली सभी गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। हमारे देश की प्रादेशिक एकता के विरुद्ध किसी भी बुरी योजना को निष्फल करने के लिए समय-समय पर उपयुक्त एवं प्रभावी उपाय किए जाते हैं।

टी-72 एम. बी. टी. का उत्पादन

***75. श्री प्रभुनाथ सिंह :**

श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य लड़ाकू टैंक (एम. बी. टी.) टी-72 के उत्पादन और उनकी मरम्मत के कार्य में भारी गिरावट आयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितने मुख्य लड़ाकू टैंक टी-72 का उत्पादन किया गया और मरम्मत की गई;

(घ) स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या इन टैंकों को निम्न-उत्पादन दर और इनकी मरम्मत के कार्य में विलंब से भारतीय सेना की युद्ध के लिए तैयारी पर गंभीर रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(च) यदि हां, तो क्या उत्पादन में विलंब के लिए दोषी पाये गये व्यक्तियों पर कोई जवाबदेही निर्धारित की गई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारी वाहन निर्माणी, आवड़ी में उत्पादित और ओवरहाल किए गए टी-72 टैंकों की संख्या नीचे दी गई है :

वर्ष	उत्पादन	ओवरहाल और निर्गत किए गए टैंकों की संख्या
1996-97	82	08
1997-98	90	48
1998-99	120	51

(घ) से (छ) ऊपर (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

पर्यटन केन्द्रों में बुनियादी ढांचे का विकास

***76. डॉ. बी. सरोजा :** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महत्त्वपूर्ण पर्यटन केन्द्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए धनराशि उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में आने के लिए विदेशी पर्यटकों को आकृष्ट करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती) : (क) और (ख) पर्यटन मंत्रालय पर्यटक अवसंरचना सुविधाओं को बढ़ाने के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। उन परियोजनाओं के संबंध में जिन्हें गुण-दोष और धन की उपलब्धता के आधार पर राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के परामर्श से प्राथमिकता प्रदान की जाती है, प्रत्येक वर्ष राज्य/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं-

(क) विदेश स्थित भारत सरकार पर्यटक कार्यालयों द्वारा संवर्धनात्मक अभियान एवं प्रचार प्रसार करना।

(ख) वेबसाइटों के माध्यम से सूचना का प्रचार प्रसार करना।

(ग) मीडिया से जुड़े व्यक्तियों/टूर प्रचालकों आदि के भ्रमण कार्यक्रम प्रायोजित करना।

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय मेलों, उत्सवों और एक्सपौ आदि में भाग लेना।

पुरानी रेल पटरियों का बदला जाना

***77. श्री वाई. एस. विवेकानंद रेड्डी :**

श्री टी. एम. सेल्वागनपतिः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने मानव चूक से होने वाली दुर्घटनाओं को

कम करने के लिए 2000 करोड़ रुपए का निवेश करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेल सुरक्षा समिति ने सरकार से पुरानी रेल पटरियों, पुलों और रोलिंग स्टॉक को बदलने के कार्य में रेलवे की सहायता करने को कहा है;

(ग) देश में गेज–वार कुल कितने किलोमीटर पुराने रेलमार्ग हैं;

(घ) क्या भारतीय रेल नेटवर्क के एक लाख से अधिक पुलों में से आधे पुल उन्नीसवीं शताब्दी में बनाए गए थे और पुल की कार्यावधि लगभग 100 वर्ष होती है; और

(ङ) यदि हां, सरकार ने पुरानी रेल पटरियों और पुलों को बदलने और रेल सुरक्षा समिति के सुझावों पर विचार करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) रेलवे संरक्षा में सुधार एक सतत प्रक्रिया है। मानव चूक का तत्त्व कम करने के लिए रेलों द्वारा अनेक उपाय किए जाते हैं जिनमें रेलपथ परिपथन के रूप में आधुनिक प्रौद्योगिकी की संस्थापना, सहायक चेतावनी प्रणाली, गार्ड और ड्राइवर के बीच सचल दूरसंचार, रेलपथ का यांत्रिकीकृत अनुरक्षण आदि शामिल हैं। रूट–रिले–अंतर्पाशन/सॉलिड स्टेट अंतर्पाशन और समपारों पर संरक्षा उपकरणों की व्यवस्था से भी मानव चूक का तत्व कम करने में सहायता मिलती है। गाड़ी परिचालन से जुड़े कर्मचारियों को निर्धारित अनुसूची के अनुसार आवधिक प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि उनके ज्ञान को अपग्रेड किया जा सके। ड्राइवरों को प्रशिक्षित करने के लिए सिमुलेटरों का उपयोग किया जा रहा है।

चालू वर्ष में रेलों ने उपर्युक्त उपायों के लिए 620.96 करोड़ रुपए आबंटित किए हैं। आगामी वर्षों के दौरान इन क्षेत्रों में और निवेश धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(ख) और (ङ) रेलवे संरक्षा पुनरीक्षा समिति ने, जिसने अपनी रिपोर्ट का भाग–I प्रस्तुत कर दिया है, अन्य बातों के साथ–साथ सिफारिश की है कि सरकार द्वारा रेलों के लिए 15,000 करोड़ रुपए का एकबारगी अनुदान मुहैया कराया जाना चाहिए ताकि रेलपथ नवीकरण, पुलों, चलस्टॉक और सिगनल गियरों के नवीकरण के बकाया कार्यों को निर्धारित समय–सीमा में किया जा सके। गतायु रेलपथों का नवीकरण तथा पुराने पुलों, चलस्टॉक एवं सिगनल आदि का पुनर्स्थापन एक सतत प्रक्रिया है और उनकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। धन की तंगी के कारण नवीकरण और प्रतिस्थापन के सभी बकाया कार्यों को पूरा करने के लिए रेलों के प्रयास सीमित हो गए हैं। इस समिति की सरकार द्वारा ऐसी यथास्वीकृत सिफारिशों के अनुसार कार्रवाई करने का प्रस्ताव है।

(ग) 1.4.1999 की स्थिति के अनुसार आमान परिवर्तन के लिए स्वीकृत लम्बाई को छोड़कर बड़ी लाइन पर 12,260 किलोमीटर और मीटर लाइन एवं छोटी लाइन पर 4,995 किलोमीटर नवीकरण के लिए बकाया थे।

(घ) कुल 1,19,724 पुलों में से 51,340 पुल सौ से अधिक वर्ष पुराने हैं। किसी भी पुल की आयु अनेक कारकों जैसे निर्माण के लिए इस्तेमाल की गई सामग्री, उसकी वास्तविक दशा, समय पर और नियमित अनुरक्षण और पुल पर पड़ने वाले दबावों की किस्म पर निर्भर करता है और इसलिए पुलों की कोई निर्धारित आयु नहीं होती है।

कोंकण रेलवे में गाड़ियों का विलंब से चलना

*78. **श्री टी. गोविंदन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में लंबी दूरी की अधिकतर रेलगाडियों के विलंब से चलने के कारण यात्रियों को भारी कठिनाई हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में विशेषकर कोंकण रेलवे से यात्रा करने वाले यात्रियों से अनेक शिकायतें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्रवाई की गयी है कि रेलगाडियां विलम्ब से न चलें ?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) से (ङ) भारतीय रेलों पर हाल ही में, पूर्वोत्तर राज्यों में कानून एवं व्यवस्था की नाजुक स्थिति, उड़ीसा क्षेत्र में चक्रवात, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वात्तर क्षेत्रों में बाढ़ एवं दरारें तथा केरल क्षेत्र में दोहरीकरण की वर्धमान गति के कारण लगाए जाने वाले अतिरिक्त गति प्रतिबंधों के अलावा संरक्षा कार्यों की अपेक्षा वाले कुछ अन्य क्षेत्रों में अतिरिक्त गति प्रतिबंधों के कारण समय पालन प्रभावित हुआ है। रेल इंजन की विफलता, सवारी डिब्बों तथा माल डिब्बों की विफलता, सिगनल विफलता, रेलपथ विफलता आदि जैसे उपस्कारों की विफलता के कारण भी समय पालन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है क्योंकि भारतीय रेल प्रणाली में आधुनिकीकरण की कमी के कारण ये परिसंपत्तियां अत्यधिक पुरानी हो गई हैं, जिनके लिए प्रर्याप्त संधाधन उपलब्ध नहीं हैं। समयपालन में कमी के अन्य कारणों में, आंदोलन, शरारती तत्त्वों की गतिविधियां, खराब मौसम तथा दुर्घटनाएं आदि शामिल हैं। कोंकण रेलेव पर कुछ गाड़ियों के विलंब से चलने के संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। कोंकण रेलवे पर यात्री गाड़ियों के विलंब से चलने का कारण हाल ही में शुरू किए गए रेलपथ पर भू–तकनीकी समस्याएं हैं। समय पालन की निगरानी करने तथा इसमें सुधार लाने के लिए एक ठोस अभियान चलाया गया है। गाड़ियों के वास्तविक चालन की निगरानी करने के लिए रेलवे

बोर्ड, क्षेत्रीय मुख्यालय तथा मंडल मुख्यालय स्तर पर चौबीसों घंटे कार्य करने वाली त्रि–स्तरीय निगरानी प्रणाली शुरू की गई है। गाड़ियों की सभी परिहार्य रुकौनियों की जांच की जाती है और ऐसी रुकौनियों के लिए जिम्मेवार रेल कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

कारगिल के शहीदों के लिए धन जमा करना

***79. श्री थावर चंद गेहलोत :**

प्रो. रासा सिंह रावत :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कारगिल संघर्ष में हमारे कितने सैनिक मारे गए, घायल हुए और पाकिस्तान द्वारा युद्ध–बंदी बनाए गए तथा कितने सैनिक कारगिल संघर्ष के बाद से अभी भी लापता हैं;

(ख) क्या सेना में कार्यरत और सेवानिवृत्त सेना अधिकारियों ने देश में कारगिल निधि में जमाराशि में वृद्धि करने के बारे में चिन्ता व्यक्त की है;

(ग) यदि हां, तो क्या कुछ लोगों द्वारा प्रधान मंत्री, रक्षा प्राधिकारियों और विभिन्न राजनीतिक नेताओं के पास भी धन जमा कराने की बात जानकारी में आयी है;

(घ) यदि हां, तो विभिन्न संगठनों और व्यक्तियों से भिन्न–भिन्न राहत कोषों के अंतर्गत अलग–अलग कुल कितनी धनराशि जमा हुई है;

(ङ) कितनी धनराशि अब तक उपयोग की गई है; और

(च) मृत सैनिकों के कुल कितने परिवारों का अब तक पुनर्वास कर दिया गया है और घायल तथा अपंग हुए सैनिकों को कितना मुआवजा दिया गया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) यह सूचना इस प्रकार है–

(i)	मारे गए सेना कार्मिक	519
(ii)	घायल हुए सेना कार्मिक	1363
(iii)	पाकिस्तान द्वारा युद्धबंदी बनाए गए सेना कार्मिक	शून्य
(iv)	लापता सेना कार्मिक	01

(ख) सरकार के पास ऐसी काई सूचना नहीं है।

(ग) से (च) विवरण संलग्न है।

विवरण

कारगिल युद्ध के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय रक्षा निधि और रक्षा सेनाओं की कल्याण निधियों के लिए देश तथा विदेश, दोनों से ही बहुत बड़ी संख्या में लोगों से अंशदान प्राप्त हुआ था। कुछ दानकर्ताओं ने प्रधान मंत्री, रक्षा मंत्री मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों और राज्यों के मुख्य मंत्रियों, आदि को चैक/ड्राफ्ट दिए। दान की ये राशियां, यथापेक्षानुसार राष्ट्रीय रक्षा निधि में जमा कर दी गईं अथवा उन्हें सेनाओं को अपनी कल्याण निधियों में जमा करने के लिए दे दिया गया। व्यक्तियों और अन्य संगठनों द्वारा एकत्र की गई निधियों के बारे में सरकार को जानकारी नहीं है।

2. राष्ट्रीय रक्षा निधि में 1.5.1999 से आगे एकत्र की गई धनराशि और उसका उपयोग निम्नानुसार है :

(क)	22.11.99 तक एकत्र की गई कुल निधि–	442.68 करोड़ रुपये
(ख)	विभिन्न कल्याणकारी उपायों हेतु– इस्तेमाल की गई निधियां	86.85 करोड़ रुपये

इसके अलावा, रक्षा सेनाओं की कल्याण निधियों के अंशदानों, जिनका प्रबंधन संबंधित सेनाओं द्वारा किया जाता है, का उपयोग उनके द्वारा दिवंगत सैनिकों के परिवारों के पुनर्वास और अशक्तता के कारण सेवामुक्त किए गए सैनिकों के कल्याण के लिए किया जा रहा है।

3. कारगिल युद्ध में मारे गए सशस्त्र सैन्य कर्मिकों के निकटतम संबंधियों के लिए व्यापक कल्याण पैकेज उपलब्ध कराया गया है। इस पैकेज में अनुग्रहपूर्वक एकमुश्त मुआवज़े के रूप में 10 लाख रुपये की राशि; दिवंगत सैनिक द्वारा लिए गए अंतिम वेतन के आधार पर उदारीकृत विशेष परिवार पेंशन, तथा निर्धारित दर के अनुसार यथादेय मृत्यु उपदान व परिवार उपदान की राशि शामिल है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय रक्षा कोष से निम्नलिखित आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई है; आवास के लिए [illegible] रुपये, प्रति परिवार दो बच्चों की शिक्षा के लिए प्रत्येक बच्चे क वास्ते 01 लाख रुपये और उन जरूरतमंद माता–पिता के लिए 1.20 लाख रुपए जो दिवंगत सैनिकों पर आश्रित थे। सेना की केन्द्रीय कल्याण निधि से भी अनुग्रहपूर्वक अतिरिक्त राशि के रूप में 30,000/– रुपए मुहैया किए गए हैं। इसके अलावा, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने भी सशस्त्र सेनाओं के मारे गए कार्मिकों के निकटम संबंधियों को अलग से रसोई गैस डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूशनशिप देने की व्यवस्था की है।

4. जो सैनिक कारगिल युद्ध में घायल होने के कारण सेवामुक्त कर दिए गए हैं उन्हें उनकी घायलावस्था की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय रक्षा कोष से अनुग्रहपूर्वक राशि के रूप में 3 लाख से 6 लाख रुपए तक की राशि का भुगतान कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, उन्हें 100% निशक्तता के वास्ते उनके द्वारा अंतिम आहरित संगणकीय परिलब्धियों के बराबर युद्ध–घायल–पेंशन भी देय है। जिन सैनिकों की निशक्तता 100% से कम है उनकी युद्ध–घायल–पेंशन की राशि समानुपातिक रूप से कम कर दी जाती है। किसी भी स्थिति में युद्ध–घायल–पेंशन की राशि सैन्य अफसरों के कामले में अंतिम आहरित परिलब्धियों के 60% और अफसर रैंक से नीचे के सैन्य कार्मिकों के मामले में 80% से कम नहीं होगी। जिन सैन्य कार्मिकों की निशक्तता युद्ध में घायल होने के कारण आजीवन के लिए 20% अथवा उससे अधिक होने के बावजूद उन्हें सैन्य सेवा में बनाए रखा गया है उन्हें युद्ध–घायल–पेंशन के बदले में मुआवजे के रूप में एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है अथवा उनकी सेवानिवृत्ति के समय उन्हें मुआवजे की राशि के बदले में युद्ध–घायल–पेंशन दी जाती है।

[अनुवाद]

भारतीय वायु सेना के विमानों की क्षति

***80. श्री राजीव प्रताप रूडी :**

कर्नल (सेवानिवृत्त) डॉ. धनी राम शांडिल्य :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998 और 1999 के दौरान अब तक तारीख–वार और स्थान–वार भारतीय वायु सेना के दुर्घटनाग्रस्त विमानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें दुर्घटना–वार मारे गए चालक दल के सदस्यों और अन्य सिविलियन लोगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) दुर्घटना–वार वायुयानों और अन्य सम्पत्तियों की क्षति के कारण कितना नुकसान हुआ; और

(घ) विमान दुर्घटनाओं की दर न्यूनतम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) वर्ष 1998 और 1999 में 24 नवंबर 1999 तक भारतीय वायुसेना से दुर्घटना ग्रस्त हुए विमानों का तारीख–वार, स्थान–वार ब्यौरा, इनमें मारे गए कर्मी दल के सदस्यों और सिविलियनों का ब्यौरा तथा दुर्घटनावार सैन्य सम्पत्ति व अन्य संपत्तियों की हानि का ब्यौरा एक विवरण संलग्न है।

(घ) दुर्घटनाओं के कारणों का विश्लेषण करने के लिए रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में युद्धक विमान दुर्घटनाओं पर एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति (सी. ओ. एफ. ए. ए.) का गठन किया गया था जिसने सितंबर 1997 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। दुर्घटना दर को न्यूनतम करने के लिए इस समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों के कार्यान्वयन में संगठनात्मक संरचना, प्रक्रियाओं, प्रशिक्षण, डिजाइन, प्रौद्योगिकी आदि में परिवर्तन अंतर्ग्रस्त हैं। इस समिति की सिफारिशों पर उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए संबंधित एजेंसियों/विभागों को आवश्यक अनुदेश जारी कर दिए गए हैं। अब तक 84 सिफारिशों में से लगभग 55 सिफारिशें कार्यान्वित की जा चुकी हैं।

विवरण

क्रम सं.	तारीख	स्थान	मारे गए कर्मीदल के सदस्यों की सं.	मारे गए सिविलियनों की संख्या	संपत्ति का नुकसान (लाख रुपये में) अनंतिम नुकसान विवरण के अनुसार	
					सैन्य कार्मिक	सिविलियन
1	2	3	4	5	6	7
	1998					
1.	21.1.98	सिरसा के निकट	—	—	161.27	—
2.	21.3.98	चंडीगढ़ रनवे	—	—	325.46	—
3.	21.3.98	जैसलमेर रन वे	—	—	1500.00	—
4.	26.3.98	सूरतगढ़ रन वे	—	—	1500.00	—

1	2	3	4	5	6	7
5.	12.5.98	पठानकोट हवाई अड्डे के निकट	—	03	147.09	8.47
6.	23.5.98	बीदर हवाई अड्डा	01	—	111.91	—
7.	4.6.98	हाशीमारा हवाई अड्डा	01	—	173.87	—
8.	24.6.98	सूरतगढ़ हवाई अड्डा	—	—	1017.00	—
9.	27.7.98	छबुआ के निकट	—	—	173.30	—
10.	14.8.98	उत्तरलाई के निकट	—	—	94.64	—
11.	31.8.98	कलाईकुंडा हवाई अड्डा	01 (जमीन पर)	—	6001.84	—
12.	3.9.98	हलवाड़ा हवाई अड्डे के निकट	—	—	540.07	—
13.	7.9.98	पठानकोट के निकट	—	—	343.14	—
14.	8.9.98	पोखरण रेंजे	—	—	1585.01	—
15.	7.10.98	सोनामार्ग, हेलीपैड के निकट	01	—	1000.10	—
16.	27.10.98	स्थानीय उड़ान क्षेत्र पठानकोट	01	—	147.14	—
17.	28.10.98	कलाईकुंडा हवाई अड्डे के निकट	—	—	1600.06	—
18.	28.11.98	इलाहाबाद हवाई अड्डे के निकट	01	—	75.52	1.84
1999						
1.	2.2.99	हलवाड़ा के निकट	—	—	540.06	0.05
2.	16.2.99	पुणे हवाई अड्डा	—	—	4113.10	—
3.	7.3.99	पालम हवाई अड्डा	4+14 विमान पर सागर वायु सेना के यात्री	3	475.39	9.04
4.	15.3.99	छबुआ हवाई अड्डा	—	—	175.60	
5.	16.3.99	नल्ला हवाई अड्डा	01	—	325.70	—
6.	26.3.99	हलवाड़ा हवाई अड्डा	01	—	540.87	0.21
7.	26.3.99	स्थानीय उड़ान क्षेत्र सूरतगढ़	1	—	333.40	0.64
8.	7.4.99	अमृतसर हवाई अड्डा	—	—	441.10	—
9.	13.4.99	सिरसा हवाई अड्डे के निकट	—	02	159.4	—

1	2	3	4	5	6	7
10.	10.5.99	डुंडिगल के निकट	01	—	118.22	—
11.	13.5.99	नाल हवाई अड्डा	—	—	146.15	—
12.	17.6.99	तेलपुर हवाई अड्डे के निकट	01	—	144.15	—
13.	19.6.99	उत्तरलाई हवाई अड्डे के एन. ई. गिरी राम की धानी	01	—	102.10	—
14.	23.6.99	पठानकोट हवाई अड्डे के निकट	01	—	334.09	—
15.	30.6.99	अंबाला हवाई अड्डे के निकट	—	—	9400.85	—
16.	2.7.99	जैसलमेर हवाई अड्डा	01	—	1585.27	—
17.	4.8.99	कुर्गलाख गांव	02	—	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
18.	6.8.99	चंडीगढ़ हवाई अड्डे के निकट	01	—	9208.68	—
19.	18.8.99	श्रीनगर हवाई अड्डा	01	—	1017.49	—
20.	13.9.99	उत्तरलाई हवाई अड्डे के	—	—	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
21.	14.9.99	ऊधमपुर हवाई अड्डे के निकट	01	—	1001.48	—
22.	20.9.99	गोरखपुर हवाई अड्डे के निकट	—	—	640.52	3.21
23.	1.10.99	बीदर स्थानीय उड़ान क्षेत्र	—	—	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
24.	14.10.99	हकीमपेट स्थानीय उड़ान क्षेत्र	01	—	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
25.	4.11.99	तेजपुर हवाई अड्डे के निकट	—	—	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
26.	8.11.99	गोरखपुर हवाई अड्डे के निकट	—	—	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

उपलब्ध नहीं—छः दुर्घटनाओं में हुए नुकसान की अनंतिम लागत उपलब्ध नहीं है क्योंकि इनमें जांच अदालत की कार्यवाहियां पूरी होनी शेष हैं अतएव इन कालमों में 'उपलब्ध नहीं' लिखा गया है।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास योजनाओं का पुनर्योजन

571. श्री रामशेठ ठाकुर :

श्रीमती गीता मुखर्जी :

डॉ. रघुबंश प्रसाद सिंह :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित सभी योजनाओं का विलय करके उनके पुनर्गठन/पुनर्योजन का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई नये दिशा—निर्देश जारी किये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) राज्य सरकारों द्वारा इन योजनाओं के कब तक लागू किये जाने की संभावना है; और

(ङ) राज्य सरकारों को आबंटित धनराशि के वास्तविक खर्च को सुनिश्चित करने के लिये विभिन्न योजनाओं के जरिये क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) से (घ) सरकार ने चालू वित्त वर्ष से ग्रामीण विकास योजनाओं का पुनर्गठन किया है। पुनर्गठित योजनाओं के दिशा–निर्देश जारी किए जा चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में छोटे उद्यम लगाने और ग्रामीण गरीबों की क्षमता का संवर्धन करने के उद्देश्य से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण महिला एवं बाल विकास (डवाकरा), ग्रामीण कारीगरों को उन्नत औजार किटों की आपूर्ति (सिट्रा), स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण (ट्राइसेम), गंगा कल्याण योजना तथा दस लाख कुंओं की योजना को स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना नामक एक व्यापक योजना में मिलाकर स्वरोजगार कार्यक्रमों का पुनर्गठन किया गया है। ग्रामीण युवकों को स्थायी रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के योग्य बनाने के लिए टिकाऊ परिसम्पत्तियों सहित मांग आधारित ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं का सृजन करने के मुख्य उद्देश्य से जवाहर रोजगार योजना को जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के रूप में पुनर्गठित किया गया है। सुनिश्चित रोजगार योजना को अब आबंटन आधारित योजना बना दिया गया है।

संशोधित त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम का उद्देश्य समुदाय आधारित मांग जनित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम को संस्थागत बनाना है जिसमें समुदायों की लागत में भागीदारी होगी जो धीरे–धीरे चालू पूर्तिजनित केन्द्र द्वारा संचालित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के स्थान पर सहभागी कार्यक्रम का रूप लेगा। केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम में किए गए बदलावों में अधिक सबसिडी के स्थान पर कम सबसिडी की प्रणाली शुरू करना। 'पूर्ण स्वच्छता अभियाान' दृष्टिकोण को अपनाना, उपभोक्ताओं की पसन्द के अनुरूप प्रौद्योगिकी का चयन और अधिकाधिक सामुदायिक भागीदारी शामिल है। विद्यालयी स्वच्छता इस कार्यक्रम का एक मुख्य घटक है।

जिन कार्यक्रमों में राज्यों को योगदान करना होता है उनके अन्तर्गत अब केन्द्र और राज्यों द्वारा निधियों 75:25 के अनुपात में समान रूप से वहन की जाती हैं।

(ङ) प्रत्येक राज्य में निधियों के उपयोग की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और राज्यों पर जोर दिया जाता है कि निधियों का पूर्ण इस्तेमाल करें।

[अनुवाद]

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का समाप्त किया जाना

572. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र द्वारा प्रायोजित कुछ योजनाओं को राज्यों को हस्तांतरित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने केन्द्र द्वारा प्रायोजित कुछ विकास योजनाओं को समाप्त करने का निश्चय किया है;

(घ) यदि हां, तो इन योजनाओं के नाम क्या–क्या हैं; और

(ङ) इनके समाप्त किए जाने के क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय विकास परिषद की 19.2.1999 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्यों दोनों से लिए गए सदस्यों की एक समिति बनायी गई है जो केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के हस्तांतरण से संबंधित मुद्दे की जांच करेगी जिसमें हस्तांतरित की जाने और केन्द्र के पास रखी जाने वाली योजनाओं की पहचान और ऐसे हस्तांतरण के तरीके भी शामिल हैं।

कुरुक्षेत्र शहर का विकास

573. श्री रतन लाल कटारिया : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा 1998–99 और 1999–2000 के दौरान कुरुक्षेत्र शहर (महाभारत स्थली) को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए हरियाणा सरकार को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है; और

(ख) इस वास्ते कितनी धनराशि जारी की गई है और हरियाणा सरकार द्वारा अभी तक उसका कितना उपयोग किया गया है ?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती) : (क) और (ख) पर्यटन मंत्रालय, राज्य सरकारों को पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए सहायता दिशा–निर्देशों के अनुसार प्राप्त विशिष्ट परियोजना प्रस्तावों और धन की उपलब्धता के आधार पर उपलब्ध कराता है।

वर्ष 1998–99 के दौरान कुरुक्षेत्र को तीर्थ केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए हरियाणा सरकार को 48.00 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की थी जिसमें से 24.00 लाख रुपए की पहली किश्त दी गई थी।

वर्ष 1999–2000 के लिए ब्रह्म सरोवर फेस–II कुरुक्षेत्र में परिक्रमा परियोजना निर्माण के लिए 24.00 लाख रुपए की राशि के लिए प्राथमिकता और परियोजना सूचना प्रणाली कुरुक्षेत्र के लिए 10.00 लाख रुपए की राशि को प्राथमिकता दी गयी है।

भूमि सुधार

574. श्री समर चौधरी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग ने राज्यों में भूमि सुधार के लिए वर्तमान में कौन–कौन से दिशा–निर्देश और निदेश जारी किए हैं;

(ख) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में भूमि सुधार की उपलब्धियों, उनके लेखे–जोखे का राज्य–वार मूल्यांकन कर लिया गया है;

(ग) क्या परिसीमन नियमों से ज्यादा समस्त अतिरिक्त भूमि का राज्यों ने अधिग्रहण कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो छठी से आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उपलब्ध भूमि और राज्यों द्वारा अधिगृहीत भूमि का राज्य–वार ब्यौरा है;

(ङ) क्या ग्रामीण गरीब लोगों को दिशा–निर्देश के तहत ये भूमियां बांट दी गई हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) योजना आयोग ने भूमि सुधार के बारे में राज्यों को हाल ही में कोई दिशा–निर्देश/निदेश जारी नहीं किए हैं।

(ख) से (च) भूमि परिसीमन संबंधी कानूनों के क्रियान्वयन सहित विभिन्न भूमि सुधार कार्यक्रमों की समीक्षा समय–समय पर राजस्व सचिवों/राजस्व मंत्रियों/मुख्य मंत्रियों के सम्मेलनों सहित विभिन्न मंचों पर की जाती है और भूमि सुधारों के कारगर कार्यान्वयन के लिए राज्यों को आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किए जाते हैं। आठवीं योजना के संबंध में स्थिति की समीक्षा 28 जनवरी, 1997 को हुए राजस्व मंत्रियों के सम्मेलन में की गई थी। तत्पश्चात् 17 सितम्बर, 1998 को हुए राजस्व मंत्रियों के अगले सम्मेलन में भी समीक्षा की गई थी। आठवीं पंच वर्षीय योजना के अंत तक परिसीमा से अधिक घोषित किए गए क्षेत्र, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अधिग्रहण किए गए क्षेत्र और ग्रामीण गरीबों को वितरित किए गए क्षेत्र के संबंध में राज्य–वार सूचना, जिसमें छठी से आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए संचयी आंकड़े दर्शाये गए हैं, संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

8वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में अर्थात मार्च 1997 तक की स्थिति

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	(क्षेत्र एकड़ में) फालतू घोषित क्षेत्र	अधिग्रहण किया गया क्षेत्र	वितरित किया गया क्षेत्र
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	791140	636237	572979
2.	असम	612380	575837	482650
3.	बिहार	488257	416529	303330
4.	गुजरात	228884	158046	134080
5.	हरियाणा	93511	85348	87259
6.	हिमाचल प्रदेश	282581	281652	3340
7.	जम्मू और कश्मीर	455575	450000	450000
8.	कर्नाटक	267758	155026	117375
9.	केरल	137692	94800	64253
10.	मध्य प्रदेश	338758	299718	185313
11.	महाराष्ट्र	729549	664352	554833
12.	मणिपुर	1830	1685	1682
13.	उड़ीसा	176579	165726	159884
14.	पंजाब	222594	105151	103493
15.	राजस्थान	601922	557879	452174
16.	तमिलनाडु	194384	171114	164103
17.	त्रिपुरा	1995	1944	1599
18.	उत्तर प्रदेश	561377	527036	390501
19.	पश्चिम बंगाल	1297664	1224771	967413
20.	दादरा एवं नगर हवेली	9406	9305	6851
21.	दिल्ली	1132	394	394
22.	पांडिचेरी	2326	1160	1022
	योग	7497284	6583710	5204528

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए कोष

575. **श्री रमेश चेन्नितला :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य के लिए चालू वित्त वर्ष में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए कितनी राशि आबंटित की गई है; और

(ख) नवम्बर 1999 तक खर्च की गई राशि का प्रतिशत क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) 31.3.1999 से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम अब चल नहीं रहा है। 1.4.1999 से स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना नामक एक नया स्वरोजगार कार्यक्रम शुरू किया गया है। स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के लिए निधियों को 75:25 अनुपात में केन्द्र और राज्य के बीच बहन किया जाता है। 1999-2000 के दौरान केरल के लिए स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय आबंटन 1762.47 लाख रुपये है।

(ख) अक्टूबर, 1999 तक अथशेष, केन्द्र और राज्य रिलीजों सहित 1531.01 लाख रु. की उपलब्ध निधियों की तुलना में स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत केरल का खर्च 14.73% अर्थात् 225.58 लाख रु. है। नवम्बर, 1999 तक प्रगति रिपोर्ट की प्राप्ति के लिए नियत तिथि 20 दिसम्बर, 1999 है।

एकलाखी और बालुरघाट के बीच रेलवे लाइन कार्य का पूरा होना

576. **श्री महबूब जहेदी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकलाखी और बालुरघाट के बीच रेलवे लाइन का कार्य पिछले 20 वर्षों से अधूरा पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार उपरोक्त लाइन का कार्य पूरा करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी नहीं। यह कार्य 1984-85 में स्वीकृत किया गया था और इस प्रकार 14 वर्ष से यह कार्य प्रगति पर है।

(ख) संसाधनों की अत्यधिक तंगी और इस लाइन की कम परिचालनिक प्राथमिकता के कारण यह कार्य धीमी गति से किया जा रहा है।

(ग) मौजूदा सरकार ने उन परियोजनाओं को प्राथमिकता देने का विनिश्चय किया है जो 10 वर्ष से अधिक पुरानी हैं और तद्नुसार इस परियोजना पर कार्य तेज गति से किया जा रहा है।

जिला परिषद्, चंडीगढ़ के चुनाव

577. **श्री पवन कुमार बंसल :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला परिषद्, चंडीगढ़ (यूटी) के चुनाव हुए तीन वर्ष से अधिक हो चुके हैं, और

(ख) यदि हां, तो अब तक जिला परिषद् और पंचायत समिति गठित नहीं किए जाने के क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) जी, हां।

(ख) चंडीगढ़ में पंचायतों के चुनाव पंजाब पंचायती राज अधिनियम, 1998 के प्रावधानों के अनुसार कराए गए थे, जिसको संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में भी लागू किया गया है। सरपंचों के प्रतिनिधियों और सीधे चुने गए सदस्यों के प्रतिनिधियों के अनुपात अर्थात 60:40 संबंधित पंजाब पंचायती राज अधिनियम 1998 के प्रावधान चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के अनुरूप नहीं हैं, क्योंकि संघ राज्य क्षेत्र में सरपंचों की कुल संख्या मात्र 17 है। पंचायत समिति के गठन की प्रक्रिया में यह प्रावधान है कि सदस्यता के लिए उम्मीदवारी का प्रस्ताव सरपंच द्वारा किया जाएगा और उसका समर्थन दूसरे सरपंच द्वारा किया जाएगा। चंडीगढ़ प्रशासन के लिए इस प्रक्रिया को अपनाना संभव नहीं हुआ है क्योंकि इस प्रक्रिया को अपनाने के लिए कम से कम 30 सरपंचों की जरूरत होगी (10 उम्मीदवार, उम्मीदवारी के लिए 10 प्रस्तावक और प्रस्ताव के 10 समर्थक) इसलिए जिला परिषद को गठित करना संभव नहीं हुआ है।

हैदराबाद से फायरिंग क्षेत्र का विस्थापन

578. **श्री सुलतान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद के जवाहर नगर, शमीरपेट में स्थित फील्ड फायरिंग क्षेत्र को हैदराबाद शहर के ऐसे बाहरी क्षेत्र में स्थापित किया गया था जो अब पूरी तरह से बस चुके हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या आंध्र प्रदेश की सरकार ने आम नागरिकों की किसी भी अनहोनी से सुरक्षा के लिए इस फायरिंग क्षेत्र को कहीं अन्यत्र स्थापित किए जाने हेतु केंद्र सरकार से आग्रह किया है;

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान जवानों द्वारा किए गए फायरिंग अभ्यास में कितने आम नागरिकों की जानें गईं या घायल हुए; और

(ङ) क्या उन्हें कोई मुआवजा दिया गया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां। सन् 1964 में एक लघु शस्त्र फायरिंग रेंज स्थापित की गई थी। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ने 1996 में इसके समीप की 225 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया है। जिसके आस–पास आबादी बस गई है।

(ख) और (ग) जी, हां। तथापि, आन्ध्र प्रदेश सरकार ने इस रेंज के लिए कोई वैकल्पिक स्थल नहीं सुझाया है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस रेंज से दुर्घटना अथवा मृत्यु के किसी मामले की कोई सूचना नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

इंडियन एयरलाइंस की यातायात सेवाओं में सुधार

579. श्री सुरेश चन्देल : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय हवाई सेवाएं अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या घरेलू सेवाओं के जहाजों के रख–रखाव का स्तर बहुत घटिया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा एयरलाइंस को अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस के समकक्ष बनाने के लिए क्या कार्यक्रम तैयार किया गया है/तैयार किए जाने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नीलगिरि पर्वतीय रेल का विद्युतीकरण

380. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नीलगिरि पर्वतीय रेल का विद्युतीकरण करने का है;

(ख) क्या ऊपर के तारों के लिए बहुत कम स्थान छूटने तथा सुरंगों की कम ऊंचाई के मद्देनजर इस परियोजना का सर्वेक्षण संभव है;

(ग) यदि हां, तो क्या रेल लाइन को बिना कोई नुकसान पहुंचाए सुरंगों की ऊंचाई बढ़ाना संभव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस रेल लाइन के विद्युतीकरण पर रेल विभाग द्वारा 245 करोड़ रु. व्यय किए जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) इस खंड के विद्युतीकरण की संभावनाओं को निर्धारण करने के लिए केवल लागत एवं व्यवहार्यता सर्वेक्षण स्वीकृत किया गया है। सर्वेक्षण के दौरान, कम ऊंचाई की सुरंगों, ऊंचाई को बढ़ाने के परिणाम आदि जैसी विभिन्न कठिनाइयों के साथ–साथ सर्वेक्षण के स्थान की जांच की जाएगी।

(घ) उपर्युक्त (क) से (ग) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

चकरभाटा विमानपत्तन

581. श्री पुन्नु लाल मोहले : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के कुल कितने विमानपत्तनों से घरेलू उड़ान उपलब्ध हैं;

(ख) मध्य प्रदेश के बिलासपुर क्षेत्र में चकरभाटा विमानपत्तन को बंद किए जाने के क्या कारण हैं हालांकि यह एक जनजातीय बहुल तथा तेजी से विकसित हो रहा औद्योगिक क्षेत्र है;

(ग) क्या सरकार इसे एक अत्याधुनिक विमानपत्तन बनाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक बनाए जाने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) अंतर्देशीय उड़ानें मध्य प्रदेश के छः विमानपत्तनों अर्थात भोपाल, इंदौर, रायपुर, खजुराहो, ग्वालियर तथा जबलपुर के लिए सेवा प्रचालित करती है।

(ख) से (घ) गत दो दशकों से बिलासपुर में चकरभाटा विमानपत्तन के लिए कोई वाणिज्यिक प्रचालन सेवाएं नहीं हुई हैं। किसी भी विमान कंपनी ने इस विमानपत्तन से प्रचालन करने संबंधी अपनी योजनाओं का उल्लेख नहीं किया है। अतः भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इस स्थिति में इस विमानपत्तन के स्तरोन्नयन के बारे में अवेक्षा नहीं कर रहा है।

[अनुवाद]

चीनी पर राजसहायता

582. श्री मोइनुल हसन : क्या **उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक वितरण प्रणाली से चीनी को हटाने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) चीनी पर राज सहायता समाप्त करने से कितनी धनराशि की बचत होने की संभावना है; और

(घ) इससे खुले बाजार में चीनी के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री. वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न हीं उठते।

[हिन्दी]

हिम और हिमस्खलन अध्ययन प्रतिष्ठान केंद्र, हिमाचल प्रदेश का विस्तार

583. श्री महेश्वर सिंह : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में मनाली के निकट स्थित हिम और हिमस्खलन अध्ययन प्रतिष्ठान केंद्र हिमाचल प्रदेश ने अपने विस्तार के लिए वशिष्ट नामक स्थान के पास हिमाचल प्रदेश के सरकार के माध्यम से भूमि अधिग्रहण के लिए धारा–4 के अंतर्गत अधिसूचना जारी की है;

(ख) यदि हां, तो क्या स्थानीय लोगों ने इस अधिसूचना का विरोध किया है और क्या यह सच नहीं है कि इसके विस्तार के लिए व्यास नदी के पास पर्याप्त भूमि उपलब्ध है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार किसानों की उपजाऊ और बहुमूल्य भूमि के बजाय केंद्र के सामने और व्यास नदी के पास की जमीन अधिग्रहित करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : हिम और हिमस्खलन अध्ययन प्रतिष्ठान केन्द्र, मनाली ने 1995 में आई बाढ़ के बाद अपने केन्द्र के अनिवार्य घटकों की स्थापना के लिए अपने मौजूदा स्थल के पास उपयुक्त भूमि प्रदान करने हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार से सम्पर्क किया था। इसलिए, हिमाचल प्रदेश सरकार ने कुछ भूमि अधिगृहित करने और हिम और हिमस्खलन अध्ययन प्रतिष्ठान केन्द्र को आवश्यक भू–स्थल उपलब्ध कराने के लिए अधिसूचना जारी की थी।

(ख) और (ग) कुछ स्थानीय लोगों ने कतिपय आपत्तियां उठाई थीं। उसके मद्देनजर राज्य सरकार वैकल्पिक भूमि अधिग्रहण करने हेतु समुचित कार्रवाई कर रही है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक द्वारा प्रस्तुत की गई रेल परियोजनाएं

584. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रस्तुत की गई रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस पर केंद्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या कुछेक प्रस्तावों को अलाभकर पाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) गत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक सरकार से निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं–

क्रम सं.	प्राप्त प्रस्ताव	की गई कार्रवाई
1	2	3
1.	श्रवणबेलगोला के रास्ते हसन–बेंगलूरु के बीच नई रेलवे लाइन (1996–97)	वर्ष 1996–97 में परियोजना स्वीकृत की गई थी।
2.	सकलेशपुर के रास्ते कडूर–चिकमंगलूर के बीच एक नई बड़ी लाइन का निर्माण (1996–97)	वर्ष 1996–97 में परियोजना स्वीकृत की गई थी।

1	2	3s
3.	मैसूर से मंगलौर, मैसूर से तेल्लीचेरी तक नई रेलवे लाइन (1997–98)	परियोजना की प्रतिफल की दर अलाभप्रद होने के कारण इसे छोड़ दिया गया।
4.	अंकोला–हुबली रेलवे लाइन का निर्माण (1996-97)	परियोजना, वर्ष 1996–97 (पूरक बजट) में सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत की गई थी।
5.	कनकपुरा के रास्ते बेंगलूरु और सत्यमंगलम के बीच नई रेलवे लाइन (1997–98)	वर्ष 1998–99 में परियोजना स्वीकृत की गई थी।
6.	मेट्टूपलायन तक एक नई लाइन के विस्तार सहित मैसूर–चामराजनगर के बीच आमान परिवर्तन (1997–98)	यह परियोजना 1997–98 के रेल बजट में शामिल की गई थी।
7.	होलनरसीपुर अराकलगोड के रास्ते मदिकेरी और चनारायपटना नई रेलवे लाइन बिछाना और कोण्णूर के रास्ते कुशालनगर और चनारायपटना के बीच लाइन (1998–99)	परियोजना छोड़ दी गई थी क्योंकि प्रतिफल की दर अलाभप्रद थी।

[अनुवाद]

नौपाडा-गुनुपुर रेलवे लाइन का आमान परिवर्तन

585. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौपाडा–गुनुपुर रेलवे लाइन के ब्रॉडगेज में आमान–परिवर्तन से संबंधित संशोधित यातायात रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसकी जांच की जा चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त लाइन का कब तक आमान परिवर्तन कर दिये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) संशोधित यातायात सर्वेक्षण रिपोर्ट विचाराधीन है, बहरहाल, यद्यपि समग्र रूप से यह अलाभप्रद है। परंतु सामाजिक रूप से वांछनीय परियोजना होने के नाते नौपाड़ा–गुनुपुर का आमान परिवर्तन का कार्य पहले ही इस शर्त के साथ 1997–98 के रेल बजट में शामिल किया गया है कि अपेक्षित स्वीकृति जिसके लिए आवश्यक कार्रवाई पहले ही शुरू की जा चुकी है, प्राप्त कर लिए जाने के पश्चात् वास्तविक कार्य शुरू किया जाएगा। उसके पश्चात् संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्य प्रारंभ किया जाएगा और आगामी वर्षों में पूरा किया जाएगा।

[हिन्दी]

सूरत-भुसावल रेल लाइन का दोहरीकरण

586. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूरत–भुसावल रेल लाइन का दोहरीकरण कार्य कितना पूरा हो चुका है और उस पर अब तक कितना व्यय हुआ है;

(ख) उक्त रेल लाइन के दोहरीकरण संबंधी कार्य को पूरा करने की निर्धारित समयावधि कितनी है;

(ग) उक्त कार्य को पूरा करने में विलंब होने के क्या कारण हैं और इसके कारण लागत में कितनी वृद्धि हुई है; और

(घ) उक्त लाइन को कब तक पूरा किये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) ऐसा कोई कार्य स्वीकृत नहीं किया गया है। बहरहाल, भुसावल–सूरत लाइन के भुसावल–जलगांव और सूरत–ऊधना खंड पर दोहरी लाइन पहले से ही मौजूद है। ऊधना–जलगांव खंड की शेष इकहरी लाइन के दोहरीकरण के लिए सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है। सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध हो जाने पर ही परियोजना पर आगे विचार करना संभव हो सकेगा।

[अनुवाद]

जलपाईगुड़ी-बोंगाईगांव रेल लाइन का आमान परिवर्तन

587. श्री अमर रायप्रधान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के अंतर्गत नई जलपाईगुड़ी–न्यू बोंगाईगांव रेलवे लाइन के लिए आमान–परिवर्तन को स्वीकृति मिल चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उक्त कार्य को कब तक स्वीकृति मिलने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी हां, सरकार द्वारा परियोजना को फरवरी, 1999 में स्वीकृति दे दी गई थी।

हवाई अड्डों के निकट बूचड़खानों के लिए नियम

588. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियमानुसार हवाई अड्डों के रिफ्रेन्स प्वाइंट की 10 कि. मी. की परिधि में बूचड़खानों के निर्माण पर प्रतिबंध है;

(ख) यदि हां, तो साधारण शब्दों में 'रेफ्रेन्स प्वाइंट' को स्पष्ट करें;

(ग) क्या यह नियम वायु सेना के हवाई अड्डे पर भी लागू होते हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार सुरक्षित उड़ानों को सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान में संशोधन करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) वायुयान नियमों के अंतर्गत एयरोड्राम रेफ्रेंन्स प्वाइंट से 10 कि. मी. की परिधि के भीतर जानवरों की हत्या करना अथवा खाल उतारना, कूड़ा–कचड़ा, जूठन, गंदगी अथवा कोई अन्य प्रदूषित अथवा घृणित सामग्री फेंकना जिसमें होटल, मांस की दुकानें, मछली की दुकानें और हड्डी कुटाई मिलों से निकलने वाले ऐसे पदार्थ जिनसे जानवर, गिद्ध अथवा अन्य पक्षी आकर्षित हो सकते हैं, होना प्रतिबंधित है।

(ख) किसी विमानक्षेत्र के मामले में रेफ्रेन्स प्वाइंट (ए. आर. पी.) का तात्पर्य वैसे नामित स्थल से है जो विमान के अवतरण अथवा प्रस्थान के लिए विमान क्षेत्र के आरक्षित विमान क्षेत्र के ज्यामितिक केन्द्र में अथवा इसके पास क्षैतिज मैदान से है। भारत में प्रत्येक विमान क्षेत्र के लिए यह स्थापित है और इसे वैमानिकी आसूचना प्रकाशन (ए. आई. पी.) भारत में प्रकाशित किया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

दोहरी रेल लाइनों के बीच दूरी

589. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल लाइनों के बीच की दूरी बहुत ही कम होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेल विभाग ने किसी भी रेल मार्ग पर दोहरी रेल लाइनों के बीच और अधिक दूरी को सुनिश्चित करने हेतु किसी प्रस्ताव की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

कृषि अपशिष्ट से बिजली का उत्पादन

590. श्रीमती निशा चौधरी : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास कृषि अपशिष्ट या नगरपालिका द्वारा एकत्रित ठोस अपशिष्ट से बिजली उत्पन्न करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बिजली उत्पन्न करने हेतु ऐसी परियोजनाएं/संयंत्र स्थापित करने के लिए किन्हीं निजी/सरकारी संस्थानों से कोई प्रस्ताव प्राप्त किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या किसी संस्थान से इस आशय का कोई पत्र जारी किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) और (ख) बायोमास विद्युत/सहउत्पादन कार्यक्रम तथा शहरी, नगरपालिका तथा औद्योगिक अपशिष्टों से ऊर्जा प्राप्ति कार्यक्रम के अंतर्गत देश में 222 मेगावाट समग्र क्षमता की विद्युत की

पहले ही स्थापना की जा चुकी है। इसमें कृषि अपशिष्टों तथा नगरपालिका ठोस अपशिष्टों सहित विभिन्न बायोमास संसाधनों से विद्युत उत्पादन शामिल है।

(ग) से (ङ) इन परियोजनाओं को बड़े पैमाने पर निजी निवेशों के माध्यम से वाणिज्यिक परियोजनाओं के रूप में आरंभ किया जा रहा है। कुछ सीमित प्रदर्शन परियोजनाओं को भी सरकार की आंशिक वित्तीय सहायता से आरंभ किया जा रहा है। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय संस्थाओं या राज्य नोडल एजेंसियों द्वारा पात्र प्रोत्साहनों के लिए प्रस्ताव भेजे जाते हैं। कृषि अपशिष्टों से विद्युत उत्पादन हेतु कोई भी प्रस्ताव विचारार्थ लम्बित नहीं है। नगरपालिका ठोस अपशिष्टों से ऊर्जा प्राप्ति के लिए दो प्रस्ताव पात्र प्रोत्साहनों के लिए विचाराधीन है। चार अन्य प्रस्ताव वित्तीय सम्वृत्ति और अन्य समझौतों की अवस्था में है।

[हिन्दी]

विद्युत उत्पादन

591. **डॉ. अशोक पटेल :**

श्री रामपाल सिंह :

क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना तैयार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) और (ख) पवन ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत, देश में 1077 मेगावाट की क्षमता पहले ही स्थापित की जा चुकी है जिसमें निजी निवेशों के माध्यम से स्थापित 55 मेगावाट क्षमता की प्रदर्शन परियोजनाएं तथा 1022 मेगावाट क्षमता की वाणिज्यिक परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं से संबंधित राज्य के ग्रिडों में लगभग 5 बिलियन इकाई बिजली डाली गई है। पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 13 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में 177 संभावित स्थलों की पहचान की जा चुकी है। वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए राजकोषीय एवं संवर्द्धनात्मक प्रोत्साहन उपलब्ध हैं। पवन ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पादित बिजली की व्हीलिंग, बैंकिंग तथा खरीद–वापसी के लिए राज्य सरकारों द्वारा आकर्षक नीतियों की घोषणा की गई है। पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) से उदार ऋण भी उपलब्ध हैं।

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की खोज

592. **श्री रामशकल** : क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की संभावनाओं का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की समस्त संभावनाओं का कब तक पता लगा लिए जाने की संभावना है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) और (ख) सरकार द्वारा कई अध्ययन प्रायोजित/सम्पन्न कराए गए हैं, जिनमें राष्ट्रव्यापी आधार पर विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की विस्तृत संभाव्यता दर्शाई गई है। राष्ट्रव्यापी आधार पर (उत्तर प्रदेश राज्य सहित) अनुमान लगाए गए अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की व्यापक संभाव्यता संलग्न विवरण में दी गई है। उत्तर प्रदेश राज्य में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों, जैसे—बायोगैस संयंत्रों, उन्नत चूल्हों, लघु पन बिजली (3 मेगावाट तक) और चीनी मिलों में खोई आधारित सह–उत्पादन की मोटी संभाव्यता क्रमशः 20.21 लाख, 187.45 लाख, 327 मेगावाट और 1000 मेगावाट है।

(ग) अक्षय ऊर्जा की संभाव्यता का पता लगाना और इसका दोहन करना एक सतत् और चलती रहने वाली प्रक्रिया है। अक्षय ऊर्जा की संभाव्यता/दोहन व्यापक संभावनाओं को प्रस्तुत करता है और अक्षय ऊर्जा का उपयोग आगामी वर्षों में तेजी से बढ़ने की संभावना है।

विवरण

देश में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की मोटी संभाव्यता
(उत्तर प्रदेश राज्य सहित)

	स्रोत/प्रणाली	संभाव्यता लगभग
	1	2
1.	बायोगैस संयत्र (संख्या)	120 लाख
2.	उन्नत चूल्हा (संख्या)	12 करोड़
3.	बायोमास	17,000 मेगावाट
4.	खोई–आधारित सह–उत्पादन	3,500 मेगावाट
5.	सौर प्रकाशवोल्टीय	20 मेगावाट/ वर्गकिलोमी.

1		2
6.	सौर तापीय	35 मेगावाट/ वर्गकिलोमी.
7.	पवन विद्युत	20,000 मेगावाट
8.	लघु पन बिजली (15 मेगावाट तक)	10,000 मेगावाट
9.	शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्टों से ऊर्जा	1,700 मेगावाट
10.	ज्वारीय विद्युत	15,000 मेगावाट

[अनुवाद]

मृतक सैनिक अधिकारियों के आश्रितों को अनुग्रह राशि का भुगतान

593. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब, पूर्वोत्तर क्षेत्र और जम्मू–कश्मीर में उग्रवादियों और आतंकवादियों के विरुद्ध संघर्ष में और 1962, 1965, 1971 के युद्ध में तथा हाल के कारगिल संघर्ष में मारे गए सैन्यकर्मियों के परिवारों और मृतक अधिकारियों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि अन्य लाभों में कोई अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस भेदभाव और अन्तर के क्या कारण हैं; और

(घ) इस व्यवस्था को युक्तिसंगत बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) युद्ध में हुए हताहतों के निकटतम संबंधियों को अनुग्रह राशि का भुगतान करने संबंधी सरकार की नीति पहली बार अक्तूबर, 1996 में बनाई गई थी और इस व्यवस्था के तहत क्रमशः 20.8.1993 से 30.4.1995 और 1.5.1995 से 31.7.1997 की अवधि के दौरान सशस्त्र शत्रुओं, उग्रवादियों, आतंकवादियों या डकैतों/तस्करों जैसे अन्य असामाजिक तत्त्वों के साथ मुठभेड़ या वारदात में अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए और दुश्मन की कार्रवाई और सीमा पर हुई झड़पों में मारे गए सैन्य कार्मिकों के परिवारों को क्रमशः 01 लाख रुपए और 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी गई थी। पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप कर्तव्यों का निर्वाह करते समय हुई दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों और आतंकवादियों, असामाजिक तत्त्वों आदि द्वारा की गई कार्रवाइयों के दौरान कर्तव्य का निर्वाह करते समय होने वाली मौतों के मामलों में अनुग्रह राशि 5 लाख रुपए तथा अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध में दुश्मन की कार्रवाई या सीमा पर होने वाली झड़पों तथा आतंकवादियों, उग्रवादियों आदि के विरुद्ध कार्रवाई के दौरान होने वाली मौत के मामलों में 7.5 लाख रुपए तक अनुग्रह राशि बढ़ा दी गई थी।

कारगिल युद्ध के परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध में दुश्मन की कार्रवाई या युद्ध जैसी संक्रियाओं में होने वाली मौत के लिए 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने और (1) सीमा पर होने वाली झड़पों तथा (2) आततायियों, आतंकवादियों, उग्रवादियों आदि के विरुद्ध कार्रवाई के दौरान होने वाली मौत के लिए 7.5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने के लिए अगस्त 1999 में और संशोधन किया गया था। कारगिल संघर्ष को युद्ध जैसी संक्रिया माना गया है और उक्त संक्रिया में मारे गए कार्मिकों के निकट संबंधियों को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि मंजूर की गई है।

उपर्युक्त के अलावा राष्ट्रीय रक्षा निधि से निम्नलिखित सहायता प्रदान की गई है : आवास के लिए 5 लाख रुपए; प्रति परिवार दो बच्चों तथा शिक्षा के लिए प्रति बच्चा 1 लाख रुपए; उन जरूरतमंद माता–पिता के लिए 1.20 लाख रुपए जो दिवंगत सिपाही पर आश्रित हैं।

एकमुश्त अनुग्रह राशि मुआवजा देने के लिए जोखिम के भिन्न–भिन्न स्तरों और प्रत्येक मामले में शामिल कार्रवाई की तीव्रता के कारण युद्ध/युद्ध जैसी संक्रियाओं में हुए हताहतों और सीमा पर होने वाली झड़पों और आतंकवादियों, उग्रवादियों आदि के विरुद्ध कार्रवाई में हताहत होने वाले कार्मिकों के बीच विभेद किया गया है। तथापि, एकमुश्त अनुग्रह राशि मुआवजा प्रदान करने के लिए युद्ध/युद्ध जैसी संक्रियाओं के सभी हताहतों को समान माना जाता है।

अगस्त, 1993 से पहले कोई अनुग्रह राशि नहीं दी जाती थी।

वर्तमान अनुदेशों के अनुसार आततायियों/आतंकवादियों/उग्रवादियों आदि के विरुद्ध पहले के युद्धों/प्रतिविद्रोही संक्रियाओं/कार्रवाइयों और हाल ही के कारगिल युद्ध में मारे गए रक्षा सेनाओं के कार्मिकों के निकट संबंधियों को सेवांत लाभ का भुगतान करने में कोई भेद नहीं किया गया है। यही सिद्धांत दिवंगत सैन्य कार्मिकों के परिवारों को उदारीकृत परिवार पेंशन तथा समय–समय पर यथास्वीकार्य मृत्यु उपदान तथा परिवार उपदान प्रदान करने के लिए भी अपनाया जा रहा है।

बंगाल की खाड़ी में अमरीकी खोजी पोत

594. श्री सुशील कुमार शिन्दे : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1999 में भारतीय हिन्द महासागर के पूर्वोत्तर में एक अमरीकी खोजी पोत रोन ब्राउन को बंगाल की खाड़ी में घूमते हुए देखा गया;

(ख) यदि हां, तो क्या इस चाल के पीछे अमरीकी उद्देश्य का पता चल गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) संयुक्त राज्य अमरीका का समुद्र विज्ञान व मौसम विज्ञान अनुसंधान जलयान बंगाल की खाड़ी सहित हिन्द महासागर क्षेत्र में समुद्र व पर्यावरण संबंधी आंकड़े एकत्र कर रहा था। आरंभ में यह पोत 4 मार्च, 1999 से 23 मार्च, 1999 तक भारत के पश्चिमी समुद्री क्षेत्र में अपना कार्य कर रहा था। तत्पश्चात् यह पोत इसी प्रकार के प्रेक्षणों के लिए अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर चला गया। इस समस्त अवधि के दौरान यह पोत हमारे अनन्य आर्थिक क्षेत्र अर्थात भारतीय तट रेखा से 200 समुद्री मील से पीछे रहा।

[हिन्दी]

ग्रामीण निर्मिति केन्द्र

595. श्री रामदास आठवले : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुडको द्वारा देश के सभी जिला मुख्यालयों में कम लागत वालों मकानों के निर्माण के लिए तकनीकी जानकारी प्रदान करने हेतु सरकार ने ग्रामीण निर्मिति केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा राज्य-वार ऐसे कितने केन्द्र स्थापित किये जाने हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 1 अप्रैल, 1999 से सारे देश में ग्रामीण निर्मिति केन्द्रों का जाल स्थापित करने की योजना शुरू की है जिसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

(i) प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण और सूचना का प्रसार करना।

(ii) प्रशिक्षण के जरिए हुनर का स्तर ऊंचा करना।

(iii) किफायती और पर्यावरण के अनुकूल सामग्री का उत्पादन।

ये केन्द्र राज्य सरकारों/अर्ध-सरकारी/गैर-सरकारी संगठनों द्वारा स्थापित किए जाने हैं। इन केन्द्रों की स्थापना के लिए 15 लाख रुपए प्रति केन्द्र की दर से निधियां मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई जायेंगी।

(ग) शुरुआत के तौर पर प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में दो ग्रामीण निर्मित केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

रक्षा भूमि पर अतिक्रमण

596. श्री अनंत गंगाराम गीते :

श्री किरीट सोमैया :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रेटर मुम्बई और पुणे छावनी की रक्षा भूमि से बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इन समस्त अतिक्रमणों को कब तक हटा दिए जाने की आशा है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) अतिक्रमण हटाने के लिए राज्य सरकार की मदद से सामूहिक प्रयास किए जा रहे हैं। चूंकि अतिक्रमण हटाया जाना एक अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया है, इसलिए इस कार्य केलिए एक निश्चित समय सीमा बता पाना संभव नहीं है।

केरल में रेल परियोजनाएं

597. श्री वरकला राधाकृष्णन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान केरल से प्राप्त रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक प्रस्ताव पर क्या कदम उठाया गया है;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान किये गये सर्वेक्षणों का ब्यौरा क्या है;

(घ) चालू रेल परियोजनाओं की परियोजना-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) परियोजना-वार उन पर कितना व्यय किया गया है; और

(च) इन परियोजनाओं को पूरा करने में धीमी प्रगति के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) केरल से निम्नलिखित रेल परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं :

1. एर्णाकुलम–तिरुवनंतपुरम रेल विद्युतीकरण : यह परियोजना वर्ष 1999–2000 के रेल बजट में शामिल की गई है जो आवश्यक स्वीकृति प्राप्त होने पर निर्भर करती है, जिसके लिए कार्रवाई शुरू की गई है।

2. शोरुवण्णूर–मंगलोर रेल विद्युतीकरण : यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि यह कार्य परिचालनिक दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं है।

(ग) केरल में पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान किए गए सर्वेक्षण निम्नानुसार हैं :

1996-97

अंगामलाई और इरुमली के बीच नई बड़ी लाइन के लिए टोह–इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण।

1997-98

1. कोल्लम–विरुधुनगर और तेनकासी–तिरुनेवेली–तिरुचेन्दूर खंडों के आमान परिवर्तन के लिए प्रारंभिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण।

2. तकाझी–तिरुवल्ला–पठाननिथित्ता के बीच नई बड़ी रेल लाइन के लिए प्रारंभिक–इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण।

3. अडूर और कोट्टरक्करा के रास्ते कायनकुलम से तिरुवनंतपुरम के बीच नई बड़ी रेल लाइन के लिए प्रारंभिक–इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण।

4. मंजेरी और मवूर के रास्ते नीलांबूर रोड तथा फेरोक के बीच नई बडी रेल लाइन के लिए प्रारंभिक–इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण।

5. सबरीमाला से दिंडीगुल तक नई बड़ी रेल लाइन के लिए प्रारंभिक–इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण।

6. कुर्ग के रास्ते तेल्लीचेरी और मैसूर के बीच नई बड़ी लाइन तथा वायनद के रास्ते वैकल्पिक संरेखण के लिए टोह–इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण।

1998-99

1. गुरुवायूर के तनूर तथा नई बड़ी रेल लाइन के लिए प्रारंभिक–इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण।

1999-2000

1. इडापल्ली से तिरूर तक नई बड़ी रेल लाइन के लिए प्रारंभिक–इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण।

2. पुनालूर और तिरुवनंतपुरम के बीच नई बड़ी रेल लाइन के लिए प्रारंभिक–इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण।

(घ) अब तक शुरू की गई चालू रेल परियोजनाओं की मौजूदा स्थिति से संबंधित ब्यौरा :

1. कोल्लम–तिरुवनंतपुरम सेंट्रल दोहरीकरण :

तिरुवनंतपुरम सेंट्रल और मुरूकमपुषा तथा वकाला से कोल्लम तक दोहरीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है और इसे यातायात के लिए खोल दिया गया है। वरकाला–मुरूकमपुषा के शेष भाग पर दोहरीकरण का कार्य प्रगति पर है और इसके मार्च, 2000 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

2. शोरूवण्णूर–मंगलोर दोहरीकरण :

शोरुवण्णूर तथा कालीकट के बीच भूमि अधिग्रहण तथा तनूर–कालीकट तक छोटे पुलों का निर्माण/विस्तार संबंधी कार्य प्रगति पर है। निम्नलिखित ब्लाक स्टेशनों के दोहरीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है :

(i) कालीकट–इलातूर

(ii) कुलंदी–टिक्कोटी

(iii) उल्लल से नेत्रवती

(iv) कसरगोड–उप्पाला तथा

निम्नलिखित ब्लाक खंडों को मार्च, 2000 तक पूरा करने का लक्ष्य है :

(i) पायनगड़ी–चेरावतूर

(ii) इलातूर–कुलंदी

(iii) बडागरा–कण्णौर दक्षिण

(iv) उल्लल से उप्पाला

3. अंगामाली–सबरीमाला नई बड़ी लाइन :

लगभग 60 किलोमीटर पूरा कर लिया गया है और अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण के लिए ठेका दे दिया गया है।

4. कुट्टीपुरम–गुरुवायूर नई बड़ी लाइन :

अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

5. कोट्टायम से तिरुमाली तक नई बड़ी लाइन :

अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

6. एर्णाकुलम–तिरुवनंतपुरम (रेल विद्युतीकरण) :

अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

(ङ) और (च) कार्यों की प्रगति, प्रतिवर्ष धनराशि के आबंटन के अनुसार की जा रही है। विभिन्न कार्यों के लिए निधियों का आबंटन, उनकी परिचालनिक महत्ता, वास्तविक प्रगति, राष्ट्रीय तथा सामरिक निहितार्थों तथा सामाजिक प्रासंगिकता के आधार पर किया जाता है। कई रेल परियोजनाएं एक से अधिक राज्यों तक फैली होती हैं। इसलिए, रेल निवेशों के संबंध में निर्णय लेते समय राज्य/क्षेत्रीय सीमाएं मानदंड नहीं होती हैं और इसी कारण उनके खर्च संबंधी ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

अनुसूचित जाति/जनजाति के रिक्त पदों को भरा जाना

598. श्री बीर सिंह महतो : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय और इसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए विभिन्न श्रेणियों में नियुक्ति के वांछित कोटे भरे नहीं गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) मंत्रालय और अधीनवर्ती कार्यालयों में आरक्षित श्रेणी की रिक्तियों को भरने के लिए कोटा में सिर्फ सीमांत कमी है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण कोटा के अनुसार पहले ही भरे गए आरक्षित पदों का प्रतिशत दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। कमी के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :

(i) विज्ञापनों का अपर्याप्त प्रत्योत्तर।

(ii) विमान चालक, अभियंता इत्यादि जैसे तकनीकी पदों को भरने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं होती।

(iii) एअर इंडिया में भर्ती पर रोक।

(iv) पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लि. में संगठनात्मक संरचना की समस्याएं और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मामले में दो संगठनों का विलय।

विवरण

विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अ. जा./अ. ज. जाति के अभ्यर्थियों द्वारा भरे गए पदों के प्रतिशत को दर्शाने वाला विवरण पत्र

समूहों	इंडियन एयर-लाइन्स		एयर इंडिया		प. हं. हैलिकॉप्टर्स लिमिटेड		भा. वि. प्राधिकरण		भा. होटल निगम	
	अ. जा.	अ. ज. जाति	अ. ज.	अ. ज. जाति	अ. जा.	अ. ज जाति	अ. जाति	अ. ज. जाति	अ. जाति	अ. ज. जाति
'क'	14.40	2.81	17.51	6.30	7.42	—	12.35	3.26	15.46	2.53
'ख'	17.40	6.17	18.18	6.40	4.92	0.70	13.90	4.17	20.98	6.79
'ग'	17.97	8.05	20.32	7.21	21.29	11.41	19.08	5.32	24.76	6.36
'घ'	21.84	6.41	33.17	6.11	25.00	8.33	39.70	4.00	34.06	6.70
(सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)										

नोट : इंडियन एयरलाइन्स के सफाई कर्मचारी अ. जाति 59.62 प्रतिशत

अ. ज. जाति 4.15 प्रतिशत

एअर इंडिया के सफाई कर्मचारी	अ. जाति	59.07 प्रतिशत
	अ. ज. जाति	1.87 प्रतिशत
भारतीय होटल निगम के सफाई कर्मचारी	अ. जाति	58.51 प्रतिशत
	अ. ज. जाति	2.12 प्रतिशत

सेना के लिए इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों की खरीद

599. डॉ. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना की अपने उपकरणों विशेषकर बड़ी तोपों का पुनर्मूल्यांकन करने की योजना है;

(ख) क्या सरकार का विचार अधिक ऊंचाई पर परीक्षण के बाद अद्यतन इलैक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी खरीद पर कितनी राशि खर्च की जाएगी ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) इस समय सेना की हावित्जरों की अपनी आवश्यकता का पुनर्मूल्यांकन करने की कोई योजना नहीं है।

(ख) और (ग) आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपस्करों की चरणबद्ध खरीदारी किए जाने की दृष्टि से सेना ने इनका परीक्षण–मूल्यांकन किया है।

रेलगाड़ियों में मोबाइल पुलिस

600. श्री चाडा सुरेश रेड्डी :

श्री राम नायडू दग्गुबाटि :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ मंडलों में प्रमुख रेलगाड़ियों में मोबाइल पुलिस चौकियां काम कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मंडल–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का अन्य मंडलों में भी यह सुविधा प्रदान करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) अन्य मंडलों में इस सुविधा के विस्तार के लिए संबंधित राज्य सरकार को निर्णय लेना है।

विवरण

(ख) भारतीय रेलों पर उन गाड़ियों की मंडल–वार सूची जहां चल पुलिस बल कार्य कर रहा है

रेलवे	मंडल	गाड़ी
1	2	3
मध्य	मुम्बई	2137/2138, 2105/2106, 8001/8002, 8004/8003, 1093/1094, 1063/1064, 1057/1058, 1003
	सोलापुर	6009/6010, 7001/7002, 1013/1014, 1023/1024, 1019/1020, 1081/1082, 6011, 1064
	भोपाल	4209/7022, 6046/6045, 4310/4309, 1017/4318

1	2	3
पूर्व	सियालदह	3143, 3453, 3111
उत्तर	इलाहाबाद	2417/2418, 4055/4056, 2003/2004, 3111/3112, 4517/4518, 3483/3484, 4163/4164, 2801/2802, 2402, 2301/2305, 2302/2306, 6043/6044, 4257/4258
	मुरादाबाद	4645/4646, 3073/3074, 4681/4682, 375/376, 4265/6266, 331/332, 371/372, 3005/3006, 4231/4332, 3049/3050, 8237/8238, 2903/2904, 3151/3152
	लखनऊ	4229/4230, 2419/2420, 4674, 2553/2554, 4257/4258, 2401/2402, 4215/4216, 4231/4232, 3005/3006, 4265/4266, 5207/5208, 3073/3074, 1033/1034, 3483/3484, 4307/4308 3209/2310, 8476, 3151/3152, 135/136, 352/351, 4863/4864, 1015/1016, 4007/4008, 6093/6094, 4228/4227, 5005/5006, 4123/4124, 4649/4650, 1143/1144
पूर्वोत्तर रेलवे	इज्जतनगर	147 अप, 178 डाउन, 189 अप, 4023 अप, 4024 डाउन, 5309 अप, 5211 अप, 5312 डाउन
	लखनऊ	5007 अप, 5008 डाउन, 5307 अप, 5308 डाउन, 5313 अप, 5214 डाउन, 5319 अप
	सोनपुर	222 डाउन, 233 अप, 245 अप, 270 डाउन, 305 अप, 319 अप, 321 अप, 326

1	2	3
		डाउन, 330 डाउन, 406 डाउन, 409 अप, 411 अप, 412 डाउन, 502 डाउन, 507 अप, 508 डाउन, 512 डाउन, 515 अप, 516 डाउन, 521 अप, 528 डाउन, 539 अप, 547 अप, 566 डाउन, 2423 अप, 2424 डाउन, 2435 अप, 2436 डाउन, 2453, 2020 डाउन, 3242 डाउन, 3246 डाउन, 4083 अप, 4650 डाउन, 4674 डाउन, 5203 अप, 5204 डाउन, 5217 अप, 5218 डाउन, 5219 अप, 5220 डाउन, 5542 डाउन, 5621 अप, 5622 डाउन, 5715 अप, 8181 अप, 8182 डाउन, 5222 डाउन
पूर्वोत्तर		कोई नहीं
दक्षिण	मद्रास, पालघाट	6319/6320, 6605/6606
	मद्रास/तिरुच्चिरापल्ली जं. और मदुरै जं.	6701/6702, 6119/6120
दक्षिण मध्य	सिकंदराबाद एवं विजयवाड़ा	7007/7008
दक्षिण पूर्व	चक्रधरपुर	8030 अप, 8066 डाउन,
	वाल्तेरू	7007/7008
	आद्रा	5027/5028, 8623/8624, 8015/8016, 8621/8622, 8605/8606, 8603/8604, 8601/8602, 8689/8690, 8685/8686, 8625/8626, 8101, 8121/8122, 8475/8476, 465, 85/86, 4 डीसीएच

1	2	3
	खड़गपुर	8407 अप, 8002 अप, 6003 अप, 8434 अप, 8005 अप, 8015 अप, 8007 अप, 315 अप, 8410 डाउन, 2811 डाउन, 7479 अप, 7486 डाउन, 8006 डाउन, 6004 डाउन, 8033 डाउन, 8008 डाउन,
	सम्बलपुर	8689/8690, 8403/8404
	शालीमार	315 अप, 3033 डाउन, 8409 अप, 138 डाउन, 8484 अप, 7480 डाउन, 6003 अप, 3008 डाउन, 8005 अप, 8006 डाउन, 8007 अप, 6004 डाउन
	खुर्दा रोड	8008 डाउन, 8007 अप, 8410 डाउन, 8499 अप
पश्चिम	मुम्बई सेण्ट्रल	13 एक्सप्रेस/मेल गाड़ियां
	वड़ोदरा जं.	81 (एक्सप्रेस), 32 (पीजीआर)
	रतलाम जं.	38 (एक्सप्रेस), 18 (पीजीआर)
	अजमेर जं.	4 (एक्सप्रेस), 2 (पीजीआर)
	राजकोट जं.	8 (एक्सप्रेस), 8 (पीजीआर)
	भावनगर पाडा	6 (एक्सप्रेस), 2 (पीजीआर)

तानूर-गुरूवायूर रेल लाइन का निर्माण

601. श्री जी. एम. बनातवाला : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) केरल में दक्षिणी रेलवे के अंतर्गत तानूर–गुरूवायूर नई रेल लाइन के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस लाइन पर गाड़ी को किन–किन और कितने स्टेशनों पर रोकने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या पोन्नई कस्बे को रेलवे नेटवर्क के अंतर्गत लाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) यह कार्य मंगलोर–शोरूवण्णूर खण्ड के शोरूवण्णूर–तानूर उप खण्ड के दोहरीकरण के बदले एक दोहरीकरण परियोजना के रूप में स्वीकृत किया गया था। बाद में, शोरूवण्णूर–तानूर को भी दोहरा करने का विनिश्चय किया गया था और परिणामस्वरूप अब यह परियोजना एक नई लाइन परियोजना हो गई है। नए सिरे से सर्वेक्षण किया जाना था तथा इस खण्ड की सर्वेक्षण रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ताकि इस कार्य के लिए अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त करने हेतु आगे कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा, उपर्युक्त लाइन में गुरूवायूर और तानूर, कुण्णामकुलम, पुनैयूरकुलम, पोन्नानी, मंगलम और तिरूर टाउन स्टेशनों को शामिल करने का प्रस्ताव है।

जोधपुर सैकेंड एंट्री वर्क

602. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोधपुर सैकेंड एंट्री वर्क को 1998–99 में यात्री सुविधा संबंधी कार्य के रूप में स्वीकृति दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) जोधपुर में सैकेंड एंट्री खोलने के लिये लक्ष्य तिथि क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 1999–2000 के दौरान इस कार्य के लिए 30.00 लाख रु. आबंटित किए गए हैं।

(ग) और (घ) इस कार्य के लिए विस्तृत योजनाओं और अनुमानों को अंतिम रूप दे दिया गया है। कार्य शुरू किया जा रहा है। बहरहाल, सैकेंड एंट्री खोलना, शहरी इन्फरास्ट्रक्चर ट्रस्ट, जोधपुर द्वारा संकरे पहुंच मार्ग को चौड़ा करने पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

रक्षा मंत्रालय में आरक्षित पद

603. श्री राजनारायण पासी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विभिन्न विभागों और उपक्रमों में विभिन्न वर्गों के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कुछ पद खाली पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान इन विभागों और उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों को पदोन्नतियां दी गई हैं, तथा नई नियुक्तियां भी की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान तथा चालू वर्ष में अब तक विभिन्न वर्गों के अंतर्गत की गई नई नियुक्तियों का वर्ष–वार और वर्ग–वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की भर्ती और पदोन्नति के संबंध में निर्धारित नियमों का पालन किया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

अरुणाचल सीमा पर चीन की सैनिक गतिविधियां

604. श्री टी. एम. सेल्वागनपति : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत जून से चीन ने अपनी सैनिक गतिविधियां अपनी सीमा पर बढ़ा दी हैं तथा अरुणाचल प्रदेश सीमा पर सेना को पूर्ण रूप से सतर्क कर दिया गया है;

(ख) सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) चालू वर्ष में चीन द्वारा सीमा का उल्लंघन करने की कितनी घटनाएं हो चुकी हैं;

(घ) क्या दोनों देशों द्वारा हुए किसी समझौते का चीन ने उल्लंघन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ङ) भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के मुद्दे का अभी समाधान नहीं हो पाया है। पूर्वी क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश सहित भारत–चीन सीमा पर वास्तविक नियंत्रण रेखा के संबंध में दोनों पक्षों की धारणाएं भिन्न–भिन्न हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा संबंधी अपनी–अपनी धारणाओं के अनुसार दोनों ओर के सैन्य बल सीमावर्ती क्षेत्रों में गश्त करते रहते हैं।

2. जब भी वास्तविक नियंत्रण रेखा के उल्लंघन का पता चलता है, यह मामला राजनयिक माध्यमों से तथा सीमावर्ती कार्मिकों की बैठकों व ध्वज बैठकों के माध्यम से चीनी पक्ष के साथ उठाया जाता है। इस समय भारत–चीन सीमा पर कोई तनाव नहीं है।

3. सीमा विवाद के मुद्दे पर दोनों पक्ष संयुक्त कार्यकारी दल की निर्धारित रूपरेखा के अंतर्गत बातचीत कर रहे हैं। दोनों ही देश बातचीत के द्वारा सीमा–विवाद के मुद्दे का निष्पक्ष, तर्कसंगत तथा परस्पर सम्मत समाधान खोजे जाने पर सहमत हैं। दोनों ही पक्षों ने भारत–चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अमन

व शांति बनाए रखने संबंधी समझौते (वर्ष 1993) और भारत–चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य क्षेत्र में विश्वास बढ़ाने के उपायों–संबंधी समझौते (वर्ष 1996) के पालन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो कि भारत–चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में अमन व शांति बनाए रखने के लिए संस्थागत आधार प्रदान करते हैं।

कारगिल लड़ाई में हुई क्षति

605. श्री कोडीकुनील सुरेश :

श्री चन्द्रनाथ सिंह :

श्री रतन लाल कटारिया :

श्री ए. सी. जोस :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कारगिल लड़ाई के दौरान दोनों ओर पृथकतः कितने सैनिक और अन्य सैन्य कार्मिक मारे गए और हताहत हुए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान पाकिस्तानी सेना द्वारा अंग–भंग किए या विकृत किए गए कितने भारतीय शहीदों के शव प्राप्त हुए और कितने सैनिकों पर पाकिस्तान ने अत्याचार किए;

(ग) इन शहीदों के आश्रितों को प्रदान की गई कल्याण पैकेज तथा वित्तीय सहायता और रोजगार के अवसरों का ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या मानदंड अपनाए गए और अब तक ऐसे कितने परिवारों का पुनर्वास किया जा चुका है; और

(घ) इस प्रकार की घुसपैठ की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्य योजना तैयार की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) सूचना इस प्रकार है :

मारे गए सेना कार्मिक	519
मारे गए वायुसेना कार्मिक	5
घायल हुए सेना कार्मिक	1363

पाकिस्तान की ओर हुए हताहतों में मृतकों की संख्या 772 आंकी गई है।

(ख) 6

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) सीमा पर निरंतर चौकसी बरती जाती है तथा हमारे दुश्मनों के दुस्साहसपूर्ण प्रयासों को विफल करने के लिए सभी संभव उपाय किए जाते हैं।

विवरण

कारगिल युद्ध में मारे गए सशस्त्र सैन्य कार्मिकों के निकटतम संबंधियों के लिए व्यापक कल्याण पैकेज उपलब्ध कराया गया है। इस पैकेज में अनुग्रहपूर्वक एकमुश्त मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपए की राशि, दिवंगत सैनिक द्वारा लिए गए अंतिम वेतन के आधार पर उदारीकृत विशेष परिवार पेंशन तथा निर्धारित दर के अनुसार यथादेय मृत्यु उपदान व परिवार उपदान की राशि शामिल है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय रक्षा कोष से निम्नलिखित आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई है : आवास के लिए 5 लाख रुपए; प्रति परिवार दो बच्चों की शिक्षा के लिए प्रत्येक बच्चे के वास्ते 01 लाख रुपए और उन जरूरतमंद माता–पिता के लिए 1.20 लाख रुपए जो दिवंगत सैनिकों पर आश्रित थे। सेना की केन्द्रीय कल्याण निधि से भी अनुग्रहपूर्वक अतिरिक्त राशि के रूप में 30,000/– रुपए मुहैया किए गए हैं।

2. इसके अलावा, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने भी सशस्त्र सेनाओं के मारे गए कार्मिकों के निकटतम संबंधियों को अलग से रसोई गैस डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूशनशिप देने की व्यवस्था की है।

बायोगैस संयंत्रों का स्थापित किया जाना

606. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान आज की स्थिति के अनुसार देश के विभिन्न हिस्सों में बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जाने में निर्धारित लक्ष्यों तथा उपलब्धियों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) कार्य कर रहे, तथा बंद पड़े बायोगैस संयंत्रों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) केन्द्रीय क्षेत्र योजना–राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1996–97, 1997–98 और 1998–99 एवं 1999–2000 (अप्रैल–सितम्बर, 1999) के दौरान पारिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनोमिक रिसर्च (एन. सी. ए. ई. आर.), नई दिल्ली द्वारा मूल्यांकन सर्वेक्षण अध्ययन के तीसरे चरण में किए गए उल्लेख के अनुसार 18 राज्यों में कार्य कर रहे तथा कार्य न कर रहे और बन्द पड़े संयंत्रों सहित पारिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्रों के प्रतिशत के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना–1996–97, 1997–98, 1998–99 और 1999–2000 (अप्रैल–सितम्बर, 1999) के दौरान परिवार प्रकार के बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियां

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/एजेंसी	परिवार आकार के संयंत्रों की संख्या							
	1996–97		1997–98		1998–99		1999–2000 (अप्रैल–सितम्बर, 99)	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
आंध्र प्रदेश	11,000	13,801	16,000	18,929	14,000	21,123	5,500	1,728
असम	1,000	343	1,500	275	500	223	125	21
बिहार	2,815	682	1,500	920	500	708	188	37
गुजरात	19,000	18,019	12,000	12,006	10,200	10,282	3,000	385
हरियाणा	1,700	1,949	2,000	1,906	1,500	2,343	750	531
हिमाचल प्रदेश	1,200	1,262	1,200	1,142	750	794	188	222
कर्नाटक	18,000	19,379	19,500	12,465	12,500	12,558	2,450	2,185
केरल	1,200	1,013	1,500	1,527	1,000	993	375	211
मध्य प्रदेश	18,000	18,745	18,000	16,387	13,000	13,017	3,750	1,195
महाराष्ट्र	10,000	11,474	15,000	15,406	12,000	13,474	3,000	2,535
उड़ीसा	7,000	7,964	7,500	8,128	6,000	6,046	2,500	1,751
पंजाब	4,000	3,868	6,000	5,524	8,000	5,818	1,375	1,875
राजस्थान	1,500	1,715	1,500	1,526	1,000	1,319	250	72
तमिलनाडु	4,000	3,205	2,000	2,000	1,500	1,500	375	222
उत्तर प्रदेश	11,000	11,070	12,000	12,040	8,500	8,645	2,125	1,766
पश्चिम बंगाल	8,000	8,210	10,000	11,336	8,510	10,010	3,750	3,823
के. वी. आई. सी. मुम्बई	40,000	40,018	40,000	46,265	30,000	36,701	9,150	6,552
अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/एजेंसी	5,585	7,172	7,800	6,883	4,040	4,053	3,151	1,337
कुल	1,65,000	1,69,889	1,75,000	1,74,665	1,33,500	1,49,607	42,002	26,448

विवरण-II

राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना के अंतर्गत वर्ष 1992–93 से 1994–95 के दौरान लगाए गए परिवार आकार के बायोगैस संयंत्रों के वर्ष 1995–96 में नेशनल काउंसिल ऑफ एपलाइड इकोनॉमिक रिसर्च, नई दिल्ली द्वारा किए गए मूल्यांकन सर्वेक्षण अध्ययन के तीसरे चरण में उल्लेख किए गए बंद पड़े संयंत्रों सहित कार्य कर रहे और कार्य न कर रहे संयंत्रों का सर्वेक्षण सैम्पल साईज तथा प्रतिशत संबंधी राज्य–वार सूचना।

राज्य	सर्वेक्षण सैम्पल साईज (उन परिवारों की सं. जिनके पास बायोगैस संयंत्र हैं)	कार्य कर रहे संयंत्र (सैम्पल का %)	कार्य नहीं कर रहे संयंत्र (सैम्पल का%)
आंध्र प्रदेश	362	90.6	9.4
असम	120	86.6	13.4
बिहार	179	67.6	32.4
गुजरात	370	94.1	5.9
हरियाणा	186	89.2	10.8
हिमाचल प्रदेश	143	83.9	16.1
कर्नाटक	271	93.7	6.3
केरल	191	97.9	2.1
मध्य प्रदेश	425	92.9	7.1
महाराष्ट्र	460	86.9	13.1
मेघालय	90	100.0	0.0
मिजोरम	76	86.8	13.2
उड़ीसा	282	90.1	9.9
राजस्थान	254	52.8	47.2
सिक्किम	85	85.8	14.2
तमिलनाडु	265	88.7	11.3
उत्तर प्रदेश	382	89.5	10.5
पश्चिम बंगाल	247	90.7	9.3
कुल/औसत	4388	87.4	12.6

गुजरात में आमान परिवर्तन

607. श्री चन्द्रेश पटेल :

श्री दिन्शा पटेल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार को गुजरात सरकार और राज्य के अन्य संगठनो के आमान परिवर्तन के लिये कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गयी है;

(ग) गुजरात में किन–किन रेल लाइनों को बड़ी लाइन में बदला जा रहा है और परियोजना–वार कितना कार्य पूरा किया जा चुका है; और

(घ) गुजरात में कौन–कौन सी नई रेल लाइन बनायी जा रही है और अभी तक परियोजना–वार कितना कार्य हो चुका है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) ब्यौरा इस प्रकार है :

प्रस्ताव	स्थिति
1	2
1. राजकोट–बेरावल का आमान परिवर्तन और उसका कोडिनार/ सोमनाथ तक विस्तार	राजकोट–बेरावल भाग का कार्य प्रगति पर है। यह कार्य संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आगामी वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा। लाइन के कोडिनार/ सोमनाथ तक के विस्तार के लिए सर्वेक्षण पहले ही पूरा कर लिया गया है और सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
2. पिपावाब तक विस्तार सहित सुरेन्द्रनगर–धौला–ढासा महुवा का आमान परिवर्तन	कार्य स्वीकृत कर दिया गया है। दीर्घकालिक मदों यथा बड़े पुलों, ओ. एच. ई. क्रॉसिंग शिफ्ट करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। कोई लक्ष्यतिथि निर्धारित नहीं की गई है।
3. वीरमगाम–मेहसाणा (भीलडी–वीरमगाम परियोजना का एक भाग) का आमान परिवर्तन	कार्य स्वीकृत कर दिया गया है। संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्य चल रहा है। कोई लक्ष्यतिथि निर्धारित नहीं की गई है।
4. मेहसाणा–पाटन (भीलडी–वीरमगाम परियोजना का एक भाग) का आमान परिवर्तन	संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार मेहसाणा–पाटन का आमान परिवर्तन किया जा रहा है। इस खंड पर पुलों के पुनर्निर्माण का कार्य पहले ही पूरा कर लिया गया है। कोई लक्ष्यतिथि निर्धारित नहीं की गई है।
5. नवलखि–दहीनसरा, मोरवी–वांकानेर और दहीनसरा–मलिया मियाणा का आमान परिवर्तन	कार्य स्वीकृत कर दिया गया है। पहला चरण मोरबी से मलिया मियाणा और दहीनसरा–नवलाखी पूरा कर लिया गया है। शेष खंड दिसंबर, 2000 तक पूरा हो जाने की आशा है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।
6. गांधीधाम–भुज–बलिया का आमान परिवर्तन	गांधीधाम–भुज का कार्य प्रगति पर है और जून, 2000 तक पूरा कर लेने का लक्ष्य है। भुज–नलिया के आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण पहले ही पूरा हो गया है और सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
7. गांधीधाम–सामख्याली–पालनपुर का आमान परिवर्तन	कार्य 1998–99 के बजट में शामिल कर लिया गया है और अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त कर लेने के पश्चात् शुरू करा दिया जाएगा।

1	2
8. ध्रांगध्रा–कुडा साल्ट साइडिंग का आमान परिवर्तन	कार्य पूरक बजट 1997–98 में शामिल कर लिया गया है। कार्य गुजरात सरकार और उद्योग मंत्रालय के साथ लागत में भागीदारी के आधार पर किया जा रहा है और दिसंबर, 2000 तक पूरा हो जाने की संभावना है, बशर्ते कि शेष राशि सहभागीदारों द्वारा उपलब्ध कर दी जाए।
9. भरुच–सामनी–दहेज का आमान परिवर्तन	भरुच–सामनी–दहेज, अहमदादबाद से बिरार तकप्रस्तावित तीसरी लाइन में शामिल किया गया है जिसके लिए सर्वेक्षण रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
10. अंकलेश्वर–राजपिपला का आमान परिवर्तन	विगत में किए गए सर्वेक्षणों से पता चला है कि इस लाइन की यातायात संभावनाएं अपर्याप्त हैं। इसलिए फिलहाल इस कार्य को शुरू करना संभव नहीं पाया गया है।
11. अहमदाबाद–हिम्मतनगर का आमान परिवर्तन	अहमदाबाद–हिम्मतनगर–उदयपुर के आमान परिवर्तन के लिए एक सर्वेक्षण पहले से ही चल रहा है। सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध होने पर परियोजना पर आगे विचार करना संभव होगा।
12. अहमदाबाद–विजापुर का आमान परिवर्तन	आमान परिवर्तन परियोजना के भारी बकाया कार्यों के दृष्टिगत फिलहाल इस खंड के आमान परिवर्तन का कोई प्रस्ताव नहीं है।
13. डभोई–मियागाम का आमान परिवर्तन	विरार–अहमदाबाद के बीच तीसरी लाइन से प्रस्तावित संरेखण की वैकल्पिक लाइन के रूप में इस लाइन के आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण पहले ही पूरा कर लिया गया है। बहरहाल इस लाइन पर तीसरी लाइन के रूप में विचार नहीं किया जा सका, क्योंकि विरार–अहमदाबाद बड़ी लाइन के पश्चिमी छोर के संरेखण परिचालनिक दृष्टि से अधिक उपयुक्त पाए गए हैं।
14. छोटा उदयपुर–प्रतापनगर का आमान परिवर्तन	इस लाइन के आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण पहले से ही चल रहा है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के उपलब्ध होने पर परियोजना पर आगे विचार करना संभव होगा।

(घ) गुजरात में नई रेल लाइन परियोजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है :

परियोजना	स्थिति
1. कपड़वंज–मोडासा के लिए नई लाइन	कार्य अच्छी प्रगति पर है और इसे जून, 2000 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
2. गोधरा–दाहोद–इंदौर और देवास मक्सी के लिए – नई लाइन	यह कार्य चरणों में किया जा रहा है। देवास–मकसी चरण–I का कार्य प्रगति पर है और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आगामी वर्षों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण का कार्य पूरा होते ही गोधरा–इंदौरा, चरण–II का कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम में गेहूं का भण्डार

608. श्री जे. एस. बराड़ :

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल :

श्री नवल किशोर राय :

क्या **उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996–97, 1997–98, 1998–99 और 1999–2000 के दौरान अक्तूबर, 1999 तक गेहूं और चावल की वास्तविक मांग तथा भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध भंडार का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा कितने गेहूं और चावल की खरीद की गई;

(ग) वर्ष 1999–2000 के दौरान देश में गेहूं और चावल की अनुमानित आवश्यकता कितनी है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा कितनी मात्रा में गेहूं और चावल का निर्यात/आयात किया गया; और

(ङ) देश में आवश्यकता से अधिक गेहूं और चावल होने के बाद इन वस्तुओं का आयात करने के पीछे क्या तर्क है ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) राज्यों को किए जाने वाले आबंटन पर आधारित गेहूं और चावल की मांग निम्नानुसार है :

(लाख टन में)

वर्ष	चावल	गेहूं
1996–97	150.09	105.37
1997–98	126.56	99.24
1998–99	127.57	99.20
1999–2000 (अक्तूबर, 99 तक)	77.07	59.62

इन वर्षों में भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध चावल और गेहूं का स्टाक निम्नानुसार है :

(लाख टन में)

वर्ष	निम्न तारीख को स्टाक							
	पहली जनवरी		पहली जून		पहली अक्तूबर		पहली दिसम्बर	
	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं
1996	154.09	131.47	130.6C	77.62	128.82	141.31	93.40	105.42
1997	129.40	70.82	131.70	32.40	109.50	114.20	70.38	83.04
1998	114.86	67.56	130.47	50.75	120.39	164.76	89.59	152.38
1999	116.83	126.96	117.39	99.21	107.35	216.35	88.18	204.05

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों/एजेन्सियों द्वारा वसूल की गई गेहूं और चावल की मात्रा निम्नानुसार है :

(लाख टन में)

वर्ष	चावल	गेहूं
1996–97	122.22	81.57
1997–98	143.08	92.98
1998–99	117.79	126.52
1999–2000 (अक्तूबर, 99 तक)	61.41	141.38

(ग) व्यावहारिक दृष्टिकोण के अनुसार 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष अर्थात् 2001-2002 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की 6 प्रतिशत वृद्धि दर के आधार पर चावल और गेहूं की मांग क्रमशः 90.75 मिलियन टन और 68.50 मिलियन टन अनुमानित है।

(घ) 1996–97 से सरकार ने सीधे गेहूं अथवा चावल का कोई निर्यात नहीं किया है। 1996–97 से सरकार ने चावल का आयात नहीं किया है। उपर्युक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा आयात किए गए गेहूं की मात्रा निम्नानुसार है :

वर्ष	मात्रा लाख टन में
1996–97	17.51
1997–98	10.18
1998–99	14.15
1999–2000 (अक्तूबर, 99 तक)	शून्य

(ङ) गेहूं की स्टाक स्थिति और रबी मौसम 1997–98 के दौरान उत्पादन प्रवृत्ति और गेहूं के 1998–99 में किए जाने वाले विपणन की समीक्षा करने के बाद सरकार ने 1998–99 में 20 लाख टन तक गेहूं का आयात करने का निर्णय लिया है। तथापि, 20 लाख टन के प्राधिकार के प्रति केवल 14.15 लाख टन का आयात किया गया था।

मूल्य सूचकांक

609. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल :

श्री शंकर सिंह वाघेला :

क्या **उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 16 अक्तूबर, 1999 को डीजल के मूल्य में हुई वृद्धि के बाद थोक मूल्य सूचकांक मं 2.84 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या आवश्यक वस्तुओं की दुलाई ही कीमत में उक्त बढ़ोत्तरी का कारण है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (ग) डीजल के निर्देशित मूल्यों में 5.10.99 को वृद्धि की गई थी। समस्त वस्तु थोक मूल्य सूचकांक में अंतरों पर आधारित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर मूल्य वृद्धि से पूर्व 2.10.99 को 2.0% की तुलना में 16.10.99 को 2.84% आंकी गई थी। थोक मूल्य सूचकांकों में हुई समूची वृद्धि का कारण डीजल के मूल्यों में हुई वृद्धि को नहीं माना जा सकता है। मुद्रास्फीति की वार्षिक दर पर डीजल के मूल्यों में वृद्धि का सीधा प्रभाव लगभग 0.7% आंका गया है। अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर डीजल के मूल्यों में की गई वृद्धि का मामूली प्रभाव पड़ने का अनुमान लगाया गया है।

[अनुवाद]

बोफोर्स द्वारा प्रौद्योगिकी-हस्तांतरण

610. श्री किरीट सोमैया : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोफोर्स की मुख्य कंपनी सेल्सियस ने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के प्रति सहमति व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2000 के बाद भी प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को जारी रखने के लिए बोफोर्स के साथ हुए समझौते में इस शर्त को शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इस प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण से क्या–क्या लाभ होने की संभावना है और भारत में कब तक बोफोर्स हथियारों का निर्माण आरम्भ हो जाने की संभावना है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (ग) प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए रक्षा मंत्रालय और तत्कालीन ए. बी. बोफोर्स, स्वीडन, जिसकी उत्तराधिकारी कम्पनी सेल्सियस है, के बीच मार्च, 86 में पहले ही एक लाइसेंस करार किया गया था। यह करार मार्च, 2001 तक लागू है। इसे आपसी समझौते से और आगे बढ़ाया जा सकता है।

(घ) इससे होने वाले संभावित लाभ अन्य जगह की सेनाओं द्वारा फिलहाल अपनाई जा रही है प्रौद्योगिकियों के मद्देनजर उपलब्ध करवाई गई उन्नयित प्रौद्योगिकी के तुलनात्मक लाभों पर निर्भर होंगे।

[अनुवाद]

देश में पिछड़े जिले

611. श्री टी. टी. वी. दिनाकरन : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य–वार कौन–कौन से जिले पिछड़े जिले घोषित किये गये हैं; और

(ख) उनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) और (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में ढांचा विकास के लिए विशेष कार्य योजना बनाने के उद्देश्य से देश में 100 सबसे पिछड़े तथा गरीब जिलों की पहचान करने के लिए डॉ. ई. ए. एस. सर्मा की अध्यक्षता में एक समिति गठित

की गई थी। समिति ने 100 सबसे पिछड़े तथा गरीब जिलों की पहचान करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है (विवरण संलग्न)। सर्मा समिति की रिपोर्ट टिप्पणी के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेज दी गई है।

विवरण

100 सबसे पिछड़े तथा गरीब जिलों की सूची (राज्यवार)

बिहार

1. नालन्दा
2. भोजपुर
3. रांची
4. औरंगाबाद
5. जहानाबाद
6. गया
7. नवादा
8. सारण
9. सीवान
10. गोपालगंज
11. पश्चिम चम्पारण
12. पूर्वी चम्पारण
13. सीतामढ़ी
14. मुजफ्फरपुर
15. वैशाली
16. बेगूसराय
17. समस्तीपुर
18. दरभंगा
19. मधुबनी
20. सहरसा
21. मधेपुरा
22. पुर्णिया
23. कटिहार
24. खगड़िया
25. मुंगेर
26. भागलपुर
27. गोडा
28. साहेबगंज
29. दुमका
30. देवघर
31. गिरिडीह
32. हजारीबाग
33. पलामू
34. लोहारदगा
35. गुमला
36. पश्चिम सिंहभूम
37. अररिया
38. किशनगंज

दादरा व नगर हवेली

39. दादरा एवं नगर हवेली

हरियाणा

40. कैथल

हिमाचल प्रदेश

41. हमीरपुर

कर्नाटक

42. बिदर

मध्य प्रदेश

43. टीकमगढ़
44. छतरपुर
45. पन्ना

46. सागर
47. दमोह
48. खारगांव
49. खंडवा
50. बिदिशा
51. सिवहर
52. रायसेन
53. बेतूल
54. होशंगाबाद
55. नरसिंहपुर
56. मंडला
57. छिंदवाड़ा
58. सियोनी
59. बालाघाट
60. राजनांदगांव
61. सरगुजा

महाराष्ट्र

62. औरंगाबाद
63. जलना
64. परभनी
65. बीड़
66. नांदेड़
67. उस्मानाबाद
68. लातूर
69. बुलडाना
70. गढ़चिरौली
71. यावतमाल

उड़ीसा

72. फूलबनी
73. कालाहांडी
74. कोरापुट
75. क्योंझर

राजस्थान

76. डूंगरपुर
77. बांसवाड़ा

सिक्किम

78. पश्चिम सिक्किम
79. दक्षिण सिक्किम

उत्तर प्रदेश

80. सीतापुर
81. हरदोई
82. उन्नाव
83. रायबरेली
84. जालौन
85. ललितपुर
86. हमीरपुर
87. बांदा
88. फतेहपुर
89. प्रतापगढ़
90. बहराइच
91. बाराबंकी
92. सिद्धार्थनगर
93. महाराजगंज
94. झांसी
95. मऊ

96. कानपुर देहात

पश्चिम बंगाल

97. कूच बिहार

98. जलपाईगुड़ी

99. मालदा

100. दार्जिलिंग

स्कैम इन सप्लाई ऑफ वुडन स्लीपर्स

612. डॉ. मंदा जगन्नाथ :

श्री के. येरननायडू :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 अगस्त, 1999 के 'द हिंदू' में 'स्केम इन सप्लाई ऑफ वुडन स्लीपर्स टू रेलवेज' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें वर्णित तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) मैसर्स गुजरात राज्य वन विकास निगम वड़ोदरा ने 02.3.93 के ठेके के तहत 15000 घनमीटर लकड़ी के स्लीपरों की सप्लाई की थी। इस ठेके के अंतर्गत उत्तर रेलवे को सप्लाई किए गए स्लीपर खराब पाए गए थे।

15000 घनमीटर की कुल मात्रा में से 2200 घनमीटर (15890 स्लीपर) उत्तर रेलवे निर्माण संगठन को सप्लाई किए गए थे। इस खेप में से उत्तर रेलवे द्वारा अगस्त, 95 में 8162 अदद स्लीपर प्राप्त किए गए थे। उस समय, एक शिकायत मिलने पर, उपलब्ध सभी 6561 स्लीपरों की जांच की गई थी और इनमें से 6016 स्लीपर खराब पाए गए थे।

इस मामले में तीन रेल अधिकारियों को जिम्मेदार समझा गया था और केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से उनके विरुद्ध अनुशासन और अपील नियमों के तहत अनुशासनिक कार्रवाई की गई है।

रेलवे अधिकारियों के अलावा, कुछ अन्य गैर रेलवे एजेंसियां भी शामिल हैं। बहरहाल, उनकी आपराधिक संलिप्तता का निर्धारण करने के लिए यह मामला विस्तृत जांच हेतु केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेज दिया गया है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने यह मामला दर्ज कर लिया है और जांच कार्य जारी है।

[हिन्दी]

बिना टिकट यात्रा के कारण नुकसान

613. श्री रामपाल सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिना टिकट यात्रा के कारण सरकार को कितना वार्षिक नुकसान हुआ;

(ख) क्या बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिये सरकार ने कोई योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) बिना टिकट यात्रा के कारण होने वाली हानि का सही-सही आकलन नहीं किया जा सकता है। बिना टिकट यात्रा की बुराई को रोकने के लिए रेलवे मजिस्ट्रेट और पुलिस कर्मियों की सहायता से टिकट जांच कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा विभिन्न प्रकार की जांच की जाती है। इसके अलावा, समय-समय पर विशेष अभियान भी चलाए जाते हैं।

[अनुवाद]

बंगलादेश के साथ रेल लिंक

614. श्री राम नायडू दग्गुबाटि : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत और बंगलादेश के बीच रेल लिंक के क्रियान्वित किये जाने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक इन दोनों देशों के बीच रेल सेवा शुरू किये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) भारत और बंगलादेश में बीच पहले से ही चार रेल संपर्क परिचालन में हैं जो इस प्रकार हैं :

(i) गेडे (भारत)-दर्शाना (बंगलादेश)-बड़ी लाइन

(ii) सिंहबाद (भारत)-रोहनपुर (बंगलादेश)-बड़ी लाइन

(iii) राधिकापुर (भारत)-बिरोल (बंगलादेश)-मीटर लाइन

(iv) महिसाषन (भारत)-शाहबाजपुर (बंगलादेश)-मीटर लाइन

एक और पांचवीं रेल संपर्क अर्थात् पेट्रोफोल (भारत)-बेनापोल (बंगलादेश) बड़ी लाइन, को शीघ्र खोले जाने की संभावना है।

उपर्युक्त के अलावा, अगरतला (भारत)–अखोरा (बंगलादेश के बीच) एक और रेल संपर्क खोलने/स्थापित करने के लिए भारत और बंगलादेश सैद्धान्तिक रूप से सहमत हो गए हैं।

(ख) उपरिलिखित प्रथम तीन अंतरबदल केन्द्रों के जरिए माल गाडियां पहले से ही चल रही हैं और चौथे अंतरबदल केंद्र अर्थात महीसाषन–शाहबाजपुर पर कोई यातायात उपलब्ध नहीं है।

यह भी बताया गया है कि इस समय भारत और बंगलादेश के बीच किसी भी मार्ग के जरिए कोई यात्री सेवा नहीं है।

नए उपग्रह की निगरानी संभावनाएं बढ़ाना

615. श्री विलास मुत्तेमवार :

श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हाल में कारगिल की घुसपैठ के मद्देनजर उन्नत उपकरण युक्त पृथ्वी की तस्वीर लेने वाले उपग्रह की नई शृंखलाओं वाले प्रथम कार्टोसेट–1 उपग्रह के माध्यम से निगरानी संभावनाएं बढ़ाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रक्षेपास्त्र की मुख्य विशेषताएं क्या होंगी तथा पर्वतों में यह इन घुसपैठियों की रोक–थाम करने हेतु कहां तक सहायक होगा तथा इसे छोड़े जाने में कितना खर्च आएगा ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम मुख्यतः सिविलियन अनुप्रयोगों के लिए है। कार्टोसेट भी सिविलियन इस्तेमाल के लिए है।

(ख) राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से सदन में यह सूचना प्रकट करना वांछनीय नहीं होगा।

लूमडिंग-सिल्चर रेल लाइन का आमान परिवर्तन

616. श्री नेपाल चन्द्र दास : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या असम में लूमडिंग–सिल्चर रेल लाइन का आमान परिवर्तन बहुत धीमी गति से चल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) लम्डिंग–सिलचर लाइन के मौजूदा संरेखण पर लम्डिंग और बदरपुर के बीच कुछ ढाल और घुमाव है जो ब. ला. परिचालन के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके दृष्टिगत अपेक्षित मार्ग परिवर्तन का पता लगाने के लिए मैं. राइटस के माध्यम से अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू किया गया है। बदरपुर और सिलचर के बीच कार्य शुरू कर दिया गया है और यह संतोषजनक प्रगति पर है। लम्डिंग और हथिख अल्ली जहां राइटस ने सर्वेक्षण पूरा कर लिया है, के बीच भी कार्य शुरू किया जा रहा है। इस कार्य की लक्ष्य तिथि अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण के पूरा होने पर पहचाने गए कार्यों की मदों और आगामी वर्षों में धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

सिक्किम आए पर्यटक

617. श्री भीम दाहाल : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998–1999 के दौरान सिक्किम में कितने पर्यटक आए;

(ख) पिछले वर्ष की तुलना में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती) : (क) राज्य से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1998–99 के दौरान सिक्किम आने वाले पर्यटकों की संख्या 1,42,096 थी।

(ख) जी, हां।

(ग) वर्ष 1997–98 के दौरान सिक्किम आने वाले पर्यटकों की संख्या 1,27,980 थी।

एअर इंडिया में घाटा

618. श्रीमती श्यामा सिंह :

श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया के व्यावसायिक खंड में भ्रष्टाचार के कारण प्रति वर्ष करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस क्षति के लिए उत्तरदायी कारणों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को व्यावसायिक खंड में व्याप्त बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के बारे में कुछ शिकायतें भी मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ङ) एअर इंडिया के वाणिज्यिक खंड के कार्य संचालन के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं। इनकी जांच–पड़ताल की जा रही है।

रेल परियोजनाएं

619. श्री प्रियरंजन दासमुंशी :

श्री हन्नान मोल्लाह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल की कई रेल परियोजनाएं सरकार के पास लंबित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार को उक्त परियोजनाएं शीघ्र पूरा करने के संबंध में 13 अक्टूबर, 1999 और 9 नवम्बर, 1999 को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) उक्त परियोजनाएं कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) पश्चिम बंगाल में बहुत–सी रेल परियोजनाएं शुरू की गई हैं। भूमि अधिग्रहण में समस्याएं, संसाधनों की कमी आदि जैसे विभिन्न कारणों से कुछ परियोजनाओं के निष्पादन में विलम्ब हुआ है। बहरहाल इन कार्यों के शीघ्र निष्पादन के लिए अब प्रयास किए जा रहे हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

परियोजनाओं का ब्यौरा और मौजूदा स्थिति निम्नानुसार है :

योजना	रेलवे	राज्य	परियोजना	अनुमोदन का वर्ष	किलोमीटर	लागत	31.3.1999 तक व्यय	परिव्यय 1999–2000	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 नई लाइन	पूर्व रेलवे	बिहार, पश्चिम बंगाल	मंदारहिल–रामपुरहाट बरास्ता दुमका	1994–95	130	170.5	6.47	4	अंतिम स्थान निर्धारण संवेक्षण पूरा हो चुका है। मंदारहिल छोर से 20 कि. मी. दूरी के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी नक्शे और दस्तावेज राज्य सरकार को प्रस्तुत किए जा चुके हैं। राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध करा दिए जाने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा।
1 नई लाइन	पूर्व रेलवे	पश्चिम बंगाल	लक्ष्मीकांतपुर–नामखाना	1987–88	47.5	72.92	57.81	11	यह कार्य चरणबद्ध आधार पर प्रगति पर है जिसमें प्रथम चरण लक्ष्मीकांतपुर से काकद्वीप तक है। लक्ष्मीकांतपुर से काशीनगर (31 कि. मी.) तक खंड यातायात के लिए पहले ही खोला जा चुका है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									(3.16 कि. मी.) के बीच कार्य प्रगति पर है। बहरहाल, 2 कि. मी. लम्बाई में भूमि राज्य सरकार द्वारा अभी सौंपी जानी है। भूमि उपलब्ध हो जाने के बाद 1 वर्ष के भीतर चरण–1 का कार्य पूरा हो जाएगा। काकद्वीप से नामखाना तक चरण–2 का कार्य अब आरंभ कर दिया गया है। कार्य आरंभ के लिए आवश्यक व्यवस्था की जा रही है।
1 नई लाइन	पूर्व रेलवे	पश्चिम बंगाल	बोगांव–पेट्रोपोल	1997–98	6	3.7	0.7	3	यह कार्य पूरा हो चुका है।
1 नई लाइन	पू. सी. रेलवे	पश्चिम बंगाल	एकलाखी–बालूरघाट	1984–85	87	82.45	25.9	20	कार्य प्रगति पर है। एकलाखी से गाजौल (14 कि. मी.) तक प्रथम ब्लाक खंड पर मिट्टी और पुल संबंधी कार्य पूरा होने के निकट है और इस खंड पर तल्प एवं पुल तैयार हैं। गाजौल से बुनियादपुर (14 कि. मी.) तक भूमि अधिग्रहण नक्शे राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिए गए हैं। भूमि टुकड़ों में प्राप्त हुई है और शेष भूमि शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा है। भूमि सौंपे जाने के बाद ही कार्य आरंभ किया जाएगा।
1 नई लाइन	द. पू. रेलवे	पश्चिम बंगाल	हवड़ा–अमटा	1974–75	73.5	120	31.19	10	हवड़ा से बड़गछिया (24 कि. मी.) तक कार्य पूरा करने के बाद यह कार्य रोक दिया गया था। माननीय सदस्यों की पुरजोर मांगों के कारण यह कार्य बड़गछिया से मुंशीरहाट (8 कि. मी.) तक के लिए दोबारा आरंभ किया गया है। इस 8 कि. मी. लम्बे खंड पर कार्य अच्छी प्रगति पर है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									बहरहाल, राज्य सरकार ने 3 कि. मी. के लिए भूमि अभी तक नहीं सौंपी है। खंड (7) के अंतर्गत अधिसूचना जारी की जा चुकी है और राज्य सरकार ने सूचित किया है कि भूमि शीघ्र ही उपलब्ध करा दी जाएगी। भूमि उपलब्ध हो जाने के एक वर्ष के भीतर ही बड़गठिया–मंशीरहाट तक लाइन पूरी कर ली जाएगी।
1 नई लाइन	द. पू. रेलवे	पश्चिम बंगाल	तामलुक–दीघा	1984–85	87.5	73.71	38.79	14	कि. मी. 0 से 28 तक मिट्टी एवं पुल संबंधी और हल्दी नदी पर बड़े पुलों पर कार्य प्रगति पर है और कि. मी. 28 से 35 तक के लिए निविदा पर कार्रवाई की जा रही है। कि. मी. 35 से 86 तक भूमि अधिग्रहण राज्य सरकार द्वारा अभी किया जाना है।
2. आमान परिवर्तन	पू. सी. रेलवे	बिहार, पश्चिम बंगाल	कटिहार–मंडल मी. ला. से ब. ला.	1996–97	0.69	1.11	0.88	0.0001	कार्य प्रगति पर है।
2. आमान परिवर्तन	पू. सी. रेलवे	असम, पश्चिम बंगाल	न्यू जलपाईगुड़ी–सिलीगुड़ी	1997–98	280	535.9	0.001	69	अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त हो चुकी हैं। 125 कि. मी. के लिए मिट्टी और पुल संबंधी कार्यों हेतु निविदा आमंत्रित की गई है। अन्य 170 कि. मी. लम्बाई और 4 पुलों के लिए भी निविदा आमंत्रित की गई है।
2 आमान परिवर्तन	द. पू. रेलवे	पश्चिम बंगाल	बांकूरा–दामोदर वेली	1998–99	96	100	0.0001	5	कार्य 1988–99 के बजट में शामिल है। यह कार्य आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। कार्य आरंभ करने के लिए प्रारंभिक व्यवस्था की जा रही है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3दोहरी–करण	पूर्व रेलवे	पश्चिम बंगाल	गुरुप–शक्तिगढ़	1996–97 तीसरी लाइन	26	41.53	2.1	2	नक्शों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। परिचालनिक दृष्टि से इस कार्य की निम्न प्राथमिकता है और धन की उपलब्धता के अनुसार इसकी प्रगति की जाएगी।
3 दोहरी–करण	पूर्व रेलवे	पश्चिम बंगाल, बिहार	साहिबगंज, न्यू फरक्का, मालडा	1986–87	49.5	62.35	61.2	0.15	यह कार्य पूरा हो चुका है और खोल दिया गया है।
3 डीएल	पू. रे.	प. बंगाल	खाना–सैंथिया चरण–I	1992–93	5	12.27	10.82	1	यह कार्य पूर्व में रोक दिया गया था। रोकने का पहला कारण कोर्ट केश तथा संविदागत समस्याएं और फिर डीवीसी द्वारा अधिक पानी छोड़ने के कारण क्षेत्र में बाढ़ आ जाना था। कार्य अब दिसंबर, 2000 तक पूरा कर लेने की संभावना है जिसमें खाना में ऊपरी पुल का निर्माण शामिल है।
3 डीएल	पू. रे.	प. बंगाल	झापटेरढाल–गुसकरा चरण–II	1993–94	15.2	11.46	9.26	2.2	झापटेरढाल–बोनपास (5.4 कि.मी.) और बोनपास–नौघनढाल (5 कि. मी.) दो ब्लाक खंडों का कार्य पूरा कर लिया गया। शेष खंड पर कार्य फरवरी, 2000 तक पूरा कर लिया जाएगा।
3 डीएल	पू. रे.	प. बंगाल	गुसकरा–बोलपुर चरण–III	1995–96	19	24.14	12.75	7	कार्य प्रगति पर है। गुसकरा से पिचकुरीढाल (5.5 कि. मी.) तक का खंड पूरा हो गया है और शेष खंड दिसंबर, 2000 तक पूरा हो जाने की संभावना है, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हो।
3 डीएल	पू. रे.	प. बंगाल	न्यू अलीपुर–आकरा चरण–I	1996–97	9	11.82	0.11	2	योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है। इस कार्य की परिचालनिक प्राथमिकता सापेक्ष रूप से निम्न है और

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्रगति करेगा। निविदा दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं।
3 डीएल	पू. रे.	प. बंगाल	चंदनपुर–गुरुप तीसरी लाइन	1994–95	17	23.82	5.65	15	कार्य प्रगति पर है और चेराग्राम–गुड़ुप (5 कि. मी.) दिसंबर, 99 तक पूरा कर लिया जाएगा। कार्य 2000–2001 में पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हो।
3 डीएल	पू. रे.	प. बंगाल	बजबज–आकरा चरण–I	1995–96	6.09	10.37	3.36	1	आकरा–ननगी और ननगी–बजबज खंड इस वित्त वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा।
3 डीएल	पू. सी. रे.	प. बंगाल	अलुआबाड़ी रोड–किशनगंज	1989–90	40	49.27	49.22	0.05	कार्य पूरा हो गया है और चालू हो गया।
3 डीएल	पू. सी. रे.	प. बंगाल बिहार	किशनगंज–दलकोल्हा	1990–91	28	43.73	20.47	15	भूमि संबंधी कार्य, छोटे और बड़े पुल प्रगति पर हैं। किशनगंज–हटवाड़–कनकी (14 कि. मी.) दो ब्लाक खंड पूरे हो गए हैं और शेष मार्च, 2000 तक पूरा हो जाएगा।
4 मपप	पू. रे.	प. बंगाल	दमदम–गड़िया द्रुत पारगमन का विकल्प और निर्माण	1972–73	22	2402	1648.4	36	दमदम से टालीगंज 27.9.1995 को चालू हो गया। चालू परियोजना के महत्त्वपूर्ण आशोधन के रूप में टालीगंज से गड़िया तक मेट्रो रेल का विस्तार कार्य शुरू कर दिया गया है। मिट्टी संबंधी जांच, संरचनात्मक अभिकल्प आदि सहित इंजीनियरिंग सर्वेक्षण के लिए कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी गई है। 3.2 कि.मी. में मिट्टी संबंधी जांच का कार्य पूरा हो गया है। लक्ष्यतिथि 2005 है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 मपप	पू. रे.	प. बंगाल	दमदम–साला सहित सर्कुलर रेलवे	1984–85	18.5	121.4	37	11.94	प्रिंसेपघाट तक लाइन 17.6. 1990 को खोल दी गई। प्रिंसेपघाट से माजेरहाट तक विस्तार का कार्य चालू परियोजना के आशोधन के रूप में शुरू किया गया है। विस्तृत इंजीनियरी सर्वेक्षण कार्य पहले ही शुरू कर दिया गया है। प्रस्तावित हेस्टिंग्स स्थल के निकट भूमि के अधिग्रहण का मामला अभी तक निपटा नहीं है। लक्ष्यतिथि मार्च, 2004 है।
4 मपप	पू. रे.	प. बंगाल	राणाघाट–बोगांव विद्युतीकरण	1997–98		14.78	1.5	10	विस्तृत अनुमान स्वीकृत हो गया है। कार्य प्रगति पर है।
4 मपप	पू. रे.	प. बंगाल	राणाघाट–गेडे विद्युतीकरण	1997–98	44	32.35	1.5	15	विस्तृत अनुमान स्वीकृत हो गया है। कार्य प्रगति पर है।
4 मपप	पू. रे.	प. बंगाल	विद्युतीकरण–हसनाबाद से बारासात	1998–99	74	37.46	0	5	नया कार्य बजट 1998–99 में शामिल किया गया है। विस्तृत अनुमान अगस्त, 99 में स्वीकृत कर दिया गया है। कार्य प्रगति पर है।
5 रेल विद्युती करण	पू. रे.	बिहार, उ. प्र. प. बंगाल	सीतारामपुर–दानापुर–मुगलसराय	1991–92	562	330.8	203.8	68.53	286 मार्ग कि. मी. मार्च, 99 तक ऊर्जित कर दिया गया। कानून और व्यवस्था की खराब स्थिति और ठेकेदार की विफलता के कारण कार्य की प्रगति धीमी रही है। कार्य अब दिसंबर, 2000 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
5 रेल विद्युती करण	द. पू. रे.	प. बंगाल	आद्रा–मिदनापुर	1993–94	155	84.41	47.71	23	पूरा खंड मार्च, 2000 तक पूरा करने का लक्ष्य है। 125 मार्ग कि. मी. मार्च, 1999 तक ऊर्जित कर दिया गया।
5 रेल विद्युती करण	पू.रे.	प. बंगाल	खड़गपुर–भुवनेश्वर तालचेर–पाराद्वीप सहित	1995-96	540	310.2	71.2	5027	पहले इस कार्य को बोल्ट योजना के अन्तर्गत करने की योजना बनाई गई थी।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									बहरहाल, अधिक दर और अस्वीकार्य परिस्थितियों के कारण फरवरी, 97 में इस कार्य को रेलवे निधि से करने का विनिश्चय किया गया है। 56 मार्ग कि. मी. 31.3.99 तक ऊर्जित कर दिया गया। इस कार्य का अब मार्च, 2002 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

रेलगाड़ियों में खान-पान सुविधाएं

620. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मेल/एक्सप्रेस/सुपर फास्ट रैलगाड़ियों में खान–पान सुविधाएं; उपलब्ध कराने वाली एजेंसियों के अनुपालनार्थ कोई मानदंड निर्धारित किए हैं या निर्धारित किए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा महाराष्ट्र में ऐसी एजेंसियां कौन–कौन सी हैं;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय रेल खान–पान व्यवस्था को निगमित करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) गाड़ियों में पूर्व–निर्धारित दरों पर अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विस्तृत मानदंड निर्धारित किए गए हैं जिसमें व्यंजन–सूची, पैकिंग, प्रस्तुतीकरण आदि शामिल हैं।

लाइसेंस–धारकों के संबंध में राज्य–वार सूचना नहीं रखी जाती है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) मंत्रिमंडल के अनुमोदन से रेल मंत्रालय के अधीन एक खान–पान एवं पर्यटन निगम की स्थापना की गई है। यह निगम भारतीय रेलों में खान–पान की सेवाओं के आधुनिकीकरण और मानकीकरण का कार्य शुरू करेगा।

लेवी चीनी की कीमत का निर्धारण

621. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उस लेवी चीनी के मूल्य का निर्धारण किया है जिसे 1998–99 के दौरान चीनी मिलों से खरीदा गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) लेवी चीनी की कीमतों को कब तक निर्धारित किए जाने की संभावना है; और

(घ) चीनी मिलों को ब्याज समेत बकाया भुगतान कब तक कर दिए जाने की संभावना है ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ग) चीनी मौसम 1998–99 के लिए लेवी चीनी का मूल्य 29.11.1999 को अधिसूचित कर दिया गया है।

(घ) चीनी मिलों को देय अन्तर की राशि, बिना ब्याज के, उन्हें बिल प्रस्तुत करने पर अदा की जाती है।

[हिन्दी]

वातानुकूलित वैगनों का निर्माण

622. श्रीमती जयश्री बैनर्जी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वातानुकूलित वैगनों का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) क्या वे वैगन साग–सब्जियों, पान इत्यादि के परिवहन के लिए उपयोगी हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या जबलपुर के पान–उत्पादकों को इन वातानुकूलित वैगनों की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

अहमदाबाद-नैरोबी सेक्टर में सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान

623. श्री दिन्शा पटेल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद और नैरोबी के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू करने के लिए गुजरात सरकार से केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिये जाने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) हाल में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम

624. श्रीमती शीला गौतम :

श्री आर. एल. जालप्पा :

क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त कार्यक्रम के लिए वर्ष 1999–2000 के दौरान राज्य–वार कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ग) इन कार्यक्रमों से लोगों को उनके अधिकारों के बारे में किस सीमा तक सहायता मिलने की संभावना है ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (ग) विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 1999 के अवसर पर सरकार ने देश में उपभोक्ता जागरूकता फैलाने की दृष्टि से निम्नलिखित उपाय किए :

(i) विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय के जरिए एक आउटडोर प्रचार अभियान चलाया गया।

(ii) आकाशवाणी तथा दूरदर्शन से उपभोक्ता संरक्षण के बारे में कार्यक्रम प्रसारित तथा टेलीकास्ट करने के लिए कहा गया।

(iii) उपभोक्ता जागरूकता का प्रसार करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, केंद्रीय मंत्रालयों, व्यापार व उद्योग संगठनों तथा स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों से विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस को समुचित तरीके से मनाने के लिए कहा गया।

(iv) उपभोक्ताओं को सूचना वितरित करने के लिए उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर चार उपभोक्ता सूचना केंद्र खोले गए।

(v) उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च, 1999 को उपभोक्ता मामले विभाग के कार्यकरण के बारे में सूचना उपलब्ध करवाने के लिए एक वेबसाइट शुरू किया गया।

(vi) उपभोक्ता संरक्षण पर नई दिल्ली में एक संगोष्ठी आयोजित की गई।

(vii) क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय भाषाओं के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में एक परिशिष्ट निकाला गया, जिसमें उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई।

ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित करने से देश के उपभोक्ताओं में जागरूकता पैदा करने में निश्चित रूप से बहुत सहायता मिलेगी। उपभोक्ता जागरूकता में वृद्धि करने के लिए वर्ष 1999–2000 हेतु विज्ञापन तथा प्रचार के लिए 2.07 करोड़ रुपए का बजट आबंटन है। राज्य–वार आबंटन नहीं किया जाता है।

[हिन्दी]

रांची से दिल्ली और मुम्बई के लिए विमान सेवा

625. श्री राम टहल चौधरी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस ने रांची से दिल्ली और रांची से मुम्बई के लिए दैनिक विमान सेवा आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) इंडियन एयरलाइंस 29 मार्च, 1999 से मुम्बई–दिल्ली–पटना–रांची तथा वापसी मार्ग पर दैनिक ए–320 विमान सेवा प्रचालित कर रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

झांसी मंडल में रेल दुर्घटना

626. श्री अधीर चौधरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 16 जुलाई, 1999 को मध्य रेल के झांसी मंडल के फराह और बाड़ स्टेशनों के बीच नई दिल्ली जाने वाली जी. टी. एक्सप्रेस की एक माल गाड़ी से टक्कर हुई थी;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना में कितने व्यक्ति मारे गए तथा इसमें कितने मूल्य की सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ;

(ग) क्या दुर्घटना के कारणों की जांच पूरी हो गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) दुर्घटना के शिकार लोगों को दिए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है;

(च) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) इस दुर्घटना में मारे गए व्यक्तियों की संख्या 21 है और सरकारी संपत्ति को हुई क्षति अनुमानतः 7.66 करोड़ रुपए है।

(ग) जी, हां।

(घ) दुर्घटना का कारण अप मालगाड़ी के ड्राइवर तथा नियंत्रकों द्वारा निर्धारित नियमों और निर्देशों का अनुपालन न किया जाना निर्धारित किया गया है।

(ङ) अभी तक किसी क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया गया है क्योंकि अभी तक दायर किए गए आवेदनों पर रेल दावा अधिकरण ने कोई निर्णय नहीं दिया है।

(च) यात्रियों के लिए संरक्षा में सुधार लाने के लिए गाड़ी दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु निम्नलिखित प्रमुख उपाय किए गए हैं :

1 सभी यात्री गाड़ियों के ड्राइवरों और गार्डों को वॉकी–टॉकी सप्लाई किए गए हैं। इन्हें मालगाड़ियों के ड्राइवरों और गार्डों को भी सप्लाई किया जा रहा है। और इस कार्य को 31 मार्च, 2000 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

2. संरक्षा कोटि से संबंधित कर्मचारियों को गहन प्रशिक्षण परामर्श तथा उनकी विशेष निगरानी।

3. दुर्घटनाओं के कारणों का सही–सही पता लगाने और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की रोकथाम करने के लिए सभी रेल दुर्घटनाओं की व्यापक जांच करना। दुर्घटना करने के लिए जिम्मेवार कर्मचारियों के विरुद्ध निवारक कार्रवाई तथा रेल परिचालन की संरक्षा में सुधार लाने के लिए प्रणाली में सुधार लाने की कार्रवाई शुरू की जा रही है।

4. संरक्षा संबंधी कार्यों के लिए संरक्षा कोटि के कर्मचारियों की सक्षमता तथा उपयुक्तता सुनिश्चित करने हेतु उनके लिए गहन प्रशिक्षण और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम तथा उनकी आवधिक चिकित्सा जांच/कर्मचारियों में संरक्षा के बारे में जागरूकता लाने के लिए लगातार संरक्षा संबंधी शिविर और सेमिनार आयोजित किए जाते हैं।

5. नाजुक क्षेत्रों तथा दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाना तथा भेद्य रेलपथ और चल स्टॉक के बेहतर अनुरक्षण पर अतिरिक्त ध्यान केन्द्रित करना।

एयर इंडिया में विनिवेश

627. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एअर इंडिया में अपने हिस्से का विनिवेश करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) भारतीय विनिवेश आयोग की सिफारिशें, जो एअर इंडिया लिमिटेड में सरकार की इक्विटी का विनिवेश करने के बारे में है, विचाराधीन हैं।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास योजनायें

628. श्री ब्रह्मानन्द मंडल : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित ग्रामीण विकास योजनाओं को राज्य सरकारों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है; और

(ख) केन्द्र सरकार के बजट से राज्य–वार ऐसी योजनाओं के लिए कितनी धनराशि व्यय हो रही है ?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) जी, हां।

(ख) 1999–2000 में राज्यों को ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए निधियों का केन्द्रीय आबंटन संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

विवरण

ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए केन्द्रीय आबंटन 1999–2000

(लाख रु. में)

क्रम. संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	54029.62
2.	अरुणाचल प्रदेश	3848.45
3.	असम	35100.78
4.	बिहार	131813.36
5.	गुजरात	675.45
6.	गोवा	19294.84
7.	हरियाणा	9066.58
8.	हिमाचल प्रदेश	5331.16
9.	जम्मू व कश्मीर	10078.41
10.	कर्नाटक	36142.68
11.	केरल	17684.80
12.	मध्य प्रदेश	70623.92
13.	महाराष्ट्र	65291.41
14.	मणिपुर	2739.88
15.	मेघालय	3234.14
16.	मिजोरम	1256.76
17.	नागालैंड	2197.40
18.	उड़ीसा	46162.90
19.	पंजाब	5582.02
20.	राजस्थान	32587.96
21.	सिक्किम	883.09
22.	तमिलनाडु	39052.14
23.	त्रिपुरा	4257.88
24.	उत्तर प्रदेश	133761.45
25.	पश्चिम बंगाल	53390.81
26.	अं. व नि. द्वीप समूह	407.13
27.	चण्डीगढ़	24.17
28.	दा. व न. हवेली	268.52
29.	दिल्ली	131.59
30.	दमन व दीव	323.01
31.	लक्षद्वीप	126.49
32.	पांडिचेरी	344.99
	योग	785713.80

तेल की पैकिंग करना

629. श्री रिजवान जहीर : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान वेजिटेबल ऑयल कारपोरेशन, मुंबई ने ठेकेदारों से तेल की पैकिंग कराने का काम बंद कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां। ठेकेदार द्वारा अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण प्राइवेट ठेकेदार से तेल की पैकिंग कराने का ठेका बंद कर दिया गया था।

[अनुवाद]

कालीकट से सऊदी अरब तक सीधी उड़ान

630. श्री के. मुरलीधरन : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कालीकट से सऊदी अरब तक सीधी उड़ान शुरू करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) पे–लोड तथा रनवे प्रतिबंधों के कारण, एअर इंडिया कालीकट विमानपत्तन से बाहर प्रचालन करने में असमर्थ है, तथापि वह कालीकट से प्रस्थान करने वाले यात्रियों को मुम्बई से होकर सऊदी अरब तक ऑन–लाइन सम्पर्क प्रदान करता है। ऐसे यात्रियों के लिए सीमा–शुल्क और आप्रवासन संबंधी औपचारिकताएं कालीकट में पूरी की जा सकती हैं।

सवारी डिब्बों की कमी

632. वी. एम. सुधीरन : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सवारी डिब्बों की डिवीजन–वार मांग तथा उपलब्धता क्या है;

(ख) क्या सरकार को देश में विशेषकर त्रिवेन्द्रम रेलवे डिवीजन में सवारी डिब्बों की अत्यधिक कमी की जानकारी है;

(ग) क्या देश में सवारी डिब्बों की कमी की वजह से अनेक रेलगाड़ियों को शुरू नहीं किया जा सका है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी डिवीजन–वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस कमी को पूरा करने के लिए अभी तक क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) भारतीय रेलवे द्वारा सवारी डिब्बों की आवश्यकताएं मंडल–वार नहीं रखी जाती हैं। बहरहाल, क्षेत्रीय रेलवे वार कोचिंग स्टॉक आवश्यकता एवं उपलब्ध आंकड़े एकत्रित किये जा रहे हैं और लोक सभा के पटल पर रख दिए जायेंगे।

(ख) सवारी डिब्बों की समग्र उपलब्धता संतोषजनक है। बहरहाल, सामरिक संचलन हेतु बड़ी संख्या में सवारी डिब्बे लगाए जाने के कारण कुछ रेलों में आरक्षित डिब्बे नहीं हैं जो सामान्यतः उपलब्ध होते हैं।

(ग) जी, नहीं। बजट में उद्घोषित गाड़ियां वित्तीय वर्ष के दौरान चलाई जा रही हैं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

कर्नाटक में सड़क-उपरि पुल का निर्माण

633. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में सड़क उपरि पुलों का निर्माण करने हेतु केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए राज्य सरकार ने कितनी धनराशि की मांग की है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही आरंभ की गई है; और

(घ) राज्य में सड़क उपरि पुलों का निर्माण करने के संबंध में चल रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण–I संलग्न है।

(ग) राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई प्राथमिकता तथा रेलवे के पास निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए रेलवे के भावी बजटों में शामिल करने के लिए इनकी जांच की जा रही है।

(घ) विवरण–II संलग्न है।

(ख) **विवरण-I**

क्र. सं.	समपार सं.	स्थान कि. मी.	स्टेशनों के बीच स्थिति	राशि
1	2	3	4	5
1.	139	407/10–11	लिंगाराजापुरम (हेन्नूर रोड)	प्रश्न नहीं उठता
2.	74	418/3–4	हेब्बल–यशवंतपुर (गोकुल गेट)	–वही–

1	2	3	4	5
3.	136क	345/14–346/1	बैयाप्पनहल्ली–बेंगलूरू कैंट	–वही–
4.	–	416/1–2	हेब्बल–बांसवाडी	–वही–
5.	2	3/13–14	बिरूर	–वही–
6.	34	47/7–8	भद्रावती–शिमोगा	–वही–
7.	74	94/14–95/1	मंद्या–येलकुर	–वही–
8.	110	135/16–136/1	नगनाहल्ली	–वही–
9.	3	2/6–7	मैसूर–अशोकपुरम	–वही–
10.	2	1/19–20	मैसूर–अशोकपुरम	–वही–

(घ) **विवरण-II**

क्र. सं.	समपार सं.	स्थान कि. मी.	स्टेशनों के बीच की स्थिति	लागत में भागीदारी		वास्तविक प्रगति
				रेलवे का हिस्सा	सड़क प्राधिकरण का हिस्सा	
1	2	3	4	5	6	7
1.	12	16/12–13	चेन्नाशांद्रा–येलहंका	202.4	205.24	निचला सड़क पुल अभी चालू किया गया है।
2.	146	–	बांसवाडी–हेब्बल	222.64	–	योजना स्तर पर
3.	138	406/2–3	बेलनदूर–बांसवाडी	580.21	–	–वही–
4.	36 और 37	44/8–9	रामनगरम	686.1	–	–वही–
5.	–	पुल सं. 832 ए के बदले	कृष्णराजपुरम में केबल स्टेड ऊपरी सड़क पुल	236.4	3723 (भूपम) 236.44 (राज्य)	कार्य अभी शुरू किया गया है।
6.	138	348/5–613	(व्हीलर्स रोड) बेंगलूरू पूर्व–बैयाप्पनहल्ली	516.60	589.60	योजना स्तर पर
7.	132	333/1–2	(व्हाइटफील्ड) बेंगलूरू सिटी–जोलारपेट्टई	590–60	205.24	–वही–

1	2	3	4	5	6	7
8.	95 ए	—	पांडवपुरा	749.3	742.3	योजना स्तर पर
9.	388	611/13–14	बेलगाम के निकट लोंडा–मिरज	161	241.00	–वही–
10.	110	—	बेल्लार–कोलागल्लू	980	940	–वही–
11.	85	—	हॉसपेट–कारीगनुजू	102	110	–वही–
12.	284	—	हुबली–उनकल	660	660	–वही–

[हिन्दी]

रेल सुरक्षा संबंधी प्रतिवेदन

634. श्री जे. एस. बराड़ : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल सुरक्षा समिति ने इस बात की ओर इशारा किया है कि रेलवे छोटी दुर्घटनाओं को छुपाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) प्रतिवेदनावधि के दौरान घटी दुर्घटनाओं पर वास्तविक प्रतिवेदन न देने के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) रेल संरक्षा समीक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट के भाग–1 में रेलवे द्वारा दुर्घटनाओं के संबंध में आंकड़ों पर टिप्पणी की है।

दुर्घटना की परिभाषा के अनुसार पशुओं के कुचल जाने और इंजन की खराबी के मामले भी दुर्घटना मानी जाती है। विभिन्न किस्म की दुर्घटनाओं की रिपोर्ट विभिन्न स्तरों पर की जाती है जो उनकी गंभीरता पर निर्भर करती है। यार्ड में पटरी से उतरने आदि की सूचना मंडल स्तर के अधिकारियों को दी जाती है। छोटी दुर्घटनाएं जिनके गंभीर परिणाम नहीं होते हैं, केवल जोनल रेलों के स्तर तक सूचित की जाती हैं। 'परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं' में गाड़ी की टक्कर, गाड़ी के पटरी से उतरने, समपारों पर दुर्घटनाएं और आग लगने के मामले शामिल होते हैं जिनके परिणाम गंभीर होते हैं और जिन्हें रेलवे बोर्ड को सूचित किया जाता है।

अतः यह मामला भिन्न–भिन्न दुर्घटनाओं की भिन्न–भिन्न स्तरों पर रिपोर्ट करने का है जो दुर्घटनाओं की गंभीरता पर निर्भर करता है और इसमें कुछ छिपा हुआ नहीं होता है।

[अनुवाद]

चीनी प्रौद्योगिकी मिशन

635. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में चीनी मिलों के आधुनिकीकरण के लिए चीनी प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना की है; और

(ख) यदि हां; तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग) ने अगस्त 1993 में एक चीनी प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना की है जिसका उद्देश्य चीनी के उत्पादन में लागत प्रभावी रूप में वृद्धि के लिए भारतीय चीनी उद्योग का प्रौद्योगिकीय स्तर बढ़ाना है।

मिशन ने अब तक देश में 22 चीनी फैक्ट्रियों के लिए आधुनिकीकरण योजनाओं को तैयार किया है और जिसमें ऊर्जा संरक्षण, उच्च संयत्र दक्षताओं और इष्टतम क्षमता पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। आगे और, 17 नई प्रौद्योगिकियों पर परीक्षण किया जा रहा है जिसमें से 4 प्रौद्योगिकियों का सफलतापूर्वक परीक्षण पूरा हो चुका है और 6 प्रौद्योगिकी क्रियान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं।

जालन्धर में ऊपरि पुल का निर्माण

636. श्री बलबीर सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जालन्धर शहर में 'दो मोरिया पुल' पर एक ऊपरि पुल के निर्माण का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह पुल कब तक बन जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) निश्चित नहीं किया गया है, क्योंकि राज्य सरकार ने अभी तक कुछ औपचारिकताएं पूरी नहीं की हैं।

जालना-खामगांव रेल लाइन का सर्वेक्षण

637. श्री दानवे रावसाहेब पाटील : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में जालना से खामगांव तक रेल लाइन बिछाने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का उस क्षेत्र में कब तक रेल लाइन बिछाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जालना–खामगांव नई लाइन के लिए 1994 में एक सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चला है कि 155 कि. मी. लम्बी इस लाइन की लागत 228 करोड़ रु. है जबकि प्रतिफल की दर ऋणात्मक है।

इस लाइन की अलाभप्रद प्रकृति तथा चल रही नई लाइन परियोजनाओं के भारी बकाया कार्यों के साथ–साथ संसाधनों की गंभीर तंगियों को देखते हुए फिलहाल इस परियोजना पर विचार करना संभव नहीं पाया गया है।

[हिन्दी]

एअर-ब्रेक वैक्यूम प्रणाली

638. श्री अशोक कुमार सिंह चंदेल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एअर–ब्रेक वैक्यूम प्रणाली से सुसज्जित मेल एवं एक्सप्रेस ट्रेनों की क्षेत्र–वार संख्या क्या है;

(ख) ऐसी ट्रेनों की क्षेत्र–वार संख्या क्या है जो अब भी साधारण वैक्यूम प्रणाली से चलायी जा रही हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस कारण कितनी रेल दुर्घटनायें हुई हैं;

(घ) क्या शेष ट्रेनों को एअर ब्रेक वैक्यूम प्रणाली से सुसज्जित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां; तो यह काम कब तक पूरे किये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) एअर–ब्रेक/वात ब्रेक वाली मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों की जोनवार सं. निम्नानुसार है :

रेलवे	एअर ब्रेक	वात ब्रेक
मध्य	36 जोड़े	14 जोड़े
पूर्व	22 जोड़े	26 जोड़े
उत्तर	52 जोड़े	51 जोड़े
पूर्वोत्तर	11 जोड़े	20 जोड़े
पूर्वोत्तर सीमा	6 जोड़े	7 जोड़े
दक्षिण	33 जोड़े	43 जोड़े
दक्षिण–मध्य	22 जोड़े	22 जोड़े
दक्षिण–पूर्व	24 जोड़े	23 जोड़े
पश्चिम	18 जोड़े	68 जोड़े

(ग) कुछ नहीं।

(घ) और (ङ) लंबी दूरी की शेष गाड़ियों को आगामी पांच वर्षों के भीतर एअर ब्रेक प्रणाली वाली गाड़ियों में बदलने की योजना है बशर्ते कि धनराशि उपलब्ध हो।

[अनुवाद]

खाद्यान्नों की बर्बादी

639. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी :

श्रीमती जयश्री बनर्जी :

श्री चन्द्रकांत खैरे :

क्या **उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्न भण्डारण हेतु निजी गोदाम किराए पर ले रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान क्षमता–वार कितने निजी गोदाम किराए पर लिए गए और उन पर वर्ष–वार कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) खाद्यान्नों के भण्डारण, दुलाई और चोरी में कितना खाद्यान्न नष्ट हुआ और इसके परिणामस्वरूप उक्त अवधि के दौरान राज्य–वार कितना घाटा हुआ; और

(घ) खाद्यान्नों के घाटे से बचने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) प्राइवेट पार्टियों के किराए पर लिए गए गोदामों पर प्रबंधन भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जाता है और प्रचालनात्मक हानियां होती ही हैं। तथापि, उपर्युक्त अवधि के दौरान प्राइवेट गोदामों में कमियों के संबंध में कोई असामान्यता नोटिस नहीं की गई है।

(घ) खाद्यान्नों की हैंडलिंग में प्रचालनात्मक हानियों से बचने के लिए वसूली के समय गुणवत्ता के संबंध में कठोर जांच लागू करने, चरणबद्ध ढंग से 50 किलोग्राम की पैकिंग अपनाने, तौल सेतु स्थापित करने जैसे उपाय किए जाते हैं। प्रशासनिक और निवारण उपाय भी किए जाते हैं जिनमें ढकी हुई क्षमता बढ़ाने और कैप भण्डारण कम करने, बोरियों की मशीन से सिलाई करने, बहुहैंडलिंग में कमी लाने और डिपुओं पर सुरक्षा कड़ी करने, चोरी और उठाईगिरी को रोकने के लिए संवेदनशील डिपुओं पर केन्द्रीय औद्योगिक बल लगाने तथा नियमित स्टाक सत्यापन सहित अचानक की जाने वाली जांच में तेजी लाने जैसे उपाय शामिल हैं।

विवरण

पिछले दो वर्षों और 30.9.1999 को स्थिति के अनुसार चालू वर्ष के दौरान निजी पार्टियों से किराये पर लिए गए गोदामों की संख्या/भंडारण क्षमता निम्नानुसार है

(आंकड़े लाख टन में)

	गोदामों की संख्या			भंडारण क्षमता		
	ढकी हुई	कैप	जोड़	ढकी हुई	कैप	जोड़
1.4.98	234	81	315	26.11	16.56	42.67
1.4.99	241	117	358	26.50	26.55	53.05
30.9.99	234	111	345	29.79	24.18	50.97

नोट : निजी पार्टियों से किराये पर लिए गए गोदामों की संख्या और भंडारण क्षमता समय-समय पर अलग-अलग होती है।

निजी गोदामों को किराये पर लेने में खर्च की गई अनुमानित राशि निम्नानुसार है :

(लाख रुपये में)

वर्ष	राशि
1997-98	2030.68
1998-99	2300.00

सिकन्दराबाद छावनी के प्रस्ताव

640. श्री राजैया मल्याला : क्या रक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिकन्दराबाद छावनी बोर्ड से प्राप्त प्रत्येक लंबित प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष सिकन्दराबाद छावनी बोर्ड को दिए गए केंद्रीय वार्षिक अनुदान/सहायता का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) रक्षा सम्पदा महानिदेशालय को छावनी बोर्ड, सिकन्दराबाद से विभिन्न सिविल कार्यों के लिए कुल 14 प्रस्ताव हुए थे। इनमें से 6 प्रस्तावों की जांच की जा रही है, 7 प्रस्ताव स्पष्टीकरण/संशोधन के लिए छावनी बोर्ड को वापस लौटा दिए गए हैं और एक प्रस्ताव बोर्ड द्वारा छोड़ दिया गया है।

(ख) सिकन्दराबाद छावनी बोर्ड के वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर होने के कारण पिछले तीन वर्षों के दौरान बोर्ड को कोई वार्षिक अनुदान/सहायता प्रदान नहीं की गई थी। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान बोर्ड को भुगतान किए गए सेवा प्रभार इस प्रकार हैं :

1996-97	7,22,71,498/-रुपए
1997-98	8,25,17,000/-रुपए
1998-99	7,44,10,113/-रुपए

मुख्यालय का हुबली में स्थानांतरण

641. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पश्चिम रेलवे-जोन के मुख्यालय को बंगलौर से हुबली स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्नाटक उच्च-न्यायालय ने इस प्रस्ताव पर रोक लगा दी है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने हुबली में एक और मुख्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) मामला इस समय न्यायाधीन है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

देवनहल्ली में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के लिए जमीन

642. श्री आर. एल. जालप्पा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने बंगलौर के निकट देवनहल्ली में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के लिए जमीन उपलब्ध कराने हेतु कर्नाटक सरकार से आग्रह किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं। संघ सरकार द्वारा ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सशस्त्र सेनाओं की युद्ध क्षमता

643. श्री ए. सी. जोस : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में समाप्त हुए कारगिल युद्ध के मद्देनजर थल सेना, वायुसेना और नौसेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान तीन सेनाओं के लिए कुल कितना रक्षा खर्च निर्धारित किया गया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) सशस्त्र सेनाओं की युद्धक क्षमता को बढ़ाने तथा उन्हें भावी युद्ध-क्षेत्र परिदृश्य के लिए तैयार करने के लिए सशस्त्र सेनाओं का निरंतर आधुनिकीकरण किया जा रहा है।

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान सेना, नौसेना तथा वायु सेना के लिए आबंटन क्रमशः 25265 करोड़ रुपए, 6763 करोड़ रुपए तथा 10278 करोड़ रुपए है।

[हिन्दी]

वरिष्ठ नागरिकों को रियायत

644. विजय कुमार खंडेलवाल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वरिष्ठ नागरिकों को 50 प्रतिशत यात्रा रियायत देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक घोषणा किए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विजयवाड़ा हवाई अड्डा का विकास

645. श्री राम मोहन गाड्डे : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने विजयवाड़ा हवाई अड्डा की हवाई पट्टी की मजबूती, नए एप्रन का निर्माण और लिंक टैक्सी मार्ग के निर्माण के कार्य की स्वीकृति ली थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) यह कार्य कब तक होने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) रनवे के सुदृढ़ीकरण, रनवे को जोड़ने वाले 450 × 75 फुट क्षेत्रफल के टैक्सी मार्ग सहित 350 × 250 फुट क्षेत्रफल को नये एप्रन का निर्माण कार्य जिसकी लागत 7.83 करोड़ रुपए है, पहले ही जुलाई, 1999 में पूरा क्या जा चुका है।

निःशुल्क विमान टिकटें

646. श्री टी. गोविन्दन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान जनता को निःशुल्क टिकट जारी करने के कारण इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया को भारी घाटा उठाना पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन टिकटों को किस स्तर पर जारी किया जा रहा है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) निःशुल्क टिकटें जारी किए जाने के कारण एयरलाइन्सों को घाटा नहीं होता है चूंकि ये मानार्थ टिकटें सामान्यतः पर्यटन को बढ़ावा देने वाले, यात्रा लेखक, संवाददाता, राष्ट्रीय वाहकों को प्रोत्साहन देने तथा यात्रा को बढ़ावा देने के लिए महत्त्वपूर्ण वाणिज्यिक संपर्क तथा बढ़ावा देने वाले योजनाएं/कार्यकलाप के वाणिज्यिक हित में जारी की जाती हैं। इसके अलावा, सामान्यतः भुगतान करने वाले यात्रियों से प्राप्त राजस्व द्वारा ही इनका समायोजन किया जाता है।

(ग) एअर इंडिया और इंडयन एयरलाइन्स के निम्नलिखित अधिकारी मानार्थ टिकटें जारी करने के लिए प्राधिकृत हैं :

(1)	एअर इंडिया	प्रबंध निदेशक, वाणिज्यिक निदेशक, और क्षेत्रीय निदेशक।
(2)	इंडियन एयरलाइन्स	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उप प्रबंध निदेशक, वाणिज्यिक, निगमित कार्य और लोक संपर्क विभाग के निदेशक और क्षेत्रीय निदशेक।

बंगलादेश के साथ चंगराबांधा होते हुए रेल संपर्क पुनः बहाल करना

647. श्री महबूब जहेदी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलादेश के मुख्य द्वार न्यूमाल जंक्शन बरास्ता चंगराबांधा से निकलने वाली रेल लाइन 1968 की विध्वंसकारी बाढ़ में नष्ट हो गई थी;

(ख) क्या भारत और बंगलादेश के बीच यह रेल मार्ग वाणिज्यिक रूप से अत्यधिक सक्षम है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उपरोक्त रेल लाइन को बहाल करने के लिए कोई कदम उठाया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) इस संबंध में कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) इस समय व्यापार तथा उद्योग से कोई मांग नहीं है।

रेलगाड़ियों को बंद किया जाना

648. श्री पवन कुमार बंसल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारगिल लड़ाई के दौरान कुछ रेलगाड़ियों का चलना बंद कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन्हें पुनः चलाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) कालका–जोधपुर रेलगाड़ी को पुनः कब से चलाए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सामरिक महत्त्व की गतिविधियों में इस समय बड़ी संख्या में सवारी डिब्बे लगाए गए हैं। ज्योंही सामरिक महत्त्व की गतिविधियां पूरी हो जाएंगी गाड़ी सेवाएं धीरे–धीरे बहाल कर दी जाएंगी।

[हिन्दी]

राजस्थान में नया विमानपत्तन

649. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की राजस्थान में विमान यातायात को बढ़ावा देने और वहां नए विमानपत्तन स्थापित करने की कोई योजना है;

(ख) क्या सरकार को अजमेर में एक विमानपत्तन स्थापित करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है और अजमेर में कब तक विमानपत्तन स्थापित करने और उसे हवाई मार्ग के साथ जोड़ दिए जाने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) राजस्थान में विमान यातायात को बढ़ावा देने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने स्तरोन्नयन सम्बन्धी निम्नलिखित कार्य हाथ में लिए हैं :

(1) जयपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का निर्माण;

(2) उदयपुर में रनवे का 7500 फीट का विस्तार;

(3) जोधपुर हवाई अड्डे पर एक ही समय पर 400 यात्रियों के खपाए जाने लिए टर्मिनल भवन का विस्तार।

राजस्थान में नया हवाई अड्डा स्थापित करने संबंधी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की कोई योजना नहीं है।

(ख) जी, हां।

(ग) अजमेर जयपुर से मात्र 136 किलोमीटर दूर है। मौजूदा नीति के अन्तर्गत, मौजूदा हवाई अड्डे के 150 किलोमीटर के भीतर कोई ग्रीन फिल्ड हवाई अड्डा विकसित नहीं किया जाना है।

[अनुवाद]

त्रिपुरा में भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास

650. श्री बाजू बन रियान : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में (राज्य–वार) विशेषतया त्रिपुरा के संदर्भ में भूतपूर्व सैनिकों की अद्यतन कुल संख्या कितनी है;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास हेतु राज्य–वार कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास हेतु धनराशि में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) भूतपूर्व–सेना कार्मिकों के पुनर्वास के लिए कोई विशिष्ट बजट आबंटित नहीं किया गया है। तथापि, उनके पुनर्वास के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों के पास कई योजनाएं हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 30.6.99 की स्थिति के अनुसार जिला सैनिक बोर्डों में पंजीकृत भूतपूर्व सैनिकों की संख्या।

क्र. सं.	राज्य	सैनिक बोर्ड/ जिला सैनिक बोर्ड
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	56535
2.	अरुणाचल प्रदेश	206
3.	असम	15830
4.	बिहार	57915
5.	गोवा	1518
6.	गुजरात	12205
7.	हिमाचल प्रदेश	76357
8.	हरियाणा	158064
9.	जम्मू व कश्मीर	47507
10.	कर्नाटक	44539
11.	केरल	124869
12.	मध्य प्रदेश	28878
13.	महाराष्ट्र	139223
14.	मणिपुर	3526
15.	मेघालय	1772
16.	मिजोरम	4045
17.	नागालैंड	1996
18.	उड़ीसा	14917
19.	पंजाब	186514
20.	राजस्थान	100592
21.	सिक्किम	1102
22.	तमिलनाडु	101451
23.	त्रिपुरा	1547
24.	उत्तर प्रदेश	263170
25.	पश्चिम बंगाल	37100
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	445
27.	चण्डीगढ़	5604
28.	दिल्ली	29271
29.	पांडिचेरी	1130
	योग	1517828

दल्ली-राजहरा-बेलेडिला-विशाखापत्तनम रेल लाइन

651. श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में दल्ली, राजहरा और बेलेडिला में लौह अयस्क की खानों को विशाखापत्तनम बंदरगाह से जोड़ने के लिए 235 कि. मी. लंबी प्रस्तावित रेल लाइन का काम नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस्पात मत्रालय और मध्य प्रदेश सरकार ने इस पर आने वाले खर्च में अपना अंश देने की पेशकश की है;

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना के पूरा होने में विलंब के कारण क्या हैं; और

(घ) इस परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) दल्ली–राजहरा–जगदलपुर नई लाइन का निर्माण रेल मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय और मध्य प्रदेश राज्य सरकार के बीच लागत में हिस्सेदारी के आधार पर किया जाना है। दल्ली राजहरा से रौघाट तक रेलवे लाइन के प्रथम चरण के निर्माण की लागत सेल द्वारा वहन की जानी है क्योंकि यह लाइन मुख्य रूप से भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए लौह अयस्क की सप्लाई हेतु है। सेल ने इस परियोजना की लागत अभी तक जमा नहीं की है क्योंकि बैलाडिला की खानों में लौह अयस्क के खनन के लिए पर्यावरण संबंधी स्वीकृति उन्होंने अभी तक प्राप्त नहीं की है। सेल द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर लेने तथा लागत जमा करने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा। उपर्युक्त को देखते हुए परियोजना पूरी होने की तारीख का उल्लेख करना संभव नहीं है।

भूमि की बिक्री और हस्तांतरण पर प्रतिबंध

652. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि की बिक्री पर प्रतिबन्ध है;

(ख) यदि हां, तो उस बेची हुई भूमि का ब्यौरा क्या है और जिसे दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 74 (4) के अंतर्गत प्रदान किया गया था;

(ग) राजस्व अभिलेखों में उस भूमि के स्वामित्व को किस प्रकार से परिवर्तित किया गया है;

(घ) क्या राजस्व विभाग द्वारा भूमि के स्वामित्व अधिकारों का हस्तांतरण करते समय पंचायत विभाग को कोई नोटिस जारी किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) प्रतिबन्ध का कड़ाई से पालन करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 के उपबंधों के अनुसार, दिल्ली में भूमि की बिक्री पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

(ख) दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954, की धारा 74 (4) के तहत ग्राम सभा की भूमि आबंटित नहीं की जाती है, परन्तु इसमें राजस्व सहायक द्वारा आसामी को भूमिदार के रूप में घोषित किए जाने हेतु विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गई है। तथापि ग्राम सभा की 6869.5 एकड़ भूमि को 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत कृषि कार्यों हेतु वितरित किया गया था।

(ग) राजस्व अभिलेखों में स्वामित्व में परिवर्तन, दिल्ली भूमि राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 22 में दिए गए तरीके के अनुसार किया जाता है। इसके अलावा अभिलेखों और स्वामित्व के अधिकार संबंधी रजिस्टरों को दिल्ली भूमि राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 20 से 27 तक के उपबंधों और उनके तहत बनाये गए नियमों के अनुसार रखा जाता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) भाग (घ) में दिए गए उत्तर **को देखते हुए**, प्रश्न नहीं उठता।

(च) भाग (क) में दिए गए उत्तर को **देखते हुए, प्रश्न नहीं** उठता।

[हिन्दी]

परती भूमि

653. श्री सुरेश चन्देल : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश की कुल परती भूमि के संबंध में कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें से अभी तक राज्य–वार कुल कितनी भूमि को कृषि योग्य बनाया जा सका है; और

(ग) परती भूमि को कृषि योग्य बनाने से संबंधित कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दी जा चुकी है अथवा वे केन्द्र सरकार के विचाराधीन हैं तथा अभी तक उन पर क्या कार्यवाही की गई है एवं इस संबंध में राज्य–वार अद्यतन स्थिति क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) भूमि उपयोग/भूमि आच्छादन के संबंध में नक्शे बनाने के 1:250,000 के पैमाने के आधार पर दूर संवेदी तकनीकों का प्रयोग करके तैयार किए गए क्षेत्र संबंधी आंकड़ों के बारे में राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी (एन. आर. एस. ए.), हैदराबाद की रिपोर्ट के अनुसार देश में बंजरभूमि (जिसे राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी द्वारा समस्याग्रस्त भूमि के रूप में वर्णित किया गया है) का कुल क्षेत्र 75.5 मिलियन हैक्टेयर है। राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग (पूर्ववर्ती बंजरभूमि विकास विभाग) का कार्य वनेतर क्षेत्रों में बंजरभूमि को विकसित करना है जिसका लक्ष्य भूमि अवक्रमण को रोकना, देश में बंजरभूमि को निरन्तर उपयोग योग्य बनाना, बायोमास की उपलब्धता, विशेष रूप से जलाऊ लकड़ी और चारे की उपलब्धता को बढ़ाना है। बंजरभूमि वह अवक्रमित भूमि है जिसे साधारणतया कम उपयोग में लाया जाता है और जो उपयुक्त जल और मृदा प्रबंधन के न होने के कारण अथवा प्राकृतिक कारणों की वजह से अपकर्षित हो रही है। अतः ऐसी भूमि पर विकास की प्रथम अवस्था में कृषि कार्य करना सामान्यतः संभव नहीं है। भूमि संसाधन विभाग का कार्य बंजरभूमि को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करने के बजाए बंजरभूमि को विकसित करना है। यह विभाग वनेतर बंजरभूमि को वाटरशेड आधार पर विकसित करने के लिए एक बड़ी योजना नामशः समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना कार्यान्वित कर रहा है। तथापि कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की केन्द्रीय क्षेत्र की/केन्द्र द्वारा प्रायोजित कुछेक योजनाओं द्वारा देश में 31.3.1999 तक कृषि के तहत लायी गई ऐसी अवक्रमित भूमि का राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

(ग) समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना स्कीम के तहत भूमि संसाधन विभाग द्वारा मार्च 1999 के अंत तक स्वीकृत की गई परियोजनाओं का राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण–III में दिया गया है।

विवरण-I

भारत में समस्याग्रस्त भूमि के राज्य–वार और श्रेणी–वार क्षेत्र को दिखाने वाला विवरण

(क्षेत्र हैक्टेयर में)

क्र. सं.	राज्य	कुल भौगोलिक क्षेत्र	लवण प्रभावित क्षेत्र	जलग्रस्त क्षेत्र	[illegible]	[illegible]	[illegible]	रेतीला क्षेत्र	[illegible]	झूम खेती क्षेत्र	[illegible]	[illegible]	खनन/औद्योगिक बंजर क्षेत्र	अवक्रमित वन क्षेत्र	नदी के भीतर स्थित क्षेत्र	कुल वन मुक्त एवं वनेतर बंजर भूमि क्षेत्र	कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में प्रतिशतता	वनेतर बंजर भूमि क्षेत्र	कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आन्ध्र प्रदेश	27506800	85516	350	77788	7753	3009021	63732	391944	0	1249	4769	9567	2295685	2646	5950020	21.63	3651689	13.28
2.	अरुणाचल प्रदेश	8374300	0	0	16673	0	1000	0	97059	381154	2056	644649	0	1093719	3583	2239893	26.75	1142591	13.64
3.	असम	7843800	0	17213	58134	1142	501542	0	0	482571	228418	0	1428	213784	0	1504232	19.18	1290448	16.45
4.	बिहार	17387700	0	124661	37296	44218	667379	122136	108219	0	5607	0	35778	3170013	67402	2582709	14.85	1145294	6.59
5.	गोवा	370200	0	0	12750	0	18497	2741	1121	0	128	0	3274	1986	2460	42957	11.60	38511	10.40
6.	गुजरात	19602400	728146	57885	142825	173255	2231776	60946	426165	0	225386	10163	0	367991	161698	4586236	23.40	4056547	20.69
7.	हरियाणा	4421200	38749	23658	0	0	191095	66982	9546	0	0	0	0	26593	16764	373487	8.45	330130	7.47
8.	हिमाचल प्रदेश	5567300	0	3210	0	116601	317365	0	453081	0	253020	1738307	0	178670	499	3060753	54.98	2881584	51.76
9.	जम्मू-कश्मीर	13894200	0	0	13695	3774	666558	80379	2672819	0	210928	3073857	0	277452	62557	7062019	50.83	6722010	48.38
10.	कर्नाटक	19179100	30615	0	1500	32445	1494350	8739	261725	0	25507	250	4180	851372	2443	2713127	14.15	1859312	9.69
11.	केरल	3886300	0	4219	0	0	52017	1349	14169	0	1976	0	0	91463	55	165248	4.25	73730	1.90
12.	मध्य प्रदेश	44344600	1437	0	0	777051	5253103	3404	765905	0	158392	0	18661	2071305	134751	9184009	20.71	6977953	15.74
13.	महाराष्ट्र	30769000	45532	5024	42935	53280	4706633	15313	246380	0	556566	3781	5675	1094063	1155288	7930470	25.77	5681119	18.46
14.	मणिपुर	2232700	0	0	29010	0	0	0	0	578529	0	0	0	260843	0	868382	38.89	607539	27.21
15.	मेघालय	2242900	0	1400	0	0	1150	0	0	730354	0	0	0	240485	0	973389	43.40	732904	32.68
16.	मिजोरम	2108100	0	0	0	0	0	0	0	85608	0	0	0	1588047	0	1673655	79.39	85608	4.06
17.	नागालैंड	1657900	0	0	0	0	0	0	0	473892	0	0	0	558435	0	1032327	62.27	473892	28.58

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
18. उड़ीसा	15570700	0	5549	44942	15436	1230647	18776	46642	11407	0	2625	8276	683053	4862	2072215	13.31	1384300	8.89
19. पंजाब	5036200	51979	26614	36	2783	48373	173441	0	0	2777	0	0	66724	4912	377639	7.50	306003	6.08
20. राजस्थान	34223900	251999	5866	0	399300	2752695	4589438	424975	0	1365186	0	13016	1180755	34139	11017369	32.19	9802475	28.64
21. सिक्किम	709600	0	0	0	0	133448	0	82978	0	0	123798	0	52406	10898	403528	56.87	340224	47.95
22. तमिलनाडु	13005800	59541	29459	23434	11255	1079226	142595	76730	0	2814	16199	7566	849868	0	2298687	17.67	1448819	11.14
23. त्रिपुरा	1048600	0	0	0	0	0	0	0	50477	0	0	0	236112	0	286589	27.33	50477	4.81
24. उत्तर प्रदेश	29441100	693950	884491	271492	381415	1972699	159344	156003	29634	45635	1411644	0	488349	93543	6588199	22.38	6006307	20.40
25. पश्चिम बंगाल	88775200	0	28899	49634	480	165774	52236	15812	0	7671	0	9076	121687	52523	503792	5.68	329582	3.71
26. संघ राज्य क्षेत्र	1097300	916	1168	1732	140	20216	10535	104	0	11222	21	0	13410	2830	62294	5.68	46054	4.20
27. अवर्गीकृत	8329400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
कुल योग	328726300	1988380	1219466	823876	2020329	26514564	5572086	6251477	2823626	3104538	7030063	116497	16274270	1813853	75553225	22.98	57465102	17.48

स्रोत : राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी, हैदराबाद, 1995

(एन. आर. एस. ए.)

विवरण-II

केन्द्रीय क्षेत्र की/केन्द्र द्वारा प्रायोजित कुछेक योजनाओं के जरिये कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) द्वारा मार्च, 1999 तक कृषि के लिए खेती के तहत लाये गये क्षेत्र का राज्य–वार ब्यौरा।

(क्षेत्र लाख हैक्टेयर में)

क्र. संख्या	राज्यों के नाम	31.3.1999 तक शामिल किया गया क्षेत्र	
		क्षारीय मृदा वाली भूमि का सुधार	झूम खेती वाले क्षेत्रों में वाटरशेड विकास परियोजनायें
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	–	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	0.03
3.	असम	–	0.007
4.	बिहार	–	–
5.	गुजरात	0.02	–
6.	हरियाणा	1.46	–
7.	कर्नाटक	–	–
8.	मध्य प्रदेश	–	–
9.	महाराष्ट्र	–	–
10.	मणिपुर	–	0.013
11.	मेघालय	–	0.032

1	2	3	4
12.	मिजोरम	–	0.088
13.	नागालैंड	–	0.10
14.	पंजाब	2.48	–
15.	तमिलनाडु	–	–
16.	त्रिपुरा	–	0.03
17.	उत्तर प्रदेश	1.28	–
18.	राजस्थान	0.04	–
	कुल	5.28	0.30

विवरण-III

समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना स्कीम के तहत 31.3.99 तक स्वीकृत परियोजनाओं का राज्य–वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण।

क्र. संख्या	राज्य	जिले का नाम	कुल लागत (लाख रुपये में)	कुल क्षेत्र (हैक्टेयर में)
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश				
1.	आंध्र प्रदेश	नालगोंडा	302.09	4059.00
2.	आंध्र प्रदेश	नेल्लोर–1	416.72	8917.00
3.	आंध्र प्रदेश	नेल्लोर–2	416.59	9320.00
4.	आंध्र प्रदेश	एम. नगर–1	362.38	4332.00
5.	आंध्र प्रदेश	एम. नगर–2	362.27	4312.00
6.	आंध्र प्रदेश	विजयनगरम	381.05	5100.00
7.	आंध्र प्रदेश	निजामाबाद	357.56	8570.00
8.	आंध्र प्रदेश	प्रकाशम–1	21.33	583.00
9.	आंध्र प्रदेश	प्रकाशम–2	335.51	4200.00
10.	आंध्र प्रदेश	विशाखापटनम	402.04	5200.00
11.	आंध्र प्रदेश	करीमनगर	418.00	4870.00
12.	आंध्र प्रदेश	चित्रूर–1	323.40	8085.00
13.	आंध्र प्रदेश	कर्नूल	293.20	7330.00

1	2	3	4	5
14.	आंध्र प्रदेश	रंगारेड्डी	485.64	4574.00
15.	आंध्र प्रदेश	कुडप्पा	110.00	1800.00
16.	आंध्र प्रदेश	चित्रूर–3	20..00	500.00
17.	आंध्र प्रदेश	चित्रूर–2	331.20	8280.00
18.	आंध्र प्रदेश	चित्रूर–4	450.00	11250.00
19.	आंध्र प्रदेश	मेडक	496.48	12412.00
20.	आंध्र प्रदेश	निजामाबाद–2	500.00	12500.00
21.	आंध्र प्रदेश	श्रीकाकुलम	500.00	12500.00
22	आंध्र प्रदेश	कुडप्पा–2	500.00	12500.00
23.	आंध्र प्रदेश	नेल्लोर–3	500.00	12500.00
24.	आंध्र प्रदेश	खम्माम	500.00	12500.00
25.	आंध्र प्रदेश	मेडक–2	500.00	12500.00
26.	आंध्र प्रदेश	खम्माम–2	500.00	12500.00
27.	आंध्र प्रदेश	नेल्लोर–4	500.00	12500.00
28.	आंध्र प्रदेश	पूर्व गोदावारी	500.00	12577.00
	उप योग		10785.46	226271.00
अरुणाचल प्रदेश				
1.	अरुणाचल प्रदेश	पश्चिम कामेंग	60.00	1500.00
	उप योग		60.00	1500.00
असम				
1.	असम	स्कार्बी आंगलौंग	245.20	6130.00
	उप योग		245.20	6130.00
बिहार				
1.	बिहार	चतरा	138.45	1445.00
2.	बिहार	लोहरदग्गा	248.66	2670.00
3.	बिहार	गढ़वा	114.21	1295.00
4.	बिहार	गया	433.37	5470.00

1	2	3	4	5
5.	बिहार	नवादा	288.37	3620.00
6.	बिहार	वैशाली	40.00	1000.00
7.	बिहार	देवघर	331.60	4400.00
8.	बिहार	पलामु	233.97	2705.00
	उप योग		1828.63	22605.00
दिल्ली				
1.	दिल्ली	दिल्ली	55.75	500.00
2.	दिल्ली	कपार्ट	0.00	0.00
	उप योग		55.75	500.00
गुजरात				
1.	गुजरात	सुरेन्द्रनगर–1	19.26	600.00
2.	गुजरात	सुरेन्द्रनगर–2	206.14	3100.00
3.	गुजरात	कच्छ–1	396.55	5200.00
4.	गुजरात	कच्छ–2	389.66	5500.00
5.	गुजरात	पंचमहाल	287.89	3370.00
6.	गुजरात	डांग–1	345.67	4095.00
7.	गुजरात	डांग–2	409.50	4906.00
8.	गुजरात	अमरेली	359.45	5500.00
9.	गुजरात	जामनगर	345.89	2480.00
			2660.01	34751.00
10.	गुजरात	मेहसाना	466.69	7000.00
11.	गुजरात	राजकोट	352.84	4900.00
12.	गुजरात	गांधीनगर	144.43	1500.00
13.	गुजरात	बनासकांठा	369.71	5000.00
14.	गुजरात	खेड़ा	32.48	812.00
15.	गुजरात	जूनागढ़	480.00	12000.00
16.	गुजरात	वड़ोदरा	451.00	11275.00

1	2	3	4	5
17.	गुजरात	भावनगर	440.00	11002.00
18.	गुजरात	साबरकांठा	480.00	12000.00
19.	गुजरात	जूनागढ़–2	493.00	12340.00
20.	गुजरात	पंचमहल–2	488.00	12200.00
21.	गुजरात	खेड़ा–2	459.60	11490.00
	उप योग		7317.76	136270.00
हिमाचल प्रदेश				
1.	हिमाचल प्रदेश	हमीरपुर	300.55	4500.00
2.	हिमाचल प्रदेश	कांगड़ा	349.50	4330.00
3.	हिमाचल प्रदेश	सोलन	352.64	4236.00
4.	हिमाचल प्रदेश	चम्बा	281.82	3713.00
5.	हिमाचल प्रदेश	सोलन–2	499.52	12488.00
6.	हिमाचल प्रदेश	सिरमौर	499.00	12500.00
7.	हिमाचल प्रदेश	मंडी	499.00	12567.00
8.	हिमाचल प्रदेश	चम्बा–2	494.00	12351.00
	उप योग		3276.03	66685.00
हरियाणा				
1.	हरियाणा	हिसार–1	280.45	2974.00
2.	हरियाणा	करनाल	335.21	2847.00
3.	हरियाणा	हिसार–2	306.54	3353.00
4.	हरियाणा	यमुनानगर	151.80	5350.00
5.	हरियाणा	एम. गढ़	296.22	5985.00
6.	हरियाणा	रिवाड़ी	283.99	3025.00
			1654.21	23534.00
7.	हरियाणा	एम. गढ–2	20.50	190.00
8.	हरियाणा	गुड़गांव	218.92	5473.00
9.	हरियाणा	पानीपत	478.88	11972.00
	उप योग		2372.51	41169.00

1	2	3	4	5
जम्मू और कश्मीर				
1.	जम्मू और कश्मीर	ऊधमपुर	137.11	1593.00
2.	जम्मू और कश्मीर	ऊधमपुर–2	500.00	12500.00
3.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू	230.00	5730.00
4.	जम्मू और कश्मीर	कठुआ	346.00	8650.00
	उप योग		1213.11	28473.00
कर्नाटक				
1.	कर्नाटक	टुमकुर–1	436.20	6780.00
2.	कर्नाटक	टुमकुर–2	120.00	1500.00
3.	कर्नाटक	मांडया	372.91	7453.00
4.	कर्नाटक	मांडया–2	500.00	12500.00
5.	कर्नाटक	गुलबर्गा	474.00	11847.00
6.	कर्नाटक	चित्रदुर्गा	500.00	12500.00
7.	कर्नाटक	बेल्लारी	485.60	12140.00
8.	कर्नाटक	बेलगांव	499.24	12481.00
9.	कर्नाटक	बेल्लारी–2	490.00	12400.00
10.	कर्नाटक	कोलार	489.56	12239.00
11.	कर्नाटक	टुमकुर–3	496.48	12412.00
12.	कर्नाटक	बिदर	499.40	12485.00
	उप योग		5363.39	126737.00
केरल				
1.	केरल	त्रिसूर	157.59	2030.00
2.	केरल	पालाकड–1	372.25	6000.00
			529.84	8030.00
3.	केरल	पालाकड–2	313.60	4900.00
4.	केरल	वायनाड	315.47	4500.00
5.	केरल	मालापुरम	87.50	2000.00

1	2	3	4	5
6.	केरल	इडुक्की	403.20	10080.00
	उप योग		1649.61	29510.00
महाराष्ट्र				
1.	महाराष्ट्र	नासिक	156.73	1700.00
2.	महाराष्ट्र	अहमदनगर	42.03	531.00
3.	महाराष्ट्र	पारभानी	381.60	9540.00
4.	महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	452.80	11320.00
5.	महाराष्ट्र	अमरावती	456.96	11424.00
6.	महाराष्ट्र	पारभानी–2	455.78	11395.00
	उप योग		1945.90	45910.00
मेघालय				
1.	मेघालय	पश्चिम खासी हिल्स	117.39	1800.00
	उप योग		117.39	1800.00
मणिपुर				
1.	मणिपुर	इम्फाल	202.20	2200.00
2.	मणिपुर	इम्फाल (पश्चिम)	267.00	6675.00
3.	मणिपुर	सेनापति	55.72	1393.00
4.	मणिपुर	सेनापति–2	400.00	10000.00
5.	मणिपुर	तामेंगलौंग	500.00	12500.00
6.	मणिपुर	इम्फाल (पश्चिम)–2	440.00	11000.00
7.	मणिपुर	उखरूल	496.00	12400.00
	उप योग		2360.92	56168.00
मध्य प्रदेश				
1.	मध्य प्रदेश	इंदौर	95.52	1816.00
2.	मध्य प्रदेश	झबुआ–1	32.20	417.00
3.	मध्य प्रदेश	दतिया–1	40.00	500.00
4.	मध्य प्रदेश	झबुआ–2	319.44	4980.00

1	2	3	4	5
5.	मध्य प्रदेश	भोपाल	65.84	992.00
6.	मध्य प्रदेश	छिंदवाड़ा	301.69	4500.00
7.	मध्य प्रदेश	टिकमगढ़	128.68	2362.00
8.	मध्य प्रदेश	सरगुजा	322.14	5082.00
9.	मध्य प्रदेश	उज्जैन	338.57	4600.00
10.	मध्य प्रदेश	धार	184.91	3000.00
11.	मध्य प्रदेश	दुर्ग	215.94	3680.00
12.	मध्य प्रदेश	रायगढ़	390.55	5700.00
13.	मध्य प्रदेश	रायपुर	252.68	3860.00
14.	मध्य प्रदेश	राजनंदगांव	444.00	11100.00
15.	मध्य प्रदेश	मांडला	350.28	6912.00
16.	मध्य प्रदेश	दतिया–2	21.28	532.00
17.	मध्य प्रदेश	गुना	243.60	6090.00
18.	मध्य प्रदेश	सियोनी	280.00	7000.00
19.	मध्य प्रदेश	नरसिंहपुर	280.00	7000.00
20.	मध्य प्रदेश	मंदसौर	280.00	7000.00
21.	मध्य प्रदेश	गुना–2	337.96	8449.00
22.	मध्य प्रदेश	सेहोड	427.18	12000.00
23.	मध्य प्रदेश	सहडोल	422.22	10555.00
	उप योग		5774.68	118127.00
मिजोरम				
1.	मिजोरम	आइजवाल	359.95	4500.00
	उप योग		359.95	4500.00
नागालैंड				
1.	नागालैंड	कोहिमा–1	216.14	3055.00
2.	नागालैंड	कोहिमा–2	516.00	9050.00
3.	नागालैंड	फेक	362.53	6658.00

1	2	3	4	5
4.	नागालैंड	जुनोवुटो	100.00	2500.00
5.	नागालैंड	वोखा	480.00	12000.00
6.	नागालैंड	मोकोचुंग	480.00	12000.00
7.	नागालैंड	तेनसांग	500.00	12500.00
8.	नागालैंड	मोन	500.00	12500.00
	उप योग		3154.67	70263.00
उड़ीसा				
1.	उड़ीसा	कालाहांडी–1	207.13	2826.00
2.	उड़ीसा	मलकानगिरि–1	62.39	1469.00
3.	उड़ीसा	कालाहांडी–2	441.53	6672.00
4.	उड़ीसा	कोरापुट–1	216.66	2816.00
5.	उड़ीसा	कोरापुट–2	49.12	741.00
6.	उड़ीसा	बोलांगिर	437.54	6467.00
7.	उड़ीसा	ढेनकनाल–1	45.97	691.00
8.	उड़ीसा	नवरंगपुर	284.28	3539.00
9.	उड़ीसा	मलकानगिरि–2	157.78	2186.00
10.	उड़ीसा	ढेनकमाल–2	100.60	2515.00
11.	उड़ीसा	कोरापुट–3	7.29	300.00
12.	उड़ीसा	झासुरगुडा	288.64	7216.00
13.	उड़ीसा	कालाहांडी–3	493.48	12337.00
14.	उड़ीसा	बोलांगिर–2	496.00	12400.00
15.	उड़ीसा	कोरापुट–4	481.80	12045.00
16.	उड़ीसा	मयूरभंज	496.00	12400.00
17.	उड़ीसा	ढेनकनाल–3	244.64	6116.00
18.	उड़ीसा	क्योंझर	205.74	5145.00
19.	उड़ीसा	आंगुल	241.50	6037.00

1	2	3	4	5
20.	उड़ीसा	जाजपुर	325.10	8534.00
21.	उड़ीसा	क्योंझर–2	208.00	5200.00
22.	उड़ीसा	संबलपुर	41.00	1025.00
23.	उड़ीसा	नयागढ़	400.00	10000.00
	उप योग		5932.19	128677.00
पंजाब				
1.	पंजाब	होशियारपुर	599.82	9780.00
2.	पंजाब	भटिंडा	409.13	5570.00
3.	पंजाब	संगरूर	287.78	3493.00
4.	पंजाब	पटियाला.	22.00	550.00
	उप योग		1318.73	19393.00
राजस्थान				
1.	राजस्थान	जैसलमेर	170.30	1800.00
2.	राजस्थान	भीलवाड़ा	320.00	4000.00
3.	राजस्थान	टोंक	304.00	3800.00
4.	राजस्थान	सिकर	397.19	7500.00
5.	राजस्थान	झालावाड़	273.95	3883.00
6.	राजस्थान	जयपुर–1	329.40	3381.00
7.	राजस्थान	जयपुर–2	153.32	2780.00
8.	राजस्थान	जयपुर–3	414.05	4748.00
9.	राजस्थान	अजमेर–1	320.76	5422.00
10.	राजस्थान	जोधपुर	191.36	2072.00
11.	राजस्थान	उदयपुर	252.41	4600.00
12.	राजस्थान	पाली	320.85	5049.00
13.	राजस्थान	अजमेर–2	26.00	650.00
14.	राजस्थान	बूंदी	27.30	686.00
15.	राजस्थान	झुंझुनू	168.00	4200.00

1	2	3	4	5
16.	राजस्थान	झालवाड़–2	394.24	9856.00
17.	राजस्थान	टोंक–2	441.88	11047.00
	उप योग		4505.01	75474.00
सिक्किम				
1.	सिक्किम	पू. सिक्किम–1	71.26	1345.00
2.	सिक्किम	द. सिक्किम	18.49	350.00
3.	सिक्किम	द. सिक्किम–1	77.81	1595.00
4.	सिक्किम	द. सिक्किम–2	92.04	1760.00
5.	सिक्किम	द. सिक्किम–3	89.62	1770.00
6.	सिक्किम	द. सिक्किम–4	93.09	1860.00
7.	सिक्किम	उ. सिक्किम	155.55	3513.00
8.	सिक्किम	प. सिक्किम	220.00	5500.00
9.	सिक्किम	पू. सिक्किम	333.66	7425.00
10.	सिक्किम	पू. सिक्किम–3	222.76	5669.00
11.	सिक्किम	उ. सिक्किम–2	480.00	12000.00
12.	सिक्किम	पू. सिक्किम–4	476.00	11900.00
	उप योग		2330.28	54687.00
तमिलनाडु				
1.	तमिलनाडु	पुडुकोटाई	126.45	2155.00
2.	तमिलनाडु	पेरियार	343.93	4000.00
3.	तमिलनाडु	पसुमपोन	284.73	3073.00
4.	तमिलनाडु	उ. आरकोट	296.04	5000.00
5.	तमिलनाडु	द. आरकोट	249.80	3010.00
6.	तमिलनाडु	टी. समुवरायार	255.94	3900.00
7.	तमिलनाडु	कोयम्बटूर	19.20	480.00
8.	तमिलनाडु	डिंडीगुल	200.00	5090.00
9.	तमिलनाडु	कोयम्बटूर–2	362.32	9058.00
	उप योग		2138.41	35766.00

1	2	3	4	5
त्रिपुरा				
1.	त्रिपुरा	द. त्रिपुरा	145.44	1792.00
	उप योग		145.44	1792.00
उत्तर प्रदेश				
1.	उत्तर प्रदेश	झांसी	349.85	4895.00
2.	उत्तर प्रदेश	हमीरपुर	302.33	4623.00
3.	उत्तर प्रदेश	ललितपुर	287.76	4500.00
4.	उत्तर प्रदेश	मथुरा	115.40	1372.00
5.	उत्तर प्रदेश	रायबरेली	172.01	1800.00
6.	उत्तर प्रदेश	मैनपुरी	338.30	4400.00
7.	उत्तर प्रदेश	फरूखाबाद	147.00	1500.00
8.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	391.19	4000.00
9.	उत्तर प्रदेश	फिरोजाबाद	459.16	11479.00
10.	उत्तर प्रदेश	फतेहपुर	395.20	9880.00
11.	उत्तर प्रदेश	आगरा	491.80	12295.00
12.	उत्तर प्रदेश	जौनपुर	468.72	11718.00
13.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	385.80	9645.00
14.	उत्तर प्रदेश	इटावा	406.00	10150.00
15.	उत्तर प्रदेश	आजमगढ़	319.28	7982.00
16.	उत्तर प्रदेश	कानपुर (सी.)	220.40	5510.00
17.	उत्तर प्रदेश	उन्नाव	481.64	12041.00
18.	उत्तर प्रदेश	टिहरी गढ़वाल	484.76	12119.00
19.	उत्तर प्रदेश	सोनभद्र	404.26	10106.00
20.	उत्तर प्रदेश	रायबरेली–2	484.00	12100.00
21.	उत्तर प्रदेश	उन्नाव–2	482.16	12054.00
22.	उत्तर प्रदेश	सुल्तानपुर	481.56	12039.00
23.	उत्तर प्रदेश	झांसी–2	495.00	12379.00

1	2	3	4	5
24.	उत्तर प्रदेश	झांसी–3	400.00	10000.00
25.	उत्तर प्रदेश	सीतापुर	482.32	12058.00
26.	उत्तर प्रदेश	चन्दौली	444.00	11000.00
27.	उत्तर प्रदेश	लखीमपुर	489.60	12240.00
28.	उत्तर प्रदेश	कानपुर देहात	481.56	12039.00
29.	उत्तर प्रदेश	गोंडा	486.28	12157.00
30.	उत्तर प्रदेश	मिर्जापुर	499.12	12478.00
31.	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़	499.2	12480.00
	उप योग		12345.66	283039.00
पश्चिम बंगाल				
1.	पश्चिम बंगाल	बांकुडा–1	256.98	3600.00
2.	पश्चिम बंगाल	पुरूलिया–1	93.83	1348.00
3.	पश्चिम बंगाल	बांकुडा–2	256.52	4000.00
4.	पश्चिम बंगाल	पुरूलिया	137.75	2759.00
5.	पश्चिम बंगाल	दार्जीलिंग	469.74	5400.00
	उप योग		1214.82	17107.00
	कुल योग		77811.50	1598553.00

[अनुवाद]

रूपसा-बांगरी-पोसी रेल लाइन का आमान परिवर्तन

654. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूपसा--बांगरी–पोसी छोटी रेल लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने के लिए अब तक क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) उक्त परियोजना का अद्यतन अनुमान कितना है; और

(ग) उक्त कार्य को कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) कि. मी. से कि. मी. 75 तक की दूरी में पुल के मिट्टी एवं पुनर्निर्माण संबंधी कार्य शुरू किए गए हैं।

(ख) 57.95 करोड़ रुपए।

(ग) संसाधनों की अत्यधिक तंगी के कारण, कार्य को संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार विनियमित किया जा रहा है और आगामी वर्षों में वह पूरा हो जाएगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में पम्प सेट

655. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा उपयोगिता सिंचाई पम्प सेटों में सुधार की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य–वार कितने पम्प सेट लगाये गये और इस समय कितने पम्प सेट चालू हालत में हें;

(घ) इस योजना के अन्तर्गत कितने पम्प सेटों को शामिल किये जाने की आवश्यकता है और राज्य–वार चालू वित्त वर्ष के दौरान उन पर कितनी धनराशि खर्च की जायेगी; और

(ङ) इस कार्यक्रम को शुरू करने से ऊर्जा की कितनी वचत होगी ?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा उपयोगिता सिंचाई पम्प सेटों के सुधार के लिए कोई योजना नहीं बनाई है।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

हिमाचल प्रदेश के युवाओं की सेना में भर्ती

656. श्री महेश्वर सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिमाचल प्रदेश से 1998–99 के दौरान प्रत्येक सशस्त्र बल में कितने पद भरे गए और 1999–2000 के दौरान कितने पद भरने का प्रस्ताव है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : नौसेना में सेलरों तथा वायु सेना में एअरमैनों की भरती अखिल भारतीय योग्यताक्रम सूची के आधार पर की जाती है तथा राज्यों को कोई विशेष कोटा आबंटित नहीं किया गया है। तथापि, वर्ष, 1998–99 के दौरान नौ सेना तथा वायु सेना में हिमाचल प्रदेश से भरती किए गए कार्मिकों की संख्या नीचे दिए गए अनुसार है :

नौसेना	72
वायु सेना	52

जहां तक सेना का संबंध है, राज्य–वार कोटे का आबंटन भरती योग्य पुरुष जनसंख्या के अनुपात के आधार पर किया जाता है। वर्ष 1998–99 में, हिमाचल प्रदेश में 2691 व्यक्तियों को भरती किया गया था तथा वर्ष, 1999–2000 के लिए राज्य को आबंटित रिक्त स्थानों की संख्या 1069 है।

खाद्य तेल पर आयात शुल्क कम करना

657. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मूल्यों को नियंत्रित रखने के लिए खाद्य तेल पर आयात शुल्क कम करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खाद्य तेल की कई खेपों को रद्द कर वापस कर दिया गया था जिससे अगस्त और सितम्बर, 1999 के महीनों में खाद्य तेल की भारी कमी हो गयी थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और खाद्य तेल की कीमतों पर नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) सरकार ने खाद्य तेलों पर आयात शुल्क कम करने के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ग) और (घ) खाद्य तेलों के कई पारेषणों के अस्वीकार करने और वापस करने के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। कुछ मूल्य–वृद्धि, जिससे अगस्त और सितम्बर के महीनों के दौरान कमी दिखाई दी, मुख्य रूप से निम्नलिखित तथ्यों की वजह से हुई :

(1) तिलहन के उत्पादन को धक्का लगने के बारे में समाचार–पत्रों में व्यापक प्रचार हुआ।

(2) पूर्व के महीनों में, जब मूल्य कम थे, मुख्यतया अधिक खपत के कारण वनस्पति तेल का कम स्टाक होना।

(3) कमी वाला मौसम होना।

(4) आगामी त्यौहार मौसम के कारण अपेक्षाकृत अधिक मांग।

तथापि, सरकार ने खाद्य तेलों के मूल्यों की साप्ताहिक आधार पर मानीटरिंग करने और अपेक्षानुसार उपचारात्मक उपाय करने के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च शक्ति प्राप्त मूल्य मानीटरिंग बोर्ड का गठन किया है।

रेलगाड़ियों में घटिया खाद्य पदार्थों की आपूर्ति

658. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे की खान–पान सेवा द्वारा यात्रियों को घटिया और अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों की आपूर्ति की जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली से आंध्र प्रदेश के बीच चलने वाली लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों में दिए जाने वाले खाने का निरीक्षण किसी स्वास्थ्य एजेन्सी द्वारा किया जाता है; और

(ग) यदि नहीं, तो रेल यात्रियों को मिलने वाली खान–पान सेवा को आधुनिक बनाने तथा उसमें सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) खान–पान सेवाओं की गुणवत्ता तथा मानक सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य/वाणिज्यिक विभाग के अधिकारियों द्वारा नियमित जांच की जाती हैं। इसके अलावा, सेवाओं पर निगरानी रखने के लिए समय–समय पर विशेष अभियान भी चलाए जाते हैं। भोजन, पैकिंग एवं परोसने के स्तर के लिए मानक विशिष्टियां निर्धारित की गई हैं। खान–पान सेवाओं को आधुनिक बनाने के उद्‌देश्य से भारतीय रेल खान–पान एवं पर्यटन निगम की भी स्थापना की गई है।

[हिन्दी]

गोवा में पर्यटन को बढ़ावा देना

659. श्री श्रीपाद येसो नाईक : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोवा के लिए गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कितनी पर्यटन परियोजनाएं स्वीकृत की गईं; और

(ख) इस हेतु वर्ष–वार और परियोजना–वार कितनी राशि आबंटित और जारी की गई ?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती) : (क) वर्ष 1997–98, 1998–99 और 1999–2000 के दौरान कुल 29 परियोजनाएं/योजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

(ख) इस उद्‌देश्य के लिए आबंटित और अवमुक्त वर्ष–वार और योजना–वार राशि संलग्न विवरण–I, II और III में देखी जा सकती है।

विवरण-I

वर्ष 1997–98 के दौरान गोवा के लिए स्वीकृत परियोजनाएं/योजनाएं

क्र. संख्या	परियोजना/योजना का नाम	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
		(रुपये लाखों में)	
1	2	3	4
1.	गोवा में महत्त्वपूर्ण स्थलों पर जन सुविधाएं–		
	जैसे–		
	मपूसा	9.77	2.93
	मार्गाओ	9.77	2.93
	वास्को	9.77	2.93
	विर्चोलिम	9.77	2.93
	पोंडा	9.77	2.93
	अंजुना बीच	9.77	2.93
2.	कनाकोना में पर्यटक स्वागत और सुविधा केन्द्र	25.00	7.00
3.	मार्गाओ में पर्यटक स्वागत और सुविधा केन्द्र	25.00	7.50
4.	पैदल यात्राओं के लिए प्रतीक चिन्ह्	10.00	3.00
5.	बार्देज तलक्सा, गोवा में खोर्जुवेन किले और अल्दोवा के आसपास का सौंदर्यीकरण	20.00	5.00

1	2	3	4
6.	अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन उत्सव (गोवा भोजन और सांस्कृतिक उत्सव के नए नाम से)	2.00	1.00
7.	कार्नीवाल	2.00	1.00
8.	शिग्मो	2.00	1.00
	कुल	144.62	43.08

विवरण-II

वर्ष 1998-99—गोवा के लिए स्वीकृत पर्यटन अवसंरचना परियोजना

क्र. संख्या	परियोजना	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4
1.	गोवा में महत्त्वपूर्ण पर्यटक गंतव्य स्थलों पर जन सुविधाएं (चार स्थान)		
	असनोरा	10.00	3.00
	डोंना पउला	10.00	3.00
	मोलेम	9.44	2.83
	कलन गूट मार्किट	9.44	2.83
2.	बेनोलिम बीच में रेस्तरां और अन्य सुविधाओं का निर्माण	15.00	4.50
3.	ताम्बडी सुर्ला में पर्यटक रेस्तरां का निर्माण	8.84	2.70
4.	बागा में रेस्तरां तथा पार्किंग सुविधाओं का निर्माण	18.98	5.70
5.	एट्टारी तालुका में अंजूनग डेम साइट पर मार्गस्थ सुविधाएं	25.00	7.50
6.	गोवा (चार स्थान) केवेलोसिम, कारम्बोलिम कोर्टालिम और मार्गाओं में महत्त्वपूर्ण गंतव्य स्थलों पर हाई मास्ट प्रदीप्तकरण	27.00	3.00
7.	सिग्मों उत्सव	05.00	2.50
8.	टूरिस्ट होटल पणजी का उन्नयन और जीर्णोद्धार	20.00	6.00
9.	पर्यटक परिसर—कोल्वा का उन्नयन और जीर्णोद्धार	9.00	3.00
10.	सेलोलिम, संगुअम तालुक, दक्षिण गोवा में पर्यटक कुटीरें	40.84	12.25

1	2	3	4
11.	पेर्नम, तालुका, उत्तरी गोवा में मार्गस्थ सुविधाएं	42.87	12.86
12.	कलनगूट बीच में पर्यटक परिसर का उन्नयन तथा जीर्णोद्धार	39.00	9.00
13.	टूरिस्ट होटल मार्गायो का उन्नयन तथा जीर्णोद्धार	18.00	5.40
14.	विश्व हैरिटेज चर्चों और स्मारकों, ओल्ड गोवा में अवसंरचना का विकास	25.57	8.00
	जोड़	328.98	91.57

विवरण-III

वर्ष 1999–2000 (30.11.99 तक) के दौरान गोवा के लिए स्वीकृत परियोजनाएं/योजनाएं

		स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि (रु. लाखों में)	प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या	प्राथमिकता प्राप्त राशि (रु. लाखों में)
गोवा में महत्त्वपूर्ण पर्यटक गन्तव्य स्थलों पर सुलभ शौचालय					
1.	करजालेम बीच	10.00	3.00	17	716.00
2.	बम्बोलिम	10.00	3.00		
3.	आरामबोल बीच	10.00	3.00		
4.	मजोर्दा बीच	10.00	3.00		
5.	सेक्वीलिम बस स्टैण्ड	10.00	3.00		
6.	कार्चोरम बस स्टैण्ड	10.00	3.00		
7.	पैलोलेम बीच	10.00	3.00		
	कुल	70.00	21.00		

[अनुवाद]

त्रिवेन्द्रम-कोलम रेल मार्ग का दोहरीकरण

660. श्री वरकला राधाकृष्णन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

त्रिवेन्द्रम–कोलम रेल मार्ग के दोहरीकरण का कार्य कब शुरू किया गया था और अब तक कितना कार्य पूरा हुआ है और इस कार्य पर कितनी राशि खर्च की गई है; और

(ख) उक्त कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है और इस पर अनुमानतः कुल कितना व्यय हुआ है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) उपर्युक्त कार्य को 1990–91 के बजट में शामिल किया गया था। त्रिवेन्द्रम सेंन्ट्रल से मुरुक्कमपुषा और वरकाला से कोल्लम के बीच दोहरीकरण

का कार्य पूरा हो गया है और इसे शुरू कर दिया गया है। अक्तूबर, 99 के अंत तक 113.80 करोड़ की राशि खर्च हो चुकी है।

(ख) वरकाला–मुरुक्कमपुषा के शेष खंड पर कार्य संतोषजनक है और इसके 31.3.2000 तक पूरा होने की संभावना है। समूची परियोजना की प्रत्याशित लागत 145 करोड़ रुपए है। इस परियोजना पर किया गया खर्च प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में दर्शाया गया है।

आवश्यक वस्तुओं की सूची में प्याज

661. श्री उत्तमराव ढिकले : क्या **उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक वस्तुओं की सूची में प्याज बनी रहेगी; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कलकत्ता-अगरतला सेक्टर में उड़ानों की कमी

662. श्री समर चौधरी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि कलकत्ता–अगरतला सेक्टर में इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों में सीटों की अनुपलब्धता के कारण लोगों को भारी कठिनाई का समाना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) इस सेक्टर पर हाई सीट फैक्टर को दृष्टि में रखते हुए, इंडियन एयरलाइन्स द्वारा समय–समय पर यात्री मांग को ध्यान में रखकर ही अतिरिक्त उड़ानें प्रचालित की जाती हैं।

दिल्ली-नागपुर उड़ानें

663. श्री नरेश पुगलिया : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली–नागपुर की उड़ानों में सामान्य तौर पर विलंब होने के कारण यात्रियों को बड़ी परेशानी एवं असुविधा होती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप नागपुर–दिल्ली की उड़ानों में भी विलंब होता है;

(घ) यदि हां, तो पिछले वर्ष के दौरान 15 नवम्बर, 1999 तक इन उड़ानों में कितना विलम्ब हुआ; और

(ङ) सरकार द्वारा दिल्ली–नागपुर और नागपुर–दिल्ली की सुचारु उड़ानें सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) दिल्ली–नागपुर तथा नागपुर–दिल्ली की उड़ानें भी दिल्ली/नागपुर/रायपुर/नागपुर/दिल्ली सेक्टर पर उन्हीं विमानों द्वारा प्रचालित की जाती हैं। मुख्यतः उन विमानों के देरी से आगमन की वजह से ही विलंब होता है जो अन्य सेक्टरों से सेवा प्रचालित करके आते हैं।

(घ) दिल्ली और नागपुर के बीच देरी से उड़ान भरने वाली उड़ानों की संख्या के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

वर्ष	कुल भरी गई उड़ानें	देर से भरी गई उड़ानों की संख्या
1998	607	286
1999	592	311
(15 नवम्बर, 1999 तक)		

(ङ) दिनांक 1.11.1999 से प्रभावी अनुसूची में इंडियन एयरलाइन्स के उन इंटर सेक्टर वाली उड़ानों के बीच और अधिक समय देने का प्रबंध किया है जिनके समयबद्ध निष्पादन में सुधार होने की प्रत्याशा है।

[हिन्दी]

श्रमिकों का पलायन

664. श्री ब्रजमोहन राम : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के पलामू और गढ़वा जिले के श्रमिक भुखमरी और नक्सली आतंक के कारण लगातार पलायन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए सुनिश्चित रोजगार योजना के क्रियान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए ?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है।

हवाई अड्डों का विस्तार और आधुनिकीकरण

665. श्री राजो सिंह : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के विस्तार और आधुनिकीकरण के संबंध में हवाई अड्डा–वार क्या प्रगति हुई है;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं पर परियोजना–वार कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) उक्त प्रत्येक परियोजना को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने पटना और रांची हवाई अड्डों के लिए भी विस्तार योजना को मंजूरी दे दी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार नए हवाई अड्डे बनाने के लिए विदेशी पूंजी आमंत्रित करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) अन्तर्देशीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों के विस्तार तथा आधुनिकीकरण के बारे में विमानपत्तन–वार की गई प्रगति, गत दो वर्षों के दौरान परियोजना–वार व्यय की गई राशि तथा परियोजनाओं को पूरा होने की संभावित तारीख के ब्यौरे संलग्न विवरण–I और–II में दिए गए हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने 10.30 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक बार में 500 यात्रियों की सेवा पूर्ति संबंधी आधुनिक सुविधाओं से युक्त पटना विमानपत्तन के टर्मिनल भवन का विस्तार कार्य तथा आधुनिकीकरण संबंधी कार्य पूरा कर लिया है। रांची विमानपत्तन स्थित मौजूदा टर्मिनल भवन के विस्तार कार्य के लिए चालू वित्तीय वर्ष 1999–2000 में 1.00 लाख रुपए जबकि वर्ष 2000–2001 में 10 लाख रुपए के फंड का प्रावधान चिह्नित किया गया है। 20 लाख रुपए की लागत से टैक्सी–ट्रैक को चौड़ा करने का कार्य पूरा कर लिया गया है। 2.92 करोड़ रुपए की राशि की लागत वाले मिट्टी कटाव नियंत्रण कार्य को मंजूरी दे दी गई है तथा निविदा कार्रवाई प्रक्रिया शुरू होने वाली है।

(च) और (छ) मंत्रिमंडल द्वारा यथा अनुमोदित एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी नीति (पैरा 15.4) के अनुसार विदेशी इक्विटी भागीदारी की स्वतः अनुमोदन के साथ 74 प्रतिशत तक जबकि विशेष अनुमति सहित 100 प्रतिशत तक की अनुमति दी जा सकती है।

विवरण-I

हवाई अड्डों के विस्तार और आधुनिकीकरण के सम्बन्ध में समाप्ति दिनांक की समस्या

क्र. सं.	कार्य का नाम	पिछले दो वर्षों के दौरान किया गया व्यय	प्रत्यक्ष प्रगति	पूरा होने की संभावित तारीख
1	2	3	4	5
क. मुम्बई हवाई अड्डा				
1.	नए अंतर्राष्ट्रीय यात्री काम्पलेक्स फेज-III का निर्माण	115.38	100 प्रतिशत	पूरा किया गया
2.	पुरानी कंवेयर बैगेज प्रणाली का प्रतिस्थापन	6.1	100 प्रतिशत	पूरा किया गया
3.	14/32 धावनपथ की रिकार्पेटिंग	3.69	100 प्रतिशत	पूरा किया गया
4.	नई ए–1–ए–2 टैक्सी ट्रैक का विनिर्माण	3.67	100 प्रतिशत	पूरा किया गया
5.	हार्ड स्टैंड का निर्माण	1.84	100 प्रतिशत	पूरा किया गया

1	2	3	4	5
6.	'एफ' टैक्सी ट्रैक का विस्तार और शेष भाग में समानांतर टैक्सी ट्रैक का निर्माण	2.87	72.5 प्रतिशत	दिसम्बर, 1999
ख. इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा				
1.	1 ए टर्मिनल का पुनर्निर्माण	21.81	100 प्रतिशत	पूरा किया गया
2.	फेज-II निर्यात कार्गो का निर्माण	9.86	98 प्रतिशत	दिसम्बर, 1999
3.	फेज–III आयात कार्गो का निर्माण	4.60	40 प्रतिशत	अगस्त, 2000
4.	कार्गो काम्पलेक्स का ईटीवी प्रणाली की व्यवस्था	7.41	70 प्रतिशत	मार्च, 2000
ग. चैन्ने हवाई अड्डा				
1.	12/30 धावनपथ को मजबूत बनाना और ग्रेड सुधार	5.41	100 प्रतिशत	पूरा किया गया
2.	प्रशासन कार्यालय सहित इंटिग्रल कार्गो काम्पलेक्स (मॉड्यूल–1) का विनिर्माण	2.16	10 प्रतिशत	मार्च 2001
घ. कलकत्ता हवाई अड्डा				
1.	अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल–फेज–I का आशोधन	2.05	80 प्रतिशत	फरवरी 2000
2.	नये घरेलू टर्मिनल पर 3 एयरोब्रिज के लिए एयरोलिंक, सुरक्षा पकड़ और एप्रन का निर्माण	2.47	75 प्रतिशत	सिविल कार्य समाप्त हो गया। है। एयरोब्रिज है। एयरोब्रिज के लिए टेंडरों को अंतिम रूप देना है।
ङ त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डा				
1.	एप्रन का विस्तार	6.85	100 प्रतिशत	पूरा किया गया
2.	टर्मिनल भवन का अंतरिम आशोधन	2.17	100 प्रतिशत	पूरा किया गया
3.	अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल को वातानुकूलित करना	3.54	100 प्रतिशत	पूरा किया गया

विवरण-II

हवाई अड्डा–वार हुई प्रगति विवरण, पिछले दो वर्षों के दौरान व्यय की गई राशि और घरेलू हवाई अड्डों के विस्तार और आधुनिकीकरण संबंधी पूरा होने की संभावित तारीख

क्र. सं.	कार्य का नाम	पिछले दो वर्षों के दौरान व्यय	प्रत्यक्ष प्रगति	पूरा होने की संभावित तारीख
1	2	3	4	5
1.	अगरतला हवाई अड्डे पर एप्रन और टैक्सीवे को मजबूत बनाना	2.03	51 प्रतिशत	मार्च 2000
2.	अहमदाबाद हवाई अड्डे पर धावनपथ का विस्तार और मजबूत बनाना	5.11	39 प्रतिशत	मार्च 2001
3.	आगरा हवाई अड्डे पर टर्मिनल भवन, एप्रन का विस्तार	4.32	100 प्रतिशत	पूरा किया गया
4.	भोपाल हवाई अड्डे का शोल्डर्स और टर्निंग पैड की व्यवस्था करना, धावनपथ का पुनः सतहलेपन करना	3.45	100 प्रतिशत	पूरा किया गया
5.	भोपाल हवाई अड्डे पर टर्मिनल भवन का विस्तार	1.63	100 प्रतिशत	पूरा किया गया
6.	बागडोगरा हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का निर्माण	5.12	71 प्रतिशत	मार्च 2000
7.	भुंटर हवाई अड्डे के धावनपथ का पुनः सतहलेपन	1.96	100 प्रतिशत	पूरा किया गया
8.	भुवनेश्वर हवाई अड्डे का धावनपथ का विस्तार	6.71	68 प्रतिशत	मार्च 2000
9.	भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का निर्माण	4.68	100 प्रतिशत	पूरा किया गया
10.	बंगलौर हवाई अड्डे पर नए भवन का निर्माण	12.22	100 प्रतिशत	पूरा किया गया
11.	कालीकट हवाई अड्डे के धावनपथ का विस्तार	19.78	88 प्रतिशत	मार्च 2000
12.	दीमापुर हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का निर्माण	1.94	100 प्रतिशत	पूरा किया गया
13.	गोवा हवाई अड्डे पर एप्रन का विस्तार	2.64	100 प्रतिशत	पूरा किया गया

1	2	3	4	5
14.	गुवाहाटी हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का विस्तार और आशोधन	4.13	82 प्रतिशत	जुलाई 2000
15.	हैदराबाद हवाई अड्डे के नए अंतर्राष्ट्रीय ब्लॉक का निर्माण	15.27	100 प्रतिशत	पूरा किया गया
16.	इम्फाल हवाई अड्डे के तकनीकी ब्लॉक और कंट्रोल टावर का निर्माण	12.14	100 प्रतिशत	पूरा किया गया
17.	इंदौर हवाई अड्डे का धावनपथ और एप्रन का विस्तार	8.20	100 प्रतिशत	पूरा किया गया
18.	इंदौर हवाई अड्डे के तकनीकी ब्लाक और फायर स्टेशन का निर्माण	1.54	99 प्रतिशत	दिसम्बर 1999
19.	जबलपुर हवाई अड्डे के धावनपथ का विस्तार	6.47	100 प्रतिशत	पूरा किया गया
20.	कारगिल हवाई अड्डे पर नए हवाई अड्डे का निर्माण	2.25	35 प्रतिशत	अक्तूबर 2000
21.	लीलबाड़ी हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन और कंट्रोल टावर का निर्माण	6.50	44 प्रतिशत	जून 2000
22.	लीलाबाड़ी हवाई अड्डे के धावनपथ का विस्तार	8.86	68 प्रतिशत	मार्च 2000
23.	मुख्य एप्रन का विस्तार और मजबूत बनाना, लखनऊ हवाई अड्डे पर नए टैक्सी ट्रैक का निर्माण	1.58	34 प्रतिशत	मार्च 2000
24.	लखनऊ हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का निर्माण	1.66	100 प्रतिशत	पूरा किया गया
25.	चेन्नई हवाई अड्डे पर तकनीकी खंड पर कंट्रोल टावर का निर्माण	5.21	58 प्रतिशत	जुलाई 2000
26.	नागपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का निर्माण	2.51	100 प्रतिशत	पूरा किया गया
27.	पटना हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का विस्तार और आशोधन	2.51	100 प्रतिशत	पूरा किया गया
28.	पोर्टब्लेयर हवाई अड्डे पर सिविल एयर टर्मिनल काम्पलेक्स का निर्माण	8.54	62 प्रतिशत	फरवरी 2000
29.	राजकोट हवाई अड्डे के धावनपथ, एप्रन और टैक्सीवे के मजबूत बनाना	2.51	100 प्रतिशत	पूरा किया गया

1	2	3	4	5
30.	रायपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का निर्माण	3.28	100 प्रतिशत	पूरा किया गया
31.	सिल्चर हवाई अड्डे पर टर्मिनल भवन का विस्तार और आशोधन	2.56	100 प्रतिशत	पूरा किया गया
32.	तेजपुर हवाई अड्डे पर नए हवाई टर्मिनल काम्पलेक्स का निर्माण	11.08	55 प्रतिशत	मार्च 2000
33.	तिरुपति हवाई अड्डे पर बी–737 और एबी–320 श्रेणी के एयरक्राफ्ट के लिए हवाई अड्डे का विकास	5.38	100 प्रतिशत	पूरा किया गया
34.	उदयपुर हवाई अड्डे के धावनपथ का विस्तार	3.26	100 प्रतिशत	पूरा किया गया
35.	विजयवाड़ा हवाई अड्डे पर हवाई अड्डे का विकास	6.86	100 प्रतिशत	पूरा किया गया

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि

666. श्री राधा मोहन सिंह : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान बिहार में योजना तथा गैर–योजना के तहत ग्रामीण विकास योजना के लिए परियोजना–वार कितनी राशि आबंटित की गई; और

(ख) उनके पूरा होने संबंधी तथा उनकी वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) पिछले तीन वर्षों में बिहार को विभिन्न प्रमुख ग्रामीण विकास योजनाओं के अन्तर्गत आबंटित राशि निम्न प्रकार है :

योजनाएं	आबंटन (लाख रुपये में)		
	1996–97	1997–98	1998–99
जवाहर रोजगार योजना (जे. आर. वाई.)	27260.46	30458.60	38340.78
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई. आर. डी. पी.)	16218.24	16754.81	25336.66
त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए. आर. डब्ल्यू. एस. पी.)	7795.00	9380.00	11768.50
सुनिश्चित रोजगार योजना (ई. ए. एस.)*	21245.00	18234.00	18596.00
इंदिरा आवास योजना (आई. ए. वाई.)	17398.92	17597.09	27420.52

*सुनिश्चित रोजगार योजना आबंटन आधारित योजना नहीं थी।

(ख) ग्रामीण विकास की योजनाएं निरंतर चलने वाली योजनाएं हैं।

[अनुवाद]

आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि

667. श्री बसुदेव आचार्य : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चावल, गेहूं, चीनी, मिट्टी के तेल के मूल्यों में वृद्धि किए जाने संबंधी कोई निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सवारी भाड़ा और माल भाड़ा निर्धारण

668. श्री पी. सी. थामस : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सवारी भाड़े और माल भाड़े के निर्धारण का कोई वैज्ञानिक तरीका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) लम्बी दूरी की रेल गाड़ियों में दूरी के अनुपात के अनुरूप सवारी डिब्बे की दर घटती है या बढ़ती है; और

(घ) यदि नहीं, तो वर्तमान निर्धारण के पीछे क्या तर्क है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) रेल किरायों और मालभाड़ा प्रभारों का निर्धारण सेवा की लागत और सेवा की महत्ता के सिद्धांतों के द्वारा शासित होता है और किराया और मालभाड़ा की संरचना उन विशेषज्ञ समितियों द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के आधार पर क्रमिक रूप से तैयारी की गई है जिनके अध्यक्ष विख्यात अर्थशास्त्री होते हैं। बहरहाल, तेजी से बदलती प्रगतिशील अर्थव्यवस्था में आंतरिक संसाधनों को सृजित करने और निवेशों की बढ़ती लागत को पूरा करने के लिए समय-समय पर किरायों और मालभाड़ों को समायोजित किया जाता है।

(ग) और (घ) सभी गाड़ियों के लिए यात्री किराया अवसंरचना टेलीस्कोप के समान है क्योंकि जैसे-जैसे दूरी बढ़ती है वैसे-वैसे प्रति कि. मी. दर भी कम होती जाती है। प्रति कि. मी. की दर में जो कमी होती है वह दूरी में वृद्धि के समानुपात में नहीं होती है क्योंकि टेपर केवल कुछ हद तक निर्धारित लागत के घटते हुए भाग को ही दर्शाता है।

केरल में स्वीकृत ग्रामीण विकास परियोजनाएं

669. श्री जी. एम. बनातवाला : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रस्तुत ग्रामीण विकास से संबंधित परियोजनाओं का कार्यक्रम-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्र सरकार ने उनमें से कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी है; और

(ग) लंबित परियोजनाओं का ब्यौरा और उनकी लंबित अवधि क्या है, और इन्हें कब तक मंजूरी मिलने की संभावना है ?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है।

[हिन्दी]

लूनी-बाडमेर-मुनाबाव रेल लाइन का आमान परिवर्तन

670. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई :

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लूनी-बाडमेर-मुनाबाव रेल लाइन के आमान परिवर्तन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) कार्य की धीमी प्रगति के क्या कारण हैं;

(ग) काम को तेजी से करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; और

(घ) उक्त कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) कार्य प्रगति पर है।

(ख) से (घ) कार्य योजनानुसार संतोषजनक ढंग से प्रगति कर रहा है और जैसा कि निर्धारित किया गया था इसे नौवीं योजना के अंत तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है बशर्ते कि नौवीं योजना के शेष वर्षों में संसाधन उपलब्ध हों।

पर्यटन का विकास

671. श्री अशोक ना. मोहोल :

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र और केरल सरकार ने अपने-अपने राज्यों के तटवर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने विदेशी पर्यटकों को आकर्षिक करने हेतु कोई एकमुश्त योजनाएं तैयार की हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती) : (क) और (ख) वर्ष 1999-2000 के दौरान तटवर्ती क्षेत्रों के विकास हेतु महाराष्ट्र और केरल सरकार ने निम्नलिखित प्रस्ताव भेजे हैं जिनको पर्यटन मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय वित्तीय सहायता स्वीकृत करने हेतु प्राथमिकता प्रदान की गई है।

महाराष्ट्र

1. रबरेपाटन जिला सिन्धदुर्ग में 49.00 लाख रुपयों की लागत की मार्गस्थ सुविधाएं।
2. बजट आवास-तरकरली जिला सिन्धुदुर्ग में 49.00 लाख रुपयों की लागत पर्यटक परिसर।
3. बजट आवास-विजयदुर्ग, जिला सिन्धुदुर्ग में 49.00 लाख रुपयों की लागत के पर्यटक परिसर।
4. बजट आवास-दिवयागर, जिला रायगढ़ में 20.00 लाख रुपयों की लागत का बंक रिजार्ट।
5. बजट आवास-काशिद, जिला रायगढ़ में 20.00 लाख रुपयों की लागत का बंक रिजार्ट।
6. बजट आवास-बोरडी, जिला ठाणे में 20.00 लाख रुपयों की लागत का बंक रिजार्ट।
7. बजट आवास-सतपति, जिला ठाणे में 20.00 लाख रुपयों की लागत का बंक रिजार्ट।

केरल

1. कोवलम समुद्रतट का एकीकृत विकास-सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तथा सड़कों का विकास।
2. पम्बा-कुट्टानाड बैकवाटर क्रूस मार्गों के लिए वाटरसाइड सुविधाओं का विकास।

   पलाथुर्थी की वाटरसाइड सुविधा का विकास।

   कोथराथोडे की वाटरसाइड सुविधा का विकास।

   नेडमुडी की वाटरसाइड सुविधा का विकास।

   बट्टाकाइल की वाटरसाइड सुविधा का विकास।
3. 'मालावार धौ' का निर्माण।
4. पथीरामानल में एक पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण फ्लोटिंग रिजार्ट का विकास।
5. फोर्ट कोची मथानचेरी और ज्यू टाउन का एकीकृत विकास।

(ग) और (घ) विदेशों में स्थित भारत सरकार पर्यटक कार्यालय भारत में विदेशी पर्यटकों के आगमन को बढ़ाने हेतु, विभिन्न संवर्धनात्मक अभियान चलाते हैं।

[अनुवाद]

लद्दाख क्षेत्र के लिए सेना की नई यूनिट का गठन

672. श्री कमल नाथ : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 सितम्बर, 1999 को 'एशियन एज' में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसके अनुसार विशेष रूप से लद्दाख क्षेत्र की सुरक्षा हेतु लेह आधारित भारतीय सेना की एक नई यूनिट के गठन पर बेजिंग ने आपत्ति जतायी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं, तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) प्रश्नगत समाचार में उल्लिखित किसी नई सेना यूनिट के कथित सृजन के बारे में चीन ने कोई मुद्दा नहीं उठाया है।

रेल दुर्घटनाएं

673. श्री प्रभुनाथ सिंह :

श्री सदाशिवराव दादोवा मंडलिक :

श्री चन्द्रेश पटेल :

श्री ए. सी. जोस :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी 1999 से आज तक स्थान–वार/जोन–वार हुई रेल दुर्घटनाओं का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) ऐसी प्रत्येक दुर्घटना में मारे गए/घायल हुए लोगों की संख्या क्या है और इन दुर्घटनाओं में कितने मूल्य की सरकारी सम्पत्ति का नुकसान हुआ;

(ग) पीड़ितों को कितना मुआवजा दिया गया;

(घ) ऐसी दुर्घटनाओं के बारे में सरकार द्वारा कराई गई जांच का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक जांच के क्या निष्कर्ष निकले; और

(ङ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) रेल दुर्घटनाओं के आंकड़े जोन–वार रखे जाते हैं न कि स्थान–वार। जनवरी, 1999 से अक्तूबर, 1999 तक की अवधि के दौरान परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं के जोन–वार आंकड़े इस प्रकार हैं :

रेलवे	दुर्घटनाओं की संख्या
मध्य रेलवे	67
पूर्व रेलवे	27
उत्तर रेलवे	60
पूर्वोत्तर रेलेवे	22
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	48
दक्षिण रेलवे	34
दक्षिण मध्य रेलवे	30
दक्षिण पूर्व रेलवे	38
पश्चिम रेलवे	28
मेट्रो रेलवे	–
कोंकण रेलवे	3
जोड़	357

उपर्युक्त दुर्घटनाओं के प्रथम दृष्टया कारण इस प्रकार हैं :

(आंकड़े अनंतिम हैं)

कारण	दुर्घटनाओं की संख्या
रेल कर्मचारियों की गलती	227
रेल कर्मचारियों से इतर मानवीय गलती	56
उपस्कर की खराबी	24
तोड़–फोड़	25
मिले–जुले कारण	–
आकस्मिक	11
कारण जो अंततः स्थापित नहीं हो सके	6
जांचाधीन	8
जोड़	357

(ख) उपर्युक्त दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों की संख्या–457

उपर्युक्त दुर्घटनाओं में घायल हुए व्यक्तियों की संख्या–1007

सरकारी संपत्ति की क्षति की लागत–66.16 करोड़ रुपए

उपरोक्त आंकड़े अनंतिम हैं।

(ग) दुर्घटनाओं के शिकार हुए व्यक्तियों को सरकार द्वारा दी गई मुवाअजा राशि–29 मामलों के लिए 5.89 लाख रुपए

शेष मामलों में मुवाअजा रेल दावा अधिकरण द्वारा दावों की डिगरी होने के बाद दिया जाएगा।

(घ) उपरिलिखित 357 दुर्घटनाओं में से लगभग 31 मामलों की रेल संरक्षा आयोग द्वारा तथा शेष दुर्घटनाओं की रेल आधिकारियों द्वारा जांच की गई थी।

(ङ) दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कुछ उठाए गए कदम

(i) ट्रंक मार्गों और अन्य महत्त्वपूर्ण मुख्य लाइनों पर रेलपथ परिपथन कार्य में तेजी लाई गई है।

(ii) दुर्घटना होने में मानवीय चूक के मौके न्यूनतम करने के लिए सिगनल परिपथन में आशोधन किया जा रहा है।

(iii) मुंबई उपनगरीय खंडों पर चलती गाड़ी के ड्राइवरों को खतरे के सिंगनल के बारे में अग्रिम चेतावनी

देने के लिए सहायक चेतावनी प्रणाली शुरू की गई है।

(iv) रेलवे बोर्ड ने मध्य रेलवे के तुगलकाबाद—मथुरा खंड के लिए परीक्षण के आधार पर सहायक चेतावनी प्रणाली की पायलट परियोजना को स्वीकृत दे दी है।

(v) सभी सवारी गाड़ियों के ड्राइवरों और गार्डों को वॉकी—टॉकी सेट्स सप्लाई किए गए हैं। मालगाड़ी ड्राइवरों को भी ये सप्लाई किए जा रहे हैं तथा 31 मार्च, 2000 तक इसके पूरा हो जाने की संभावना है।

(vi) रेलपथ अनुरक्षण के लिए टाई—टेंपिंग और गिट्टी सफाई मशीनों के उपयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है।

(vii) रेलपथ ज्यामिति और रेलपथ की चालन विशेषतओं पर निगरानी रखने के लिए परिष्कृत रेलपथ अभिलेखन कारों, दोलनलेखी कारों और सवाह्य त्वरणमापियों का उत्तरोत्तर उपयोग किया जा रहा है।

(viii) पटरियों में दरारों और वेल्डिंग में विफलताओं का पता लगाने के लिए 96 और दोहरी पटरी पराश्रव्य दोष संसूचकों की खरीद की जा रही है।

(ix) कई डिपुओं पर सवारी डिब्बों और माल डिब्बों के लिए अनुरक्षण सुविधाओं को आधुनिकीकृत और उपग्रेड किया गया है।

(x) धुरों के कोल्ड ब्रेकज के मामलों की रोक—थाम के लिए धुरों में खामी का पता लगाने के लिए, नेमी ओवरहालिंग डिपुओं को पराश्रव्य परीक्षण उपस्करों से सुसज्जित किया गया है।

(xi) चौकीदार रहित समपारों पर सीटी बोर्डों/गति अवरोधों व सड़क चिन्ह मुहैया कराए गए हैं और ड्राइवरों के लिए दृश्यता में सुधार किया गया है।

(xii) सड़क उपयोगकर्ताओं को यह सिखाने के लिए कि समपारों को सुरक्षित ढंग से कैसे पार किया जाए, दृश्य—श्रव्य प्रचार अभियान चलाए जाते हैं।

(xiii) यात्री गाड़ियों में ज्वलनशील और विस्फोटक सामग्री ले जाने की रोक—थाम के लिए उपाय किए गए हैं।

(xiv) क्षेत्रीय मुख्यालयों के अन्तः—अनुशासनिक दलों द्वारा विभिन्न मंडलों की आवधिक संरक्षा लेखा परीक्षा जांच शुरू की है।

(xv) ड्राइवरों, गार्डों और गाड़ी परिचालन संबद्ध कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं आधुनिक बनाई गई हैं जिसमें ड्राइवरों के प्रशिक्षण के लिए सिमुलेटरों का उपयोग शामिल है।

(xvi) विनिर्दिष्ट अंतरालों पर नियमित रूप से पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

(xvii) गाड़ी परिचालन से संबद्ध कर्मचारियों के कार्य निष्पादन पर निरंतर निगरानी रखी जाती है और जिनमें कोई कमी पाई जाती है उन्हें त्वरित (क्रैश) प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है।

(xviii) कर्मचारियों में संरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आवधिक संरक्षा अभियान चलाए जाते हैं।

चालू रेल परियोजनायें

674. डॉ. वी. सरोजा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में आमान परिवर्तन, विद्युतीकरण, नई रेल लाइन बिछाने और दोहरीकरण संबंधी कौन—कौन सी रेल परियोजनाएं चल रही हैं;

(ख) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है;

(ग) क्या तमिलनाडु में नई परियोजनाओं के लिये कोई सर्वेक्षण हुआ है या होने वाला है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) तमिलनाडु में चालू रेल परियोजनाएं निम्न प्रकार हैं :

आमान परिवर्तन

1. चेंगलपट्टू—अरक्कोणम आमान परिवर्तन (चेन्नै बीच में मटीरियल आशोधन—तिरुचिरपेल्ली आमान परिवर्तन)
2. थंजैवूर—विषुपुरम
3. चिषुपुरम—पांडिचेरी

4. मदुरै—रामेश्वरम

5. तिरुचिरैपल्ली—नागौर—कड़ाईकल

6. किलोन—तिरुनेलवेलि—तिरुचेंदूर—तेनकसी—विरुद्धनगर

7. कड्डालोर—विरुद्धचलम के रास्ते सलेम

विद्युतीकरण

तांबरम—चेंगलपट्टु—विषुपुरम और चेगलपट्टु—अरक्कोणम खंड

दोहरीकरण

1. इरुगुर—कोयम्बटूर

2. अट्टीपादु—कोरुक्कुपेट

नयी लाइन

1. करुर—नामाक्कल नयी बड़ी लाइन के रास्ते सलेम

2. नागापट्टिनम—वेलांकन्नी (तिरुचिरापल्ली में मेटीरियल आशोधन—नागौर—कड़ाईकल आमान परिवर्तन परियोजना)

चेंगलपट्टू—अरक्कोणम आमान परिवर्तन परियोजना 31.12.1999 तक पूरा हो जाने की संभावना है। अन्य कार्यों के लिए इनका समापन भावी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

म. प. प.

1. एम. आर. टी. एस.—चरण—I—चैन्नै बीच से थिरुमलै। यह कार्य पूरा हो चुका है।

2. एम. आर. टी. एस.—चरण—II—थिरुमलै से बेलाचेरी। इसके पूरा होने का लक्ष्य मार्च 2002 तक रखा गया है।

3. चेन्नै बीच—तांबरम—चेंगलपट्टू आमान परिवर्तन। इसके पूरा होने का लक्ष्य मार्च, 2004 तक रखा गया है।

रेल विद्युतीकरण

1. तांवरम—चेंगलपट्टू—विषुपुरम एंव चेंगलपट्टू—अरक्कोणम—इसके पूरा होने का लक्ष्य मार्च, 2003 रखा गया है।

(ग) और (घ) वर्ष 1999—2000 के दौरान तमिलनाडु में निम्नलिखित सर्वेक्षण शुरू किए गए।

1. पांडिचेरी के रास्ते टिंडीवानम से कुड्डालोर एक नयी बड़ी लाइन के लिए टोह इंजीनियरी और यातायात सर्वेक्षण।

2. मेट्टूर और चामराजनगर के बीच नयी बड़ी लाइन के लिए प्रारंभिक इंजीनियरी और यातायात सर्वेक्षण।

3. कोयम्बटूर—उदगमंडलम खंड के विद्युतीकरण के लिए लागत और व्यवहार्यता सर्वेक्षण।

हवाई अड्डों के लिए नियामक तंत्र

675. श्री सुरेश रामराव जाधव :

श्री ए. सी. जोस :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में हवाई अड्डों के लिए एक नियामक तंत्र की स्थापना का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में विमानपत्तनों के नियामक तंत्र को कब तक स्थापित कर दिया जाएगा ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) देश के विमानपत्तनों के संभाव्य निजीकरण के संदर्भ में, सरकार को नागर विमानन महानिदेशालय से स्वतंत्र विमानपत्तनों के लिए एक विनियामक ढांचा बनाने के बारे में सुझाव प्राप्त हुआ। अभी तक इस बारे में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

ओ. जी. एल. योजना के अंतर्गत गेहूं का आयात

676. श्री जे. एस. बराड़ :

श्री नवल किशोर राय :

क्या **उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुक्त सामान्य लाइसेंस (ओ. जी. एल.) के अंतर्गत गेहूं का आयात सम्मिलित किया है;

(ख) यदि हां, तो यह योजना देश में कब से लागू है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत वर्ष 1996—97, 1997—98 और 1998—99 से सितम्बर, 1999 के दौरान कितनी मात्रा में गेहूं का आयात किया गया और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस पर वर्ष–वार कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई है ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) निर्यात–आयात नीति के अनुसार गेहूं का आयात भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरणीबद्ध किया जाता है। तथापि, गेहूं की घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए रोलर फ्लोर मिलों को अपने ठेके कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपेडा) के पास पंजीकृत कराने के पश्चात् मिलिंग के प्रयोजनार्थ वास्तविक उपयोगकर्ता की शर्त के अधीन अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने और इस आयातित गेहूं से प्राप्त आटे को घरेलू बाजार में बेचने के लिए 13.12.1996 से मुक्त रूप से गेहूं का आयात करने की अनुमति दी गई थी। 5.10.1998 से रोलर फ्लोर मिल सीधे अथवा राज्य व्यापार निगम, प्रोजेक्ट इक्विपमेंट कारपोरेशन और भारतीय धातु तथा खनिज व्यापार निगम के माध्यम से मुक्त रूप से गेहूं का आयात कर सकते हैं और आयातित गेहूं से बने आटे को घरेलू बाजार में बेच सकते हैं अथवा इसका निर्यात कर सकते हैं। निर्यातकों को केवल आयात और निर्यात के ब्यौरे के बारे में अपडा को सूचित करना अपेक्षित होता है।

(ग) और (घ) भारतीय खाद्य निगम और रोलर फ्लोरं मिलों द्वारा किए गए आयात के संबंध में वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता अलग से ब्यौरे नहीं रखता है। वर्ष 1996–97, 1997–98, 1998–99 और 1999–2000 के दौरान सरकारी खाते पर आयात किए गए गेहूं के ब्यौरे निम्नानुसार हैं–

वर्ष	मात्रा (लाख टन में)	खर्च की गई विदेशी मुद्रा (मिलियन अमेरिकी डालर में)
1996–97	17.51	281.92
1997–98	10.18	163.46
1998–99	14.15	205.18
1999–2000	शून्य	शून्य
(सितम्बर 99 तक)		

वैष्णो देवी के लिए हेलिकॉप्टर सेवा

677. डॉ. अशोक पटेल : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैष्णो देवी पूजा स्थल हेतु चिर–प्रतीक्षित हेलिकॉप्टर सेवा पर अंतिम निर्णय हेतु विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) हेलिकॉप्टर सेवा कब तक आरम्भ हो जाएगी ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड (पीएचएचएल) की जम्मू सांझीछत–जम्मू तथा कटरा–सांझीछत–कटरा सेक्टरों पर हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रचालित करने की योजना है। वैष्णो देवी पूजा स्थल बोर्ड (वीडीएसबी) द्वारा इस उद्देश्य के लिए कटरा में एक हेलीपेड बनाया जा रहा है।

(ग) हवाई संरक्षा/सुरक्षा आदि के संबंध में संबंधित प्राधिकारियों द्वारा आवश्यक अनुमति जारी करने के तत्काल बाद ये सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी।

गेहूं घोटाला

678. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल :

श्री शंकर सिंह वाघेला :

क्या **उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 सितम्बर, 1999 को 'दि बिजनेस स्टैंडर्ड' में "सी. बी. आई. प्रोब इनटू व्हीट स्कैम आर्डरर्ड लास्ट अगस्त रिवील्स बी. जे. पी." शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) से (ग) जी, हां। राज्य व्यापार निगम ने 1998–99 के दौरान सरकारी खाते पर आस्ट्रेलिया से 14.15 लाख टन गेहूं का आयात किया था। सरकार ने 20.7.98 को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से आस्ट्रेलिया से गेहूं के आयात के मामले को देखने के लिए कहा है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने किसी व्यक्ति/संगठन के कदाचार संबंधी विशिष्ट कार्य में शामिल होने की जांच करने के लिए एक प्रारम्भिक रिपोर्ट दर्ज की है।

[अनुवाद]

हाविट्जर की खरीद

679. श्री किरीट सोमैया : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी फर्मों से 155 एम. एम. के. 52

कैलिबर हाविट्‌जर तोपों की खरीद हेतु निविदाएं आमंत्रित की हैं;

(ख) किन–किन विदेशी फर्मों ने इसके लिए अपने प्रस्ताव भेजे हैं; और

(ग) इन हाविट्‌जर के लिए रक्षा मंत्रालय का अनुमानित बजट कितना है और यदि इन विदेशी फर्मों के प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) भारतीय सेना के लिए 155 मि. मी. हावित्जरों की खरीद हेतु विदेशी फर्मों से कोई तकनीकी वाणिज्यिक प्रस्ताव आमंत्रित नहीं किए गए हैं।

डिंडिगुल-सबरीमलाई रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण

680. श्री टी. टी. वी. दिनाकरन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिंडिगुल और सबारीमलाई बरास्ता थेंनी–कम्वम कुमुली के बीच बड़ी लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) अब तक कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(घ) अब तक इस कार्य में कितनी प्रगति हुई है; और

(ङ) यह कार्य कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) दिंडीगुल से सबरीमाला तक नई रेल लाइन के निर्माण की सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चला कि 165 कि. मी. लंबी लाइन की लागत 530 करोड़ रुपए होगी और इससे प्राप्त होने वाले प्रतिफल की दर ऋणात्मक होगी। इस परियोजना की अलाभप्रद प्रकृति तथा धन की अत्यधिक तंगी के कारण इस परियोजना पर फिलहाल कार्य शुरू करना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

नई नागर विमानन नीति

681. श्री रामपाल सिंह :

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एक व्यापक नागर विमानन नीति बनाने के लिए गंभीरता से विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव घरेलू क्षेत्र में विदेशी निजी कंपनियों को निवेश की इजाजत देने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (घ) नागर विमानन संबंधी राष्ट्रीय नीति का नया मसौदा तैयार किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन

682. श्री अशोक प्रधान : क्या **उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में अलग–अलग गन्ने का कितना उत्पादन हुआ और चालू वर्ष के दौरान गन्ने का अनुमानित उत्पादन कितना हुआ;

(ख) राज्य की चीनी मिलों की मौजूदा पिराई क्षमता कितनी है;

(ग) क्या राज्य में विद्यमान चीनी मिलों की पिराई क्षमता उत्पादित कुल गन्ने की पिराई करने की क्षमता है; और

(घ) यदि नहीं, तो कुल गन्ने की पिराई सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) गन्ने का उत्पादन किसानों द्वारा किया जाता है और जिसकी पहचान किसी विशेष क्षेत्र के आधार पर नहीं की जा सकती। तथापि 1998–99 चीनी मौसम के दौरान उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों की चीनी मिलों द्वारा पेरे गए गन्ने की मात्रा निम्नवत् थी :

क्षेत्र	पेरे गए गन्ने की मात्रा (लाख टन में)	
सार्वजनिक क्षेत्र	52.22	(अनंतिम)
निजी क्षेत्र	280.51	(–वही–)

वर्ष 1999–2000 के दौरान उत्तर प्रदेश में गन्ने का अनुमानित उत्पादन 1199.74 लाख टन है।

(ख) राज्य के चीनी मिलों की विद्यमान गन्ना पेराई क्षमता 335474 टन प्रतिदिन है।

(ग) और (घ) गन्ने की खपत न केवल चीनी उत्पादकों द्वारा की जाती है बल्कि खांडसारी तथा गुड़ उत्पादकों द्वारा भी की जाती है। साथ ही चबाने एवं बीज के लिए भी इसकी खपत होती है। इसके आगे, चीनी उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है तथा मिलें अपनी क्षमता के विस्तार के लिए स्वतंत्र हैं। उद्यमी भी, परियोजना की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए तथा विद्यमान चीनी फैक्ट्रियों से 15 कि. मी. की दूरी रखते हुए नई चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं। 1998–99 मौसम के अन्त में पेराई के लिए गन्ना बाकी रहने की कोई रिपोर्ट नहीं थी।

[अनुवाद]

रूसी रक्षा शिष्टमंडल का दौरा

683. श्री माधवराव सिंधिया : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक उच्चाधिकार प्राप्त रूसी रक्षा दल 4 नवम्बर, 1999 को नई दिल्ली में आया था; और

(ख) यदि हां, तो भारत–रूस सैन्य तकनीकी सहयोग ढांचे के अंतर्गत दल के साथ किन विशिष्ट प्रस्तावों पर चर्चा की गई तथा उसके क्या परिणाम निकले और खरीदी जाने वाली मदों की लागत क्या होगी तथा किस तरह इनके भुगतान करने पर विचार किया जायेगा ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) रूसी संघ के उप प्रधानमंत्री श्री आई. क्लेबनोव की अध्यक्षता में एक उच्च शक्ति प्राप्त रूसी शिष्टमंडल ने सैन्य तकनीकी सहयोग संबंधी भारत–रूस समूह की छठी बैठक के संबंध में 4–8 नवंबर, 1999 तक भारत की यात्रा की। भारत–रूस समूह, दोनों देशों के बीच सैन्य तकनीकी सहयोग के सतत चलने वाले कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति की वार्षिक समीक्षा तथा मानीटरी करता है। संयुक्त बैठक के दौरान हुई चर्चाओं का ब्यौरा देना राष्ट्र की सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा

684. श्री राजैया मल्याला : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या भूमि का पूर्ण अधिग्रहण हो चुका है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) तत्संबंधी कार्य कब तक आरम्भ होने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (घ) हैदराबाद में एक नये अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन संबंधी आवश्यकता की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। इसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन का विकास

685. श्री भीम दाहाल : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए गठित कृतिक दल ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन संबंधी आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु स्थानों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के तथा वर्तमान वर्ष के दौरान पर्यटन के विकास हेतु इन राज्यों को राज्य–वार स्वीकृत तथा जारी की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(ख) विनिर्दिष्ट स्थलों की राज्य–वार सूची इस प्रकार है :

अरुणाचल प्रदेश : पासीघाट, यामबंग, संगम, याजली, गुलोलेक, नाबो ब्रिज प्वाइंट, परशुराम कुण्ड, गिब्बन्स लैण्ड, लांग्राग, चंग्लांग, खिमियोंग, रंगकाटू, मियोओ।

असम : गुवाहाटी, काजीरंगा, पोबितोरा, औरंग, भालुकपोंग, तेजपुर, जोरहट, मजुली, शिवसागर।

मणिपुर : लोकताक लैक, इम्फल और केईबुल लामजेआर राष्ट्रीय पार्क।

मेघालय : दावकी, विलियमनगर, रानीकोक, नांग्स्टवायन, नांगपोह, जोवाई, सिंदयी, नांगकीलेम, बाल्फैक्रम, महेश खोला, साईपुंग, सफई, शिलांग, उमैम, चेरापूंजी।

मिजोरम : बेरावतलांग, आइजोल, तामदिल।

नागालैण्ड : दीमापुर, कोहिमा, चुमकेडिमा, मोकोकचुंग, वोखा।

त्रिपुरा : उज्जैन पैलेस, उनकोटी तीर्थ, सिपाहैजला, अभ्यारण्य, रूद्रसागर लैक, नीरमहल, जाम्पुवी हिल, कुमारघाट, तेलियामुरा और मनु।

(ग) वर्ष 1996–97 से 1998–99 तक और वर्ष 1999–2000 के दौरान (15.11.99 तक) पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम के लिए स्वीकृत/अवमुक्त वित्तीय सहायता

(लाख रुपयों में)

क्रम सं.	राज्य	1996–97		1997–98		1998–99		1999–2000 (15.11.99 तक)	
		स्वी. राशि	अव. राशि	स्वी. राशि	अव. राशि	स्वी. राशि	अव. राशि	स्वी. राशि	अव. राशि
1.	असम	155.96	32.66	288.88	94.20	1376.64	469.95	85.00	25.50
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.00	1.75	271.00	82.50	178.30	53.93	—	—
3.	मणिपुर	51.90	22.00	186.11	56.35	99.48	29.80	25.00	8.00
4.	मेघालय	88.81	32.50	85.70	28.05	1189.99	397.15	12.97	2.24
5.	मिजोरम	107.18	40.44	142.45	43.50	175.16	56.90	49.56	14.82
6.	नागालैंड	100.62	70.00	116.90	40.58	223.64	65.00	137.10	41.13
7.	त्रिपुरा	105.40	56.60	126.68	40.16	81.25	26.85	117.10	32.13
8.	सिक्किम	93.09	18.55	65.20	24.55	238.58	80.07	50.00	15.00
	जोड़	704.96	284.50	1282.92	409.89	3573.04	1179.65	476.73	138.82

कारगिल घुसपैठ में पाकिस्तान का हाथ होने पर रक्षा मंत्री की टिप्पणी

686. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने कभी यह वक्तव्य दिया था कि कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठ की जानकारी तत्कालीन प्रधान मंत्री के नेतृत्व वाली सरकार या पाक सेना में नहीं थी;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त (क) में की गई टिप्पणी का आधार क्या था; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या तथ्य सामने आए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार को न केवल कारगिल संक्रियाओं में पाकिस्तानी सेना के प्रत्यक्ष रूप से शामिल होने अपितु इन संक्रियाओं के बारे में सेना द्वारा पाकिस्तानी सरकार को जानकारी दिए जाने की भी सूचना मिली है।

[हिन्दी]

चीनी का उत्पादन

687. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल :

श्री शंकर सिंह वाघेला :

क्या **उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में चीनी का उत्पादन आवश्यकता से बहुत अधिक हुआ है;

(ख) यदि हां, तो 1996–97, 1997–98 और 1998–99 के दौरान कितनी चीनी का उत्पादन हुआ;

(ग) उक्त अवधि के दौरान देश में चीनी की अनुमानित मांग कितनी थी; और

(घ) निजी और सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा उक्त अवधि के दौरान वर्ष–वार कितनी चीनी का आयात हुआ और इसके क्या कारण थे ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (ग) विगत तीन चीनी मौसमों (अक्तूबर–सितम्बर) 1996–97 से 1998–99 के दौरान देश में चीनी का उत्पादन तथा इसकी खपत निम्नवत थी :

चीनी मौसम	चीनी मौसम के आरम्भ में पूर्वावशिष्ट स्टॉक	उत्पादन	घरेलू खपत
	(मात्रा लाख टन में)		
1996–97	79.07	129.05	136.75
1997–98	66.01	128.44	139.78
1998–99 (अ)	53.70	155.20	141.45

(अ) = अनंतिम

चीनी मौसम के आरम्भ में चीनी के पूर्वावशिष्ट स्टॉक तथा चीनी मौसम के दौरान चीनी के उत्पादन से घरेलू खपत के लिए चीनी की आवश्यकता को पूरा किया गया है तथा देश में चीनी की कोई कमी नहीं हुई है।

(घ) मार्च 1994 से चीनी का आयात खुले सामान्य लाइसेंस के तहत कर दिया गया है तथा कृषि संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात संवर्द्धन प्राधिकरण (अपीडा) के साथ पंजीकृत विभिन्न पार्टियां अपने वाणिज्यिक निर्णय के अनुसार चीनी का आयात कर रही हैं। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान सरकार के द्वारा कोई आयात नहीं किया गया है। सरकार चीनी के व्यक्तिगत आयात का अनुवीक्षण नहीं करती क्योंकि यह खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन है। तथापि, खुले सामान्य लाइसेंस के तहत आयात की गई चीनी की मात्रा निम्नवत है :

वित्तीय वर्ष	चीनी का आयात (मात्रा लाख टन मे)
1996–97	0.02
1997–98	3.47
1998–99	8.58

(स्रोत : डी. जी. सी. आई. एस.)

[अनुवाद]

मेरठ और कालागढ़ के बीच रलवे लाइन बिछाना

688. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में मेरठ और कालागढ़ स्थानों के बीच रेलवे लाइन बिछाने हेतु कोई सर्वेक्षण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या निष्कर्ष निकला; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है और उपरोक्त रेलवे लाइन के कब तक बिछ जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय अनाज संचयन संस्थान, जबलपुर

689. श्रीमती जयश्री बैनर्जी : क्या **उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपुर में भारतीय अनाज संचयन संस्थान की हाल ही में निर्मित इमारत में गंभीर दोष पाये गये थे;

(ख) यदि हां, तो जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है;

(ग) क्या अब संस्थान के कार्यकरण के लिये इमारत को सुरक्षित घोषित कर दिया गया है;

(घ) इस इमारत को मजबूत बनाने में कितनी धनराशि खर्च हुयी; और

(ङ) इस घाटे को किसने वहन किया ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, हां।

(ख) निर्माण के लिए उत्तरदायी कर्मचारियों के विरुद्ध केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने अनुशासनिक कार्यवाही शुरू कर दी है और ठेकेदार के विरुद्ध विवाचन (आर्बीट्रेशन) का मामला दायर किया गया है।

(ग) भवन के केन्द्रीय तीन मंजिले हिस्से को असुरक्षित घोषित किया गया है और इसे गिराया जाना है।

(घ) और (ङ) चूंकि भवन के असुरक्षित हिस्से को गिराया जाना

है, अतः इसे मजबूत करने के लिए कोई राशि खर्च नहीं की गई है। विवाचन में सरकार द्वारा दोषपूर्ण कार्य की लागत का दावा किया गया है। विवाचन संबंधी निर्णय की प्रतीक्षा है।

अहमदाबाद विमानपत्तन का विकास

690. श्री दिन्शा पटेल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संयुक्त उद्यम परियोजना में अहमदाबाद विमानपत्तन का विकास करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य और परियोजना के लिये तैयार की गई रूपरेखा का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना के कब तक शुरू होने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

पर्यटन नीति

691. श्री रामशकल : क्या पर्यटन मंत्री यह **बताने की** कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न संबंधित मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर बल देते हुए तथा पर्यटन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने की दृष्टि से एक पर्यटन नीति तैयार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1998–99 के दौरान भारत में राज्य–वार कतने पर्यटक आए;

(घ) क्या बेहतर समन्वय तथा बेहतर सुविधाओं के प्रावधान के परिणामस्वरूप भारत में और अधिक पर्यटकों के आने की कोई संभावना है; और

(ङ) सरकार द्वारा विदेशी पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान किए जाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय पर्यटन नीति का प्रारूप वर्ष 1997 में तैयार किया गया था इसे संशोधित किया जा रहा है। इस नीति में सरकार की उदार आर्थिक नीतियों तथा मानव के सतत विकास के लिए प्रमुख अस्त्र के रूप में पर्यटन के उद्भव पर ध्यान दिया जाएगा। केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र के समन्वित प्रयास के रूप में पर्यटन उत्पादों के विविधीकरण और उसका सतत विकास इस नीति का उद्देश्य होगा।

(ग) राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1998 के दौरान विभिन्न राज्यों का भ्रमण करने वाले विदेशी पर्यटकों की अनुमानित संख्या इस प्रकार है :

राज्य	पर्यटक आगमन वर्ष 1998
1	2
आन्ध्र प्रदेश	82720
अरुणाचल प्रदेश	34
असम	754
बिहार	130723
गोवा	272028
गुजरात	9252
हरियाणा	1316
हिमाचल प्रदेश	62952
जम्मू और कश्मीर	23137
कर्नाटक	249836
केरल	184227
मध्य प्रदेश	102800
महाराष्ट्र	980850
मणिपुर	274
मेघालय	1055
मिजोरम	126
नागालैण्ड	210
उड़ीसा	35090
पंजाब	12690
राजस्थान	607000
सिक्किम	9960
तमिलनाडु	645580

1	2
उत्तर प्रदेश	719000
पश्चिम बंगाल	194011
अण्डमान और निकोबार	6030
चण्डीगढ़	8563
दमन और दीव	7600
दिल्ली	1162400
लक्षद्वीप	807
पांडिचेरी	20900
योग	5531925

इन आंकड़ों का रख–रखाव कैलेण्डर वर्ष–वार किया जाता है वित्तीय वर्ष–वार नहीं।

(घ) जी, हां।

(ङ) इस संदर्भ में किए जा रहे उपायों में शामिल हैं—कुछ वृहद पर्यटन क्षेत्र का विकास, अवसंरचना विकास, उत्पाद विविधीकरण, हवाई अड्डों पर समुन्नत पर्यटक सुविधा तथा वीजा जारी करने की क्रियाविधि। मंत्रालय का वेबसाइट इन्टरनेट से जोड़ दिया गया है।

[अनुवाद]

हज तीर्थयात्रियों के लिए हैदराबाद से सीधी उड़ान

692. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद और उसके आस–पास के क्षेत्रों से हर वर्ष बड़ी संख्या में मुस्लिम यात्री हज की तीर्थयात्रा करने जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन के लिए हैदराबाद से कोई सीधी उड़ान सेवा नहीं है और हज तीर्थयात्रियों को वाया मुम्बई होकर जाना पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को हैदराबाद से एक सीधी उड़ान सेवा शुरू करने हेतु लोगों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) जी, हां।

(घ) हैदराबाद से जेद्दाह तक हज यात्रियों के लिए सीधी उड़ानें प्रचालित करना कठिन है चूंकि हज चार्टर प्रचालन के लिए वृहत् आधार के विमानों को अधिमान्यता दी जाती है और ऐसे विमानों को हैंडल करने के लिए हैदराबाद हवाई अड्डे पर आवश्यक आधारिक संरचना संबंधी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

[हिन्दी]

मुंगेर में रेल-सह-सड़क पुल का निर्माण

693. श्री ब्रह्मानन्द मंडल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के मुंगेर जिले में गंगा नदी पर रेल–सह–सड़क पुल के लिए सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है; और

(ख) यदि हां, तो पुल का निर्माण कार्य कब तक आरम्भ होगा और कब तक पूरा किया जाएगा और इसकी अनुमानित लागत क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) मुंगेर के निकट गंगा नदी पर रेल एवं सड़क पुल के निर्माण कार्य के लिए मॉडल अध्ययन हेतु फील्ड सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है। इसके बाद विस्तृत अंतिम स्थान सर्वेक्षण और मॉडल अध्ययन किया जाएगा जिससे परियोजना की सही लागत का पता चल सकेगा। तत्पश्चात् आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी और स्वीकृति प्राप्त होते ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा। सर्वेक्षण पूरा होने के पश्चात् ही कार्य की अनुमानित लागत ज्ञात हो पाएगी।

सेना की केन्टीनों में दिहाड़ी मजदूरों की सेवाओं को नियमित करना

694. श्री रामदास आठवले : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय ने कुछ समय पहले सेना मुख्यालय की केन्टीनों में 240 दिन की सेवा के पश्चात् दिहाड़ी मजदूरों की सेवाएं नियमित करने संबंधी निर्णय दिया है;

(ख) क्या इस मामले में सरकार की याचिका को खारिज करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त न्यायालय के 14 जुलाई, 1998 के आदेश को बरकरार रखते हुए इन कामगारों को सरकारी कर्मचारी मानने का निर्णय सुनाया है; और

(ग) यदि हां, तो अब तक ऐसे कामगारों को सरकारी कर्मचारी मानने संबंधी आदेश जारी न किए जाने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) सेना मुख्यालय की कैंटीनो में दिहाड़ी पर कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में माननीय हरियाणा तथा पंजाब उच्च न्यायालय ने ऐसा कोई निर्णय नहीं दिया है। तथापि, माननीय हरियाणा तथा पंजाब उच्च न्यायालय ने मुख्यालय पश्चिम कमान के अधीन 'गोल्डन लायन पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश एरिया कैंटीन' के 24 कर्मचारियों के मामले में 29 अक्तूबर, 1992 को 1989 की सी. डब्ल्यू. पी. सं. 319 में एक निर्णय दिया था जिसमें माननीय न्यायालय ने अन्य बातों के साथ–साथ कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने के निदेश दिए थे। माननीय हरियाणा तथा पंजाब उच्च न्यायालय के इस आदेश के विरुद्ध मैसर्स, गोल्डन लायन कैंटीन ने भारत के उच्चतम न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका सं. 4542/98 दायर की थी जिसे उच्चतम न्यायालय ने 14.7.1998 को खारिज कर दिया था। उपर्युक्त को देखते हुए माननीय हरियाणा तथा पंजाब उच्च न्यायालय के निर्णय का पूरी तरह पालन किया गया है। तथापि, हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय में सरसामा बनाम संघ सरकार और अन्य (1993 की सी डब्ल्यू पी सं. 12654) के दूसरे मामले में यह व्यवस्था दी है है कि प्रत्येक कैंटीन एक स्वतंत्र इकाई है और उसे अपने नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार है।

[अनुवाद]

पंजाब में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा

696. श्री बलबीर सिंह : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमृतसर हवाई अड्डे से अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के कब से शुरू होने की संभावना है;

(ख) क्या पंजाब में अमृतसर के अतिरिक्त एक और अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) अमृतसर विमानपत्तन से पहले ही हब व स्पोक प्रणाली से सज्जित अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रचालित हो रही हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्रखंडों का विकास

697. श्री पुन्नू लाल मोहले : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में राजीव गांधी राष्ट्रीय पेय जल मिशन और जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत प्रत्येक विकास प्रखंड को कितनी धनराशि प्रदान की जा रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार मौजूदा धनराशि को बढ़ाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुंदर लाल पटवा) : (क) राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों के प्रयासों में मदद करता है। ये निधियां अनुमोदित आबंटन मानदंडों के अनुसार प्रत्येक राज्य को वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में आबंटित की जाती हैं। इन निधियों का जिला तथा खंड–स्तरों पर पुनः वितरण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है तथा जिला स्तर तथा खंड स्तर पर निधियों के आबंटन में वृद्धि तथा कटौती आदि भी राज्य स्तर पर की जाती है। जवाहर रोजगार योजना को 1 अप्रैल, 1999 से जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जे. जी. एस. वाई.) के रूप में पुनर्गठित किया गया है। यह मध्य प्रदेश सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित की जाती है। इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतें ही कार्यान्वयन एजेंसियां हैं। इस योजना के लिए केंद्रीय सहायता जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों को सीधे रिलीज की जाती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कोंकण रेलवे पर तेज गति से चलने वाली रेलगाडियां

698. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोंकण रेलवे निगम द्वारा कोंकण रेल मार्ग पर तेज गति से चलने वाली रेल सेवाएं शुरू की गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

क्रेनों की कमी

699. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :

श्री माधवराव सिंधिया :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में कुल कितने क्रेन चालू हालत में हैं;

(ख) क्या रेलवे के पास 140 टन क्षमता वाले क्रेनों की कमी है;

(ग) क्या रेलवे प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिये समझौते पर हस्ताक्षर होने के बावजूद उन्हीं कंपनियों से 140 टन क्षमता वाले क्रेनों का आयात कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) वर्ष 1997–98 और 1998–99 के दौरान इन क्रेनों के आयात पर कितना खर्च हुआ; और

(च) सरकार ने देश की मांग को पूरा करने और आयात पर होने वाले खर्च से बचने के लिये ऐसी क्रेनें हैं देश में उत्पादन को बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) इस समय, भारतीय रेल के पास अपनी बड़ी लाइन प्रणाली पर 79 अदद दुर्घटना राहत क्रेनें हैं जिनकी क्षमता 50 टन और इससे अधिक है। इसमें कोंकण रेल निगम पर उपलब्ध 140 टन की एक क्रेन शामिल नहीं है।

(ख) जी, हां।

(ग) रेलों ने 12 क्रेनों के आयात के लिए 1997–98 में आदेश दिए थे।

(घ) भारतीय रेलों के लिए ब. ला. की 140 टन दुर्घटना राहत क्रेनों की कुल आवश्यकता 73 अदद है। 12 क्रेनों के आयात के लिए आदेश देते समय भारतीय रेल के पास इस क्षमता की मात्र 23 क्रेनें ही थीं। तेजी से आमान परिवर्तन होने और दुर्घटना के बाद यातायात की शीघ्र बहाली की आवश्यकता और इन क्रेनों के विनिर्माण की दर बढ़ाने के लिए रेलवे कारखाने के लिए अपेक्षित समय को देखते हुए एक साथ 12 क्रेनों का आयात करना आवश्यक समझा गया था। इन क्रेनों का आयात करते समय, रेल कारखाने में नवीनतम प्रौद्योगिकी की क्रेनों के उत्पादन की सुविधा के लिए क्रेन प्रौद्योगिकी में सुधार का लाभ प्राप्त किया गया है।

वर्तमान में कोंकण रेल निगम पर उपलब्ध एक क्रेन को छोड़कर भारतीय रेल पर 140 टन की 32 दुर्घटना राहत क्रेनें हैं।

(ङ) 1997–98 और 1998–99 के दौरान क्रेनों के आयात पर किया गया खर्च इस प्रकार है :

1997–98	2.98 करोड़ रुपए
1998–99	115.31 करोड़ रुपए

(च) जमालपुर कारखाने ने, जो 140 टन क्रेनों की प्रौद्योगिकी का प्राप्तकर्ता था, सी के डी कलपुर्जों का उपयोग करके 3 क्रेनों और किट का उपयोग करके 3 क्रेनों का विनिर्माण किया था। किटों का उपयोग करते हुए 3 क्रेनों के विनिर्माण के लिए मूल्य संवर्धन लगभग 64 प्रतिशत था। इसके अलावा, जमालपुर कारखाने का कार्यक्रम 21 क्रेनों का विनिर्माण करने का है जिसमें से एक का निर्माण कर लिया गया है और 3 क्रेनों का विनिर्माण 1999–2000 में करने की आशा है। 2000–2001 से आगे प्रति वर्ष 4 क्रेनों का निर्माण करने की योजना बनाई गई है। प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के पश्चात् परेल कारखाना भी 140 टन की क्रेनों का उत्पादन करेगा।

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा का उत्पादन

700. श्री राजैया मल्याला : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में अपारंपरिक स्रोतों से उत्पादित ऊर्जा का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उत्पादित ऊर्जा की मात्रा क्या है; और

(ग) इस तरह के ऊर्जा के उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु कौन–कौन से उपाय किए गए हैं ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय आंध्र प्रदेश राज्य सहित पूरे देश में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों, जैसे–बायोगैस संयंत्रों, उन्नत चूल्हों, बायोमास गैसीकरण तथा ब्रिकेटिंग संयंत्रों, घरेलू और औद्योगिक दोनों ही सौर तापीय जल तापन, सौर प्रकाशवोल्टीय ऊर्जा आधारित ग्रामीण घरेलू रोशनी, लालटेन सिंचाई के लिए जल पंपन व ग्राम स्तर के विद्युत संयंत्रों, पवन ऊर्जा से ग्रिड संबद्ध विद्युत, लघु पनबिजली, बायोमास दहन, खोई आधारित सह–उत्पादन तथा सौर प्रकाशवोल्टीय ऊर्जा और शहरी व औद्योगिक अपशिष्टों से ऊर्जा के उत्पादन व विकास के लिए बहुत से कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है।

(ख) पिछले तीन वर्षों अर्थात्, 1996–97 से 1998–99 के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य में विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित होने वाली अनुमानित ऊर्जा की मात्रा का ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ग) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश राज्य सहित देश में अपारंपरिक ऊर्जा के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं जिनमें केन्द्र सरकार द्वारा ऊर्जा स्रोतों के उत्पादन के लिए अपने विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत राजकोषीय, वित्तीय तथा संवर्द्धनात्मक प्रोत्साहन, निजी क्षेत्र की भागीदारी को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा व्हीलिंग, बैंकिंग, क्रय-वापसी, तृतीय पक्ष को बिक्री तथा बिक्री-कर लाभों हेतु प्रेरक नीतियों की घोषणा तथा इरेडा से उदार शर्तों पर ऋण शामिल हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1996-97 से 1998-99 के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य में विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित ऊर्जा का विवरण।

क्रम सं.	स्रोत	यूनिट	अनुमानित ऊर्जा उत्पादन		
			1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4	5	6
1.	पवन विद्युत	मिलियन यूनिट	40	52	39
2.	लघु जल विद्युत	मिलियन यूनिट	33	40	55
3.	बायोमास सहउत्पादन	मिलियन यूनिट	4	4	44
4.	शहरी व औद्योगिक अपशिष्ट से ऊर्जा	मिलियन यूनिट	3.95	12.57	12.86
5.	बायोमास गैसीफायर	मिलियन यूनिट	4.84	1.92	4.41
6.	सौर प्रकाशवोल्टीय	लाख किवाघं.	2.97	3.04	3.21
7.	सौर तापीय	मिलियन यूनिट	6.4	8.2	12.8
8.	बायोगैस	मिलियन क्यूबिक मीटर	13.6	17.0	19.0

भारतीय खाद्य निगम की पूंजी बढ़ाया जाना

701. श्री ए. सी. जोस : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में भारतीय खाद्य निगम की पूंजी बढ़ाने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार, सार्वजनिक वितरण विभाग ने 27 सितम्बर, 1999 को भारतीय खाद्य निगम की अधिकृत पूंजी 1500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2500 करोड़ रुपए कर दी है।

नेदुमबसेरी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात में विमान उतरने की व्यवस्था

702. श्री टी. गोविन्दन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि नेदुमबसेरी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात में विमान उतरने की व्यवस्था कार्य नहीं कर रही है जिसके फलस्वरूप केरल में पर्यटक नहीं आ रहे हैं; और

(ख) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं। कोचीन के अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, नेदुमबसेरी पर रात्रि अवतरण संबंधी सुविधाएं सामान्यतः मई, 1999 में अर्थात इसके उद्घाटन की तारीख से ही उपलब्ध हैं। विमानपत्तन रात्रि के दौरान भी प्रचालन करता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बंडेल-कटवा मार्ग के दोहरीकरण के लिए सर्वेक्षण

703. श्री महबूब जहेदी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पश्चिमी बंगाल में बंडेल और कटवा मार्ग के दोहरीकरण के लिए सर्वेक्षण कार्य को पूरा कर चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त कार्य के पूरा कर लिये जाने की लक्ष्य तिथि क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त सर्वेक्षण के 31.3.2000 तक पूरा होने की आशा है।

पूर्वोत्तर सीमान्त रेल जोनल सलाहकार समिति

704. श्री बाजू बन रियान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने पूर्वोत्तर सीमान्त रेल जोनल सलाहकार समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति के क्या उद्देश्य हैं;

(ग) क्या उक्त समिति ने 30 दिसम्बर, 1998 को मालीगांव, गुवाहाटी में आयोजित अपनी बैठक में कुछ सुझाव दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन पर क्या कार्रवाई की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) रेल उपयोगकर्ताओं का बेहतर प्रतिनिधित्व प्राप्त करने और रेलों द्वारा मुहैया करायी जाने वाली सेवाओं तथा ऐसी सेवाओं की कार्यकुशलता बेहतर बनाने के माध्यम संबंधी मामलों पर रेलवे प्रशासन और उपयोगकर्ताओं के बीच परामर्श के लिए और अधिक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पूर्वोत्तर सीमा रेलवे सहित सभी क्षेत्रीय रेलों पर रेल उपयोगकर्ता परामर्श समितियां गठित की जाती हैं। क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता समितियां जो 01.07.1998 से 30.6.2000 की दो वर्षीय अवधि के लिए गठित की गई थीं, भंग कर दी गई हैं।

(ग) और (घ) क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति/पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के सदस्यों द्वारा 30.12.1998 को आयोजित बैठक में दिए गए सुझावों की रेलवे द्वारा जांच की गई थी और जहां कहीं आवश्यक एवं व्यावहारिक पाया गया, अपेक्षित कार्राई की गई थी।

हैदराबाद विमानपत्तन पर सुविधाएं

705. श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी :

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने 18 सितम्बर, 1996 को प्रधान मंत्री से हैदराबाद विमानपत्तन पर कुछ सुविधाएं मुहैया कराने का आग्रह किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने हैदराबाद हवाई अड्डे पर निम्नलिखित सुविधाओं के प्रावधान का अनुरोध किया था :

(1) हैदराबाद से विदेश में अवतरण–स्थलों के लिए सीधी अन्तर्राष्ट्रीय कार्गो उड़ानें।

(2) हैदराबाद हवाई अड्डे पर शीत भण्डारण सुविधाएं।

(3) हवाई अड्डे के द्वारा प्लांट सामग्री के आयात के लिए हैदराबाद हवाई अड्डे पर आधारिक संरचना तथा स्टाफ का प्रावधान और हैदराबाद हवाई अड्डे को प्लांट क्वारंटाइन फ्यूमीगेशन स्टेशन अधिसूचित किया जाना।

(ग) अद्यतन प्रगति निम्नानुसार है :

(1) 'मुक्त आकाश नीति' के अंतर्गत भारतीय तथा विदेशी विमान वाहक हैदराबाद से विदेश में अवतरण–स्थलों तक कार्गो उड़ानों को प्रचालित करने के योग्य हैं।

(2) कृषि प्रक्रमित खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण (ए. पी. ई. डी. ए.) ने हैदराबाद में शीघ्र खराब होने वाले कार्गो के लिए एक केन्द्र का निर्माण किया है। 31 जनवरी, 2000 तक यह सुविधा शुरू होने की संभावना है।

(3) इस जगह की पहचान प्लांट क्वांरटाइन फ्यूमिगेशन स्टेशन के रूप में की गई है।

रेल स्टेशनों पर स्वच्छता संबंधी सुविधाएं

706. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लगभग सभी बड़े रेल स्टेशनों पर स्वच्छता स्तर अत्यधिक घटिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने गैर–सरकारी संगठनों, सुलभ शौचालय तथा अन्य संगठनों से रेल स्टेशनों पर स्वच्छता संबंधी सुविधाओं में सुधार करने, निर्माण करने तथा उनकी देख–रेख करने के संबंध में कोई बातचीत की है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारी उपाय किए जाने हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) बड़े स्टेशन पर विद्यमान साफ–सफाई की असंतोषजनक हालत के संबंध में कुछ शिकायतें नोटिस में आई हैं।

(ख) और (ग) स्टेशनों, गाड़ियों और रेलपथों की साफ–सफाई को प्राथमिकता दी जाती है। जोनल, मंडल और स्टेशन स्तर पर निगरानी कक्षों की स्थापना की गई है। साफ–सफाई के स्तर में सुधार लाने की दृष्टि से कुछ महत्त्वपूर्ण स्टेशनों पर शौचालयों, स्नानघरों और मूत्रालयों की साफ–सफाई का कार्य "भुगतान एवं उपयोग प्रणाली के तहत मैसर्स सुलभ इंटरनेशनल सहित अनेक एजेंसियों/गैर सरकारी संगठनों को दिया गया है।

त्रिवेन्द्रम रेलवे स्टेशन का विकास

707. श्री वरकला राधाकृष्णन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास कुछ चुनिन्दा रेलवे स्टेशनों को आदर्श रेलवे स्टेशनों के रूप में विकसित करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या त्रिवेन्द्रम रेलवे स्टेशन को एक आदर्श रेलवे स्टेशन बनाने की घोषणा की जा चुकी है; और

(ग) यदि हां, तो इस रेलवे स्टेशन का विकास न करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) जी, हां। तिरुवनन्तपुरम रेलवे स्टेशन को एक आदर्श स्टेशन के रूप में चुना गया है। अपग्रेड की गई/उन्नत की गई निम्नलिखित यात्री सुविधाएं वहां पर पहले से ही मुहैया कराई जा चुकी हैं :

1. मानक स्तर के संकेतक,
2. राष्ट्रीय गाड़ी पूछताछ प्रणाली,
3. इंटर एक्टिव वॉयस रेस्पांस सिस्टम,
4. तीन पूछताछ काउंटर, सात बुकिंग काउंटर, तीन प्रतीक्षा कक्ष तथा ग्यारह विश्रामालय
5. परिचलन क्षेत्र में यातायात के संचलन के लिए वाहन–वार पृथक्करण किया गया है पार्किंग सुविधाएं उन्नत की गयी हैं,
6. दो शौचालय भुगतान करो एवं इस्तेमाल करो के आधार पर बनाए गए हैं, तथा
7. शिकायतों का कंप्यूटरीकरण करना।

मानसरोवर के तीर्थ यात्रियों के लिए वायु सेवाएं

708. श्री उत्तमराव ढिकले : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हज यात्रियों की तरह कैलाश मानसरोवर के तीर्थ यात्रियों के लिए भी विमान सेवा की कुछ व्यवस्थाएं प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) सरकार द्वारा कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रियों के लिए विमान सेवाओं की व्यवस्था करने की संभावना का पता लगा लिया गया है। क्रमशः लासा तथा काठमांडू के लिए विमान यात्रा से संबंधित दो विकल्पों पर विचार किया गया लेकिन दोनों ही विकल्पों में भू–मार्गों से आगे और यात्रा करने के साथ–साथ पर्याप्त रूप से अपेक्षाकृत अधिक खर्चा आता है। हवाई मार्ग से यात्रियों को अधिक ऊंचाई का आदी बनने से निजात मिलेगी, यह बात तीर्थ यात्रियों की तन्दरुस्ती के लिए अनिवार्य समझी गई है। भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में लिपुलेख–पास के पार वर्तमान स्थलमार्ग के साथ–साथ की गई प्रबंध व्यवस्था बेहतर है तथा इसमें पर्याप्त रूप से अपेक्षाकृत कम खर्चा आता है।

चावल की घटिया किस्म

709. श्री समर चौधरी :

श्री पवन कुमार बंसल :

क्या **उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछले कुछ महीनों के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त सड़े चावल और गेहूं की बड़ी मात्रा में त्रिपुरा और चंडीगढ़ को सप्लाई की गयी थी;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने सड़े चावल और गेहूं के स्थान पर दूसरे चावल और गेहूं लाने के लिए अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाये गये हैं ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

रेल सुरक्षा पुनरीक्षा समिति की सिफारिशें

710. श्री जी. गंगा रेड्डी :

श्री एन. आर. के. रेड्डी :

श्री वी. एम. सुधीरन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायमूर्ति एच. आर. खन्ना की अध्यक्षता में गठित रेल सुरक्षा पुनरीक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां। रेल संरक्षा समीक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट का भाग–I प्रस्तुत कर दिया है। रिपोर्ट का भाग–II अभी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(ख) रेल संरक्षा समीक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट के भाग-में 150 सिफारिशें की हैं।

(ग) इस समिति की सिफारिशों, जो सरकार द्वारा स्वीकार की जाएंगी, पर कार्रवाई शुरू करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

बरवाडीह से चिड़ीमिरि तक रेल लाइन

711. श्री ब्रजमोहन राम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरवाडीह से चिड़ीमिरि तक रेल लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त परियोजना पर आगे क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) सर्वेक्षण प्रगति पर है और इसके 31.12.2000 तक पूरा हो जाने की आशा है। सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध हो जाने पर परियोजना पर आगे विचार करना संभव होगा।

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत का उत्पादन

712. श्री ब्रजमोहन राम : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार में अपारंपरिक स्रोतों से विद्युत के उत्पादन एवं विकास हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकास हेतु कौन–कौन सी योजनाएं तैयार की गई हैं ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) से (ग) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने बिहार राज्य सहित पूरे देश में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों, जैसे–बायोगैस संयंत्रों, उन्नत चूल्हों, बायोमास गैसीकरण तथा ब्रिकेटिंग संयंत्रों, घरेलू और औद्योगिक दोनों सौर तापीय जल तापन, सौर प्रकाशवोल्टीय ऊर्जा आधारित ग्रामीण घरेलू–रोशनी, लालटेन, सिंचाई के लिए जल पंपन तथा ग्राम स्तर के विद्युत संयंत्रों, पवन ऊर्जा से ग्रिड संबद्ध विद्युत, लघु पन बिजली, बायोमास दहन, खोई आधारित सहउत्पादन तथा सौर प्रकाशवोल्टीय ऊर्जा और शहरी व औद्योगिक अपशिष्टों से ऊर्जा/विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा ऊर्जा स्रोतों के उत्पादन के लिए अपने विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए राजकोषीय, वित्तीय तथा संवर्द्धनात्मक प्रोत्साहन, निजी क्षेत्र की भागीदारी को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा व्हीलिंग, बैंकिंग, क्रय–वापसी, तृतीय पक्ष को बिक्री तथा बिक्री कर लाभों हेतु प्रेरक नीतियों की घोषणा तथा इरेडा से उदार शर्तों पर ऋण शामिल हैं। तदनुसार नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऊपर उल्लिखित अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के उत्पादन व विकास के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी रखी गई सभी योजनाओं की सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है तथा बिहार राज्य की सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी रखी गई अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की योजनाओं/कार्यक्रमों की सूची

क. राष्ट्रीय बायोमास विद्युत/सहउत्पादन कार्यक्रम

ख. सौर प्रकाशवोल्टीय प्रदर्शन कार्यक्रम

ग. कृषि व सम्बद्ध उपयोगों के लिए सौर प्रकाशवोल्टीय जल पंपन प्रणाली

घ. सौर तापीय ऊर्जा कार्यक्रम

ङ. शहरी, म्यूनिसिपल तथा औद्योगिक अपशिष्टों से ऊर्जा प्राप्ति का राष्ट्रीय कार्यक्रम

च. पवन विद्युत कार्यक्रम

छ. सौर विद्युत कार्यक्रम

- ग्रिड इंटरएक्टिव सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत कार्यक्रम
- सौर तापीय विद्युत कार्यक्रम

ज. जल पंपन पवन चक्कियों, लघु एरोजनरेटरों तथा हाइब्रिड प्रणालियों के लिए कार्यक्रम

झ. लाघु पन बिजली परियोजना कार्यक्रम

ञ. राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम

- राष्ट्रीय बायोगैस विकास कार्यक्रम
- सामुदायिक/संस्थागत/विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र

ट. राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम

ठ. एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम

ड. विशेष क्षेत्र प्रदर्शन परियोजना

ढ. पशु ऊर्जा कार्यक्रम

ण. नई प्रौद्योगिकियां

- ऊर्जा के रासायनिक स्रोत
- हाइड्रोजन ऊर्जा
- भूतापीय ऊर्जा
- भूतल परिवहन के लिए वैकल्पिक ईंधन
- महासागरीय ऊर्जा (ज्वारीय ऊर्जा)

त. सूचना व प्रचार

थ. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

द. सेमीनार, संगोष्ठी, कार्यशालाएं व सम्मेलन

ध. प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान मूल्यांकन व डाटा बैंक (टी. आई. एफ. ए. डी.)

न. राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा संस्थान

प. राष्ट्रीय बायोऊर्जा बोर्ड

फ. भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा)

ब. उत्तर पूर्व तथा सिक्किम में राज्य नोडल एजेंसियों की स्थापना

विवरण-II

बिहार राज्य में कार्यान्वित की जा रही अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की योजनाओं/कार्यक्रमों की सूची

क. राष्ट्रीय बायेमास विद्युत/सहउत्पादन कार्यक्रम।

ख. सौर प्रकाशवोल्टीय प्रदर्शन कार्यक्रम।

ग. कृषि व संबंधित उपयोगों के लिए सौर प्रकाशवोल्टीय जल पंपन प्रणाली।

घ. पवन पंप तथा एरोजनरेटर।

ङ. बायोमास गैसीफायर प्रदर्शन कार्यक्रम।

च. लघु पन बिजली परियोजना कार्यक्रम।

छ बायोगैस विकास तथा सामुदायिक/संस्थागत/विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्रों पर राष्ट्रीय कार्यक्रम।

ज राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम।

ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रमों के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता

713. श्री राजो सिंह : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्रीय स्वच्छता कार्यक्रमों के अंतर्गत अनुदान देने के लिए कोई योजना लागू कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के तहत विभिन्न राज्यों को उपलब्ध कराई गई अनुदान राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क)

जी, हां। केन्द्र सरकार देशभर में पुनर्गठित केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम नामक एक योजना को कार्यान्वित कर रही है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को दी गई अनुदान राशि का राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दी गई अनुदान राशि का ब्यौरा।

(लाख रुपये में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997–98	1998–99	1999–2000
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	1021.32	1148.93	657.68
अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	15.00
असम	0.00	0.00	0.00
बिहार	0.00	0.00	0.00
गोवा	3.75	0.00	0.00
गुजरात	215.00	200.00	125.00
हरियाणा	52.42	0.00	0.00
हिमाचल प्रदेश	50.54	70.77	35.28
जम्मू व कश्मीर	0.00	0.00	0.00
कर्नाटक	1014.55	498.67	230.57
केरल	531.47	731.37	253.03
मध्य प्रदेश	506.86	525.48	438.11
महाराष्ट्र	1285.38	575.28	402.44
मणिपुर	15.00	45.50	8.96
मेघालय	15.91	35.00	0.00
मिजोरम	4.68	21.00	0.00
नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00
उड़ीसा	405.54	315.82	527.98
पंजाब	0.00	53.35	0.00
राजस्थान	193.76	193.76	223.35
सिक्किम	23.13	28.00	3.47
तमिलनाडु	925.93	496.39	283.59
त्रिपुरा	48.67	24.00	0.00
उत्तर प्रदेश	2641.99	1116.49	567.28
पं. बंगाल	304.21	304.21	0.00
अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00
चण्डीगढ़	0.00	0.00	0.00
दादर व नगर हवेली	0.00	0.00	0.00
दमन एवं द्वीव	2.50	3.50	0.00
दिल्ली	0.00	0.00	0.00
लक्षद्वीप	2.50	3.50	0.00
पांडिचेरी	2.50	3.50	0.00
कुल	9267.61	6394.52	3771.72

रेल इंजनों, सवारी डिब्बों एवं माल डिब्बों का निर्माण

714. श्री बसुदेव आचार्य :

श्री रामचन्द्र वीरपप्पा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के पास इस समय जोन–वार कितने प्रकार के रेल इंजन हैं;

(ख) देश में प्रतिवर्ष कितने रेल इंजनों/सवारी डिब्बों/माल डिब्बों का कारखाने–वार निर्माण क्या जा रहा है और देश में प्रतिवर्ष कितने रेल इंजनों/सवारी डिब्बों का आयात किया जाता है;

(ग) क्या सरकार ने रेल इंजनों/सवारी डिब्बों/माल डिब्बों के निर्माण में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) जी; हां। भारतीय रेलें पहले से ही रेल इंजनों, सवारी डिब्बों तथा मालडिब्बों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हैं।

विवरण

(क) इस समय (1.4.99) को रेलों के पास जोन–वार रेल इंजनों की किस्म निम्न है :

	ब. ला.		मी. ला.			छो.ला	
रेलवे	डीजल	बिजली	डीजल	बिजली	भाप	डीजल	भाप
म. रे.	665	772	–			–	–
पू. रे.	500	431	–	–	–	41	–
उ. रे.	573	282	–	–	–	28	–
पूर्वो. रे.	125	–	131	–	–	–	–
पू. सी. रे.	199	–	126	–	–	–	–
द. रे.	378	173	105	20	8	–	14
द. म. रे.	421	304	54		–	–	–
द. पू. रे.	557	507			–	70	–
प. रे.	358	323	237	–	14	22	–
जोड़	3696	2792	653	20	22	161	14

(ख) विगत तीन वर्षों में देश में प्रतिवर्ष आयातित रेल इंजनों/सवारी डिब्बों की संख्या के साथ–साथ देश में प्रतिवर्ष उत्पादन किए जा रहे रेल इंजनों/सवारी डिब्बों/माल डिब्बों की कारखाना–वार संख्या इस प्रकार है :

रेल इंजन

वर्ष	डीजल	बिजली		आयतित	
	डीरेका	चिरेका	भेल	डीजल	बिजली
1996–97	157	155	20	–	24
1997–98	164	165	28	–	–
1998–99	161	165	5	21	–

सवारी डिब्बे

वर्ष	रेडिका	ःपडिका	बीईएमएल	जेस्सपस	आयातित
1996–97	920	1011	211	26	–
1997–98	1031	1010	220	16	–
1998–99	1087	1057	295	27	–

माल डिब्बे

वर्ष	गोल्डन रॉक कारखाना	समस्तीपुर कारखाना	अमृतसर कारखाना	मालडिब्बा निर्माता	आयातित
1996–97	590	452.5	550	20592.5	—
1997–98	802.5	550	550	25962.5	—
1998–99	762.5	600	650	23222.5	—

राज्यों को चावल का कोटा

715. श्री पी. सी. थामस : क्या **उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों के चावल आबंटन के मानदंड क्या हैं;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार ने राज्यों के कोटे में काटौती की है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उपभोक्ता और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जून, 1997 से शुरू की गई लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए चावल और गेहूं का मासिक कोटा निर्धारित किया जाता है ताकि गरीबी की रेखा से नीचे की जनसंख्या को विशिष्ट राजसहायता प्राप्त दरों पर प्रति माह प्रति परिवार 10 किलोग्राम की दर से खाद्यान्न मुहैया किया जा सके। योजना आयोग ने प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में गरीबी की रेखा से नीचे की जनसंख्या का अनुमान स्वर्गीय प्रो. लाकड़ावाला की अध्यक्षता में गरीबी की संख्या और अनुमान संबंधी अनुपात के संबंध में गठित विशेषज्ञ दल की कार्य प्रणाली के आधार पर लगाया गया है। गरीबी रेखा से ऊपर की जनसंख्या के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली और गरीबी रेखा से नीचे के कोटे के अधीन पिछले 10 वर्षों के खाद्यान्नों के वार्षिक औसत उठान के अन्तर के समतुल्य खाद्यान्नों के अस्थायी आबंटन भी किए जाते हैं। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आबंटित खाद्यान्नों की मात्रा का विभाजन चावल और गेहूं के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की रुचि के अनुसार किया जाता है।

(ख) और (ग) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लागू होने से तत्काल पूर्व किए गए आबंटन की मात्रा, जो कि विभिन्न कारणों से उच्च रिकार्ड की गई थी, की तुलना में उपर्युक्त मापदण्डों के अनुसार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आबंटन कम किए गए थे। इसके मद्देनजर राज्य सरकारों को अतिरिक्त आबंटन भी किए गए हैं।

[हिन्दी]

पीपाड़-बिलाड़ा रेल-लाइन का आमान परिवर्तन

716. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पीपाड़–बिलाड़ा रेल–लाइन जिसकी आधारशिला 22 सितम्बर, 1997 को तत्कालीन रेल मंत्री द्वारा रखी गयी थी; का कार्य शुरू होने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ख) उक्त आमान परिवर्तन के कार्य को शुरू करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) कार्य स्वीकृत है। बहरहाल, संसाधनों की अत्यधिक तंगी और लाइन की निम्न परिचालनिक प्राथमिकता के कारण इस कार्य को शुरू करने के लिए अभी तक संसाधनों का आबंटन करना संभव नहीं हो पाया है। चल रही कुछ परियोजनाओं के पूरा हो जाने तथा संसाधन की स्थिति सुधरने के बाद कार्य शुरू किया जा सकेगा।

[अनुवाद]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चीनी की कमी

717. श्री अशोक ना. मोहोल : क्या **उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चीनी की मांग का आकलन कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चीनी की कितनी मात्रा की कमी होने का अनुमान लगाया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस आवश्यकता को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) वर्तमान चीनी मौसम

1999–2000 (अक्तूबर–सितम्बर) के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण हेतु लेवी चीनी की कुल आवश्यकता लगभग 46.00 लाख टन आंकी गई है।

(ख) और (ग) 01.10.99 की स्थिति के अनुसार 67.23 लाख टन (अनंतिम) पूर्वावशिष्ट स्टॉक तथा चालू चीनी मौसम 1999–2000 के दौरान 160.00 लाख टन के अनुमानित उत्पादन से देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण हेतु चीनी की कोई कमी नहीं हो सकती। तथापि चालू चीनी मौसम 1999–2000 के आरम्भिक कम उत्पादन के महीनों के दौरान लेवी चीनी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए चीनी मिलों के खुली बिक्री हिस्से में से 2.00 लाख टन चीनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उपभोग के लिए उधार ली गई थी जिसे जून 2000 तक लौटा दिया जाएगा।

गैसल में रेल दुर्घटना

718. श्री प्रभुनाथ सिंह :

श्री मोहन रावले :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2 अगस्त, 1999 को दिल्ली जाने वाली ब्रह्मपुत्र मेल और गुवाहाटी जाने वाली अवध–असम एक्सप्रेस के बीच पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के अन्तर्गत गैसल स्टेशन पर एक गंभीर रेल हादसा हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उक्त दुर्घटना में कितने लोग मारे गये/घायल हुये और कितनी सरकारी संपत्ति की क्षति हुयी;

(ग) दुर्घटना के शिकार लोगों के परिवारों को कितना मुआवजा दिया गया;

(घ) क्या पहली क्रेन 20 घंटे और दूसरी क्रेन 50 घंटे में गैसल पहुंची;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने दुर्घटना स्थल पर क्रेनों के पहुंचने में हुये अत्यधिक विलम्ब की जांच की है;

(च) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला और इस मामले में क्या कार्रवाई की गयी है;

(छ) क्या रेलवे के पास क्रेनों की कमी है; और

(ज) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) उक्त दुर्घटना में 287 व्यक्ति मारे गए थे तथा 259 व्यक्ति घायल हुए थे। इस दुर्घटना में 1007.18 लाख रुपए की सरकारी संपत्ति की हानि हुई थी।

(ग) कुछ नहीं।

(घ) से (च) जी, नहीं। दुर्घटना स्थल पर पहली दुर्घटना राहत गाड़ी एक क्रेन सहित 15 घंटे और 30 मिनट बाद पहुंची थी तथा दूसरी 21 घंटे और 55 मिनट बाद पहुंची थी।

(छ) और (ज) क्रेनों की समग्रतः कोई कमी नहीं है तथापि 140 टन क्षमता वाली क्रेनों की कमी है।

पवन-चक्कियों से विद्युत-उत्पादन

719. डॉ. वी. सरोजा : क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य–वार पवन–चक्कियां कहां–कहां हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान पवन–चक्कियों से कितनी मात्रा में विद्युत का उत्पादन किया गया है;

(ग) पवन–चक्कियों से विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और कितनी राशि उपलब्ध कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) देश में समग्र रूप से अब तक 1077 मेगावाट की पवन विद्युत क्षमता की स्थापना की जा चुकी है। इन स्थापनाओं का राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पवन विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत की मात्रा नीचे दी गई है :

1996–97	878	मिलियन किवाघं.
1997–98	988	मिलियन किवाघं.
1998–99	1065	मिलियन किवाघं.

(ग) और (घ) पवन संसाधन मूल्यांकन कार्यक्रम के अंतर्गत संभाव्यता वाले स्थलों की पहचान की जाती है जिन पर पवन विद्युत परियोजनाओं हेतु उपयुक्त होने के बारे में विचार किया जा सकता है। अब तक 13 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 177 स्थलों की पहचान की जा चुकी है। संभाव्यता वाले राज्यों में सीमित संख्या में कुछ प्रदर्शन

परियोजनाओं के लिए निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं। अब तक 9 राज्यों में 55 मेगावाट क्षमता की प्रदर्शन परियोजनाओं की स्थापना की जा चुकी है। केन्द्र और राज्य सरकारें भी करों एवं शुल्कों से राहत, त्वरित मूल्य ह्रास आदि सहित राजकोषीय और वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराती हैं। अब तक 14 राज्यों ने ऐसी परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत की व्हीलिंग, बैंकिंग और क्रय–वापसी के लिए संवर्धनात्मक नीतियों की घोषिणा कर दी है। वाणिज्यिक पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) द्वारा की उदार ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

31.10.1999 के अनुसार पवन विद्युत की स्थापित क्षमता का राज्य–वार ब्यौरा

राज्य	क्षमता (मेवा.)	प्रमुख स्थल
आंध्र प्रदेश	68	कदावकल्लू, रामागिरी, तल्लीमदुगुला
गुजरात	167	ओखामाधी, लाम्बा, नवादरा, भोगट, पतेलका, कल्याणपुर, ढाक, परनसाला, रायसलका, वडेखान मेरवाडार
कर्नाटक	28	चिकोडी, मधाकरिपुरा, मलासमुन्द्र, बेलाडोडी, कपटगुडा, हनमसागर, जोगीमट्टी
केरल	2	कांजीकोड
मध्य प्रदेश	20	जामगोदरानी
महाराष्ट्र	32	देवगढ़, विजयदुर्ग, चलकेवाडी, गुडेपंचगनी, थोसेघर, वनकुसावडे
राजस्थान	2	जैसलमेर
तमिलनाडु	157	कयाथार, मुप्पनडल, केथानूर, टूटीकोरन, पुलियमकुलम, सुल्तानपेट, पेरूनगुडी, पुलावाडी, देवरकुलम, एडियारपलायम

लेवी चीनी का मूल्य

720. श्री चन्द्रनाथ सिंह :

श्री शीशराम सिंह रवि :

क्या **उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्ने के मूल्य की तुलना में लेवी चीनी का मूल्य बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या चीनी मिल मालिकों की ओर से किसानों को उनकी फसल का करीब 1000 करोड़ रुपये देय है और सरकार द्वारा 300 करोड़ रुपये की लेवी चीनी की खरीद का भुगतान न होने के कारण किसानों को ये भुगतान करने में असमर्थ है;

(घ) यदि हां, तो किसानों को 700 करोड़ रुपये का भुगतान रोकने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा चीनी मिल मालिकों द्वारा किसानों को भुगतान कराने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य

मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) 1998–99 चीनी मौसम के लिए सरकार द्वारा लेवी चीनी की फैक्ट्री बाह्य मूल्य 52.70 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर निर्धारित गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य के आधार पर अधिसूचित किया गया है जो गन्ने के 8.5 प्रतिशत की मूल वसूली प्रतिशत से जुड़ा हुआ है।

(ग) और (घ) 30.9.99 की स्थिति के अनुसार चीनी मौसम 1998–99 के लिए चीनी मिलों द्वारा गन्ना उत्पादकों को देय गन्ना मूल्य बकाया 288.65 करोड़ रुपये था जो कि विगत चीनी मौसम 1997–98 को इसी तारीख को देय कुल मूल्य 239.28 करोड़ रुपये, जो कुल मूल्य का 3.1 प्रतिशत है की तुलना में 3 प्रतिशत बैठता है।

(ङ) चीनी मिलों द्वारा किसानों को गन्ना मूल्य बकाया के समय पर भुगतान को सुनिश्चित कराने का दायित्व सरकारों का है जिनके पास ऐसे भुगतानों को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक शक्तियां तथा क्षेत्र में कार्य करने वाली एजेंसियां हैं। केन्द्र सरकार द्वारा गन्ना (नियंत्रण) आदेश 1966 के प्रावधानों जिसमें 15 दिनों से अधिक विलम्ब की स्थिति में ब्याज का भुगतान भी शामिल है की ओर ध्यान दिलाया गया है तथा गन्ना मूल्य बकाया के निपटान तीव्रता से किए जाने के लिए समय–समय पर राज्य सरकारों को उच्च स्तर पर सलाह देती है। केन्द्र सरकार द्वारा घरेलू बाजार में खुली बिक्री चीनी कोटा के विवेकपूर्ण रिलीज के माध्यम से चीनी मूल्यों के स्थायित्व और औचित्यपूर्ण स्तर को प्रोत्साहित करने के लिए नीति का पालन किया गया है और वांछनीय विशिष्ट मामलों में किसानों के गन्ना मूल्य बकाया का निपटान किए जाने के लिए किसानों को उच्च खुली बिक्री कोटा के रूप में सहायता दी गई है।

खाद्य तेल की मूल्य वृद्धि

721. श्री ए. वेंकटेश नायक :

श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल विशेषतया सरसों के तेल को सीलबंद डिब्बों में बेचने की अनुमति के बाद ही इनके मूल्य में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा खाद्य तेलों के मूल्यों को नियंत्रित करने हेतु क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (ग) खाद्य तेलों की पैक किए हुए कन्टेनरों में अनिवार्य बिक्री के लिए एडिबल पैकेजिंग आर्डर 15.12.1998 को प्रवृत्त हुआ था। तबसे जुलाई, 1999 तक खाद्य तेलों, मुख्य रूप से सरसों के तेल के मूल्यों में क्रमिक रूप से गिरावट आई है। अगस्त और सितम्बर, 1999 के महीनों में मामूली वृद्धि हुई है। तबसे मूल्यों में पुनः गिरावट की प्रवृत्ति रही है।

मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च शक्ति प्राप्त मूल्य मानीटरिंग बोर्ड गठित किया गया है। यह बोर्ड साप्ताहिक आधार पर खाद्य तेलों के मूल्यों की मानीटरिंग कर रहा है और मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त उपाय कर रहा है।

रेल पटरियों में दरारों का पता लगाना

722. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रेल पटरियों में टूट–फूट रेल सुरक्षा में बड़ी रुकावट है;

(ख) यदि हां, तो खराब पटरियों का पता लगाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाया है;

(ग) क्या रेल पटरियों में टूट–फूट का पता लगाने के लिए अल्ट्रासोनिक फ्ला–डिटैक्टर और सेल्फ प्रोपेल्ड अल्ट्रासोनिक रेल टेस्ट कार का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जा सकता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने खराब पटरियों का पता लगाने के लिए 'यू. एस. एफ. डी. और 'स्पर्टकार' का प्रयोग करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजिय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) अल्ट्रासॉनिक फ्ला–डिटेक्टरों के जरिए तथा मानवीय रूप से आवर्धक लेंस का उपयोग करके पटरियों की बारम्बार जांच की जाती है।

(ग) जी, हां।

(घ) (i) मानवीय रूप से चलने वाली अल्ट्रासॉनिक फ्ला–डिटेक्शन मशीनों के द्वारा पटरियों की बारम्बार जांच की जाती हैं।

(ii) दो अदद स्पर्ट यानों की व्यवस्था करने के लिए इनकी खरीद करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

[हिन्दी]

खाद्य तेलों का आयात

723. श्री जे. एस. बराड़ :

श्री नवल किशोर राय :

क्या **उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान देश में खाद्य तेलों की मांग और आपूर्ति के बीच के अन्तर का अनुमान लगा लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मांग की पूर्ति करने के लिए खाद्य तेल का आयात किया गया; और

(घ) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान निजी और सरकारी क्षेत्रों द्वारा कितनी मात्रा में खाद्य तेल का आयात किया गया है ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) तेल वर्ष 1998–99 (नवम्बर–अक्तूबर) के लिए खाद्य तेलों की मांग और आपूर्ति के बीच अन्तर का अनुमान लगा लिया गया था।

(ख) तेल वर्ष 1998–99 के लिए, ब्यौरा निम्नलिखित है :

(आंकड़े लाख टन में)

	आपूर्ति	मांग	अन्तर
1998–99	72.61	91.99	19.38

(ग) जी, हां।

(घ) 22.11.1999 तक आयातकों से प्राप्त विवरण के अनुसार वर्ष 1998–99 (नवम्बर–अक्तूबर) के दौरान कुल 33 लाख टन खाद्य तेलों का आयात किया गया। उपरोक्त आयात में राज्य व्यापार निगम द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए 1.67 लाख टन तेल भी शामिल है।

अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों की स्थापना

724. डॉ. अशोक पटेल : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में और अधिक अन्तर्राष्ट्रीय विमापत्तन की स्थापना का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा; और

(घ) इस पर विमानपत्तनवार कितना व्यय होने का अनुमान है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (घ) सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप मौजूदा विमानपत्तनों के स्तरोन्नयन के साथ–साथ नए अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों के निर्माण संबंधी सुझाव मिलते रहे हैं इस दिशा में अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिए गए हैं।

राजस्थान में नागर विमानन सेवाओं का विस्तार

725. प्रो. रासा सिह रावत : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में नागर विमानन सेवाओं के विस्तार हेतु बनाई गई योजनाओं और राज्य के नए हवाई अड्डों के निर्माण के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके लिए क्या वित्तीय प्रावधान किया गया है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) नौवीं पचंवर्षीय योजना के दौरान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और जैसलमेर विमानपत्तनों को विकसित करने की योजना है जिसके लिए 44 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। किन्तु राजस्थान में किसी विमानपत्तन के निर्माण की योजना नहीं है। इस समय एलायंसएयर, जो इन्डियन एयरलाइन्स की सहायक कंपनी है, उदयपुर, जोधपुर और जयपुर तक अनुसूचित सेवाएं प्रचालित करती है। पर्यटकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जाड़े के मौसम में उड़ानें जैसलमेर तक भी प्रचालित की जाती हैं। निजी प्रचालक वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर राजस्थान के किसी भी गन्तव्य स्थल पर प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र है।

(ग) और (घ) राजस्थान सरकार ने अजमेर में एक हवाई अड्डे के निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजा था। किन्तु योजना आयोग द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदित नहीं किया गया है चूंकि यह परियोजना आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है। इसके अलावा, विमानपत्तन आधारित संरचना नीति

के मामले में, यदि अवस्थिति मौजूदा हवाई अड्डों से 150 किलोमीटर की वैमानिकी दूरी से बाहर है, नया हवाई अड्डा विकसित किया जा सकता है।

मालगाड़ी में वॉकीटॉकी प्रणाली का कार्यान्वयन

726. श्री रामपाल सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक्सप्रेस गाड़ियों में 'वॉकीटॉकी' प्रणाली की सफलता को देखते हुए ड्राइवर और गार्ड के बीच संपर्क बनाने हेतु मालगाड़ियों में 'वॉकीटॉकी' प्रणाली को लागू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) सवारी और मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों, जिनमें पहले से ही वाकी–टॉकी सेट उपलब्ध हैं के अलावा 31.3.2000 तक सभी मालगाड़ियों में वाकी–टॉकी सेट उपलब्ध कराने का निर्णय पहले ही ले लिया गया है।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में 'आपरेशन लीच'

727. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी 1998 में तीन सशस्त्र सेनाओं द्वारा शुरू की गई 'आपरेशन लीच' की छानबीन पूरी कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणाम क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सिक्किम में रेल नेटवर्क का विस्तार

728. श्री भीम दाहाल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम में रेल नेटवर्क का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) सिंगटुम के रास्ते सेवोक से गंगटोक तक रेलवे लाइन के विस्तार हेतु एक सर्वेक्षण प्रगति पर है। सर्वेक्षण के आगामी वित्त वर्ष के दौरान पूरा होने की संभावना है। सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध होने पर ही परियोजना पर आगे विचार करना संभव होगा।

प्रौद्योगिकी का स्तरोन्नयन

729. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मालडिब्बों, रेल इंजनों तथा सवारी डिब्बों के निर्माण हेतु प्रौद्योगिकी को स्तरोन्नत करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो अंतिम रूप दिए गए/विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या प्रभाव होंगे;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान डीजल/विद्युत रेल इंजनों तथा सवारी डिब्बों के निर्यात से संबंधित आंकड़े क्या हैं और आगामी तीन वर्षों के लिए किन–किन प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है;

(घ) क्या वर्तमान आयातित डीजल/विद्युत रेल इंजनों की सेवा ली जा रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का पर्यटन को आकर्षित और प्रोत्साहित करने के लिए विशेष रेलगाड़ियों में विशेष तौर पर डिजाइन किए गए सवारी डिब्बों का आयात करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) (i) **माल डिब्बे :** बी ओ एक्स एन माल डिब्बे का मौजूदा अभिकल्प अधिक गति पर अधिक धुराभार ढोने के लिए अपग्रेड किया गया है जिससे थ्रूपुट में महत्त्वपूर्ण वृद्धि होगी। ऐसे 300 माल डिब्बों के लिए परीक्षण आदेश पहले ही दे दिए गए हैं।

वैगनों के लिए अधिक गति वाली रेलपथ के अनुकूल बोगियां विकसित करने के लिए एक निविदा विचाराधीन है। इससे पहियों की आयु में सुधार होगा और रेलपथ की घिसावट कम होगी जिससे अनुरक्षण व्यय में महत्त्वपूर्ण बचत होगी। उच्च गति क्षमता आदि के कारण उत्पादकता में समग्र रूप से भी सुधार होगा।

(ii) **सवारी डिब्बे :** जर्मनी की मैसर्स एल्सटोम होफ्मन्न बुश्च

से आधुनिक सवारी डिब्बों के लिए प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण तथा सप्लाई ठेका निष्पादित किया जा रहा है जिससे मौजूदा सवारी डिब्बों को बदलने के लिए आधुनिक, हलके वजन के सवारी डिब्बे और अधिक पानी ढोने की क्षमता वाले डिब्बे उपलब्ध हो सकेंगे। ये सवारी डिब्बे भारतीय रेल के यात्रियों के लिए आरामदायक होंगे और आंतरिक सज्जा अंतर्राष्ट्रीय मानक की होंगी।

(iii) **डीजल रेल इंजन :** भारतीय रेल ने डीजल रेल इंजन कारखाना/वाराणसी में 4000 अश्व शक्ति के 3 फेज ए सी/डी सी डीजल रेल इंजनों के स्वदेशी विनिर्माण के लिए प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए एक समझौता किया है।

(iv) **बिजली रेल इंजन :** चितरंजन रेल इंजन कारखाना, चित्तरंजन में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के बिजली के रेल इंजनों के विनिर्माण के लए 23.7.93 के ठेका सं. 92/आरएसएफ/459/5 (जीपी-140) के तहत मैसर्स ए बी बी (अब मैसर्स एडट्रेन्ज) से प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण सहित 3 फेज ड्राइव माइक्रोप्रोसेसर कंट्रोल और कमी का पता लगाने वाले और पुनर्सृजन ब्रेकिंग प्रणाली के 30 बिजली रेल इंजन अभी तक प्राप्त कर लिए हैं। प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण की प्रगति संतोषजनक है और चितरंजन रेल इंजन कारखाना, चित्तरंजन में इन रेल इंजनों का स्वयं भी निर्माण पहले ही प्रारंभ किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त माइक्रोप्रोसेसर कन्ट्रोल सिस्टम, स्टेटिक कन्वर्टर, एयर ड्रायर, सिंगल बोटल वैक्यूम सर्किट ब्रेकर इत्यादि की व्यवस्था करके मौजूदा रेल इंजनों को उन्नत भी किया जा रहा है।

(ग) (i) **डीजल रेल इंजन :** डीजल रेल इंजनों का वर्ष-वार आयात निम्नलिखित है :

1996-97	—	कुछ नहीं
1997-98	—	कुछ नहीं
1998-99	—	21 डीजल माल रेल इंजन (डीरेका), वाराणसी में असेम्बल करने के लिए अंशतः खुली हालत में प्राप्त 8 रेल इंजनों सहित) 10 यात्री डीजल रेल इंजनों के आयात हेतु मैसर्स जनरल मोटर्स/यू एस ए के साथ दूसरे ठेके पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं जो आगामी 3 वर्षों के दौरान प्राप्त होंगे।

(ii) **बिजली रेल इंजन :** पिछले 3 वर्षों के दौरान 3 फेज ए बी बी बिजली रेल इंजनों का वर्ष-वार आयात निम्निलिखित है :

1996-97	—	24 अदद
1997-98	—	कुछ नहीं
1998-99	—	कुछ नहीं

फिलहाल बिजली रेल इंजनों के आयात के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(iii) **सवारी डिब्बे :** पिछले 3 वर्षों के दौरान कोई भी डिब्बा आयात नहीं किया गया है और आगामी 3 वर्षों में 24 सवारी डिब्बे आयात किए जाने की संभावना है।

(घ) (i) **डीजल रेल इंजन :** 13 असेम्बल किए हुए और डीरेका/वाराणसी द्वारा आंशिक रूप से खुले असेम्बल किए गए फिलहाल सेवा में हैं।

(iii) **बिजली रेल इंजन :** 30 आयातित बिजली रेल इंजन सेवा में हैं और महत्त्वपूर्ण मेल/एक्सप्रेस सवारी गाड़ियों और भारी भरकम माल-गाड़ियों में चल रहे हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

रेल विभाग में सेना जैसा अनुशासन

730. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सबसे बुरी आपदा के बाद रेलवे बोर्ड ने 'शून्य-दुर्घटना' स्थिति को प्राप्त करने के लिए सेना जैसे अनुशासन को लागू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे बोर्ड ने अगस्त, 1998 के दौरान 'सर्वाधिक युक्तियुक्त' आयात प्रणाली के कार्य की समीक्षा करने के लिए बैठक की;

(ग) यदि हां, तो कौन-कौन से मुख्य निर्णय किये गये;

(घ) क्या रेलले बोर्ड ने भविष्य में रेल दुर्घटना से बचाव के लिए रेलवें स्टाफ में अनुशासन की जांच करने के लिए कोई ठोस कार्यवाही की; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) 2 अगस्त, 1999 को असम मेल और ब्रह्मपुत्र मेल की टक्कर के परिणामस्वरूप

भारी संख्या में लोग हताहत हुए थे, अध्यक्ष/रेलवे बोर्ड ने 19 अगस्त, 1999 को सभी महाप्रबंधकों को रेलों पर 'संरक्षा के विषय' पर एक विस्तृत पत्र भेजा था जिसमें जोर दिया गया था कि भारतीय रेलों को एक ऐसी परिस्थिति में काम करना है जहां कर्मचारियों की गलती और परिसंपत्तियों की खराबी की कोई गुंजाइश न हो। यह भी जोर दिया गया था कि सुरक्षित और कार्यकुशल सेवाएं मुहैया कराने के लिए भारतीय रेलों की प्रणाली और कार्यविधि, सेना की प्रणाली और कार्यविधि से अधिक कुशल होनी चाहिए।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) जी, हां। रेलवे कर्मचारियों का अनुशासन बेहतर बनाने के लिए तत्काल किए जाने की आवश्यकता रखने वाले उपायों का उल्लेख अध्यक्ष/रेलवे बोर्ड के दिनांक 19 अगस्त, 1999 के सभी महाप्रबंधकों के नाम उपरोल्लिखित पत्र में किया गया है ताकि रेलों पर सुरक्षित संचलन सुनिश्चित किया जा सके। इसमें (i) समय पालन उपस्थिति सहित और अधिक सख्त कर्मचारी अनुशासन नियम (ii) नियमों का ज्ञान, मानसिक सजगता, ड्यूटी स्थलों पर उपलब्धता और संगठन के प्रति पूर्ण समर्पण (iii) कर्मचारियों को अद्यतन अनुदेशों की सुलभता (iv) पर्यवेक्षी कर्मचारियों द्वारा उनके कार्यकलाप के क्षेत्र को पूरा समय समर्पित किया जाना, ड्यूटी से असंबद्ध कार्यकलापों को न्यूनतम रखना (v) विभिन्न चरणों में निर्धारित मोड्यूल्स के अनुसार रेलवे अधिकारियों का उपयुक्त प्रशिक्षण अर्थात् प्रारंभिक भर्ती प्रशिक्षण, पुनश्चर्या प्रशिक्षण, प्रोन्नति प्रशिक्षण और विशेषज्ञता प्रशिक्षण (vi) रात्रि के समय अचानक जांच शामिल हैं।

[हिन्दी]

उपभोक्ता सूचना केंद्र

731. श्री रामदास आठवले : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में उपभोक्ता सूचना केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन केंद्रों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) स्कीम के तहत किसी ख्यातिप्राप्त उपभोक्ता संगठन द्वारा एक उपभोक्ता सूचना केंद्र चलाया जाएगा, जो एक पुस्तकालय, एक मार्गदर्शक केंद्र, एक संसाधन केंद्र तथा एक परीक्षण केंद्र के रूप में कार्य करेगा। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के पास उपलब्ध उपभोक्ता से संबंधित समस्त सूचना उक्त केंद्र को मुहैया कराई जाएगी।

(ग) उपभोक्ता सूचना केंद्रों की स्थापना करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नही कई गई है। यह उन ख्यातिप्राप्त स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों की प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है जो केंद्रों की स्थापना का काम करने के लिए पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं।

हाजीपुर-वैशाली-सुगौली रेल लाइन हेतु सर्वेक्षण

733. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) हाजीपुर–वैंशाली–सुगौली रेल लाइन संबंधी सर्वेक्षण रिपोर्ट पर कार्रवाई की गई है; और

(ख) उक्त रेल लाइन का निर्माण कार्य कब तक आरम्भ हो जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) सर्वेक्षण रिपोर्ट से यह पता चलता है कि 67 कि. मी. लंबी इस लाइन की लागत 106 करोड़ रुपए है जबकि प्रतिफल की दर (–) 2.75% है। इस लाइन के समग्रतः अलाभप्रद प्रकृति की होने और संसाधनों की अत्यधिक तंगी के कारण फिलहाल इस परियोजना को शुरू करने पर विचार करना संभव नहीं हो पाया है।

बहरहाल, इस क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों की लगातार मांगों के आधार पर नये सर्वेक्षण के लिए आदेश दिया गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध हो जाने पर ही परियोजना पर आगे विचार करना संभव होगा।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा गांवों का चयन

734. श्री राजैया मल्याला : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद ने ग्रामीण विकास क्षेत्र में लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए कुछ गांवों का चयन किया है;

(ख) यदि हां, तो इन गांवों के जिले–वार और राज्य–वार नाम क्या हैं और इनका चयन कब से किया गया है; और

(ग) इसकी क्या उपलब्धियां रही हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ने ग्रामीण विकास क्षेत्र में लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए किसी भी गांव को नहीं अपनाया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अन्तर्गत निधियों का प्रावधान

735. श्री सुरेश चन्देल : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्याप्त निधियों के अभाव में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार देश में गरीबी उन्मूलन हेतु पर्याप्त धनराशि का प्रावधान करने के लिए सहमत हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में गत तीन वर्षों के दौरान अभी तक कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) जी, नहीं।

(ख) निधियों के आबंटन में गरीबी उपशमन कार्यक्रमों को उच्च प्राथकिता दी जाती है।

(ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.), ग्रामीण महिला एवं बाल विकास (डवाकरा), ग्रामीण युवा स्व–रोजगार प्रशिक्षण (ट्राइसेम), ग्रामीण कारीगरों को उन्नत औजारों की आपूर्ति (सिट्रा), जवाहर रोजगार योजना (जे. आर. वाई.), इन्दिरा आवास योजना (आई. ए. वाई.), दस लाख कुओं की योजना (एम. डब्ल्यू. एस.) और सुनिश्चित रोजगार योजना (ई. ए. एस.) के अंतर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य–वार आबंटन को दिखाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

1996-97 से 1998-99 के दौरान कार्यक्रम–वार और राज्य–वार आबंटन

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आई आर डी पी			डवाकरा			ट्राइसेम			सिट्रा		
		1996-97	1997-98	1998-99	1996-97	1997-98	1998-99	1996-97	1997-98	1998-99	1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	4168.21	4306.11	3867.15	359.38	362.25	414.29	342.46	342.46	237.98	313.14	274.00	313.14
2.	अरुणाचल प्रदेश	311.72	322.83	201.91	22.38	22.55	21.42	25.61	25.61	12.46	43.20	37.80	16.33
3.	असम	1371.75	1417.12	5246.36	141.88	143.01	561.20	112.70	112.70	323.71	94.68	82.85	424.42
4.	बिहार	8109.12	8377.40	12668.33	380.25	383.29	1357.52	637.24	637.24	779.64	564.12	493.61	1025.87
5.	गोवा	70.94	73.29	8.91	4.50	4.54	1.01	5.83	5.83	0.55	7.20	6.30	0.72
6.	गुजरात	1529.61	1580.22	1455.67	129.13	130.16	155.99	125.67	125.67	89.58	98.00	85.75	117.87
7.	हरियाणा	367.67	379.83	856.39	73.25	73.84	91.73	30.20	30.20	52.70	61.20	53.55	69.35
8.	हिमाचल प्रदेश	119.89	123.86	360.66	38.00	38.30	38.56	9.90	9.90	22.20	43.20	37.80	29.20
9.	जम्मू व कश्मीर	499.55	516.08	446.37	110.00	110.88	47.88	70.00	70.00	27.47	50.40	44.10	36.14
10.	कर्नाटक	2797.45	2890.00	2920.24	193.50	195.05	312.98	229.92	229.92	179.71	193.14	169.00	236.47
11.	केरल	1018.07	1051.75	1310.30	90.00	90.72	140.36	83.64	83.64	80.64	70.20	61.43	106.10
12.	मध्य प्रदेश	5282.69	5457.47	6421.25	349.38	352.17	688.21	433.98	433.98	395.20	364.50	318.94	520.01
13.	महाराष्ट्र	4543.87	4694.20	5772.61	286.00	288.29	618.41	373.32	373.32	355.28	313.56	274.37	467.49
14.	मणिपुर	224.80	232.24	351.71	30.63	30.87	37.55	18.47	18.47	21.70	18.00	15.75	28.45
15.	मेघालय	238.78	246.68	394.05	55.00	55.44	42.08	19.62	19.62	24.31	25.20	22.05	31.88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16.	मिजोरम	100.91	104.25	91.18	8.50	8.57	9.58	8.29	8.29	5.63	10.80	9.45	7.38
17.	नागालैंड	167.85	173.40	270.30	15.25	15.37	28.98	13.79	13.79	16.68	25.20	22.05	21.87
18.	उड़ीसा	3381.92	3493.81	4423.22	202.88	204.50	473.76	277.86	277.86	272.24	233.28	204.12	358.22
19.	पंजाब	260.76	269.39	416.20	82.88	83.54	44.60	21.50	21.50	25.61	61.20	53.55	33.70
20.	राजस्थान	2194.00	2266.59	2217.44	154.75	155.99	237.64	180.26	180.26	136.46	151.38	132.46	179.56
21.	सिक्किम	27.97	28.90	100.95	21.75	21.92	10.84	2.30	2.30	6.33	14.40	12.60	8.30
22.	तमिलनाडु	3768.57	3893.25	3419.41	243.88	245.83	366.41	309.62	309.62	210.43	259.92	227.40	276.88
23.	त्रिपुरा	320.71	331.32	635.03	11.25	11.34	68.04	26.34	26.34	39.18	10.80	9.45	51.37
24.	उत्तर प्रदेश	10158.25	10494.33	13941.61	508.50	512.57	1493.35	834.56	834.56	858.04	700.92	613.30	1129.02
25.	पश्चिम बंगाल	3736.10	3859.71	4915.53	225.75	227.56	526.68	306.92	306.92	302.54	257.76	225.54	398.09
26.	अं. व. नि. द्वीप समूह	70.94	73.29	69.58	7.25	7.31	2.52	11.74	11.74	11.15	4.80	4.20	4.00
27.	दा. व न. हवेली	14.99	15.49	41.53	4.00	4.03	2.02	2.48	4.62	4.38	2.60	2.28	2.17
28.	दमन व दीव	27.97	28.90	27.43	3.50	3.53	0.50	4.62	2.48	2.36	3.60	0.00	0.00
29.	लक्षद्वीप	6.99	7.22	6.85	4.00	4.03	0.50	1.16	1.16	1.10	0.00	3.15	3.00
30.	पांडिचेरी	57.95	59.87	56.83	4.00	4.03	2.52	5.00	5.00	4.74	3.60	3.15	3.00
	अखिल भारत	54950.00	56768.00	72915.00	3761.42	3791.48	7797.13	4525.00	4525.00	4500.00	4000.00	3500.00	5900.00

विवरण

1996-97 से 1998-99 के दौरान कार्यक्रम–वार और राज्य–वार आबंटन

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जवाहर रोजगार योजना			इन्दिरा आवास योजना			दस लाख कुओं की योजना			सुनिश्चित रोजगार* योजना		
		1996-97	1997-98	1998-99	1996-97	1997-98	1998-99	1996-97	1997-98	1998-99	1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	13897.91	15528.39	11703.94	8870.30	8970.34	8370.41	3473.71	3474.00	2532.39	20110.00	16740.00	16740.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	142.64	159.37	257.32	79.71	80.71	184.03	35.66	36.00	55.68	1701.00	1890.00	2140.00
3.	असम	4574.54	5111.22	6686.18	2919.68	2952.83	4781.82	1143.53	1144.00	1446.70	10820.00	8592.00	11018.00
4.	बिहार	27260.46	30458.60	38340.77	17398.92	17597.09	27420.52	6813.55	6814.00	8295.83	21245.00	18234.00	18596.00
5.	गोवा	154.12	172.20	172.20	86.12	87.63	19.20	38.53	39.00	5.84	0.00	140.00	180.00
6.	गुजरात	5101.00	5699.44	4405.58	3255.70	3292.57	3150.78	1275.13	1275.00	953.24	5850.00	4320.00	4410.00
7.	हरियाणा	1225.45	1369.22	2591.88	782.14	790.96	1853.66	306.30	306.00	560.81	2680.00	2670.00	1660.00
8.	हिमाचल प्रदेश	489.73	547.18	1091.54	273.65	276.72	780.64	122.43	122.00	236.18	1390.00	2550.00	2050.00
9.	जम्मू व कश्मीर	995.14	1111.89	1350.93	556.07	562.66	966.16	248.89	249.00	292.30	3860.00	4760.00	4760.00
10.	कर्नाटक	9332.27	10427.12	8838.13	5956.29	6024.43	6320.85	2332.44	2332.00	1912.32	11560.00	10600.00	10350.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11.	केरल	3395.33	3793.66	3965.64	2167.06	2191.85	2836.20	848.57	849.00	858.05	2850.00	3989.00	3861.00
12.	मध्य प्रदेश	17611.61	19677.78	19433.93	11240.56	11368.58	13898.74	4401.69	4402.00	4204.94	22670.17	21507.85	22033.00
13.	महाराष्ट्र	15150.04	16927.42	17470.82	9669.47	9779.75	12494.77	3786.82	3787.00	3780.18	6730.00	11334.51	8167.17
14.	मणिपुर	182.82	204.27	448.24	102.16	103.77	320.57	45.71	46.00	96.66	1080.00	810.00	890.00
15.	मेघालय	213.92	239.02	502.19	119.54	121.07	359.16	53.48	53.00	108.66	490.00	220.00	610.00
16.	मिजोरम	90.12	100.69	116.21	50.36	50.73	83.11	22.53	23.00	25.14	1200.00	800.00	800.00
17.	नागालैंड	229.31	256.21	344.48	128.13	129.14	246.36	57.33	57.00	74.53	1996.00	2100.00	2100.00
18.	उड़ीसा	11274.49	12597.20	13386.90	7195.91	7277.74	9574.03	2817.99	2818.00	2896.54	16427.00	14721.58	12752.00
19.	पंजाब	871.51	973.75	1259.63	556.24	562.65	900.86	217.82	218.00	272.55	0.00	1840.00	2720.00
20.	राजस्थान	7317.12	8175.55	6711.09	4670.13	4723.84	4799.63	1828.74	1829.00	1452.09	10390.00	9265.00	8935.00
21.	सिक्किम	83.49	93.28	128.66	46.65	47.27	92.02	20.87	21.00	27.84	220.00	220.00	320.00
22.	तमिलनाडु	12563.97	14037.96	10348.85	8018.92	8110.20	7401.30	3140.18	3140.00	2239.19	14725.00	18720.00	18720.00
23.	त्रिपुरा	237.46	265.32	809.31	132.82	134.90	178.80	58.81	59.00	175.11	2160.00	1440.00	1440.00
24.	उत्तर प्रदेश	33867.93	37841.25	42194.35	21616.11	21863.19	30176.52	8465.31	8465.00	9129.64	21304.75	31448.06	35153.65
25.	पश्चिम बंगाल	12455.47	13916.74	14876.87	7949.67	8039.87	10639.62	3112.95	3113.00	3218.92	10170.00	7790.00	8270.00
26.	अं. व नि. द्वीप समूह	84.41	94.31	117.89	47.17	47.27	44.40	21.11	21.00	13.47	0.00	80.00	40.00
27.	दा. व न. हवेली	45.81	51.18	77.81	25.61	25.37	43.80	11.46	11.00	13.47	60.00	30.00	30.00
28.	दमन व दीव	26.99	30.16	37.70	15.08	14.99	1.82	6.76	7.00	0.45	40.00	0.00	0.00
29.	लक्षद्वीप	42.32	47.28	59.10	23.65	24.21	3.65	10.58	11.00	0.90	140.00	0.00	100.00
30.	पांडिचेरी	82.64	92.34	115.42	46.18	47.27	56.57	20.66	21.00	17.06	0.00	60.00	0.00
	अखिल भारत	179000.02	200000.00	207843.56	114000.00	115300.00	148400.00	44739.54	44742.00	44897.01	191868.92	196872.00	198845.82

*सुनिश्चित रोजगार योजना आबंटन आधारित योजना नहीं थी। आंकड़े रिलीजों को दर्शाते हैं।

त्रिपुरा में अतिरिक्त सुरक्षा बल

736. श्री टी. गोविन्दन : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य में अतिरिक्त सुरक्षा बल नियुक्त करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य में अर्ध–सैन्य बलों की अतिरिक्त बटालियनें भेजी जा रही हैं।

डिवीजनों का क्षेत्राधिकार

737. महबूब जहेदी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन जो पहले कटिहार डिवीजन के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता था, उसे अब हाजीपुर सदर डिवीजन के अंतर्गत अंतरित कर दिया है जिससे इसके विकास कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) पूर्व–मध्य रेल हाजीपुर के अधिकार क्षेत्र को अंतिम रूप दे दिया

गया है। जिसमें कटिहार मंडल शामिल है, तथा न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन कटिहार मंडल का एक भाग है।

रेलगाड़ियों में भोजन-यान

738. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न रेलगाड़ियों में भोजन–यान व्यवस्था बंद कर दिये जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का कम दूरी की रेलगाड़ियों में भोजन–यान व्यवस्था बंद करने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का प्रस्ताव है; और

(ग) लंबी दूरी की कुछ चुनिंदा रेलगाड़ियों में भोजनयान पुनः शुरू करने के लिए कौन से कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) भारतीय रेलों पर कुछ चुनिंदा महत्त्वपूर्ण गाड़ियों में व्यक्तिगत रूप से सेवाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से भोजनयान शुरू किए गए थे। इन्हें पैन्ट्री कारों से बदला गया है। क्योंकि भोजनयानों के जरिए इतनी बड़ी संख्या में यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करना संभव नहीं था।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे की भूमि का वाणिज्यिक उपयोग

739. श्री नरेश पुगलिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे देश में रेलवे की अतिरिक्त भूमि के वाणिज्यिक उपयोग के लिए कोई 'मास्टर प्लान' तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त मास्टर प्लान के कब तक बना लिए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) रेलवे के पास कोई अतिरिक्त भूमि नहीं है। बहरहाल, रेलवे भूमि/नमक्षेत्र के वाणिज्यिक उपयोग को शुरू करने के लिए अभी हाल ही में नौवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेजों को अनुमोदित करते समय मंत्रिमंडल और राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। इस दस्तावेज में रेलवे की अपनी भूमि/नमक्षेत्र के वाणिज्यिक उपयोग के लिए रेलों को गैर–टैरिफ संसाधन जुटाने की बात कही गई है।

रेलवे ने तदनुसार स्टेशन इमारत के ऊपर पहचान किए गए नमक्षेत्र का वाणिज्यिक उपयोग शुरू करने का विनिश्चय किया है। यह एक सतत् गतिविधि होगी।

[हिन्दी]

पेयजल परियोजनाएं

740. श्री ब्रजमोहन राम : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने जापान की मदद से चलायी जाने वाली पेय जल परियोजना के संबंध में राज्य सरकारों को प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या बिहार सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है और इसे क्रियान्वित करने के लिए कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) 1999–2000 ओ. ई. सी. ई. ऋण पैकेज के अंतर्गत ओवरसीज इकॉनोमिक कोऑपरेशन फण्ड, जापान से सहायता के लिए सरकार ने पेयजल समेत विभिन्न क्षेत्रों से परियोजना प्रस्ताव आमंत्रित किये थे।

(ख) बिहार सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उसने जापानी सहायता वाली पेयजल परियोजनाओं के लिए कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

रेल भूमि पर अवैध कब्जा

741. श्री राजो सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जोन–वार कुल कितनी रेल भूमि पर अवैध कब्जा है;

(ख) अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ न्यायालय में लंबित मामलों का जोन–वार/राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा रेल भूमि से अवैध कब्जाधारियों को हटाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) रेलवे द्वारा स्थायी अथवा अस्थायी रूप से राज्य–वार कुल कितनी भूमि आबंटित की गई है;

(ङ) रेलवे के पास अभी भी कुल कितनी भूमि अप्रयुक्त पड़ी है; और

(च) सरकार द्वारा अप्रयुक्त भूमि का उपयोग करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) ब्यौरा निम्नानुसार है :

क्षेत्रीय रेलवे	अतिक्रमणाधीन भूमि (हेक्टेयर में)
मध्य	64
पूर्व रेलवे	85
उत्तर रेलवे	900
पूर्वोत्तर रेलवे	115
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	304
दक्षिण रेलवे	83
दक्षिण मध्य रेलवे	84
दक्षिण पूर्व रेलवे	715
पश्चिम रेलवे	107

(ख) और (घ) रेलें इन मामलों की राज्य–वार स्थिति नहीं रखती हैं, बहरहाल जोन–वार सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) जैसे ही नए अतिक्रमणों का पता लगता है वे हटा दिए जाते हैं। अन्य के संबंध में अतिक्रमण हटाने के लिए सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम 1971 के तहत कार्रवाई की जाती है।

(ङ) और (च) रेलों के पास 24845 हेक्टेयर रेलवे भूमि खाली पड़ी है। रेलों की अपनी परिचालनिक आवश्यकताओं और विकास संबंधी भावी कार्यों के लिए इस भूमि की आवश्यकता है। बहरहाल इस खाली भूमि का अस्थाई तौर पर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जा रहा है।

[अनुवाद]

अंगमलई-सबरीमाला रेल लाइन का निर्माण

742. श्री पी. सी. थामस : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंगमलाई–सबरीमाला रेल लाइन के निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या उप मुख्य अभियंता का पद स्वीकृत कर दिया गया है और यदि हां, तो किस स्थान पर;

(ग) केरल में स्वीकृत प्रस्तावित अन्य पदों का ब्यौरा क्या है ?

(घ) क्या इस लाइन का पुनालूर तक और तत्पश्चात् त्रिवेन्द्रम तक विस्तार किए जाने संबंधी अनेक अनुरोध किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण का कार्य शुरू कर दिया गया है और 60 कि. मी. में सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) उपर्युक्त कार्य के लिए मूवाथुपुझा में एक कार्यपालक इंजीनियर/निर्माण तैनात कर दिया गया है और इस सर्वेक्षण कार्य के अलावा एर्णाकुलम में और इसके आस–पास अन्य कार्यों के लिए एर्णाकुलम में एक उपमुख्य इंजीनियर/निर्माण भी तैनात किया गया है।

(ग) केरल क्षेत्र में अन्य निर्माण कार्यों के लिए तिरुवनंतपुरम, पालघाट, कालीकट और कण्णनोर में एक–एक उपमुख्य इंजीनियर/निर्माण तैनात किया गया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) इरूमेली और पुनालूर के बीच हाल ही में किए गए सर्वेक्षण से अपर्याप्त यातायात संभावनाओं का पता चला था। इसलिए परियोजना पर कार्य शुरू करने के बारे में विचार करना संभव नहीं हुआ था। पुनालूर से तिरुवनंतपुरम सेंट्रल तक नई बड़ी लाइन के लिए हाल ही में सर्वेक्षण रिपोर्ट पूरी की गई है जिसकी जांच की जा रही है।

पूर्वोत्तर राज्यों में विमानपत्तनों का विकास

743. श्री बाजू बन रियान : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माह अगस्त के अनुसार वर्ष 1998 और 1999 के दौरान जिन पूर्वोत्तर राज्यों के विमानपत्तनों को आधुनिक बनाने और उनके विस्तार का कार्य शुरू किया गया, और ब्यौरा क्या है;

(ख) विमानपत्तनवार उन पर कितनी धन–राशि व्यय की गई;

(ग) क्या गुवाहाटी विमानपत्तन का उन्नयन करके उसे अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन बनाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) अगरतल्ला विमानपत्तन पर टर्मिनल भवन के विस्तार और परिवर्धन से संबंधित कार्य, इम्फाल विमानपत्तन पर तकनीकी ब्लाक तथा परिधि सड़क के निर्माण, गुवाहाटी विमानपत्तन पर रनवे को 9000 फुट से 12000 फुट तक विस्तार करने के लिए भूमि अर्जन का कार्य 1998 के दौरान हाथ में लिया गया था। इसी प्रकार अगरतल्ला विमानपत्तन पर रनवे को 6000 फुट से बढ़ाकर 7500 फुट तक विस्तार करने के लिए भूमि अर्जन, गुवाहटी विमानपत्तन पर वर्तमान रनवे के सुदृढ़ीकरण और लीलाबाड़ी विमानपत्तन पर चारदीवारी के निर्माण करने जैसी परियोजनाओं को 1999 के दौरान हाथ में लिया गया है। अगस्त 1999 तक किया गया खर्च अगरतल्ला में 7.78 करोड़ रुपये, इम्फाल पर 2.20 करोड़ रुपये, गुवाहाटी पर 11.43 करोड़ रुपये तथा लीलाबाड़ी विमानपत्तन पर 10 लाख रुपये है।

(ग) और (घ) इस समय, गुवाहाटी के लिए तथा वहां से होकर जाने वाली अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के प्रचालन के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुए हैं।

अंतर्राज्यीय माल वहन पर प्रतिबंध

744. श्री अशोक ना. मोहोल : क्या **उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुक्त विक्रय योजना के तहत गेहूं और गेहूं उत्पादों को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का प्रस्ताव मुक्त विक्रय योजना को और अधिक उदार बनाए जाने का है; और

(ग) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, हां। खुली बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के अधीन गेहूं के अप्रतिबंधित अन्तर–राज्य संचलन की अनुमति 11.3.99 से दी गई थी।

(ख) और (ग) गेहूं स्टाक की उपलब्धता और गेहूं के अधिशेष स्टाक के बोझ को कम करने की दृष्टि में गेहूं की खुली बाजार बिक्री योजना (घरेलू) को 9.8.99 से उदार बनाया गया है। प्रचलित अनुदेशों के अनुसार अब इस योजना के अधीन कोई भी पार्टी भारतीय खाद्य निगम के संबंधित जिला प्रबंधक के पास गेहूं की लागत जमा कराने के बाद देश में किसी भी भाग से गेहूं खरीद सकती है बशर्ते न्यूनतम मात्रा 10 टन हो। वर्तमान में इस योजना को और उदार बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

रेल दुर्घटनाओं पर सी. ए. जी. की रिपोर्ट

745. श्री प्रभुनाथ सिंह :

श्री रामसागर रावत :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने अक्तूबर, 1999 में संसद में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में रेलवे को अपने काम में चूक करने और भयंकर रेल दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेवार ठहराया है;

(ख) यदि हां, तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) सरकार ने रेल यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने रेलवे में हेराफेरियों पर प्रतिकूल टिप्पणी की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने 29.10.1999 को मार्च, 1998 वर्ष के लिए केंद्र सरकार (रेलवे) से संबंधित 1999 की अपनी रिपोर्ट सं. 9 संसद में प्रस्तुत कर दी थी। इस रिपोर्ट में भारतीय रेलों के संरक्षा निष्पादन पर एक अध्याय अंतर्विष्ट है जिसमें दुर्घटनाएं और घटनाएं विशेषतौर पर उच्च घनत्व वाले समूह क और ख मार्गों पर जो भारतीय रेलों के संरक्षा संबंधी माहौल, संरक्षा प्रबंधन को प्रभावित करती हैं, किए जाने वाले वे उपाय जो संरक्षा निष्पादन सुधारने के लिए किए जा सकते हैं, संरक्षा कार्यों का निष्पादन इत्यादि शामिल हैं।

(ग) दुर्घटनाओं की रोकथाम करने के लिए किए गए उपायों का सारांश संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) रिपोर्ट के अध्याय 4 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने संरक्षा संबंधित मदों तथा उच्च क्षमता डीजल चालित ब्रेकडाउन क्रेनों का आयात, खराब गुणवत्ता के लिए कुख्यात फर्मों को बार–बार संविदा दिया जना, उच्च निपज टाई टैम्पिंग मशीनों का प्रापण, दोषग्रस्त पटरियों की आपूर्ति, सीएसटी–9 स्लीपरों का प्रापण, मेलीयेबल कास्ट आयरन (एमसीआई) इन्सर्ट का प्रापण, उच्च तनन इस्पात तारों का प्रापण आदि, आदि पर कतिपय टिप्पणियां की गई हैं।

विवरण

दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए किए गए उपायों का सार

(i) ट्रंक मार्गों और अन्य महत्त्वपूर्ण मुख्य लाइनों पर रेलपथ परिपथन के कार्य में तेजी लाई गई है।

(ii) दुर्घटना होने में मानवीय चूक के मौके न्यूनतम करने के लिए सिगनल परिपथन में आशोधन किया जा रहा है।

(iii) मुंबई उपनगरीय खंडों पर चलती गाड़ी के ड्राइवरों को खतरे के सिगनल के बारे में अग्रिम चेतावनी देने के लिए सहायक चेतावनी प्रणाली शुरू की गई है।

(iv) रेलवे बोर्ड ने मध्य रेलवे के तुगलकाबाद–मथुरा खंड के लिए परीक्षण के आधार पर सहायक चेतावनी प्रणाली की पायलट परियोजना को स्वीकृति दे दी है।

(v) सभी सवारी गाड़ियों के ड्राइवरों और गार्डों को वॉकी–टॉकी सेट्स सप्लाई किए गए हैं। माल गाड़ी के ड्राइवरों को भी ये सप्लाई किए जा रहे हैं तथा 31 मार्च, 2000 तक इसके पूरा हो जाने की संभावना है।

(vi) रेलपथ अनुरक्षण के लिए टाई–टेंपिंग और गिट्टी सफाई मशीनों के उपयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है।

(vii) रेलपथ ज्यामिति और रेलपथ की चालन विशेषताओं पर निगरानी रखने के लिए परिष्कृत रेलपथ अभिलेखन कारों, दोलनलेखी कारों और सुवाह्य त्वरणमापियों का उत्तरोत्तर उपयोग किया जा रहा है।

(viii) पटरियों में दरारों और वेल्डिंग में विफलताओं का पता लगाने के लिए 96 और दोहरी पटरी पराश्रव्य दोष संसूचकों की खरीद की जा रही है।

(ix) उपर्युक्त के अलावा 2 स्वनोदित पराश्रव्य परीक्षण कारों की खरीद की जा रही है।

(x) कई डिपुओं पर सवारी डिब्बों और माल डिब्बों के लिए अनुरक्षण सुविधाओं को आधुनिकीकृत और अपग्रेड किया गया है।

(xi) धुरों के कोल्ड ब्रेकज के मामलों की रोकथाम के लिए धुरों में खामी का पता लगाने के लिए, नेमी ओवरहालिंग डिपुओं को पराश्रव्य परीक्षण उपस्करों से सुसज्जित किया गया है।

(xii) चौकीदार रहित समपारों पर सीटी बोर्डों/गति अवरोधों व सड़क चिन्ह् मुहैया कराए गए हैं और ड्राइवरों के लिए दृश्यता में सुधार किया गया है।

(xiii) सड़क उपयोगकर्ताओं को यह सिखाने के लिए कि समपारों को सुरक्षित ढंग से कैसे पार किया जाए दृश्य–श्रव्य प्रचार अभियान चलाए जाते हैं।

(xiv) यात्री गाड़ियों में ज्वलनशील और विस्फोटक सामग्री ले जाने की रोक–थाम के लिए उपाय किए गए हैं।

(xv) क्षेत्रीय मुख्यालयों के अन्तः–अनुशासनिक दलों द्वारा विभिन्न मंडलों की आवधिक संरक्षा लेखा परीक्षा जांच शुरू की गई है।

(xvi) ड्राइवरों, गार्डों और गाड़ी परिचालन संबद्ध कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं आधुनिक बनाई गई हैं जिसमें ड्राइवरों के प्रशिक्षण के लिए सिमुलेटरों का उपयोग शामिल है।

(xvii) विनिर्दिष्ट अंतरालों पर नियमित रूप से पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

(xviii) गाड़ी परिचालन से संबद्ध कर्मचारियों के कार्य निष्पादन पर निरंतर निगरानी रखी जाती है और जिनमें कोई कमी पाई जाती है और उन्हें त्वरित (क्रैश) प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है।

(xix) कर्मचारियों में संरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आवधिक संरक्षा अभियान चलाए जाते हैं।

राज्यों में आवास निधि का अनुपयोग

746. श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक की ओर से यह कहा गया है कि भारत में गरीबी उन्मूलन में आर्थिक सुधारों से मदद नहीं मिली है;

(ख) क्या राज्यों ने ग्रामीण आवास जैसी महत्त्वपूर्ण योजनाओं हेतु निर्धारित बड़ी–बड़ी राशियों वाली निधियों का उपयोग नहीं किया है और केन्द्रीय निधियों के प्रयोग की नियमित रिपोर्टें नहीं भेजी हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या ग्रामीण गरीबी और आवास समस्या को कम करने के उद्देश्य को कार्यसूची में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा गरीबों तक आर्थिक सुधारों का लाभ पहुंचाने हेतु राज्यों से निधियों का उचित प्रयोग कराने के क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) जानकारी एकत्र की जा रही है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। 1998–99 के दौरान मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं जैसे ग्रामीण आवास के लिए उपलब्ध कुल निधियों का प्रतिशत उपयोग संतोषजनक रहा है और राज्यों ने केन्द्रीय निधियों के उपयोग की नियमित प्रगति रिपोर्टें भेजी हैं।

(घ) सरकार ने ग्रामीण गरीबी और आवासहीनता की समस्या को कम करने के लक्ष्य को पहले ही सर्वोच्च प्राथमिकता दे रखी है।

(ङ) मंत्रालय के सभी कार्यक्रमों के अन्तर्गत राज्यों के वित्तीय कार्य निष्पादन की सरकार नियमित रूप से समीक्षा करती है और निधियों का पूर्ण उपयोग करने के लिए राज्यों पर जोर देती है ताकि सुधारों से गरीबों को सहायता मिल सके।

विदेशों में शांति मिशन पर तैनात भारतीय सेना

747. श्री ए. वेंकटेश नायक :

श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में भिन्न–भिन्न देशों में भारतीय सेना द्वारा अब तक कितनी शांति मिशन योजनायें चलायी गयी हैं;

(ख) इन योजनाओं में सैनिकों की कुल संख्या कितनी थी;

(ग) इनमें मारे गये रक्षा कर्मियों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या इस कारण सुंयक्त राष्ट्र के पास भारतीय सेना की कोई धनराशि देय है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भुगतान न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(च) वर्तमान में कितनी शांति मिशन आपरेशन चलायी जा रही हैं और इनमें कुल कितने भारतीय रक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) भारतीय सेना स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से संयुक्त राष्ट्रसंघ के 29 शांति अभियानों में भाग ले चुकी है।

(ख) 50,000 से भी अधिक सैनिक इन अभियानों में भाग ले चुके हैं।

(ग) इन अभियानों में कार्य करते हुए अब तक 91 कार्मिक मर चुके हैं।

(घ) और (ङ) सैन्य टुकड़ी के अपने उपस्करों, सैनिक–लागत और विविध दावों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 20.66 मिलियन अमरीकी डालर की राशि भुगतान हेतु स्वीकार की गई है। इस भुगतान की प्रतीक्षा की जा रही है। भारत द्वारा प्रस्तुत किए गए दावों पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानक दिशा–निर्देशों, समझौता–ज्ञापन के उपबंधों और अन्य योगदान करने वाले सदस्य राष्ट्रों के प्रतिपूर्ति संबंधी ऐसे ही दावों को निपटाने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अपनाई गई पद्धतियों के आधार पर कार्रवाई की जाती है।

(च) भारत इस समय कुवैत, लेबनान, सिएरा लियोन और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में चार संयुक्त राष्ट्र संघ शांति अभियानों/पर्यवेक्षक अभियानों में भाग ले रहा है। इन अभियानों में तैनात किए गए कार्मिकों की कुल संख्या 662 है, जिसमें 87 अफसर, 37 जूनियर कमीशनप्राप्त अफसर और 538 अन्य रैंक शामिल हैं।

[हिन्दी]

विमान चालक रहित विमानों का परीक्षण

748. डॉ. अशोक पटेल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सराकर ने हाल ही में देश में बने विमान चालक रहित विमान 'निशांत' का उड़ान परीक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी विशेषताओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) परीक्षण उड़ान के परिणाम क्या रहे ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन ने मानव रहित वायुयान 'निशान्त' के कई परीक्षण किए हैं। पिछला उड़ान परीक्षण कोलार में मार्च, 1999 में आयोजित किया गया था।

(ख) निशान्त वायुयान को लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पर 4–1/2 घण्टे की उड़ान क्षमता सहित युद्ध क्षेत्र के टोही मानवरहित एरियल वाहन के रूप में डिजायन किया गया है। उड़ान को भूमि से भी नियंत्रित किया जा सकता है या स्वचालित विधि से भी इसका संचालन किया जा सकता है। इस प्रणाली को इलेक्ट्रो–ऑप्टिक इमेजिंग सेंसर्स, फोटोग्राफिक फिल्म कैमरा और

अन्य इलैक्ट्रॉनिक मिशन उपस्करों को साथ ले जाने के लिए डिजायन किया गया है। एकत्रित सूचना को सही समय पर भूस्थित स्टेशन पर भेजा जा सकता है।

(ग) पिछले परीक्षण अभियान में किए गए पांच उड़ान परीक्षणों में डिजायन के विभिन्न पहलुओं का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया है।

सेनाभर्ती कार्यालय का अजमेर से जयपुर स्थानांतरण

749. प्रो. रासासिंह रावत : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेना भर्ती कार्यालय को अजमेर से जयपुर स्थानान्तरित किए जाने के मुख्य कारण क्या हैं;

(ख) क्या सरकार को इस मामले पर अजमेर जिले की जनता की नाराजगी की जानकारी है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि कुछ महीने पहले सेना की भर्ती के दौरान जयपुर और भरतपुर में गोली चली थी और कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई थी;

(घ) यदि हां, तो सरकार भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है; और

(ङ) क्या सरकार द्वारा सेना भर्ती नीति की समीक्षा के बाद भर्ती पूर्ववत् जिला मुख्यालयों पर की जाएगी।

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) राजस्थान की राजधानी में प्रशासनिक सुविधाओं और वहां बैठने वाले राज्य सरकार के प्राधिकारियों के साथ बेहतर सम्पर्क बनाए रखने को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय भर्ती कार्यालय को जयपुर में स्थानांतरित किया गया था।

(ख) सरकार के पास इस प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं है। दिनांक 1.4.98 से नई भर्ती नीति लागू होने के साथ ही सभी भर्तियां खुले भर्ती मेलों के जरिये की जाती हैं और इनमें भर्ती कार्यालय के स्थान का कोई अधिक महत्त्व नहीं होता है।

(ग) जी, हां।

(घ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भर्ती कार्यालयों को सलाह दी गई है कि वे भर्ती मेलों के आयोजन के दौरान आवश्यक सहायता प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार के प्राधिकारियों से सम्पर्क करें।

(ङ) नई भर्ती नीति के अंतर्गत, भर्ती मेलों द्वारा राज्य का समूचा क्षेत्र कवर किया जाता है।

[अनुवाद]

भिंगवण-गुलबर्गा मार्ग का दोहरीकरण

750. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिंगवण–गुलबर्गा रेलवे लाइन बरास्ता शोलापुर और पनकी मार्ग के दोहरीकरण के लिए सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) यह सर्वेक्षण कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है और विलंब के क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) भिंगवान से जेडर तथा सोलापुर से होटगी (64 कि.मी.) तक सर्वेक्षण पूरा हो गया है।

(ग) सर्वेक्षण के 31.12.2000 तक पूरा हो जाने की संभावना है। और इसमें कोई विलंब नहीं हुआ है।

पकयोंग (सिक्किम) में हवाई अड्डे का निर्माण

751. श्री भीम दाहाल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को सिक्किम सरकार से पकयोंगे में एक हवाई अड्डे के निर्माण हेतु कोई परियोजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) सिक्किम सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, उन्होंने एक हेलीपेड बनाने का निर्णय लिया है, जबकि तकनीकी आर्थिक अध्ययन के बाद पकयोंग में एक विमानपत्तन का निर्माण साध्य नहीं पाया गया था।

अपारंपरिक ऊर्जा का उत्पादन

752. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विद्युत की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत सहायक है;

(ख) यदि हां, तो देश में पछिले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष-वार ऊर्जा का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ग) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा स्रोत के रूप में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के उपयोग हेतु लोगों को अधिक रियायतें देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के दोहन तथा ईष्टतम उपयोग हेतु कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) और (ख) जी, हां। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, ऊर्जा के अनुपूरक स्रोत हैं तथा देश में ऊर्जा की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में योगदान देने में सक्षम हैं। देश में पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से कुल ऊर्जा उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) से (ङ) पवन तथा सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत प्रणालियों/उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए संलग्न विवरण-II में दिए गए ब्यौरे के अनुसार सरकार विभिन्न वित्तीय रियायतें व राजकोषीय प्रोत्साहन उपलब्ध करा रही है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1996-97 से 1998-99 के दौरान देश में विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित ऊर्जा के विवरण।

क्रम. सं.	स्रोत	यूनिट	अनुमानित ऊर्जा उत्पादन		
			1996-97	1997-98	1998-99
1.	पवन विद्युत	मिलियन यूनिट	878	988	1065
2.	लघु पन बिजली	मिलियन यूनिट	300	330	410
3.	बायोमास सह-उत्पादन	मिलियन यूनिट	116	166	174
4.	शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्ट से ऊर्जा	मिलियन यूनिट	3.95	16.32	20.40
5.	बायोमास गैसीफायर	मिलियन यूनिट	2.57	4.78	5.92
6.	सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत	लाख कि. वा. घं.	1.00	9.00	9.00
7.	सौर प्रकाशवोल्टीय	लाख. कि. वा. घं.	8.20	9.91	11.87
8.	सौर तापीय जल पंपन प्रणाली	मिलियन कि. वा. घं. (तापीय)	300	330	360
9.	एसपीवी पंपों एवं पवन पंपों के माध्यम से बचाई गई ऊर्जा	मिलियन यूनिट	4.10	6.02	7.93

विवरण-II

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालयों के सौर एवं पवन ऊर्जा कार्यक्रमों के अंतर्गत उपलब्ध वित्तीय रियायतों और राजकोषीय प्रोत्साहनों के विवरण

क्रम सं.	कार्यक्रम	प्रोत्साहन
1	2	3
1. सौर प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रम		
(i)	सौर लालटेन	1,500 रुपए (निर्धारित)
(ii)	सौर घरेलू रोशनी प्रणाली	6,000 रुपए अथवा कार्य पूर्व लागत का 50% इनमें से जो भी कम हो।
(iii)	सौर सड़क रोशनी प्रणाली	12,000 रुपए अथवा कार्य पूर्व लागत का 50% इनमें से जो भी कम हो।
(iv)	सौर विद्युत संयंत्र एवं अन्य प्रणालियां	200000 रु./कि. वा. पा. पी वी अर्रे क्षमता अथवा कार्य पूर्व लागत का 50%, इनमें से जो भी कम हो।
(v)	सौर प्रकाशवोल्टीय पंप	पी वी अर्रे का 125 रु. प्रति वाट, जो अधिकतम 2,50,000 रु. के अध्यधीन है। इसके अलावा उपयोगकर्त्ता भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) से पंप की लागत के शेष बिना सब्सिडी वाले भाग के 90% की बराबर राशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर पर उदार शर्तों पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
(vi)	एसपीवी विद्युत परियोजनाएं	परियोजना लागत के 2/3 भाग तक वित्तीय सहायता, जो अधिकत 2.00 करोड़ रुपए प्रति 100 कि. वा. ग्रिड इंटरएक्टिव एसपीवी विद्युत परियोजनाओं के अध्यधीन हैं।
(vii)	सौर तापीय ऊर्जा कार्यक्रम	सौर जल तापकों, सौर कुकरों और अन्य सौर उपकरणों के लिए इरेडा और वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से उदार ऋण योजना।
पवन ऊर्जा कार्यक्रम		
(i)	पवन पम्प	पंप के प्रकार पर निर्भर करते हुए 20,000 रु.–45,000 रु. प्रतिपंप।
(ii)	एरोजनरेटर/हाइब्रिड प्रणालियां	सामुदायिक अनुप्रयोग के लिए कार्यपूर्व लागत का 80% (अधिकतम 2.00 लाख रु. कि. वा.) और अन्य अनुप्रयोगों के लिए कार्य पूर्व लागत का 50%(अधिकतम 1.25 लाख रु. प्रति कि. वा.)
(iii)	पवन विद्युत परियोजनाएं	**राजकोषीय और संवर्द्धनात्मक प्रोत्साहन** (1) 100% त्वरित मूल्यहास। (2) रियायती सीमा शुल्क। (3) उत्पाद शुल्क/बिक्री कर छूट। (4) विद्युत परियोजनाओं के लिए 5 वर्षों का कर–अवकाश। (5) राज्यों द्वारा उद्योग का दर्जा, पूंजीगत सब्सिडी और बिक्री कर लाभ।

1	2	3
		(6) ग्रिड कनैक्शन के लिए राज्य विद्युत बोर्डों से सुविधाएं।
		(7) राज्य सरकारों/राज्य नोडल एजेंसियों को प्रदर्शन परियोजनों के लिए कल पुर्जे और निर्माण/कमिशनिंग सहित पवन विद्युत जनरेटर की संपूर्ण लागत का 60% तक की वित्तीय सहायता। प्रति मे. वा. 3.20 करोड़ रु. का बेंच मार्क निर्धारित किया गया है। पवन डीजल परियोजनाओं के लिए पवन टर्बाइन उपस्कर की संपूर्ण लागत।

कारगिल युद्ध का व्यय

753. श्री विलास मुत्तेमवार :

श्री माणिकराव होडल्या गावित :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कारगिल युद्ध में स्पष्ट रूप से कुल कितना नुकसान हुआ है तथा इसमें कितनी जानें गई हैं; और

(ख) इस अवधि के दौरान सैनिकों की मृत्यु तथा उनके घायल होने के कारण भारत द्वारा कुल कितनी देनदारी वहन किए जाने की संभावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) कारगिल युद्ध में मारे गए सशस्त्र बलों के कार्मिकों की कुल संख्या 524 है। इस युद्ध में संपूर्ण क्षति तथा राष्ट्र की कुल देनदारी का आकलन नहीं किया गया है।

तूफान के कारण रेलवे को हुई क्षति

755. श्री राजैया मल्याला :

श्री त्रिलोचन कानूनगो :

क्या रेल मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में उड़ीसा में आये तूफान के कारण रेलवे को हुई क्षति का आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या क्षतिग्रस्त रेलमार्गों की मरम्मत की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इन रेलमार्गों की मरम्मत कब तक किये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां। मोटे तौर पर हानि का अनुमान लगा लिया गया है।

(ख) 29.10.1999 को सुपर चक्रवात के दौरान दक्षिण पूर्व रेलवे के खोरधा मंडल में 60 से अधिक रेलवे स्टेशनों में फैले हुए 500 किलोमीटर से अधिक रेलपथ प्रभावित हुआ है। रेलवे सिगनल, दूरसंचार, बिजली सप्लाई, जल सप्लाई प्रणालियां तेज हवाओं से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई हैं। रेहामा और पाराद्वीप के बीच 20 किलोमीटर की लम्बाई में रेलवे तटबंध समुद्री पानी की हिलोरों से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है। हल्दीपारा और बालासौर, सोरो और मोरकोना, भद्रक और बौडपुर तथा कटक खंड में खड़गपुर जं. पर मांजूरी और बैतरानी रोड के बीच भी रेलवे तटबंध क्षतिग्रस्त हुए हैं। प्लेटफार्म सायबानों, सेवा इमारतों और आवासीय क्वार्टरों की एसी शीट छत को भी व्यापक क्षति पहुंची है। सिविल इंजीनियरों कार्यों में 1680.95 लाख रुपए, सिगनल एवं दूरसंचार में 763 लाख रुपए और बिजली संस्थापनाओं में 600 लाख रुपए की क्षति हुई है।

(ग) जी, हां। हवड़ा–मद्रास मुख्य लाइन का क्षतिग्रस्त रेलपथ अस्थायी रूप से बहाल कर दिया गया है तथा यातायात के लिए खोल दिया गया है। कटक–पाराद्वीप शाखा लाइन की भी अस्थायी मरम्मत की जा चुकी है। स्थायी बहाली के निर्माण कार्य भी चालू हैं।

(घ) अस्थायी मरम्मत की जा चुकी है और रेलपथ यातायात के लिए खोल दिया गया है। स्थायी मरम्मत में 9 से 12 माह लग जाएंगे।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में चीनी का उत्पादन

756. श्री रामदास आठवले : क्या **उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सार्वजनिक, निजी और सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों को बढ़ावा देने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) महाराष्ट्र में किन–किन स्थानों पर चीनी मिलें स्थापित की गई हैं; और

(घ) महाराष्ट्र में चीनी मिलों द्वारा कुल कितनी चीनी का उत्पादन किया गया है ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) सरकार ने देश में सार्वजनिक, निजी और सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों को बढ़ावा देने की कोई योजना तैयार नहीं की है। तथापि, इन क्षेत्रों में देशी उत्पादन आरंभ करने के विचार से चीनी मिलें स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए समय–समय पर विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं लागू की गई हैं। इस समय निश्चित वर्षों के लिए चीनी के सामान्य मुक्त बिक्री कोटा के अलावा उच्च खुली बिक्री कोटा और फैक्ट्रियों के स्थान, उच्च वसूली क्षेत्र अथवा अन्य वसूली क्षेत्र पर आधारित उत्पादन के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्रोत्साहन योजनाओं में चीनी मिलों को फंड दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, वर्तमान चीनी मिलों को विस्तार परियोजनाओं के लिए चीनी विकास निधि से ब्याज की रियायती दरों पर ऋण दिया जा रहा है।

(ग) महाराष्ट्र राज्य की चीनी मिलों के नाम और उनके स्थानों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) 1998–99 चीनी मौसम के दौरान महाराष्ट्र की चीनी मिलों में चीनी का कुल उत्पादन 53.43 लाख टन (अनंतिम) था।

विवरण

महाराष्ट्र राज्य की चीनी मिलों के उनके स्थानों सहित नामों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम. सं.	चीनी मिल का नाम एवं स्थान	क्षेत्र	प्रतिदिन गन्ना पेराई क्षमता (टन में)
1	2	3	4
1.	मै. श्री पांडुरंग सहकारी शक्कर कारखाना लि., पो. आ. श्रीपुर, तालुक मालसीरस, जिला शोलापुर	सहकारी	2500
2.	दि ससवाड माली गुशर फैक्ट्री लि पो ओ. मालीनगर, जिला शोलापुर	निजी	1750
3.	मै. सहाकर महार्षि शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी शक्कर कारखाना लि. अकलुज, पो. यशवंतनगर, तालुक मालसीरस, जिला शोलापुर	सहकारी	4500
4.	मै. श्री शंकर सहकारी शक्कर कारखाना लि. सदाशिवनगर, तालुक मालसीरस, जिला शोलापुर	सहकारी	2500
5.	सिद्धेवश्वर सहकारी शक्कर कारखाना लि., कुमाथे, पो. आ. टेकवाडी जिला शोलापुर	सहकारी	3000
6.	मै. श्री विट्ठल सहकारी शक्कर कारखाना लि. गुरुशाला, तालुक पंढरपुर, जिला शोलापुर	सहकारी	3500

1	2	3	4
7.	मै. श्री भीमा सहकारी शक्कर कारखाना लि. तकली सिकन्दर, तालुक महोल, जिला शेलापुर	सहकारी	1250
8.	मै. श्री भोगवती सहकारी शक्कर कारखाना लि., इरले बैरेग, तालुक बरसी, जिला शोलापुर	सहकारी	1250
9.	मै. श्री संत दोमाजी सहकारी शक्कर कारखाना लि., मगलवेधा, जिला शोलापुर	सहकारी	2500
10.	इन्द्रा सहकारी शक्कर कारखाना लि. मिरजागिम, तालुक अकालपेट, जिला शोलापुर	सहकारी	2500
11.	मै. आदिनाथ सहकारी शक्कर कारखाना लि., भलवानी तहसील करमाला, जिला शोलापुर	सहकारी	2500
12.	चन्द्रभागा सहकारी शक्कर कारखाना लि., भलवानी, ता. पन्धापुर, जिला शोलापुर	सहकारी	2000
13.	दि रावलगांव शुगर फार्म लि. पो. आ. रावलगांव, जिला नासिक	निजी	2000
14.	मै. गिरना सहकारी कारखाना लि., मांतेवाड़ी, तालुक डिनडोरी, जिला नासिक	सहकारी	1500
15.	मै. कर्मवीर काकासाहेब वाघ सहकारी शक्कर कारखाना लि. पो. रनवाड़, जिला नासिक	सहकारी	1250
16.	मै. कडवा सहकारी शक्कर कारखाना लि., मनेवाडी, तालुक दिनदोरी, जिला नासिक	सहकारी	1250
17.	मै. निफाड सहकारी शक्कर कारखाना लि.. पो. भाऊसाहेब नगर, तालुक निफाड, जिला नासिक	सहकारी	3500
18.	मै. नासिक सहकारी शक्कर कारखाना लि., पालसे, जिला नासिक	सहकारी	1250

1	2	3	4
19.	मै. बसन्तराव दादा पाटिल सहकारी शक्कर कारखाना लि., विथेवाडी, (लेहोनेर) तहसील कांलवा, जिला नासिक	सहकारी	2500
20.	मै. श्री चांगदेव शुगर मिल्स लि., पो. आ. चांगदेवनगर, जिला अहमदनगर	निजी	813
21.	मै. कोपरगांव सहकारी शक्कर कारखाना लि., पो. कालपेवाड़ी, जिला अहमदनगर	सहकारी	2200
22.	मै. प्रवारा सहकारी शककर कारखाना लि., प्रवारानगर, जिला अहमदनगर	सहकारी	4000
23.	मै. अशोक सहकारी शक्कर कारखाना लि., अशोक नगर, तालुक श्रीरामपुर, जिला अहमदनगर	सहकारी	2600
24.	मै. श्री गणेश सहकारी शक्कर कारखाना लि. पो., आ. रंजनगांव खुर्द, तालुक कोपरगांव, जिला अहमदनगर	सहकारी	1750
25.	मै. संजीवनी (तकली) सहकारी शक्कर कारखाना लि., पो. शिंगनापुर, तालुक संगमनेर, जिला अहमदनगर	सहकारी	2100
26.	मै. राहुरी सहकारी शक्कर कारखाना लि., श्री शिवाजीनगर, पो. राहुरी, फैक्ट्री, जिला अहमदनगर	सहकारी	3250
27.	मै. श्री गांडा सहकारी शक्कर कारखाना लि., श्री गोंडा फैक्ट्री जिला अहमदनगर	सहकारी	2000
28.	मै. संगमनेर भाग सहकारी शक्कर कारखाना लि., अमरूदनगर तालुक संगमनेर, जिला अहमदनगर	सहकारी	3500
29.	श्री दयानेश्वर सहकारी शक्कर कारखाना लि., भेदने बी. के. तालुक निवाशा, जिला अहमदनगर	सहकारी	3000

1	2	3	4
30.	मै. जगदम्बा सहकारी शक्कर कारखाना लि., राशिन, ता. करजत, जिला अहमदनगर	सहकारी	800
31.	मै. वृद्धेश्वर सहकारी शक्कर कारखाना लि., पो बृद्धेश्वर शक्कर कारखाना, तालुक पथारडी, जिला अहमदनगर	सहकारी	2500
32.	मै. मुला सहकारी शक्कर कारखाना लि. पो. आ. सोनाई तालुक नेवासा, जिला अहमदनगर	सहकारी	2500
33.	मै. परमेर तालुक सहकारी शक्कर कारखाना लि. परनेर, जिला अहमदनगर,	सहकारी	1250
34.	भाऊसाहेब महादेव हांडे अगस्ती सहकारी शक्कर कारखाना लि. जामनगर, तहसील अठाला, जिला अहमदनगर	सहकारी	2500
35.	श्री केदारेश्वर सहकारी शक्कर कारखाना लि., पो. आ. पथारडी बुधेगांव, सोगांव, जिला अहमदनगर	सहकारी	2500
36.	मै. भोगवती सहकारी शक्कर कारखाना लि., शाहूनगर, तालुक करनीर, जिला कोल्हापुर	सहकारी	2000
37.	मै. कोल्हापुर केन शुगर वर्क्स लि. कस्बा बवाडा, जिला कोल्हापुर	निजी	2200
38.	मै. श्री पंचगंगा सहकारी शक्कर कारखाना लि., इंचालकरंजी, जिला कोल्हापुर	सहकारी	5000
39.	मै. श्री वर्णा सहकारी शक्कर कारखाना लि., पो. आ. वर्णानगर तालुक पनहाला, जिला कोल्हापुर	सहकारी	4000
40.	मै. कम्भी केसारी सहकारी शक्कर कारखाना लि., कुदित्रे, तालुक करवीर, जिला कोल्हापुर	सहकारी	3000

1	2	3	4
41.	मै. दूधगंगा सहकारी शक्कर कारखाना लि., बिदरी (मौनीनगर) तालुक काजल, जिला कोल्हापुर	सहकारी	3500
42.	श्री दत्ता सहकारी शक्कर कारखाना लि., असुराले–पालें, तालुक पनहाला, जिला कोल्हापुर	सहकारी	2500
43.	मै. दत्ता शेतकारी सहकारी शक्कर कारखाना लि., तालुक शिरो, जिला कोल्हापुर	सहकारी	5000
44.	मै. दौलत शेतकारी सहकारी शक्कर कारखाना लि., पो. आ. हलकरनी, तालुक चांगढ़, जिला कोल्हापुर	सहकारी	2000
45.	मै. गांधीगलाज तालुक सहकारी शक्कर कारखाना लि., पो. आ. गांधीगलाज, जिला कोल्हापुर	सहकारी	1250
46.	मै. श्री छत्रपति साहू सहकारी शक्कर कारखाना लि. पो. आ. कागल, जिला कोल्हापुर	सहकारी	2500
47.	मै. जवाहर शेतकारी सहकारी शक्कर कारखाना लि., डुपारी, जिला कोल्हापुर	सहकारी	2500
48.	मै. अजरा शेतकारी एस. एस. के. लि., पो. गवासे, तहसील अजरा, जिला कोल्हापुर	सहकारी	2500
49.	मै. इंदापुर सहारी शक्कर कारखाना लि., इंदापुर, जिला पुणे	सहकारी	1778
50.	मै. छत्रपति सहकारी शक्कर कारखाना लि., भवानीनगर, तालुक इन्दापुर, जिला पुणे	सहकारी	1800
51.	मै. मालेगांव सहकारी शक्कर कारखाना लि., पो. मालेगांव बी. के. तालुक बारामती, जिला पुणे	सहकारी	2000

1	2	3	4
52.	मै. श्री सोमेश्वर सहकारी शक्कर कारखाना लि., पो. आ. सोमेश्वरनगर, जिला पुणे	सहकारी	2500
53.	मै. यशवंत सहकारी शक्कर कारखाना लि., चिन्तामणिनगर, पो. आ. थियूर, जिला पुणे	सहकारी	2000
54.	मै. भीमा सहकारी शक्कर कारखाना लि., पो. आ. पटास, तहसील डौड, जिला पुणे	सहकारी	2500
55.	मै विघ्नाहर सहकारी शक्कर कारखाना लि., जुन्नारू, जिला पुणे	सहकारी	2500
56.	मै. राजगढ़ सहकारी शक्कर कारखाना लि., अनंतनगर (निगाडे) तालुक भोर, जिला पुणे	सहकारी	1016
57.	गोदगंगा सहकारी शक्कर कारखाना लि., नहोरे तहसील सिरुर, जिला पुणे	सहकारी	2500
58.	श्री संत तुकाराम सहकारी शक्कर कारखाना लि., कसरसाई, तह. हुलसी, जिला पुणे	सहकारी	2500
59.	मै. गंगापुर सहकारी शक्कर कारखाना लि., रघुनाथनगर, जिला औरंगाबाद	सहकारी	2000
60.	मै. सिद्धेश्वर सहकारी शक्कर कारखाना लि., मानिकनगर, तालुक सिल्लौड़, जिला औरंगाबाद	सहकारी	2000
61.	मै. कन्नड़ सहकारी शक्कर कारखाना लि. पो. आ. कन्नड़, जिला औरंगाबाद	सहकारी	2500
62.	मै. विनायक सहकारी शक्कर कारखाना लि., परसोडा, पो.आ. दिओन्दागरी, तालुक बैजापुर, जिला औरंगाबाद	सहकारी	1250
63.	मै. श्री संत एकनाथ सहकारी शक्कर कारखाना लि., पैथन, जिला औरंगाबाद	सहकारी	2500

1	2	3	4
64.	मै. श्री नामदेवराय बी घाटेकर, दैवगिरी सहकारी शक्कर कारखाना लि., फुलमबिर, जिला और तहसील औरंगाबाद	सहकारी	2500
65.	मै. कृष्णा एस. एस. के. लि., रीठारेबुदरुक, पो. आ. शिवनगर, जिला सतारा	सहकारी	5000
66.	श्रीराम सहकारी शक्कर कारखाना लि., पो. आ. फाल्टन, जिला सतारा	सहकारी	1300
67.	न्यू फाल्टन शुगर वर्क्स लि., तालुक फाल्टन, पो. आ. शाखरवाडी, जिला सतारा	निजी	1500
68.	किसानवीर सतारा एस. एस. के लि., भुज, तालुक वार्ल, जिला सतारा	सहकारी	2000
69.	मै. बालासाहेब देसाई एस. एस. के. लि. दौलतनगर, मराली, तालुक पाटण, जिला सतारा	सहकारी	1250
70.	सहयाद्री एस. एस. के लि., यशवंतनगर, तालुक कराड, जिला सतारा	सहकारी	5000
71.	अंजिनकयात्रा एस. एस. के. लि., शैन्द्रे, जिला सतारा	सहकारी	2500
72.	झाण्डेश्वर एस. एस. के. लि., चिमानगांव, तालुक कोरेगांव, जिला सतारा	सहकारी	2500
73.	गोदावरी मनार एस. एस. के. लि., शंकरनगर, पो. आ. रामतीर्थ, जिला नांदेड	सहकारी	2500
74.	कालम्बर विभाग एस. एस. के. लि., कालम्बर, पोस्ट गांधीनगर, जिला नादेड	सहकारी	1250
75.	श्री भोवराव चहवान एस. एस. के. लि., स्थान देगांव, तहसील और जिला–नांदेड	सहकारी	2500

1	2	3	4
76.	शंकर एस. एस. के. लि., फुलेनगर, तह. भोकर, जिला नांदेड	सहकारी	1250
77.	जय अंबिका एस. एस. के. लि., मोहननगर कुंतर, टी. के. बिलोली, जिला नांदेड	सहकारी	2500
78.	श्री पंजाराकन एस. एस. के. लि., भादने, तालुक सकरी, जिला धुलिया	सहकारी	1250
79.	सिधंखेडा एस. एस के. लिमिटेड देवगांव तहसील सिधंखेडा जिला धुलिया	सहकारी	2500
80.	श्री सतपुडा तापी परिसर एस. एस. के. लिमिटेड शाहदा, पो. आ. पुरोषतम नगर जिला धुलिया	सहकारी	3500
81.	पुषपादांतेश्वर एस. एस. के. लिमिटेड शमशेर पुर टीके नादूबार जिला धुलिया	सहकारी	2500
82.	संजय एस. एस. के. धुले सिधंखेडा, अमालनेर लिमिटेड विजयनगर तहसील और जिला धुले	सहकारी	1250
83.	शीरपुर शेतकारी एस. एस. के. लिमिटेड धाईवाड, तहसील, शीरपुर, जिला धुले	सहकारी	2500
84.	जयमाता एस. एस. के. लिमिटेड दुसारबिड, तहसील महकर जिला बुलडाना	सहकारी	1250
85.	वसंत एस. एस. के. लिमिटेड पुसाद, जिला यवतमल	सहकारी	1250
86.	जय किसान एस. एस. के. लिमिटेड बोदेगांव, तहसील दरवाहा, जिला यवतमल	सहकारी	2500
87.	श्री शंकर शेतकारी एस. एस. के. लिमिटेड गांव मंगरूल जिला यवतमल	सहकारी	1250
88.	पुषपावती एस. एस. के. लिमिटेड चिकाली तालुक पुसाद, जिला यवतमल	सहकारी	2500

1	2	3	4
89.	राजाराम बापू पाटील एस. एस. के. लिमिटेड, राजारामनगर, पोस्ट सखाराले, तालुकावालवा जिला सांगली	सहकारी	4000
90.	वसंतदादा शेतकारी एस. एस. के लिमिटेड पो. आ. ओर जिला सांगली	सहकारी	5000
91.	जाथ तालुका शेतकारी एस. एस. के. लिमिटेड तिपेहाली जाथ तालुका जाथ जिला सांगली	सहकारी	2500
92.	विश्वास एस. एस. के. लिमिटेड यशवतंनगर पोस्ट चिकाली, तालुका शिराला, जिला सांगली	सहकारी	1250
93.	हुतात्मा किसान और एस. एस. के. लिमिटेड, वाल्व, .जिला सांगली	सहकारी	1250
94.	यशवंत एस. एस. के. लिमिटेड नागेवाडी तालुका खानपुर जिला सांगली	सहकारी	1250
95.	महांकाली एस. एस. के. लिमिटेड कावाथी, महांकाली, जिला सांगली	सहकारी	1250
96.	तसगांव तालुका एस. एस. के. लिमिटेड तसगांव, (तुरची फाटा) पोस्ट तुरची, तालुक तसगांव जिला सांगली	सहकारी	2750
97.	मनगंगा एस. एस. के. लिमिटेड सोनारसिंघनगर जिला सांगली	सहकारी	1250
98.	तेरना शेतकारी एस. एस. के. लिमिटेड तेरनानगर तालुका धोकी जिला ओसमानाबाद	सहकारी	2200
99.	तुलिजा भवानी शेतकारी एस. एस. के. लिमिटेड नालदुर्ग तालुका बुलजापुर, जिला ओसमानाबाद	सहकारी	1250
100.	दि अम्बायोगाय एस. एस. के. लि., डाकघर अम्बासखर, तालुका अम्बायोगाय, जिला बीड	सहकारी	1250
101.	जय भवानी एस. एस. के. लि., जेवराय, जिला बीड	सहकारी	2500

1	2	3	4
102.	कादा एस. एस. के. लि., तालुका अस्ती, जिला बीड	सहकारी	1250
103.	गजानन को. ओप. शुगर फैक्ट्री लि., तालुका और जिला–बीड	सहकारी	1250
104.	मायलगांव एस. एस. के. लि. निथरूड, तेह मायलगांव, जिला–बीड	सहकारी	2500
105.	मधुकर एस. एस. के. लि., डाकघर–फैजपुर, जिला जलगांव	सहकारी	1250
106.	वसन्त एस. एस. के. लि., कसोदा, जिला जलगांव	सहकारी	1250
107.	बेलगंगा एस. एस. के. लि., तालुका चालीसगांव, जिला जलगांव (मोरास)	सहकारी	2500
108.	श्री चोपाडा एस. एस. के. लि., माचले, तह. चोपडा, जिला जलगांव।	सहकारी	2500
109.	श्री संत मुक्ताबाई एस. एस. के लि., घोदानियां, तह. इदलाबाद, जिला जलगांव	सहकारी	2500
110.	मराठवाड़ा एस. एस. के लि., डाकघर–डोंगरखेड़ा, तालुका पथारी, जिला परभानी	सहकारी	1250
111.	दि गोदावरी दुधना एस. एस. के. लि., देवनंद्रा, तालुका–पथारी, जिला परभानी	सहकारी	1250
112.	पुरना एस. एस. के लि., बासमथनगर, जिला परभानी	सहकारी	2500
113.	निरसिंहा एस. एस. के लि., लोहगांव, जिला परभानी	सहकारी	2500
114.	बराशिव हनुमान एस. एस. के. लि., जावला बायर, तालुक बासमथनगर, जिला परभानी	सहकारी	2500

1	2	3	4
115.	समरथ एस. एस. के लि., महालाला, तालुका अम्बाड, जिला जालना	सहकारी	2500
116.	जालना एस. एस. के. गांव रामनगर, तह. और जिला जालना	सहकारी	1250
117.	श्री बागेश्वरी एस. एस. के. लि., वारफल, तालुका पारतुर, जिला जालना	सहकारी	2500
118.	जय जवान जय किसान एस. एस. के. लि., नालेगांव, तालुका अहमदपुर, जिला लातूर	सहकारी	1250
119.	शेतकारी एस. एस. के. लि., किल्लारी, जिला लातूर	सहकारी	1250
120.	मनियारा शेतकारी एस. एस. के., लि., तालुका चिंचोलीराव, जिला लातूर	सहकारी	1250
121.	शिवाजीराव पाटिल निलांगकार एस. एस. के. लि., अम्बूल्गा (बी. के.) तालुका निलंग, जिला लातूर	सहकारी	2500
122.	शेतकारी एस. एस. के. लि., धामनगांव, तालुका चंदूर रेलवे स्टेशन, जिला अमरावती	सहकारी	1250
123.	श्री कोंडेश्वर एस. एस. के. लि., रामनगर, तालुका–फुबगांव, जिला अमरावती	सहकारी	2500
124.	श्रीराम एस. एस. के. लि., बाबदेव, तहसील मौदा, जिला नागपुर	सहकारी	1250
125.	महात्मा एस. एस. के. लि., जमानी, तालुका सालो, जिला वरधा	सहकारी	1250
126.	दि वैमगंगा एस. एस. के. लि., तहसील मोहाली रोड, जिला भंडारा	सहकारी	1250
127.	बालाजी एस. एस. के. लि. मसालापेन, तालुका–रिसोड, जिला अकोला	सहकारी	1250

1	2	3	4
128.	अकोला जिला एस. एस. के. लि., विजारे, जिला–अकोला	सहकारी	2500

ग्रामीण विकास योजनाओं की उपलब्धियां

757. **डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति जल–मल व्ययन, जल–निकास और सफाई के संबंध में प्राप्त उपलब्धि का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस समय देश में ग्रामीण बेरोजगारों की राज्य–वार संख्या कितनी है; और

(ग) ग्रामीण लोगों की आय, क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए बनाई गई कार्य–नीतियों, सूक्ष्म स्तर की योजना और कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम तथा ग्रमीण स्वच्छता कार्यक्रम में की गई वास्तविक उपलब्धियों का राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) रोजगारी तथा बेरोजगारी पर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के 50वें दौर के सर्वेक्षण (1993–94) से उपलब्ध अद्यतन अनुमानों के अनुसार देश में ग्रामीण बेरोजगार लोगों की राज्य–वार संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के स्व–रोजगार कार्यक्रम को लघु उद्योगों के एक व्यापक कार्यक्रम के रूप में कल्पना की गई है। जिसमें स्वरोजगार के सभी पहलू शामिल हैं जिनमें ग्रामीण गरीबों के स्व–सहायता समूहों का गठन तथा उनकी क्षमता का विकास, सामूहिक क्रियाकलापों की योजना, ढांचा निर्माण, प्रौद्योगिकी, ऋण तथा विपणन भी शामिल है। इसके अलावा, सुनिश्चित रोजगार योजना का मजदूरी रोजगार कार्यक्रम और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को भी ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जाता है।

विवरण-I

1996-97 से 1998-99 के दौरान त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम तथा ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत वास्तविक उपलब्धियां

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम 1996-97 कवर की गई बसावटों की सं.	1996-97 कवर की गई जनसंख्या (लाख)	1997-98 कवर की गई बसावटों की सं.	1997-98 कवर की गई जनसंख्या (लाख)	1998-99 कवर की गई बसावटों की सं.	1998-99 कवर की गई जनसंख्या (लाख)	ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 1996-97 निर्मित स्वच्छता शौचालयों की संख्या	1997-98	1998-99
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	1600	27.8	2897.00	32.26	3400	2757	91454.00	136552.00	307250.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	248	0.58	317.00	0.49	101	0.18	608.00	216.00	181.00
3.	असम	990	3.66	1752.00	4.85	2707	8.33	3811.00	1961.00	1825.00
4.	बिहार	1812	6.43	11371.00	30.33	8485	14.71	195.00	1033.00	6541.00
5.	गोवा	2	0.36	6.00	0.03	20	0.23	2544.00	4005.00	5702.00
6.	गुजरात	1157	7.06	1393.00	10.14	1806	19.89	29541.00	26758.00	68249.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	हरियाणा	281	7.06	650.00	16.94	733	12.82	12971.00	35228.00	44301.00
8.	हिमाचल प्रदेश	675	1.08	1407.00	1.52	1295	1.45	13481.00	16455.00	16764.00
9.	जम्मू व कश्मीर	2	0.003	145.00	0.00	374	1.70	0.00	1613.00	5265.00
10.	कर्नाटक	5057	22.74	9507.00	30.70	8451	21.24	292120.00	157504.00	155148.00
11.	केरल	34	2.38	530.00	4.26	522	5.78	19438.00	26424.00	34792.00
12.	मध्य प्रदेश	5546	21.29	12903.00	44.49	16351	36.68	19102.00	39697.00	45251.00
13.	महाराष्ट्र	689	36.41	6421.00	33.95	10348	56.86	31926.00	104962.00	425981.00
14.	मणिपुर	100	0.5	338.00	1.32	95	0.00	435.00	1311.00	320.00
15.	मेघालय	188	0.68	482.00	0.55	481	0.57	568.00	1910.00	1020.00
16.	मिजोरम	84	0.15	185.00	0.32	190	1.04	271.00	529.00	822.00
17.	नागालैंड	0	0	24.00	0.04	62	0.60	0.00	0.00	0.00
18.	उड़ीसा	4733	10.68	7350.00	8.24	7318	6.97	1788.00	4715.00	8029.00
19.	पंजाब	170	2.34	268.00	2.03	155	1.24	1054.00	10326.00	726.00
20.	राजस्थान	45.89	6.63	5436.00	7.11	5540	3.71	62459.00	121020.00	77491.00
21.	सिक्किम	40	0.1	121.00	0.09	130	0.23	0.00	1084.00	7540.00
22.	तमिलनाडु	622	20.97	4531.00	29.69	7974	41.71	20726.00	44808.00	53188.00
23.	त्रिपुरा	69	2.61	442.00	0.95	764	1.07	236.00	1316.00	1513.00
24.	उत्तर प्रदेश	10373	26.24	37288.00	94.11	28117	54.89	93184.00	136218.00	159810.00
25.	पश्चिम बंगाल	2212	11.65	4194.00	12.40	6916	20.33	71357.00	147072.00	196387.00
26.	अं. व. नि. द्वीप समूह	0	0.04	11.00	0.07	15	0.02	3720.00	1962.00	222.00
27.	दा. व न. हवेली	0	0	45.00	0.04	63	0.06	27.00	31.00	8.00
28.	दमन व दीव	0	0	1.00	0.00	0	0.00	7.00	105.00	9.00
29.	दिल्ली	0	0	0.00	0.00	62	1.24	0.00	0.00	0.00
30.	लक्षद्वीप	0	0	1.00	0.03	3	0.00	202.00	40.00	27.00
30.	पांडिचेरी	3	0.35	10.00	0.09	14	0.15	407.00	357.00	211
	योग	41276	219.793	110026	367.04	112492	341.27	773632	1025212	1624573

विवरण-II

ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार लोगों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण*

राज्य	बेरोजगार लोगों की संख्या (हजारों में)
1	2
1. आन्ध्र प्रदेश	196
2. अरुणाचल प्रदेश	4
3. असम	502
4. बिहार	511
5. गोवा	33

1		2
6.	गुजरात	134
7.	हरियाणा	97
8.	हिमाचल प्रदेश	110
9.	जम्मू व कश्मीर	27
10.	कर्नाटक	157
11.	केरल	47
12.	मध्य प्रदेश	132
13.	महाराष्ट्र	287
14.	मणिपुर	8
15.	मेघालय	2
16.	मिजोरम	2
17.	नागालैंड	5
18.	उड़ीसा	260
19.	पंजाब	82
20.	राजस्थान	48
21.	सिक्किम	2
22.	तमिलनाडु	405
23.	त्रिपुरा	22
24.	उत्तर प्रदेश	410
25.	पश्चिम बंगाल	517
	कुल	4712

*सामान्य मूल स्थिति के आधार पर, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के 50वें दौर के सर्वेक्षण (1993-94) पर आधारित।

बोफोर्स के पुर्जों की खरीद

758. श्री टी. गोविन्दन : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वीडन की कंपनी से बोफोर्स तोप और इसके पुर्जे खरीदने को मंजूरी दे दी है जबकि पिछली सरकार ने इस कंपनी पर रोक लगा दी थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : *(क) और (ख) स्वीडन की* तत्कालीन कम्पनी मैसर्स ए. बी. बोफोर्स (अब सेल्सियस) के साथ सौदों पर लगे प्रतिबंध हटाए जाने के उपरांत, इस समय चल रहे जांच कार्यों, की जाने वाली कार्यवाइयों, इनके परिणामतः किए जाने वाले उपायों के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के और गैर कानूनी रूप से दी गई धनराशि की प्रतिपूर्ति किए जाने के संबंध में सरकार के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए, स्वीडन की कंम्पनी मैसर्स सेल्सियस के साथ बोफोर्स तोप के अतिरिक्त हिस्से पुर्जों की खरीद के लिए कतिपय संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तथापि, बोफोर्स तोपों के संबंध में अभी तक इस तरह का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

रेलवे फाटक

759. श्री नरेश पुगलिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चौकीदारी वाले और बिना चौकीदार वाले अलग-अलग कुल कितने रेलवे फाटक हैं;

(ख) क्या चौकीदारी वाले सभी रेलवे फाटक पर संचार प्रणाली उपलब्ध हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार चौकीदार वाले रेलवे फाटकों की संचार प्रणाली को उन्नत बनाने के लिए निजी तथा सरकारी दोनों क्षेत्रों की कंपनियों की भागीदारी के बारे में विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क)

चौकीदार वाले-16132

बिना चौकीदार वाले-24313

(ख) जी, नहीं।

(ग) निधियों की तंगी के कारण।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जवाहर रोजगार योजना तथा सुनिश्चित रोजगार योजना हेतु दिशा-निर्देश

760. श्री ब्रजमोहन राम : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोजगार आश्वासन योजना तथा जवाहर रोजगार योजना को क्रियान्वित करने के लिए जारी दिशा–निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त दिशा–निर्देशों का बिहार के पलामू एवं गढ़वा जिलों में पालन किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उक्त जिलों के जिला प्रशासन द्वारा इस पर कितना धन खर्च किया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार उन जिला अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का है जो इन दिशा–निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुंदर लाल पटवा) : (क) सुनिश्चित रोजगार योजना (ईएएस) चालू वित्तीय वर्ष से देश की सभी पंचायत समितियों में सर्वत्र कार्यान्वित किया जाने वाला एकमात्र मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है। राज्यों को निधियों का आबंटन देश के कुल ग्रामीण गरीबों के किसी राज्य में रहने वाले ग्रामीण गरीबों के अनुपात के आधार पर किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत जिलों को निधियों का आबंटन पिछड़ेपन के सूचकांक पर आधारित होता है। जवाहर रोजगार योजना (जेआरवाई) को पुनर्गठित किया गया है और 1.4.99 से इसे जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जेजीएसवाई) नाम दिया गया है जिसका प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराना और मांग आधारित ग्रामीण ढांचे का सृजन करना है।

(ख) और (ग) बिहार के पलामू और गढ़वा जिलों में दिशा–निर्देशों का अनुपालन नहीं किए जाने की कोई रिपोर्ट नहीं है। विगत तीन वर्षों के दौरान जिला प्रशासन द्वारा खर्च की गई निधियां नीचे दी गई हैं :

(रु. लाख में)

वर्ष	सुनिश्चित रोजगार योजना		जवाहर रोजगार योजना	
	पलामू	गढ़वा	पलामू	गढ़वा
1996–97	697.85	511.84	1029.47	876.78
1997–98	839.40	349.21	1068.34	917.88
1998–99	833.63	322.58	1629.27	1030.94

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

विमान सेवाओं में वृद्धि

761. श्री अशोक.ना. मोहोल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने देश में विमान सेवाओं में सुधार लाने हेतु यात्रियों की कुल संख्या आकर्षक टूर पैकेज इत्यादि के संबंध में कोई मानदंड निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आगामी पांच वर्षों के दौरान निर्माण किए जाने वाले विमानपत्तनों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मुम्बई के निकट डपोली तथा रेवास–मांडवा क्षेत्रों में विमानपत्तन बनाए जाने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) नागर विमानन आधारिक संरचना विकास तथा विमान सेवाओं का प्रचालन मुख्यतः परियोजनाओं की तकनीकी–आर्थिक साध्यता के आधार पर निर्धारित किया जाता है। किन्तु देश के विभिन्न प्रदेशों में विमान परिवहन सेवाओं की जरूरत को पूरा करने के लिए मार्ग संवितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए जाते हैं जिसमें वैसे भी मार्ग शामिल हैं, जो व्यवहार्य नहीं हो सकते।

(ग) से (ङ) आगामी 5 वर्षों में सरकार द्वारा किसी नए हवाई अड्डे के निर्माण का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

हवाई अड्डों पर शीतगार और माल सम्हलाई सुविधाएं

762. श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद स्थित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नश्य पदार्थों के लिए शीतगार और माल सम्हलाई सुविधाएं मुहैया कराने संबंधी कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो परिचालन हेतु ये कब तक तैयार हो जाएंगे;

(ग) इस परियोजना पर अब तक कुल कितनी राशि खर्च की गई है;

(घ) क्या मांग को देखते हुए देश के दूसरे हवाई अड्डों पर ऐसे और अधिक शीतगार बनाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) 31.1.2000 तक इस प्रकार की सुविधा सुलभ हो जाने की आशा है।

(ग) इस परियोजना पर 207.33 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है जिसमें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि की लागत सम्मिलित नहीं है।

(घ) और (ङ) वाणिज्य मंत्रालय के अधीन कृषि और प्रक्रमित खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण इस प्रकार के नश्य पदार्थों के लिए ऐसे केन्द्रों की स्थापना के लिए उत्तरदायी है। एपीइडीए इस प्रकार के केन्द्रों की मांग के बारे में नियमित रूप से संवीक्षा करती है।

विमानपत्तनों पर रेडार लगाना

763. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अक्तूबर, 1998 में देश के विमानपत्तनों पर रेडार लगाने के बारे में कोई निर्णय लिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने रेडार के लिए कोई क्रयादेश नहीं दिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन रेडारों को कब तक लगा दिए जाने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 81.83 करोड़ रु. की लागत से नागपुर, वाराणसी, बेरहमपुर तथा मंगलोर स्थित विमानपत्तनों पर मोनोपल्स सेकंडरी सर्विलेंस राडार (एमएसएसआर) की आपूर्ति हेतु आर्डर कर दिया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) मार्च, 2001 तक सभी राडार चालू हो जाएंगे।

[हिन्दी]

राजस्थान में रेल नेटवर्क

764. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने रेलवे के क्षेत्र में राजस्थान के पिछड़े क्षेत्र का विकास करने और इसे नए क्षेत्रों के साथ जोड़ने के लिए क्या कार्य योजना तैयार की है;

(ख) देश के कुल नेटवर्क में से राजस्थान में रेलवे नेटवर्क की प्रतिशतता कितनी है;

(ग) देशभर में चल रही कुल रेलगाड़ियों में से राजस्थान में उपलब्ध रेल सुविधाओं की प्रतिशतता क्या है;

(घ) क्या पूर्व से पश्चिम तक रेलवे नेटवर्क द्वारा देश के दूसरे स्थानों के साथ राजस्थान को जोड़ने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या योजमा तैयार की है; और

(च) राजस्थान में निर्माणाधीन नई रेल लाइनों का ब्यौरा क्या है और इन रेल लाइनों को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) रेलवे राज्य–वार सूचना नहीं रखती है। बहरहाल, सरकार ने राजस्थान में बड़े पैमाने पर आमान परिवर्तन कार्य शुरू किया है जिसके परिणामस्वरूप जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और राज्य के अन्य महत्त्वपूर्ण कस्बे देश की बड़ी लाइन नेटवर्क से सीधे जुड़ गए हैं। लूनी–मुनाबओ, समदड़ी–भिलडी, अजमेर–चित्तौड़गढ़–उदयपुर और आगरा फोर्ट–बांदीकुई का आमान परिवर्तन प्रगति पर है। श्रीगंगा नगर–सरूपसर और रेवाड़ो–सादुलपुर के आमान परिवर्तन कार्य को रेलवे बजट में शामिल कर लिया गया है और आवश्यक मंजूरी मिलने के बाद इसे शुरू किया जाएगा।

(ख) राजस्थान में कुल रेलवे नेटवर्क का 9.42 प्रतिशत रेल नेटवर्क है।

(ग) भारतीय रेलें राज्य–वार आंकड़े नहीं रखती हैं।

(घ) और (ङ) गुवाहाटी, चेन्नई, बेंगलूरु इत्यादि को जोधपुर से जोड़ने जैसे कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इनकी जांच की गई थी किंतु इन्हें व्यावहारिक नहीं पाया गया था। बहरहाल, सिकंदराबाद के रास्ते 9775/9776 जयपुर–बेंगलूरु एक्सप्रेस (सप्ताह में दो बार) 30.8.99 से चलाई गई है और 1.9.99 से 4311/4312 बरेली–अजमेर एक्सप्रेस को गांधीधाम तक बढ़ाया गया है।

(च) राजस्थान राज्य में दौसा से गंगापुर शहर तक नई लाइन को मंजूरी मिल गई है। प्रथम ब्लाक खंड के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्य शुरू किया गया है। भूमि उपलब्ध हो जाने के बाद इस

पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा और संसाधनों के उपलब्ध होने पर इसे पूरा किया जाएगा।

[अनुवाद]

दौंड-गिंगवण मार्ग का दोहरीकरण

765. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे के दौंड–गिंगवण मार्ग के दोहरीकरण की परियोजना के संबंध में पुलों और अन्य निर्माण कार्यों को बनाने के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस पर कुल कितना व्यय हुआ है और परियोजना की कुल लागत कितनी है; और

(ग) उपरोक्त परियोजना को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) अभी तक पुलों की प्रगति 100% है और निर्माण कार्यों की प्रगति 95% है।

(ख) परियोजना की अनुमानित लागत 3242.68 लाख रुपए है। इस पर हुआ खर्च 2800 लाख रुपए है।

(ग) इस परियोजना के पूरा होने के लक्ष्य तिथि मार्च, 2000 है।

ग्रामीण आवास के लिए नई योजना

766. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने नेशनल रूरल हाउसिंग एंड हैबिटेट मिशन के भाग के रूप में ग्रामीण आवास और हैबिटेट डेवलपमेंट के लिए इसकी नई योजना के अन्तर्गत ग्रामीण आवास के लिए कम लागत वाली नई माडल योजनाएं प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या नई योजनाओं के निरीक्षण के लिए ग्रामीण विकास, सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय केन्द्रीय जांच समिति का गठन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस समिति के मुख्य कार्य क्या हैं ; और

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनी परियोजनाओं को अब किस सीमा तक लागू किया गया है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) मंत्रालय द्वारा 1.4.99 से "ग्रामीण आवास और पर्यावास विकास के लिए अभिनव कार्यक्रम" नामक एक नई योजना शुरू की गई है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में किफायती आवास और पर्यावास के निर्माण के लिए अभिनव और परखी हुई निर्माण प्रौद्योगिकियों का संवर्धन/प्रचार–प्रसार करना है। यह ग्रामीण आवास के लिए आरम्भ की गई नई पहलों में से एक है।

(ख) और (ग) जी, हां। समिति का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण आवास निर्माण और पर्यावास विकास के क्षेत्र में जांचे–परखे रिकार्डों और अनुभवों वाले मान्यता प्राप्त विभिन्न गैर–सरकारी संगठनों, प्रौद्योगिकी संवर्धन और उनके अनुप्रयोग संबंधी अनुभव वाले मान्यता प्राप्त शैक्षिक/तकनीकी संस्थाओं, निगमित निकायों और स्वायत्त समितियों, राज्य सरकारों और विकास संस्थाओं आदि से प्राप्त प्रस्तावों की जांच और अनुमोदन करना है।

(घ) चूंकि योजना हाल में शुरू की गई है, इसलिए विभिन्न मान्यता प्राप्त संस्थाओं, गैर–सरकारी संगठनों, राज्य सरकारों आदि से प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं और उनकी जांच हो रही है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में महिला सैनिक विद्यालय

767. श्री रामदास आठवले :

डॉ. अशोक पटेल :

श्री रामपाल सिंह :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में लड़कियों के लिए सैनिक विद्यालय खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र सरकार से महाराष्ट्र के पंढरपुर में महिला सैनिक विद्यालय खोलने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज़) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) रेल संरक्षण बल अधिनियम, 1957 की धारा 21 की उपधारा (3) के अंतर्गत रेल संरक्षण बल (संशोधन) नियम, 1999 जो 24 जुलाई, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 229 में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिये** संख्या एल. टी. 218/99]

(2) रेल अधिनियम, 1989 के अं. ति रेल (भांडागारण और स्थान भाड़ा) संशोधन नियम, 1999 जो 20 अगस्त, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 672 (अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल. टी. 219/99]

(3) रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 30 की उपधारा (3) के अंतर्गत रेल दावा अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 1999 जो 26 अक्तूबर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 719(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल. टी. 220/99]

(4) (एक) सेन्टर फार रेलवे इन्फोरमेशन सिस्टम, नई दिल्ली के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्टर फार रेलवे इन्फोरमेशन सिस्टम, नई दिल्ली के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल. टी. 221/99]

(6) (एक) इंडियन रेलवे वैलफेयर ऑर्गनाईजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1998–99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन रेलवे वैलफेयर ऑर्गनाईजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1998–99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल. टी. 222/99]

(7) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंगेजी संस्करण) :

(एक) कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1997–98 की वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल. टी. 223/99]

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क) (एक) भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1998–99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1998–99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल. टी. 224/99]

(ख) (एक) मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1998–99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1998–99 की वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल. टी. 225/99]

(ग) (एक) हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1998–99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1998–99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिये** संख्या एल. टी. 226/99]

(2) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग और रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 1999–2000 के लिए हुए समझौता ज्ञापन कीं एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिये** संख्या एल. टी. 227/99]

(3) भारत डायनामिक्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग और रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 1999–2000 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिये** संख्या एल. टी. 228/99]

(4) छावनी बोर्ड के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिये संख्या** एल. टी. 229/99]

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 45 की उपधारा (3) के अंतर्गत खाद्य निगम (संशोधन) नियम, 1999 जो 29 अक्तूबर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 732 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिये** संख्या एल. टी. 230/99]

[हिन्दी]

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखत पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अंतर्गत वायुयान (संशोधन) नियम, 1999 जो 7 अगस्त, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 251 में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल. टी. 231/99]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क) (एक) एयर इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एयर इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1997–98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा–परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल. टी. 232/99]

(ख) (एक) पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996–97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1996–97 का वार्षिक प्रतिवदेन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल. टी. 233/99]

(4) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने

में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल. टी. 234/99]

अपराह्न 12.03 बजे

राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा यथा पारित विधेयक

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है–

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 1 दिसम्बर, 1999 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 30, नवम्बर, 1999 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गए प्रतिभूति विधि (संशोधन) विधेयक, 1999 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने की निदेश हुआ है कि राज्य सभा 1 दिसम्बर, 1999 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 30 नवम्बर, 1999 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गए प्रतिभूति विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई"

(तीन) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 1 दिसम्बर 1999 को हुई अपनी बैठक में पारित भारतीय वयस्कता (संशोधन) विधेयक, 1999 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

(चार) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 1 दिसम्बर, 1999 को हुई अपनी बैठक में पारित विवाह विधि (संशोधन) विधेयक, 1999 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

(पांच) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 1 दिसम्बर, 1999 को हुई अपनी बैठक में पारित महाप्रशासक (संशोधन) विधेयक, 1999 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

2. महोदय, में राज्य सभा द्वारा 1 दिसम्बर, 1999 को यथापारित भारतीय वयस्कता (संशोधन) विधेयक, 1999; विवाह विधि (संशोधन) विधेयक 1999; और महाप्रशासक (संशोधन) विधेयक 1999 सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

सभापति तालिका

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 9 के अंतर्गत मैंने निम्नलिखित सदस्यों को सभापति की तालिका के सदस्यों के रूप में नामित किया है :

1. श्री बसुदेव आचार्य
2. श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा
3. डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय
4. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
5. श्री बेनी प्रसाद सिंह
6. श्री के. येरननायडू

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : महोदय, मुझे गेहूं के आयात के संबंध में एक महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करनी है। देश में इन महीनों में गेहूं का अंधाधुंध आयात क्यों किया गया था और जब हमारे गोदाम भरे हुए थे और जब इससे हमारे किसानों को नुकसान हो रहा था तो आयात शुल्क लगाने में विलम्ब क्यों किया गया ?...*(व्यवधान)*

श्री मोहन एस. देलकर (दादरा और नगर हवेली) : महोदय मैंने एक विशेषाधिकार प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया है। मैं एक निर्दलीय

सदस्य हूं और आप मेरे संरक्षक हैं। मैं सभा का समर्थन इस संबंध में भी चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : पहले प्रक्रिया को समझ लें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन एस. देलकर : अध्यक्ष महोदय, पुलिस के एक आफीसर ने मेरे खिलाफ डैरोगेटरी रिमार्क्स दिये हैं...*(व्यवधान)* मेरे साथ इनजस्टिस किया गया है, एक एम. पी. के खिलाफ ऐसा किया गया है, मैं किससे कहूं ?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह प्रोसीजर नहीं है। कृपया मेरी बात सुनिए। प्रीवलेज मोशन देने के लिए एक प्रोसीजर है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया अपने स्थानों पर जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। बहुत हो गया।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, यह ठीक नहीं है। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री देलकर, कृपया पहले प्रक्रिया नियमों को समझिए। इस सभा में प्रक्रिया नियमों का अनुपालन किये बिना कोई भी मामला नहीं उठाया जा सकता।

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदयः श्री देलकर, यह तरीका नही है कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं नेताओं से अपील करता हूं कि वह माननीय सदस्य को अपना स्थान ग्रहण करने के लिए कहें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह इसे उठाने का तरीका नहीं हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करिए अन्यथा मुझे आपके खिलाफ कार्यवाही करनी पड़ेगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रक्रिया नियमों का अनुपालन किया जाना चाहिए आप प्रक्रिया नियमों का अनुपालन किये बिना इसे किस प्रकार उठा सकते है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हालांकि यह गम्भीर मामला है इसे उठाने की प्रक्रिया है। आपको प्रक्रिया की जानकारी होनी चाहिए। मैं जानता हूं कि आपने सूचना दी हुई हैं। यह मेरे विचाराधीन है। इस सभा में किसी मामले को उठाने से पहले आपको अध्यक्षपीठ से अनुमति लेनी चाहिए मेरी अनुमति के बिना आप किस प्रकार बोल सकते हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे विचाराधीन है। कृपया बैठ जाइए।

श्री माधवराव सिंधिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान अत्यन्त गम्भीर मामलों की ओर दिलाना चाहता हूं। मई के महीने से सितम्बर तक गेहूं के अन्धाधुन्ध आयात ने सरकार के आशय पर अत्यन्त गम्भीर शंका जतायी हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री सिंधिया, कृपया मेरी बात सुनिए। कल सहमति हुई थी कि आप प्रश्न काल के तुरन्त पश्चात् माननीय वित्त

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मन्त्री बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक सम्बन्धी चर्चा का उत्तर देगें। कल सभा की बैठक 8.30 बजे तक भी हुई थी ताकि चर्चा को समाप्त किया जा सके।

श्री माधवराव सिंधिया : तो ठीक है मैं उनके जवाब के बाद इसे उठाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है अब वित्त मन्त्री जवाब देगें।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, आप मन्त्री जी से स्पष्टीकरण की मांग कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री पी. सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि केरल में अत्यन्त गम्भीर और वीमत्स हत्याएं की जा रही हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री थामस, कृपया अपना स्थान ग्रहण करिए।

श्री पी. सी. थामस : महोदय, यह एक राजनीतिक दल के कार्यकर्त्ताओं के अन्य राजनीतिक दल के कार्यकर्त्ताओं की हत्या करने का मामला है। अतः मुझे दिन में बाद में किसी भी समय इस मामले को उठाने का अवसर प्रदान किया जाए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : अध्यक्ष महोदय, हमारी नेता स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी , जो भारत की महान् महिला हैं को बी. बी. सी. द्वारा इन्टरनेट में किये गए अन्तर्राष्ट्रीय चुनाव में सहस्राब्दी की महानतम महिला के रूप में चुनी गई हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी 'शताब्दी के एशियन' कहा गया है। ये दो चीजें न केवल किसी दल के लिए बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए महान गर्व की बात है। अतः मैं अपील करूंगा कि पूरे सदन को इस महान कार्य की प्रशंसा करनी चाहिए और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अध्यक्षपीठ के रूप में टिप्पणी करें ताकि हम दिवंगत आत्माओं को उचित सम्मान दे सकें।

अपराह्न 12.10 बजे

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक-जारी

[अनुवाद]

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त सिन्हा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक 1999 पर की गई चर्चा का जवाब देने के लिए खड़ा हुआ हूं जो परसों इस सभा में आरम्भ की गई थी। मैं अपनी बात यह कहते हुए आरम्भ करूगां कि मैं इस सदन के माननीय सदस्यों का अति आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया और मूल्यवान सुझाव दियें। कुछ भाषण, जिसे मैंने इस चर्चा के दौरान इस सभा में सुना, बेहतर भाषणों में से है जो काफी लम्बे समय के बाद इस सभा में दिये गए हैं।

मैं भाषणों के भावार्थ और सारांश उदाहरण के लिए श्री रूपचन्द पाल के भाषण से सहमत नही हो सकता। लेकिन मैं स्वीकार करता हूं कि उन्होंने असाधारण कार्य किया है, बहुत बढ़िया भाषण दिया है– सभी तथ्य और आंकड़े दिये हैं।

मैं कांग्रेस पार्टी–मुख्य विपक्ष–के माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने न केवल अत्यन्त रचनात्यन तरीके से चर्चा में भाग लिया हैं बल्कि सुझाव भी दिये हैं जो अत्यन्त तर्क संगत है।

मैं इस चर्चा में भाग लेने के लिए श्री मुलायम सिंह यादव का आभारी हूं। मैं तो उन्हें केवल यही बताना चाहता हूं कि उन्हें काफी लम्बी दूरी तय करनी है और जिस प्रकार का विरोध यहां प्रदर्शित किया गया है उसकी आवश्यकता शायद नहीं थी। यह महत्त्वपूर्ण बात है। इस सभा में सभी राजनीतिक दलों से सलाह मशवरा करके इसे बनाया गया था यह समय के साथ चलने में सहायक होगा। यह परिवर्तन का आवश्यक गुण है। यदि कोई व्यक्ति, कोई समाज, कोई राष्ट्र अथवा कोई राजनीतिक गठन देश के भीतर अथवा बाहर उसके इर्द गिर्द हो रही तबदीलियों को ध्यान में रखते हुए बदलता नही है तो, सम्भावना यह होती है कि हम इस द्रौड़ में पिछड़ जाते हैं। मैं बिना किसी झिझक के स्वीकार करने को तैयार हूं कि जब 1956 में जीवन बीमा कार्य व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया गया था, अथवा 1970 में साधारण बीमा कार्य व्यापार का राष्ट्रीकरण किया गया था तो विलम्ब ऐसा ही मामला था। लेकिन आज पूरी स्थिति एक दम बदल चुकी है। अतः कल जो वैध था वह आज वैध नही है। यही वह अवधारणा है जिसने कांग्रेस दल की तत्कालीन सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के भूतपूर्व गवर्नर स्वर्गीय श्री आर. एन. मल्होत्रा के नेतृत्व में एक समिति गठित करने के लिए मजबूर किया था ताकि बीमा क्षेत्र के पूरे सुधार के प्रश्न की छानबीन की जा सके। उस समिति ने इस की छानबीन की । उस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और कई अत्यन्त महत्त्पूर्व और मूल्यवान सुझाव दिए एक के बाद एक तीन सरकारों द्वारा अत्यन्त ध्यानपूर्वक और अत्यन्त गहराई से कुछ समय तक इसकी जांच की गई है।

आज इस समा के सम्मुख मैं जो लेकर आया हूं और पिछले वर्ष इस सभा के सम्मुख मैं जो लेकर आया था वह मल्होत्रा समिति की सिफारिशों की अत्यन्त ध्यानपूर्वक जांच पड़ताल पर आधारित था।

अतः यह ऐसा कुछ नहीं है जो अचानक घटित हुआ हो। इस संबंध में अच्छी तरह से विचार विमर्श और जांच पड़ताल की गई है और उसी जांच पड़ताल के आधार पर ही कि आज हम यहां खड़े हैं उस पर यह चर्चा की गई है और मैं उस चर्चा का जवाब देने के लिए यहां हूं।

यह सुझाव दिया गया है कि 1996 में जब यह विधेयक तत्कालीन सरकार द्वारा तैयार करके लाया गया था तब से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति में बदलाव आया है मैंने इस सभा में कहा था और स्पष्ट भी किया था कि वह विधेयक जो कि सयुंक्त मोर्चा सरकार द्वारा लाया गया था और वह विधेयक जिसे हम लेकर आये है, एक दूसरे से पर्याप्त रूप से भिन्न है।

यह विधेयक जो तत्कालीन सरकार द्वारा लाया गया था उस विधेयक में केवल बीमा विनियामक प्राधिकरण की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव था। इसमें जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम अधिनियम को संशोधित करने के बारे में नहीं कहा गया था। इसमें बीमा क्षेत्र को निजी क्षेत्र भारतीय फर्म के लिए खोलने की बात नहीं की गई थी। इसमें स्पष्ट नहीं किया गया था कि हम भारतीय निजी कम्पनी की परिभाषा किस प्रकार करेगें। उस विधेयक के बारे में कुछ अस्पष्टता थी। मैं नही कह सकता कि यह जानबूझकर किया गया या यह भूल वश हुआ किन्तु जब इस सभा में उन मुद्दों को उठाया गया था तो कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिल रहा था। इस विधेयक में हमने उन समस्याओं को ध्यान में रखा है।

हमारा दृष्टिकोण पूर्णतः स्पष्ट है। मैं कहना चाहता हूं कि बजट भाषण में सरकार का इरादा स्पष्टतः बता दिया गया था। जिसे मैंने 1 जून, 1998 को इस सभा में दिया था और जिसमें मैंने कहा था कि बीमा क्षेत्र को निजी भारतीय कंपनियों के लिए प्रतियोगिता के लिए खोलना चाहिए। उस बजट भाषण में मैंने वह बात स्पष्टतः कही थी और उस बजट को बारहवीं लोक सभा ने पूर्णतः स्वीकृत किया था।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): बिना किसी चर्चा के।

श्री यशवंत सिन्हा : ऐस इस वर्ष हुआ था न कि पिछले वर्ष। पिछले वर्ष हमने बजट पर पूरी चर्चा की थी। पिछले वर्ष 1998–99 के बजट पर इस सभा में पूरा वाद–विवाद हुआ था और स्वीकृति दी गई थी। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि हम इस विधेयक को प्रस्तुत करते हुए कुछ चमत्कार कर रहे थे। जैसा कि मैंने कहा है बजट भाषण में सरकार की मंशा को स्पष्टः बताया गया था।

यह कहा गया है कि हम बीमा क्षेत्र को निजी भारतीय कंपनियों के लिए प्रतियोगिता के लिए खोलेगें। हमने स्पष्टतः परिभाषित किया था कि निजी भारतीय कंपनियों से क्या तात्पर्य है। किन्तु उस बात पर आने से पूर्व मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस विधेयक में क्या प्रावधान नहीं है क्योंकि लगता है इस बारे में इस सम्मानीय सभा में काफी गलतफहमी है और इस गलतफहमी के कारण इस विधेयक की प्रकृति व विषयवस्तु के बारे में भी काफी गलतफहमी है।

यह विधेयक भारतीय जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम के निजीकरण के बारे में नहीं है। मैं इस बात को स्पष्ट करता हूं, भारतीय जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम का निजीकरण करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है, हम भारतीय जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम में सरकार के स्वामित्व को कम करने भी नहीं जा रहे हैं। यदि साधारण बीमा निगम और भारतीय जीवन बीमा निगम जो संविधिक निकाय हैं, के इक्विटी में सरकार का शतप्रतिशत स्वामित्व है तो मैं दृढ़ता से कहता हूं कि सरकार का इरादा उस इक्विटी को कम करने या भारतीय जीवन बीमा निगम की सांविधिक स्वरूप के महत्त्व को कम करने का नहीं है, ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : केवल पांच करोड़ रुपये ...*(व्यवधान)*

श्री यशवन्त सिन्हा : मैंने उस समय व्यवधान नहीं उत्पन्न किया था जब आप बोल रहे थे।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर भारतीय जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम के आकार और इस विधेयक से भारतीय जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम के कर्मचारियों के लिए उत्पन्न खतरों के बारे में कहा गया। मेरा कहना है कि ये सब बातें पूर्णतः गलत है। जैसा मैं पीछे कहता आया हूं कि जब से मल्होत्रा समिति की सिफारिशों को सार्वजनिक किया गया तब से भारतीय जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम प्रतियोगिता की तैयारी कर रही है भारतीय जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम प्रतियोगिता से पीछे क्यों हटें ? मुझे इसका कोई कारण नहीं दिखाई देता क्योंकि भारतीय जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम विश्व के अधिकतर देशों में व्यवसाय कर रही हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम की समनुषंगी कंपनियां हैं और वे विश्व के कई देशों में कार्य कर रही हैं। उन देशों में वे अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना कर रही हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता का सामना करने के लिए पूर्णतः तैयार और पूर्णतः सुसज्जित हैं।

मैंने दोनों निगमों के अध्यक्षों से व्यक्तिगत रूप से बात की है, मैं दृढ़ता से कह सकता हूं कि भारतीय जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम न केवल प्रतियोगिता के लिए पूरी तरह से तैयार हैं अपितु वे किसी भी क्षेत्र से किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता का सफलतापूर्वक

सामना करेंगी और उनके कारोबार के कम होने का कोई खतरा नहीं है। इसलिए भारतीय जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम के कर्मचारियों के रोजगार खोने का प्रश्न गलत है। इस प्रतियोगिता के परिणामस्वरूप भारतीय जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम के कर्मचारी अपना रोजगार नही खोएंगे। उनके साथ मेरी पूर्ण सहानुभूति है।

मेरे विचार से कुछ आशंकाएं कुछ गलतफहमी पैदा की जा रही है। मैं उनसे मिला, उनसे बातचीत की और उन्हें पूरी स्थिति से अवगत कराया और सरकार ऐसा प्रयास करती रहेगी यदि उनके मन में कोई गलतफहमी हो तो उसे दूर करने का पूरा ध्यान रखा जाएगा किंतु इस प्रतियोगिता के परिणामस्वरूप भारतीय जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम के कर्मचारियों द्वारा रोजगार खोने का कोई खतरा नहीं है।

अन्य क्षेत्रों के अनुभव क्या रहे हैं ? इस देश में बैकिंग क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोला गया था। क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने बाजार में अपना हिस्सा खोया है ? क्या इस कारण बैंकों में छटनी हुई है ? मेरा उत्तर 'नहीं' है।

अपराह्न 12.23 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए।***)**

म्युचुअल फंड का क्या हुआ ? एक समय था कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट के म्युचुअल फंड बाजार में थे। इसका क्या परिणाम हुआ ? इसका परिणाम यह रहा कि विगत वर्षों में 1987 तक उनका कारोबार 4000 करोड़ रुपये से बढ़कर 16,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया । जब हमने निजी म्युचुअल फंड के लिए बाजार खोला तो फिर क्या हुआ ? उनका कारोबार 80,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। जब बाजार बड़ा होता है तो हर किसी को बड़ा हिस्सा मिलता है। अब हम वही करने का प्रयास कर रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर का बाजार बड़ा बन गया है। म्युचुअल फंड उद्योग का बाजार बढ़ गया है। इन स्थितियों में निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों की प्रगति संभव है। इसलिए यदि किसी के मन में आशंका है कि भारतीय जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम अपना कारोबार खो देंगे, कर्मचारियों की छंटनी होगी, उनमें समस्या पैदा होगी उनका कारोबार कम होगा तो मैं दृढ़ता से कह सकता हूं कि यह सही नहीं है क्योंकि बाजार के आकार में पर्याप्त वृद्धि होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, एक और बात है। यहां आंकड़े उद्धृत किए गए हैं। मुझे उनमें नहीं जाना है कि भारतीय जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम के बहुत अच्छे निष्पादन के बावजूद वे जनसंख्या के एक हिस्से को भी बीमा के अन्तर्गत नहीं लाए हैं। मैं यहां खड़ा होकर भारतीय जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम के निष्पादन को कम नहीं आंक रहा हूं। उनका निष्पादन बहुत अच्छा रहा है। राष्ट्रीय विकास में उनका योगदान उल्लेखनीय है। इन सभी तथ्यों को पूर्णतः स्वीकार किया गया है। किंतु दूसरी ओर इस सभा के समक्ष में तथ्य लाए गए हैं कि भारतीय जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम द्वारा संग्रहित कुल प्रीमियम सकल घरेलू उत्पाद के दो प्रतिशत से थोड़ा अधिक है जबकि उनका कारोबार बढ़ रहा है किंतु दुर्भाग्यवश वे बीमा के अन्तर्गत लाई जा सकने वाले पूरे लोगों यहां तक उसके एक हिस्से को भी बीमा के अन्तर्गत नहीं लाए। वह भी एक तथ्य है। मैं छोटी–छोटी शिकायतों में नहीं जा रहा हूं कि भारतीय जीवन बीमा निगम या साधारण बीमा निगम द्वारा मेरे दावे का समय पर निपटान नहीं किया गया है या किसी ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है। मैं इन छोटे–छोटे मुद्दों में नहीं जा रहा हूं। मैं स्पष्टतः कह रहा हूं कि भारतीय जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम ने बहुत अच्छा कार्य किया है, उनका एक रिकार्ड है। हम इस बात पर गर्व कर सकते हैं किंतु भारत जैसे विशाल देश में जीवन बीमा के क्षेत्र में केवल एक कंपनी और साधारण बीमा के क्षेत्र में चार समनुषंगी इकाइयों के साथ एक कंपनी द्वारा सारे उभरते कारोबार को करने में सक्षम होने की अपेक्षा करना शायद गलत नहीं है। अतः बाजार में और बीमा कंपनियां भी होनी चाहिए।

इसलिए हमने इस क्षेत्र को खोलने का निर्णय किया है। अब कोई भी प्रतियोगिता से पीछे क्यों हटे ? लोकतंत्र का समग्र सार तत्त्व प्रतिस्पर्धा हैं ? जब हम चुनाव लड़ते हैं तो क्या हमें प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ता है। मेरी समझ में यह बात नहीं आती है कि इस देश में कोई भी प्रतिस्पर्धा से क्यों घबराए। दुर्भाग्यवश एक राष्ट्र के रूप में विगत 50 वर्षों में हमने प्रतिस्पर्धात्मक नीति नहीं अपनाई है। इसीलिए इस वर्ष के बजट–भाषण में मैंने राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नीति की बात की है ऐसी नीति जो संसद के समक्ष लाई जाएगी और हम इस प्रतिस्पर्धा नीति और इस नीति के विभिन्न तत्वों पर विचार करेंगें और यह निर्णय करेंगे कि हमें किस प्रकार की प्रतिस्पर्धात्मक नीति का अनुसरण करना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, हम चाहें या न चाहें किंतु यह सच है कि प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी। अन्य प्रकार की प्रतिस्पर्धाएं भी दस्तक दे रही हैं और एक राष्ट्र के रूप में हमारे लिए इस प्रतिस्पर्धा को दूर रखना संभव नहीं होगा। अतः हमें प्रतिस्पर्धा से घबराना नहीं चाहिए।

मेरे विचार से जब मैंने निजी भारतीय कंपनियों की बात की तो इस बारे में इस सभा में व्यापक आम सहमति है। अब कुछ लोगों को भारतीय निजी कंपनियों में विदेशी इक्विटी के संबंध में आपत्ति है। उपाध्यक्ष महोदय संयुक्त मोर्चा सारकार द्वारा लाए गए पिछले विधेयक की तरह यदि हम इसे अस्पष्ट रखें तो फिर क्या परिणाम

होगा ? भारतीय कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत आज कोई भी कंपनी जो भारत में पंजीकृत है भारतीय कंपनी है। भारतीय कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत भारत में पंजीकृत किसी भी विदेशी कंपनी की शत्–प्रतिशत समनुषंगी इकाई भारतीय कंपनी है। अतः हमारे लिए भारतीय कंपनी को सही रूप में परिभाषित करना आवश्यक हो जाता है और हम यही कर रहे हैं। बारहवीं लोक सभा में पिछले वर्ष जब मूलतः मैंने यह विधेयक पुरःस्थापित किया था तो हमने सुझाव दिया था कि विदेशी इक्विटी पर 26 प्रतिशत की सीमा निर्धारित की जाए और अनिवासी भारतीयों और ओ सी बी के लिए 14 प्रतिशत होना चाहिए। ओ सी बी ऐसी प्रविष्टियां हैं जिनमें अनिवासी भारतीयों का 60 प्रतिशत से अधिक स्वामित्व है। ओ सी बी को इस रूप में परिभाषित किया गया है।

इस विधेयक को वित्त संबंधी स्थायी समिति को सौंपा गया था। संसद में सभी दलों का प्रतिनिधित्व था। इस विधेयक पर वित्त संबंधी स्थायी समिति में विचार किया गया था और उसमें सुझाव दिया गया था कि इस 14 प्रतिशत का लेप किया जाना चाहिए और अनिवासी भारतीयों और ओ सी बी को भी इसी 26 प्रतिशत में शामिल किया जाना चाहिए। हम उस सिफारिश को स्वीकार करने में नहीं हिचकिचाए क्योंकि यह आम सहमति पर आधारित थी। इसीलिए वर्तमान विधेयक में अनिवासी भारतीयों और ओ सी बी सहित 26 प्रतिशत की सीमा रखी गई है। हम एक कदम और आगे गए। हमने इसे परिभाषित किया। विधेयक में उपबंध है कि न तो समनुषंगी इकाइयों के माध्यम से और न ही अपने नामितों के माध्यम से किसी भी विदेशी कंपनी को पिछले दरवाजे से अपने शेयर स्वामित्व में वृद्धि करना संभव नहीं होगा। हम इस बात को भी ध्यान में रख रहे हैं कि विदेशी इक्विटी 26 प्रतिशत रहे। हमने इसे अनिवार्य नहीं बनाया है। उपाध्यक्ष महोदय, इस सभा को इसे ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। यह एक शक्ति प्रदान करने वाला उपबंध है। हम भारतीय कम्पनियों को इसके लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं कि आपकी 26 प्रतिशत विदेशी इक्विटी होनी ही चाहिए हम केवल यह कह रहे हैं कि यदि आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी में विदेशी इक्विटी हो यदि आप विदेशी सहयोग चाहते हैं तो आप 26 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी ले सकते हैं, मुझे विश्वास है कि ऐसी भारतीय कंपनियां होंगी जो शतप्रतिशत भारतीय कंपनियां होंगी और जो किसी अन्य कंपनी के साथ इक्विटी बांटना नहीं चाहेंगी।

शत प्रतिशत भारतीय इक्विटी वाली वे कंपनियां भी नई व्यवस्था के अन्तर्गत कारोबार कर रही होंगी। अतः अन्य क्षेत्रों की तरह हम यह नहीं कह रहे है कि 26 प्रतिशत विदेशी इक्विटी होना अनिवार्य है। यह भारतीय भागीदार के लिए खुली छूट है वह इस बारे में निर्णय करे कि वह 26 प्रतिशत या 10 प्रतिशत या 14 प्रतिशत विदेशी इक्विटी चाहता है। यह पूर्णतः उन पर निर्भर करता है। अधिकतम सीमा 26 प्रतिशत है। इसे स्वीकृति दी गई है। इसे हमने क्यों रखा है ? इसे हमने इसलिए रखा है क्योंकि हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में इस देश में प्रौद्यागिकी आए। अब कोई भी कह सकता है कि यह जीवन बीमा और साधारण बीमा; अत्यन्त साधारण क्षेत्र है और इसके लिए प्रौद्योगिकी की आवश्यकता नहीं हैं तो मुझे खेद है कि मैं उससे सहमत नहीं होऊगां।

उपाध्यक्ष महोदय, विश्व में प्रगति हुई है। अनेक प्रकार के बीमा उत्पाद जिनका विश्व के विभिन्न देशों में बाजार है वे दुर्भाग्यवश भारत में अभी तक उपलब्ध भी नही हुए हैं। यह हमारा विश्वास है कि इसके खुलते ही उन बीमा उत्पादों का इस देश में आना सम्भव हो पाएगा और यह बाजार को गहनता और महत्त्व प्रदान करेगा।

अब एक और दृष्टिकोण भी है। हम को इस बात की जानकारी है कि विश्व में कई देशों में स्वास्थ्य बीमा सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रदान नहीं की जाती है। स्वास्थ्य बीमा बीमा कम्पनियों के माध्यम से प्रदान किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि इस देश में किस प्रकार स्वास्थ्य देखभाल की सतत कमी है। हमने लक्ष्य निर्धारित किया है जिन्हें हम प्राप्त करने में समर्थ नहीं हैं। अब बीमा क्षेत्र में व्यापक संरक्षण के माध्यम से, स्वास्थ्य बीमा के द्वारा जनसंख्या के बड़े भाग को इसमें शामिल करना सम्भव हो पाता है। उदाहरण के लिए इसमें पेंशन योजना है। इसमें कर्मचारियों के वर्ग हैं, असंगठित क्षेत्र के वर्ग हैं विशेष कर जहां कोई पेंशन नहीं दी जाती है। अब वहां बीमा कम्पनियां हो सकती हैं जो उन्हें पेंशन की सुविधाएं प्रदान करेंगी। वे छोटा अंशदान कर सकते हैं। जब वे सेवानिवृत होंगे तो वह उनके पास होगी। अब इस प्रकार की सामाजिक सुरक्षा होगी जो बीमा क्षेत्र के एक बार खोल देने से सम्भव हो पाएगी और इसलिए हम नई कम्पनियों को समाज सेवा, सामाजिक क्षेत्र की बाध्यताएं सौंप रहे हैं। हमने कहा है कि हम दोनों प्रकार की कम्पनियो को एक समान बाध्यताएं सौंपेगे, हम सार्वजनिक क्षेत्र पर ऐसी कोई बाध्यता नहीं थोपेगें जिसे हम निजी भारतीय कम्पनियों पर नहीं डालेंगे। उनके पास कोई तरीका नहीं है जिसे वे अन्य बाध्यताओं से बच सकेगें जिन्हें जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम को सामाजिक क्षेत्र की बाध्यता के रूप में वहन करना पड़ता होगा। अतः इसमें कोई सन्देह नहीं है। यह कानून सार्वजनिक क्षेत्र के साथ–साथ निजी क्षेत्र पर भी बराबर लागू होने जा रहा है और इस कानून के अधीन सभी बाध्यताएं सार्वजनिक क्षेत्र पर लादी जाएंगी।

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : क्या मैं स्पष्टीकरण की मांग कर सकता हूं।

स्पष्टीकरण में बताया गया है कि विदेशी कम्पनी पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2 के खण्ड 23 क के अन्तर्गत यह भार

डाला जाएगा। मेरी जानकारी के अनुसार आयकर अधिनियम इतना विस्तृत नहीं है कि इसमें वित्तापोषण के सभी विदेशी साधनों को शामिल किया जा सके। मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम की ओर दिलाना चाहता हूं। इसमें इसका विस्तृत विवरण है कि किसे विदेशी साधन माना जाएगा और आपने कहा है कि इसमें सयुंक्त राष्ट्र को छोड़कर किसी भी देश या स्थान की सरकार, कोई भी अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सी, विदेशी कम्पनी कम्पनी अधिनियम की धारा 5(9)(1) के अन्तर्गत कोई कम्पनी शामिल है जो कि विदेशी कम्पनी, बहुराष्ट्रीक निगम, विदेशी कम्पनी की सरकार, विदेशी कम्पनी के नागरिकों, निगमों की सहायक कम्पनी है और इसके बाद आप इसमें न्यास, सोसायटी अथवा व्यक्तियों के अन्य संघों को भी शामिल करने वाले है। यह अत्यन्त लम्बी सूची है। क्या आप विदेशी कम्पनी के अर्थ के लिए आयकर अधिनियम की धारा 23 क तक ही सीमित न रहकर इसकी विस्तृत व्याख्या नहीं कर सकते ताकि सभी सम्भव रास्तों को अपनाया जा सके। अधिनियम का उद्देश्य और हम सभी को यह सुनिश्चित करना है कि 26 प्रतिशत की सीमा वास्तव में प्रभावशाली सीमा हो और इसमें कोई हेरफेर न हो।

श्री यशवन्त सिन्हा : इस प्रकार के किसी हेर फेर का तो प्रश्न ही नहीं उठेगा। हमने जब आयकर अधिनियम पर चर्चा की थी तो इस तथ्य को ध्यान में रखा गया था। आयकर अधिनियम की वह विशेष धारा विदेशी कम्पनी की परिभाषा इस प्रकार करती है कि कम्पनी जो स्वदेशी (घरेलू) कम्पनी नहीं है। इसके बाद हम स्वदेशी कम्पनी की परिभाषा करते हैं और स्वदेशी कम्पनी ऐसी कम्पनी है जो ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : जो विदेशी कम्पनी नहीं है।

श्री यशवन्त सिन्हा : यह कहना अधिक बेहतर है यह वह है जो कम्पनी भारत में कार्य करती है भारत में अपना लाभांश वितरित करती है और उन डिवीडेन्ट पर कर अदा करती है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह आयकर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत भी होनी चाहिए।

श्री यशवन्त सिन्हा : और जी हां, आयकर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हो। इस प्रकार देशी कम्पनी की परिभाषा अत्यन्त स्पष्ट है और उस परिभाषा को इस अधिनियम में 26 प्रतिशत की सीमा को स्थापित करते हुए शामिल किया गया हैं इस प्रकार मेरे हिसाब से विदेशी अंशदान (विनियम) अधिनियम में और जो यहां परिभाषित किया गया है के बीच कोई शंका नहीं हैं ...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया : क्या विदेशी न्यास अथवा विदेशी नागरिक जैसी चीजें इसमें शामिल की गई हैं ? आप विदेशी कम्पनी अथवा विदेशी न्यास उदाहरण के लिए विदेशी सोसायटी अथवा व्यक्ति को विदेशी ग्रुप के बारे में यहां बात कर रहे हैं। कई श्रेणियां हैं। मैं आपसे आश्वासन लेना चाहता हूं। मुझे उद्देश्य के आशय के बारे में कोई सन्देह नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसकी जांच करें और यदि आप महसूस करें कि इसमें कुछ कड़े कदम उठाने की जरूरत है तो आप प्रयास कीजिए और सुनिश्चित कीजिए कि यह किया जाएगा ताकि 26 प्रतिशत सीमा सारे उद्देश्यों, जो हमारे दिमाग में हैं को पूरा किया जा सके।

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, मुझे यह कहते हुए श्री माधवराव सिंधियां के सुझाव को स्वीकार करने में बिलकुल कठिनाई नहीं है कि हम इसकी अवश्य जांच करेंगे। लेकिन मैं कहूंगा कि अभी जैसा कि अधिनियम में कहा गया है शंका की कोई गुंजाइश नहीं है। हम स्वरूप के बारे में स्पष्ट हैं ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : खुली मेहमान नवाजी। यह गुप्त मेहमान नवाजी है विदेशी अंशदान मेहमान नवाजी के लिए है ...*(व्यवधान)*

श्री यशवन्त सिन्हा : इस प्रकार महोदय, जैसा मैं कह रहा था इस अधिनियम के मूल उद्देश्यों के सम्बन्ध में जब यह अधिनियम प्रभावी होगा तो इसके परिणाम स्वरूप जो स्थिति उत्पन्न होगी उस पर इस माननीय सभा के सदस्यों को बिल्कुल कोई आंशका नहीं होगी । मैं सदस्यों को केवल आश्वासन देना चाहता हूं कि क्षेत्र का विस्तार होगा अर्थात देश में बीमा कारोबार बढ़ेगा और हमारे पास निवेश के लिए देश के भीतर बड़ी मात्रा में धन होगा। अब यह ऐसा मामला है जिस पर मैं इस सभा का थोड़ा समय लूंगा।

हम आधारभूत क्षेत्र में विदेशी निवेश की अनुमति देते हैं। अब हम सभी को पता हैं कि आधारभूत क्षेत्र कोष निवेश में बीमा कम्पनियों और पेंशन कोषों में अधिकतर निवेश किया जाता है। ये दीर्घकालिक धनकोष है और इसीलिए वे इन क्षेत्रों में निवेश करते हैं जो नियत समय के लिए (गर्भाधान अवधि) लगाए जाएगें। हम आधारभूत क्षेत्र में निवेश करने का खुलकर स्वागत करते हैं और जैसा कि मुझे विश्वास है कि सी. पी. आई. (एम), वामपंथी से मेरे मित्रों को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री पी. आर. दासमुंशी कल कलकत्ता बाकारेश्वर विद्युत संयंत्र में उपरि पुल की चर्चा कर रहे थे।

श्री सोमनाथ चटर्जी विदेशी पूंजी आमंत्रित करने के उद्देश्य में पश्चिम बंगाल के आई. डी. सी. की ओर से विदेश ठीक ही गए थे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी गए थे जैसा कि श्री प्रियरंजन दास मुंशी ने कहा था। अब वे समय के साथ बदल रहे हैं और मैं इसका स्वागत करता हूं जैसा कि श्री प्रियरंजन दास मुंशी ने उसका स्वागत

किया है। मैं भी उसका स्वागत करता हूं। हमें कुछ क्षेत्रों में विदेशी निवेश प्राप्ति करना होगा और आधारभूत क्षेत्र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। यदि हमें गरीबी और बेरोजगारी की समस्या का सामना करना है और इस देश में 8–9 प्रतिशत विकास दर प्राप्त करना चाहते हैं तो यह नितान्त आवश्यक है कि हम आधारभूत क्षेत्र में अधिक से अधिक धन का निवेश करें। अब इस विधान में यह संशोधन करने हम यह करने का प्रयास कर रहे है। हम अपने स्वयं के संसाधनो को इकट्ठा करने के लिए यह करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे संसाधन कई गुना बढ़ जाएगें। अनुमान लगाया गया है कि कुल बीमा धनराशि अगले कुछ वर्षों में उससे 400 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी और आधारभूत क्षेत्र में निवेश के लिए देश के भीतर अधिक धन उपलब्ध होगा। इसलिए विदेश धन पर इतना निर्भर नहीं रहना पड़े इसलिए यह आवश्यक है कि हम इस क्षेत्र को विकसित करें। अतः सरकार की मंशा यह है और इसी उद्देश्य से हम यह विधान इस सभा में लेकर आए हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि बारहवीं लोकसभा की वित्त सम्बन्धी स्थायी समिति द्वारा इसकी जांच की गई थी और मैं कह रहा था जब मैं विचार हेतु इस विधेयक को प्रस्थापित कर रहा था कि यह अभूतपूर्व स्थिति होगी जहां सरकार ने स्थायी समिति की सभी सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए उपयुक्त पाया। हमने उनके सभी सुझावों को स्वीकार किया और संशोधित विधेयक में उन्हें शामिल किया। यदि कभी स्थायी समिति प्रणाली को कोई नजराना देना होता तो यह विधान ही नजराना है।

कांग्रेस दल के मेरे माननीय मित्रों ने कई संशोधन पेश किये हैं। उन्होंने कई सुझाव भी दिये हैं मैंने संशोधनों को सभा में परिचालित किया है कि हम इस सम्बन्ध में इन्हें सरकार की ओर से प्रस्तुत करेंगे और उन्हें इस विधेयक में शामिल करेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : इन्हें परिचालित नहीं किया गया है।

श्री यशवन्त सिन्हा : इन्हें परिचालित किया जा रहा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह प्रक्रिया अभी शुद्ध नहीं हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय : इन्हें परिचालित किया जा रहा है।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, सभा की अपनी परम्परा है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाएं रखिए। इन्हें परिचालित किया जा रहा है। इन्हें तैयार किया जा रहा है।

श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे) : हम उनका अध्ययन कैसे कर सकते हैं और यदि हम उन्हें अभी प्राप्त कर रहे है तो हम अपने विचार किस प्रकार व्यक्त करेंगें ? कम से कम हमें सरकार द्वारा सुझाए जा रहे संशोधनों का अध्ययन के लिए कुछ समय तो दिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मंत्री जी के बोलते समय व्यवधान मत डालिए।

श्री प्रकाश पराजपें : महोदय, यह व्यवधान नहीं है लेकिन यह तरीका भी नहीं है।

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, जैसा कि मैं कह रहा था क्योंकि उद्देश्य समान थे समान उद्देश्यों के लिए हमने इस विधान का प्रारूप तैयार किया था और इसीलिए हमें कोई समस्या दिखाई नहीं दी। ...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, नियमों के अनुसार हमें 48 घन्टे पहले उन्हें प्राप्त करने को अधिकार है। आप इसका पालन न करें यह दूसरी बात है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : देश में बहुत सारा विदेशी धन आ रहा होगा, बाबा।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन, आप हमेशा नियमों का पालन करते हैं। मैं जानता हूं कि आप पहले केरल विधान सभा के अध्यक्ष रहे हैं। किंतु कुछ मामलों में नियमों से छूट भी होती है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : नियमों में छूट सदस्यों के अधिकारों की कीमत पर नहीं होती है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्षपीठ किसी भी चीज की अनुमति दे सकती है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : अध्यक्षपीठ बिना चर्चा की भी अनुमति दे सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन, अध्यक्षपीठ द्वारा उसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है।

(व्यवधान)

श्री यशवन्त सिन्हा : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैं कह रहा था कि इस विधेयक द्वारा जिन लक्ष्यों व उद्देश्यों को हम पूरा करना चाहते हैं उनके बारे में कोई मतभेद नहीं है अत : इस सभा में कुछ सदस्यों विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा व्यक्त भावना का आदर करते हुए सरकार को उनके कुछ सुझावों और कुछ संशोधनों को स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं होगी ...*(व्यवधान)*

श्री.संतोष मोहन देव (सिलचर) : जब आप हमारे प्रस्तावों को स्वीकार कर रहे हैं तो आप उन्हें हमारे प्रस्तावों के रूप में स्वीकार क्यों नहीं करते ? आप उन्हें हमारे प्रस्ताव कहने में क्यों हिचकिचा रहे हैं ...*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा : क्योंकि आपने मुझे यह बात पूरी करने का समय नहीं दिया जो मैं कहना चाहता था ...*(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव : आपको शालीन होना चाहिए। जब आप शालीन हो तो आपको उदार भी होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री संतोष मोहन देव, वे उस बात पर आ रहे हैं।

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, इसलिए उन संशोधनों को समुचित विधिक भाषा में तैयार कर और विधेयक में समुचित स्थान पर प्रतिस्थापित कर जब हम उन खंडों पर आएंगे तो मैं पेश करूंगा। किंतु इस वाद–विवाद का उत्तर समाप्त करने से पूर्व मैं यहां अपनी अंतिम बात कहना चाहता हूं।

और वह यह है सरकार हो या विपक्ष दोनों की अपनी भूमिका और उत्तरदायित्व हैं। मैं विनम्रतापूर्वक एक बात कहना चाहता हूं कि चाहे हम इस सभा में किसी भी पक्ष में बैठे हों अर्थात सत्तापक्ष में हो या विपक्ष में, मेरे विचार से हमें एक–दूसरे पर निराधार आरोप नहीं लगाने चाहिए ...*(व्यवधान)* वह इस सभा और लोकतंत्र के संपूर्ण कार्यकरण को अवमानित करता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : ऐसा सभी पक्षों को सोचना चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा : मैं आपको नहीं कह रहा हूं ...*(व्यवधान)*

श्री ए. सी. जोस (त्रिचूर) : आपको बहुत देर में सद्बुद्धि आई है ...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदय, उन्होंने, समान अवसर देने का आश्वासन दिया है ...*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा : श्री रूपचन्द पाल, क्या मैंने आपके बोलने में एक बार भी व्यवधान डाला है ? आपने तो मेरे विरुद्ध कठोर से कठोर बातें कहीं किंतु मैंने आपके बोलने में कभी व्यवधान नहीं डाला।

श्री ए. सी. जोस : उपाध्यक्ष महोदय, ...

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जोस, वह आपके दबाव में आने वाले नहीं हैं।

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, इसके परिणामस्वरूप सारे राजनीतिज्ञों को परेशानी झेलनी पड़ी है। मैं यह बात पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। हम निराधार आरोप लगाते हैं। मैंने यहां एक शब्द सुना ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रूपचन्द पाल, कृपया व्यवधान न डालें।

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, इस विधान को लाने के कारण इस सभा के एक माननीय सदस्य ने मुझे अपराधी कहा ...*(व्यवधान)* इस पर मुझे दुःख और खेद है। क्या मात्र इस विधेयक को लाने के कारण मैं एक अपराधी बन गया ...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर (मयिलादुतुरई) : तब आप श्री राजीव गांधी को आपराधिक दृष्टि से आरोपी क्यों कह रहे हैं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मणि शंकर अय्यर, कृपया व्यवधान न डालें।

श्री यशवंत सिन्हा : श्री मणि शंकर अय्यर, क्या आपको मेरे साथ कोई व्यक्तिगत हिसाब चुकता करना है ...*(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) : महोदय, हर समय वे राजीव गांधी का नाम घसीट लेते हैं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रूडी, कृपया व्यवधान न डालें।

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, यह बात फैलाई जा रही है कि यह विधेयक राष्ट्र विरोधी है ? इस पर मैं अपना दुःख व वेदना व्यस्त करता हूं। क्या यह राष्ट्रविरोधी है ? क्योंकि हम सत्तापक्ष में बैठे हैं इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम अपने सब हितों की तिलांजलि दे रहे हैं। ऐसा कहा गया है कि हम इस विधेयक को किसी दबाव के चलते लाए हैं।

श्री बसुदेव अचार्य : हां, यह सत्य है ...*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा : मेरा यह भी कहना है कि यह पूर्णतः निराधार है। हम किसी के दबाव में कार्य नहीं कर रहे हैं। यह निर्णय हमने अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार लिया है। इस बारे में किसी प्रकार का दबाव नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आन्तरिक या बाहरी किसी प्रकार के दबाव में नहीं है ...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन : यह राज्य के हितों के विरुद्ध है।

श्री यशवंत सिन्हा : यह राज्य के हितों के विरुद्ध नहीं है। इस बात की मैं चुनौती दे रहा हूं। ...*(व्यवधान)* समस्या यह है कि कुछ लोगों और कुछ पार्टियों ने समय के साथ चलने से इंकार कर दिया है। उन्होंने आगे बढ़ने से इन्कार कर दिया है समस्या यह है उन्होंने मानसिक और बौद्धिक रूप से आगे बढ़ने से इंकार कर दिया है। इसीलिए यह समस्या पैदा हुई है ...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : क्या आप बौद्धिक रूप से समय के अनुसार चले हैं ? क्या आप आगे बढ़े हैं ? ...*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा : हां, मैं समय के अनुसार आगे बढ़ा हूं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बराड़, कृपया बैठ जाइए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें एक स्पष्टीकरण लेना है।

श्री यशवंत सिन्हा : कौन ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामदास आठवले।

श्री यशवंत सिन्हा : मैं उन्हें मौका दूंगा। पहले मुझे अपनी बात समाप्त करने दो फिर वे स्पष्टीकरण ले सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामदास आपको मौका मिलेगा।

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, हम सब लोगों की राय अलग–अलग हो सकती है हमारी अपनी विचारधारा हो सकती है। हम सब अपने–अपने कार्यक्रमों व विचारधारा के आधार पर जनता के समक्ष जाते हैं। यही लोकतंत्र है। फिर यहां हमारे मित्र ...*(व्यवधान)*

श्री समर चौधरी (त्रिपुरा पश्चिम) : आपको सभी मंत्रालयों के बारे में जानकारी कैसे पता है ? ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इस व्यवधान का स्वागत है।

(व्यवधान)

श्री यशवंत सिन्हा : मैं यह कह रहा था कि यह विधेयक राष्ट्रीय हित में है और यह उचित समय पर लाया गया है। भारत 16 वीं सदी की सोच के साथ 21 वीं सदी में नहीं जा सकता है, हमें आधुनिक, प्रगतिशील व प्रौद्योगिकी की दृष्टि से समृद्ध भारत का निर्माण करना है, हमें भारत के विकास को उस दिशा में अग्रसर करना है अतः यह आवश्यक है कि इस सभा द्वारा यह विधेयक पारित किया जाए।

मैं उन सदस्यों से अपील करता हूं, जिन्होंने इस विधेयक का विरोध किया और मुझे सुझाव दिया कि यह विधेयक वापस लिया जाए, कि वे अपनी आपत्तियां वापस लें क्योंकि यह विधेयक राष्ट्रहित में है। अतः उन्हें अपनी आपत्तियां वापस लेनी चाहिए। यदि वे अपनी आपत्तियां वापस नहीं लेते है तो यहां बैठे वामपंथी दलों के मित्रों को वह बात बताना चाहता हूं जो ट्रोटस्की ने बहुत पहले कहा था कि दुनिया के कई अन्य देशों में उनके साथ ऐसा हुआ है और भारत में भी उनके साथ ऐसा होगा। उपाध्यक्ष महोदय, उन्हें इतिहास के गर्त में समाना ही पड़ेगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय क्या मैं एक स्पष्टीकरण मांग सकता हूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : हां।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन, मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : वे कैसे कह सकते हैं कि हम इतिहास के गर्त में समा जाएंगे ? ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : उन्हें कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या मैं अब स्पष्टीकरण मांग सकता हूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : हां, अब आप स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य एक–एक कर स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

श्री रामदास आठवले ने भी स्पष्टीकरण मांगने के लिए कहा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या माननीय मंत्री मेरी बात सुनने की मेहरबानी करेंगे ?

हम सुन रहें है कि इस क्षेत्र में मुख्यता भारतीय कंपनियों के माध्यम से और विदेशी कंपनियों द्वारा 26 प्रतिशत तक इक्विटी भागीदारी के माध्यम से भी इस क्षेत्र में भारी निवेश हो रहा है। क्या इस संबंध में कोई कवायद की गई या क्या वित्त मंत्री इस सभा को बता सकते हैं कि देश में कितने निवेश होने की संभावना है ? अब बीमा कारोबार के लिए 100 करोड़ रुपये इक्विटी वाली कंपनियां स्थापित की जाएंगी।

विदेशी भागीदारी 26 प्रतिशत तक होगी विदेशी भागीदारी वाली कितनी कंपनियों की स्थापना की संभावना है। इस 26 प्रतिशत भागीदारी के माध्यम से कितने करोड़ विदेशी धन आ रहा है।

विदेशी बैंकों के संबंध में हम जानते हैं कि वे यहां कई वर्षों से कारोबार कर रहे हैं। उनमें न्यूनतक जमा राशि इतनी है कि आम भारतीय इन विदेशी बैंकों में अपना खाता नहीं खोल सकता या अपना खाता नहीं बनाए रख सकता है। इस विधेयक में आपने इस संबंध में क्या आश्वासन दिया है और क्या प्रावधान किया है कि विदेशी भागीदारी वाली ये बीमा कंपनियां मुख्यता ग्रामीण क्षेत्रों और समाज के कमजोर वर्गों पर ध्यान देने जिसके बारे में आपने बहुत सी बातें

कही हैं ? इस संबंध में आप क्या आश्वासन देते हैं कि ये कंपनियां इस देश में केवल बड़े व्यवसाय पर ही ध्यान नहीं देंगी ? विदेशी भागीदारी वाली इन विदेशी कंपनियों के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा और फसल बीमा के क्षेत्र के विस्तार में क्या आवश्वासन दिया गया है ?

श्री राजेश पायलट (दौसा) : इसीलिए यह संशोधन लाया गया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्री राजेश्व पायलट, आपका संशोधन बहुत अस्पष्ट है। आप यह कैसे सुनिश्चित करते है ? मुझे खेद है कि आपका संशोधन केवल भावनात्मक है। इसका तात्पर्य शुभकामना के सिवाए कुछ नहीं हैं।

श्री राजेश पायलट : वे इसे सुनिश्चित करेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप उन पर भरोसा कर रहे हैं कि वे इसे सुनिश्चित करेंगे ? आपको कितना धन आने की और कितनी कंपनियों के आने की अपेक्षा है ?

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इन्श्योरेन्स का बिल वित्त मंत्री जी ने यहां रखा है और अभी उसका रिप्लाइ भी उन्होंने दिया है। उन्होंने सदस्यों से इसको पास करने के लिए सपोर्ट भी मांगा है। हमारा इतना ही सवाल है कि प्राइवेटाइजेशन होने से शेड्यूल्ड कास्ट्स के रिज़र्वेशन पर बहुत असर होगा। क्या सरकार ने इस बारे में विचार किया हैं ? प्राइवेटाइजेशन जैसे–जैसे बढ़ता जाएगा, वैसे–वैसे शेड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्ज़ की सर्विसेज़ कम होती जाएंगी । इसलिए इसमें अमेण्डमेंट करने के बारे में वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि इसमें रिज़र्वेशन देने का भी प्रावधान होना चाहिए। इस बारे में सरकार से हमें रिप्लाइ चाहिए।

आपने बताया है कि एल.आई. सी. और जी. आई.सी. के कर्मचारियों को ज्यादा खतरा नहीं है मगर हम सरकार को इतना ही बताना चाहते हैं कि इसको लाने से कर्मचारियों को बहुत खतरा हो सकता है।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री ने सभा पटल पर वचन दिया है कि साधारण बीमा निगम और भारतीय जीवन बीमा निगम के अधिकार क्षेत्र में किसी भी रूप में कमी नहीं लाई जाएगी और उनके शेयरों का किसी भी रूप में दिनिवेश नहीं किया जाएगा। अतः उनके ढांचे को बनाए रखने के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि इस विधेयक के पारित होने के बाद यदि संभव हो तो साधारण बीमा निगम और भारतीय जीवन बीमा निगम के विकास व विस्तार और उनके पूंजी आधार के विस्तार विकास व विस्तार को सुनिश्चित करने के लिए अनुसूची की परिधि में एक गारंटी खंड लाएं। जो बात श्री सोमनाथ चटर्जी ने कही है उसमें दम है। भारतीय जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम का पूंजी आधार क्रमशः 5 करोड़ रुपए और 21.5 करोड़ रुपए है अतः वे अन्त में रुग्ण जैसी लग सकती हैं। अतः उनका पूंजी आधार बढ़ाया जाना चाहिए। कल मैंने अपने भाषण में कहा था कि जब तक उनके पूंजी आधार का विस्तार न किया जाए इन्हें बृहद कंपनी न बनाया जाए उनके लिए इस क्षेत्र में अन्य कंपनियों के साथ प्रतियोगिता करना संभव नहीं है।

ये दो पहलू हैं और माननीय मंत्री ने बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक या बीमा विधेयक के खंडो में समुचित संशोधन लाकर उनका सम्मान करने का वचन दिया है और उन्होंने प्रस्ताव किया है कि वे उन संशोधनों को बाद में लाएंगे।

श्री रुपचन्द पालः क्या मैं माननीय मंत्री से तीन विशिष्ट बातों के संबंध में स्पष्टीकरण मांग सकता हूं।

अपराह्न 1.00 बजे

महोदय, पहले माननीय मंत्री ने समान अवसर देने के बारे में आश्वासन दिया है। किन्तु क्या वे इस आशंका को दूर करेंगे कि भारतीय जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम को कमजोर करने और अन्तः उनके विनाश के लिए विदेशी कंपनियों द्वारा बढ़े पैमाने पर उनकी जड़ें खोदने का काम किया जाएगा?

दूसरे, उन्होंने कहा कि वे प्रौद्योगिकी के संबंध में मेरे विचारों से सहमत नहीं हैं। मैंने कहा था कि इसमें कोई उच्च प्रौद्योगिकी शामिल नहीं है। क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि बीमा क्षेत्र से संबधित हमारे कितने व्यवसायी, उच्च प्रौद्योगिकी से जुड़े व्यवसायी देश से बाहर चले गए? जहां तक मेरी जानकारी है, यह संख्या 250 से अधिक है। मैं केवल इसमें और आंकड़े जोड़ रहा हूं। मुझे इन कंपनियों के उच्च प्रबंधन से संबधित एक बहुत बड़े अधिकारी ने बताया है कि उसे यह प्रस्ताव मिला था कि अगर वह किसी विदेशी बीमा कंपनी में काम करेगा तो उसे दो करोड़ रुपए दिए जाएंगे।

तीसरे, वह इस अतिक्रमण को कैसे रोक सकेंगे जो पहले ही हो चुका है। हमारे 250 से अधिक उच्च कोटि के व्यवसायी, उत्कृष्ट विश्व स्तर के व्यावसायियों को बाहर ले जाया जा चुका है।

अंत में, महोदय, बीमा एक अनूठा उद्योग है। यह अन्य उद्योगों और सेवाओं से भिन्न है इसलिए इसे विश्व व्यापार संगठन से अलग रखा गया है। क्या मैं माननीय मंत्रीजी से जान सकता हूं कि क्या यह

सच है कि विकसित देशों में बीमा बाजार एक बहुत ही सुरक्षित बाजार है? क्या भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय साधारण बीमा निगम में इस क्षेत्र में अन्योन्ता की संभावना है ?

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर): महोदय, ऐसा कहा गया है कि अगर वित्तीय क्षेत्र विशेषकर बीमा क्षेत्र को खोल दिया जाए तो इसमें हिस्सेदारी अधिक होगी। इसे विदेशी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए तथा संसाधन जुटाने के लिए खुला रखा गया है।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री तोपदार, आप स्पष्टीकरण मांग रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे हैं।

श्री तरित बरण तोपदार: महोदय, मैं स्पष्टीकरण की मांग ही कर रहा हूं। क्या सत्ता दल का यह विचार है कि भारतीय लोग संसाधन जुटाने और देश का भला करने में सक्षम नहीं हैं ? अब विदेशी भारतीय धन इकट्ठा करेंगे और उसे यहां निवेश किया जाएगा। वे यहां निवेश करने के लिए अपने देशों से कोई धन नहीं लाएंगे। यहां यही स्पष्ट किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री तोपदार, आप भाषण दे रहे हैं। आप स्पष्टीकरण चाहते हैं।

श्री तरित बरण तोपदार : महोदय, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या विदेशी बाजार में भारतीय कंपनियों के लिए इसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा की अनुमति दी जाएगी और क्या भारत सरकार यह आश्वासन देगी कि इन विदेशी कंपनियों द्वारा कोई भी धन या संसाधन वापस नहीं लिया जाएगा। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या इसके लिए कोई कारगर पद्धति है या नहीं।

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री से स्पष्टीकरण चाहता हूं। मैं यह भी दोहराना चाहता हूं कि मुझे इस संबध में अनौपचारिक कानूनी सलाह मिली है इसीलिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूं।

महोदय, आयकर अधिनियम की धारा 2 (क) के अंतर्गत खंड 23 (क) के अंतर्गत दी गई विदेशी कम्पनियों की परिभाषा में सभी संभावनाशील विदेशी स्रोतों को शामिल नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए विदेशी इक्विटी के 26 प्रतिशत मांग में योगदान के उन सभी वर्गों को शामिल नहीं किया गया जो विदेशी स्रोतों से भारतीय स्रोतों में लाए जा सकते थे। वास्तव में यह एक अनौपचारिक विधायी विचार है और मैं चाहता हूं कि आप इस पर रोक लगाएं।

उदाहरण के लिए, महोदय अगर आप परिभाषा का पूरी तरह पालन करते हैं तो इस विधेयक के अंतर्गत 26 प्रतिशत से अधिक की अप्रवासी भारतीयों की इक्विटी धारिता को प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार अन्य व्यक्ति या प्रविष्टियां, जैसे विदेशी नागरिक, कोई विदेशी न्यास, विदेशी व्यापार संगठन या विदेशी संघ, जिसमें विदेशी सुदूर प्रविष्टि शामिल हो, जब तक कि यह कोई विदेशी कंपनी या इसकी सहायिका न हो इसे भारतीय बीमा कंपनी में 26 प्रतिशत से अधिक इक्विटी रखने का अधिकार होगा।

मैं चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री को इस संबंध में पूरा विश्वास होना चाहिए। मैं उन्हें केवल इस संबंध में चेतावनी दे रहा हूं। अगर वास्तव में यही मामला है तो उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए कि यह कमी पूरी तरह से दूर की जा सके। अन्यथा यह कोई कमी नहीं होगी बल्कि बहुत बड़ी भूल होगी। जिसका लाभ कोई भी उठा लेगा।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर-पूर्व): अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि जो एल. आई. सी., जी. आई. सी. के एम्पलाईज हैं उनके वर्तमान स्वरूप को कायम रखा जाएगा, इसकी घोषणा की गई है, लेकिन इसमें एक गलतफहमी हो गई है कि एल. आई. सी. के अभी 3 लाख एजेंट हैं और आई. आर. डी. ए. ने उनके लिए एक नई गाइड लाइन फ्रेम की है। उसमें इतने नियम हैं कि जो सब–एजेंट हैं वे 55 या 58 साल के ऊपर के नहीं होने चाहिए। उसमें एक निश्चित उम्र दी गई है कि एजेंट इससे ऊपर की उम्र का नहीं होना चाहिए। इसी के साथ उसमें 10 या 12वीं पास होने की शर्त भी रखी है। मेरी प्रार्थना यह है कि ये बहुत अच्छे नियम हैं, लेकिन जो नए एजेंट बनेंगे, उनके ऊपर इन नियमों को लागू किया जाए। अभी इसमें जो हाउस–वाइफ हैं, महिलाएं हैं जो काफी संख्या में इसकी एजेंट हैं, उनके ऊपर इन नियमों को लागू न किया जाए बल्कि जो आगे आने वाले समय में बनने वाले एजेंट हों, उनके ऊपर इन्हें लागू किया जाए। अभी जो 3 लाख एजेंट हैं, उनको इन नियमों से एग्ज़म्प्ट किया जाए।

मैंने दूसरी प्रार्थना यह की थी कि यू. के., यू. एस. ए. में इंश्योरेंस कंपनीज के इंश्यूरर और शेयर होल्डर्स के लिए इनवेस्टर–प्रोटेक्शन एक्ट के तहत एक इनवैस्टर–प्रोटेक्शन फंड होता है। अगर सरकार इसको भी मान्यता दे, तो इसके बारे में भी माननीय मंत्री महोदय स्पष्ट करें।

[अनुवाद]

डॉ. सरोजा वी. (रासीपुरम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी कि क्या स्वास्थ्य बीमा स्कीम के अंतर्गत निजी बीमा कंपनियां दुर्घटना आपात वार्ड स्थापित करने के लिए आगे आएंगी जो सड़क दुर्घटनाओं के शिकार लोगों को बचाने के लिए राष्ट्रीय

राजमार्ग के आसपास पूर्ण उपकरणों से सुसज्जित रक्त बैंक युक्त दुर्घटना व आपात वार्ड स्थापित करेंगी।

[हिन्दी]

श्री नारायण दत्त तिवारी (नैनीताल): श्रीमन्, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से दो बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण की अपेक्षा करूंगा। उन्होंने केवल एल. आई. सी. और जी. आई. सी. के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी की है कि दो प्रतिशत से थोड़ी अधिक जनसंख्या पर ही अभी तक इंश्योरेंस स्कीम को लागू किया जा सका है और भारत का एक बहुत बड़ा क्षेत्र, भारत की बहुसंख्य आबादी अभी तक इंश्योरेंस सैक्टर के लाभ से वंचित है और मल्होत्रा कमेटी की रिपोर्ट के बाद तीन वर्षों के बाद भी राज्य सरकारों या केन्द्रीय सरकार द्वारा यह चिन्ता की जाती रही है और आज इतनी बड़ी क्रांति का माध्यम आप इस बिल को बना रहे हैं, तो क्या देश की बहुसंख्य जनता को इसका लाभ पहुंचे, इसके लिए वास्तविक रूप से सरकार की क्या रणनीति है ? गरीबों तक इंश्योरेंश का लाभ कैसे पहुंचेगा?

अध्यक्ष महोदय, एल. आई. सी. और जी. आई. सी. के बारे में कहा गया है कि संगठनिक रूप से नई तकनीक अभी तक इनमें नहीं आई है और संकेत किया कि इनमें कब नई तकनीक लाई जाएगी। महोदय, यह बड़े खेद का विषय है कि हमारी एल. आई. सी. और जी. आई. सी. जो वित्त मंत्रालय के अधीन हैं, उनको हम गवर्नमेंट के अधीन होते हुए, भी नई तकनीक तक नहीं पहुंचा सके। जो नई तकनीकी क्रांति इंश्योरेंस के क्षेत्र में सारी दुनिया में आई है, उससे इन दोनों कंपनियों को अवगत कराने व प्रेरित करने के लिए, उनसे अनुज्ञापित करने के लिए, इस बिल के पास होने के बाद सरकार की क्या रणनीति होगी, क्या स्थिति होगी: क्या इन दोनों बिन्दुओं को आप स्पष्ट करेंगे?

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): अध्यक्ष महोदय, लाइफ इंश्योरेस और जनरल इंश्योरेंश कंपनियों ने जो पैसा राज्यों में सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में लगाया हुआ है, उसी प्रकार से इस बिल के पास होने के बाद क्या फॉरेन की कंपनियों को भी राज्यों के उद्योगों में धन लगाने की व्यवस्था का प्रावधान करेंगे ताकि वे इस देश के धन को बाहर न ले जा सकें और इस देश का धन देश में ही रहे? क्या सरकार इस बारे में कोई नीति बनाएगी?

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, अब जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम से होने वाला 50 प्रतिशत कार्य ग्रामीण क्षेत्र से होता है जो लाभदायक नहीं है। राष्ट्रीयकरण के समय से ही सार्वजनिक क्षेत्र के दोनों उपक्रम जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम क्रास–सब्सिडी दिए जाने से काफी वर्षों से काफी लाभ कमा रहे हैं। अब जब कि विदेशी कंपनियों को आमंत्रित किया गया है, बीमा क्षेत्र को विदेशों के लिए खोल दिया जाएगा। क्या इस विधेयक में ऐसा कोई सुरक्षोपाय किया गया है कि विदेशी कंपनियां लाभदायी क्षेत्रों के बदले गैर–लाभदायी क्षेत्रों में प्रवेश करेगी?

श्री पी. एच. पांडियन (तिरूनेलवेली): उपाध्यक्ष महोदय मैं माननीय मंत्री से दो बातों पर स्पष्टीकरण चाहता हूं। कल मैंने यह कहा था कि विदेशी फर्म भारतीय भागीदारों को बीमा क्षेत्र में लाने का इंतजार कर रही है। उदाहरण के लिए जर्मनी की एलायंज ए. जी. कंपनी बीमा क्षेत्र में भारतीय भागीदारों की तलाश में है। इसी प्रकार यू. के. की एलपिक फाइनेंस, प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, आई. सी. आई. सी. आई. अमेरिका की अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप, टाटा ग्रुप, हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप यू. के. की जनरल एक्सीडेंट्स, बांबे डाइंग इत्यादि भी इसमें शामिल हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री पी. एच. पांडियन, इन सभी नामों का आपने अपने भाषण में भी प्रयोग किया था। अब आप स्पष्टीकरण मांग रहे हैं।

श्री पी. एच. पांडियन: महोदय, माननीय मंत्री ने उत्तर देते हुए कहा था कि 'इसे विदेशी कंपनियों के लिए बिल्कुल नहीं खोला गया है'। उन्होंने इन कंपनियों का नाम क्यों नहीं लिया जो भारतीय भागीदार ढूंढ रही हैं? भारतीय भागीदारों को विर्निदिष्ट किया गया है और इसको प्रेस में भी शामिल किया गया है।

ऐसे समय में मैं यह कहना चाहता हूं कि बैकों के राष्ट्रीयकरण में वही सिद्धांत लागू होगा। वर्ष 1969 में बैकों के राष्ट्रीयकरण के समय सार्वजनिक हित क्या था? क्या आज यह निजी हित हो गया है।

महोदय, यह बात अखबारों और सरकार के माध्यम से भी पता चली है कि वे सभी बैकों का राष्ट्रीयकरण समाप्त करने वाले हैं। इस राष्ट्रीयकरण के पीछे उद्देश्य क्या है? मंत्री ने कहा है कि उन्हें राष्ट्र विरोधी कहा गया है। जब आप किसी क्षेत्र का विराष्ट्रीयकरण करते हैं तो यह काम राष्ट्र विरोधी होता है। आपने 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था तो आपकी प्रशंसा हुई थी। अगर आप उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण समाप्त करते हैं तो इसका वास्तविक अर्थ क्या है? *...(व्यवधान)*

श्री. पी. सी. थामस (मुवत्तुपूजा): महोदय, माननीय मंत्री ने अपने भाषण में कहा है कि कहीं से कोई दबाव नहीं पड़ा है परन्तु विश्व व्यापार संगठन के करार में सेवा क्षेत्र को शामिल किया गया है। जैसे ही सेवा क्षेत्र को शामिल कर लिया जाता है हम कर्त्तव्य से बंध जाते हैं और इसलिए हम यह नहीं कह सकते हैं कि हमें इसे खोलने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि हमने जो करार किया है उसके द्वारा हम पर दबाव पड़ता है।

इसलिए मैं स्पष्टीकरण चाहूंगा कि क्या सरकार यह देखने के लिए सिएटल की बैठक जो दो या तीन दिन और चलेगी में कोई कारवाई करेगी, कि विकासशील देशों के संबंध से हमें निजीकरण करने या इस तरह के समझौते करने में जल्दी करने की जरूरत न हो।

मेरी दूसरी बात, जो मैं पहले ही कह चुका हूं बीमा से संबंधित है, जो कुछ लोग बीमा कंपनियों के नाम पर करेंगे जो फर्जी विदेशी कंपनियां होंगी।

[हिन्दी]

श्री माणिकराव होडल्या गावीत (नन्दुरबार): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जैसा अभी हमारे भाई रामदास अठावले ने कहा है कि जी. आई. सी. और एल. आई. सी. में एस. सी. और एस. टी. का सैंट्रल गवर्नमेंट के मुताबिक रिजर्वेशन है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इन विदेशी कम्पनियों में भी वह रिजर्वेशन रखा जायेगा या नहीं?

श्री प्रकाश वी. पाटील (सांगली): मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो शेयर होल्डिंग कम्पनी ने किया है, उसमें शेयर होल्डिंग के साथ–साथ भारत के बाहर से 2000 करोड़ या कुछ इससे कुछ ज्यादा डिपाजिट मोबिलाईज करने वाले हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि ये कम्पनियां देश के भीतर ही काम करने वाली हैं या बाहर भी जाने वाली हैं ?

[अनुवाद]

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर (अकोला): विदेशी इक्विटी को 26 प्रतिशत तक रखा गया है। क्या मैं मानवीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि क्या यह किसी एक कंपनी के लिए सीमित होगी या अगर दुनिया के किसी भाग में कोई कंपनी है और अगर उसकी इस देश में कई शाखाएं हैं तथा अगर उसके भारतीय कंपनियां के साथ संबंध हैं तो क्या आप उन्हें अनुमति देंगे। इसे अन्य तरीके से भी कहा जा सकता है कि अन्य देशों द्वारा भारतीय कंपनियों पर कब्जा कर लिया जाएगा।

दूसरी बात यह है कि जब राष्ट्रीयकरण हुआ तब प्रिमियम की बात उठी थी जो अलग कामों के लिए प्रयोग किया जाता था। यह किस लिए था ? क्या माननीय मंत्रीजी यह स्पष्ट करेंगे कि इस बार वे इस बात की सावधानी बरतेंगे कि जो प्रीमियम कुछ विशिष्ट प्रयोजन के लिए बनाया गया था उसे इस बार दूसरे कामों के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा।

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम): मेरा खयाल है कि इससे रोजगार में कुछ कमी आ सकती है। रोजगार में इस बात से कमी नहीं आनी चाहिए कि जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम के कुछ उच्च आधिकारी या कुछ और आधिकारी इन्हें छोड़कर अन्य कंपनियों में काम करने लगेंगे। इन पदों पर युवाओं की भर्ती करनी होगी जिससे वर्तमान कंपनियों में भारत के लोगों को रोजगार सुनिश्चित कराया जा सकें।

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा): उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल की मेरिट पर जितनी चर्चा हुई है, वह तो अपने आपमें एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन महोदय, मैं मंत्री जी से सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि जी. आई. सी. और एल. आई. सी. जो बीमा विदेशों में करते हैं, उनकी पूंजी इस देश में वापस आ जाती है। तमाम विदेशी कम्पनियां जो विदेशी मूल के नागरिकों का बीमा विदेशों में करेंगी, उनका जो प्रीमियम डिपाजिट होगा, उस पैसे का क्या होगा? वह इस देश में कैसे वापस लौटेगा, इसके बारे में मैं जानना चाहूंगा।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार पूरी तरह से आश्वस्त है कि जो सिएटल में हो रहा है, वह दिल्ली में नहीं होगा या नहीं हो सकता है? आपने अगर दूरदर्शन देखा होगा, पूरी सरकार बैठी हुई है, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार पूरी तरह से आश्वस्त है कि डब्लू. टी. ओ. के बारे में जो कुछ हो रहा है, वह दूरदर्शन में अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है, अखबारों में पढ़ने से नहीं पता चलता, बीमा बिल आप जिस तरह से पास करा रहे हैं, क्या उसके बारे में दिल्ली में ऐसा नहीं होगा।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा): मैं माननीय मंत्री से जानना चाहती हूं कि क्या इस क्षेत्र को खोले जाने के बाद कोई गारंटी है कि प्रीमियम नहीं बढ़ेगा क्योंकि निजी क्षेत्र की कंपनियां अपने लाभ में अधिक रुचि लेंगी। क्या इसकी कोई गारंटी है? जहां तक मैं समझती हूं नहीं है। क्या ऐसी बात नहीं है?

डॉ. बी. बी. रमैया (एलुरू): आंध्र प्रदेश के मामले में भी राज्य सरकार कमजोर वर्ग के लोगों की झोंपड़ियों पर भी प्रीमियम लगा रही है। क्या वित्त मंत्री यह स्पष्ट करेंगे कि उस प्रीमियम का एक भाग सामाजिक दायित्व के लिए उपयोग में लाया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमें इस बात की आशंका हो रही है, यह कहा जा रहा है कि विदेशों की कम्पनियां यहां आकर बीमा क्षेत्र में काम करेंगी और सारा रुपया इसी देश में खर्च कर देंगी तो कौन ऐसा मूर्ख होगा कि सारा रुपया लाकर

यहां पर रखेगा, यहीं पर खर्च करेगा? हम कहते हैं कि हम जो विदेशों से कर्ज लेते हैं, उस पर विदेशों को इंटरैस्ट देते है कि नहीं? हमें इस बात की आशंका है कि विदेश की जो कम्पनियां यहां आएंगी, जो यहां पर अपना कारोबार करेंगी, उससे जो मुनाफा पाएंगी, वे अपने देश में भी ले जाएंगी। इसके बारे में क्या कहना है? .....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखें। यह बहुत महत्त्वपूर्ण मामला है। जो कोई भी स्पष्टीकरण चाहता है उसे मौका दिया जाएगा।

श्री आदि शंकर (कुडालोर): महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि क्या सहकारिता क्षेत्र के लिए कोई आरक्षण है।

श्री लक्ष्मण सेठ (तामलुक): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने कहा है कि जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम का निजीकरण नहीं किया जाएगा। इसका सुरक्षोपाय क्या है? जब निजी क्षेत्र को अनुमति दे दी जाएगी तो बड़े और छोटे उद्योगों के बीच में लड़ाई होगी। जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम कैसे बच सकेंगे? वे रुग्ण हो जाएंगे। वे उस लड़ाई को नहीं लड़ सकेंगे। मैं माननीय मंत्री से सही स्पष्टीकरण चाहता हूं।

दूसरे, जब धीरे-धीरे निजीकरण हो रहा है तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए होने वाले आरक्षण को किस तरह बचाया जाएगा। यह उद्देश्य पूरी तरह विफल हो जाएगा। मैं इस संबंध में भी स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर पश्चिम बंगाल): महोदय, 1956 में तत्कालीन वित्त मंत्री श्री सी. डी. देशमुख ने यह कहा था कि विकासशील देशों में बीमा को एक आवश्यक सेवा के रूप में देखा जाना चाहिए। ..... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप केवल स्पष्टीकरण मांग सकते हैं, भाषण नहीं दे सकते।

(व्यवधान)

श्री अधीर चौधरी: निजी क्षेत्र आदतन सामाजिक दायित्व पूरा करने में रुचि नहीं लेता। इसलिए मैं केवल यही जानना चाहता हूं कि सरकार क्या-क्या उपाय कर रही है जिससे धन का बहिर्गमन रोका जा सके।

[हिन्दी]

श्री भेरूलाल मीणा (सलूम्बर): उपाध्यक्ष महोदय, इस वक्त जितनी अंडरटेकिंग्स या कम्पनियां हैं उनमें भी घोटाले होते हैं और पता नहीं क्या-क्या होता है। उसकी इनक्वायरी होती है और सरकार सब तरफ से जांच करती है। जब प्रीइवेटाइजेशन होगा तो न मालूम ये कितने घोटाले करेंगे, तब क्या कंट्रोल होगा, यह मैं जानना चाहता हूं?

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि इसे लाने से पहले वे जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम के चेयरमैन से मिल चुके हैं। परन्तु हम जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम के कर्मचारियों के बारे में भी चिंतित हैं जिनकी संख्या बहुत अधिक है। क्या सरकार की प्रबंधन और मजदूर संघों की एक बैठक बुलाने की कोई योजना है? मैं इसका प्रस्ताव इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि ऐसी बैठक बुलाकर आप जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम के कर्मचारियों को संदेश और निर्देश दे सकते हैं। अगर आप ऐसा करने में विफल हो जाते हैं तो वामपंथी दल और विशेष रूप से सीपीआई (एम) मजदूर संघों और कर्मचारियों का शोषण करेगी तथा उन्हें गुमराह करेगी। आपको प्रबंधन, मजदूर संघों और सरकार के बीच एक त्रिपक्षीय बैठक बुलाकर इस पर विचार करना चाहिए।

श्री वारकला राधाकृष्णनः महोदय मेरे मित्र द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण और व्यक्त की गई आशंका को देखते हुए निजीकरण के संबंध में किए गए प्रस्ताव को वापस लेना क्या बुद्धिमानी नहीं होगी?

श्री माधवराव सिंधियाः मैं श्रीमती गीता मुखर्जी द्वारा निवेश के प्रावधान के संबंध में व्यक्त की गई आशंका के बारे में कुछ और कहना चाहूंगा। यह गलत होगा अगर बीमा कंपनियों को प्रीमियम के द्वारा इकट्ठा किया धन भारत के बाहर निवेश करने की अनुमति दे दी जाए। मेरा खयाल है कि यह सामान्यतः अधिक खुला है परन्तु मैं समझता हूं कि जिस खंड को जोड़ा जाना है वह 27 (ग) है जो अस्पष्ट है और यह विशेष रूप से उल्लेख नहीं करता कि भारतीय पॉलिसी धारकों से इकट्ठा किया गया 'प्रीमियम' भारत के बाहर निवेश नहीं किया जाएगा। मैं समझता हूं कि यह अपेक्षित होगा कि खंड 27 (ग) में 'प्रीमियम' शब्द को विशेष रूप से अंतः स्थापित किया जाए। मैं समझता हूं कि श्रीमती गीता मुखर्जी भी यही आशंका व्यक्त करेंगी।

[हिन्दी]

डॉ. संजय पासवान (नवादा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जी. आई. सी. और एल. आई. सी. के बड़े-बड़े अधिकारी ललचाई निगाह से देख रहे हैं कि देश में प्राइवेट कम्पनी आएगी और उनको बड़ा-बड़ा एसाइमेंट मिलेगा। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, क्या हम ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं कि जी. आई.सी. और एल. आई. सी. के

अधिकारियों को पांच साल के लिए रोका जाए, ताकि वे कोई काम इन कम्पनियों में नहीं कर सकें ? यह व्यवस्था केवल देश के लिए ही नहीं, बल्कि कम्पनी के लिए और समाज के लिए भी अच्छी रहेगी।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी माननीय सदस्यों द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण का उत्तर मध्याह्न भोजन के बाद देंगे। अब यह सभा अपराह्न 2.30 बजे पुनः समावेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.26 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.31 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा अपराह्न 2.31 बजे पुनः समवेत हुई।

(**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए)*

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक—जारी

[अनुवाद]

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सभा के कई माननीय सदस्यों द्वारा कई मामले उठाए गए हैं और कई स्पष्टीकरण मांगे गए हैं। मैं जहां तक सम्भव हो अधिक–से–अधिक स्पष्टीकरण का संक्षेप में जवाब देने का प्रयास करूंगा।

मैं एक बार पुनः कार्मिकों की नौकरी छूट जाने के सम्बन्ध में जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम की स्थिति के बारे में किसी अटकलबाजी, किसी आशंका और किसी भय को समाप्त करते हुए आरम्भ करता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, मैं इस आश्वासन को समझ नहीं सका हूं। सरकार किस प्रकार आश्वासन दे सकती है कि वह कितनी नौकरियों का सृजन करेगी और कितने कर्मचारियों को रख सकेगी ?

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, मैं यह आश्वासन अपनी सूझ–बूझ के आधार पर दे रहा हूं कि जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम नई परिस्थिति में कार्य व्यापार खोने नहीं जा रहा है और कि वे अपने व्यापार में विस्तार करने जा रहे हैं। इसलिए इसके कर्मचारियों की नौकरियां खोने का प्रश्न ही नहीं उठता है। मैं श्री सुदीप बंद्योपाध्याप द्वारा दिए गए सुझाव का स्वागत करता हूं कि जैसा कि हमने प्रबंधन के साथ बातचीत की है हमें कर्मचारियों के साथ भी बातचीत करनी चाहिए। मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैंने स्वयं न केवल प्रबन्धन से बातचीत की है बल्कि कर्मचारियों से भी बातचीत की है और हम कर्मचारियों के साथ बातचीत जारी रखेंगे ताकि उनके दिमाग में किसी डर अथवा आशंका पर पूरी तरह ध्यान दे सकें, उसका निपटान कर सकें और उसे दूर कर सकें। अतः उस सम्बन्ध में कोई कठिनाई नहीं है।

अब 26 प्रतिशत इक्विटी अंश के सम्बन्ध में श्री माधवराव सिन्धिया और कुछ अन्य मित्रों ने इस मामले को उठाया है कि क्या हम इस विधेयक के प्रावधानों द्वारा पूरी तरह सुरक्षित हैं। मैं भारतीय बीमा कम्पनियों की हमारे द्वारा दी गई परिभाषा को पढ़ना चाहता हूं। हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह 1956 के कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी है जो विदेशी कम्पनी, चाहे वह स्वयं हो अथवा उसके अनुषंगी कम्पनियों अथवा इसकी नामजद कम्पनी हो, द्वारा इक्विटी शेयरों की कुल शेयरधारिता ऐसी भारतीय कम्पनियों की प्रदत्त पूंजी का 26 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस सीमा से पार करने का कोई खतरा नहीं है।

मैंने आई. आर. डी. ए. विधेयक में भारतीय कम्पनी की परिभाषा दी है। अब नामजद शब्द का अर्थ काफी बड़ा है। मैंने विधि विशेषज्ञों से भी परामर्श किया है और मुझे आश्वस्त किया गया है कि नामजद व्यक्ति शब्द का अर्थ काफी व्यापक है।

कुछ सदस्यों ने एन. आर. आई., न्यास आदि जैसे गैर संगठित लोगों के निवेश करने के तरीकों का पता लगाने, जो विद्यमान प्रावधानों द्वारा शामिल नहीं किए गए हैं के मामले को भी उठाया है। महोदय, मुझे सूचित किया गया है कि एफ. आई. पी. पी. की विद्यमान निदेशों के अन्तर्गत इस समस्या का भी पर्याप्त ध्यान रखा गया है। मैं इस सम्माननीय सभा को आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह सरकार इस विधेयक के प्रावधान का दुरुपयोग करने और सन्दिग्ध तरीके अपना कर सीमा का उल्लंघन करने की संभावना के प्रति सजग है। इन प्रावधानों का प्रारूप तैयार करने में पर्याप्त ध्यान रखा गया है और शीघ्र ही इस सम्बन्ध में अनुपालन किए जाने वाले आवश्यक निदेशों को प्रकाशित किया जाएगा और उन सभी को मानने होंगे जो लाइसेंस के लिए आवेदन देता है। प्राधिकरण कम्पनियों पर सावधानीपूर्वक निगरानी रखेगा और सुनिश्चित करेगा कि प्रावधानों का पूर्णतः पालन किया जाए।

इस बात पर मैं कहना चाहूंगा कि हम विधिक और शक्तिशाली प्राधिकरण का गठन करने जा रहे हैं। अतः जिन्हें भय है कि 1956 से पूर्व की स्थिति आ जाएगी अथवा जो विदेशों में कुछ अन्य देशों में घटित हुआ है वह यहां भी हो जाएगा, सही नहीं है। ऐसा इसलिए

है क्योंकि हमारे पास शक्तिशाली प्राधिकरण है जो इस समस्या का ध्यान रखेगा।

प्राधिकरण को जुर्माना लगाने का अधिकार होगा जो संशोधन के माध्यम से होगा जिसे मैं परिचालित कर रहा हूं जैसा कि कांग्रेस दल के माननीय सदस्यों द्वारा सुझाव दिया गया है कि इसे 25 लाख तक बढ़ा दिया गया है जिसमें लाइसेंस रद्द करना भी शामिल है। प्राधिकरण जुर्माना अदा न करने की स्थिति में पंजीकरण को निलम्बित अथवा रद्द कर सकता है। प्राधिकरण अतिरिक्त निर्देशक नियुक्त कर सकता है और किसी दस्तावेज के लिए कह सकता है। यह दस्तावेज का निरीक्षण कर सकता है और पालिसीधारकों के हित में आवश्यक निदेश दे सकता है। प्राधिकरण स्वायत्तशासी, अनुभवी और विशेषज्ञ निकाय है। मुझे पूर्ण विश्वास है और इस सभा को आश्वस्त करने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है कि यह प्राधिकरण जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में समर्थ होगा जो इसे सौंपी जाएगी।

श्री माधवराव सिंधिया : मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं बीच में बोल रहा हूं जबकि आप आधा भाषण दे चुके हैं। अतः मुझसे कुछ अत्यन्त मुख्य बातें छूट गई होंगी। मैं जो यहां कहना चाहता हूं वह यह है कि 'नामजद व्यक्ति' शब्द कई श्रेणियों को शामिल करने के लिए बहुत बड़ा है। लेकिन नामजद का अर्थ है वह मनोनीत व्यक्ति तब कहलाता है जब वह किसी अन्य व्यक्ति का मनोनीत व्यक्ति है। लेकिन यदि कोई अपने आप स्वेच्छा से निवेश करता है चाहे वह एन. आर. आई. हो अथवा विदेशी नागरिक हो अथवा विदेशी सहकारी सोसायटी अथवा विदेशी ग्रुप का आदमी अथवा विदेशी न्यास का व्यक्ति हो वह किसी का नामजद हो आवश्यक नहीं है वह नामजद शब्द के अन्तर्गत नहीं आता है। यह इसलिए है क्योंकि वह कभी भी नामजद नहीं किया गया है। अतः यदि ऐसा मामला है जो आपने अपनी कानूनी राय के साथ परखा हो मैं चाहता हूं कि आप इस पर दबाव बढ़ाएं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, आखिरकार जो बनाया जा रहा है वह कानून है। विनियामक प्राधिकरण द्वारा दिए दिशा–निर्देश अथवा किसी निर्देश कानून को कैसे बदल सकते हैं ? कानून ने स्वयं नहीं अनुमति दी है। एक बार यह विधेयक अनुमोदित हो जाए और पास हो जाए तो वह इस भूमि का कानून बन जाता है जो विदेशी कम्पनी को चाहे वह स्वयं हो चाहे कम्पनी द्वारा स्वयं अथवा उसकी सहायक कम्पनियों की सुविदित अवधारणा अथवा इसके नामजद जो कम्पनी के नामजद माने जाते हैं को केवल 26 प्रतिशत तक सीमित करता है। एक व्यक्ति कम्पनी का नामजद हो आवश्यक नहीं है अतः विदेशी यहां निवेश कर सकते हैं। इसलिए श्री सिन्धिया की आपत्ति ठीक है। केवल कहने से कि प्राधिकरण देश के हित का आखिरकार ध्यान रखेगी कोई समाधान नहीं है। यह इसलिए है क्योंकि कानून किसी मार्ग–निर्देश पर प्रभाव डाल सकता है।

श्री माधवराव सिंधिया : कई श्रेणियां हैं जिसे विदेशी अंशदान अधिनियम के अन्तर्गत लाया गया है। आपने सब कुछ शामिल किया है। अतः विधेयक के भीतर आप उसे समाहित क्यों नहीं कर लेते हैं ?

श्री यशवन्त सिन्हा : विधि का आशय और सरकार का आशय विदेशी इक्विटी भागीदारिता को 26 प्रतिशत तक सीमित करना है।

किसी कानून की व्याख्या में, जैसा कि साधारण प्रथा है जब भी न्यायालय को सूचित कर दिया जाता है, संसद के सदनों में चर्चाओं में कानून की व्याख्या करते हैं सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों को ध्यान में रखा जाता है। उन पर ध्यान दिया जाता है। अब मैं अन्यत्र स्पष्ट कर रहा हूं कि सरकार का आशय इसे 26 प्रतिशत तक सीमित करना है। यही आशय है कि हमने विधान का प्रारूप बनाने वालों को यह बता दिया था और मुझे आश्वस्त किया गया था कि वे उन शब्दों को भली प्रकार से लेंगे जिनकी इस सम्बन्ध में हमें चिन्ता है।

अन्य बात जिसे मैं कहना चाहता हूं वह है कि भारत अभी ऐसा मुक्त देश नहीं है जहां कोई भी व्यक्ति आए और कहीं भी निवेश कर सके। हम उस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं। कई पाबंदियां हैं। हम इस विधि को पूरे देश में चलने वाली विधि प्रणाली के सम्पूर्ण होने को ध्यान में रखकर विचार कर रहे हैं। कोई भी यहां आने के लिए और कहीं भी निवेश करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। इसीलिए मैंने यह जोड़ा है कि विनियामक प्राधिकरण यह स्पष्ट करेगा। किसी भी हालत में भारतीय कंपनियों को पंजीकरण के लिए विनियामक प्राधिकरण को आवेदन करना होगा। कोई कोई भी कम्पनी विनियामक प्राधिकरण की अनुमति के बिना कारोबार आरम्भ नहीं कर सकती, यही समय है जब हमें इस पर ध्यान देना होगा। कम्पनी का कार्यकरण ऐसा है जो विनियामक प्राधिकरण द्वारा बारीकी से देखा जाएगा जिसके लिए इस विधेयक में प्रर्याप्त प्रावधान है। इसलिए यह सोचना कि यह सबके लिए स्वतंत्र होगा और कोई भी किसी अनुभूत कमजोरी का काम उठा सकेगा मैं नहीं समझता यह सही है।

श्री माधवराव सिंधिया : अन्ततः कुछ वर्षों में इस विधेयक को पूर्णतः पढ़ा जाएगा। आपको परामर्श देने वाले सज्जन ने नामजद के आधार पर इसे आपको बता दिया होगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : माननीय वित्त मंत्री शब्दों को वही अर्थ नहीं दे सकते जो वो चाहते हैं। शब्दों के स्वयं अपने अर्थ होते हैं। मनोनीत व्यक्ति कोई या सब कुछ नहीं हो सकता। माननीय सदस्य सही हैं।

अपराह्न 2.42 बजे

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

श्री माधवराव सिंधिया : कृपया इसकी जांच करके एक डेढ़ घंटे बाद इसे पुनः लाइए। जब तक आप इसे पूरा करेंगे, तब तक आप दूसरा संशोधन ला सकते हैं। आपके उद्देश्य को पूरा करना है। यह बहुत खतरनाक है। क्योंकि आप पाएंगे कि विदेशी स्रोत जिनके पास 26 प्रतिशत से भी काफी अधिक है; जो ज्यादा नहीं तो 51 प्रतिशत तक तो जा सकते हैं; भी शामिल हो जाते हैं और संपूर्ण स्थिति को नियंत्रण में ले लेते हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस ओर गम्भीरता से ध्यान दिया जाए।

श्री यशवन्त सिन्हा : इस तरह का कोई खतरा नहीं है। कोई भी इस कानून या इस कानून के प्रावधान का गलत विश्लेषण नहीं कर सकता। आखिरकार मैंने भी कानूनी राय ली है। मैं जो भी इस सदन में कह रहा हूं वह कानूनी विशेषज्ञों की राय के आधार पर कह रहा हूं जो सरकार को उपलब्ध है। मुझे इस बारे में आश्वस्त किया गया है कि जिस तरह सम्पूर्ण खंड का प्रारूप तैयार किया गया है इसे उचित रूप से शामिल किया गया है, इसी आधार पर मैं यहां सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि 26 प्रतिशत के उल्लंघन का खतरा है। मैं इसे ही सही मानता हूं। मैं यह कह रहा हूं कि विनियामक प्राधिकरण यहां पर आने वाली किसी भी समस्या को सुलझा लेगा यदि भविष्य में कोई व्याख्या की जाती है, कुछ घटित होता है, ऐसे अवसर आए हैं जब हमने अपने कानून में संशोधन किया है। जब कभी कुछ गलत हुआ और विधान मंडल के इरादे को न्यायालय द्वारा ठीक तरह से समझा नहीं गया, हम सदन में पुनः आए और हमने संशोधन किया है। यह विकल्प सरकार के पास सदा खुला है।

[हिंदी]

मुलायम सिंह यादव : अब आप आगे बढ़िये।

श्री यशवन्त सिन्हा : हां, आपको जल्दी जाना है।

[अनुवाद]

एक दूसरा मुद्दा जो विशेष रूप से मेरे मित्र श्री किरीट सोमैया ने उठाया है, जिन्होंने विद्यमान ऐजेंटों के बारे में कुछ शंकाएं व्यक्त की थी। मैं जानता हूं कि पांच लाख से अधिक एजेंट जीवन बीमा बेचने संबंधी कार्यों में लगे हुए हैं। मुझे पता चला है कि अंतरिम विनियामक प्राधिकरण ने योग्यता प्रशिक्षण इत्यादि संबंधी मुद्दों पर पहले ही विचार विमर्श किया है यह कि ऐजेंटों के संघों के प्रतिनिधियों और वर्तमान ऐजेंटों को पर्याप्त संरक्षण देने और उनका ध्यान रखने आदि का आश्वासन दिया गया है। इसलिए मैं इस सदन को आश्वस्त करना चहता हूं कि विनियामक प्राधिकरण के द्वारा एजेंटों के संबंध में जारी कोई भी आदर्श विनियम वर्तमान ऐजेंटों के हितों को सुरक्षित व संरक्षित करेंगे। उनके हितों के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा।

श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे) : वर्तमान कानून यह कहता है कि तीन वर्ष के भीतर उन्हें बारहवीं की परीक्षा और प्रशिक्षण को पूरा करना होता है इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। मैंने इससे संबधित एक संशोधन दिया है। वर्तमान में नियम में इसका प्रावधान नहीं किया गया है वे उन्हें बारहवीं की परीक्षा तीन साल में पूरी करने के लिए कह रहे हैं।

श्री यशवन्त सिन्हा : मैंने वर्तमान एजेंटों और नये एजेंटों जो इस क्षेत्र में आ सकते हैं उनके मध्य अंतर किया गया है। मैं यह आश्वासन देता हूं कि जहां तक वर्तमान ऐजेंटों का प्रश्न है उनके हितों के साथ समझौता नहीं किया जाएगा और उसे पूर्णतः सुरक्षित रखा जाएगा।

अब कुछ सदस्यों ने निवेशक सुरक्षा निधि के बारे में पूछा है। हमें निवेशक सुरक्षा निधि की आवश्यकता नहीं है। इस विशेष मामले में, प्रत्येक नई प्रवेशकर्त्ता और नई कंपनी को रिजर्व बैंक में 10 करोड़ रुपए जमा करने पड़ते हैं, यह भविष्य सुरक्षा निधि की शुरुआत होगी और इस क्षेत्र के खुलने के पश्चात् हम निवेशक सुरक्षा निधि को बनाने के बारे में विचार कर सकते हैं, जिसे कम्पनी द्वारा प्राप्त लेवी से लाभकारी बनाया जा सकता है इसलिए इस दृष्टि से कोई शंका नहीं होनी चाहिए।

कुछ सदस्यों ने बीमा क्षेत्र के निजी क्षेत्र के लिए खुलने से पूंजी के बाहर जाने के प्रति अपनी आशंका व्यक्त की थी। उनका मत यह है कि विदेशी व्यवसायी भारतीय नीति धारकों की निधियों को ले जाएंगे। यह शंका निराधार है। विधेयक की धारा 27 (ग) के अंतर्गत कोई भी बीमाकर्त्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पॉलिसी धारकों की निधि का भारत से बाहर निवेश नहीं कर सकता। इस बाबत कानून बिल्कुल साफ है। सिर्फ लाभांश को ही सामान्य नियमों के अंतर्गत पॉलिसी निवेशकों द्वारा बाहर ले जाया जा सकता है। इस बाबत मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इस तरह के लाभांश कम्पनी के प्रारंभ होने के सात या आठ साल बाद ही प्राप्त हो सकता है इसके अलावा जैसे–जैसे व्यवसाय बढ़ता जाएगा ऋण शोधक्षमता के लाभ की मात्रा को भी बढ़ाने की आवश्यकता होगी और इस कारण से यहां से बाहर जाने के बजाए ज्यादा–से–ज्यादा पूंजी देश के अंदर आएगी।...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया : धारा 27 (ग) को पूर्ण रूप से त्रुटि रहित बनाया जाए मैं आपको एक रचनात्मक सुझाव...*(व्यवधान)*

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं सदस्यों को सिर्फ इतना आश्वसान देना चाहता हूं कि हम कुछ संशोधन कर रहे हैं। यह देखना है कि यह अधिनियम किस तरह लागू होता है। किसी भी समय किसी भी विषय पर किसी का भी मत अन्तिम नहीं हो सकता।

मुझे श्री चंद्रशेखर का उद्धरण याद आ रहा है, उनका कहना था कि "प्रत्येक व्यक्ति एक अर्धविराम है, इतिहास में कोई पूर्ण विराम नहीं होता, इसलिए यहां कोई भी पूर्ण विराम नहीं है।" हम स्थिति का अवलोकन करके यह देखेंगे कि इसे कैसे विकसित किया जा सकता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा उठाया गया मुद्दा यह था कि व्यवसाय किस प्रकार फैलेगा। एक मोटा—मोटा स्थूल अनुमान लगाया गया है। सदन में जिस बीमा व्यवसाय पर बहस हुई है वह सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत का संपूर्ण बीमे का प्रीमियम है। मैं श्री एन. डी. तिवारी को यह सूचित करना चाहता हूं कि यह संपूर्ण जनसंख्या के दो प्रतिशत से भी कम को बीमे की सुरक्षा प्रदान करती है, यह बीमे की पॉलिसी के रूप में सकल घरेलू उत्पाद का दो प्रतिशत है। यह 1997—98 में दो प्रतिशत था। मोटे तौर से यह अनुमान लगाया गया था।

यह मानते हुए कि पांच वर्ष की इस अवधि में बीमा व्यवसाय का पर्याप्त एवं महत्वपूर्ण विस्तार होगा। 2000—2003 तक इस संख्या के सकल घरेलू उत्पाद के 4.5 प्रतिशत तक पहुंचने की अपेक्षा है। इसलिए इस बारे में कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए।

जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम और सामान्तर कार्य करने वाली अन्य कंपनियों के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि 27 देशों में एल. आई. सी. और जी. आई. सी. अपना व्यवसाय कर रहे हैं। उनके पास 27 देशों में 52 शाखाएं हैं, अनुषंगी कंपनियां प्रतिनिधि और संबंधित कंपनियां हैं। इसलिए जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा है, हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। अगर साधारण बीमा निगम सिंगापुर, ब्रिटेन, थाइलैंड, फिलिपीन्स और सऊदी अरब में अपना संचालन करते हुए मुकाबला कर अपने बूते पर अपना व्यवसाय बनाये रह सकते हैं तो कोई कारण नहीं कि वह अपना व्यवसाय अपने ही देश में न कर सकें इसलिए अगर हम सामानांतर कार्य करने वाली अन्य कम्पनियों की दृष्टि से बात करें तो अपेक्षा होगी कि हमें जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम के भविष्य के प्रति भयभीत न हों। इसके साथ ही, मैं आशा करता हूं कि मैंने लगभग सभी मुद्दों, जो सदस्यों ने उठाए थे, पर जवाब दिया है।

श्री रूपचन्द पाल : अप्रत्यक्ष रूप से जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है उसके बारे में आप क्या कहते हैं।

श्री यशवंत सिन्हा : इस तरह की अप्रत्यक्ष हानि का कोई खतरा नहीं है। अगर आप यहां बैठ कर यह अनुमान लगाएंगे कि प्रत्येक खंभे के पीछे भूत है तो इसमें मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता।

लेकिन हमें यह याद रखना है कि भारत एक मजबूत और ताकतवर देश है, दुनिया का कोई भी देश, और कोई भी विदेशी कम्पनी इस देश में अपनी इच्छा से कार्य नहीं कर सकती। हमें अपने पर विश्वास होना चाहिए। हममें आत्मविश्वास की इतनी कमी क्यों है कि हम सोचते हैं कि वे आएंगे और सब कुछ ले जाएंगे ? कोई भी यह नहीं कर सकता। बैंकिंग व्यवसाय में वे ऐसा नहीं कर पाए। वे बीमा व्यवसाय में भी नहीं कर सकते। इस कारण मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि यह विधेयक सभा द्वारा खुशी से पारित होने दीजिए। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि इस विधेयक को पारित करने के दौरान लगाई जाने वाली आपत्तियों को कृपया वापस ले लें।

अध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर विचार करने के लिए प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। इस प्रस्ताव में कुछ संशोधन किए गए हैं।

अब मैं श्री अजय चक्रवर्ती द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 1 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री बसुदेव आचार्य द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 3 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 3 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री बसुदेव आचार्य द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 4 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 4 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री रूपचं पाल द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 14 को सभा के मतदान के लि रखता हूं।

प्रश्न यह है :

कि बीमा पालिसी—धारकों के हितों का सरक्षण करने, बीमा उद्योग का विनियमन, संप्रवर्तन तथा उसका व्यवस्थित रूप से विकास सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण की स्थापना तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों और बीमा अधिनियम, 1938, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 19 और साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 197 का और संशोधन करने का उपबंध करने वाले विधेयक को सभ

की संयुक्त समिति को सौंपा जाए जिसमें 15 सदस्य हों, इस सभा से 10, अर्थात :–

1. श्री बसुदेव आचार्य
2. श्री मोइनुल हसन
3. श्रीमती गीता मुखर्जी
4. श्री सनत कुमार मंडल
5. श्री अमर राय प्रधान
6. श्री पी. एच. पांडियन
7. श्री यशवंत सिन्हा
8. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह
9. श्री मुलायम सिंह यादव
10. श्री रूपचंद पाल

और राज्य सभा से 5;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की समस्त सदस्य संख्या का एक–तिहाई होगी;

कि समिति इस सभा को मानसून सत्र के अंतिम दिन तक प्रतिवेदन देगी;

कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समितियों के संबंध में इस सभा के प्रक्रिया संबंधी नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करें; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किए जाने वाले 5 सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे। इसका समर्थन करने वाले सदस्य 'हां' कहें।

कुछ माननीय सदस्य : 'हां'।

अध्यक्ष महोदय : इसका विरोध करने वाले कृपया 'नहीं' कहें।

कुछ माननीय सदस्य : 'नहीं'।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि विरोध करने वालों की संख्या अधिक है।

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : नहीं महोदय, समर्थन करने वालों की संख्या अधिक है।...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार इस मामले में बहुत जल्दी मचाना चाहती है तो हमें अपना अधिकार क्यों छोड़ देना चाहिए ? वे प्रत्येक व्यक्ति द्वार दिए गए महत्त्वपूर्ण सुझावों को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। देशभक्ति किसी का एकाधिकार नहीं है। विवेक पर किसी का एकाधिकार नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, विधेयक को यह संयुक्त समिति को सौंपे जाने के संबंध में एक बहुत ही साधारण–सा संशोधन है।

श्री रूपचंद पाल : महोदय, मुझे मत विभाजन के लिए दबाव देने का अधिकार है। इसलिए, मैं मत विभाजन के लिए जोर दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कुछ सदस्य इस मामले में मत विभाजन के लिए जोर दे रहे हैं। संशोधन के विरोध में बोलने वाले सदस्यों के अनुसार मैं समझता हूं कि मत विभाजन की बेकार ही मांग की जा रही है।

(व्यवधान)

श्री रूपचंद पाल : नहीं ऐसी बात नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, सदस्य को अधिकार है कि वह मत विभाजन के लिए जोर दे सकता है।...*(व्यवधान)*

श्री रूपचंद पाल : महोदय, यह हमारा अधिकार है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : पहले मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। कृपया बैठ जाइए।

इसलिए, नियम 367–3 (ग) के परन्तुक के अनुसार, मैं उन सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं जो इस संशोधन के पक्ष में हैं।

नियमों के अनुसार, कार्यवाही वृत्तांत में मतदाताओं के नामों को शामिल नहीं किया जाएगा।

श्री रूपचंद पाल : मैं अपना विरोध प्रकट करना चाहूंगा।... *(व्यवधान)* मैं मत विभाजन के लिए जोर देना चाहूंगा।

आप इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित करें। यह सदस्य के रूप में मेरा अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बीमा पालिसी–धारकों के हितों का संरक्षण करने, बीमा उद्योग का विनियमन, संप्रवर्तन तथा उसका व्यवस्थित रूप से विकास सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण की स्थापना तथा

उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों और बीमा अधिनियम, 1938, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 और साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 का और संशोधन करने का उपबंध करने वाले विधेयक को सभा की संयुक्त समिति को सौंपा जाए जिसमें 15 सदस्य हों, इस सभा से 10, अर्थात :–

1. श्री बसुदेव आचार्य
2. श्री मोइनुल हसन
3. श्रीमती गीता मुखर्जी
4. श्री सनत कुमार मंडल
5. श्री अमर राय प्रधान
6. श्री पी. एच. पांडियन
7. श्री यशवंत सिन्हा
8. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह
9. श्री मुलायम सिंह यादव
10. श्री रूपचंद्र पाल

और राज्य सभा से 5;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की समस्त सदस्य संख्या का एक–तिहाई होगी;

कि समिति इस सभा को मानसून सत्र के अंतिम दिन तक प्रतिवेदन देगी;

कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समितियों के संबंध में इस सभा के प्रक्रिया संबंधी नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लगू होंगे जो अध्यक्ष करें; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किए जाने वाले 5 सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।

इसका समर्थन करने वाले सदस्य 'हां' कहें।

कुछ माननीय सदस्य : 'हां'

अध्यक्ष महोदय : इसका विरोध करने वाले कृपया 'नहीं' कहें।

कई माननीय सदस्य : 'नहीं'।

अध्यक्ष महोदय : अब इसके समर्थन में 'हां' कहने वाले सदस्य अपने–अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं।

श्री राजेश पायलट : अगर मतदान होता है तो सही ढंग से मतदान होना चाहिए। संसद में इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं है। ...*(व्यवधान)* आप आज एक नई परम्परा स्थापित कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर सकते हैं ? सदस्य इस बारे में जोर दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, ठीक है। अगर बात सिर्फ जल्दी की है तो हम खड़े हो जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी कृपया नियम 367–(3) (ग) को देखें : "परन्तु यदि अध्यक्ष की राय में विभाजन की मांग अनावश्यक रूप से की गई हो, तो वह क्रमशः 'हां' तथा 'नहीं' वाले सदस्यों से अपने–अपने स्थान पर खड़े होने के लिए कह सकेगा..."

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह अपमानजनक है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं नहीं, इसके लिए उपबंध है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं आपकी व्यवस्था पर प्रश्न नहीं कर सकता। मैं इस बारे में जानता हूं । परन्तु यह निर्णय लेने के पीछे क्या कारण हैं कि क्या यह 'अनावश्यक मांग' है या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : इस संबंध में उपबंध है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह नहीं हो सकता।...*(व्यवधान)* प्रत्येक नियम को लागू नहीं किया जा सकता।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अन्यथा, वे संबंधित सदस्यों से पर्चियां ले सकते हैं। इसलिए, कृपया बैठ जाइए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अगर इस विधेयक का कड़ा विरोध नहीं किया जाता तो ठीक है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अप पने स्थानों पर बैठ जाइए। वे पर्चियां बांटेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पर्चियां केवल 'हां' क वालों को वितरित की जाएंगी।

अपराह्न 3.00 बजे

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या पर्चियां केवल चु -चुन जा रही हैं ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं वे सभी को दी जा रही हैं।

श्री पी. एच. पांडियन (तिरुनेलवेली) : महोदय, सत्ता पक्ष मतदान में भाग नहीं ले रहा है।...*(व्यवधान)* इसे भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)* प्रजातंत्र में बहुमत की भागीदारी होती है।

अध्यक्ष महोदय : अब, दीर्घा को खाली किया जाए–

श्री पांड्यिन, कृपया बैठ जाइए। दीर्घा के खाली होने के बाद मत विभाजन होगा।

(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट (दौसा) : अध्यक्ष महोदय, अब आप किस प्रक्रिया नियम का अनुपालन कर रहे हैं ?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम सभी सदस्यों को पर्चियां बांट रहे हैं

(व्यवधान)

अब दीर्घाएं खाली कर लीं गई हैं।

'माननीय सदस्यो' मुझे आपको सूचित करना है क्योंकि अभी तक सदस्यों को मत विभाजन संख्या नहीं दी गई है इसलिए स्वचालित मत निकार्डिंग मशीन द्वारा मत विभाजन करवाना संभव नहीं है। अब मत विभाजन नियम 367 क क के अंतर्गत पर्चियों के वितरण द्वारा ही किया जाएगा। सदस्यो को 'हां'/'नहीं' छपी हुई पर्चियां उनके मतदान के लिए उनके स्थानों पर ही दी जाएंगी।

'हां' अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में हरी तरफ छपा होता है तथा 'नहीं' उलटी तरफ लाल पर लिखा होता है।

पर्चियों के ऊपर सदस्य दिए गए स्थान पर अपना नाम, पहचान पत्र संख्या, निर्वाचन क्षेत्र और राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश लिखकर तथा अपना नाम लिखकर और हस्ताक्षर करके अपना मत दर्ज कर सकते हैं। जो सदस्य 'अनुपस्थिति' दर्शाना चाहते हैं वे 'अनुपस्थिति' पर्ची (पीले रंग) मांग सकते हैं। अपना मत लिखने के तुरंत बाद प्रत्येक सदस्य मत विभाजन क्लर्क को अपनी पर्ची देगा जो इसे इकट्ठा करके सभा पटल के पास बैठे अधिकारियों को दे देगा। सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे मत देने के लिए एक ही पर्ची भरें।

सदस्यों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि जब तक मत विभाजन क्लर्क सभी पर्चियां इक्ट्ठी नहीं कर लेता वे अपने स्थानों से न उठें।

अब प्रश्न यह है :

"कि बीमा पालिसी–धारकों के हितों का संरक्षण करने, बीमा उद्योग का विनियमन, संप्रवर्तन तथा उसका व्यवस्थित रूप से विकास सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण की स्थापना तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों और बीमा अधिनियम, 1938, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 और साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 का और संशोधन करने का उपबंध करने वाले विधेयक को सभा की संयुक्त समिति को सौंपा जाए जिसमें 15 सदस्य हों, इस सभा से 10, अर्थात् :–

1. श्री बसुदेव आचार्य
2. श्री मोइनुल हसन
3. श्रीमती गीता मुखर्जी
4. श्री सनत कुमार मंडल
5. श्री अमर राय प्रधान
6. श्री पी. एच. पांडियन
7. श्री यशवंत सिन्हा
8. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह
9. श्री मुलायम सिंह यादव
10. श्री रूपचंद्र पाल

और राज्य सभा से 5;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति सुंयक्त समिति के सदस्यों की समस्त सदस्य संख्या का एक–तिहाई होगी;

कि समिति इस सभा को मानसून सत्र के अंतिम दिन तक प्रतिवेदन देगी;

कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समितियों के संबंध में इस सभा के प्रक्रिया संबंधी नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करें; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किए जाने वाले 5 सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ :

मत विभाजन संख्या-1

अपराह्न 3.30 बजे

पक्ष में

1. अजय कुमार, श्री एस.
2. अब्दुल्लाकुट्टी, श्री ए. पी.
3. अम्बेडकर, श्री प्रकाश यशवंत
4. आचार्य, श्री बसुदेव
5. आठवले, श्री रामदास
6. कलिअप्पन, श्री के. के.
7. कुमारासामी, श्री पी.
8. कुरूप, श्री सुरेश
9. कृष्णदास, श्री एन. एन.
10. खां, श्री अबुल हसनत
11. खां, श्री सुनील
12. गोविन्दन, श्री टी.
13. चक्रवर्ती, श्री अजय
14. चक्रवर्ती, श्री स्वदेश
15. चटर्जी, श्री सोमनाथ
16. चन्द्रशेखर, श्री
17. चौधरी, श्री विकास
18. चौधरी, श्री समर
19. चौधरी, श्रीमती रीना
20. जहेदी, श्री महबूब
21. जायसवाल, श्री जवाहर लाल
22. जॉर्ज, श्री के. फ्रांसिस
23. तोपदार, श्री तरित बरण
24. दिनाकरन, श्री टी. टी. वी.
25. दीपक कुमार, श्री
26. पटेल, श्री धर्म राज सिंह
27. पांडियन, श्री पी. एच.
28. पाल, श्री रूपचन्द
29. पासवान, श्री सुकदेव
30. प्रमाणिक, प्रो. आर. आर.
31. प्रेमाजम, प्रो. ए. के.
32. बखला, श्री जोवाकिम
33. बघेल, प्रो. एस. पी. सिंह
34. बब्बर, श्री राज
35. बर्मन, श्री रनेन
36. बसु, श्री अनिल
37. बौरी, श्रीमती संध्या
38. भौरा, श्री भान सिंह
39. मंडल, श्री सनत कुमार
40. मलयसामी, श्री के.
41. महतो, श्री बीर सिंह
42. महाले, श्री हरीभाऊ शंकर
43. मुखर्जी, श्रीमती गीता
44. मुरुगेसम, श्री एस.
45. मुर्मू, श्री रूपचन्द
46. मोल्लाह, श्री हन्नान
47. मोहन, श्री पी.
48. यादव, श्री देवेन्द्र सिंह
49. यादव, श्री बलराम सिंह
50. यादव, श्री भालचन्द्र
51. यादव, श्री मुलायम सिंह
52. यादव, श्री रमाकान्त
53. रंगपी, डॉ. जयन्त
54. राजेन्द्रन, श्री पी.

55. राधाकृष्णन, श्री वरकला
56. राय, श्री सुबोध
57. रायप्रधान, श्री अमर
58. रावत, श्री रामसागर
59. रिजवान जहीर, श्री
60. रियान, श्री वाजू बन
61. लाहिड़ी, श्री समीक
62. वर्मा, श्री बेनी प्रसाद
63. वर्मा, श्री रवि प्रकाश
64. शहाबुद्दीन, मोहम्मद
65. शाक्य, श्री रघुराज सिंह
66. शेरवानी, श्री सलीम आई
67. सर, श्री निखिलांनन्द
68. सरोज, श्री तूफानी
69. सरोज, श्रीमती सुशीला
70. सरोजा, डॉ. वी.
71. सिंह, कुंवर अखिलेश
72. सिंह, कुंवर सर्वराज
73. सिंह, श्री चन्द्र भूषण
74. सिंह, श्री चन्द्रनाथ
75. सिंह, श्री राम प्रसाद
76. सिंह, श्रीमती कान्ति
77. सिंह, डॉ. रघुवंश प्रसाद
78. सुमन, श्री रामजी लाल
79. सेठ, श्री लक्ष्मण
80. सेन, श्रीमती मिनाती
81. सेल्वागनपति, श्री टी. एम.
82. हसन, श्री मोइनुल

विपक्ष में

1. अडसूल, श्री आनन्दराव विठोबा
2. अनंत कुमार, श्री
3. अगर्ल, श्री अशोक
4. अलवी, श्री राशिद
5. अहमद, श्री दाऊद
6. आडवाणी, श्री लाल कृष्ण
7. आदि शंकर, श्री
8. आदित्यनाथ, योगी
9. आर्य, डॉ. (श्रीमती) अनिता
10. आल्वा, श्रीमती मार्ग्रेट
11. इन्दौरा, डॉ. सुशील कुमार
12. ईडन, श्री जार्ज
13. उमा भारती, कुमारी
14. उराम, श्री जुएल
15. ए. नरेन्द्र, श्री
16. एटकिन्सन, श्री डेन्जिल, बी
17. एम. मास्टर मथान, श्री
18. एलानगोवन, श्री पी. डी.
19. कटारिया, श्री रतन लाल
20. कटियार, श्री विनय
21. कन्नप्पन, श्री एम.
22. करुणाकरन, श्री के.
23. कस्वां, श्री राम सिंह
24. कुप्पुसामी, श्री सी.
25. कुमार, श्री वी. धनंजय
26. कुमारमंगलम, श्री पी. आर.
27. कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह

28. कुसमरिया, डॉ. रामकृष्ण
29. कृपलानी, श्री श्रीचन्द्र
30. कृष्णन, डॉ. सी.
31. कृष्णमराजू , श्री
32. कृष्णमूर्ति, श्री के. बलराम
33. कृष्णास्वामी, श्री. ए.
34. कौर, श्रीमती प्रेनीत
35. कौशल, श्री रघुवीर सिंह
36. खण्डूड़ी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र
37. खन्ना, श्री विनोद
38. खां, श्री मनसूर अली
39. खांदोकर, श्री अकबर अली
40. खान, श्री हसन
41. खाबरी, श्री बृजलाल
42. खूंटे, श्री पी. आर.
43. खेरे, श्री चन्द्रकांत
44. गंगावार, श्री सन्तोष कुमार
45. गढ़वी, श्री पी. एस.
46. गमांग, श्रीमती हेमा
47. गवली, कुमारी भावना पुंडलिकराव
48. गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल
49. गांधी, श्रीमती सोनिया
50. गाड्डे, श्री राम मोहन
51. गावित, श्री मणिकराव होडल्या
52. गावीत, श्री रामदास रूपला
53. गिलुवा, श्री लक्ष्मण
54. गीते, श्री अनंत गंगाराम
55. गुढे, श्री अनंत
56. गेहलोत, श्री थावरचन्द
57. गोयल, श्री विजय
58. गौतम, श्रीमती शीला
59. घाटोवार, श्री पवन सिंह
60. चक्रवर्ती, श्रीमती विजया
61. चतुर्वेदी, श्री सत्यव्रत
62. चन्देल, श्री सुरेश
63. चीखलीया, श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई
64. चेन्नितला, श्री रमेश
65. चौधरी, श्री अधीर
66. चौधरी, श्री ए. बी. ए. गनी खां
67. चौधरी, श्री निखिल कुमार
68. चौधरी, श्री पदमसेन
69. चौधरी, श्री मणिभाई रामजीभाई
70. चौधरी, श्री राम टहल
71. चौधरी, श्री राम रघुनाथ
72. चौधरी, श्री हरिभाई
73. चौधरी, श्रीमती रेणूका
74. चौधरी, श्रीमती संतोष
75. चौबे, श्री लाल मुनी
76. चौहान, श्री नंदकुमार सिंह
77. चौहान, श्री निहाल चन्द
78. चौहान, श्री बालकृष्ण
79. चौहान, श्री शिवराजसिंह
80. चौहान, श्री श्रीराम
81. जगतरक्षकन, डॉ. एस.
82. जगन्नाथ, डॉ. मन्दा
83. जयशीलन, डॉ. ए. डी. के.

84. जाधव, श्री सुरेश रामराव
85. जायसवाल, डॉ. मदन प्रसाद
86. जायसवाल, श्री शंकर प्रसाद
87. जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश
88. जालप्पा, श्री आर. एल.
89. जावमा, श्री वनलाल
90. जैन, श्री पुष्प
91. जोशी, डॉ. मुरली मनोहर
92. जोस, श्री ए. सी.
93. झा, श्री रघुनाथ
94. ठक्कर, श्रीमती जयाबहन, बी
95. ठाकुर, डॉ. सी. पी.
96. ठाकुर, श्री चुन्नी लाल भाई
97. डिसूजा, डॉ. (श्रीमती) वीट्रिक्स
98. डूडी, श्री रामेश्वर
99. ढिकले, श्री उत्तमराव
100. तिवारी, श्री नारायण दत्त
101. तिवारी, श्री लाल बिहारी
102. तिवारी, श्री सुन्दर लाल
103. तोमर, डॉ. रमेश चंद
104. त्रिपाठी, श्री प्रकाश मणि
105. त्रिपाठी, श्री ब्रजकिशोर
106. दग्गुबाटि, श्री राम नायडू
107. दत्तात्रेय, श्री बंडारू
108. दास, श्री नेपाल चन्द्र
109. दासमुंशी, श्री प्रियरंजन
110. दाहाल, श्री भीम
111. दिलेर, श्री किशन लाल
112. दिवाथे, श्री नामदेव हरबाजी
113. दुराई, श्री एम.
114. देव, श्री संतोष मोहन
115. देवी, श्रीमती कैलाशो
116. नाईक, श्री राम
117. नाईक, श्री श्रीपाद येसो
118. नायक, श्री अनन्त
119. नायक, श्री ए. वेंकटेश
120. निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद
121. नीतीश कुमार, श्री
122. पटनायक, श्री नवीन
123. पटेल, डॉ. अशोक
124. पटेल, श्री आत्माराम भाई
125. पटेल, श्री चन्द्रेश
126. पटेल, श्री दह्याभाई वल्लभभाई
127. पटेल, श्री दिन्शा
128. पटेल, श्री दीपक
129. पटेल, श्री प्रहलाह सिंह
130. पटेल, श्री मानसिंह
131. पद्मानाभम्, श्री मुद्रागाड़ा
132. परांजपे, श्री प्रकाश
133. पलानीमनिक्कम, श्री एस. एस.
134. पवार, श्री शरद
135. पवैया, श्री जयभान सिंह
136. पांजा, श्री अजित कुमार
137. पाटसाणी, डॉ. प्रसन्न कुमार
138. पाटिल, श्री अमरसिंह वसंतराव
139. पाटिल, श्री आर. एस.

140. पाटिल, श्री बसनगौडा रामनगौड
141. पाटिल, श्री अन्नासाहेब एम. के.
142. पाटिल, श्री उत्तमराव
143. पाटिल, श्री बालासाहिब विखे
144. पाटिल, श्री श्रीनिवास
145. पाठक, श्री हरिन
146. पाण्डेय, डॉ. लक्ष्मीनारायण
147. पायलट, श्री राजेश
148. पार्थसारथी, श्री बी. के.
149. पासवान, डॉ. संजय
150. पासवान, श्री राम विलास
151. पासवान, श्री रामचन्द्र
152. पासी, श्री राजनारायण
153. पासी, श्री सुरेश
154. पोटाई श्री सोहन
155. पोन्नुस्वामी, श्री ई.
156. प्रधान, डॉ. देवेन्द्र
157. प्रधान, श्री अशोक
158. प्रभु, श्री सुरेश
159. प्रसाद, श्री जितेन्द्र
160. प्रसाद, श्री वी. श्रीनिवास
161. फर्नान्डीज, श्री जॉर्ज
162. फारुक, श्री एम. ओ. एच.
163. बंगरप्पा, श्री एस.
164. बंद्योपाध्याय, श्री सुदीप
165. बंसल, श्री पवन कुमार
166. बचदा, श्री बची सिंह रावत
167. बदनोर, श्री विजयेन्द्र पाल सिंह
168. बनर्जी, कुमारी ममता
169. बरवाला, श्री सुरेन्द्र सिंह
170. बराड़, श्री जे. एस.
171. बसवराज, श्री जी. एस.
172. बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह
173. बिश्वास, श्री आनन्द मोहन
174. बुन्देला, श्री सुजानसिंह
175. बेगम नूर बानो
176. बेहरा, श्री पद्मनाव
177. बैदा, श्री रामचन्द्र
178. बैठा, श्री महेन्द्र
179. बैनर्जी, श्रीमती जयश्री
180. बैस, श्री रमेश
181. बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर
182. बोस, श्रीमती कृष्णा
183. ब्रह्मनैया, श्री ए.
184. भगत, प्रो. दुखा
185. भाटिया, श्री आर. एल.
186. मंजय लाल, श्री
187. मंडल श्री ब्रह्मानंद
188. मलिक, श्री जगन्नाथ
189. मल्होत्रा, डॉ. विजय कुमार
190. महंत, डॉ. चरणदास
191. महताब, श्री भर्तृहरि
192. महतो, श्रीमती आभा
193. महरिया, श्री सुभाष
194. महाजन, श्री वाई. जी
195. महाजन, श्रीमती सुमित्रा

196. मांझी, श्री रामजी
197. माझी, श्री परसुराम
198. मायावती, कुमारी
199. मल्याला, श्री राजैया
200. मिश्र, श्री श्याम बिहारी
201. मीणा, श्री भेरूलाल
202. मीणा, श्रीमती जस कौर
203. मुखर्जी, श्री एस. बी.
204. मुंडा, श्री कड़िया
205. मुत्तेमवार, श्री विलास
206. मुनि लाल, श्री
207. मुनियप्पा, श्री के. एच.
208. मुरलीधरन, श्री के.
209. मुर्मू, श्री सालखन
210. मूर्ति, श्री ए. के.
211. मूर्ति, श्री एम. वी. चन्द्रशेखर
212. मूर्ति, श्री एम. वी. वी. एस.
213. मोहले, श्री पुन्नू लाल
214. मोहिते, श्री सुबोध
215. मोहोल, श्री अशोक ना.
216. यादव, डॉ. (श्रीमती) सुधा
217. यादव, डॉ. जसवंत सिंह
218. यादव, श्री जगदम्बी प्रसाद
219. यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद
220. यादव, श्री शरद
221. यादव, श्री हुक्मदेव नारायण
222. रमण, डॉ.
223. रमैया, डॉ. बी. बी.
224. रवि, श्री शीशराम सिंह
225. राजवंशी, श्री माधव
226. राजा, श्री ए.
227. राजूखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह
228. राजे, श्रीमती वसुन्धरा
229. राठवा, श्री रामसिंह
230. राणा, श्री काशीराम
231. राधाकृष्णन, श्री सी. पी.
232. राधाकृष्णन् , श्री पोन
233. राम, श्री ब्रजमोहन
234. रामशकल, श्री
235. रामैया, श्री गुनीपाटी
236. राय, श्री विष्णु पद
237. राव, श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण
238. राव, श्री गंता श्रीनिवास
239. राव, श्री डी. वी. जी. शंकर
240. राव, श्री वाई. वी.
241. राव, श्री सीएच विद्यासागर
242. राव, श्रीमती प्रभा
243. रावत, प्रो. रासासिंह
244. रावत, श्री प्रदीप
245. रावले, श्री मोहन
246. राष्ट्रपाल, श्री प्रवीण
247. रूडी, श्री राजीव प्रताप
248. रेड्डी, श्री ए. पी. जितेन्द्र
249. रेड्डी, श्री एस. जयपाल
250. रेड्डी, श्री गुथा, सुकेन्दर
251. रेड्डी, श्री चाडा सुरेश

252. रेड्डी, श्री जी. गंगा
253. रेड्डी, श्री वाई. एस. विवेकानन्द
254. रेनु कुमारी, श्रीमती
255. रामचन्द्रन, श्री गिनगी एन.
256. वंग्चा, श्री राजकुमार
257. वनगा, श्री चिंतामन
258. वर्मा, प्रो. रीता
259. वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास
260. वसावा, श्री मनसुखभाई डी.
261. वाजपेयी, श्री अटल बिहारी
262. विजयन, श्री ए. के. एस.
263. विजया कुमारी, श्रीमती डी. एम.
264. वीरप्पा, श्री रामचन्द्र
265. वीरेन्द्र कुमार, श्री
266. वुक्कला, डॉ. राजेश्वरम्मा
267. वेंकटस्वरलु, प्रो. उम्मारेड्डी
268. वेंकटस्वामी, डॉ. एन.
269. वेंकटेस्वरलु, श्री बी.
270. वेणुगोपाल, डॉ. एस.
271. वेणुगोपाल, श्री डी.
272. वेत्रिसेलवन, श्री वी.
273. वैको, श्री
274. व्यास, डॉ. गिरिजा
275. शर्मा, कैप्टन सतीश
276. शांडिल्य कर्नल (सेवानिवृत्त) डॉ. धनी राम
277. शान्ता कुमार, श्री
278. शाह, श्री मानवेन्द्र
279. शाहीन श्री अब्दुल रशीद
280. शिवकुमार, श्री वी. एस.
281. श्रीकांतप्पा, श्री डी. सी.
282. श्रीनिवासुलु, श्री कालवा
283. षणमुगम, श्री एन. टी.
284. संकेश्वर, श्री विजय
285. संखवार, श्री प्यारे लाल
286. संघाणी, श्री दिलीप
287. सईद, श्री पी. एम.
288. सईदुज्जमा, श्री
289. सनदी, प्रो. आई. जी.
290. सरडगी, श्री इकबाल अहमद
291. सांगतम, श्री के. ए.
292. सांगवान, श्री किशन सिंह
293. साथी, श्री हरपाल सिंह
294. सामन्तराय, श्री प्रभात
295. साय, श्री विष्णुदेव
296. साहू, श्री अनादि
297. साहू, श्री ताराचंद
298. सिंधिया, श्री माधवराव
299. सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी
300. सिंह, कैप्टन (सेवानिवृत्त) इन्द्र
301. सिंह, चौधरी तेजवीर
302. सिंह, डॉ. रामलखन
303. सिंह, श्री खेलसाय
304. सिंह, श्री चन्द्र विजय
305. सिंह, श्री चरनजीत
306. सिंह, श्री तिलकधारी प्रसाद
307. सिंह, श्री दिग्विजय

308. सिंह, श्री प्रभुनाथ
309. सिंह, श्री बहादुर
310. सिंह, श्री बृज भूषण शरण
311. सिंह, श्री महेश्वर
312. सिंह, श्री राजो
313. सिंह, श्री राधा मोहन
314. सिंह, श्री रामजीवन
315. सिंह, श्री रामानन्द
316. सिंह, श्री साहिब
317. सिंह, श्रीमती श्यामा
318. सिन्हा, श्री मनोज
319. सिन्हा, श्री यशवन्त
320. सिंह देव, श्री के. पी.
321. सी. सुगुणा कुमारी, डॉ. (श्रीमती)
322. सुदर्शन नाच्चीयपन, श्री ई. एम.
323. सुरेश, श्री कोडीकुनील
324. सेठी, श्री अर्जुन
325. सोमैया, श्री किरीट
326. सोराके, श्री विनय कुमार
327. सोलंकी, श्री भूपेन्द्र सिंह
328. स्वाइं, श्री खारबेल
329. हमीद, श्री अब्दुल
330. हान्दिक, श्री विजय
331. हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, चर्चा के लिए लिया गया समय 6 घंटे और 25 मिनट है। अब मतदान के लिए कम-से-कम तीन घंटे तो लगेंगे। कृपया धैर्य रखिए।

शुद्धि के अध्यधीन, मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार रहा :

पक्ष में — 82

विपक्ष में — 331

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बीमा पालिसी-धारकों के हितों का संरक्षण करने, बीमा उद्योग का विनियमन, संप्रवर्तन तथा उसका व्यवस्थित रूप से विकास सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण की स्थापना तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों और बीमा अधिनियम 1938, जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 और साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1972 का और संशोधन करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, मेरा एक और संशोधन, संशोधन संख्या 31 के अन्तर्गत है। मैं उसे प्रस्तुत करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह अभी प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। इसे बाद में प्रस्तुत किया जाएगा।

अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

खंड 2 और 3

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 4

अध्यक्ष महोदय : श्री विलास मुत्तेमवार ने संशोधन संख्या 7 प्रस्तुत किया है जो खंड 4 के बारे में है। श्री विलास मुत्तेमवार क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : नहीं।

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रियरंजन दासमुंशी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 22 और 23 खंड 4 के बारे में है। श्री दासमुंशी क्या आप अपने संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : नहीं।

अध्यक्ष महोदय : श्री ए. पी. अब्दुल्लाकुट्टी, श्री समर चौधरी, श्री सुबोध राय, श्री हन्नान मोल्लाह, श्री बसुदेव आचार्य, श्री विकास चौधरी, श्री रूपचन्दपाल और श्री तरित बरण तोपदार द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 40 और 41 खंड 4 के बारे में है। श्री. ए. पी. अब्दुल्लाकुट्टी क्या आप अपने संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री ए. पी. अब्दुल्लाकुट्टी (कन्नानौर) : हां, महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2 पंक्ति 34 में

'या' के लिए 'और' प्रतिस्थापित किया जाए। (40)

पृष्ठ 2 पंक्ति 37 में

"जिसे क्रमशः जीवन बीमा, साधारण बीमा या बीमांकिक विज्ञान का ज्ञान या अनुभव है" के स्थान पर "जिसे क्रमशः जीवन बीमा, साधारण बीमा और बीमांकिक विज्ञान का ज्ञान और अनुभव है" प्रतिस्थापित किया जाए। (41)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री ए. पी. अब्दुल्लाकुट्टी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 40 और 41 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 40 और 41 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड—5

अध्यक्ष महोदय : श्री विलास मुत्तेमवार द्वारा प्रस्तुत संशोधन 8, 9 और 10 खण्ड 5 के बारे में है। श्री विलास मुत्तेमवार क्या आप अपने संशोधन को प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री विलास मुत्तेमवार : जी, नहीं।

अध्यक्ष महोदय : श्री अनादि साहू द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 15 खंड 5 के बारे में है। श्री अनादि साहू क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री अनादि साहू (बहरामपुर, उड़ीसा) : नहीं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 5 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड—6

अध्यक्ष महोदय : श्री विलास मुत्तेमवार द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 11 और 12 खंड 6 के बारे में है। श्री विलास मुत्तेमवार क्या आप अपने संशोधनों को प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री विलास मुत्तेमवार : नहीं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 6 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड—7 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 8

अध्यक्ष महोदय : श्री विलास मुत्तेमवार क्या आप संशोधन संख्या 13 प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री विलास मुत्तेमवार : नहीं, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : श्री अनादि साहू, क्या आप संशोधन संख्या 16 प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री अनादि साहू : नहीं, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 8 विधेयक का अग बने।"

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

खण्ड—8 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 9 और 10 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड-11

श्री ए. पी. अब्दुल्लाकुट्टी (कन्नानौर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4 पंक्ति 8 में,

"प्राधिकरण में या उसके गठन में कोई त्रुटि है या"8 का लोप किया जाए। (42)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री ए. पी. अब्दुल्लाकुट्टी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 42 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 42 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 11 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 12 और 13 विधेयक में जोड़ दिये गए।

खण्ड-14

अध्यक्ष महोदय : श्री सत्यव्रत चुतर्वेदी, क्या आप संशोधन संख्या 21 प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : महोदय, चूंकि मेरा संशोधन सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, मैं इसे प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

श्री ए. पी. अब्दुल्लाकुट्टी : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5, पंक्ति 5 के अंत में,–

"और यह देखे कि बाजार पर कब्जा करने के लिए प्रीमियम में कटौती और अनुचित प्रोत्साहन न किया जाय" जोड़ा जाये। (43)

पृष्ठ 5, पंक्ति 12 के अंत मे "आदि" जोड़ा जाये। (44)

पृष्ठ 5, पंक्ति 16 के अंत में "और पारदर्शिता" जोड़ा जाये। (45)

पृष्ठ 5, पंक्ति 26 के अंत में "जीवन और सामान्य बीमा क्षेत्रों के लिए" जोड़ा जाये। (46)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री ए. पी. अब्दुल्लाकुट्टी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 43, 44, 45 और 46 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 43, 44, 45 और 46 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 14 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 14 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 15 से खण्ड 21 तक विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 22

श्री ए. पी. अब्दुल्लाकुट्टी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं।

पृष्ठ 8, पंक्ति, 6 में "या इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों" को लोप किया जाये। (47)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं खण्ड 22 से सम्बन्धित श्री ए. पी. अब्दुल्लाकुट्टी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 47 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 47 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 22 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 22 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 23 और 24 विधेयक में जोड़ दिये गए।

खण्ड-25

अध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 17। श्री अनादि चरण साहू, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री अनादि साहू : नहीं।

अध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 27। श्री रूपचन्द पाल और श्री सुबोध राय, क्या आप अपने संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, मैं अपना संशोधन संख्या 27 प्रस्तुत करता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

संशोधन संख्या (27)*

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री रूपचन्द पाल द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 27 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 27 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 25 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 25 विधेयक में जोड़ दिया गया।

---

*यह संशोधन विधेयक के हिन्दी पाठ पर, लागू नहीं होता।

खण्ड-26

अध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 24। श्री राजेश पायलट, क्या आप अपने संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री राजेश पायलट : महोदय, मुझे एक बात स्पष्ट करनी है मुझे दिए गए इस पेपर में 'समाजिक' शब्द लिखा हुआ है ...*(व्यवधान)*

क्या इसे स्वीकार कर लिया गया है ? क्या सरकारी तौर पर इसे रिकार्ड कर लिया गया है ? महोदय, आपने अभी एक शब्द... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते।

श्री राजेश पायलट : ठीक है, तो क्या आप मुझे तृतीय वाचन के दौरान बोलने का एक और मौका देंगे ?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यहां आपके पास केवल यही विकल्प है कि या तो आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर दें अन्यथा इसे छोड़ दें।

[हिंदी]

श्री राजेश पायलट : मैं सिर्फ एक आशंका जता रहा हूं कि यह माना गया था, जब टी. आर. आई. का बिल बना था, तब भी यह कहा था कि सोशल सैक्टर ध्यान में रहेगा। कम्युनिकेशन मिनिस्टर यहां बैठे हुए हैं, आज रूरल कनेक्टिविटी को इग्नोर किया जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं या नहीं ?

श्री राजेश पायलट : महोदय, उन्होंने मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया है, मैं प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : महोदय, मैं बड़ा नेता नहीं हूं, लेकिन कम–से–कम मेरा नाम तो पुकारा जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपका नाम पुकारा था। फिर भी। क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री संतोष मोहन देव : नहीं। मैं इसे प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। संशोधन संख्या 28 [illegible] रूपचन्द पाल और श्री सुबोध राय क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, मैं संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ 9

पंक्ति 17 के पश्चात्

"('घ') (घ) अभिकर्ताओं अन्य मध्यवर्तियों सर्वेक्षकों के निबंधन और शर्तें।"

अंतःस्थापित किया जाये। (28)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री रूपचन्द पाल और श्री सुबोध राय द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 28 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 28 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 26 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 26 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 27 से 32 विधेयक में जोड़ दिए गए।

पहली अनुसूची

अध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 5 और 6। श्री प्रकाश परांजपे, क्या आप अपने संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे) : महोदय, चूंकि सरकार ने विद्यमान इकाइयों के हितों की रक्षा की है मैं अपने संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, अब संशोधन संख्या 18, 19 और 20 लेते हैं। श्री रूपचन्द पाल, श्री हन्नान मोल्लाह और श्री बसुदेव आचार्य, क्या आप अपने संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : महोदय, हम संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 10—

"पंक्ति 30 और 31" का **लोप** किया जाए। (18)

पृष्ठ 13—

"पंक्ति 37 और 39" (19)

पृष्ठ 14—

"पंक्ति 1 और 11" का **लोप** किया जाए।

पृष्ठ 15, पंक्ति 14,—

"पॉलिसीधारकों की निधियों का" **लोप** किया जाए (20)

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री रूपचंद पाल द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 18, 19 और 20 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 18, 19 और 20 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : अब संशोधन संख्या 25 और 26। श्री राजेश पायलट और श्री संतोष मोहन देव जी, क्या आप अपने संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री राजेश पायलट : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल इसी बात की पुष्टि करना चाहूंगा कि उन्होंने मेरा संशोधन स्वीकार किया है या नहीं। आप कृपया अपनी प्रति की भी जांच करें। 'सामाजिक क्षेत्र' शब्द लिखे हुए हैं या नहीं। आपक पास एक प्रति है। क्या उस पर 'सामाजिक क्षेत्र' लिखा हुआ है ?...*(व्यवधान)* मेरे पास संशोधन की एक प्रति है जिस पर यह हाथ से लिखा हुआ है। अगर सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया है तो मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं करता।

आपकी कापी में है। आप अपनी कापी देख सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री रूपचंद पाल और श्री सुबोध राय द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 29, 30, 31, 32, 33 और 34 लिए जाएंगे। क्या आप अपने संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री रूपचंद पाल : महोदय, मैं संशोधन संख्या 29, 30, 31, 32, 33 और 34 को प्रस्तुत करता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ संख्या 12, पंक्ति 18

"उपधारा" के पश्चात्

"रद्द किया जाना" **अंतःस्थापित** किया जाये। (29)

पृष्ठ संख्या 15, पंक्ति 14

"पॉलिसीधारकों की निधियों" का **लोप** किया जाये (30)

पृष्ठ संख्या 16, पंक्ति 2

"उतना प्रतिशत जीवन बीमा कारबार और साधारण बीमा कारबार करेगा जितना प्राधिकरण द्वारा, राजपत्र में इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये।"

के स्थान पर

"ग्रामीण अथवा सामाजिक क्षेत्र में जीवन बीमा कारबार और सामान्य बीमा कारबार की 25 प्रतिशत से अन्यून"

प्रतिस्थापित किया जाए। (31)

पृष्ठ संख्या 18, पंक्ति 33 का **लोप** किया जाए। (32)

पृष्ठ संख्या 20, पंक्ति 15 से 19 का **लोप** किया जाए। (33)

पृष्ठ 25, पंक्ति 28 के पश्चात्

"ऐसी सम्पत्तियों अथवा आस्तियों की

"समपहरण भी" **अन्तःस्थापित** किया जाए। (34)

महोदय, मैं अपने संशोधन संख्या 31 के बारे में कुछ कहना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : इस समय कुछ भी बोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : जब किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसने अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं किया था, बोलने की अनुमति दी जा चुकी है, तो उसे बोलने क्यों नहीं दिया जाना चाहिए ?

अध्यक्ष महोदय : श्री पायलट जी नहीं बोले हैं। उन्होंने मंत्री जी से स्पष्टीकरण मांगा है।

श्री रूपचंद पाल : महोदय, मैं अपने संशोधन संख्या 31 का पाठ पढ़ना चाहूंगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री रूपचंद पाल, क्या आप अपना संशोधन संख्या 35 प्रस्तुत करनां चाहेंगे ?

श्री रूपचंद पाल : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं और इसके लिए जोर दे रहा हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 26, पंक्ति 9 के अंत में

"बीमाकर्ता (ओं) के रूप में रद्दीकरण समेत।" (35)

जोड़ा जाए।

महोदय, मैं अपने संशोधन संख्या 31 के बारे में बोलना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री रूपचंद पाल और श्री सुबोध राय क्या आप संशोधन संख्या 36, 37 और 38 प्रस्तुत करना चाहेंगे ?

श्री रूपचंद पाल : महोदय, मैं अपने संशोधन संख्या 36, 37 और 38 प्रस्तुत करता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 26, पंक्ति 17 से 19

का लोप किया जाये (36)

पृष्ठ 26, पंक्ति 33 और 34

का लोप किया जाये। (37)

पृष्ठ 27, पंक्ति 14

"अर्हताएं और"

का लोप किया जाए। (38)

अध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 39। श्री प्रियरंजन दासमुंशी जी, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, चूंकि हमारे सभी संशोधनों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है अतः मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

श्री रूपचंद पाल : महोदय, मैं अपने संशोधन संख्या 31 पर मत-विभाजन किए जाने पर जोर देता हूं। महोदय मैं यह पढ़ता हूं। इसमें कहा गया है, "जीवन बीमा कार्य और साधारण बीमा कार्य का 25 प्रतिशत से अन्यून...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब मैं सभी संशोधन एक साथ रखूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय आप सभी संशोधन एक साथ कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं ?

श्री रूपचंद पाल : महोदय, मैं अपने संशोधन संख्या 31 पर मत विभाजन की मांग करता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, कृपया उन्हें दो मिनट बोलने का समय दीजिए और सरकार को उत्तर देना चाहिए। अन्यथा अगर सरकार का यही रवैया है तो हमें मत विभाजन पर जोर देना होगा। मैं तो बीच का रास्ता तलाशने की कोशिश कर रहा हूं। माननीय मंत्री जी को एक मिनट बोलने दें तथा माननीय मंत्री जी को इसका उत्तर देने दें।

अध्यक्ष महोदय : श्री रूपचंद पाल, आप चाहें तो सरकार से स्पष्टीकरण मांग सकते हैं आप इस समय बोल नहीं सकते। अगर आपको इस स्थिति में बोलने दिया तो यह परम्परा बन जाएगी। आप यह समझने की कोशिश कीजिए।

श्री रूपचंद पाल : महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इसका प्रावधान किया जाए कि "ग्रामीण या सामाजिक क्षेत्र में जीवन बीमा कार्य और साधारण बीमा कार्य 25 प्रतिशत से कम न हो।" उन्हें पक्के तौर पर 25 प्रतिशत पर सहमत होना चाहिए। मेरे संशोधन में यही कहा गया है।...*(व्यवधान)* कांग्रेस कहती है कि वे 75 प्रतिशत का प्रस्ताव कर रहे हैं और सरकार कहती है कि वे 75 प्रतिशत से सहमत हैं।...*(व्यवधान)* मैं 25 प्रतिशत चाहता हूं। वे 75 प्रतिशत पर सहमत हो रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट : महोदय, मेरे साथी ने मेरी बात नहीं सुनी है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री रूपचंद पाल, अगर आप मत विभाजन चाहते हैं, तो हम इसे पर्चियों के माध्यम से कर सकते हैं।

श्री रूपचंद पाल : मैं संशोधन संख्या 31 पर मत विभाजन के लिए कह रहा हूं। मत-विभाजन के लिए कहना मेरा अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 18, 19, 20 और 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 और 38 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 18, 19, 20 और 29 से 38 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : अनुप के संबंध में हो सकता है वे सहमत न हों...*(व्यवधान)*..प्रतिस्पर्द्धा में मैं ऐसा नहीं कर सकता ...*(व्यवधान)*

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : इसीलिए 75 प्रतिशत की मांग की गई है। अब यह पाया गया है कि 25 प्रतिशत भी स्वीकार नहीं किया गया है।...*(व्यवधान)* कांग्रेस दल को बेवकूफ बनाया गया है।...*(व्यवधान)* आप मूर्खों की दुनियां में रह रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट : यह बात हर व्यक्ति को समझ लेनी चाहिए।

..*(व्यवधान)* मैं केवल एक मिनट का समय लूंगा। सभा मेरी बात से सहमत होगी।

[हिंदी]

अध्यक्ष महोदय, हमें आशंका है क्योंकि जब टेलीफोन रैगुलेटरी अथौरिटी "ट्राई" का निर्माण हुआ था, तो यह कहा गया था कि रूरल कनैक्टिविटी प्राइवेट ऑपरेटर्स द्वारा की जाएगी और गवर्नमेंट एजेंसीज भी करेंगी, लेकिन प्राइवेट ऑपरेटर्स ने हाथ खड़े कर लिए और वे कोर्ट में चले गए। इसलिए मेरी यह आशंका है कि कहीं इस बिल में भी ऐसी बात न हो जाए। हालांकि आपने हमारी बात मान ली है, इसके लिए तो हमें संतोष है,

[अनुवाद]

परन्तु उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया है जीवन बीमा निगम सामाजिक क्षेत्र में निवेश नहीं कर सकता और प्रतिस्पर्द्धा के कारण वे अधिक नहीं कमा सकते। इसमें उसका सेफ गार्ड और सख्ती से ले आएं।

हम यही कहना चाहते हैं। हमें सामाजिक क्षेत्र में भी कुछ निवेश करना चाहिए ताकि सामाजिक क्षेत्र को कोई नुकसान न हो। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब संशोधन संख्या 48, 49, 50 और 51 लिए जाएंगे।

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 12 में ये पंक्ति 33 के बाद अंतःस्थापित करें।

उप खंड (2 क) के बाद (ख क) अन्तःस्थापित करें। "(2 क क) प्राधिकारी, यदि प्रार्थी की सहमति हो, प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमनों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट ढंग और तरीके से उसका पंजीकरण करने को वरीयता देगा और उसे पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्वीकृति देगा जिससे वह वैयक्तिक रूप से या व्यक्ति समूह को स्वास्थ्य बीमा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जीवन बीमा व्यवसाय अथवा साधारण बीमा व्यवसाय चला सके।" (48)

पृष्ठ 16 में पंक्ति 11 के बाद अंतःस्थापित करें।

"(1क) प्राधिकारी समय तरीके और अन्य शर्तों के लिए विशेष निर्देश दे सकता है जिसके अनुसार प्राधिकारी द्वारा बनाए गए विनियमन के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अवसंरचनात्मक और सामाजिक क्षेत्र में पॉलिसी–धारकों की निधियां निवेश की जाएंगी और ऐसे विनियमन बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के लागू होने पर या उसके बाद भारत में जीवन–बीमा, साधारण बीमा या पुनर्बीमा के कार्य करने के लिए सभी बीमा कर्ताओं के लिए समान रूप से लागू होंगे। (49)

पृष्ठ 16 में पंक्ति 35 के बाद **अंतःस्थापित** करें।

ग्रामीण या अंसगठित क्षेत्र और पिछड़े वर्गों के संबंध में बीमाकर्ताओं की प्रतिबद्धताएं

32 ग प्रत्येक बीमाकर्त्ता बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के लागू होने के बाद धारा 32 ख के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रतिबद्धताओं का निर्वहन ग्रामीण क्षेत्रों, असंगठित या अनौपचारिक क्षेत्रों में रहने वाले कामगारों या आर्थिक रूप से कमजोर अथवा समाज के पिछड़े वर्गों और अन्य वर्ग के लोगों को जीवन–बीमा या साधारण बीमा पॉलिसियां प्रदान करने के लिए करेगा। जैसा कि प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है और ऐसी बीमा पालिसियों में फसल बीमा सुविधा भी शामिल होगी।" (50)

पृष्ठ 26 में पंक्ति 29 के बाद **अंतःस्थापित** करें।

"धारा 32 ग का अनुपालन न करने पर दण्ड"

105ग अगर कोई बीमाकर्त्ता धारा 32ग के उपबन्धों का अनुपालन करने में असफल रहता है तो उसे ऐसा न कर पाने के लिए जुर्माना किया जाएगा जो 25 लाख रुपये से अनधिक होगा और उसके बाद भी अगर वह लगातार ऐसी गलती करता है तो ऐसे बीमाकर्त्ता को धारा 3 के अंतर्गत प्रदान किया गया पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा रद्द कर दिया जाएगा।" (51)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, माननीय मंत्री ने श्री रूपचन्द पाल द्वारा उठाई गई बात का उत्तर नहीं दिया है...*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, मैं यहां इस बात की पुष्टि करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि हस्तलिखित "और सामाजिक' शब्दों जिन्हें माननीय सदस्यों में परिचालित किया गया है, सरकारी संशोधन का अंग है और मैं उन्हें यहां पढ़ूंगा। हम स्पष्टतया कह रहे हैं कि ऐसे विनियम सभी बीमा कंपनियों पर समान रूप से लागू होंगे, इसमें उनकी बात का उत्तर निहित है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : प्रतिशत के बारे में क्या कहना है ?

श्री यशवंत सिन्हा : आप 25 प्रतिशत के लिए कह रहे हैं और हम 50 प्रतिशत के लिए सहमत हैं...*(व्यवधान)* आप कितने प्रतिशत

की बात कर रहे हैं...*(व्यवधान)* यह 50 प्रतिशत है न कि 25 प्रतिशत ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पहली अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पहली अनुसूची, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दी गई।

दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री रूपचन्द पाल कृपया अध्यक्षपीठ से सहयोग करें। कृपया बैठ जाइए। मैं सदैव आपको सहयोग देता हूं किंतु आप सहयोग नहीं दे रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय मंत्री बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय में विनम्रतापूर्वक माननीय वित्त मंत्री से अनुरेध करता हूं कि कृपया एक मिनट का समय दें...*(व्यवधान)* मैं माननीय प्रधानमंत्री से भी अनुरोध करता हूं...*(व्यवधान)* यह मामूली बात नहीं है। महोदय यदि आप विधेयक के पृष्ठ 46 में देखें जिसमें लिखा है और मैं उद्‌धृत करता हूं।

"27 क. (1) कोई बीमाकर्ता अपनी नियंत्रित निधि के किसी भाग को निम्नलिखित अनुमोदित विनिधानों से भिन्न किसी विनिधान में न तो विनिहित करेगा और न विनिहित रखेगा, अर्थात :-

(क) अनुमोदित प्रतिभूतियां;

(ख) यूनाइटेड किंगडम की सरकार की प्रतिभूतियां या उस सरकार द्वारा मूलधन और ब्याज की बाबत प्रत्याभूत प्रतिभूतियां;"

क्या आप वैसी प्रतिभूति उपलब्ध कराएंगे जैसी ब्रिटेन में उपलब्ध कराई गई है ? श्री वी. धनन्जय कुमार द्वारा सिर हिलाने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने आप से भी परामर्श नहीं किया है। ये ब्रिटेन सरकार द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियां हैं और वे कह रहे हैं कि ये अनुमोदित निवेश हैं। क्या यह सरकार द्वारा सोच-समझकर लिया गया निर्णय है ? फिर उन्होंने अन्य देशों के साथ ऐसा क्यों नहीं किया ? इंगलैंड के निवेश हमें स्वीकार्य हैं। अतः मुझे विश्वास है कि यह किसी भूलवश हुआ है। आपने किसी विधेयक की नकल की और आपने इसकी ठीक से जांच नहीं की। कृपया इस बात को स्वीकार करें।

श्री वी. धनन्जंय कुमार : इस बारे में आपको कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श करना चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य : यह बहुत महत्त्वपूर्ण है। माननीय मंत्री ने उत्तर नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप स्पष्टकीरण दे रहे हैं ?

श्री यशवंत सिन्हा : नहीं।

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय मंत्री प्रस्ताव कर सकते हैं कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए।

श्री यशवंत सिन्हा : मैं प्रस्ताव* करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान)

अपराह्न 3.57 बजे

इस समय श्री सोमनाथ चटर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस बिल के विरोध में वाक-आउट करता हूं।

अपराह्न 3.57$^1/_4$ बजे

इस समय डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह सभा भवन से बाहर चले गए।

अपराह्न 3.59 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) पश्चिम राजस्थान में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार को पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[हिंदी]

श्री राम सिंह कस्वां (चुरू) : अध्यक्ष महोदय, अकाल के कारण

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

पश्चिमी राजस्थान, विशेष रूप से चुरू जिले में गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। वर्षा न होने के कारण अधिकांश गांवों में फसल की बुवाई नहीं है, जहां बुवाई हुई वर्षा न होने के कारण फसल चौपट हो गई है। चारे व पेयजल की विकट समस्या हो गई है। राज्य सरकार ने आज तक गिरदावरी रिपोर्ट नहीं मंगवाई है, जिसके कारण अभी तक राहत कार्य शुरू नहीं किये गए हैं। सरकार अकाल राहत कार्य न जाने कब शुरू करेगी। पशुओं को तो चारा व पीने का पानी रोज चाहिए। गांव वाले परेशान होकर अन्यत्र पलायन कर रहे हैं।

अतः मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि अविलम्ब राजस्थान में अकाल से प्रभावित क्षेत्र के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए प्रभावी कदम उठाये, ताकि अकाल के कारण जान–माल की सुरक्षा हो सके। इसके लिए राज्य सरकार को समुचित धन उपलब्ध कराया जाए।

अपराह्न 4.00 बजे

(दो) उत्तर प्रदेश के बांसगांव को औद्योगिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र घोषित किए जाने और इसके विकास के लिए योजना बनाये जाने की आवश्यकता

श्री राजनारायण पासी (बांसगांव) : अध्यक्ष महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र बांसगांव, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद के अंतर्गत आता है, एक अत्यंत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इस क्षेत्र में सरकारी अथवा गैर सरकारी क्षेत्र में कोई उद्योग स्थापित नहीं है। यह क्षेत्र केवल कृषि पर ही आधारित है। लेकिन प्रति वर्ष बाढ़ की भयंकर विभीषिका अथवा सूखे की चपेट में आ जाने की वजह से इस क्षेत्र की सम्पूर्ण फसल नष्ट हो जाती है और यहां के गरीब लोग भुखमरी की स्थिति में पहुंच जाते हैं। इस कारण इस क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है।

बांसगांव क्षेत्र को यदि नेशनल बैकवर्ड एरिया घोषित करके वहां पर प्राथमिकता के आधार पर सरकारी अथवा गैर सरकारी क्षेत्र में कोई उद्योग स्थापित कर दिया जाए और प्रतिवर्ष आने वाली भयंकर बाढ़ की विभीषिका की रोकथाम हेतु कोई योजना बनाकर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी जाए तो इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास संभव हो सकता है।

अतः ऐसी स्थिति में मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह बांसगांव संसदीय क्षेत्र के विकास हेतु उपर्युक्त योजनाएं प्राथमिकता के आधार पर अविलम्ब बनाए और लागू कराएं।

[अनुवाद]

(तीन) बिहार में छपरा में रसोई गैस बाटलिंग संयत्र की शीघ्र स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) : महोदय, पेट्रोलियम मंत्रालय ने बिहार के सारण जिले में छपरा के जिला मुख्यालय में रसोई गैस बाटलिंग संयंत्र स्थापित करने की स्वीकृति दी है जिसमें सारण और तिरहुत कमीश्नरियों के अनेक जिले शामिल हैं। राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहित न करने के कारण यह प्रस्ताव लम्बित पड़ा है। रसोई गैस बाटलिंग संयत्र की शीघ्र स्थापना के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय को भूमि खरीदनी चाहिए। अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजा देना चाहिए।

(चार) हरिद्वार और फाजिल्का के बीच रेलगाड़ी चलाए जाने और फरीदकोट में कम्प्यूटरीकृत बुकिंग सुविधा उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता

श्री जे. एस. बराड़ (फरीदकोट) : महोदय, फरीदकोट और फिरोजपुर जिलों के लोगों को हरिद्वार पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कृपया हरिद्वार से फाजिल्का और फाजिल्का से हरिद्वार के बीच एक रेलगाड़ी चलाई जाए।

मोगा, मुक्तसर, कोटकापुरा और फरीदकोट रेलवे स्टेशन फरीदकोट निर्वाचन क्षेत्र में हैं। इन सभी स्टेशनों पर यात्रियों की काफी भीड़भाड़ होती है। यात्रियों की भारी संख्या के कारण लोगों को नवीनतम सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उक्त स्टेशनों का कंप्यूटरीकरण किए जाने की आवश्यकता है, मेरे निर्वाचन क्षेत्र फरीदकोट में कोई भी कंप्यूटरीकृत रेलवे स्टेशन नहीं है।

(पांच) पश्चिमी राजस्थान के विकास के लिए एक विशेष पैकेज को स्वीकृत्ति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी (बाड़मेर) : महोदय, यह मामला पश्चिमी राजस्थान में शिक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य, सड़क, संचार आदि बुनियादी आवश्यकताओं के विकास के बारे में है। जैसा कि आप जानते हैं, पश्चिमी राजस्थान विशेष रूप से बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, बीकानेर और जोधपुर तथा पाली जिलों के कुछ हिस्से अल्प विकसित हैं और प्रत्येक दस वर्ष की अवधि में औसतन आठ वर्ष सूखाग्रस्त रहते हैं। जैसलमेर और बाड़मेर जिले विगत तीन वर्षों से भयंकर सूखे की चपेट में हैं। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 3500 गांव हैं, जिनमें 3200 गांवों को सरकार को सौंपी गई गिरदावरी रिपोर्ट के अनुसार 'सूखा प्रवण गांव' घोषित किया गया है।

भयंकर सूखे की स्थिति के कारण अधिकांश पेयजल आपूर्ति योजनाओं पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। विद्यमान जल स्रोत सूख रहे हैं। इस क्षेत्र के लोग दस से पन्द्रह किलोमीटर तक से पानी लाते हैं, जबकि भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक 1.6 किलोमीटर का

है। इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर न होने के कारण अधिकतर लोग फसल का मौसम न होने के दौरान आजीविका की तलाश में पंजाब, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में चले जाते हैं।

ग्यारहवीं, बारहवीं और तेरहवीं लोक सभा के दौरान मैं सरकार से अनुरोध करता रहा हूं कि पर्वतीय क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों की समस्याओं के निराकरण के लिए उन्हें दिए गए विशेष पैकेज की तर्ज पर पश्चिमी राजस्थान के लिए भी एक विशेष पैकेज दिया जाए। मैंने इस मुद्दे को इस सम्माननीय सभा में 3 जून, 1998 को भी उठाया था।

किंतु इस क्षेत्र के लोगों के कष्टों के को दूर करने के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। यदि इस क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज देने में विलम्ब किया जाता है तो यहां के लोग सड़कों पर आ जाएंगे क्योंकि उन्होंने असम, बिहार और उत्तर पदेश के पर्वतीय क्षेत्र के लोगों के समान अलग 'मरु' राज्य की मांग करना पहले ही शुरू कर दिया है। अतः मैं माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे पश्चिमी राजस्थान के लिए विशेष पैकेज को स्वीकृत करें।

(छह) ''तेतुलिया कारीडोर'' खोले जाने के लिए बंगलादेश के साथ वार्ता किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती मिनाती सेन (जलपाईगुड़ी) : संसद के पिछले मानसून सत्र में मैंने ''तेतुलिया कारीडोर'' के बंगलादेश के क्षेत्र से खोले जाने हेतु प्रश्न उठाया था जिससे दोनों दोशों को फायदा हो सके। भारत विशेषकर आर्थिक विकास के लिए प्रस्तावित कारीडोर, संपूर्ण पूर्वोत्तर के लिए तत्काल आवश्यक है। यह जलपाईगुड़ी के लोगों की बहुत समय से मांग रही है।

इस समय भारत का बंगलादेश के साथ इस अवधि का सबसे बेहतरीन संबंध है। बंगलादेश के साथ किया गया 'गंगा पानी' का बंटवारा और तीन बीघा कारीडोर को भारत के क्षेत्र से बंगलादेश के लिए खोले जाने के ऐतिहासिक समझौते की पृष्ठभूमि में भारत ने बंगलादेश के प्रति अपनी पर्याप्त उदारता को दर्शाया है। मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि भारत तेतुलिया कारीडोर को बंगलादेश के क्षेत्र से खोलने की बात क्यों नहीं करता क्योंकि इससे दोनों ही देशों का हित होगा।

बंग्लादेश के साथ सार्थक वार्ता के माध्यम से, मैं समझती हूं कि बंग्लादेश को भारत के प्रति सद्भाव दिखाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, और प्रस्तावित ''तेतुलिया कारीडोर'' को बंगलादेश की भूमि से वाहनों के आवागमन के लिए खोला जा सकता है। जबकि इसकी दूरी मुश्किल से 3–4 कि. मी. होगी। लेकिन यह संपूर्ण पूर्वोत्तर राज्यों के वाहनों के आवागमन की दूरी को 85 कि. मी. तक कम कर सकता है। आर्थिक रूप भी यह दोनों देशों के लिए राजस्व प्राप्ति का साधन होगा।

मैं आपसे हार्दिक निवेदन करती हूं कि इस प्रस्ताव पर गम्भीरता से विचार किया जाए और इस विषय को बंगलादेश के साथ की जाने वाली वार्ता की कार्यसूची से सम्मिलित किया जाए।

(सात) आंध्र प्रदेश में हैदराबाद स्थित हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के पुनरुद्धार के लिए ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता

डॉ. मन्दा जगन्नाथ (नगर कुरनूल) : हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कभी संपूर्ण औद्योगिक इंजीनियरिंग क्षेत्र के रीढ़ की हड्डी हुआ करता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चार दशकों पूर्व इसके उद्घाटन के अवसर पर एच. एम. टी. को भारत के मुकुट में एक और रत्न कह कर संबोधित किया था लेकिन एच. एम. टी की स्थिति दिन–प्रति–दिन खराब होती जा रही है कंपनी के पास नए और उन्नत उत्पादों के लिए इसकी अपनी प्रसिद्ध अनुसंधान और विकास सुविधाएं हैं लेकिन अब यह विभिन्न कारणों से घाटे में जा रही है। हैदराबाद में स्थित एल. ए. एफ. पी. एस. विभाग लगभग निष्क्रिय पड़ा है। क्योंकि कोई स्पष्ट मांग न होने के कारण उत्पादन में कमी आ रही है। वहां प्रेस विभाग; मशीन टूल्स प्रभाग और घड़ियों के केस के प्रभाग हैं पर्याप्त मांग के अभाव में लगभग सभी प्रभाग बंद होने की स्थिति पर पहुंच गए हैं और उनका कार्य भी ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि एक तो मांग के अभाव में और दूसरे भारत सरकार की ओर से कच्चे माल की खरीद हेतु कोई बजटीय सहायता भी नहीं मिलती।

हालांकि एच. एम. टी. के उत्पाद को रक्षा और रेलवे द्वारा इस्तेमाल किया जाता है ये मंत्रालय भी एच. एम. टी. के उत्पादों को नहीं खरीद रहे हैं।

महोदय, इसलिए मैं, आपके माध्यम से विनम्रतापूर्वक माननीय रक्षा मंत्री और माननीय रेल मंत्री से कहना चाहता हूं कि एच. एम. टी. के उत्पादों के लिए क्रयादेश देते रहें जिससे सरकारी क्षेत्र का यह प्रमुख उपक्रम अपने अस्तिव को कायम रख सके। मेरी वित्त मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री से भी अपील है कि हैदराबाद स्थित एच. एम. टी. को पर्याप्त बजटीय सहायता दी जाए ताकि उसका अस्तिव बना रहे। एच. एम. टी. का पुनरुद्धार पैकेज भी सरकार के पास विचाराधीन है।

(आठ) तमिलनाडु के अर्कोनम रेलवे जंकशन से गुजरने वाली एक्सप्रैस गाड़ियों को वहां पर रोके जाने की आवश्यकता

डॉ. एस. जगतरक्षकन (अर्कोनम) : मेरे निर्वाचन क्षेत्र अर्कोनम, जो तमिलनाडु में है, के लोगों की लंबे समय से यह मांग रही है कि कई एक्सप्रेस गाड़ियां जो अर्कोनम जंकशन से गुजरती हैं, को अर्कोनम

में रोका जाये। यह एक बड़ा जंकशन है और यह शहर चेन्नई महानगर के लिए एक उपनगर का काम करता है। बहुत सारे यात्री अर्कोनम और चेन्नई के बीच आना-जाना करते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबी यात्रा के यात्री जो अर्कोनम में बिंदावन एक्सप्रेस, लालबाग एक्सप्रेस, दादर एक्सप्रेस, त्रिवेन्द्रम मेल गाड़ियां पकड़ना चाहते या उनसे उतरना चाहते हैं।

इसलिए मैं, माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया लोगों की इस उचित मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए व तद्नुसार अर्कोनम जंकशन पर हजारों यात्रियों के चढ़ने-उतरने की सुविधा हेतु इन गाड़ियों को रोकने के निर्देश जारी किए जाएं।

(नौ) महानदी तटीय और अपतटीय नदी-घाटियों में तेल और गैस की खोज किए जाने की आवश्यकता

श्री त्रिलोचन कानूनगो (जगतसिंहपुर) : महानदी तट और अपतट बेसिनों के क्षेत्रों में ऑइल इंडिया लिमिटेड द्वारा पूनर्वानुमानित हाइड्रोकार्बन संसाधनों को खोजा जा रहा है, जिसका अनुमान लगाया गया है कि यह क्रमशः 515 एम. एम. टी. 1200 एम. एम. टी. है। इस तथ्य को देखते हुए कि असम में 265 कुओं की अलामकारी खुदाई के बाद नाहम-कटिया की खोज के कारण यह छोटा सा चहल-पहल रहित नगर अचानक तेजी से प्रसिद्ध हो गया और विश्व के तेल मानचित्रों में इसका स्थान बन गया। मैं दृढ़ता से सुझाव देना चाहता हूं कि जब तक अत्यन्त संभावनाशील महानदी तट और अपतट बेसिन से तेल व गैस प्राप्त न हो जाएं तब तक निम्नलिखित कार्य किए जाएं।

1. ऑनलैंड महानदी बेसिन जिसमें 500 एम. एम. टी. तेल भंडार का अनुमान है ये विद्यमान आकड़ों तथा मार्च 2000 के अंत तक प्राप्त जानकारी के आधार पर तेल की संभावना का पता लगाने के लिए ऐसे स्थानों, जहां की तेल या गैस की अत्यधिक संभावना है खुदाई की जाए। जब तक ऑनलैंड महानदी बेसिन में पहली हाइड्रो कार्बन की खोज न हो जाए। इस तरह से चुने हुए अन्य स्थानों पर ऐसी खोज निरन्तर जारी रखी जाए।

2. सितम्बर 2000 तक तेल के अनुमानित 1200 एम. एम. टी. भंडार वाले अपतट के उन स्थानों पर आनुमानित खुदाई की जाए जिनके लिए मई 1999 तक कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई जैसा कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने अपनी निविदा सूचना में विनिर्दिष्ट किया था।

3. अपतट ब्लाक के लिए निविदाकर्ताओं के साथ सयुंक्त उद्यम संचालन को कार्यरूप देकर या ऑइल इंडिया लिमिटेड द्वारा अकेले ही किया जाए। खोज संबंधी ड्रिलिंग और अन्य गतिविधियां जैसे सर्वेक्षण आदि जून 2000 तक आरंभ की जाए।

4. महानदी तट तथा अपतट दोनों में जहां भी आवश्यक हो अधुनातन प्रौद्योगिकी शामिल करते हुए डाटा बेस समन्वित अद्यतन तथा समुन्नत किया जाए।

5. इस बीच पारादीप गोदामों में रखी ड्रिलिंग और रसायन सामग्री को और उपकरणों को पारादीप से अन्यत्र न ले जाया जाए। एक वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी उप-महाप्रबंधक/महाप्रबंधक पद के व अन्य विभिन्न विभागों के कार्यकारी अधिकारियों को बी. ई. पी. उड़ीसा में तुरन्त तैनात किया जाए।

(दस) उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग पर उप-मार्ग का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्र विजय सिंह (मुरादाबाद) : उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला एक बड़ा शहर है, तथा यह लखनऊ को जाने वाले तथा रामीखेत जैसे महत्त्वपूर्ण रक्षा क्षेत्रों को जाने वाले मुख्य राजमार्ग पर स्थित है। यह सड़क भीड़ भरे शहर से गुजरती है जिसके कारण यातायांत जाम हो जाता है, लोगों को विलम्ब होता है, और कार्बेट पार्क तथा नैनीताल जाने वाले सम्भावित यात्रियों को वहां जाने से रोकता है। शहर के बीच से जाने वाले रास्ते पर भारी यातायात के कारण उत्पन्न प्रदूषण को देखते हुए तुरंत एक उपमार्ग का निर्माण करवाया जाना चाहिए और काशीपुर रोड को देहरादून-बिजनौर रोड और दिल्ली रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग-24 को जोड़ने वाले एक दूसरे उपमार्ग के निर्माण पर विचार किया जाना चाहिए ताकि सभी मुख्य यातायात मुरादाबाद के बाहर से ही गुजरे।

(ग्यारह) सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित बकाया पदों को भरे जाने की आवश्यकता

[हिंदी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : महोदय, केन्द्र सरकार के अधीन आने वाले मंत्रालयों, विभागों और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के आरक्षित पदों को आज तक आरक्षण के अनुरूप भरा नहीं गया है तथा न ही सरकार ने इस श्रेणी के कर्मचारियों की सेवाओं और पदोन्नतियों में आरक्षण को बनाए रखने के लिए संविधान में संशोधन करने के लिए पांच कार्यालय ज्ञापनों के बारे में कोई कदम उठाया है, जिसकी वजह से अनुसूचित जाति के लोगों में भारी रोष व्याप्त है।

मेरी सरकार से मांग है कि केन्द्र सरकार मंत्रालयों, विभागों तथा सार्वजनिक उपक्रमों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षित पदों को आरक्षण के अनुरूप तुरन्त भरे जाने हेतु और इस चूक के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कारगर कदम उठाए जाने के लिए तथा पदोन्नतियों में आरक्षण को बनाए रखने के लिए संविधान में संशोधन करने के लिए सदन में विधेयक लाकर पांच कार्यालय ज्ञापनों के बारे में तुरन्त कदम उठाए।

अपराह्न 4.15 बजे

[अनुवाद]

धन-शोधन निवारण विधेयक
और
विदेशी मुद्रा प्रबंध विधेयक

अध्यक्ष महोदय : अब यह सभा मद संख्या 9 और 10 पर एक साथ चर्चा करेगी। इसके लिए चार घंटे का समय आबंटित किया गया है। श्री यशवंत सिन्हा।

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि धन–शोधन के निवारण और धन–शोधन से व्युत्पन्न या उसमें अंतर्वलित सम्पत्ति के अधिहरण और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

कि विदेशी व्यापार और संदायों को सुकर बनाने और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यस्थित विकास और अनुरक्षण का संप्रवर्तन करने के उद्देश्य से विदेशी मुद्रा से संबंधित विधि को समेकित और संशोधित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अपराह्न 4.16 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, 1973 ने प्रतिपूरक विनियम (जिसे हवाला के रूप में जाना जाता है) को अवैध बना दिया था। इसका मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना था कि कोई भी व्यक्ति गैर–सरकारी तरीकों से विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनियम का उल्लंघन नहीं करेगा। इसलिए धन शोधन के बजाए विदेश मुद्रा विनियमों के उल्लंघन पर जोर दिया गया था। धन शोधन, जबरन वसूली, देश द्रोह, नशीले पदार्थों की तस्कारी, हथियारों की तस्करी इत्यादि जैसे अपराधी तरीकों से हासिल की गयी राशि का शोधन देश की अखंडता तथा संप्रभुता तथा इसकी वित्तीय प्रणालियों को गंभीर खतरा पैदा करता है। देश और इसकी अर्थव्यवस्था के लिए आने वाले इस खतरे को विश्व भर में समझ लिया गया है तथा संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने सदस्य देशों को धन शोधन के खतरे को दूर करने के लिए विधायी और अन्य उपचारात्मक उपाय करने के लिए सदस्य देशों से कहा है। चूंकि भारत ऐसी कुछ संस्थाओं का सदस्य है इसलिए मामले की जांच करने और मसौदा कानून का सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया है उनकी रिपोर्ट के आधार पर कड़े दांडिक प्रावधानों वाला एक अलग विधान प्रस्तुत किया गया है इसके साथ ही पिछले आठ वर्षों के दौरान अपनाई गई उदारीकरण की नीतियों के अनुरूप विदेशी मुद्रा से संबंधित विधि को समेकित और संशोधित करने की भी आवश्यकता है। जबकि विदेशी मुद्रा प्रबंधन विधेयक विदेशी मुद्रा विधि के उल्लंघन को नागरिक दृष्टि से अत्यन्त गलत ठहराता है, धन शोधन विरोधी विधेयक के अंतर्गत किए गए अपराधों को आपराधिक माना गया है जिनके लिए कड़ी सजा की व्यवस्था है।

यह बात ध्यान में रखी जानी चाहिए कि धन–शोधन निवारण विधेयक, 1998 और विदेशी मुद्रा प्रबंधन विधेयक, 1998 को 12वीं लोक सभा में लाए गए थे और उसके बाद वित्त सम्बन्धी स्थायी समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों की जांच की जा चुकी है और वर्तमान विधेयकों में स्थायी समिति द्वारा किए गए कई सुझाव शामिल किए गए हैं।

अब मैं संक्षेप में धन शोधन निवारण विधेयक के बारे में बताऊंगा।

धन शोधन के अंतर्गत आने वाले अपराध केवल ऐसे अपराधों से होने वाले आगम से संबंधित होते हैं जिनका उल्लेख विधेयक की अनुसूची में किया गया है। वह गंभीर किस्म के अपराध हैं जो कि भारतीय दंड संहिता, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, आयुध अधिनियम और अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियिम के अंतर्गत आते हैं।

इस विधेयक में धन शोधन के अपराध के लिए तीन से सात वर्षों का कठोर कारावास और 5 लाख रुपए जुर्माना करने का प्रावधान है। स्वापक पदार्थों से संबंधित अपराधों के मामले में यह सजा दस वर्षों तथा जुर्माने की राशि 5 लाख रुपए तक बढ़ाई जा सकती है।

इस विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि धन शोधन में अन्तर्वलित सम्पत्ति को कुर्क भी किया जाए। इस विधेयक में अन्य आर्थिक विधेयकों के अंतर्गत दी जाने वाली शक्तियां जैसे सम्मन, सर्वेक्षण, खोज और जब्त करना आदि देने का प्रावधान भी है। इस विधेयक में बैंकों सहित वित्तीय संस्थाओं पर रिपोर्ट करने संबंधी कुछ दायित्वों का प्रावधान है। धन शोधन के अपराध संबंधी मुकदमों के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान भी किया गया है और उनके आदेशों पर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकेंगी। इस

विधेयक में अन्य देशों के साथ पारस्परिक कानूनी सहायता और प्रत्यर्पण कार्यवाही हेतु संधियां करने का प्रावधान है ताकि देश से बाहर धन शोधन में अतर्ग्रस्त धन का हस्तांतरण और विदेशों से दोषी व्यक्तियों के प्रत्यर्पण को सुगम बनाया जा सके।

महोदय अब मैं विदेशी मुद्रा प्रबन्ध विधेयक के बारे में संक्षेप में कुछ कहूंगा।

विदेशी अर्थव्यवस्था का साथ पारस्परिक क्रिया के लिए विदेशी विनिधानों और विदेशी व्यापार से संबंधित आर्थिक उदारीकरण की चल रही प्रक्रिया में 1991 से कतिपय संशोधन किए गए थे। इस सन्दर्भ में 1993 में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 की पुनरीक्षा की गयी थी और यह महसूस किया गया कि इस अधिनियम के बहुत से सीमितकारी प्रावधानों का संशोधन करने की आवश्यकता है। इसके अलावा इस अधिनियम की कुछ धाराओं की उपयोगिता नहीं रही है और इन्हें अधिनियम से हटाये जाने की आवश्यकता है। व्यापाक पुनरीक्षा के परिणामस्वरूप 1973 के अधिनियम को 1993 में संशोधित किया गया था।

इस समय विधि मंत्रालय ने सुझाव दिया था कि बेहतर तो यह होगा कि इस अधिनियम को निरसित किया जाए और नया विधान पुरःस्थापित किया जाए। तदनुसार भारतीय रिजर्व बैंक से नए सिरे से कार्य करने और एक नए विधान का सुझाव देने के लिए कहा गया था। इस प्रयोजन के लिए गठित कार्यदल ने 1994 में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में विद्यमान अधिनियम में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन करने की सिफारिश की। इसे अतिरिक्त बेहतर विदेशी मुद्रा भंडार भारत के विदेशी व्यापार में पर्याप्त बढ़ोत्तरी, सीमा शुल्क में निरन्तर कमी और समझौते के आई. एम. एफ. अनुच्छेदों के अनुच्छेद VIII के दायित्वों को निभाने का भारत का निर्णय जिसके कारण सभी चालू खातों से लेन–देन आसानी से किया जा सकता है आदि जैसे तीव्र विकास हुए हैं।

अतः इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 को निरस्त कर उसका स्थान लेना और विदेशी व्यापार और संदायों को सुकर बनाने और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास के संवर्धन और अनुरक्षण के उद्देश्य से विदेशी मुद्रा से संबंधित विधि को समेकित करना है।

मैं इन दो विधेयकों पर सभा द्वारा विचार किए जाने और पारित किए जाने की सिफारिश करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि धन–शोधन के निवारण और धन–शोधन से व्युत्पन्न या उसमें अंतर्वलित सम्पत्ति के अधिहरण और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

"कि विदेशी व्यापार और संदायों को सुकर बनाने और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और अनुरक्षण का संप्रवर्तन करने के उद्देश्य से विदेशी मुद्रा से संबंधित विधि को समेकित और संशोधित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

किसी सदस्य को अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए बुलाने से पूर्व मैं श्री वरकला राधाकृष्णन को अपने संशोधन रखने के लिए कहूंगा। उन्हें अपने संशोधन, प्रस्तुत करने दीजिए। मैं समझता हूं कि वह यहां उपस्थित हैं।

अब श्री पवन कुमार बंसल बोलेंगे।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, ये दो महत्त्वपूर्ण विधेयक अपेक्षाकृत कुछ विलम्ब से लाए गए हैं। विगत वर्षों में हम खिन्नता से इस बात को देखते रहे हैं कि मादक द्रव्यों और हथियारों के अवैध व्यापार से विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं को भारी नुकसान हुआ है, एक आकलन के अनुसार विश्व भर में प्रतिवर्ष पांच बिलियन डॉलर मूल्य के मादक द्रव्यों और सात सौ बिलियन डॉलर मूल्य के हथियारों का अवैध व्यापार होता है।

जहां तक मादक द्रव्यों के अवैध व्यापार का संबंध है, हम गोल्डन क्रीसेंट अर्थात अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान तथा गोल्डन ट्राइंगल जिसमें म्यांमार, लाओस और थाईलैंड शामिल है, के बारे में जानते हैं। दुर्भाग्यवश भारत मादक द्रव्यों के अवैध व्यापार के लिए पारगमन देश बन गया है और अवैध हथियारों का प्राप्तकर्ता बन गया है। हम पुरलिया में हथियारों को गिराए जाने के मामले के बारे में जानते हैं। इस मामले में बहुत कुछ नहीं पाया जा सका था। किंतु यह स्थिति की गंभीरता और समस्या की व्यापकता को दर्शाता है जिसका सामना विभिन्न देश, विशेष रूप से विकासशील देश, मादक द्रव्यों और हथियारों के अवैध व्यापार के कारण कर रहे हैं, अतः यह अत्यावश्यक था कि धन शोधन निवारण विधेयक जैसे विधान को संसद में लाया जाए। मैं इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूं क्योंकि हम हमेशा यही चाहते रहे हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था को अपराध और हमारे देश को अस्थिर करने के लिए इस गतिविधि से गलत ढंग से प्राप्त धन का प्रयोग कर बाहरी विरोधी शक्तियों के हमले से बचाने के लिए समय–समय पर उपाय किए गए हैं।

[श्री पवन कुंमार बंसल]

पंजाब का होने के कारण इस बात को नहीं भूला जा सकता है कि आतंकवादियों के साथ संबंध होने या आतंकवादियों को असानी से धन मिलने के कारण राज्य में एक दशक तक अस्थिरता, अनिश्चितता और असुरक्षा की भावना व्याप्त रही है।

जब हम धन–शोधन निवारण विधेयक जैसे विधान को विचार के लिए लेते हैं तो जो एक अन्य पहलू तुरंत ध्यान में आता है वह यह है कि अनुचित ढंग से प्राप्त धन, अपराध के जरिए प्राप्त धन का उपयोग विभिन्न तरीकों से किया जा रहा है, शायद जिनके बारे में हम जानते भी न हों। माननीय मंत्री ने विधेयक की अनुसूची में कतिपय अपराधों को बताया है जिन्हें वे जघन्य मानते हैं और उन पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मैंने अपने संशोधनों को करने में कुछ विलम्ब कर दिया जो सभा के समक्ष नहीं हैं। मैंने संशोधन इसलिए पेश नहीं किया कि मुझे अपराधों के इस वर्गीकरण से कुछ समस्या या कठिनाई है किंतु अपितु इसलिए पेश किया कि मैं इस सम्मानीय सभा के ध्यान में इस बात को लाना चाहता हूं कि यह मामला यहीं समाप्त नहीं हो जाता है। इस समस्या के प्रभाव व्यापक है और अपराध और धन अनेक तरहं से आपस में जुड़े हैं। केवल ये ही अपराध नहीं हैं जिनका यहां उल्लेख किया गया है। धन के लिए अन्य अपराध भी किए जाते हैं। निश्चित तौर पर यह तर्क दिया जा सकता है कि पासपोर्ट अधिनियम के उल्लंघन के मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम आदि के अन्तर्गत दंड दिया जा सकता है या कार्यवाही की जा सकती है। किंतु आज जब सूचना प्रौद्योगिकी का तेजी से विकास हो रहा तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि अपराध करने वाला व्यक्ति अपराध स्थल पर जाए। आज इन्टरनेट के माध्यम से भी वह अपराध किया जा सकता है। इसलिए हमें अभिनव प्रयोग करने होंगे। हमें उन सभी संभावनाओं को देखना होगा और उन सभी साधनों पर नजर रखनी होगी जिनका विकास अपराध जगत व विभिन्न माफिया गुट अपराध करने के लिए कर सकते हैं और उनके आगम से लाभान्वित होते हैं। चूंकि मैं विधेयक की भावना से सहमत हूं अतः मैं विधेयक या विधेयक के सिद्धांतों में विस्तार में जाने में अधिक समय नहीं लूंगा।

मैं विधेयक के कुछ उपबंधों के बारे में संक्षेप में कहूंगा और मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे मेरे संशोधनों पर विचार करें हालांकि उन्हें पेश करने में विलम्ब होने के कारण उन्हें औपचारिक रूप से परिचालित नहीं किया गया है।

सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि अनुसूचित अपराधों का लोप किया जाए। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस बात पर विचार करें कि क्या हत्या के अपराध को अनुसूची में शामिल किया जा सकता है, फिर मैं सोचता हूं कि ऐसे अन्य मामले भी हैं जहां पर आर्थिक प्राप्ति के लिए किया गया छोटे अपराध के बारे में भी हमारी ओर से उसी प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त की जानी चाहिए।

अतः कोई भी अपराध जिसे पैसे को ध्यान में रखकर किया जाता है और जो इस कारण पैदा होता है उसे इस विधेयक की व्याप्ति में सम्मिलित किया जाना चाहिए और इस संदर्भ में मैं माननीय मंत्री का ध्यान पुनः धन–शोध की परिभाषा की ओर आकर्षिक करता हूं, विधेयक की धारा 5 में प्रावधान है :

> "किसी व्यक्ति के कब्जे में अपराध से कोई आगम है;" यह ठीक है। फिर धारा 5 (1) (ख) में प्रावधान है;
>
> "ऐसा व्यक्ति अनुसूचित अपराध कारित करने के लिए आरोपित किया गया है।"

मेरे विचार से उसका लोप किया जाना चाहिए, फिर धारा 5 (1) (ग) में कहा गया है :

> "अपराध से ऐसे आगमों के छिपाए जाने के, अंतरित किए जाने या किसी ऐसी रीति में व्यवहार किए जाने की संभावना है जो इस अध्याय के अधीन अपराध से आगमों के अधिहरण से संबंधित किन्हीं कार्यवाहियों को व्यर्थ कर देगा।"

यदि संबंधित प्राधिकारी को कोई युक्ति युक्त संदेह या उसके पास उचित सूचना हो कि किसी व्यक्ति के कब्जे में अपराध से कोई आगम है और जैसा उपर्युक्त धारा 5(1) (ग) उल्लिखित कारण, ये दो कारण कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त हैं।

महोदय माननीय मंत्री ने कहा है कि इस सभा में जिस कानून का प्रस्ताव कर रहे वह सख्त कानून है। मैं सादरपूर्वक कहना चाहता हूं कि यह कानून सख्त कानून नहीं है। यह उस भयावह समस्या के निराकरण के अनुरूप नहीं है जिसका हम सामना कर रहे हैं। उदाहरणार्थ, ऐसा मामला भी हो सकता है जहां पर हम जानते हैं कि किसी विशेष स्थान पर हत्या हुई है। उस अपराध से कुछ धनराशि जुड़ी हुई है और वह राशि किसी अन्य स्थान से बरामद होती है क्योंकि संबंधित प्राधिकारियों को सूचना प्राप्त हुई है कि उक्त स्थान से इतनी धनराशि प्राप्त हो सकती है, अतः हत्यारे का सुराग ही नहीं मिलता या आपको वास्तव में उस व्यक्ति का पता नहीं चलता जो उस अपराध में दोषी है। यही नहीं; स्वापक औषधियों के मामले को ही लें, यहां भी धन वसूली हो सकती है किंतु वास्तविक अपराधी नहीं, जब तक हम इस खंड का लोप नहीं कर देते जिसमें प्रावधान है कि जब तक ऐसे व्यक्ति को उस अपराध में आरोपित नहीं किया गया हो तब तक उसकी संपत्ति की कुर्की नहीं की जा सकती है। अतः मेरा विचार है कि इस विधान को और सशक्त बनाने के लिए इसका लोप किया जाना चाहिए।

महोदय, जब मैं कहता हूं कि संबंधित प्राधिकारियों को कतिपय और शक्तियां दी जानी चाहिए और उनके हाथ उस विशेष व्यक्ति को भी उस अपराध के लिए आरोपित किया जाना चाहिए, जैसी अपेक्षाओं से नहीं बंधने चाहिए तो मेरा मानना है कि धारा 19 में जहां पर प्रावधान है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा किसी विशेष तरीके से निर्णय किया जाता है कि कुर्की की गई संपत्ति की अब कुर्की किए जाने की आवश्यकता नहीं है, तथापि एक प्रावधान बनाया गया है कि न्याय–निर्णायक प्राधिकारी—जो अर्द्धन्यायिक प्राधिकारी है तथा जिसमें वरिष्ठ अधिकारी हैं—निदेशक, संयुक्त निदेशक, सहायक निदेशक आदि को उस संपत्ति की निर्मुक्ति पर रोक की शक्ति दी गई है। मेरे विचार से यहां पर भी संशोधन की आवश्यकता है कि यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी मानती है कि वह संपत्ति अपील के निर्णय के लिए संगत है तो उस संपत्ति की निर्मुक्ति पर रोक की अनुमति न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ही देगा।

अब मैं अपील अधिकारण की संरचना से संबंधित उपबंध पर आता हूं यह भी कुछ तकनीकी पहलुओं वाला है।

आज जब न्यायालयों में मामलों का अम्बार लगा है और जब हम बात कर रहे हैं कि उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में मामलों की अधिकता के कारण न्यायिक सुधार आवश्यक हो गए हैं तो जहां तक नए विधानों का संबंध है हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि उनमें विहित प्रक्रिया सरल व प्रभावी हो।

मैं भी इस बात से सहमत हूं कि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील अपील अधिकरण में की जाएगी। किंतु फिर माननीय मंत्री ने उपबंध किया है कि अपील अधिकरण का अध्यक्ष वह व्यक्ति हो सकता है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा हो और अपील अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में की जाएगी।

मैं उन्हें यह सुझाव देना चाहूंगा कि जैसा कि हमारे यहां अन्य कई कानूनों में यह सामान्य बात है, अपील प्राधिकार केवल उन लोगों के पास होना चाहिए जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हों या बनने की योग्यता रखते हों।

मैं यहां एक गंभीर आपत्ति करना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्रीजी इस पर विचार करें। यह ऐसा पहला कानून है, जिसमें मैंने पाया कि यह विशेष खंड ऐसा है जिसमें "किसी व्यक्ति की योग्यता" वाक्यांश नहीं है अर्थात् उस अपील न्यायाधिकरण का कोई सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या इस समय है और वास्तव में उसके बाद ही विभिन्न अधिकारियों की बात आती है। न लिखे हुए शब्द इस प्रकार हैं :

"जो व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के योग्य हो।"

ऐसा अन्य कोई विधान नहीं है जहां ऐसा प्रावधान हो। आपके पास काफी संख्या में सक्षम विधिविशारद और वकील हैं, जो यह काम अच्छी तरह निभा सकते हैं। जिला न्यायाधीश और सत्र न्यायाधीश, जिन्होंने उल्लेखनीय काम किया है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्य हैं परंतु अधिनियम में इस प्रावधान के कारण उन्हें इस अपील न्यायाधिकरण का सदस्य नहीं नियुक्त किया जा सकता।

इसके बाद मामलों के शीघ्र निपटान के लिए मुझे एक और सुझाव देना है। मैं समझ सकता हूं कि प्रारंभिक अवस्था में जब अपील प्राधिकारी से न्यायिक प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील दायर करनी होती है, अगर सरकार को लगता है कि न्यायिक प्राधिकारी ने विधि के किसी विशेष प्रावधान पर ध्यान नहीं दिया या किसी मामले का निर्णय देने में कोई गलती की तो वह अपील प्राधिकारी से अपील कर सकती है। परंतु मेरा यह विनम्र निवेदन है कि उच्च न्यायालय में फिर से अपील करने के सरकार के इस अधिकार को सीमित किया जाना चाहिए। जो संशोधन मैंने प्रस्तुत किया है, वह बहुद्देश्यीय है कि राज्य को अपील दायर करने का कोई अधिकारी नहीं होना चाहिए। अगर इस पर फिर से विचार किया जाए तो मुझे लगता है कि कानून के प्रश्न पर अगर उच्च न्यायालय में कोई अपील करनी हो तो यह अच्छी बात है। परंतु वास्तविकता यह है कि सरकार को एक साधारण मुकदमा लड़ने वाले व्यक्ति के रूप में काम करना होता है जो मुकदमे के हर चरण पर अपील दायर करता है या संशोधन करता है, इससे हम इस मामले के निर्णय तक नहीं पहुंच सकते। यह मुद्दा लंबे समय तक चलता रहेगा। अंत में हमें उसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा जो आज न्यायालयों में है। जैसा कि मैंने इस माननीय सभा में कहा है कि उच्च न्यायालयों में पहले से ही काम का काफी बोझ है। इसलिए, हमें उच्च न्यायालयों को इस प्रकार के अतिरिक्त कामों से मुक्त रखना चाहिए।

ये मामले न्यायिक प्राधिकारियों और अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा अच्छी तरह निपटाए जा सकते हैं।...*(व्यवधान)* मैं इस अधिनियम द्वारा दिए गए अधिकारों की बात कर रहा हूं। संसद संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के अधिकार अर्थात समादेश अधिकार को सीमित नहीं कर सकती। अन्य सभी शक्तियां संविधि प्रदत्त हैं। यह किसी विशेष विधि पर निर्भर है कि उच्च न्यायालयों को कोई विशेष शक्ति दी जाए या नहीं या किसी प्राधिकरण को अपीलीय प्राधिकारी निर्धारित किया जाए। इसलिए मैं समझता हूं कि अपील दायर करने के मामले में सरकार की शक्तियां अपील के अधिकार तक सीमित होनी चाहिए।

महोदय, जब मैंने इस मामले में अपना विरोध प्रकट करना शुरू

[श्री पवन कुमार बंसल]

किया था तो मैंने बहुत संक्षेप में उस धन की बात की थी जो गरीब लोगों का खून चूसकर कमाया गया है। इसीलिए कुछ निश्चित अपराधों का पता लगाने के लिए या धन शोधन को रोकने की कोशिश करने के लिए बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों की सहायता प्राप्त करने का प्रयास ठीक ही किया गया है। परंतु मैं समझता हूं कि हमें इस पर गहराई से सोचना चाहिए कि बैंक अपने कामों में पूर्ण पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित करेंगे। हम जानते हैं कि अपराध ऐसे स्थानों में होता है जहां धन का लेन–देन अधिक होता है।

यह देखने के लिए क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं कि निदेशालय को बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और विचौलियों के माध्यम से नियमित रूप से सूचना कैसे मिलेगी? जब मैं बिचौलियों की बात करता हूं तो मैं देखता हूं कि विधेयक में इस शब्द की परिभाषा में प्रापर्टी डीलर शब्द का लोप है–इस प्रकार खंड से थोड़ा बहुत भटकाव हो सकता है परंतु जहां तक धन शोधन का संबंध है यह बिल्कुल संगत है। हम जानते हैं कि अधिकांशतः उल्टे सीधे धन्धों से कमाया गया धन अर्थात जो धन अपराध से जुड़ा होता है जमीन जायदाद खरीदने में लगाया जाता है, कुछ वर्ष पहले मैंने देखा कि जमीन जायदाद की कीमतों में बहुत वृद्धि हुई है। हमारे पास स्थिति से निपटने के लिए आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कानून है लेकिन साथ ही हम जानते हैं कि कितनी आसानी से उन कानूनों का उल्लंघन किया जाता है और पंजीकरण उद्देश्यों के लिए जमीन जायदाद के मूल्यों को किस प्रकार कम करके दिखाया जाता है। साथ ही दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे महानगरों में जायदाद के हस्तान्तरण से संबंधित कानूनों में सुधारों को न लाने के प्रति सरकार के दुराग्रह के कारण अधिकतर जमीन जायदादें "पॉवर ऑफ आटार्नी" पर बार–बार बेची जा रही हैं। भारी मात्रा में धन को अपराध मार्ग से मिल रहा है, का उपयोग किया जाता है। प्रापर्टी डीलर को काफी कठिनाई होगी और किन्तु यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसा नहीं हो, हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वह उस सूचना को निदोशालय को भेजेगा जो इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित वित्तीय संस्थाओं बैंकों और मध्यस्थों आदि द्वारा दी जानी सुनिश्चित हुई है उसे भी भेजेगा।

महोदय एक अन्य बात जो यहां अत्यन्त प्रासंगिक है वह यह है कि हवाला मामलों के अलावा विदेशों में रह रहे लोगों के द्वारा अपनाई जा रही सामान्य प्रक्रिया है, के रूप में ऐसा ही धन उस प्रकार से अन्तरित किया जा रहा है। धन का प्रयोग करने का अन्य चतुराईपूर्ण तरीका सामान्य निर्यात के बीजक बढ़ा–चढ़ाकर बनाना है। हाल ही में दो उदाहरण मिले हैं जिससे इस प्रकार की प्रक्रिया का भंडाफोड़ हुआ। समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार के आधार पर मिली *जानकारी के आधार पर पहला मामला था हमारे देश से बड़ी मात्रा* में फाऊंटेन पैन का निर्यात, वास्तव में जबकि कोई निर्यात नहीं किया गया था। अन्य मामला रूस को निर्यात की जा रही नेलपालिश का था। इसमें भी बीजक बढ़ा–चढ़ाकर बनाए गए थे। मैं नहीं जानता क्या मार्ग रहा होगा लेकिन यह अवश्य है कि जब सामान्य निर्यातों में बीजक बढ़ा–चढ़ाकर बताये जाते हैं तो उस तरीके से धन शोधन किया जाता है जिसका संबंध अपराध से है। ऐसी बातों को रोका जाना चाहिए और कमियों को दूर किया जाना चाहिए। यही कारण है कि मैंने कहा था कि जिस स्थिति को हम झेल रहे हैं उसकी व्यापकता से निपटने के लिए कतिपय अपराधों को अनुसूची में गिना देना ही काफी न होगा।

महोदय, जहां तक उस समस्या का सवाल है जिससे हम निपटना चाहते हैं वे दोनों विधेयक जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं काफी हद तक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बदलते हुए आर्थिक परिपेक्ष्य में चालू उदारीकरण प्रक्रिया में 'फेरा' जिसे आज हम कह सकते हैं कि वह काफी कठोर था के स्थान पर विदेशी मुद्रा प्रबन्धन विधेयक जैसा उदार कानून लाने की आवश्यकता है यह विधेयक उस समय देश में विद्यमान स्थिति से निपटने के लिए बनाया गया था हमारे बदलते हुए और गतिशील समाज में सदा वही कानून नहीं रह सकते। कानून संसद में जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से व्यक्त की गई जनता की इच्छाशक्ति की अभिव्यक्ति है।

अपराह्न 4.47 को

(श्री बसुदेव आचार्य *पीठासीन हुए)*

इसलिए आज नए आर्थिक परिपेक्ष्य में विदेशी मुद्रा प्रबन्धन विधेयक जो कि आज हमारे समक्ष है, की आवश्यकता पड़ी है। लेकिन महोदय, मैं यहां पुनः कुछ संशोधन देने के लिए, यदि माननीय मंत्रीजी उन पर विचार करें, खड़ा हुआ हूं।

मैं समझता हूं कि विशेष निदेशक (अपील) का पद बिल्कुल समाप्त कर दिया जाना चाहिए। मैंने यहां देखा है कि यदि न्याय निर्णयन प्राधिकारी किसी विशेष रैंक से नीचे का होता है तो अपील विशेष निदेशक (अपील) के पास जाएगी, और विशेष निदेशक (अपील) के आदेश के खिलाफ अपीलीय प्राधिकरण को अपील की जाएगी और जैसाकि अन्य अधिनियम में है, अपीलीय प्राधिकरण के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी। इस प्रकार तीन तरह की अपील हैं। इसके पश्चात् निश्चय ही उच्चतम न्यायालय में विशेष याचिका आदि हैं। आप प्रक्रिया का विस्तार किस सीमा तक कर सकते हैं। मैं समझता हूं–यह मेरा विनम्र अनुरोध है–इसमें प्रावधान होना चाहिए कि विनिर्णय अधिकारी ऐसा अधिकारी हो जो किसी खास रैंक से नीचे का न हो और उसके पश्चात् सभी मामलों में अपील सीधी अपीलीय प्राधिकरण के पास जानी चाहिए और उसके पश्चात् वही

प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। निःसन्देह जैसा मैंने पहले सुझाव दिया था केन्द्रीय सरकार के मामले में अपीली अधिकरण के निर्णय के साथ ही अपील करने का अधिकार समाप्त हो जाना चाहिए। क्योंकि उस सीमा तक यह सरकार के लिए अच्छा है। तत्पश्चात् अगर कोई व्यक्ति यह अनुभव करता है कि उक्त आदेश से उसके साथ अन्याय हुआ है, वह इसके लिए उच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है यह न सिर्फ मुकदमे की अवधि को कम करेगा, साथ ही इससे मुकदमे पर होने वाले व्यय में भी कमी आएगी आज जबकि सरकार भी बचनबद्ध है, हम सभी वचनबद्ध हैं, हम सब यह चाहते हैं—लोगों की आम भावना भी यही है—कि आज इस बात की आवश्यकता है कि सरकार के आकार को छोटा किया जाए इन सभी उपायों के माध्यम से जो कि कल्याणकारी अभिलक्षित उपाय हैं, हम अनजाने में ही सरकारी व्यवस्था का विस्तार किए जा रहे हैं।

फिर से धन शोधन निवारण विधेयक में प्राधिकार शब्द की व्याख्या, मुझे लगता है नहीं की गई है। बाद में धारा 47, 48 और 52 यह उपबन्ध है कि सरकार अधिकारी वर्ग की नियुक्ति कर सकती है अब अन्य विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत अधिकारियों की एक लंबी सूची है जिन्हें इस अधिनियम के अंतर्गत उक्त प्राधिकारी वर्ग सहायता के लिए बुलाया जा सकता है। कार्यवाही के दौरान इससे कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं क्योंकि आप यही कहते हैं कि एतद्द्वारा पुलिस अधिकारियों को ही शक्ति प्रदान की जाती है। मेरे विचार से यह कार्य को करने का तरीका नहीं है। मेरा निवेदन यही है कि आप कह सकते हैं, हालांकि यह एक छोटा–सा संशोधन है इन अधिकारियों को शक्ति प्राप्त है इन सब बातों का उपबन्ध करने के बाद अन्ततः आप फिर कहते हैं कि "सरकार जिसे भी नियुक्त करें" हम यह नहीं जानते कि विभिन्न विभागों से लिए गए विभिन्न अधिकारियों को सौंपे गए कार्य की प्रकृति क्या होगी उसकी सीमा क्या होगी। जब हम दोनों विधेयकों को चर्चा के लिए एक साथ ले रहे हैं तो मैं सोचता हूं कि यह उचित होता अगर सरकार इस समस्या के प्रति समन्वित दृष्टिकोण अपनाती। इसका कारण यह है कि जैसा कि मैंने कहा है कि इनके बीच थोड़ा सा परस्पर संबंध है क्योंकि कतिपय अपराध सीमा की दूसरी तरफ से हो रहे हैं धन का अन्तर्बहाव हो सकता है। पैसे का उपयोग हमारे देश में अपराध को उकसाने और कतिपय गतिविधियों को शुरू करने व भड़काने के लिए किया जा सकता है अगर इस समस्या के प्रति एक समन्वित दृष्टिकोण हो और हमारे पास एक ही कानून हो तो इससे प्राधिकारियों की बहुविधता पर कुछ सीमा तक रोक लगाई जा सकती है। न्यायनिर्णायक प्राधिकारी की यह शक्तियां उन्हीं लोगों को और बाद में अपीली अधिकरण को भी दी जा सकेंगी।

जब मैं अपीली अधिकरण की बात करता हूं तो इसमें पुनः एक छोटा–सा संशोधन करने का सुझाव देना चाहता हूं। इसमें कहा गया है कि अपीली प्राधिकरण में एक चेयरमैन और दो अन्य सदस्य होंगे। मैं समझता हूं कि इसमें चेयरमैन और दो या अधिक सदस्य हों क्योंकि तदन्तर आपने विभिन्न न्यायपीठों के बारे में कहा है। न्यायपीठ अपील अधिकरण का स्वयं ही अभिन्न अंग होंगे क्योंकि चेयरमैन को इन लोगों के एक सथान से दूसरे स्थान पर तबादला करने या न्यायपीठों को अयुक्त मामलों के निपटाने के लिए निर्धारित करने का अधिकार होगा कतिपय मामलों में वह अपीली अधिकरण के दो सदस्यों से मामलों को निपटाने के लिए भी कह सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री पवन कुमार बंसल अब आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री पवन कुमार बंसल : चेयरमैन महोदय, सदस्यों को अकेले या दो सदस्यों की पीठ के साथ मिलकर मामले निपटाने के लिए कह सकता है। मुझे वित्तीय ज्ञापन से यह पता चला है कि सरकार का प्रस्ताव इस तरह की न्यायपीठों की स्थापना तीन स्थानों पर करने का है। यह अपने आप में विरोधाभास है। इसलिए मैं सोचता हूं कि अगर अधिनियम में इस बात का उपबन्ध किया होता कि अपीली प्राधिकरण में एक चेयरमैन व एक या अधिक सदस्य होंगे तो यह इस परिस्थिति से निपटा जा सकता था।

अंततः अपना भाषण समाप्त करने के लिए आपके आदेश को मानते हुए मैं इन दो विधेयकों का समर्थन करता हूं इसके साथ ही मैं सरकार को भी सतर्क करना चाहता हूं कि वह भी इस मामले में आत्मसंतुष्ट न रहें। धन–शोधन की समस्या बहुत गंभीर है जैसा कि मंत्री महोदय ने अपने भाषण के प्रारंभ में और अपने उद्देश्यों और कारणों के अपने कथन में भी कहा है यह धन न सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक है बल्कि इसके साथ–साथ यह हमारे समाज को ही अस्थिरता की ओर ले जा रहा है। यह हमारी राजनीतिक व्यवस्था में भी हस्तक्षेप करता है। यह हमारे देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता के लिए भी खतरा है। जैसा कि मैंने कहा है, भारत केवल इसमें बाहक बनकर रह गया है। इसी कारण कौन–सी योजना बनाई जाए, जब कोई विशिष्ट नशीला पदार्थ मान लीजिए दक्षिणी अमेरिका या गोल्डन क्रिसेंट या गोल्डन ट्राइंगल से अपनी यात्रा आरंभ करता है जिसका उल्लेख मैंने किया है, यह नशीला पदार्थ जो यूरोप और अमेरिका में प्रवेश से पहले वह यहां की अर्थव्यवस्था पर क्या तबाही मचा सकता है, ये वह मुद्दे हैं जिन पर हमें बार–बार मनन करना है और हमेशा सर्तक रहना है। आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा) : सभापति महोदय, मैं विदेशी मुद्रा प्रबंध विधेयक के पक्ष में खड़ा हूं, और निःसंदेह अनिच्छा से, धनशोधन–निवारण विधेयक के पक्ष में।

किसी भी तरह मैं यह नहीं समझ सकता कि विदेशी मुद्रा प्रबंध

[श्री अनादि साहू]

विधेयक और धन शोधन निवारण विधेयक केवल कुछ उपबन्धों जैसे खंड 11, 13 और 14 को छोड़कर जिनमें यह अनुमान लगाया जाता है कि शायद पैसा धन का शोधन हो रहा है और इसका विदेशी व्यक्तियों द्वारा प्रयोग किया जा रहा है, एक साथ कैसे चल सकते हैं ?

मैं विदेशी मुद्रा प्रबंध विधेयक से प्रारंभ करता हूं, विदेशी मुद्रा प्रबंध विधेयक पर शुरू करने से पहले मैं आपकी आज्ञा से उमर खय्याम की एक रुबाइ प्रस्तुत करता हूं :

"बिफोर द फंन्टम ऑफ फाल्स मॉरनिंग डाइड,

मी थॉट अ वाइस बिदइन द टेवरन क्राइड,

"वेन आल द टेम्पल इज प्रिपयरड बिदइन,

वाइ नोड्स द ड्रावजी वरशीपर आउट साइड ?"

हम नई सहस्राब्दी के ऊषाकाल में प्रवेश कर रहे हैं। नई सहस्राब्दी ऐसी है, जो दृष्टिकोण में व्यवहार, व्यापार, वाणिज्य में उदारीकरण की ओर ले जा रही है। इसीलिए जब हम नई सुबह की कल्पना करते हैं, शराबखाने के बाहर लड़खड़ाता व्यक्ति ऊंघता हुआ न महसूस करें, वह सामने आए और सक्रिय होकर, शुरू होने वाली नई कार्य की प्रणाली में भाग लें।

महोदय, 1947 में विदेशी मुद्रा विनियमन विधेयक बनाया गया था क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार वह कुछ अन्य कठिनाइयां पैदा हो गई थीं। वह व्यक्ति मैं नहीं जानता कौन है। श्री एस. पी. जैन की आत्मा आकाश में छटपटा रही होगी क्योंकि उनके ऊपर डच बैंक में लगभग 19,000 रुपए रखने के कारण 55 लाख रुपए का दंड लगाया गया था। इसका कारण था विदेशी मुद्रा विनियम विधेयक। 1973 में कानून आयोग की सलाह और विद्यमान आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, विदेशी मुद्रा विनियम विधेयक में कठोर उपबन्ध किए गए। उस समय विदेशी मुद्रा भंडार में कठिनाई व अन्य निहित कठिनाइयों को देखते हुए यह आवश्यक था। अब परिस्थितियां बदल गई हैं, अब हम उदारीकरण की ओर बड़े पैमाने पर बढ़े जा रहे हैं। इसी कारण से आज विदेशी मुद्रा प्रबंध विधेयक की आवश्यकता है।

अपाराधिक रंग में रंगा कोई भी विनियामक कार्य व्यक्ति की आत्मा को कचोटेगा और विनियामक कार्य लोगों के लिए समस्याएं पैदा करेंगे। लैटिन में कहा गया है, 'सुम्मम जस सुम्भा इंजूरिया' जिसका तात्पर्य कि विधानों और विनियामकों की अधिकता से व्यक्ति के लिए समस्याएं पैदा होती हैं।

यह अच्छा है कि सरकार एक नया विधेयक लाई है जिसमें विदेशी मुद्रा का प्रबंधन किया जाएगा और जब आप इसका प्रबंधन कर रहे हैं तो आपसी सहयोग होना चाहिए, इसका आधार आदान–प्रदान होना चाहिए और विश्वास होना चाहिए कि हम साथ–साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं।

मेरे पूर्व बोलने वाले मेरे मित्र अपील के विभिन्न चरणों और संबंधित मामलों के बारे में बोल रहे थे। चूंकि हम विदेशी मुद्रा का प्रबंधन कर रहे हैं तो यह प्रबंधन व्यापक आधार पर होना चाहिए। इसीलिए उदार प्रबंधन, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) लाया गया है, वर्तमान में हमारे यहां विदेशी मुद्रा भंडार काफी है जिसके बारे में माननीय वित्त मंत्री ने कल ही बताया है। नई निवेश नीति बनाई गई है और जब नई निवेश नीति बनाई गई है तो उदार दृष्टिकोण अपनाना होगा। इसीलिए फेमा में कई बातों के संबंध में परिवर्तन किया गया है। उनके बारे में उन्होंने विस्तार से प्रकाश डाला है। मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं, किंतु फेमा में भी फेरा के कुछ उपबंधों को शामिल किया गया है, किंतु कड़े उपबंधों को इस दृष्टि से नरम बनाया गया है कि विदेशी मुद्रा का बेहतर प्रबंधन हो दंडात्मक उपबंधों को नरम बनाया गया है। यह बहुत अच्छा किया गया क्योंकि जो व्यक्ति फेरा कानून का उल्लंघन कर रहा था और वे सब बातें इसमें शामिल थीं तथा इसमें अत्यधिक दंड का प्रावधान था। जब कोई व्यापार किया जा रहा हो तो कुछ आपराधिक कार्य या सिविल कानूनों का उल्लंघन आदि हो सकता है। किंतु जब व्यापारिक नियम–कायदों आदि का थोड़ा सा उल्लंघन हो तो सख्त रवैया नहीं अपनाया जाना चाहिए। इसीलिए दंडात्मक उपबंधों का लोप कर दिया गया है और आपराधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

अपराह्न 5.00 बजे

फेमा में यह सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उपबंध शामिल किया गया है। सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है जुर्माना लगाने से पूर्व न्याय निर्णयन की प्रक्रिया। चूंकि न्याय निर्णयन की प्रक्रिया का प्रावधान है इसीलिए यह व्यवस्था है। और जब न्याय निर्णयन की प्रक्रिया का प्रावधान है तो न्याय निर्णयन अपीलीय मामले इस मायने में विभिन्न चरणों में साथ–साथ चल सकते हैं कि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, अपील अधिकरण और विशेष अपील अधिकरण उसमें शामिल व्यक्तियों को सहायता करने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण अपना सकते हैं और उन्हें अपना धन रखने की अनुमति दे सकते हैं। किंतु कुछ उपबंध काफी उदारता से बनाए गए हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान उन उपबंधों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जो काफी उदार हैं। धारा 19 का दूसरा परन्तुक कहता है :

"परन्तु यह और कि जहां किसी विशिष्ट मामले में अपील अधिकरण की यह राय है कि ऐसी शास्ति का जमा किया जाना ऐसे व्यक्ति को सम्यक् कठिनाई पैदा करेगा, वहां अपील अधिकरण ऐसे

जमा करने को, ऐसी शर्तों के अधीन, जिन्हें वह शास्ति की वसूली को सुरक्षित करने के लिए अधिरोपित करना उचित समझे, अभियुक्त कर सकेगा।"

मैं नहीं जानता कि जब उन्हें धन ले जाने की अनुमति दी जायेगी तो वे जुर्माने की वसूली को सुरक्षित कैसे कर पाएंगे, कुछ अन्य उपबंध भी काफी उदार हैं। मेरे विचार से इस अधिनियम को अंतिम रूप देने से पूर्व उन पर विचार किया जाना चाहिए।

धारा 40 में काफी उदार दृष्टिकोण अपनाया गया है, केन्द्र सरकार को यह अनिवार्य बनाने की शक्तियां दी गई हैं कि इस अधिनियम द्वारा अनुदत्त कोई संरक्षण या अधिरोपित किसी निर्बंधन को अनुदत्त या अधिरोपित किया जाना समाप्त किया जाए। यह केन्द्र सरकार द्वारा अपनाया गया बहुत उदार दृष्टकोण है और अधिसूचना द्वारा कुछ समय के लिए कई उपबंधों के प्रवर्तन पर रोक लगाई जा सकती है। यह समय, व्यापार, विदेशी व्यापार और और निवेश की आवश्यकताओं के अनुरूप है। प्रतिदिन वातावरण बदल रहा है अतः इस अधिनियम में ऐसा उपबंध करना आवश्यक है। यह हास्यास्पद लग सकता है किंतु यह नितांत आवश्यक है और यह बाद में सही साबित हो सकता है।

इन तथ्यों को मद्देनजर मेरा कहना है कि यहां लाया गया यह विधेयक बहुत अच्छा विधेयक है। मैंने इस फेमा विधेयक के बारे में बहुत संक्षेप में कहा है और मैं इसका समर्थन करता हूं।

किंतु जहां तक धन–शोधन निवारण विधेयक का संबंध है यह बहुत ही विशिष्ट विधान अधिनियमित किया जा रहा है। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 2) को मिलाया जा रहा है। मैं नहीं जानता कि सिविल प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों को एक साथ कैसे मिलाया जा सकता है ओर धन–शोधन निवारण विधेयक को सशक्त बनाया जा सकता है या इससे यह जटिल नहीं बनेगा। जहां तक मैं समझता हूं धन–शोधन निवारण विधेयक में पहली बात यह है कि किया गया अपराध अनुसूची में वर्णित अपराधों में से एक है। अनुसूची के भाग एक का संबंध भारतीय दंड संहिता के अधीन अपराधों से है, भाग 2 का संबंध अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम के अधीन अपराधों से; भाग 3 का संबंध आयुध अधिनियम के अधीन अपराधों; भाग 4 का स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अधीन अपराधों व भाग 5 का भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन अपराधों से है। अब अपराध किए जाने पर आरोप पत्र दाखिल करना होगा धन–शोधन निवारण विधेयक का यह आशय है। विधेयक की धारा 16 में कहा गया है :

"परन्तु ऐसी कोई तलाशी निम्नलिखित के अधीन किसी अपराध के संबंध में तब तक नहीं ली जाएगी जब तक कि–

(क) अनुसूची के भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 5 के अधीन दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 173 के अधीन मजिस्ट्रेट को एक रिपोर्ट नहीं भेजी गई है, या

(ख) अनुसूची के भाग 4 के अधीन स्वापक औषधि और मनः प्रभावी प्रदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 36 की उपधारा (1) के अधीन गठित विशेष न्यायालय द्वारा किसी अपराध का संज्ञान लेने के लिए कोई पुलिस रिपोर्ट या परिवाद फाइल नहीं कर दिया गया है।"

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम में बहुत कड़े दंड का प्रावधान है और विधेयक में बहुत सी शर्तों को पूरा करना आवश्यक बताया गया है किंतु अन्य एजेंसियों की तुलना में इस अधिनियम में जांच प्रक्रिया बहुत सरल है, किंतु जहां तक स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अधीन पुलिस जांच का संबंध है यह काफी थकाऊ है। इसीलिए कई लोग हमेशा प्रयास करते हैं कि अपराध स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अधीन अभ्यारोपित हो या आरोप पुलिसकर्मियों से भिन्न व्यक्तियों द्वारा निर्धारित किए जाएं।

पुलिसकर्मी को रिपोर्ट पहले मजिस्ट्रेट को भेजनी पड़ती है और वह लिखित बयान नहीं ले सकता है इत्यादि। स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अधीन पुलिसकर्मियों से अन्य एजेंसियां बेहतर कार्य करती हैं। किंतु पहला कार्य यह है कि आरोप पत्र प्रस्तुत किया जाए।

तभी अन्य प्राधिकारी हरकत में आएंगे। धारा 15 में अनेक अन्य बातें शामिल हैं। इसमें यह भी कहा गया है :

"जहां का सुझाया गया हो कि प्राधिकारी उस स्थान में उपस्थित किसी ऐसे व्यक्ति का कथन अभिलिखित कर सकेगा, जो इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के लिए उपयोगी या उससे सुसंगत हो।" इसमें कहा गया है "उनका कथन अभिलिखित करेगा।" कुछ स्थानों पर कहा गया है कि अभिग्रहण किया जाएगा। कुछ स्थानों पर कहा गया है कि सूची बनाई जाएगी। अधिनियम में यह ऐसी बातें हैं जो कार्यवाही करते समय कठिनाई पैदा करेंगी। अब जब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अधीन आरोप पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो धारा 15 में प्रावधान है कि प्राधिकारी सर्वेक्षण करेंगे और फिर लिखित में प्रविष्टि तलाशी और अधिग्रहण के लिए आदेश देगा। दंड प्रक्रिया की धारा 173 के अधीन आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने पर तलाशी अभिग्रहण आदि कार्य पूरे हो जाते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 170 के अधीन किसी व्यक्ति को अभिरक्षा में प्रतिप्रेषित किया जाता है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अधीन पुलिस स्टेशन

[श्री अनादि साहू]

का प्रभारी अधिकारी, या जांच अधिकारी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की सहमति से लिखता है कि वे व्यक्ति कौन हैं जिसे अभ्यारोपित किया गया है जैसा कि श्री राजीव गांधी के मामले में हुआ था जिसने काफी बवंडर मचा दिया है।

आरोप पत्र प्रस्तुत करने व अभिलेखों के अभिग्रहण के बाद स्वयं प्राधिकारी के लिए धारा 15 के अधीन कार्य करना कैसे संभव है जो बाद की अवस्था में काफी अव्यवस्था पैदा करेगा। इससे दोहरा खतरा हो सकता है। इसीलिए मैंने दंड प्रक्रिया संहिता और सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों को मिलाने के बारे में कहा है जो समस्या पैदा करेगा।

अब विशेष न्यायालय के विषय पर आते हैं। मैं नहीं जानता कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अधीन गठित विशेष न्यायालय भी वैसे ही होंगे जैसे इस धन–शोधन निवारण विधेयक के अधीन गठित विशेष न्यायालय होगा। यदि इस प्रयोजन के लिए अलग न्यायालय हो और यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम या अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम के अधीन ही विचारण किया गया हो और यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी विशेष प्रक्रिया के साथ विशेष न्यायालय द्वारा विचारण किया जाता है और बाद में उसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधोन विचारण किया जाता है तो संभव है इसमें विरोध और कठिनाइयां आई हैं जैसा मेरे माननीय मित्र कह रहे थे कि हो सकता है कि आरंभिक अवस्था में ये न्यायालय प्रभारी रहे हों। किंतु बाद में आई विकृतियों के कारण ये प्रभावी न रह पाए हों। यह सबसे महत्त्वपूर्ण बात है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

वित्त संबंधी स्थायी समिति ने कुछ सुझाव दिए थे। मैं नहीं जानता क्यों, किंतु सरकार ने स्थायी समिति के कई सुझावों को विधेयक में शामिल करना उचित नहीं समझा। मेरी विनम्र राय में इस विधेयक की अनुसूची 2 में अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम के अधीन अपराधों को रखने की क्या आवश्यकता है ?

अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम का अंतिम खंड कहता है : "अभिरक्षा में के व्यक्ति को बिलुब्ध करना।" मैं नहीं जानता कि धन–शोधन के मामले में यह किस प्रकार सहायता करेगा क्योंकि 30 वर्ष की पुलिस सेवा में मेरा ऐसा कोई अनुभव नहीं रहा। मुझे अभिरक्षित व्यक्ति को बिलुब्ध करने धन–शोधन के मामलों का अनुभव नहीं है। हो सकता है यत्र–तत्र कुछ मामले हों। किंतु इसमें खतरा निहित है। किसी प्राधिकारी को गिरफ्तार करने की अनुमति दी गई। देश का कानून कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो गिरफ्तार किया गया हो, *अधिकांश मामलों में उसे यदि समय व अन्य बातें हों तो पुलिस स्टेशन या मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाए।* इस अधिनियम के अनुसार उक्त व्यक्ति को पुलिस स्टेशन में पेश करने के बजाए उसे गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति कुछ समय के लिए रख सकता है। यह सरकार के लिए समस्या पैदा करेगा। यह उपबंध किया जाना चाहिए कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया हो उसे जेल भेजा जाए और यदि यह संभव न हो तो इउसे अस्थायी तौर पर पुलिस स्टेशन में रखा जाए, इस तरह जवाबदेही बनी रहेगी। अन्यथा हो सकता है धन शोधक अपने तरीके से संबंधित प्राधिकारियों को कुछ धन रिश्वत में दे सकता है और हम उस स्थिति में कुछ भी न कर पाएं और वह आसानी से बच निकले।

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम्) : आप इसे बेहतर ढंग से जानते हैं।

श्री अनादि साहू : इसीलिए मैं अपने अनुभव से यह सब बातें कह रहा हूं।

सभापति महोदय : श्री साहू जी, कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री अनादि साहू : मैं केवल दो मिनट का समय लूंगा। आप आदेश दे चुके हैं, मैं बैठ जाऊंगा।

इसलिए जब हम धन–शोधन निवारण विधेयक के बारे में सोच रहे हैं तो हमें इन सभी उपबन्धों के बारे में सोचना होगा। हम धन–शोधन करने वाले व्यक्ति से क्षतिपूर्ति और धन लेने के लिए अपराध दण्ड संहिता की धारा 357 कां सहारा ले सकते थे। इसके लिए एक विशेष विधेयक लाने की क्या आवश्यकता है ? फिर भी, अगर विशेष विधेयक लाया ही जा चुका है तो धन शोधन निवारण विधेयक के अधिनियम बनने से पहले इन सभी बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

श्री मोइनुल हसन (मुर्शिदाबाद) : माननीय सभापति महोदय, मैं फिर से उन दोनों विधेयकों का विरोध कर रहा हूं जिन पर इस समय चर्चा हो रही है क्योंकि मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि देश के प्रति मेरा यह कर्त्तव्य है। विधेयक का विरोध करते हुए मैं कुछ कहना चाहूंगा।

पहला, 'फेमा' की पृष्ठभूमि क्या है ? मेरा ख्याल है कि माननीय वित्त मंत्री ने विधेयक को पुरःस्थापित करते समय तथा अन्य स्थानों पर कहा था कि विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति काफी अच्छी है। हम जानते हैं कि हमारे देश में विदेशी मुद्रा भंडार में 34 बिलियन डॉलर से अधिक मुद्रा का है।

सभापति महोदय, अगर हम भारतीय विदेशी खाते की स्थिति की संवीक्षा करें तो हम क्या पाएंगे ? मैं इस स्थिति के विस्तार में जाना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि विदेशी मुद्रा खाते के दो पक्ष हैं, एक दृश्य

और दूसरा अदृश्य। हमारे विदेशी खाते के दो पक्ष हैं। जहां तक दृश्य पक्ष का संबंध है इसके अंतर्गत व्यापार खाता आता है। व्यापार खाता निर्यात और आयात से संबंधित खाता होता है अर्थात आयात रहित निर्यात या निर्यात रहित आयात। हमारे माननीय वित्त मंत्री अच्छी तरह जानते हैं कि जहां तक व्यापार खाते की स्थिति का संबंध है इसमें पिछले दशक के दौरान कमी आती रही है।

इस विधेयक की पुरःस्थापना का विरोध करते समय मैंने एक आंकड़े का उल्लेख किया था। संभवतः उसी कारण से माननीय वित्त मंत्री ने मेरी बात को गलत समझ लिया था। वह आंकड़ा यह था कि 1996–97 में इस खाते में लगभग 12.5 बिलियन डॉलर का घाटा था। वर्ष 1996–97 में वह हमारे सकल घरेलू उत्पाद का 3.5 प्रतिशत था। माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि अब यह काफी कम है, लगभग 1 प्रतिशत या 1.5 प्रतिशत। मैं यह भी मानता हूं। अगर हम इसे पूरी तरह से देखें तो अब इसकी स्थिति क्या है ? 1996–97 में यह पूर्ण रूप से 12.5 बिलियन डॉलर था और अब भी मेरा मानना है कि यह उतना ही है। मैं अपनी बात स्पष्ट करना चाहूंगा, यह खाता पिछले पूरे दशक में दबाव में रहा परन्तु भारत को बचा दिया गया। कैसे ?

पिछले दशक के दौरान, विदेशी खाते के अन्य पक्ष में अर्थात अदृश्य खाते में उत्कृष्ट उपलब्धि के कारण ऐसा संभव हुआ है। यह अदृश्य खाता क्या है ? प्रत्येक व्यक्ति इसके बारे में जानता है। यह कई शीर्षों के अंतर्गत आता है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस खाते का अधिकतम भाग निवल निजी अंतरण, उद्योपतियों द्वारा दिए गए लाभांश, अनिवेश, निवेश, बीमा प्रीमियम इत्यादि से आता है। सबसे अधिक भाग उन लोगों का है जो विदेशों में रहते हैं अर्थात अनिवासी भारतीय, जो हमारे देश में धन भेजते हैं। इस खाते में सबसे अधिक भाग निवल निजी अंतरण का ही है। इस खाते में सबसे अधिक भाग निवल निजी अंतरण से आता है। मैं यही, कहना चाहता हूं। इतनी अधिक राशि देने का एक मुख्य कारण यह है कि डॉलर और रुपए की मुद्रा के मूल्य में बहुत बड़ा अंतर है। मैं इस बारे में विस्तार से बात नहीं करना चाहता। परन्तु मेरा पक्का विश्वास है कि यह जमा का स्वरूप तो अस्थिर है। हम इस अस्थिर स्थिति पर निर्भर नहीं रह सकते; हम इस अविश्वसनीय खाते पर पर निर्भर नहीं कर सकते। हमने दक्षिण–पूर्व एशियाई देशों की हालत देखी है; हमने एशियाई टाइगरों की हालत देखी है। इस पृष्ठभूमि को देखते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारा देश भारत नियमन से प्रबंधन की ओर नहीं जा सकता। इसकी जल्दी क्या है ? क्या यह देश में हवाला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए है या विदेशी मुद्रा धोखा–धड़ी करने वालों की मदद के लिए है ? क्या हमारे वित्त मंत्री एक सामान्य से प्रश्न का उत्तर देंगे ? विदेशी मुद्रा क्षेत्र में धन–शोधन कितना है ?

माननीय सभापति महोदय, एक दूसरे के प्रतिपूरक के रूप में दो विधेयक प्रस्तुत किए जा रहे हैं। विदेशी मुद्रा का दुरुपयोग एक सामान्य सिविल अपराध है; धन का विचलन या दुरुपयोग कोई दंडनीय अपराध नहीं है। इसका अर्थ क्या है ? मैं समझता हूं कि यह हमारे देश के हित में नहीं है।

मुझे विधेयक से यह पता चला है कि भारतीय रिजर्व बैंक को सही तरह से परिभाषित नहीं किया गया है। वे कोई प्रबंधन या नियंत्रण नहीं करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक अपनी आंखें बंद ही रखेगा क्योंकि विदेशी मुद्रा संचालकों (ऑपरेटरों) को भारतीय रिजर्व बैंक से कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक का कोई नियंत्रण नहीं है और भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।

इसके अलावा, जन विरोधों को अनदेखा करते हुए हमारी अर्थ व्यवस्था में खुलापन लाने के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार एक के बाद–एक निर्णय ले रही है। उन्होंने 15 मिलियन लोगों के हस्ताक्षर वाली याचिका तक को अनदेखा कर दिया है। अधिक संख्या में विदेशी निवेशक धन तो लगाएंगे परन्तु पूंजी के अन्तर्गमन और बहिर्गमन पर नियंत्रण करने वाला कोई नहीं होगा। आज राष्ट्र के सामने यह बड़ा खतरा है।

माननीय सभापति महोदय, जहां तक धन–शोधन विधेयक का संबंध है मैं केवल दो या तीन बातें कहना चाहूंगा। काला धन वास्तव में भारतीय अर्थ व्यवस्था के लिए एक चुनौती है। इसे रोकने के लिए कानून बनाए जाने की आवश्यकता है। मुझे दुख है कि इस विधेयक में इस बारे में कोई पर्याप्त प्रावधान नहीं है। यह सरकार विश्व अर्थ व्यवस्था के साथ खुद को जोड़ने के लिए हमारी अर्थ व्यवस्था में खुलापन लाने की कोशिश कर रही है।

वास्तव में, यह सरकार धन–शोधन, नशीली दवाओं के व्यापार और हथियारों के व्यापार इत्यादि का विश्व व्यापीकरण कर रही है। धन आतंकवादी गतिविधियों और सोने की तस्करी में लग रहा है। अब, क्या यह विधान हमारे देश को इन बातों से बचा सकेगा ? मैं समझता हूं, नहीं।

महोदय, कई लोग विश्वीकरण की बातें कर रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि विश्व भर में धन–शोधन द्वारा प्रति वर्ष 500 मिलियन डॉलर को सफेद धन में बदला जाता है। यह सकल घरेलू उत्पाद का केवल दो प्रतिशत है।

महोदय, हम विश्वीकरण की बात कर रहे हैं। मैं दो भद्र व्यक्तियों द्वारा कही गई बातों का उल्लेख करना चाहूंगा। वर्ष 1996 में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निदेशक (वित्तीय मामले) और अन्तर्राष्ट्रीय

[श्री मोइनुल हसन]

मुद्रा कोष के मौद्रिक और विनिमय मामलों के सलाहकार श्री वीटो तानजी और पीटर क्वीर्क ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। मैं उस रिपोर्ट को उद्धृत करना चाहूंगा।

रिपोर्ट में कहा गया है :

"विश्व अर्थ व्यवस्था के विश्वीकरण और पूंजी बजारों की बढ़ती सक्षमता से व्यक्ति और फर्मे अधिक मात्रा में धन को अपेक्षाकृत अधिक आसानी से एक देश से दूसरे देश के घरेलू वित्तीय बाजारों में पहुंचा सकते हैं जिससे धन–शोधन का काम आसान हो जाता है"।

महोदय, हम क्या कर रहे हैं और किस तरह से ? धन–शोधन के मामले में सबसे उल्लेखनीय चतुराईपूर्ण पहलू यह है कि तुलनपत्रों में इस प्रकार की गड़बड़ी की जाती है जिसका तनिक भी पता नहीं चल पाता। ये उदारीकरण की प्रक्रिया का भाग है। इस विधेयक में ज्ञात दोषी व्यक्तियों और ज्ञात अपराधियों को आरोपों से मुक्त करने का प्रस्ताव किया जा रहा है। इस विधान द्वारा तुलन–पत्र और धन शोधन का काम करने वाले लोग बेदाग छूट जाएंगे। इसलिए यह विधेयक इस देश के हित में नहीं है अतः मैं इस विधेयक का विरोध करना चाहूंगा।

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम्) : समापति महोदय, यह एक ऐसा युग है जब हम विनियमन पद्धति से प्रबंधन पद्धति की ओर जा रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में कठोर शब्दों को मृदु शब्दों में बदला जा रहा है। इसीलिए, विनियमन की बजाय हम धन–शोधन निवारण और विदेशी मुद्रा प्रबंध विधेयक ला रहे हैं। इन विधेयकों को एक साथ लाया जा रहा है।

महोदय, इस तथ्य के बारे में कोई संदेह नहीं है कि हमें बदलते समय के साथ बदलना, होगा। परन्तु क्या हम इस प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार हैं ? यह वह प्रश्न है जिस पर हमें गौर करना होगा। हमारा देश एक विकासशील देश है जहां हमें बहुत अधिक भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ रहा है। हम ऐसे कई क्षेत्रों के बारे में जानते हैं जहां काले धन का प्रयोग हो रहा है और हम इन क्षेत्रों में काले धन के परिचालन पर नियन्त्रण नहीं लगा पा रहे हैं। इन क्षेत्रों में संपत्ति का लेन–देन, भू–सम्पति और विदेशी मुद्रा का आगमन शामिल है।

महोदय, हमें बदलते समय के साथ चलना होगा। हम दोनों ही काम एक साथ नहीं कर सकते। माननीय वित्त मंत्री जी यहां उपस्थित हैं और उन्हें यह बताना चाहता हूं कि इन मामलों में बैंकों के लेन–देन में अधिक पारदर्शिता होनी चाहिए कि इनमें पैसा कैसा जगा हो रहा है और हम उन्हें कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं ? इस समूची स्थिति पर गौर करना होगा। कई लोग पहले ही कम मूल्य के बीजक अथवा अधिक मूल्य के बीजक बनाने और नशीले पदार्थों की तस्करी इत्यादि के बारे में बोल चुके हैं।

हमने सीमा शुल्क को युक्तिसंगत बनाने जैसे कतिपय कदम उठाए हैं। तथापि, भारत जैसे विकासशील देश में हमें इन लेन–देनों के बारे में दोगुना सावधान होना चाहिए। अन्यथा किसी तरह के कानून से कोई लाभ नहीं होगा। यहां तक कि विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम जैसे कड़े कानून के होते हुए भी हमें विदेशी मुद्रा अनियमितताओं का सामना करना पड़ता है। चूंकि हम विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम को लागू करने वाले हैं इसलिए हमें यह देखना चाहिए कि हम यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि अनियमितताएं कैसे दूर की जाएं। धन–शोधन निवारण और विदेशी मुद्रा प्रबंध आपस में जुड़े हुए विषय हैं। इसलिए इन विषयों को लेते समय एक समेकित दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। तथापि कुछ खण्डों में इन अधिनियमों का दृष्टिकोण एक दूसरे से भिन्न है।

मैं इस बात से सहमत हूं कि बहुत सारे नियमों से हमारे देश का भला नहीं हो सकता। हमें दूसरे देशों के समांतर आना है। हम विभिन्न क्षेत्रों में उदारीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। यह ऐसे क्षेत्रों में हैं जहां उदारीकरण की आवश्यकता है। इसीलिए वित्त मंत्री तीन विधेयकों को लेकर आए हैं। इसके साथ ही अति–उदारीकरण से हमारे जैसा विकासशील देश कठिन स्थिति में आ सकता है क्योंकि लोग कतिपय क्षेत्रों में, विशेषकर धन संबंधी व्यवहार में इसे अपनाने के लिए तैयार नहीं हैं।

कानून का उल्लंघन करने वालों के साथ इस प्रकार बर्ताव होना चाहिए कि लम्बी मुकदमेबाजी न हो। हमारे देश को सामान्यतः ऐसा होता है कि जब कोई आर्थिक अपराध करता है तो उसकी मुकदमेबाजी सालों चलती है, जब तक उसकी सुनवाई हो हम ये भी भूल जाते हैं कि उसके मुकदमे में पहली बार क्या हुआ था। आर्थिक अपराधियों पर समय पर कानूनी कार्यवाही हो इसे खने के लिए कार्यविधि होनी चाहिए। प्रथमतः आर्थिक अपराधियों को कड़ना बहुत कठिन है। लेकन जब इनमें से कोई अपराधी पकड़ा जाता है तो मुकदमा बिना किसी तर्क संगत निष्कर्ष पर पहुंचे कई सालों तक चलता रहता है। कानूनी रूप रेखा इस प्रकार बनाई जानी चाहिए कि जिसके अंतर्गत आर्थिक अपराधियों पर कानूनी कार्यवाही की जा सके और कानूनी प्रक्रिया के निर्णय शीघ्रातिशीघ्र किए जा सकें वित्त मंत्री शायद सोचते हैं हमारे पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार हैं। जैसा कि एक सहयोगी ने बताया है 34 बिलियन से अधिक अमरीकी डॉलर में से विदेशी मु भंडार

में अधिकांश अनिवासी भारतीयों द्वारा भेजा हुआ धन है न कि व्यापार से हुआ आधिक्य। इसलिए यह बात महत्त्वपूर्ण है कि देश में ही व्यापार आधिक्य राशि का सृजन किस प्रकार किया जाए नहीं तो जहां संकट की स्थिति उत्पन्न हुई लोग अपने पैसों को निकालना शुरू कर देंगे और हमारे लिए एक मुश्किल स्थिति होगी। निक्षेपागार खातों पर पूर्णतः निर्भर रहने के स्थान पर हमें व्यापार के माध्यम से ही अधिक धन मिलना चाहिए। वर्तमान निक्षेपागार खातों की अपेक्षा आकांक्षित केन्द्र के उस भाग की स्थिति अधिक अच्छी है।

मैं इस दृष्टिकोण का पूर्ण समर्थन करता हूं कि हमें बाकी दुनिया के साथ चलना है, इस कारण मैं इन विधेयकों का समर्थन करता हूं।

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट) : अध्यक्ष महोदय, ये दो अधिनियम आज की कार्यसूची में मद संख्या 9 और 10 पर हैं, अर्थात् धन शोधन निवारण विधेयक 1999 और विदेशी मुद्रा प्रबंध विधेयक 1999 पर सदन में एक साथ विचार किया जा रहा है।

महोदय, फेरा जैसे सख्त कानून के स्थान पर विदेशी मुद्रा प्रबंध विधेयक जैसा उदार कानून लाया जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है और ऐसी कानाफूसी चल रही है कि औद्योगिक लॉबी और हमारे देश के बड़े औद्योगिक संगठन सरकार पर निरंतर फेरा कानून को फेमा में बदलने के लिए दबाव डाल रहे हैं। मैं सोचता हूं ये हवाला का संचालन करने वाले और कालाबाजारियों के लिए ही सहायक है। इसी कारणवश हम इस विधेयक का दृढ़ता से विरोध कर रहे हैं।

मैं यह नहीं जानता कि माननीय वित्त मंत्री शायद मेरी इस विशिष्ट भाषा पर अपनी मनोव्यथा व्यक्त करेंगे पर मैं यह कहने के लिए बाध्य हूं कि ये विधेयक राष्ट्रविरोधी भी हैं। मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

यह विधेयक विदेशी मुद्रा कानून उल्लंघन के तहत अपराध को बढ़ाएगा ही। नए प्रावधानों में विदेशी मुद्रा कानून उल्लंघन को अपराध ही नहीं माना जाएगा। यह सिर्फ सिविल अपराध ही माना जाएगा। यहां दंड होगा सिर्फ पैसे के रूप में जुर्माने का भुगतान वह भी सीमित रूप में। इसलिए यह विधेयक पूर्व प्रभावी होगा। कई मामलों में विदेशी मुद्रा कानून उल्लंघन पर जवाबी कार्यवाही करना कठिन हो जाएगा, विशेषकर हवाला अपराध के मामले में।

महोदय, वर्तमान कानून के अंतर्गत पूर्ण संपरिवर्तनीयता विशेषकर पूंजीगत खाता संपरिवर्तनीयता से पूर्व इस प्रकार के न्यागमन से निधियों का गैर कानूनी निर्गम आसान हो जाएगा और दंड पाए बिना कानून का उल्लंघन होता रहेगा। निधियों का गैर कानूनी लेन–देन करों की अपर्याप्तता के कारण ही होता है।

अपराह्न 5.33 बजे

(डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन हुए)*

यह मुख्यतः करापवंचन और कानून से बचाव के द्वारा जमा की गई आय को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन भी निधियों को भावी उपयोग के लिए रखने का एक महत्त्वपूर्ण कारण है। उदारीकरण के नाम पर लिए गए उपयोगी कदम भी अवनतिकारी कदम माने जाते हैं निधियों के अनैतिक रूप से देश के बाहर विविध कार्यों में लगाना समाज के प्रति अपराध है बल्कि साथ ही यह आधारभूत मानवीय समस्याओं को सुलझाने के लिए जुटाए जाने वाले संसाधनों को भी प्रभावित करती है। इसलिए इसे सिविल अपराध मानना गलत है। उदारीकरण अपराधी तत्त्वों को बढ़ाता है। और यह सिविल अपराध के रूप में मान लिया जाता है।

इसलिए, हम सोचते हैं कि, अगर सदन इस विधेयक को पारित करती है तो इससे, कालाबाजारियों अपराधियों हवाला संचालकों को ही मदद मिलेगी, इसलिए एक बार फिर मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया) : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। मैं उन दो विधेयकों जो संसद के समक्ष फेरा कानून को फेमा में बदलने के लिए लाए गए हैं, तथा धन–शोधन निवारण विधेयक जिस पर पहले विधेयक के साथ विचार किया जा रहा है के पक्ष में खड़ा हुआ हूं।

हम जिस पद्धति पर आज विचार–विमर्श कर रहे हैं बदलते समय के साथ बाहरी व्यापार और भुगतान को सुगम बनाने और विदेशी मुद्रा बाजार का भारत में व्यवस्थित विकास व रखरखाव के लिए उसकी आवश्यकता है यह कोई नया विधेयक नहीं है। यह लोक सभा के समक्ष अगस्त 1998 में पेश किया गया था। यह स्थाई समिति को भेजा गया था। लेकिन दुर्भाग्य से लोक सभा भंग हो गई, इसलिए इस पर कार्यवाही नहीं हो पाई। लेकिन अब विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंध की संकल्पना सारहीन अवधारणा नहीं है। यह नहीं है कि यह विधेयक जो 1973 में अधिनियमित किया गया था, जिसे तब विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम कहा जाता था, हमेशा प्रासंगिक रहेगा स्थितियां बदल रही हैं, स्थितियां बदलेंगी। देश का आर्थिक परिदृश्य भी बदल रहा है। इसे बदलना ही चाहिए। इसके विकास के साथ ही नियमों और विनियमों को भी बदलती स्थितियों के साथ की आवश्यकतापूर्ति के लिए संशोधित करना चाहिए, और इसलिए यह अवधारणा कि कोई भी परिवर्तन जो किया जाता है वांछनीय नहीं है, सारहीन अवधारणा है। यह अवधारणा गतिशील नहीं है। गतिशील अवधारणा के बदलते परिदृश्य विशेषकर देश की वित्तीय और राजस्व संबंधी परिदृश्यों के साथ बदलना चाहिए। पूर्ववर्ती वक्ता और अन्य सभी वक्ता जिन्होंने

[श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी]

शुरू में हमारे देश के बारे में कई बातें बोलीं उनमें एक बात सामान्यतः यही सुनाई दी कि हमारा देश अत्यंत भ्रष्ट है और इससे मुझे आश्चर्य होता है क्योंकि यह फेरा में बदलाव के संबंध में कहा गया है, जबकि फेरा 1973 से लागू है, जिसका अर्थ है 26 वर्षों से भी अधिक की अवधि। इसलिए इस भ्रष्टाचार को फेरा के साथ रखा जा सकता है। जबकि इसमें तथाकथित बहुत कठोर प्रावधान थे। इसलिए कठोरता स्वयं राजस्व और वित्तीय संबंधी खराबियों पर रामबाण उपाय नहीं है। इसका इलाज है समय के साथ चलना, आगे बढ़कर वित्तीय संस्थानों की आवश्यकताओं को पूरा करना, देश के वित्तीय विकास पर ध्यान देना और उसके पश्चात हमारे नियम और विनियमों में संशोधन करना ताकि वह हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। हमारा देश एक गरीब देश है और जब कभी भी कोई फेरा कानून का उल्लंघन करते हुए पकड़ा जाता है, तो आम आदमी को हार्दिक खुशी होती है और वह कहता है "ओह, यह व्यक्ति पकड़ा गया। अब उसे दंडित किया जाएगा"। इसलिए यह धारणा बनी कि प्रत्येक व्यक्ति जो वित्तीय अपकरण, वित्तीय अनियमित्तता या अत्यंत अवांछनीय व्यक्ति के लिए विद्यमान नियमों के विरुद्ध जाने वाले व्यक्ति को जेल में डाल देना चाहिए और उसके बाद कानून का पालन करने वाली संपूर्ण जनता खुश रहेगी।

अवधारणता तो यही प्रतीत होती है। अगर यह वित्तीय अनियमितता है, तो कई रास्ते उसको दंड देने के लिए खोजे जा सकते हैं, लेकिन उसे शीघ्र ही जघन्य अपराध मान लेना औचित्य के अनुरूप नहीं होगा, अगर हम हमारे देश में विदेशी मुद्रा के बेहतर प्रबंधन के साथ ही विदेशी मुद्रा प्रबंध और विदेश व्यापार के बीच बेहतर संबंध चाहते हैं। इसलिए आवधारणात्मक रूप से भी, यह बदलाव वित्तीय लेन–देन के प्रति बेहतर मानवीय, दृष्टिकोण है।

यह कहा गया है कि इस विधेयक ने पुराने फेरा कानून के कुछ प्रावधानों की कठोरता को कम कर दिया है और यह उन लोगों के प्रति उदार हो गया है जो विभिन्न विनियमों का अपकरण करते हैं और जो राष्ट्र विरोधी हैं। राष्ट्र–विरोधी शब्द मुझे लगता है इस सम्मान्य सभा में एक प्रचलित शब्द बन गया है। वित्तीय उदारीकरण के लिए उठाए गए सभी कदम राष्ट्र विरोधी कहे गए हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि ये कदम सिर्फ भय को मिटाने के लिए उठाए गए हैं। 1995 में फेरा कानून के अंतर्गत 2456 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और 202 मामलों में अभियोग चलाया गया, 1996 में 2291 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और 101 मामलों में अभियोग चलाया गया, 1997 में 2726 में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और 90 मामलों में अभियोग चलाया गया। इस बीच उन्होंने किस प्रकार की परेशानी का सामना किया होगा, इसकी तो हम कल्पना ही कर सकते हैं। वह सख्त कदम ही है जिसे इस अधिनियम के द्वारा हटाने का प्रस्ताव किया गया है। यह अधिनियम में और अधिक खुलापन है, लेकिन इसे केवल ऊपरी बदलाव के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए।

'फेरा' से यह निश्चित रूप से काफी भिन्न है। उदाहरण के लिए 'फेरा' की धारा 8 से 31 में विनियमन की जटिलता है जिससे किसी प्रकार के विकास को बढ़ावा नहीं मिलता। वे वित्तीय लेन–देन को रोकते हैं। दूसरी तरफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन विधेयक एक व्यवस्थित विधेयक है। *यह सभी मानते हैं कि यह उदार है और निश्चित रूप* से इससे काफी हद तक वित्तीय लेन–देन में सुधार होगा।

[हिंदी]

सभापति : अब आप कन्कलूड कीजिए।

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : सभापति जी, जब आप बोलते हैं तो आपसे कोई कन्कलूड नहीं करवा पाता है, तो फिर आप हमको क्यों बोल रहे हैं। हम तो बहुत धीरे–धीरे बोल रहे हैं। आप हमें पांच मिनट और दीजिए।

सभापति महोदय : वहां हम विपक्ष में होते हैं और यहां निष्पक्ष होते हैं।

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : चलिए, मेरी भी गलती मान लीजिए।

[अनुवाद]

इस विधेयक में परिवर्तन धन–शोधन निवारण विधेयक के संबंध में देखी जानी चाहिए। यह बिल्कुल सही है कि दोनों विधेयकों पर इकट्ठा विचार विमर्श किया जा रहा है। यह हमारी आदत है कि हम सभी प्रकार के अपराधों को एक जैसा ही मान लेते हैं।

[हिंदी]

आप तस्करी को देख लें तो एक आदमी एक बोरी में चावल लेकर जा रहा है, कुछ गरीब लोग कपड़े लेकर जा रहे हैं तो उनको भी रोक लेंगे। एक आदमी जो अफीम लेकर जा रहा है, उसको भी रोक लेंगे और एक आदमी जो हथियार लेकर जा रहा है, उसको भी रोक लेंगे। यह मनी–लॉड्रिंग बिल ज्यादा सख्त है, ज्यादा मजबूत है और 'फेमा' ज्यादा ह्यूमिनिस्टिक है, इस बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप यह कहें तो जो सचमुच गलत है, हथियार, नारकोटिक्स, इन सब पर सख्त ऐक्शन लिया जाए, बाकी चीजों पर इतना दबाव न डाला जाए तो हमारे आधे कर्मचारी खाली हो जाएंगे और जिस चीज पर जोर देना चाहिए उस पर जोर आएगा।

कुछ बहुत सी अच्छी बातें इसमें हैं। हम तो यह कहेंगे कि 'फेमा'

स्वयं ही हमको 21वीं सदी में एक दुरुस्त माहौल में ले जाएगा। वर्ल्ड ट्रेड के साथ इसका तालमेल ज्यादा अच्छा होगा, यह बढ़ेगा और जो खौफ है, बाहरी पैसा, अंदरूनी पैसा, कैसे उसको ठीक किया जाए।

[अनुवाद]

यह सरकार जिसके पास अधिकतम संख्या में सख्त कानून है अत्यंत भ्रष्ट है।

[हिंदी]

उसको खत्म करने से हमारे फिस्कल और फाइनेन्शियल इंस्टीट्यूशन्स मजबूत होंगे। इसलिए मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि इस बिल का समर्थन करें। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा) : सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा पुरःस्थापित किये गए दो विधेयकों का समर्थन करता हूं।

वास्तव में ये दोनों विधेयक बदलती हुई परिस्थितियों में अत्यंत आवश्यक हैं। हम नई सहस्राब्दी के प्रवेशद्वार पर खड़े हैं और हम उदारीकरण और वैश्वीकरण के दौर में हैं।

इस वदलती हुई परिस्थिति में मैं समझता हूं कि कमियों से निपटने और अपराधियों को सबक सिखाने के लिए कड़े कानूनों की अत्यंत आवश्यकता है। हम सभी जानते हैं कि पेट्रोलियम और विदेशी मुद्रा के बाद धन–शोधन इस दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कारोबार है। इस कार्य कलाप से देशों की सम्प्रभुता और अखण्डता खतरे में पड़ गई है। गैर कानूनी गतिविधियों से कमाए गए धन को अस्तियों में बदल दिया जाता है और यह दिखाया जाता है कि यह कानूनी तरीके से प्राप्त किया गया है। शोधन धन को छिपाने का ढंग है इसकी मात्रा का अन्दाजा लगाया जा सकता है जो कि अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था को भी चुनौती दे रहा है।

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार नशीले पदार्थ में विश्व व्यापार का वार्षिक कारोबार 400 विलियन डालर का है। शोधन करने वाले व्यक्ति बहुत तरीकों से पकड़े जाने से बचते हैं। नकदी अपतटीय कम्पनियों के माध्यम से गुमनाम खातों द्वारा और लघु भुगतानों में दिखाकर भेजी जाती है क्योंकि बैकों में सभी बड़े भुगतानों का लेखा–जोखा देना पड़ता है। यह जानकर अत्यंत रोमांच होता है कि इस प्रकार के लेनदेन के कार्यों में करोड़ों रूपए लगे हुए हैं। बड़े–बड़े लोग इन गैर कानूनी तरीकों में संलिप्त हैं और इनसे राष्ट्रों की एकता और अखण्डता के साथ–साथ देशों की मूल अर्थ–व्यवस्था को भी खतरा है। वह धन राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए भी चुनौती है। हम देख सकते हैं कि मैक्सिको, थाइलैण्ड और कुछ अन्य देशों में क्या हो रहा है। हमारे सामने ये उदाहरण हैं।

यह समाचार पत्रों में विस्तार से यह बताया गया है कि अमरीका उन राष्ट्रों के खिलाफ आर्थिक युद्ध जारी रखे है जो धन–शोधन को बन्द करने वाले कानूनों को लागू करने के लिए तैयार नहीं थे।

अतः यह अत्यन्त गम्भीर मामला है जिसकी चपेट में न केवल भारत और अन्य विकसित देश आए हैं बल्कि विश्व के अन्य देश भी हैं। आश्चर्य है जैसाकि श्री पवन कुमार बंसल ने कहा है कि आतंकवाद और धन शोधन के बीच गहरा रिश्ता है। यदि आप पूरे विश्व में आतंकवादी गतिविधियों की जांच करें तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों के बीच गहरा रिश्ता है और भारत इससे बचा नहीं है। "गोल्डन ट्राइंगल" का उल्लेख किया गया है। हमारे देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में नशीली दवाओं का व्यापार हो रहा है। भारत नशीली दवाओं की आवाजाही के केन्द्रों में से एक है और यह हमारी व्यवस्था को भ्रष्ट कर रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अर्द्धसैनिक बल के कार्मिक जो सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात हैं, वे भी नशीली दवाओं की तस्करी और अन्य चीजों में लगे हैं। समाचार पत्रों में विस्तार से इसका वर्णन किया गया है कि आई. एस. आई. भी इस प्रकार की नशीली दवाओं की तस्कारी में शामिल है। भारत सभी इन नशीली दवाओं के लिए मुख्य आवाजाही केन्द्र है। मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इन त्रुटियों को दूर करें और इस सम्बन्ध में कठोर कदम उठाएं। क्योंकि इससे देश की सुरक्षा जुड़ी है। जैसा कि उद्देश्यों और कारणों का कथन में ठीक ही बताया गया है संयुक्त राष्ट्र और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय ऐजेन्सियों ने कुछ देशों को धन शोधन संबंधी त्रुटियों को दूर करने के लिए आगे आने और कठोर कदम उठाने के लिए कहा है। संयुक्त राष्ट्र ने कुछ सम्मेलनों का भी आयोजन किया। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियां सदस्य देशों से बार–बार अनुरोध कर रही हैं कि वे इस सम्बन्ध में उपचारात्मक कदम उठाएं। यह बात निश्चित है कि कोई व्यक्ति इस विधेयक की भावना का विरोध नहीं करेगा लेकिन इसके साथ ही इस विधेयक के बारे में कुछ पक्षों में कुछ आशंकाएं उठाई गई हैं।

आरम्भ में मैं बताना चाहता हूं कि मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इसे और शक्तियां दी जानी चाहिए। हमें कमियां दूर करनी चाहिए। इसी समय कुछ क्षेत्रों विशेषकर उद्योगपतियों द्वारा व्यक्त की गई आशंकाओं पर ध्यान देना चाहिए। यह ठीक है कि देश को पुलिस राज्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसके साथ–साथ हमें यह देखना चाहिए कि उनके द्वारा उठाई गई समस्याओं और मुद्दों की पूरी ईमानदारी से छानबीन की जानी चाहिए। क्योंकि वे भी इस देश के नागरिक हैं। उन्होंने माननीय वित्त मंत्री को ज्ञापन भी दिए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि सभी इन पहलुओं की छानबीन

[श्री रमेश चेन्नितला]

करे। आपराधिक कानूनों द्वारा सुनिश्चित किए गए नागरिकों के बुनियादी अधिकारों के विरुद्ध इस विधेयक का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। 'फिक्की' और अन्य संगठनों ने कई मुद्दों को उठाया है। उन्होंने एक गोष्ठी की थी जिसको सभी समाचार पत्रों में विस्तार से प्रकाशित किया था। इनमें बताया गया है कि जांच अधिकारियों को शक के आधार पर ही छानबीन करने, जब्त करने और गिरफ्तार करने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा।

महोदय, यह बताया गया है कि धन–शोधन अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकरणों को केवल शक के आधार पर जांच करने का अधिकार होगा और अधिकारी को किसी भी व्यक्ति को बुलाने और उसके बयान लेने का अधिकार होगा। उसे भारतीय दण्ड संहिता 1960 की धारा 193 और 228 के अर्थ के भीतर न्यायिक प्रक्रिया माना जाएगा। केवल शक होने पर भी जांच करने वाले अधिकारी को छानबीन करने, जब्त करने और गिरफ्तार करने का अधिकार प्राप्त होगा। इस पहलू पर गौर किया जाना चाहिए तथा वित्त मंत्री को इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए।

अन्य अत्यंत महत्त्वपूर्ण मुद्दा अपील अधिकरण के गठन किए जाने का वर्णन करना चाहिए। एक अन्य दिन जब हममें से एक सदस्य श्री जे. एस. बरार शिकायत कर रहे थे कि अधिकारी अधिक शक्तियां प्राप्त कर रहे हैं माननीय वित्त मंत्री उस पर नाराज हो रहे थे। अब अपील अधिकरण के गठन को ही लीजिए। इसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है अथवा रहा हो दुर्भाग्यवश माननीय वित्त मंत्री जी आपके अधिकारी आपको गुमराह कर रहे हैं। वे अनुचित शक्तियां प्राप्त करना चाहते हैं। उनमें से कुछ सेवानिवृत्त होने के पश्चात् अपील अधिकरण में आना चाहते हैं। उसकी आवश्यकता क्या है ? आप आयु सीमा को 65 वर्ष भी करने जा रहे हैं। क्या अधिकारियों की कमी है ? इसकी आवश्यकता क्या है ? अपील अधिकरण में काम करने के लिए इस देश में प्रशिक्षित लोग हैं। दुर्भाग्यवश यह हमारे देश में हो रहा है। अधिकारी, जो शासन चलाने वाले हैं, मन्त्रियों को प्रभाव में ले रहे हैं और मन्त्रिगण, जाने–अनजाने जो कुछ भी वह कह रहे हैं, उन्हें मान रहे हैं। मेरा माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध है कि इसको संशोधित करके–इसे कोई व्यक्ति जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश है अथवा रहा है अथवा बनने की योग्यता रखता है–किया जाना चाहिए ताकि अन्य लोगों को भी मौका मिल सके। मैं समझता हूं कि मन्त्री जी इस प्रस्ताव को मान लेंगे।

अब मैं विशेष न्यायालयों पर आता हूं। श्री मूर्ति ने ठीक ही कहा था कि हम अपने देश में सभी प्रकार की न्यायिक प्रक्रियाओं को सुन रहे हैं अथवा देख रहे हैं। हमारे मामलों की प्रकियाओं में किया जा रहा अनुचित विलम्ब लोगों को काफी प्रभावित कर रहा है। हालांकि वहां विशेष न्यायालय स्थापित किए जाने का प्रावधान है, मुझे भय है कि ये प्रक्रियायें अधिक समय लेंगी और समय पर लोगों को न्याय नहीं मिल पाएगा।

मैं समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी ने इस विधेयक के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई टिप्पणियों पर गौर किया होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित विचार व्यक्त किए हैं :

> "गैर कानूनी धन–शोधन के मामले में सबूत का दायित्व आरोपी पर न होकर जो ऐजेन्सी उसको बना रही है उस पर होना चाहिए।"

विधेयक के अनुसार, आरोपी को उसे साबित करना होगा। यह न्यायशास्त्र के विरुद्ध है। मैं समझता हूं कि इस पर अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए। निस्सन्देह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अन्य मुद्दे भी उठाए गए हैं। लेकिन मैं समयाभाव के कारण उन पर विचार करना नहीं चाहता। मुख्य मुद्दा जिसे उन्होंने उठाया है वह सबूत का दायित्व है। मैं समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी इन पहलुओं पर गौर करेंगे। जब हम विधान को पारित कर रहे हैं तो इसमें त्रुटियां नहीं होनी चाहिए और इन्हें दूर करना चाहिए।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार) : सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि सदन का समय आधे घंटे के लिए बढ़ा दिया जाए।

(व्यवधान)

सायं 6.00 बजे

सभापति महोदय : अगर सदन की सहमति हो तो सदन का समय आधा घंटा बढ़ा दिया जाए।

श्री वी. धनंजय कुमार : महोदय, सिर्फ दो–तीन लोग बोलने वाले हैं, इसको आज ही पास करा दें।

श्री पवन कुमार बंसल : हम जो बातें कह रहे हैं उनको कंसीडर कीजिए।

[अनुवाद]

ठीक है हम विधेयक का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन वहां कुछ विशेष बातें हैं जो हमने कही हैं। कृपया आप उन बातों पर विचार कीजिए।

श्री वी. धनंजय कुमार : हम उसको करेंगे।

श्री पवन कुमार बंसल : मुझे विश्वास है कि आप उन पर विचार करेंगे।

[हिंदी]

यह आपके फायदे में है। आपने जो स्पेशल कोर्ट बनाया है, तीसरी ओर कुछ ऑफेंसिस किसी अन्य कोर्ट के पास जाएंगे, इनको एक कोर्ट के पास रखिए। वह किसी अन्य के पास न जाएं। कुछ चीजें हैं जिन पर आप कृपया विचार कीजिए। इसे जल्दी मत कीजिए, कल पास कर लीजिए।...*(व्यवधान)* समय की कोई बात नहीं है। हम आधा घंटा बैठेंगे लेकिन आप कंसीडर कीजिए और कल पास कर लीजिए जो अच्छा रहेगा।...*(व्यवधान)*

श्री वी. धनंजय कुमार : अभी तो जवाब देंगे।

श्री पवन कुमार बंसल : हमें बुरा नहीं लगेगा। हम तो विशेष रूप से चाहते हैं कि आप हमारे द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार कीजिए। हम आपकी सहायता कर रहे हैं आपने उच्चतम न्यायालय का प्रावधान किया है कोई भी उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश इस न्यायपीठ में बैठने के लिए नहीं आएगा।

[हिंदी]

उसमें कुछ नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री वी. धनंजय कुमार : उसे कर देंगे।...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : फिर दूसरे रहेंगे। उससे आपकी मुश्किलें बढ़ेंगी।

[हिंदी]

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर-पूर्व) : समापति महोदय, वास्तव में दोनों बिल दो साल पहले पास हो जाते तो हम जो लिब्रालाइजेशन और एक नये ईरा में प्रवेश कर रहे हैं उनको ज्यादा समर्थन मिलता। जो एक कम्पनी में घटना घटी, उसे बात कर मैं अपना भाषण प्रारम्भ करना चाहूंगा। हम एक ओर सभी नये कानून बना कर फ्लेक्सिबिलिटी रिलेक्सेशन बढ़ा रहे हैं। मुम्बई की एक कम्पनी है, उसने कुल मिलाकर छः कंटेनर का एक्सपोर्ट किया। उसने छः करोड़ 89 लाख का एक्सपोर्ट किया। जब वह सातवां कंटेनर एक्सपोर्ट करने के लिए मुम्बई के पोर्ट–ट्रस्ट में गए तो कस्टम के अधिकारी ने वह कंटेनर खोला। जब उसे देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गए, उसमें थोड़े–बहुत कपड़े थे, जिनका मूल्य नहीं के बराबर था। पहले जो उन्होंने छः कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट किए उसमें उस कम्पनी को लगभग 95 लाख का ड्यूटी ड्राबैक का पैसा मिल चुका है। यह मैंने एक ही उदाहरण दिया है, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं।

महोदय, मैं मंत्री जी से सिर्फ यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि हम एक्सपोर्ट बिजनेस को बढ़ावा देना चाहते हैं, ड्यूटी ड्राबैक जैसे कंसेप्ट डेवलप कर रहे हैं, जब हम कम्पीटिटिव मार्केट में प्रवेश कर रहे हैं तब क्या इस विषय पर विचार होगा ? हम एक बाजु मनी लांडरिंग के द्वारा कानून को कड़ा बनाना चाहते हैं और दूसरी तरफ फेरा को फेमा में कन्वर्ट करके कानून को और शिथिल करना चाहते हैं। दोनों अपनी–अपनी जगह बराबर हैं। शासन और सरकार की नीति का मैं समर्थन करता हूं। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि जब शासन एक अच्छी दिशा में प्रगति कर रहा है, साल डेढ़ साल में अच्छी प्रगति हुई है लेकिन प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन में जिस प्रकार का सुधार आना चाहिए उस पर भी थोड़ा अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। आज नहीं, लेकिन क्या फिर कभी आंकड़े मिल सकेंगे कि काफेपोसा के अंतर्गत कितने केसेस हुए और कितने लोगों को शो–कॉज नोटिस दिए गए। उनमें फिर बाद में एक्रॉस द टेबल सेटलमेंट कितने केसेस में किए गए और उसमें से भी कितने लोगों को सजा हुई। मेरे पास थोड़े–बहुत आंकड़े हैं जिन्हें मैं आज नहीं देना चाहता हूं। शासन बहुत अच्छी दिशा में चल रहा है। मंत्री जी एक नई दिशा में ले जा रहे हैं। मैं यह चाहता हूं कि जो लोकप्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से प्रशासन को अधिक एकाउंटेबल बना कर यहां जानकारी देना आवश्यक है, ऐसा मैं मानता हूं। हमारे देश की क्या स्थिति है ? ड्यूटी ड्राबैक, बोगस एक्सपोर्ट, उस प्रकार के इम्पोर्ट के बारे में एक यूएस एक्सपर्ट ने लिखा है–

[अनुवाद]

संयुक्त राष्ट्र के एक विशेषज्ञ ने इस बारे में एक बात बतायी है। उन्होंने एक मामले का उल्लेख किया है जिसके अनुसार एक व्यायाम बाइसिकल को कागजों में 51 सेंट में निर्यात किया गया था जबकि एक व्यायाम बाइसिकल का विश्व के बाजार में औसत मूल्य लगभग 100 डॉलर है।

"इसी प्रकार ट्रक और बस के एक टायर का संयुक्त राज्य अमरीका से 1000 डॉलर से भी अधिक में आयात किया गया था जबकि एक टायर का वास्तविक मूल्य लगभग 150 डॉलर था।"

[हिंदी]

ऐसी तो अनेक घटनाएं लगातार जारी हैं और वास्तव में हवाला, स्मग्लिंग, ड्रग–ट्रैफिकिंग, मनी–लॉन्डरिंग का इसी के साथ संबंध है। मनी–लॉन्डरिंग किस–किस माध्यम से होती है, यह इसका उत्तम उदाहरण है। फेमा–फेरा में बोगस व्यापारी बोगस निर्यात करके पैसा प्राप्त करते हैं और दूसरी ओर ड्रग–ट्रैफिकर्स या क्रिमनल्स इन्हीं के साथ में हवाला के माध्यम से पैसा यहां पर मंगाते हैं। मैं एक और उदारहण देना चाहता हूं।

[श्री किरीट सोमैया]

[अनुवाद]

"यह अनुमान है कि भारतीय निवासी 'फेरा' की परवाह न करते हुए 100 बिलियन डॉलर से भी अधिक डालर कमा रहे हैं या विदेशों को भेज रहे हैं। अभी भी रहस्य ही है कि कई भारतीय अपनी भारत वापसी की यात्रा के दौरान अपनी उड़ान बदलने के लिए ज्यूरिक पर रुकने का ढोंग करते हैं। इसका कारण वे ही अच्छी तरह जानते हैं। (हम भी जानते हैं कि वे अपनी उड़ान क्यों बदलते हैं) हमने पिछले कुछ दशकों से धन का काले धन और सफेद धन की बढ़ती घटनाओं को तो देखा ही है परन्तु इस प्रकार के हरे धन की तो घटनाएं उससे भी अधिक हो गयी हैं।"

[हिंदी]

मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि ये जो मामले बढ़ रहे हैं उनके ऊपर नियंत्रण करना आवश्यक है। मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं कि क्यों मनी–लॉन्डरिंग बिल लाना आवश्यक है। युनाइटेड नेशन्स में और बाकी जगह रैजोल्यूशन पास किया है। मनी लॉन्डरिंग बिल में एक जगह और भी लिखा हुआ है कि प्रत्यार्पण ट्रीटी का भी उपयोग करना चाहिए और यह जो मनी–लॉन्डरिंग का व्यापार है उसको संतुलित कंट्रोल करने के लिए इसका उपयोग होना चाहिए। हमारी दुबई के साथ नयी–नयी प्रत्यार्पण संधि हुई है। महाराष्ट्र या हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डॉन दाउद जो दुबई या पाकिस्तान में बैठकर अंडर–वर्ल्ड का पूरा व्यापार कंट्रोल करता है, क्या प्रत्यार्पण ट्रीटी का उसको कंट्रोल करने के लिए उपयोग हो सकता है ? माफिया डान जो हैं उनके मुम्बई में बड़े–बड़े एम्पायर हैं, तो मनी–लॉन्डरिंग बिल का उनके लिए उपयोग किया जाए, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं।

सभापति महोदय, जो नया सिस्टम बना है, वह पूरी अर्थव्यवस्था के लिए, फाइनेंशियल सिस्टम के लिए जहर है। उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। नहीं तो हमारी हालत भी मैक्सिको तथा दूसरे देशों जैसी हो जाएगी। इसलिए यह नया कानून अति–आवश्यक है। यह रोग हिंदुस्तान तक ही सीमित नहीं है।

[अनुवाद]

"वर्ष 1995 में आस्ट्रेलिया की वित्तीय आसूचना इकाई द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि आस्ट्रेलिया से प्रति वर्ष 740 मिलियन डॉलर से 3.3 बिलियन डॉलर तक बाहर जाते हैं। (नीदरलैंड से भी यही स्थिति है।) नीदरलैंड में, 14 प्रतिशत मामले पुलिस के समक्ष लाए गए और केवल 0.5 प्रतिशत मूल रूप से संदिग्ध मामलों को ही मुकदमों के लिए प्रस्तुत किया गया था।"

[हिंदी]

लेकिन हम अपने यहां इसके लिए व्यवस्था करके इसको और अधिक सख्त कर सकते हैं। जब हमने 1992 में लिबरलाइजेशन के नये युग में प्रवेश किया, तब उस कारण एक प्रकार से करंट एकाउंट को, फॉरेन एक्सचेंज को रिलैक्स किया। करंट एकाउंट को और रिलैक्स तथा पारदर्शी करके आज हम उसी दिशा में आगे जा रहे हैं। लेकिन साथ–साथ में यहां थोड़ी चिंता यह व्यक्त करना चाहता हूं कि इसी बिल में कहीं पर सैक्शन 6 में यह मैन्शन किया गया है कि करंट एकाउंट ट्रांजेक्शन के समर्थन के लिए कैपिटल एकाउंट ट्रांजेक्शन को भी छूट देने का प्रयत्न मंत्रालय द्वारा, डिपार्टमेंट द्वारा हो रहा है।

यह अच्छी बात है। मैं इसके साथ यह भी प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप करेंट एकाउन्ट रिलैक्स कर रहे हो, इसलिए एकाउन्ट ओपन करने की जल्दबाजी न करें। आज हमने कुछ प्रकार के ट्रांजैक्शन्स के लिए कैपिटल एकाउन्ट को ओपन किया है। आज हमारी इकोनोमी इतनी मजबूत नहीं है, इतनी मैच्योर नहीं है कि कैपिटल एकाउन्ट को फ्री कर सके। मैं जानता हूं कि हमारी सरकार का इस प्रकार का कोई इरादा भी नहीं है। इस बारे में मंत्री महोदय स्थिति स्पष्ट करें।

मैं अंत में इतना कहना चाहूंगा कि हवाला बिजनैस और क्रिमिनल एक्टिविटिज को कंट्रोल करने के लिए आप जो दोनों बिल लाए गए हैं, वह अपनी दिशा में एक योग्य कदम है। इसलिए मैं इन दोनों बिलों का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा) : सभापति महोदय, इस सभा के समक्ष रखा गया विधेयक बहुत महत्त्वपूर्ण विधान है। जैसा कि हम 21वीं सदी में प्रवेश कर रहे हैं और विश्व व्यापार और अन्य चीजों का एक बहुत व्यापक क्षेत्र हमारे सामने है। मैं समझता हूं कि हमारे वित्त मंत्री जी बहुत निष्ठावान और लोकप्रिय मंत्री हैं परन्तु मुझे नहीं लगता कि वित्त मंत्री इस विधेयक के जरिए जिस मार्ग को अपनाना चाहते हैं वह उस मार्ग को स्पष्ट करता है। मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री इसका पूर्णतः अध्ययन नहीं कर सके क्योंकि यह संयुक्त राष्ट्र संकल्प को ही ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। इसलिए यह व्यापक विधेयक नहीं है जो विदेशी निवेशकों को हमारे देश में आने पर चुनौती देगा। चूंकि हमारे समर्थन देने के परिणामस्वरूप यह विधेयक पारित हो जाएगा फिर भी मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि उन्हें गृह मंत्री, विधि मंत्री और विदेश मंत्री के साथ मिलकर एक बेहतर विधान तैयार करना चाहिए जो बहुत आसान भी हो। इसके अलावा, हमारे देश में सफेद पोश में अपराध बढ़ गए हैं। इसलिए हमें एक स्पष्ट, सरल और संक्षिप्त विधेयक लाना चाहिए ताकि ऐसे अपराधों

को रोका जा सके। अगर हम इस सभा के समक्ष रखे जाने वाले दो विधेयकों की तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि काफी पुनरावृत्ति हुई है। दो विधेयकों की बजाय हम एक ही विधेयक ला सकते हैं जो कि काफी व्यापक और उपयोगी होगा। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि इस प्रकार के अपराधों पर अलग से प्रकाश डाला जाए।

भारतीय दंड संहिता की बहुत स्पष्ट परिभाषा दी गई है जबकि इस विधेयक की नहीं। परंतु इस समय भारतीय दंड संहिता का प्रयोग केवल राज्यों की कानून और व्यवस्था की समस्याओं को सुलझाने के लिए ही किया जाता है क्योंकि यह राज्य का विषय है। इस विधेयक के अंतर्गत हमारे सामने एक विषय है जो बहुत व्यापक है और राज्यों तथा देश तक ही सीमित नहीं है। इसलिए सफेदपोश में होने वाले अपराधों को रोकने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो की तरह ही एक अलग प्रवर्त्तन प्राधिकरण होना चाहिए। एक केन्द्रीय आर्थिक पुलिस विभाग होना चाहिए। विदेशी मुद्रा के प्रबंध की आवश्यकता नहीं है। विधयेक के नाम तक का गलत अर्थ में प्रयोग किया गया है। प्रबंध की कोई आवश्यकता नहीं है; केवल व्यवस्था बनाए रखने की जरूरत है। इसकी आवश्यकता अपराधियों को पकड़ने, उन्हें गिरफ्तार करने, उन्हें जेल में डालने और उनकी उस संपत्ति को जब्त करने के लिए होती है जो उन्होंने अवैध तरीके से प्राप्त की है।

उसे प्रबंधन नहीं कहा जा सकता। उसे निगरानी रखना कह सकते हैं। एक अलग व्यवस्था होनी चाहिए जो यह पता लगाए कि वास्तव में अपराध कौन कर रहे हैं उन्हें काफी सतर्क होना चाहिए और यह पता लगाना चाहिए कि हमारे क्षेत्र मेंइ इन तरीकों से कोई अपराध न हो। इसलिए अगर इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है तो इससे कानून मानने वाले लोगों में अधिक विश्वास पैदा होगा जिससे उनके विचार काफी स्पष्ट हो सकेंगे कि अगर वे कानून मानें तो उनकी रक्षा की जाएगी। अगर कानून का जरा भी उल्लंघन होता है तो ऐसा करने वालों को सजा दी जाएगी। इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा करनी होंगी। इस नए युग में ऐसा वातावरण तैयार करना होगा। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री से एक अलग एजेंसी का गठन करने की ओर ध्यान देने के लिए कहूंगा जो व्यवस्था बनाने वाली हो क्योंकि हमने अधिनियम में देखा है कि कार्य पालिका और न्याय पालिका की शक्तियां एक ही जगह होती हैं। इसे संविधान में दिए गए राज्य संबंधी दिशा–निर्देशों के सिद्धांतों की तरह अलग किया जाना चाहिए।

अब हम एक ऐसा कानून ला रहे हैं जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया हो कि अर्थ–व्यवस्था का प्रबंधन करनेवाली मशीनरी इसके लिए वकील तो बन सकती है न्यायाधीश नहीं। अब जहां तक सहायक निदेशक या उससे निचले पद की शक्तियों का संबंध है तो यह उसे कोई मामला पैदा करने या इसकी वकालत करने का अधिकार देती है। इसके साथ–साथ वे न्यायाधीश के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। इसका विभाजन होना चाहिए। वे वकील हो सकते हैं परंतु न्यायाधीश कोई और ही होना चाहिए। न्यायालय भी होना चाहिए। ऐसे प्रकार के कानूनों के अंतर्गत ही आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए विशेष न्यायालयों का गठन किया जाना चाहिए। पूर्णकालिक न्यायाधीश होने चाहिए, न कि ऐसे न्यायाधीश जो सेवानिवृत्त हों या कि सेवा निवृत्त सिविल कर्मचारी हों या ऐसे ही कुछ हों। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए।

जब आप किसी आपराधिक न्यायालय में कोई निर्णय देते हैं तो उस पर लोगों का ध्यान जाता है। परंतु जब सहायक निदेशक या उप निदेशक कोई फैसला देता है तो उस पर लोगों का ध्यान नहीं जा सकता। इससे ऐसे अपराधों के और होने को रोका नहीं जा सकता। इसलिए इसकी एक अलग पहचान होनी चाहिए। न्यायपालिका को अलग रखा जाना चाहिए और पूर्णकालिक न्यायाधीशों की नियुक्ति की जानी चाहिए। अपीलीय संबंध में भी पूर्णकालिक न्यायाधीश नियुक्त किए जाने चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा कानून का डर नहीं रहेगा। प्रशासन में राजस्व बोर्ड को भी इसकी चिंता नहीं है। उन्हें एक आदेश मिल रहा है। वे इसे कुछ अन्य कार्रवाइयों द्वारा समाप्त कर रहे हैं। इसलिए कार्यपालिका और न्याय पालिका को अलग किया जाना चाहिए। यह एक बहुत महत्त्वपूर्ण विधान है और इस पर वित्त मंत्रालय द्वारा विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इसलिए मैं वित्त मंत्री से वैसी व्यवस्था करने का अनुरोध करूंगा।

इसके साथ ही मैं यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि जब हम इस नियम का, खंड 3 में धन–शोधन के लिए दी गई परिभाषा का अध्ययन करते हैं तो इसमें यह बहुत स्पष्ट नहीं होता ताकि जो संपत्ति उसने अधिग्रहित की है, प्राप्त की है, या अपराध के किसी आगम से अंतरित की है वह क्या है। अपराध कहां हुआ है ? मान लीजिए अपराध विदेश में हुआ और संपति यहां अधिग्रहित की गई या अपराध होना और संपत्ति का अधिग्रहित किया जाना कहीं और हुआ तथा धन का शोधन किया गया तो क्या यह भी इसके अंतर्गत लाया जाएगा ? जब इस प्रकार की अन्योन्य बातें होती हैं तो इस विशेष खंड के अंतर्गत उस प्रकार की बात को शामिल नहीं किया जाता।

इसी प्रकार ऐसी कई चीजें हैं जो प्रत्यक्ष रूप से इस बात पर प्रकाश नहीं डालती कि यह अपराध दंडनीय हैं। इस प्रकार का विशिष्टीकरण नहीं किया गया है और पूरी संहिता के अंतर्गत केवल प्राधिकारियों के अधिकार और शक्तियां तथा प्रक्रिया ही बताई गई है। अगर दोनों विधेयकों को एक साथ लाया जाता है तो यह बहुत आसान होगा और साथ–ही–साथ यह एक व्यापक विधेयक होगा।

[श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन]

जैसा कि हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा है कि जब दंड प्रक्रिया संहिता को अपनाया जाता है तो प्रक्रिया की बजाय कानून बनाना बहुत आसान होता है। इसका पता कैसे लगाया जाए या इसका पर्यवेक्षण किस तरह किया जाए, ये मुख्य बातें हैं। प्रत्येक परिभाषा बहुत अस्पष्ट है। यह तब भी अधिक स्पष्ट नहीं है यदि हम इसकी तुलना दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत की जाने वाली छानबीन से करें।

अगर हम दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत की जाने वाली छानबीन के साथ इसकी तुलना करें तो यह स्पष्ट नहीं लगती। हमारा दंड प्रक्रिया संहिता का कानून बहुत अच्छा है। हम केवल इसे जोड़ सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसा कि अपनाए जाने वाले दंड प्रक्रिया संहिता की एक धारा में किया गया है। उसी तरह हम वह भी कर सकते हैं।

मैं यह कहकर अपनी बात को संक्षेप में बताना चाहूंगा कि आजकल सिनेमा और दूरदर्शन के माध्यम से पता चल रहा है कि कालाबाजारी और विदेशी मुद्रा उल्लंघन का काम समुद्री मार्ग से हो रहा है। ये काम बेरोजगार युवक करते हैं, विशेषकर पढ़े–लिखे युवक ताकि वे अपनी बहादुरी का प्रदर्शन कर सकें। इसलिए अगर आंकड़े बढ़ते हैं तो हम देख सकते हैं कि ऐसे अपराध विदेशों में किए जाते हैं। ऐसा करके वे धन इकट्ठा करते हैं और इस देश में अपना धन प्रदर्शित करते हैं। ऐसी बातें की जांच की जानी चाहिए और ऐसे सिनेमाओं पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।

एक तरफ तो हमें रोकथाम करनी चाहिए। दूसरी तरफ पुनर्वास किया जाना चाहिए। कुछ लोग अनावश्यक रूप से इसमें शामिल हैं और उनके परिवार पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। ऐसे लोगों की देखभाल की जानी चाहिए। उनका पुनर्वास किया जाना चाहिए। उनके परिवार सड़कों पर आ गए हैं और वे नहीं जानते कि उनका लालन–पालन किस तरह किया जाए क्योंकि अमीर लोग उनका प्रयोग कठपुतलियों की तरह करते हैं जिनका पूरे विश्व में बहुत बड़ा जाल फैला हुआ है। भारत के दक्षिणी भाग में आप आसानी से देख सकते हैं कि प्रत्येक हवाई अड्डे पर लोग पासपोर्ट लेकर घूम रहे होते हैं और बाहर से तस्करी का कुछ–न–कुछ सामान ले रहे होते हैं। वे पकड़े जाते हैं और जेलों में डाल दिए जाते हैं। उनके बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। इसी प्रकार सिंगापुर, मलेशिया और अरब देशों में कई लोगों को वापस नहीं भेजा जा सकता। वे वहां रहते हैं और उन्हें वहां सताया जाता है। अरब देशों में अधिकांश लोगों के हाथ पैर काट दिए जाते हैं। यद्यपि वे भारतीय नागरिक हैं फिर भी उन्हें किसी प्रकार की सहायता नहीं मिल पाती। वे वापस नहीं आ सकते और बस वहीं मर जाते हैं।

पूरे विश्व में कई घटनाएं घट रही हैं। इसलिए ये गरीब लोग जो वहां धन और रोजी–रोटी कमाने के लिए जाते हैं, वहीं फंस जाते हैं। वहां बहुत सारी महिलाएं भी काम करती हैं। उनकी सुरक्षा भी की जानी चाहिए। वे सिंगापुर, मलेशिया और अरब देशों में काफी सताई जा रही हैं।

इसलिए संक्षेप में, मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय वित्त मंत्री को इसकी अच्छी तरह जांच करनी चाहिए अर्थात रोकथाम, वास्तविक निगरानी और पुनर्वास का काम किया जाना चाहिए। इसलिए वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया यह विधेयक पूरे विश्व द्वारा एक उदाहरण के रूप में अपनाया जाना चाहिए।

श्री बीर सिंह महतो (पुरुलिया) : सभापति महोदय, धन–शोधन निवारण विधेयक और विदेशी मुद्रा प्रबंधन विधेयक दोनों विधेयक एक साथ लाए गए हैं और दोनों उदारीकरण प्रक्रिया के अंग हैं।

महोदय, यह सच है कि धन–शोधन वित्तीय प्रणाली के लिए खतरा है और यह हमारे समाज को भी अस्थिर करता है तथा यह हमारे देश की एकता और संप्रभुता को भी अस्थिर करता है। किंतु मेरा मानना है कि इस विधेयक के माध्यम से काले धन को नियंत्रित किया जा सकता है। काले धन का सृजन हमारी वित्तीय प्रणाली के लिए भी खतरा है। अतः कुछ कड़े उपाय किए जाने चाहिए किंतु, इस विधेयक में उनक प्रावधान नहीं किया गया है।

इसके अलावा विदेशी मुद्रा प्रबंधन विधेयक के उद्देश्य और कारणों के कथन में कहा गया है : ...''विदेशी व्यापार और संदायों को सुकर बनाने के उद्देश्य से और भारत में विदेशी मुद्रा बाजारों के रूप से विकास के संवर्धन और अनुरक्षण करने के लिए एकीकरण और संशोधन करना है।''

किंतु मेरे विचार से यह उद्देश्य पूरा नहीं होगा, पहले विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम में कुछ सीमा तक कड़े उपबन्ध थे और उसमें दांडिक प्रक्रिया के अधीन विचारण किया जाता था, अब सिविल प्रक्रिया के अधीन विचारण करने का उपबंध किया गया है, यह उदारीकरण का हिस्सा है। मेरे विचार से इस अति उदारीकरण से हमारे देश को सहायता नहीं मिलेगी, कुछ कड़े उपाय किए जाने चाहिए। अतः अपनी पार्टी की ओर से मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : सभापति महोदय, धन शोधन निवारण विधेयक की पहले भी जांच की गई है। अतः मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। धन शोधन निवारण विधेयक के बारे में स्थायी समिति द्वारा कुछ सुझाव दिए गए थे, हम सभी जानते हैं कि धन शोधन एक ऐसा अपराध है जिसके अन्तर्राष्ट्रीय आयाम हैं। यह स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार का हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र

संघ को इससे निपटना होगा और संयुक्त राष्ट्र अभिसमय ने भी उपबंध किया है कि इसे दंडनीय अपराध बनाया जाए और आगम की वसूली की जाए।

मैं इस विधेयक का विरोध नहीं करता हूं किंतु मैं कुछ सुझाव देता हूं। मेरा कहना है कि धन–शोधन के लिए दिए जाने वाले दंड के बारे में कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। इस अपराध की पुनरावृत्ति की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। हम कह सकते हैं कि दंड सुधारात्मक होना चाहिए किंतु धनशोधन के मामले में जो व्यक्ति इस अपराध को कर रहा है, इस अवैध संव्यवहार को कर रहा है, हो सकता है पैसा भी बना रहा है। ये व्यक्ति विधिपूर्वक स्थापित सरकार के प्राधिकार को चुनौती देने में भी सक्षम है। संपूर्ण देश में उनका ऐसा नेट है कि वे किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं, वर्तमान स्थिति यह है। मैं नहीं जानता कि क्या इस विधेयक से वित्त मंत्री स्थिति में सुधार करने में सक्षम होंगे, मुझे इस बारे में भरोसा नहीं है, यह विधेयक मात्र पहला कदम है। मुझे विश्वास नहीं है कि क्या इस विधेयक से वे धनशोधन से निपटने में सक्षम होंगे। इसके लिए और व्यापक उपबंध किए जाने की आवश्यकता है।

मेरा कहना है कि केन्द्र सरकार ने जमानत संबंधी उपबंधों को नरम बनाया है। ऐसा क्यों हो? आप देखते हैं कि आजकल छोटे–छोटे लड़के–लड़कियों को एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उन्हें यकायक जमानत पर रिहा क्यों किया जाए? वे धनी लोगों के एजेंट हैं। वास्तविक अपराधी सामने नहीं आएगा, वे परदे के पीछे से कार्यवाही संचालित करते हैं, ये सभी संव्यवहार बड़े लोगों, धनी लोगों जो जमाखोर हैं, द्वारा नियुक्त एजेंटों के माध्यम से किए जाते हैं। इन अवैध संव्यवहारों में 15–16 वर्ष से कम आयु के छोटे–छोटे निर्दोष लड़के–लड़कियों को लगाया जा रहा है, यदि वे दोषी पाए जाते हैं और उन्हें गिरफ्तार किया जाता है तो आप उन्हें आसानी से क्यों छोड़ें? हम उन्हें सुधार गृहों में भेज सकते हैं। उन्हें वहां रहने दें, उन्हें जमानत पर रिहा कर किसी और के हाथों क्यों सौंप देते हैं? परदे के पीछे से निर्देश देने वाला व्यक्ति इन लड़कों को जामनत पर रिहा करने की जिम्मेदारी लेगा। आप उन्हें क्यों रिहा करें? उन्हें सुधार गृहों में रहने दें। परदे के पीछे वाले व्यक्ति को सामने आने दें। अतः केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में हमारी सिफारिश को स्वीकार न करना और जमानत संबंधी उपबंध को नरम बनाना बिलकुल अच्छा नहीं है। आप इसे जमानत योग्य क्यों बनाते हैं?

मानो कोई व्यक्ति बीमार है तो हम उसे अस्पताल भेजेंगे। जमानत संबंधी उपबंधन इतना आसान क्यों बनाया जाए? यदि कोई अपराधी बीमार है और उसे गिरफ्तार किया जाता है तो उसे जमानत पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। यदि वह बीमार है तो उसे चिकित्सा उपचार के लिए भेजा जा सकता है किंतु जमानत संबंधी उपबंध को नरम बनाने की आवश्यकता नहीं है।

फिर महिला अपराधियों के मामले को लें। आप उन्हें जमानत पर इतनी आसानी से रिहा क्यों कर देते हैं? महिलाएं इस कार्य के लिए नहीं होती हैं। वे परदे के पीछे से अपराधी को निर्देश देने वाले व्यक्ति के एजेंट के रूप में कार्य कर रही हैं। इसलिए हम केन्द्र सरकार द्वारा जमानत संबंधी उपबंध को नरम बनाने के निर्णय का विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि कठोर उपबंध किए जाएं और हम चाहते हैं कि प्रतिरोधक दंड का उपबंध किया जाए। प्रतिरोधक दंड इस अर्थ में कि अपराध की पुनरावृत्ति न हो। यह हमारी अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती है। यह सरकार के लिए चुनौती है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि सरकार धनशोधन के मामले में कठोर उपाय करे।

मैं एक और बात कहता हूं। आपने अध्यक्षपीठ के लिए आयु सीमा 68 वर्ष नियत की है। इतना वृद्ध व्यक्ति अध्यक्षपीठ क्यों बनाया जाए? वह 68 वर्ष का है। मैं नहीं जानता कि क्या सरकार किसी व्यक्ति को समायोजित करना चाहती है। किंतु यहां यह बताया गया है कि अध्यक्ष वह 68 वर्ष तक सेवा कर सकता है। उसे 68 वर्ष तक सेवा करने की अनुमति क्यों दी जाए? सदस्यों के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष नियत की गई है। फिर आप यह कीजिए कि अध्यक्ष पद के लिए अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष या 75 नियत करें। यदि ऐसा चलता रहा तो मामले का कोई अन्त नहीं होगा। यदि अधिकतम आयु 65 वर्ष हो तो कुछ बात समझ में आती है।

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा) : आप 65 वर्ष के हैं इसीलिए आप ऐसा चाहते हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन : नहीं, 65 वर्ष की आयु सीमा समझ में आती है। किंतु यह 68 वर्ष क्यों रखी गई विशेष रूप से ऐसे मामले में जिसमें उसे कुछ न्यायिक निर्णय लेने हों? न्यायिक मन को सक्रिय होना होगा। 68 वर्ष की आयु में आवश्यक नहीं है कि न्यायिक मन सक्रिय हो। कुछ लोगों के लिए यह संभव हो सकता है किंतु सभी मामलों में नहीं, यह कुछ सेवानिवृत्त लोगों को समायोजित करने के लिए किया गया है। हमेशा सेवानिवृत्त लोगों को समायोजित किए जाने की आवश्यकता नहीं है। अतः मैं माननीय वित्तमंत्री से इस पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करता हूं। हमें अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष नियत करनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की आयु सीमा भी 65 वर्ष ही है। फिर इस व्यक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 68 वर्ष क्यों नियत की गई है? मेरी समझ में नहीं आता कि इसका तार्किक आधार क्या है? कृपया मुझे बताएं कि इसका तार्किक आधार क्या है। यदि मैं इसी तरह बोलता रहा तो हो सकता है अन्य सदस्यों को मौका न मिले। इसलिए समयाभाव के कारण मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं।

[श्री वरकला राधाकृष्णन]

अधिकरण के मुख्यालय के स्थान के बारे में बात समझ में आती है किंतु इसकी बैठकें कहां–कहां होंगी ? आप प्रत्येक राज्य की राजधानी में बैठकें क्यों नहीं करते ? इस संबंध में विधेयक में ही प्रावधान क्यों नहीं किया गया ? आपने यहां उल्लेख किया है कि किसी और से परामर्श करना होगा और फिर निर्णय लिया जाएगा। यह विलम्ब करने वाली प्रक्रिया है। हमें यह स्पष्ट करना चाहिए कि कम–से–कम तीन यार चार महानगरों में अधिकरण की नियमित बैठकें होंगी। इसका उपबंध धनशोधन निवारण अधिनियम में अवश्य किया जाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि यदि यह इसी तरह चलता रहा तो माननीय वित्त मंत्री को इसके लिए इस सभा में एक संशोधन विधेयक लाना होगा। मुझे विश्वास है कि उन्हें ऐसा करना पड़ेगा। पहले विधेयक के बारे में मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

अब मैं दूसरे विधेयक पर आता हूं। दुर्भाग्यवश हमें समय नहीं मिलता है। अब हम 1973 तक प्रवृत्त रहे अध्यादेश के स्थान पर विधेयक ला रहे हैं। जब तक विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम लागू था हमें कटु अनुभवों का समाना करना पड़ा था। हम उस विधेयक की कमियों व दोषों के बारे में जानते हैं।

अब हमारी आर्थिक नीतियां बदल गई हैं। हमारा दृष्टिकोण बदल गया है और हमारे मूल सिद्धान्तों को नकार दिया गया है। अब हम विश्व अर्थव्यवस्था, उदारीकरण आदि की सोच रहे हैं। यह विधेयक बदलती दशाओं के अनुरूप लाया गया है। मैं नहीं जानता कि वे इस प्रयास में कहा तक सफल होंगे। वह दूसरी बात है।

किंतु जब आप किसी विधेयक को लाते हैं तो यह निश्चायक होना चाहिए। इसका कुछ निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि इस विधेयक से माननीय मंत्री इस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे क्योंकि इसकी प्राप्ति के लिए जिस तन्त्र को लाया गया है वह स्थिति या मुकाबला करने के लिए अपर्याप्त है।

श्री रमेश चेन्नितला : महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप सभा की बैठक का समय बढ़ा रहे हैं। 6.30 बज गए हैं। सभा की बैठक का समय केवल आधा घंटा बढ़ाया गया था, कृपया हमें बताएं कि क्या आप सभा की बैठक का समय और बढ़ा रहे हैं या नहीं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार) : वे अंतिम वक्ता हैं फिर उत्तर दिया जाएगा।

श्री रमेश चेन्नितला : महोदय, आपको सभा की बैठक का समय बढ़ाना चाहिए। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

श्री वी. धनंजय कुमार : वह आपकी सहमति से ही किया जा सकता है।

श्री रमेश चेन्नितला : महोदय, आपको सभा की बैठक का समय बढ़ाना होगा।

[हिंदी]

सभापति महोदय : सभा की सहमति है कि जब तक इस बिल पर चल रही बहस समाप्त न हो तब तक के लिए सदन का समय बढ़ा दिया जाए।

[अनुवाद]

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : इस विधेयक में जो सजा का प्रावधान है उसमें प्रबल परिवर्तन की आवश्यकता है। इस समय इसमें अपराधियों को दी जाने वाली सजा के लिए उपबंध है। अब 'फेरा' कानून के अंतर्गत अपराध करने वालों को उसी जेल में भेजा जाता है जो अन्य अपराधियों के लिए बने हैं, और आर्थिक अपराधियों के साथ अन्य अपराधियों के समान ही व्यवहार किया जाएगा। यह मूलभूत तथ्य है। अब 'फेमा' कानून के अनुसार अपराध कुछ कम हो गए हैं। ...*(व्यवधान)* । प्रबंध एक अन्य मामला है। अगर वह कोई अपराध करता है और अगर वह अपराधी है तो, उसे सिविल जेल भेजा जाएगा जो अपराधियों के अलावा अन्य लोगों के लिए है जो राजकोष पर भार है क्योंकि इसका सारा व्यय राज्य को वहन करना पड़ेगा। उसे 'अ' वर्ग के कैदियों को मिलने वाली सुविधाएं मिलेंगी और उसके साथ 'अ' वर्ग के कैदी की तरह वर्ताव किया जाएगा। भारत की दंड विधि के अंतर्गत धोखाधड़ी जैसे अपराधों के लिए दंड का प्रावधान है। लेकिन फेमा कानून के अंतर्गत इसे दांडिक अपराधों से भिन्न अपराध माना जाएगा।

मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री को गैरकानूनी धन के लेन–देन से निपटने के लिए पुनः संशोधनों को लाना पड़ेगा। यहां वर्तमान अधिनियम जो लागू है, इसे शुद्ध और साधारण अपराधों की तरह लिया जाएगा। लेकिन अब इस अधिनियम के लागू हो जाने पर, अपराधियों के साथ सम्यतापूर्ण बर्ताव किया जाएगा। उन्हें जेल नहीं भेजा जाएगा।

इसलिए, मैं कह रहा हूं कि माननीय मंत्री को इस विधेयक को पुनः विदेशी मुद्रा से संबंधित अपराधों के मामलों को निपटाने के लिए सभा के समक्ष लाना होगा। इसमें कई त्रुटियां हैं। यह आजकल के धन लेन–देन से संबंधित मामले को नहीं निपटा सकता, ये विदेशी मुद्रा से संबंधित धन संबंधी लेन–देन से निपटने में अक्षम है और यह सभी अपराधों से निपटने में अक्षम सिद्ध होगा। इसलिए मैं विधेयक को प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ संशोधनों को लाने का सुझाव दे रहा हूं।

एक अर्थ में, मैं अधिनियम की अपर्याप्तता की ओर शायद इंगित करूं। वह अपराधी व्यक्ति कौन है ? इस अधिनियम में उस व्यक्ति को परिभाषित नहीं किया गया है। व्यक्ति जो भारत में उपस्थित नहीं है उसको भी परिभाषित नहीं किया गया है। परिभाषा में कुछ चीजें हैं। व्यक्ति की परिभाषा नहीं दी है हमने समिति में यह सिफारिश की थी कि अधिनियम में व्यक्ति की परिभाषा को स्पष्ट किया जाए। व्यक्ति को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। मैंने दोनों अधिनियमों का अध्ययन किया है। आपने उसमें परिभाषा नहीं दी है। आपको इसे स्पष्ट करना पड़ेगा आपने विदेशी मुद्रा विनियमन को भी स्पष्ट किया है, पर जो व्यक्ति अपराध करेगा उस अपराधी व्यक्ति की परिभाषा नहीं दी है। आपको इसकी परिभाषा स्पष्ट करनी चाहिए। आपने यह नहीं किया है। ...*(व्यवधान)*

श्री अनादि साहू : अगर 'व्यक्ति' शब्द को इस विधेयक में परिभाषित नहीं किया गया है तो कानूनी शब्दकोष में परिभाषित व्याख्या को मान लिया जाएगा।

श्री वरकला राधाकृष्णन : इसलिए, मेरा विनम्र निवेदन है कि विदेशी मुद्रा प्रबंध विधेयक का अध्ययन करने के बाद, मुझे लगता है, कि यह आजकल हो रहे विदेशी मुद्रा लेन–देन संबंधी व्यवहार में अपर्याप्त है। इसलिए मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

इन शब्दों के साथ, मैं भाषण समाप्त करता हूं।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर (भीलवाड़ा) : मैं इन दोनों विधेयकों का समर्थन करता हूं—एक विदेशी मुद्रा प्रबंध विधेयक जो विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के स्थान पर लाया गया है और दूसरा धन–शोधन निवारण विधेयक एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं। इसलिए, दोनों विधेयक को यहां प्रस्तुत करना पड़ा इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं। 25 साल पश्चात् विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम में अनेक परिवर्तन लाने की आवश्यकता महसूस की गई इसीलिए विदेशी मुद्रा प्रबंध विधेयक को लाना पड़ा।

मुझे वह समय याद है कि जब राजमाता गायत्री देवी और जयपुर के भूतपूर्व महाराज को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अंतर्गत मुकद्मा चला कर उन्हें एक या अन्य अपराधों के अंतर्गत जेल भेजा गया था। अगर विदेशी मुद्रा प्रबंध विधेयक होता, तब उन्हें सीधे जेल नहीं जाना पड़ता। समय के बदलाव के कारण इस विदेशी मुद्रा प्रबंध विधेयक की आवश्यकता पड़ी। 25 सालों में हम वैश्वीकरण व उदारीकरण की ओर बहुत दूर तक आ गए हैं। इस कारण ही वर्तमान विधेयक को पेश किया गया है इसके लिए मैं वित्त मंत्री को बधाई देना चाहता हूं।

दो तीन बातें हैं जिनकी ओर मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक यह है कि काले धन व सफेद धन के मध्य भेद करना अत्यंत कठिन है और एक बार धन का शोधन हो गया तो यह कहना कठिन हो जाएगा कि यह पैसा कहां से प्राप्त किया। इसी के अंतर्गत, अगर कोई व्यक्ति पैसा उधार लेता है, उसे किस प्रकार पता चलेगा कि धन का शोधन हुआ है या यह धन गलत तरीके से कमाया हुआ है या दूषित धन है ? उस व्यक्ति को सजा क्यों मिले ? अगर कोई पैसा उधार लेता है, वह कैसे यह पता लगाएगा कि यह धन काला है या सफेद है ? मैं यह जानने में असमर्थ हूं कि क्यों उन्होंने इस खंड को रखा है। इसलिए उन्हें इस बारे में कुछ करना चाहिए।

एक अन्य बात—और मैं इस विचार का भी स्वागत करता हूं—कि भारतीय इतिहास में पहली बार, सबूत प्रस्तुत करने का दायित्व अभियुक्त पर होगा। किसी भी अपराध में सबूत प्रस्तुत करने का दायित्व अभियुक्त पर नहीं होता और मैं इस विधेयक को सशक्त बनाने के लिए वित्त मंत्री को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने अपराध के प्रति नई सोच पैदा की है क्योंकि यूरोप के बहुत से देश और अमरीका में उनकी व्यवस्था द्विभाजित हैं, जो कि हमसे बिल्कुल भिन्न है अभी तक अभियुक्त तब तक दोषी नहीं होता था जब तक साबित न हो जाए, यहां सारी व्यवस्था बदल गई है, और मैं समझता हूं यह अच्छी शुरुआत है।

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : सभापति महोदय, इन दो विधेयकों को व्यापक समर्थन देने के लिए मैं इस सभा के माननीय सदस्यों के प्रति बहुत आभारी हूं। इन विधेयकों के संबंध में सुझाव देने के लिए भी मैं उनका आभारी हूं मैं समझता हूं कि कुछ ऐसे मुद्दे और बिन्दु हैं जिनके बारे में स्पष्टीकरण देने से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।

महोदय, ढांचा क्या है ? हम इन दो विधेयकों पर एक साथ चर्चा क्यों कर रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि विदेशी मुद्रा प्रबंधन के बारे में हम एक कठोर और कठिन विधान के स्थान पर अधिक उदार विधान बनाने जा रहे हैं और जैसा मैंने आरंभ में कहा है कि धन शोधन के मामले में हम कड़ा कानून बना रहे हैं।

यदि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम को केंद्र में रखें तो एक ओर हम उदारीकरण की दिशा में बढ़ रहे हैं और दूसरी ओर हम और कड़े उपाय कर रहे हैं।

अब मैं पहले विदेशी मुद्रा प्रबंधन विधेयक को लूंगा। मैंने कहा था कि चालू खाता उदारीकरण, विभिन्न समितियों द्वारा दी गई सिफारिशों, 1993 में किए गए संशोधनों के मद्देनजर सरकार के लिए यह आवश्यक हो गया था कि वह एक विदेशी मुद्रा प्रबंधन विधेयक लाए। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियमन 1947 में अधिनियमित किया गया था और 1973 से 1993 तक इसमें तत्कालीन स्थितियों के अनुसार कई संशोधन किए गए, विदेशी मुद्रा प्रबंधन विधेयक आज की स्थिति का मुकाबला करने के लिए हमारा उत्तर है।

[श्री यशवंत सिन्हा]

मैं उन माननीय सदस्यों की शंका का निराकरण करना चाहता हूं जो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति की स्थिरता को बारे में चिंतित हैं। मैं कहना चाहता हूं कि भारत में क्रमशः आने वाली सरकारों ने विदेशी मुद्रा के संबंध में अत्यधिक सावधानी से कदम उठाए हैं। पूर्वी एशियाई संकट जिसका यहां उल्लेख भी किया गया था, से भारत का प्रभावित न होने का कारण यह था कि हमने सावधानी से कदम उठाए और यह आवश्यक नहीं है कि वह सावधानी अनिवार्यतः नियंत्रित व्यवस्था का कड़ाई से पालन करने तक सीमित नहीं है। यह सावधानी इस तरीके से बरती गई कि लोगों का विश्वास डांवाडोल नहीं हुआ। देश में विदेशी मुद्रा का भंडार क्यों बना हुआ है ? विदेशी मुद्रा के भंडार में कमी तभी आती है जब व्यवस्था से लोगों का विश्वास उठ जाता है। एक राष्ट्र के रूप में हम न केवल अपने राष्ट्रवासियों अपितु विदेशी निवेशकों का भी विश्वास बनाए रख सके हैं।

इस सभा में मुझे यह कहने का अवसर भी प्राप्त हुआ था कि जब एशियाई संकट चल रहा था और जब यह अपने चरमोत्कर्ष पर था उस समय हमारा रक्षित भंडार विदेशी मुद्रा के रूप में हमारे देश से बाहर नहीं ले जाई गई, विदेशी संस्थागत निवेश को ही लें, 1998–99 में कुल नौ बिलियन अमरीकी डॉलर में से लगभग 500 मिलियन अमरीकी डॉलर की कमी आई। अतः यह भारतीय व्यवस्था में लोगों के विश्वास को बताता है।

हमारे यहां उदारीकरण जारी है। मैं अपने मित्र किरीट सोमैया जिन्होंने पूंजी खाता उदारीकरण की बात की है को आश्वासन देना चाहता हूं कि यह विदेशी मुद्रा प्रबंधन विधेयक हमें स्वतः ही पूंजी खाता उदारीकर की अवस्था में नहीं पहुंचा देगा इस सरकार, इस देश को सूझ–बूझ के साथ निर्णय लेना होगा कि हम पूंजी खाता उदारीकरण की ओर बढ़ना चाहते हैं। यह स्वतः ही नहीं होगा और मैं यहां इस बात को दोहराता हूं कि हम सावधानी बरतते रहेंगे। हम कभी भी ऐसे जोखिम नहीं उठाएंगे जिससे इस देश को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़े।

इसलिए हम सावधानी से आगे बढ़ेंगे। किंतु जिन लोगों ने इस संबंध में शंका व्यक्त की है मैं उन माननीय सदस्यों को इस बारे में आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार न केवल पर्याप्त है अपितु उसमें स्थिरता भी है, अतः उस संबंध में कोई विशेष चिंता की बात नहीं है। उस संदर्भ में विदेशी मुद्रा विनियमन विधेयक को वर्तमान स्थिति के अनुरूप बनाने के लिए हम विदेशी मुद्रा प्रबंधन विधेयक लाए हैं। यह सही है कि अपराध की प्रकृति को बदल कर दांडिक से सिविल बनाया जा रहा है क्योंकि इस संबंध में सभी अपराध या अधिकत्तर अपराध सिविल प्रकृति के हैं।

उदाहरणार्थ यदि कोई आय कर अपवंचन करता है या उससे बचता है तो फिर हम उसके विरुद्ध आय–कर कानूनों के अंतर्गत कार्यवाही करते हैं जो सिविल प्रकृति का है। आयकर अधिकारी को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। यदि वे किसी को गिरफ्तार करना चाहते हैं तो वे न्यायालय में जा सकते हैं। अब यह परिवर्तन किया जा रहा है इसलिएं मेरे विचार से विदेशी मुद्रा प्रबंधन विधेयक के बारे में चिंता का कोई कारण नहीं होना चाहिए।

अब मैं धन–शोधन निवारण विधेयक पर आता हूं। मूल ढांचा क्या है ? मूल ढांचा यह है कि कुछ निश्चित किस्म के अपराध अवश्य होंगे और उन अपराधों से आर्थिक लाभ अवश्य लिया जाता हो और उन प्राप्तियों के शोधन का प्रयास किया जाए तब यह अधिनियम लागू होगा। अब प्रश्न है कि इसमें किन अपराधों को शामिल किया गया है ? ये सभी अपराध परिभाषित किए गए हैं। उदाहरणार्थ 'हत्या'। क्योंकि श्री बंसल ने 'हत्या' का उल्लेख किया है अतः मैं उन्हें बताना चाहता हूं इसमें हत्या शामिल है।

श्री पवन कुमार बंसल : मैंने कहा कि हत्या भी इसमें शामिल है और अन्य मामले भी हो सकते हैं।

श्री यशवंत सिन्हा : हां, मैं कह रहा हूं कि हत्या का उल्लेख किया गया है। हमने विभिन्न अधिनियमों से अनेक ऐसे अपराधों को लिया जिनका प्रयोग पैसा ऐंठने, अवैध आगम प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है और उन बातों को इससे शामिल किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ श्री अनादि साहू ने अभिरक्षा में विलुब्ध करने के मुद्दे को उठाया है। इससे मैं भी चक्कर में पड़ गया क्योंकि जो यहां उद्धृत किया गया वह अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम की धारा 9 है। यदि आप धारा 9 को पूरी तरह पढ़ें तो आप पाएंगे कि इसमें न केवल अभिरक्षा में विलुब्ध करने की बात की गई है अपितु इसमें वेश्यावृत्ति के प्रयोजन से भी अभिरक्षा में विलुब्ध करने की बात की गई है। यदि यह वेश्यावृत्ति के लिए किया गया हो तो स्पष्ट है इसमें अवैध लाभ होगा और उससे प्राप्त किसी भी चीज से निपटना होगा। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन भी यही स्थिति है। फिर नशीले पदार्थों की बात आती है। निश्चित तौर पर हमने नशीले पदार्थ को दंड और जुर्माने दोनों के हिसाब से को अलग–अलग माना है।

जो बात मैं कह रहा हूं कि वह यह है कि हमने कुछ जघन्य और गंभीर प्रकृति के अपराध चुने हैं। हम धन–शोधन के बारे में इस विधेयक को ला रहे हैं ताकि उन अपराधों से होने वाली प्रास्तियां और उनके परिणामस्वरूप अर्जित संपत्तियों से इस अधिनियम के अधीन निपटा जाए। वर्तमान में ऐसा कोई विधान नहीं है जिसके अधीन केवल इस विषय में कार्यवाही की जाए। इसलिए हम इस विधेयक को ला रहे हैं।

अब अपील आधिकरण के सदस्यों की अर्हताओं और अधिकरण में उनकी नियुक्ति के बारे में प्रश्न उठाया गया था। मैं श्री बंसल को सूचित करना चाहता हूं कि चूंकि इसका संबंध मूल अपराध से है अतः इस पर कार्यवाही करने से पूर्व आरोप–पत्र होना चाहिए। मेरे कहने का तात्पर्य है कि विधिक कार्यवाही में आरोप–पत्र एक निश्चित चरण है जिसे तब तैयार किया जाता है जब अभियोजन एजेंसी इस निष्कर्ष पर पहुंच जाती है कि अपराध या अपराधी के विरुद्ध कार्यवाही करने के पर्याप्त साक्ष्य है। अतः आरोप एक महत्त्वपूर्ण बिन्दु है। उससे संपत्ति की अंतरिम कुर्की भी होगी और संपत्ति का अंतिम अधिहरण तब होगा जब वह यहां उद्‌धृत कानूनों के अधीन दोषी सिद्ध होता है।

इसलिए इस विधेयक के उपबंधों का अनुसूची से संबंध जोड़ना महत्त्वपूर्ण है जिसका कि हमने उल्लेख किया है। यदि हम इस विधेयक के उपबंधों का संबंध अनुसूची से नहीं जोड़ते हैं तो फिर सभी अपराध इस विधेयक की परिधि में लाए जा सकते हैं किंतु वह इस विधेयक का आशय नहीं है लेकिन हमारा इरादा इस विधेयक को कुछ गंभीर व जघन्य अपराधों तक सीमित रखना है और इसीलिए इस अनुसूची में हमने विभिन्न अधिनियमों के अधीन अपराधों को प्रमाणित किया है।

अब मैं अधिकरण और इसके अध्यक्ष की आयु सीमा के प्रश्न पर आता हूं। यह सच है कि अध्यक्ष पद के लिए अधिकतम आयु सीमा 68 वर्ष है। किंतु अधिनियम की धारा 27 (1) में हम कह रहे हैं :

> "कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है।"

हम ऐसा अध्यक्ष के लिए क्यों कह रहे हैं और सदस्यों के लिए क्यों नहीं कह रहे हैं ? अध्यक्ष के लिए हम यह कह रहे हैं क्योंकि यह गंभीर विधान है और इस विधान के अधीन जिन अपराधों का विचारण किया जाएगा वे जघन्य प्रकृति के हैं। हम चाहते हैं अध्यक्ष...

श्री पवन कुमार बंसल : आपकी बात काटने का मुझे खेद है। अपराधों का विचारण अपील अधिकरण द्वारा नहीं किया जाएगा। वह केवल संपत्ति की कुर्की और फिर अंतिम अधिहरण का प्रश्न है। अपराधों का विचारण विशेष न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा।

श्री यशवंत सिन्हा : हां, महोदय।

श्री पवन कुमार बंसल : अपराधों का विचारण विशेष न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा।

श्री यशवंत सिन्हा : वह अन्तर मैंने स्वयं किया है। मैं कह रहा हूं कि इस विधेयक के अधीन जो भी कार्यवाही की जाएगी वह इस अधिकरण द्वारा की जाएगी इसलिए हम चाहते हैं कि यह अधिकरण एक उच्च अधिकार प्राप्त निकाय हो। अब हम केवल अध्यक्ष की बात कर रहे हैं कि वह है या रहा है...*(व्यवधान)*

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति : आप सेवानिवृत्त लोगों को क्यों लेना चाहते हैं ?

श्री यशवंत सिन्हा : हम कह रहे हैं, "है या रहा है", दोनों विकल्प खुले हैं।

सायं 6.56 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए।)*

श्री पवन कुमार बंसल : जो भी है यदि उसके आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती हो तो उच्चतम न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश इस कार्य को नहीं लेगा।

श्री यशवंत सिन्हा : इसलिए हम कह रहे हैं "उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश", हम उच्च न्यायालय को इससे बाहर नहीं रख रहे हैं। जहां तक सदस्यों का संबंध है विभिन्न कोटियों के सदस्य हैं जो सदस्य बनने के लिए अर्ह हैं।

श्री पवन कुमार बंसल : मुझे व्यवधान डालने का खेद है। वास्तव में यह व्यवधान नहीं है। मैंने जो बात कही वह यह थी कि अब तक सभी कानूनों में अहर्ता थी कि जो व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने का अर्ह हो वह इसके लिए पात्र है। ऐसा प्रयास एक बार पहले केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के मामले में भी किया गया था।

सभा ने इस पर आपत्ति की थी। इसलिए तद्‌नुसार उस खंड का संशोधन किया गया था क्योंकि इसके पीछे यह भावना थी कि यह भाग न्यायिक क्षेत्र के लोगों को दिया जाना चाहिए। अब यही प्रयास किया जा रहा है।

श्री यशवंत सिन्हा : मैं इसे और पढ़ूंगा। जहां तक सदस्य का संबंध है हम कह रहे हैं (क) वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा हो; (ख) वह भारतीय विधायी सेवा का सदस्य रहा हो; और उसने तीन वर्षों तक उस सेवा में ग्रेड–I में किसी पद पर कार्य किया हो।

श्री पवन कुमार बंसल : हमें इसके अगले भागों से कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु इस भाग में यह "एक ऐसा व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या बनने के योग्य हो" होना चाहिए।

श्री यशवंत सिन्हा : श्री बंसल ने यह जरूर देखा होगा कि 'फेमा' में ऐसा उपबन्ध है। हमने जान–बूझकर और सोच–समझकर इसे यहां

[श्री यशवंत सिन्हा]

रखने से परहेज किया है क्योंकि हम इसे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश तक ही सीमित रखना चाहते थे। यही कारण है कि ऐसा किया गया।

श्री पवन कुमार बंसल : यह इन लोगों के हित में नहीं है।

श्री यशवंत सिन्हा : यह कोई असावधानी नहीं है। इसे सोच–समझकर किया गया है। अब मैं अन्य बात पर आता हूं जो श्री बंसल ने उठायी है अर्थात सरकार का अपील करने का अधिकार। हम बहुत सावधान रहेंगे। ऐसी बात नहीं है कि हम हर मामले में अपील करेंगे। यह भी सोच–समझकर करने वाला काम है। हम सावधानी बरतेंगे। प्रशासनिक अनुदेशों के संबंध में हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इसे सामान्य न समझा जाए।

अब महोदय, जहां तक प्रमाणीकरण का संबंध है यह सच है कि इस विधान में, अन्य कठोर विधानों की तरह, प्रमाणीकरण का भार दोषी व्यक्ति पर डाला गया है। परन्तु हमें यह भी याद रखना चाहिए कि भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम में गैर अनुपातिक परिसंपत्तियों में मामले में भी दोषी पर ही प्रमाणीकरण का भार डाला जाता है। कुछ अधिनियमों में कतिपय ऐसे उपबन्ध हैं, जहां प्रमाणीकरण का भार दोषी व्यक्ति पर ही डाला गया है। उसे अपने आपको निर्दोष साबित करना होगा। परन्तु यहां एक मुद्दा उठाया गया है जो अनजाने में अधिग्रहीत उस संपत्ति के बारे में है, जो धन शोधन द्वारा प्राप्त की गई है। हम कह रहे हैं कि उसे 'सूझ–बूझ के साथ' ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए। अगर कह इसे अनजाने में करता है तो वह दोषी नहीं है। जब हम कहते हैं 'सूझ–बूझ के साथ', तो 'सूझबूझ के साथ' के आशय को सिद्ध करने के प्रमाण का भार अभियोजन पक्ष पर आ जाता है। अतः ऐसा सभी मामलों में नहीं है। हम नागरिकों को उस प्रकार की कठिनाई से बचाते हैं।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह : मान लो वह उधार लेता है तो उसे यह कैसे पता चलेगा कि यह सफेद धन है या काला धन या शोधित धन है ?

श्री यशवंत सिन्हा : मैं यही कह रहा हूं कि अगर उसने धन उधार लिया हो जो इस अधिनियम के अंतर्गत आता है तो अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि उसने यह उधार 'सूझ–बूझ के साथ' लिया था। अगर वह जानता है कि उक्त धन गलत कामों से कमाया गया था और फिर भी उसने इसे उधार लिया तथा वह इस विधेयक की खामियों का फायदा उठा रहा है। वह तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं करते कि उसने उधार में यह धन 'सूझ–बूझ के साथ' लिया।

श्री पवन कुमार बंसल : इन उपबन्धों के दिए गए महत्त्व के कारण आप जान–बूझकर यह कहते हैं कि केवल वे ही लोग जो महत्त्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, चेयरमैन अपीलीय प्राधिकरण के पद पर तथा अन्य पदों पर आसीन होने चाहिए। इसके साथ ही आप कहते कि कार्यवाही का स्वरूप न्यायिक होना चाहिए और अधिनियम में भी यही कहा गया है।

सांय 7.00 बजे

आप उनके आगे वकील को आने से रोक रहे हैं। यह अपनी तरह का पहला विधान है जहां आप कहते हैं कि कोई वकील उपस्थित नहीं होगा और इसके स्थान पर केवल वही प्राधिकृत प्रतिनिधि होगा जो शायद उस अन्तर से अवगत न हो, जो उस तरफ बैठे मेरे माननीय मित्र बताने की कोशिश कर रहे थे। अगर कोई मामला सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना हो और वकील वहां उपस्थित नहीं होता; अगर वकील दोषी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता.....

श्री यशवंत सिन्हा : हम यह मान रहे हैं कि प्राधिकृत प्रतिनिधि के पास प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रर्याप्त ज्ञान होगा।

श्री पवन कुमार बंसल : वैसी योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया है। प्राधिकृत प्रतिनिधि से आशय है कि कोई दोषी व्यक्ति किसी वकील को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए प्राधिकृत नहीं कर सकता। आप कहें कि वह अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में किसी वकील को उपस्थित होने के लिए प्राधिकृत कर सकता है तो वह काफी अच्छा होगा।

श्री यशवंत सिन्हा : जब वह आपना प्रतिनिधि चुनता है.......

श्री पवन कुमार बंसल : वह चुन नहीं सकता। आप नहीं चाहते कि वह चुने। इसीलिए, मैं सभापति से अनुरोध कर रहा था कि हमें इन उपबन्धों के मामले में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अभी और बहुत कुछ करना अपेक्षित है। उसके बाद आप देखेंगे एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे न्यायालय विभिन्न उपबन्धों को चुनौती दी जाएगी, न्यायालय उन्हें रद्द कर देगा। केवल इसी कारण कि कानून बनाया गया है, आप इसे चलाए जा रहे हैं।

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, इसका उत्तर मैं यही देना चाहूंगा कि ये दोनों ही विधेयक पिछली लोक सभा में पुरःस्थापित किए गए थे। इसे स्थाई समिति को सौंपा गया था। वित्त संबंधी स्थाई समिति ने प्रत्येक खंड पर विचार किया था। मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के समक्ष उपस्थित होकर हर बात स्पष्ट की थी और हमने समिति के कई महत्त्वपूर्ण सुझाव स्वीकार किए हैं।

श्री पवन कुमार बंसल : सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से एक **पंच** की तरह कार्य करने की अपेक्षा की जाएगी।

श्री यशवंत सिन्हा : उदाहरण के लिए श्री रमेश चेन्नीतल्ला खातों के झूठे होने के बारे में जो मुद्दा उठा रहे थे। वह अब उस विधेयक का भाग था जिसे मैंने पिछली लोक सभा में पुरःस्थापित किया था। यह विभिन्न औद्योगिक संगठनों और व्यापार संगठनों द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों के परिणामस्वरूप समिति की सिफारिशों के अधार पर किया गया था कि हमने समिति की सिफारिशें स्वीकार की और उसे हटाने का निर्णय लिया। इसलिए अब खातों का झूठा होना इस विधेयक का भाग नहीं है।

महोदय, मेरा कहना यह है कि हमने विभिन्न स्तरों पर इस पर विस्तार से चर्चा की है और इस पर काफी सोच–विचार भी किया गया है। दोनों ही विधेयक सही ढंग से रखे गए हैं और मैं यह सुझाव दूंगा कि विधेयकों को स्वीकार किया जाए और इस सदन द्वारा पारित किया जाए।

महोदय, एक अन्य मुद्दा है जो अपील करने वाले के खंड 38 के अंतर्गत कानूनी सहायता प्राप्त करने के अधिकार के बारे में है।

श्री पवन कुमार बंसल : यह धन शोधन के बारे में नहीं है।

श्री यशवंत सिन्हा : नहीं, यह धन शोधन के बारे में नहीं है।

महोदय, अंत में मैं यह अनुरोध करना चाहूंगा कि हमने ये कदम सोच समझ कर उठाए हैं। समिति हमारी बात से सहमत है इसलिए हमने वह छोड़ दिया है और उन उपबन्धों को इस विधेयक में शामिल नहीं किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह सुझाव देता हूं कि यह सभा इन दो विधेयकों को पारित करे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि धन–शोधन के निवारण और धन–शोधन के व्युत्पन्न या उसमें अंतर्वलित सम्पति के अधिहरण और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब यह सभा इस विधेयक पर खंड–वार विचार करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री विलास मुत्तेमवार जी खंड 4 में अपने संशोधन संख्या 4 और 5 प्रस्तुत करेंगे। वह सभा में उपस्थित नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री विलास मुत्तेमवार खंड 5 में अपने संशोधन संख्या 6 और 7 प्रस्तुत करेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : महोदय, क्या मेरे संशोधन आप तक पहुंच गए हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : वे प्रक्रिया के अन्तर्गत हो सकते हैं।

खण्ड 6

उपाध्यक्ष महोदय : श्री विलास मुत्तेमवार अपना संशोधन संख्या 8 प्रस्तुत करेंगे। वह सभा में उपस्थित नहीं हैं। श्री श्रीनिवास दादा साहिब पाटिल और श्री शरद पवार अपना संशोधन संख्या 18 प्रस्तुत करेंगे। वे सभा में उपस्थित नहीं हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 7

उपाध्यक्ष महोदय : श्री विलास मुत्तेमवार अपना संशोधन संख्या 9 प्रस्तुत करेंगे। वे सभा में उपस्थित नहीं हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 7 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 9

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री श्रीनिवास दादा साहिब पाटील और श्री शरद पवार संशोधन संख्या 19 प्रस्तुत करेंगे। वह सभा में उपस्थित नहीं हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 9 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 10 से 16 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 17

उपाध्यक्ष महोदय : श्री विलास मुत्तेमवार अपने संशोधन संख्या 10 से 14 प्रस्तुत करेंगे। वह सभा में उपस्थित नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 17 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 17 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 18 से 26 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 27

उपाध्यक्ष महोदय : श्री श्रीनिवास दादा साहिब पाटील और श्री शरद पवार अपना संशोधन संख्या 20 प्रस्तुत करेंगे। वह सदन में उपस्थित नहीं हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 27 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 27 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 28

उपाध्यक्ष महोदय : श्री विलास मुत्तेमवार अपने संशोधन संख्या 15 और 16 प्रस्तुत करेंगे। वह सदन में उपस्थित नहीं हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 28 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 28 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 29 से 36 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 37

उपाध्यक्ष महोदय : श्री विलास मुत्तेमवार अपना संशोधन संख्या 17 प्रस्तुत करेंगे। वह सदन में उपस्थित नहीं हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 37 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 37 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 38 से 47 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 48

उपाध्यक्ष महोदय : श्री श्रीनिवास दादा साहिब पाटील और श्री शरद पवार अपना संशोधन संख्या 21 प्रस्तुत करेंगे। वे सदन में उपस्थित नहीं हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 48 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 48 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 49 से 72 विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब संशोधन संख्या 2 श्री अनादि चरण साहू, क्या आप प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे ?

श्री अनादि साहू (बरहमपुर, उड़ीसा) : मैं इसे प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है।

प्रश्न यह है

"कि खंड 73 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 73 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 74 विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 3 अनुसूची संशोधन के बारे में है। श्री अनादि चरण साहू क्या आप इसे प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री अनादि साहू : नहीं, महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र, उद्देशिका और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब, मंत्री महोदय प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपायक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

(व्यवधान)

श्री रमेश चेन्नितला : महोदय, मैं एक मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा। हमने इस विधेयक पर अच्छी तरह से चर्चा की है। हम इस विधेयक का स्वागत कर रहे हैं। अपने हस्तक्षेप में मेरे मित्र श्री पवन कुमार बंसल ने कहा था कि कुछ खंड स्पष्ट नहीं हैं उनमें अस्पष्टता है। निश्चय ही इसे पूर्व में वित्त संबंधी स्थायी समिति के पास भेजा गया था और उन्होंने अपनी सिफारिशें भी दी हैं।

महोदय, मैं समझता हूं कि यह विधान अत्यन्त गम्भीर विधान है इस पर अधिक विचार करने की आवश्यकता है अन्यथा सरकार को पुनः और संशोधन लेकर आना पड़ेगा। अतः मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह कृपया इस पर विस्तार से विचार करें। हालांकि हमने कुछ सुझाव दिए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से माननीय मन्त्री जी के किसी भी सुझाव को स्वीकार नहीं किया है। लेकिन चूंकि ये दोनों विधेयक हमारी अर्थव्यवस्था के साथ–साथ इस देश के नागरिकों पर भी परोक्ष रूप से प्रभाव डालेंगे, सरकार को उनके बारे में गम्भीरता से सोचना चाहिए।

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, मुझे माननीय सदस्यों के सुझावों को मान लेने में बिल्कुल संकोच नहीं है। उदाहरण के लिए आप श्री पवन कुमार बंसल द्वारा उठाए गए 'विधि व्यवसायी' के मुद्दे को ही लीजिए। अब मेरे पास यहां समिति का प्रतिवेदन भी है। समिति ने क्या कहा है ? समिति ने पूरे मामले पर विचार किया है उन्होंने कहा कि "विधि व्यवसायी के अलावा, चार्टर्ड एकाउंटेन्ट, कम्पनी सैक्रेटरी और किसी व्यक्ति जैसे अन्य प्रतिनिधि भी" हो सकते हैं।

अतः इसे अधिक व्यापकत्व देने के लिए उन्होंने सुझाव दिया है कि वह अधिकृत प्रतिनिधि होना चाहिए क्योंकि वे सभी धन से सम्बंधित अपराध हैं और हो सकता है कि कोई चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के रूप में प्रतिनिधि होना चाहता हो। हम चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट को रोक नहीं रहे हैं। हम आयकर व्यवसायी को रोक नहीं रहे हैं। अतः हम इसके क्षेत्र का विस्तार कर रहे हैं।

जब वह अचानक खड़े हुए और इन्होंने यह प्रश्न पूछा तो मैं उत्तर नहीं दे सकता था। लेकिन जब मैंने अपने पेपरों में ढूंढ़ा तो मैंने देखा कि यह एक स्पष्टीकरण है।

श्री पवन कुमार बंसल : आपका मतलब है कि वकील/अधिवक्ता भी इसमें आ सकते हैं ?

श्री यशवन्त सिन्हा : जी, हां।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रतिनिधि जिनमें वकील भी शामिल हैं।

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि प्रधिकृत प्रतिनिधियों में हम, विधि व्यवसायियों को भी शामिल करेंगे, जैसे इसमें अनेक अन्य श्रेणी के भी लोग होंगे।

महोदय, अभी मेरे माननीय सहयोगी श्री राधाकृष्णन यहां उपस्थित नहीं हैं। उन्होंने यह मुद्दा उठाया था कि 'व्यक्ति' को परिभाषित नहीं किया है। यहां मैं बता दूं कि 'व्यक्ति' को परिभाषित किया गया है। दोनों विधेयकों में विशिष्ट उपबंध हैं जिनमें 'व्यक्ति' की परिभाषा स्पष्ट की गई है। हमने इसे ध्यानपूर्वक पूरा पढ़ा है।

फिर भी, मैंने इन सुझावों को नोट कर लिया है और यदि वह उपयोगी होंगे तो हम निश्चित ही नियमों और विनियमों में उन पर अवश्य ध्यान देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम दूसरे विधेयक पर आते हैं–विदेशी मुद्रा प्रबंध विधेयक, 1999।

प्रश्न यह है :

> "कि विदेशी व्यापार और संदायों को सुकर बनाने और भारत में विदेशी मुद्रा बाजर के व्यवस्थित विकास और अनुरक्षण का संप्रवर्तन करने के उद्देश्य से विदेशी मुद्रा से संबंधित विधि को समेकित और संशोधित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार प्रारम्भ करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 12 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 12 विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री विलास मुत्तेमवार ने तीन संशोधन प्रस्तुत किए हैं वे यहां उपस्थित नहीं हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 13 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 13 विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अनादि साहू क्या आप संशोधन संख्या 1, 2, 3 प्रस्तुत करेंगे ?

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा) : मैं अपने संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 14 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 14 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 15 से 18 विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अनादि साहू, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करेंगे ?

श्री अनादि साहू : नहीं, मैं नहीं कर रहा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 19 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 19 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 20 विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अनादि साहू, क्या आप संशोधन संख्या 5 और 6 प्रस्तुत करेंगे ?

श्री अनादि साहू : मैं प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 21, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 21 विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री विलास मुत्तेमवार के संशोधन संख्या 12 और 13 हैं, वे उपस्थित नहीं हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 22 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 22 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 23 और 24 विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री विलास मुत्तेमवार का संशोधन संख्या 14 है, वे यहां उपस्थित नहीं हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 25 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 25 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 26 से 30 विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 15 श्री विलास मुत्तेमवार का है, वे यहां उपस्थित नहीं हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 31 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 31 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 32 से 34 विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 16 श्री विलास मुत्तेमवार का है। वे यहां उपस्थित नहीं हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 35 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 35 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 36 से 49 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय अब प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कल 3 दिसम्बर, 1999 पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 7.21 बजे

तत्पश्चात लोक सभा शुक्रवार, 3 दिसम्बर, 1999/12 अग्रहायण, 1921 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।